बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम

रसूल जिस बात का आदेश दे उस पर अ़मल करो
और
जिस बात से मना करे उस से दूर रहो (और बस!)

(सूरः हश्र-7)

हदीस नं. 2788 से 5274

सुनन् अबू दावूद शरीफ़

(दूसरा भाग)

संपादक
इमाम अबू दावूद सुलैमान अश्-अ़स सजिस्तानी रह॰
(202हि॰-275हि॰)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह
उमर फ़ारुक़ सअ़ीदी+हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई

अनुवाद
ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)

प्रकाशक
इदारा इशाअतुस्सुन्नह—दिल्ली

सुनन् अबू दावूद शरीफ़

2788
से
5274

2

इदारा
इशाअतुस्सुन्नह
दिल्ली

नाम पुस्तक	:	सुनन् अबू दावूद शरीफ़ (दूसरा भाग)
संपादक	:	इमाम अबू दावूद सुलैमान अश–अ़स सजिस्तानी रह॰
उर्दू तर्जुमा	:	उमर फ़ारुक़ सअ़ीदी+हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
हिन्दी अनुवाद व तशरीह	:	ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी फ़लाही
कुल पेज	:	592
कुल अहादीस की संख्या	:	2788 से 5274 तक हदीसें (आख़िर तक)
प्रथम एडीशन	:	मई 2011
मूल्य	:	800 Rs. (आठ सौ रु॰)
मुद्रक	:	*इदारा इशा–अ़तुस्सुन्नह (दिल्ली)*
कम्पोज़िंग	:	तय्यब अज़ीज़, सनम अज़ीज़, द बाइट पब्लिशिंग सिस्टम्स, दिल्ली

मिलने का पता

★ ***दारूल कतुबिल इस्लामिया***

419, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली–110006

फोनः– 011–23269123

★ **Darul Kutub-Al-Islamia**

419, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid-110006

Ph.: 011-23269123

★★★

सुनन् अबू दावूद शरीफ़
(दूसरा भाग)
किताब (शीर्षक) की सूची

न॰	शीर्षक (किताब)	हदीस न॰ से	पुष्ठ न॰
16	क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल	2788 से	45
00	शिकार के अहकाम व मसाइल	2844 से	59
17	वसिय्यत के अहकाम व मसाइल	2862 से	64
18	वरासत के अहकाम व मसाइल	2885 से	71
19	महसूलात, ग़नीमत, इमारत का बयान	2928 से	82
20	जनाज़ा के अहकाम व मसाइल	3089 से	132
21	क़सम और नज़र के अहकाम व मसाइल	3242 से	167
22	ख़रीद-फ़रोख़्त के अहकाम व मसाइल	3326 से	182
00	इजारा के अहकाम व मसाइल	3416 से	204
23	क़ज़ा के अहकाम व मसाइल	2571 से	138
24	इल्म और अहले इल्म के बारे में बयान	3641 से	255
25	पीने के अहकाम व मसाइल	3669 से	261
26	खाने के अहकाम व मसाइल	3736 से	276
27	उपचार के अहकाम व मसाइल	3855 से	299
00	कहानत और बदफ़ाली के बारे में अहकाम व मसाइल	3904 से	310
28	गुलाम की आज़ादी के बारे में अहकाम व मसाइल	3926 से	315
29	कुरआन के लहजों और क़िरात का बयान	3969 से	324
30	स्नान घरों के बारे में अहकाम व मसाइल	4009 से	331
31	लिबास के बारे में अहकाम व मसाइल	4020 से	333
32	बनाव-सिंगार का बयान	4159 से	360
33	अन्गूठी के बारे में अहकाम व मसाइल	4214 से	370
34	फ़ितनों और जन्गों का बयान	4240 से	376

35	इमाम महदी के बारे में के अहकाम व मसाइल	4279 से	383
36	लड़ाइयों का बयान	4291 से	388
37	हद व सज़ाओं के बारे में बयान	4351 से	401
38	दियत के बारे में अहकाम व मसाइल	4494 से	436
39	सुन्नतों के बारे में अहकाम व मसाइल	4596 से	461
40	आदाब व अख़लाक़ के बारे में मसाइल	4773 से	503
00	सोने के बारे में के अहकाम व मसाइल	5040 से	548
00	सलाम कहने के आदाब का बयान	5193 से	578

❀ ❀ ❀

सुनन् अबू दावूद शरीफ़
(दूसरा भाग)
विषय सूची

न॰	विषय	हदीस न॰ से
	(16) क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल	

न॰	विषय	हदीस न॰ से
	क़ुर्बानी वाजिब है	45
	मय्यित की तरफ़ से क़ुर्बानी	45
	जो क़ुर्बानी करना चाहता है और ज़िल् हिज्जा के पहले दहे में बाल काटे ...	
	कैसा जानवर मुस्तहब है	46
	किस उमर का जानवर मुस्तहब है	47
	क़ुर्बानी में ऐब वाले जानवरों का बयान	49
	गाय और ऊँटों में कितने लोग शामिल हों	50
	एक घर की तरफ़ से एक बकरी करना	50
	इमाम ईदगाह ही में क़ुर्बानी करे	51
	क़ुर्बानी का माँस रख लेना जाइज़ है	51
	जानवर को बाँध कर क़त्ल करना मना है	51
	मुसाफ़िर भी क़ुर्बानी करे	52
	अहले-किताब के ज़बीहा का हुक्म	52
	पत्थर से ज़ब्ह करने का मस्अला	53
	ज़ब्ह अच्छी तरह किया जाये........................	54
	पेट के बच्चे के ज़ब्ह का मस्अला	54
	"अ़तीरा" का बयान	55
	अ़क़ीक़ा के मसाइल का बयान	56

शिकार के अहकाम व मसाइल

शिकार के लिये कुत्ता पालना 59
शिकार करने का बयान 59
जिन्दा जानवर से काटा गया माँस हराम है 62
शिकार के पीछे पड़े रहना कैसा है? 63

(17) वसिय्यत के अहकाम व मसाइल

वसिय्यत करने की ताकीद 64
माल में कितने की वसिय्यत जाइज़ है 64
वसिय्यत की ज़िम्मादार बनना कैसा है 66
वारिस के लिये वसिय्यत 66
खाने-पीने में यतीम को अपने साथ रखना कैसा है? 66
यतीमी कब समाप्त हो जाती है? 67
यतीम का माल हड़प लेना जाइज़ नहीं 67
कफ़न भी मय्यित के माल से दिया जाये 68
आदमी कोई चीज़ वक़्फ़ करे 68
मय्यित की तरफ़ से सदक़ा का बयान 69
मय्यित की वसिय्यत के बिना ही उस की तरफ़ से सदक़ा देना 69
काफ़िर की वसिय्यत पर अ़मल किया जाये या ना?
जबकि वारिस मुसलमान हो गया हो 70

(18) वरासत के अहकाम व मसाइल

मीरास के इल्म की अहमियत 71
कलाला का बयान 71
जिस की औलाद न हो और कई बहनें वारिस हों 71
सुलबी औलाद की वरासत का बयान 72
दादी-नानी की वरासत का बयान 73
दादा की वरासत का बयान 74
लिआ़न वाली के बच्चे की वरासत का बयान 76
क्या मुसलमान किसी काफ़िर का वारिस बन सकता है? 77
जो कोई किसी मीरास पर मुसलमान हुआ 78
वला का बयान 78
वला का बेचना कैसा है? 79

बच्चा, जो पैदा होते समय रोए फिर मर जाये 79
हिल्फ़ का बयान 80
महिला अपने पति की दियत में से हिस्सा पाएगी 81

(19) ख़राज के मसाइल का बयान

हकूमत तलब करने का बयान 82
अन्धे को हाकिम बनाना जाइज़ है 83
वज़ीर बनाना जाइज़ है 83
सिक्रेट्री रखने का बयान 84
सदक़ा वसूली करने वाले का सवाब 84
ख़लीफ़ा अपने नाइब का नाम दे 85
बैअ़त के अहकाम व मसाइल 85
ज़कात वसूली करने वालों की मज़दूरी का बयान 86
सदक़ात में ख़ियानत करना 87
फ़ै के माल को तक़सीम करने का बयान 87
मुसलमानों की औलादों के हिस्से का बयान 89
ग़नीमत और फ़ै लेने वालों के नाम लिख कर रखना 90
वह ख़ास माल जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम
अपने लिये ख़ास कर लेते थे 91
पाँचवाँ हिस्सा कहाँ ख़र्च होता था 97
"सफ़्फ़ी" के अहकाम व बयान 104
यहूदी मदीना से कैसे निकाल गये 106
बनी नज़ीर का वाक़िआ 107
ख़ैबर की ज़मीन का हुक्म 109
फ़त्ह मक्का का बयान 112
ताइफ़ का बयान 114
यमन की ज़मीन का बयान 114
इराक़ की ज़मीन का बयान 116
जिज़या लेने के मसाइल 117
मजूसी लोगों से जिज़या लेने का बयान 118
जिज़या लेने में सख़्ती करने का मस्अ़ला 119
हाकिम का मुश्रिकों से हदिया कुबूल करना 121
बन्जर ज़मीन को आबाद करना 127
ख़राजी ज़मीन ख़रीदने का मस्अला 129

दफ़न किया हुआ माल मिले तो उस का मस्अला 130
पुरानी क़ब्रें खोदने का मस्अला जिन में माल हो 130

(20) जनाज़ा के अहकाम व मसाइल

बीमारी गुनाहों का कफ़्फ़ारा है 132
महिलाओं की बीमार पुसी करना 133
अ़यादत (बीमार पुसी) का बयान 134
ज़िम्मी काफ़िर की अ़यादत करना ....
अ़यादत के लिये पैदल चल कर जाना ....
बार-बार अ़यादत करना 134
ताऊन से निकल भागना 136
मरीज़ के लिये शिफ़ा की दुआ करना 136
मौत की तमन्ना करना मक्रुह है 137
मौत का अचानक आ जाना 137
जो ताऊन की बीमारी में मर जाये उस की फ़ज़ीलत 137
जो मरने के क़रीब हो उस के नाखून काट दिये जायें 138
मय्यित के पास किस प्रकार की बात की जाये ....
मय्यित की आँखें बन्द कर देनी चाहियें 139
मुसीबत के समय "इन्ना लिल्लाहि....." पढ़ने का बयान 140
मय्यित को ढाँप देने का बयान 140
मरने वाले के पास कुरआन पढ़ने का मस्अला 140
ताज़ियत का बयान 141
सब्र वह है जो मुसीबत के समय किया जाये 141
मय्यित पर रोना 142
नौहा का बयान 142
अहले-मय्यित के लिये खाना तय्यार करना 143
शहीद का स्नान देना 144
मय्यित को कैसे स्नान दिया जाये 145
कफ़न का बयान 146
कफ़न महँगा बनाना मक्रुह है 147
महिला के कफ़न का बयान 147
मय्यित को कस्तूरी लगाना 148
जनाज़ा जल्दी ले जाना 148
मय्यित को नहलाने वाला क्या स्नान करे 148

मय्यित को ग़ोसा लेना	149
रात के समय मय्यित को दफ़न करना	149
मय्यित को दूसरे स्थान पर मुन्तकि़ल करना	149
सफ़ बनाने का बयान	149
महिला का जनाज़ा के साथ जाना	140
जनाज़ा पढ़ने और मय्यित के साथ जाने की फ़ज़ीलत	150
मय्यित के साथ आग ले जाना मना है	150
मय्यित को देख कर खड़ा होना	151
सवार होकर जनाज़ा में जाना	151
जनाज़ा के आगे-आगे चलना	152
जनाज़ा जल्दी ले जाना	152
आत्म हत्या करने वाले की जनाज़ा इमाम न पढ़ाये	153
बच्चे की नमाज़ जनाज़ा	154
मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा पढ़ना	154
सूरज डूबते या निकलते समय दफ़न करना	154
अगर महिला और पुरुष दोनों के जनाज़े एक साथ हों तो?	155
जनाज़ा पढ़ाते समय इमाम कहाँ खड़ा हो?	155
जनाज़े की तकबीर का बयान	156
जनाज़े में कि़रात का बयान	157
मय्यित के लिये दुआ का बयान	157
क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना	158
एक क़ब्र में कई मौता को रखना	159
क़ब्र पर निशान रखने का बयान	159
क़ब्र में लहद बनाने का बयान	160
मय्यित को क़ब्र में कितने लोग उतारें?	160
क़ब्र के पास किस प्रकार बैठें?	160
क़ब्र में उतारते हुये मय्यित के लिये दुआ करना	160
क़ब्र गहरी खोदी जाये	161
क़ब्र बराबर कर देने का बयान	161
क़ब्र के पास जानवर ज़ब्ह करना हराम है	162
बाद में क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना	162
क़ब्र पर मकान बनाना	163
क़ब्र पर बैठना हराम है	163
जूते पहन कर क़ब्रों पर चलना	164

दूसरा भाग

मय्यित को उस के स्थान से ट्रान्सफ़र करना 164
मय्यित को अच्छाई के साथ याद करनां 164
क़ब्रों की ज़ियारत का बयान 165
महिलाओं का क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जाना 165
क़ब्रस्तान से गुज़रे तो क्या पढ़े? 165
एहराम बाँधे हुये हाजी मर जाये तो कैसे कफ़न दें 166

(21) क़सम खाने और नज़र मानने के मसाइल

झूठी क़सम खाना सख़्त गुनाह है 167
किसी का माल हड़प लेने के लिये झूठी क़सम खाना ....
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के 167
मिंबर के पास क़सम खाने की अहमियत 168
ग़ैरुल्लाह के नाम की कसमें खाना 168
बाप-दादा के नामकी क़समें खाना 168
अमानत की क़सम खाना नाजाइज़ है 169
वाहियात क़सम का बयान 169
इस्लाम से दूर हो जाने या ग़ैर मुस्लिम होने की क़सम खाना 170
जो कोई क़सम खाए कि वह सालन नहीं खायेगा 171
क़सम के साथ "इन् शाअल्लाह" कहना 171
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कैसे क़सम खाया करते थे 172
क्या किसी को क़सम देना भी क़सम में दाख़िल है 172
कोई क़सम खाये कि यह खाना नहीं खाऊँगा 173
संबन्ध तोड़ने के लिये क़सम खाना 170
जो शख़्स जानबूझ कर झूठी क़समें खाए 169
क़सम तोड़ देने में अगर भलाई हो तो तोड़ दे 169
कफ़्फ़ारा में कौन सा साअ़ा सहीह है 170
नज़र मानना पसन्दीदा नहीं है 172
गुनाह और नार्फ़मानी की नज़र मानने का बयान 172
गुनाह की नज़र छोड़ कर उस का कफ़्फ़ारा देना 173
जो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने की नज़र माने 175
मय्यित की तरफ़ से नज़र पूरी करना 176
जो कोई मर जाये और उस के ज़िम्मे रोज़ें हों तो उस का वारिस रोज़े रखे 177
नज़र पूरी करने का हुक्म 177

आदमी जिस चीज़ का मालिक न हो उस में नज़र नहीं	178
जो यह नज़र माने कि सब माल सदक़ा कर देगा	179
जो शख़्स ऐसी नज़र मान ले जिस की वह ताक़त न रखता हो	180
जिस ने कोई अनिश्चित नज़र मानी हो	181
जिस ने जाहिलिय्यत के दिनों में नज़र मानी हो, फिर मुसलमान हो जाये	181

(22) ख़रीद-फ़रोख़्त के मसाइल का बयान

तिजारत, जिस के साथ क़सम और वाहियात बातें गडमड हो जायें	182
कान से माल निकालना	182
शुब्हा से बचने की ताकीद	183
सूद खाने-खिलाने की वअ़ीद	184
सूद की रक़म छोड़ देने का बयान	184
लेन-देने में क़समें खाना नाजाइज़ है	184
झुकता तौलने, और मज़दूरी लेकर माल तौलने का बयान	185
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान: "नापने का पैमाना मदीना वालों का ही मोतबर है"	185
क़र्ज़ का मामला बहुत सख़्त है	186
टाल मटोल करने के बारे में	187
अ़दा करने में अच्छे ढन्ग से करे के बारे में	187
"सरफ़" की तिज़ारत का बयान	187
तल्वार के दस्ते की चाँदी को चाँदी के रुपयों से बेचना	188
चाँदी के बदले सोना लेना	189
जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना	189
जानवर उधार बेचना जाइज़ है	189
एक जानवर को दो जानवर के बदले नक़द बेचना	189
खजूर के ताज़ा फ़ल को सूखे खजूर के बदले बेचना	190
मुज़ाबना की तिजारत मना है	190
अ़राया की तिजारत जाइज़ है	190
अ़राया में मात्रा (मिक़दार) का बयान	191
अ़राया से क्या मुराद है?	191
कई वर्षों के लिये फल बेच देना	192
धोखे वाली तिजारत नाजाइज़ है	193
मजबूर होकर लेन-देन करना	194

साझीदारी का बयान 195
एजन्ट ऐसा काम करे जिसे मालिक ने न कहा हो 195
जब कोई किसी के माल में उस की अनुमति के बिना तिजारत करे 196
माल लगाए बिना साझीदार बनना 196
बटाई पर ज़मीन देना 196
बटाई पर देना मना है 196
बिना इजाज़त किसी की ज़मीन काश्त कर लेना 201
बटाई पर किसानी करने का बयान 201
मुसाक़ात का बयान 202
पेड़ पर लगे फलों की मात्रा का अनुमान लगाना 202

"इजारा" के मसाइल का बयान

तालीम देने वाले की कमाई का बयान 204
डाक्टरों, हकीमों की कमाई का बयान 204
पोछना लगाने वाले की कमाई का बयान 206
काहिन का उपहार (हराम है) 207
जानवर को जोड़ा खिलाने की उजरत लेना 207
सुनारों की कमाई का बयान 207
मालदार गुलाम जो बेचा जा रहा हो 208
मन्डी में माल लाने वालों से राह ही में सौदा कर लेना 208
धोखा देने के लिये कीमत बढ़ा-चढ़ा कर लगाना 208
शहरी को दीहाती का माल बेचना मना है 209
किसी ने दूध रोका हुआ जानवर मोल ले लिया
और फिर वह उसे पसन्द न आये तो? 210
माल जमा कर के रखना मना है 210
भाव मुक़र्रर करना 212
धोखा देना और मिलावट करना हराम है 212
सौदा में लेन-देन वालों के लिये इख़्तियार का बयान 212
सौदा वापस कर लेने की फ़ज़ीलत 214
एक सौदे में दो सौदे करना 214
ऐना की तिजारत नाजाइज़ है 214
सलम या सलफ़ की तिजारत का बयान 215
ख़ास पेड़ या बाग़ की सलम जाइज़ नहीं 216

सलफ़ में बिके हुये माल को तबदील न किया जाये 216
अगर खेत या बाग में आफ़त आ जाये तो ख़रीदार के नुक़सान की भरपाई की जाये 216
आफ़त से क्या मुराद है 217
पानी से रोकना मना है 217
ज़रुरत से ज़्यादा पानी बेचना 218
बिल्ली की ख़रीद-फ़रोख़्त जाइज़ नहीं 219
कुत्तों की क़ीमत लेना मना है 219
शराब और मुर्दार का लेन-देन हराम है 219
ग़ल्ला अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले ही बेच देना 221
जो शख़्स मामला करने के साथ ही कह दे "धोखा और फ़राड नहीं" 222
पेशगी दिया हुआ बयाना मार लेना जाइज़ नहीं 222
जो चीज़ इन्सान के पास न हो उस को बेचना 222
ख़रीद-फ़रोख़्त में कोई शर्त कर लेना 223
गुलाम की तिजारत और उस की सलामती की ज़मानत 223
गुलाम ख़रीदा और उसे काम पर लगाया, बाद में उस का ऐब ज़ाहिर हुआ 224
जब लेने और देने वाले के दर्मियान इख़्तिलाफ़ हो जाये और चीज़ मौजूद हो
शुफ़आ का बयान 224
अगर कोई कन्गाल और दीवालिया हो जाये और क़र्ज़ देने वाला अपना माल उस के पास पा जाये 225
जिस ने किसी कमज़ोर जानवर को तन्दुरुस्त बना लिया हो तो? 227
गिरवी रखने के अहकाम व मसाइल 227
बाप अपने बेटे की कमाई खा सकता है 228
जब कोई शख़्स अपना माल किसी के पास पाए 228
हदिया कुबूल करने का बयान 230
हदिया देकर वापस ले लेना 230
कोई काम कर देने पर हदिया लेना 231
बाप का तोहफ़ा देने में अपने किसी बेटे को अधिक देना 231
पत्नी का पति की इजाज़त के बिना उपहार देना 232
"उमरा", यानी जीवन भर के लिये दे देना 232
जिस ने उमरा के हदिया में ....
"रुकबा" के अहकाम व मसाइल 234
माँगे की चीज़ पर ज़मान (अदायगी की ज़मानत) का मस्अला 234

दूसरा भाग

जो कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दे तो उसी की तरह तावान दे 236
जानवर, जो किसी क़ौम की खेती ख़राब कर जायें 236

(23) क़ज़ा के अहकाम व मसाइल

क़ाज़ी का पद तलब करना 238
क़ाज़ी जो ख़ता करे 238
क़ज़ा का पद चाहना और फ़ैसला करने में जल्दी करना 239
रिश्वत (घूस) हराम है 239
फ़ैसला करने के आदाब 240
क़ाज़ी से फ़ैसला करने में ग़लती हो जाये तो? 240
दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के सामने कैसे बैठें? 241
क़ाज़ी का गुस्से की हालत में फ़ैसला करना 241
ज़िम्मी लोगों (काफ़िरों) में फ़ैसला करना 242
फ़ैसला करने में इजतिहाद और राय से काम लेना 242
सुलह-समझौता कर लेने का बयान 242
गवाहियों का बयान 243
झूठी गवाही का बयान 244
किन लोगों की गवाही कुबूल नहीं 244
शहरी के ख़िलाफ़ दीहाती की गवाही 244
दूध पिलाने की गवाही 245
सफ़र में वसिय्यत के सिलसिला में काफ़िर की गवाही 245
एक गवाह और एक क़सम पर फ़ैसला करना 246
जब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन उस के पास गवाह न हों... 248
जब मुद्दई (वादी) के पास गवाह न हों तो प्रतिवादी क़सम खायें 249
क़सम कैसे उठाई जाये 249
प्रतिवादी ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो वह भी क़सम खाए 249
ज़िम्मी काफ़िर से क़सम कैसे ली जाये 250
आदमी अपने हक़ के हासिल करने के लिये क़सम खा ले 251
क़र्ज़ के मामले में क़र्ज़दार को क़ैद कर लेना 251
किसी को अपना वकील बनाना 252
क़ज़ा से संबन्धित दूसरे मसाइल 252

(24) इल्म और उलमा की फ़ज़ीलत

इल्म हासिल करने पर उभारना 255
अहले किताब से रिवायत करने का बयान 256
बातों को लिख लेने का बयान 256
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर झूठ बाँधना महापाप है 257
बिना जाने-समझे, अल्लाह की किताब की तफ़सीर करना 257
बात को दोहरा कर बयान करना 257
जल्दी-जल्दी बातें करना 257
फ़तवा देने में एहतियात करना 258
इल्म की बात छुपाना नाजाइज़ है 258
इल्म को फैलाने की फ़ज़ीलत 258
बनी इस्राईल से रिवायत करना 259
वाज़ कहने का बयान 259

(25) पीने-पिलाने के अहकाम

शराब केहराम होने का बयान 261
अगर कोई शराब बनाने के लिये अन्गूर निचोड़े 262
शराब को सिरका बना लेना 262
शराब किन चीज़ों से बनती है 262
नशा का बयान ....
बादा क़िस्म की शराब का बयान 265
शराब के बर्तनों का बयान 265
दो चीज़ों को मिला कर नबीज़ बनाना 268
अधपकी खजूर से नबीज़ बनाना 269
नबीज़ का बयान 269
शहद पीने का बयान 270
नबीज़ में जब तेज़ी आ जाये 270
खड़े होकर पीना 271
मशक के मुँह से मुँह लगा कर पीना 271
मशक का मुँह उलट कर उस से पीना 271
प्याले की टूटी हुयी जगह से पीना 272
सोने-चाँदी के बर्तन में पीना 272
लोगों को बुलाने वाला कब पिये 272

पानी में फूँक मारना और बर्तन में साँस लेना 273
दूध पीने की दुआ 273
बर्तनों को ढाँक कर रखने का बयान 274

(26) खाने से संबन्धित अहकाम व मसाइल

दावत स्वीकार करने का बयान 276
निकाह में वलीमा करना मुस्तहब है 277
वलीमा की दावत कितने दिनों तक मुस्तहब है? 277
सफ़र से वापस पहुँचने पर खाना खिलाना 278
मेहमानी करने का बयान 279
ऐसी दावत में जाना जिस में शरीअत के खिलाफ़ बात हो 279
जब दो दावत देने वाले इकट्ठा हो जायें तो कौन अधिक हक़दार है? 279
जब नमाज़ तय्यार हो और रात का खाना भी 279
खानेके समय हाथ धोना 280
खाने से पहले हाथ धोने का बयान 280
अचानक खाने के मौक़ा पर (बिना हाथ धोए) खाना 281
खाने में ऐब निकालना मकरुह है 281
इकट्ठे मिल कर खाना खाने का बयान 281
खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना 281
सहारा ले कर (टेक लगा कर) खाना 282
प्याले के ऊपर के हिस्से से खाना (दुरुस्त नहीं) 283
दायें हाथ से खाने का हुक्म 283
गोश्त खाने का बयान 284
कद्दू खाने का बयान 284
सरीद खाने का बयान 284
पलीदी खाने वाले का माँस और दूध पीना मना है 285
घोड़े का माँस खाने का मस्अला 285
ख़रगोश खाने का बयान 286
साँडा खाने का बयान 286
हबारा खाने का बयान 287
ज़मीन के अन्दर रहने वाले जानवरों का खाना 287
लगड़ बगड़ (HYENA) खाना कैसा है 288
दरिन्दों का माँस खाना हराम है 289

पालतू गधे का माँस खाना? 289
टिड्डी खाने का बयान 290
जो मछली मर कर ऊपर तैर आये उस का खाना (कैसा है?) 291
मजबूर के लिये मुर्दार खाना? 291
एक समय में दो प्रकार के खाने जमा करना 292
पनीर का बयान 292
सिंका का बयान 292
लहसुन खाने का बयान 292
खजूर का बयान 294
दो-दो खजूरें एक साथ खाना 294
खाने में दो प्रकार की चीजें इकट्ठी खाना 294
अहले-किताब (यहूद-नसारा) के बर्तनों में खाना 295
समुन्दरी जानवरों का हुक्म 295
घी में अगर चूहा गिर जाये तो? 296
मक्खी अगर खाने में गिर जाये तो? 296
खाने का लुक्मा नीचे गिर जायेतो? 296
नौकर अपने मालिक के साथ मिल कर खाना खा सकता है 296
खाने के बाद रुमाल से हाथ साफ़ करना 297
खाने के बाद की दुआ 297
खाने के बाद हाथ धोने का बयान 297
दावत करने वाले के लिये दुआ करना 298

(27) उपचार के अहकाम व मसाइल

उपचार कराने पर उभारना 299
प्रहेज़ इख़्तियार करने का बयान 299
सेंगी लगवाने का बयान 299
किस जगह सेंगी लगवाई जाये 300
किन तारीख़ों में सेंगी लगवाना अच्छा है 300
दाग़ने का बयान 301
नाक में दवा डालने का बयान 301
मन्त्रों का बयान 301
तिरयाक़ का बयाम 301
मकरुह दवाओं का इस्तेमाल 302

अजवा खजूर का बयान 302
कव्वा में तकलीफ़ का उपचार 303
सुर्मा का बयान 303
नज़र लग जाने का बयान 303
दूध पिलाती महिला से संभोग का मस्अला 303
तावीज़-गन्डे का लटकाना 304
दम झाड़ का बयान 304
दम कैसे किया जाये 305
किसी कमज़ोर को मोटा करने का तरीक़ा 308

कहानत और बदशगूनी से मुतअ़ल्लिक़

ग़ैब की बातें बताने वाले के पास जाना 310
सितारों के इल्म का बयान 310
लकीर खींच कर फ़ाल निकालना 311
चिड़या उड़ा कर फ़ाल निकालना 311
बदशगूनी का बयान 311

(28) गुलामों की आज़ादी से संबन्धित

ऐसा मुकातब जो कुछ रक़म अ़दा कर चुका हो और
कुछ बाक़ी रह जाये, या मर जाये 315
मुकातब को बेचने का मस्अ़ला 315
किसी को मशरुत तौर पर आज़ाद करना 317
जिस ने (मुश्तरक) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो 317
उन लोगों का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत
कराने का ज़िक्र करते हैं 318
उन लोगों का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत ना
कराने का ज़िक्र करते हैं 318
जो कोई अपने किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये 319
उम्मे वलद को आज़ाद करना 320
मुदब्बर गुलाम को बेचने का मस्अला 320
जिस ने अपने गुलाम को मौत के समय आज़ाद कर दिया हो,
जबकि उन की क़ीमत उस के तिहाई माल से ज़्यादा हो 321
जिस ने अपने मालदार गुलाम को आज़ाद किया हो (तो माल किस का होगा) ? 322

ज़िना से पैदा औलाद का आज़ाद करना? 322
गुलाम आज़ाद करने का सवाब 322
कौन सी गर्दन आज़ाद करना ज़्यादा अफ़ज़ल है 323

(29) कुरआन के लहजों और क़िरातों का बयान

बाब............ 324
बाब............

(30) स्नानघरों से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

हमाम में जाने का बयान 331
नन्गा होना हराम है 331
नन्गा होने का मस्अला 332

(31) लिबास से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

नया कपड़ा पहने तो कौन सी दुआ़ पढ़े 333
नया कपड़ा पहनने वाले को दुआ़ देना 334
कुबा पहनने का बयान 334
शोहरत वाला कपड़ा पहनना 335
ऊन और बालों का लिबास पहनना 335
क़ीमती कपड़ा पहनना 335
मोटा कपड़ा पहनना 336
ख़ज़ का कपड़ा पहनना 336
रेशम पहनने का मस्अ़ला 337
कपड़े पर बेलबूटा या रेशम की कढ़ाई हो तो? 339
किसी मजबूरी में रेशम पहनना 340
महिला के लिये रेशम पहनना जाइज़ है 340
फूल बूटे बने कपड़े पहनना 340
सफ़ेद कपड़ों की फ़ज़ीलत 341
पीले रन्ग के कपड़े पहनना 341
हरे रन्ग के कपड़े पहनना 341
लाल रन्ग पहनने की रुख़्सत का बयान 341
काले रन्ग के कपड़े का बयान 343
कपड़े की किनारी का मस्अ़ला 343

पगड़ी बाँधने का बयान	343
कपड़े में पूरे तौर पर लिपट जाना (जाइज़ नहीं)	344
क़मीस के बटन खोले रखना	344
ढाटा बाँधने का बयान	344
तहबन्द, शिलवार और पैन्ट आदि का टख़ने से नीचे लटकाना (नाजाइज़ है)	345
तकब्बुर और बड़ाई की बुराई का बयान	347
मर्द की चादर शिलवार कहाँ तक होनी चाहिये?	348
महिलाओं के लिबास का बयान	348
अल्लाह के फ़र्मान "युदनी-न अ़लैहिन्न........" की तफ़सीर	348
महिला अपनी ज़ीनत से क्या कुछ खुला रख सकती है	349
गुलाम अपनी मालिकन के बालों को देख सकता है	349
अल्लाह के फ़र्मान "यग़ज़ुज़्-न मिन् अबसारिहिन्न...." की तफ़सीर	350
ओढ़नी कैसे ले	351
महिलाओं के बारीक लिबास का बयान	351
महिला चादर के पल्लू कितनी लंबी रखे	352
मुर्दा जानवरों की खाल का बयान	350
उन लोगों की दलील जिन का कहना है कि मुर्दार के चमड़े से फ़ाइदा न हासिल किया जाये	353
चीतों और दरिन्दों के चमड़ों का बयान	354
जूते पहनने का बयान	355
बिस्तरों का बयान	356
पर्दे लटकाने का बयान	357
सलीब का निशान हो तो कपड़े से मिटा देना है	357
चित्र से संबन्धित मसाइल	357

(32) बनाव सिंगार का बयान

बहुत अधिक बनाव सिंगार मना है	360
खुश्बू का प्रयोग करना मुस्तहब है	360
बालों को बना संवार कर रखने का बयान	361
महिलाओं के लिये मेंहदी का बयान	361
बालों में बाल जोड़ कर लंबा करना	361
खुश्बू वापस करना दुरुस्त नहीं	362
महिला बाहर जाते हुये खुश्बू न लगाए	363

मर्दों के लिये ज़ाफ़रान का प्रयोग 364
बालों का बयान 365
माँग निकालने का बयान 365
बालों को बहुत अधिक लंबा कर लेना 366
मर्द अपने लंबे बालों को गूँध ले तो जाइज़ है 366
सिर मुँड़ा देना जाइज़ है 366
बच्चों की ज़ुलफ़ों का बयान 366
ज़ुलफ़ें बढ़ा लेने की रुख़्सत 366
मूँछें कतरवाने का बयान 367
सफ़ेद बाल नोचने का मस्अ़ला 367
ख़िज़ाब लगाने का बयान 368
पीले रन्ग से बाल रन्गना 368
काले ख़िज़ाब का हुक्म 369
हाथी दाँत से फ़ाइदा उठाना 369

(33) अन्गूठी के बारे में मसाइल

अन्गूठी बनवाना जाइज़ है 370
अन्गूठी न पहनने का बयान 371
सोने की अन्गूठी का बयान 371
लोहे की अन्गूठी का बयान 372
अन्गूठी किस हाथ में पहनी जाये? 372
घुघँरु वाले पाज़ेब पहनना 373
दाँतों को सोने से बँधवाना जाइज़ है 373
महिलाओं को सोना पहनना कैसा है? 374

(34) फ़ितनों और जन्गों का बयान

फ़ितनों का बयान और उन के दलाइल 376
फ़ितने से जुड़ना हराम है 379
फ़ितने में ज़बान को क़ाबू में रखना 382
फ़ितनों के ज़माना में जन्गल में निकल जाने की रुख़्सत 382
फ़ितने के ज़माना में क़िताल मना है 382
किसी मोमिन को क़त्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है 382

(35) इमाम महदी का बयान

(36) लड़ाईयों का बयान

शताब्दी के बारे में फ़र्मान 388
रुमियों के साथ होने वाली लड़ाइयों का बयान 388
उन जन्गों की अहम पहचान 389
जन्गों के लगातार होने का बयान 389
इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के यकजुट होने का बयान 389
उन जन्गों में मुसलमानों का केन्द्र 389
फ़ितने समाप्त करने की एक तदबीर 390
तुर्कों और हबश के काफ़िरों से बिला वजह छेड़-छाड़ मना है 390
तुर्क काफ़िरों के साथ जन्ग का बयान 390
बसरे का बयान 391
हबशा के काफ़िरों का बयान 391
क़ियामत की निशानियाँ 391
फ़ुरात नदी से ख़ज़ाना ज़ाहिर होने का बयान 392
दज्जाल का ज़ाहिर होना 392
जस्सासा का बयान 394
इब्ने साइद का बयान 395
क़ियामत के आने का बयान 397

(37) हद और दन्ड का बयान

मुतर्द, यानी दीन इस्लाम से फिर जाने वाले का हुक्म 401
नबी को गाली देने वाले का हुक्म 403
डाका, लूट और चोरी का बयान 404
अल्लाह की हद से सिफ़ारिश करना 406
हद का मुक़दमा अगर क़ाज़ी या हाकिम तक न पहुँचा हो तो
माफ़ किया जा सकता है 407
ऐसा मुजरिम जिस पर हद जारी होना चाहिये उस की पर्दा पोशी करना 407
ऐसा मुजरिम अगर खुद ही हाज़िर होकर जुर्म का इक़रार कर ले तो? 407
क़ाज़ी इक़रार कने वाले को उस के इक़रार से फेर दे 408
अगर कोई सराहत के बग़ैर हद वाले जुर्म का इक़रार कर ले तो? 408
अपराधी को तहक़ीक़ के उद्वेश्य से मारना पीटना 409
किस क़दर चोरी में हाथ काटा जाये? 409

ऐसी चोरी, जिस में हाथ नहीं कटता 409
उचक लेने और ख़ियानत में हाथ काटना 410
जो कोई सुरक्षित स्थान से चोरी करे 411
माँगे की चीज़ लेकर इन्कारी हो जाने में हाथ काटना 411
अगर कोई मजनून और पागल शख़्स चोरी करे, या हद लगने वाला जुर्म करे 411
नाबालिग़ अगर हदलगने वाला जुर्म करे तो उस पर हद नहीं लगती 413
जो कोई जिहाद के सफ़र में चोरी कर ले तो क्या उस का हाथ काटा जाये? 413
कफ़न चोर का हाथ काटना 413
जो चोर बार-बार चोरियाँ करे 414
चोर का कटा हुआ हाथ उस की गर्दन में लटकाने का बयान 414
कोई गुलाम अगर चोरी करे तो उसे बेच देने का बयान 415
ज़िना करने वाले को पत्थरों से मार कर हलाक करना 415
माइज़ बिन मालिक के रज्म का बयान 418
जुहैना क़बीला की महिला का ज़िक्र जिस को
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म करने का हुक्म दिया 421
दो यहूदियों के रज्म किये जाने का क़िस्सा 423
जो कोई अपनी किसी महरम महिला से ज़िना करे? 427
जो शख़्स अपनी पत्नी की लौंडी से ज़िना करे 427
लौंडे बाज़ी करने की सज़ा 427
जो कोई जानवर के साथ कुकर्म करे तो? 428
मर्द ज़िना का इक़रार करे और महिला इन्कार करे तो? 428
जो शख़्स किसी महिला से संभोग के अलावा सब कुछ करे,
फिर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले 429
ग़ैर शादी शुदा लौंडी अगर ज़िना करे तो? 429
बीमार को हद लगाना 430
तोहमत (आरोप) की हद का बयान 430
शराब पीने पर हद का बयान 431
जो बार-बार शराब पिये 432
मस्जिद में हद लगाना 434
हद में चेहरे पर मारना 434
सज़ा देने का बयान 434

(38) दियतों का बयान

जान के बदले जान लेने का बयान 436
कोई शख़्स अपने बाप या भाई के जुर्म में नहीं पकड़ा जा सकता 436
हाकिम या काज़ी माफ़ करने को कहे तो कैसा है? 437
जान बूझ कर क़त्ल के मामला में, मक़तूल का वारिस अगर
दियत लेने पर राज़ी हो (तो दुरुस्त है) 440
अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल करे तो? 440
अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर पिला दे या खिला दे और वह
मर जाये तो क्या उस से क़िसास लिया जायेगा? 441
अगर कोई अपेन गुलाम को क़त्ल कर दे, या उस का कान, नाक आदि
काट डाले तो क्या उस से क़िसास लिया जायेगा? 443
क़सामत का बयान 444
क़सामत की वजह से क़िसास न लेने का बयान 445
क़ातिल से क़िसास लेने का बयान 446
क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले में क़त्ल किया जायेगा? 447
अगर कोई शख़्स किसी ग़ैर को अपनी पत्नी के पास पाये
तो क्या उसे क़त्ल कर दे? 448
अनजाने तौर पर अगर किसी आमिल से कोई शख़्स
घायल हो जाये तो? 448
लोहे के हथियार के अलावा दूसरी तरह से क़िसास लेना 449
मार पीट से क़िसास और हाकिम का अपने से क़िसास दिलवाना 449
महिला भी क़िसास माफ़ कर सकती है 449
जो किसी बलवे में क़त्ल हो जाये 450
दियत की मात्रा का बयान 450
क़त्ले ख़ता, जो अमद के मुशाबह हो, की दियत 451
ऊँटों की आयु की तफ़सील 452
शरीर के पार्ट (अन्ग) की दियत का बयान 453
पेट के बच्चे की दियत 454
मुकातब की दियत का बयान 457
ज़िम्मी की दियत का बयान 457
अपना बचाव करते हुये अगर हमला करने वाले को हानि पहुँच जाये,
या उसे चोट लग जाये तो? 457
क़त्ले ख़ता, जो अमद के मुशाबह हो, की दियत 458

फ़क़ीर लोगों का गुलाम ऐसा जुर्म कर डाले जिस पर दियत हो तो?	458
जो कोई अन्धाधुन्ध बलवे में मार दिया जाये तो?	459
किसी को अगर जानवर लात मार दे तो	459
जानवर लात मार दे, या कान में दब कर मर जाये तो?	459
आग जो फैल जाये	460
दाँतों के क़िसास का बयान	460

(39) सुन्नतों का बयान

सुन्नत की तश्रीह और वज़ाहत	461
आपस में झगड़ना, या क़ुरआन के मुशाबह आयतों के पीछे पड़ना मना है..	462
बिदअ़ती लोगों से दूर रहने और उन से नफ़रत रखने का बयान	462
क़ुरआन में झगड़ा करन मना है	463
सुन्नत पर अ़मल करना वाजिब है	463
सुन्नत पर चलने की दावत देना	464
सहाबा की फ़ज़ीलत का बयान	467
ख़लीफ़ाओं का बयान	468
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा की फ़ज़ीलत	474
सहाबा को गाली देना हराम है	474
अबू बक्र रज़ि॰ की ख़िलाफ़त का बयान	475
नबिय्यों का एक दूसरे पर फ़ज़ीलत देने का मस्अला	477
मुरजिया फ़िर्क़ा का रद्द	478
ईमान घटता बढ़ता है के दलाइल	478
तक़दीर का बयान	480
मुश्रिकों की औलाद का बयान	486
जहमिय्या का बयान	488
अल्लाह पाक को देखने का बयान	490
जहमिय्या फ़िर्क़ा का रद्द	491
क़ुरआन मजीद का बयान	491
दो बारा जी उठना और सूर अ़ीद का बयान	492
शफ़ाअ़त का बयान	492
जन्नत और दोज़ख़ के पैदा किये जाने का बयान	493
हौज़ का बयान	493
क़ब्र में प्रश्न-उत्तर और दन्ड का बयान	494

तराज़ू का बयान	497
दज्जाल का बयान	497
ख़वारिज का बयान	497
चोर उचक्कों से जन्ग करना	501

(40) आदाब व अख़्लाक़ का बयान

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अख़्लाक़ का बयान	503
इज़्ज़त के साथ रहने का बयान	504
गुस्सा पी जाने का बयान	504
गुस्सा आये तो क्या कहा जाये	505
माफ़ कर देने का बयान	506
आपस में अच्छे अख़्लाक़ से पेश आने का बयान	506
हया की सिफ़त का बयान	507
हुस्ने-अख़्लाक़ का बयान	508
डींगें मारना और बड़ी मारना मना है	508
एक-दूसरे की प्रशंसा करना मकरुह है	508
नर्म आदत बनाने का बयान	509
एहसान और अच्छे काम पर शुक्र अदा करना चाहिये	509
रास्तों पर बैठना बुरा है	510
मज्लिस को कुशादा बना लेने का बयान	511
धूप और छाँव में बैठने का बयान	511
बहुत सारे घेरे बना कर बैठने का बयान	511
घेरे के बीच में बैठने का बयान	511
अगर कोई किसी दूसरे के लिये अपना स्थान छोड़ दे तो?	511
कैसे लोगों की संगत अपनाई जाये?	512
झगड़े फ़साद की कराहत का बयान	513
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बीतचीत करने की शैली	513
खुत्बा देने का बयान	513
हर आदमी के स्थान और मर्तबा का ख़याल रखना चाहिये	513
बिला इजाज़त दो आदमियों के दर्मियान बैठने का बयान	514
आदमी के बैठने की बाबत मसाइल	514
बैठने का एक बुरा अन्दाज़	514
आल्ती-पाल्ती मार कर बैठने का बयान	515

सर गोशियाँ करने का बयान	515
जो शख़्स अपने स्थान से उठ कर गया हो और फिर वापस आ जाये	515
मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र किये बिना उठना मक्रुह है	515
मज्लिस के कफ़्फ़ारा की दुआ	515
शिकायत करना बुरा अमल है	516
लोगों से होशियार रहने का बयान (हर कोई भरोसा करने योग्य नहीं होता)	516
पैदल आदमी की चाल का बयान	517
लेटे हुये टाँग पर टाँग रख लेने का बयान	517
बात को उड़ा देना (बहुत बुरा है)	517
चगुल खोर का बयान	518
दो मुँह वाले आदमी का बयान	518
ग़ीबत के बारे में मसाइल	518
ऐसे लोग जिन की बुराई करना ग़ीबत में शुमार नहीं होता	520
जो कोई अपनी ग़ीबत करने वालों को माफ़ कर दे	520
टोह लगाना मना है	521
मुसलमान की पर्दा पोशी करने का बयान	521
भाई चारे का बयान	522
गाली गुलूच करने वाले	522
बदला लेने का बयान	522
मरे हुये को बुरा भला कहना मना है	523
हसद के मसाइल का बयान	524
लानत करने का बयान	525
अपने ज़ालिम को बद्दुआ देना	525
मुसलमान भाई से मेलजोल छोड़ देना	525
ज़न्न और गुलान का बयान	526
मुसलमान भाई की ख़ैर ख़ाही और उस की सुरक्षा का बयान	527
आपस के संबन्ध बेहतर बनाने की फ़ज़ीलत	527
गाने का बयान	527
गाने और गाने के सामान का मक्रुह होना	528
हिजड़ों के बारे में मसाइल	528
गुड़ियों से खेलने का बयान	529
झूले का बयान	529
चौसर खेलना नाजाइज़ है	530
कबूतर बाज़ी का बयान	530

मेहरबानी करने का बयान	530
ख़ैरख़ाही करने का बयान	531
मुसलमान की सहायता करने का बयान	531
ग़लत नाम को बदल देने का बयान	531
बुरे लक़ब से पुकारना	532
"अबू औसा" कुन्नीयत रखना कैसा है?	534
किसी दूसरे के बच्चे को "मेरे बेटे" कह कर पुकारना	534
"अबुल क़ासिम" कुन्नियत रखना कैसा है?	534
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और कुन्नीयत को जमा करना जो जाइज़ नहीं जानते, उन लोगों की दलील	535
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और कुन्नीयत जमा कर लेने इजाज़त का बयान	535
औलाद न होने के बावजूद कुन्नीयत रखना	535
महिला भी कुन्नीयत रखे तो जाइज़ है	535
इशारे से (दो अर्थी) बात कहना	536
खुत्बे में "अम्मा बाद" का प्रयोग करना	536
अन्गूर के लिये "करम" शब्द प्रयोग करना	536
लौंडी गुलाम अपने मालिक को "मेरा रब" न कहे	536
यूँ न कहा जाये कि "मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया है"	537
इतमा के नमाज़ (अँधेरे की नमाज़) का बयान	538
झूठ बोलने की आलोचना	539
अच्छा गुमान रखने का बयान	539
वादा पूरा करने की ताकीद	540
मज़ाह (हँसी) का बयान	540
हँसी-हँसी में किसी की चीज़ ले लेना	541
मुँह बना कर तकल्लुफ़ से बातें करना	541
शेर व शायरी का बयान (कवि और कविता का बयान)	542
सपनों का बयान	543
जुमाई का बयान	545
छींक का बयान	545
छींक का उत्तर किस प्रकार दिया जाये?	545
कितनी बार छींक का उत्तर दे?	546
कोई ग़ैर मुस्लिम छींक मारे तो?	546

जो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह न कहे 547

सोने से संबन्धित अहकाम व मसाइल

औंधे मुँह पेट के बल सोना (मक्रूह है) 548
ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई मुँड़ेर न हो 548
वज़ू कर के सोने की फ़ज़ीलत 549
अपना मुँह (सोते समय) किधर करे? 549
रात को जब आँख खुले तो कौन सी दुआ करे? 553
सुब्ह के समय की दुआयें 554
नया चाँद देखने की दुआ 560
घर से निकलने की दुआ 561
घर में दाख़िल हो तो क्या पढ़ें? 561
तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े? 561
वर्षा का बयान 562
मुर्ग़ और दूसरे जानवरों का बयान 562
बच्चे के कान में अज़ान कहना 562
अगर कोई किसी से अमान तलब करे 563
वसवसा और उस का इलाज 563
हसब-नसब पर फ़ख़र करना 564
तअस्सुब का बयान 565
किसी की नेकी देख कर उस से प्रेम करना 566
मश्वरे का बयान 566
नेकी और भलाई की बात बताने वाले की फ़ज़ीलत 566
नफ़्स की इच्छा का बयान 567
सिफ़ारिश का बयान 567
पत्र लिखने का अदब, पहले अपना नाम लिखे 567
काफ़िर को पत्र लिखने का तरीक़ा 567
माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने का बयान 568
यतीमों की पर्वरिश की फ़ज़ीलत 568
पड़ोसी के हुक़ूक़ का बयान 570
गुलामों का ख़ास ख़याल रखने का बयान 570
वह गुलाम जो अपने आक़ा को नसीहत करे 573
किसी के गुलाम को उस के मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना 573

किसी के घर या ख़ास मज्लिस में इजाज़त लेकर जाने का बयान	573
इजाज़त कैसे ली जाये?	574
दस्तक देकर इजाज़त लेना	574
इजाज़त लेने के लिये दर्वाज़ा खटखटाना	575
जब आदमी को बुलवाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये, तो क्या यह भी इजाज़त के माना में है?	577

अस्सलामुअ़लैकुम कहने के आदाब

सलाम को फैलाने का हुक्म	578
सलाम किस प्रकार कहे?	578
सलाम कहने में पहल करना चाहिये	579
पहले सलाम कौन कहे?	579
दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो भी सलाम कहें (चाहे जुदाई थोड़ी देर की हो)	579
बच्चों को सलाम कहना	579
महिलाओं को सलाम कहना	579
ज़िम्मी लोगों (काफ़िरों) को सलाम	580
मज्लिस से उठते हुये सलाम कहना	580
"अ़लैकस्सलामु" कहना मक्रूह है	580
जमाअ़त में से एक आदमी का उत्तर दे देना भी काफ़ी है	580
मुसाफ़हा करने का बयान	580
गले मिलने का बयान	580
ताज़ीम (सम्मान) के लिये खड़ा होना	581
बाप का अपने बेटे को बोसा देना	581
पेशानी पर बोसा देना	582
गाल पर बोसा देना	582
हाथ पर बोसा देना	582
शरीर पर बोसा देना	582
पाँव पर बोसा देना	582
एक शख़्स दूसरे से कहे: "मैं तुम पर कुर्बान जाऊँ"	583
कोई शख़्स दूसरे से कहे: अल्लाह आप की आँखें ठन्डी रखे"	583
कोई शख़्स यूँ दुआ दे: "अल्लाह तुम्हारी सुरक्षा करे"	583
एक शख़्स का दूसरे की ताज़ीम के लिये	584

जब कोई किसी दूसरे को सलाम पहुँचाये तो 584
किसी की पुकार पर "लब्बैक" कह कर उत्तर देना 584
किसी को इन शब्दों में दुआ देना "अल्लाह तुम्हें हँसता रखे" 585
मकान बनाने का बयान 585
बाला ख़ाना बनाना 585
बैरी का पेड़ काट देना (कैसा है?) 586
राह में तक्लीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना 586
रात को आग बुझा कर सोना चाहिये 587
साँपों को मारने का बयान 588
छिपकली और गिरगिट मार देने का बयान 589
चींटी के मारने का मस्अला 589
मेंढक को मारने का बयान 591
कन्कर और पत्थर मारते फिरना 591
ख़तने का बयान 591
राह में महिलाओं का मर्दों के साथ मिल कर चलना 591
आदमी का ज़माने को गाली देना 591

❀ ❀ ❀

अबू दावूद शरीफ़ की नीचे की हदीसें ज़ओफ़ हैं

नोटः- नीचे नंबर की हदीसें किताब में देखें।

2	139	247	309	461	607	749	881
3	145	248	310	463	616	750	883
10	147	250	313	464	617	751	884
11	152	256	328	472	633	752	885
14	155	257	336	484	639	756	886
15	156	265	356	488	640	758	887
17	158	266	359	490	642	774	893
19	159	270	364	491	643	779	896
22	160	271	379	497	659	785	899
26	162	274	381	505	669	791	902
27	163	275	385	506	679	792	908
29	164	276	386	507	681	802	920
33	165	270	387	512	689	807	922
34	170	277	388	513	690	814	928
35	189	278	408	514	693	815	929
41	193	280	415	528	704	818	934
42	202	281	429	534	705	819	938
54	203	284	430	543	706	820	942
57	204	286	443	551	707	831	944
62	208	287	445	552	718	833	962
68	209	292	446	570	724	834	966
76	213	293	448	577	725	837	975
84	225	295	450	578	728	838	982
108	228	296	452	581	733	839	989
128	236	297	456	590	736	850	995
129	241	298	457	593	737	851	1001
130	243	302	458	594	739	862	1004
132	244	304	459	597	740	864	1006
133	246	305	460	598	748	865	1007

1012	1248	1424	1566	1672	1837	1978	2119
1028	1258	1428	1572	1673	1845	1988	2120
1036	1260	1429	1573	1674	1848	1989	2126
1047	1261	1433	1574	1679	1849	1992	2127
1051	1264	1453	1576	1680	1851	1997	2128
1053	1270	1459	1577	1681	1854	2000	2131
1054	1275	1463	1578	1682	1859	2007	2132
1056	1278	1474	1579	1686	1860	2016	2133
1064	1280	1477	1580	1717	1870	2029	2144
1073	1278	1480	1581	1718	1881	2031	2145
1083	1296	1485	1582	1729	1883	2032	2149
1088	1298	1487	1586	1731	1898	2035	2157
1089	1303	1488	1588	1740	1899	2036	2164
1092	1309	1492	1599	1741	1900	2037	2169
1097	1316	1497	1603	1744	1903	2038	2171
1098	1319	1498	1604	1748	1914	2039	2174
1105	1321	1499	1606	1751	1915	2041	2187
1108	1322	1502	1607	1756	1916	2059	2188
1111	1352	1508	1617	1764	1920	2060	2189
1120	1355	1518	1619	1767	1922	2067	2196
1145	1384	1524	1620	1770	1929	2072	2199
1147	1387	1531	1621	1774	1935	2076	2204
1153	1392	1535	1622	1775	1940	2077	2205
1158	1393	1537	1624	1791	1941	2078	2208
1160	1396	1539	1626	1792	1944	2086	2210
1176	1401	1546	1630	1794	1952	2091	2211
1182	1403	1547	1632	1797	1958	2095	2213
1185	1411	1549	1637	1807	1961	2103	2214
1186	1414	1554	1646	1808	1962	2104	2215
1193	1415	1555	1653	1811	1963	2107	2216
1215	1416	1559	1654	1817	1964	2108	2217
1229	1417	1560	1664	1818	1966	2110	2218
1235	1418	1562	1670	1820	1967	2112	2221
1244	1419	1564	1671	1833	1968	2118	2222

2224	2378	2522	2657	2818	2958	3040	3140
2235	2380	2525	2664	2819	2959	3041	3147
2236	2384	2530	2665	2820	2961	3044	3153
2238	2386	2532	2666	2825	2966	3046	3154
2239	2393	2533	2667	2826	2967	3047	3157
2240	2396	2539	2670	2832	2971	3048	3159
2241	2397	2542	2678	2837	2972	3049	3163
2242	2401	2543	2684	2840	2975	3050	3166
2250	2403	2544	2686	2851	2984	3051	3171
2256	2410	2553	2687	2860	2988	3052	3176
2264	2411	2560	2696	2866	2989	3053	3177
2269	2412	2562	2698	2871	2990	3060	3184
2271	2415	2568	2700	2873	2991	3066	3186
2275	2424	2570	2706	2875	2992	3067	3188
2280	2428	2573	2709	2885	2993	3068	3205
2294	2432	2579	2713	2891	2994	3070	3208
2296	2436	2580	2714	2892	2997	3071	3209
2305	2447	2582	2715	2896	3000	3074	3210
2307	2449	2588	2716	2897	3001	3075	3236
2308	2454	2593	2722	2903	3002	3077	3259
2309	2456	2595	2729	2904	3004	3080	3265
2312	2457	2608	2731	2906	3006	3081	3279
2318	2459	2609	2734	2907	3016	3082	3284
2321	2472	2611	2735	2908	3017	3086	3285
2327	2473	2614	2762	2912	3018	3087	3286
2334	2474	2616	2764	2813	3019	3088	3293
2340	2475	2619	2775	2920	3022	3089	3294
2341	2488	2622	2783	2923	3026	3094	3306
2358	2489	2632	2784	2930	3027	3097	3314
2364	2798	2635	2786	2933	3028	3121	3331
2373	2499	2645	2787	2934	3032	3128	3340
2374	2506	2647	2788	2935	3037	3133	3341
2376	2515	2652	2790	2937	3038	3134	3342
2377	2521	2656	2803	2950	3039	3136	3344

3369	3535	3647	3796	3893	4048	4191	4332
3371	3542	3652	3797	3907	4049	4196	4335
3382	3557	3656	3798	3919	4055	4197	4336
3386	3561	3659	3799	3920	4067	4200	4337
3387	3562	3663	3805	3923	4068	4201	4339
3388	3563	3666	3806	3924	4069	4211	4345
3391	3564	3667	3809	3925	4070	4213	4346
3401	3566	3670	3810	3948	4071	4227	4350
3402	3569	3686	3813	3950	4074	4230	4357
3403	3570	3694	3814	3952	4075	4231	4362
3406	3573	3697	3815	3953	4078	4237	4369
3413	3575	3706	3817	3967	4079	4238	4370
3414	3577	3707	3818	3971	4099	4241	4376
3430	3578	3708	3824	3976	4104	4249	4380
3431	3582	3709	3828	3977	4115	4253	4382
3432	2586	3721	3829	3978	4119	4258	4387
3441	3588	3730	3842	3979	4124	4260	4399
3446	3591	3741	3843	3985	4125	4264	4401
3448	3592	3745	3850	3986	4130	4265	4402
3449	3593	3746	3853	3987	4135	4276	4403
3460	3599	3756	3858	3990	4138	4279	4411
3462	3605	3758	3859	3998	4141	4285	4414
3467	3612	3761	3860	3999	4159	4286	4417
3468	3624	3762	3862	4000	4160	4287	4432
3476	3625	3764	3863	4001	4164	4288	4438
3489	3626	3774	3869	4011	4165	4290	4439
3495	3627	3775	3874	4015	4166	4295	4443
3506	3629	3778	3875	4019	4171	4296	4444
3507	3632	3779	3880	4032	4176	4301	4450
3510	3635	3780	3881	4033	4177	4305	4451
3524	3636	3781	3883	4034	4178	4304	4452
3525	3641	3783	3885	4035	4180	4307	4453
3531	3642	3790	3889	4038	4181	4308	4454
3534	3644	3792	3892	4047	4182	4327	4467

4473	4573	4663	4813	4886	4995	5096	5196
4483	4574	4664	4814	4887	4986	5104	5203
4490	4575	4665	4817	4890	4998	5105	5210
4494	4580	4670	4825	4898	4999	5107	5211
4496	4581	4691	4826	4900	5006	5108	5212
4507	4586	4692	4827	4903	5012	5109	5213
4509	4587	4703	4828	4904	5031	5119	5214
4510	4590	4704	4836	4905	5032	5120	5220
4522	4592	4710	4837	4906	5035	5121	5223
4525	4599	4720	4838	4908	5036	5123	5225
4526	4601	4723	4840	4909	5044	5130	5227
4534	4612	4724	4842	4912	5052	5134	5230
4536	4619	4725	4843	4919	5063	5135	5231
4537	4620	4726	4846	4927	5064	5140	5233
4538	4621	4736	4847	4928	5073	5144	5234
4543	4631	4755	4848	4938	5075	5145	5247
4544	4634	4765	4854	4948	5076	5146	5249
4545	4635	4766	4860	4950	5083	5149	5250
4549	4636	4775	4861	4957	5084	5156	5251
4550	4638	4778	4869	4966	5087	5162	5256
4551	4639	4789	4877	4968	5090	5163	5260
4552	4642	4790	4881	4971	5092	5175	5261
4553	4643	4793	4883	4977	5093	5185	5267
4554	4645	4794	4884	4987	5094	5190	5271
4555	4652	4810	4885	4991	5095	5191	5272
							5273

❀ ❀ ❀

अबू दावूद की नीचे की हदीसें बुख़ारी में भी हैं

21	844	1452	2180	2653	3083	3651	4558
55	882	1457	2231	2654	3091	3699	4571
79	913	1458	2232	2660	3095	3718	4595
138	931	1461	2249	2661	3096	3724	4627
171	941	1465	2251	2662	3104	3747	4651
253	951	1483	2252	2663	3105	3769	4737
260	952	1534	2254	2674	3112	3841	4740
268	958	1541	2272	2688	3127	3867	4748
283	959	1567	2295	2689	3138	3890	4787
308	960	1676	2301	2693	3139	3894	4797
390	964	1697	2314	2695	3198	3912	4803
439	1011	1730	2359	2724	3224	3945	4849
451	1014	1737	2361	2756	3241	3989	4862
469	1040	1777	2362	2765	3263	4004	4867
486	1044	1789	2372	2779	3289	4024	4922
529	1067	1796	2375	2793	3300	4039	4930
542	1084	1800	2422	2794	3302	4085	4956
585	1087	1825	2438	2839	3384	4092	5000
588	1126	1836	2466	2882	3423	4097	5007
611	1146	1844	2468	2884	3425	4134	5010
627	1174	1927	2471	2890	3429	4149	5021
683	1192	1938	2476	2916	3445	4150	5024
712	1230	1972	2480	2922	3464	4151	5028
732	1253	1983	2481	2925	3465	4214	5039
741	1281	1986	2559	2942	3514	4215	5049
789	1339	2027	2641	2957	3516	4267	5056
794	1356	2087	2642	2969	3526	4351	5060
801	1357	2089	2646	2970	3536	4368	5150
810	1361	2101	2649	2978	3567	4371	5155
812	1372	2138	2653	2995	3583	4427	5198
836	1381	2150	2646	3020	3603	4477	5222
842	1409	2176	2649	3043	3606	4478	

अबू दावूद की नीचे की हदीसें मुस्लिम में भी हैं

4	259	535	702	912	1074	1226	1371
7	261	536	721	915	1075	1227	1378
16	279	537	745	917	1077	1247	1383
18	290	548	760	919	1093	1250	1385
25	321	549	763	926	1094	1251	1407
38	344	550	767	930	1099	1256	1421
53	370	555	771	950	1100	1259	1435
58	371	557	772	953	1102	1265	1441
69	395	568	783	955	1103	1266	1442
71	396	582	784	956	1104	1282	1445
74	403	583	798	972	1116	1286	1455
85	404	589	804	973	1122	1292	1456
89	410	606	806	974	1123	1294	1460
95	412	609	821	980	1124	1311	1478
103	413	610	822	983	1129	1312	1503
120	420	615	828	987	1131	1313	1506
149	427	621	829	988	1140	1320	1507
150	431	622	845	998	1148	1323	1512
169	435	623	846	999	1154	1324	1513
172	441	626	847	1000	1171	1335	1515
177	465	628	853	1008	1177	1337	1520
186	471	634	854	1009	1178	1338	1530
200	473	647	868	1015	1179	1340	1534
201	475	649	871	1018	1183	1342	1542
217	485	657	872	1021	1195	1343	1545
220	482	661	875	1022	1199	1344	1550
222	483	663	876	1024	1200	1345	1589
224	502	674	878	1045	1201	1351	1597
230	520	675	879	1049	1206	1353	1640
237	523	678	891	1050	1210	1360	1642
251	525	680	898	1062	1211	1363	1656
258	527	685	906	1065	1224	1366	1659

1661	1846	2105	2394	2599	2868	3234	3444
1663	1856	2122	2402	2604	2877	3235	3447
1683	1857	2148	2406	2605	2880	3237	3469
1689	1871	2151	2425	2612	2939	3238	3470
1706	1872	2155	2429	2613	2944	3245	3491
1708	1879	2156	2430	2618	2985	3255	3513
1719	1880	2165	2433	2634	3008	3268	3543
1723	1891	2170	2439	2640	3030	3269	3545
1724	1895	2181	2446	2681	3031	3271	3553
1726	1905	2185	2453	2690	3035	3278	3555
1743	1907	2200	2455	2697	3036	3282	3581
1746	1908	2234	2460	2718	3045	3309	3596
1747	1910	2247	2461	2719	3113	3316	3608
1752	1921	2253	2467	2720	3115	3324	3623
1753	1926	2260	2490	2727	3117	3346	3655
1761	1931	2261	2495	2728	3118	3350	3675
1763	1932	2284	2496	2732	3126	3351	3678
173	1934	2288	2497	2740	3143	3352	3679
1782	1970	2289	2502	2745	3148	3353	3690
1785	1971	2290	2510	2780	3169	3358	3691
1786	1981	2291	2514	2791	3170	3368	3693
1790	1998	2297	2531	2792	3178	3374	3698
1795	2002	2306	2538	2797	3185	3375	3702
1804	2009	2320	2547	2807	3190	3376	3711
1816	2021	2332	2549	2809	3192	3389	3713
1822	2054	2343	2555	2812	3197	3393	3717
1834	2062	2346	2556	2814	3218	3395	3729
1838	2063	2354	2561	2816	3219	3396	3732
1839	2069	2383	2564	2844	3225	3404	3737
1841	2073	2388	2566	2846	326	3409	3738
1842	2098	2389	2569	2861	3228	3421	3739
1843	2099	2392	2576	2863	3229	3442	3740

3765	4036	4183	4397	4533	4762	4949	5111
3766	4043	4186	4407	4568	4763	4951	5114
3770	4044	4204	4415	4569	4768	4952	5115
3776	4077	4219	4416	4570	4773	4958	5129
3803	4081	4248	4422	4606	4779	4959	5137
3821	4087	4252	4423	4608	4796	4964	5143
3831	4088	4255	4425	4609	4804	4965	5158
3845	4091	4256	4431	4610	4809	4973	5159
3848	4105	4269	4433	4667	4819	4981	5160
3864	4107	4280	4440	4672	4834	4983	5166
3866	4108	4289	4442	4673	4835	4984	5167
3873	4109	4303	4447	4679	4851	4992	5168
3882	4110	4310	4448	4695	4853	5019	5172
3886	4123	4317	4455	4705	4864	5022	5181
3909	4137	4318	4470	4706	4865	5025	5193
3935	4142	4321	4480	4713	4870	5026	5205
3946	4146	4323	4481	4714	4874	5027	5228
3957	4153	4326	4499	4718	4894	5037	5255
3958	4154	4340	4500	4719	4916	5051	5257
3959	4157	4348	4501	4730	4939	5053	5258
4016	4172	4374	4508	4732	4944	5071	5259
4018	4175	4381	4528	4741	4946	5086	5262
4032	4179	4386	4532	4747	4947	5091	5263
						5100	5264

❀ ❀ ❀

अबू दावूद की नीचे की हदीसें बुख़ारी-मुस्लिम दोनों में भी है (मुत्तफ़क़ अलैह हैं)

9	262	470	711	940	1138	1255	1438	1648
12	273	474	713	946	1141	1262	1440	1652
20	282	479	715	947	1142	1263	1444	1655
23	285	508	781	949	1143	1273	1447	1668
31	291	509	782	954	1144	1276	1448	1684
43	214	516	790	968	1159	1279	1454	1685
46	317	522	797	976	1161	1283	1467	1687
49	324	539	799	977	1162	1291	1473	1693
55	329	540	800	978	1163	1293	1475	1696
60	340	541	803	979	1167	1306	1484	1701
77	341	544	810	1002	1170	1310	1505	1702
97	351	559	811	1003	1175	1315	1519	1704
100	352	566	835	1019	1180	1317	1527	1705
106	361	569	848	1020	1181	1318	1528	1727
118	369	572	852	1030	1189	1326	1540	1738
119	373	601	856	1034	1190	1334	1543	1745
140	374	605	867	1035	1191	1341	1556	1755
151	391	612	877	1042	1198	1364	1557	1757
176	392	625	880	1043	1202	1367	1558	1758
187	397	630	889	1055	1214	1368	1584	1759
196	398	656	890	1063	1218	1370	1590	1760
199	401	658	894	1066	1219	1373	1593	1768
116	402	660	895	1076	1221	1376	1595	1769
221	407	668	897	1080	1223	1382	1610	1771
231	409	687	911	1082	1233	1388	1611	1772
235	414	688	914	1085	1237	1397	1612	1779
238	417	692	918	1086	1238	1404	1615	1780
239	423	696	923	1115	1239	1406	1616	1781
240	442	697	935	1121	1243	1408	1623	1783
242	453	700	936	1136	1252	1412	1644	1787
245	467	701	939	1137	1254	1432	1647	1802

1803	1959	2092	2302	2445	2658	2876	3122	3287
1805	1960	2111	2303	2448	2668	2878	3124	3288
1806	1965	2121	2310	2458	2672	2886	3125	3299
1809	1974	2124	2315	2462	2679	2888	3129	3301
1812	1979	2136	2319	2464	2685	2898	3142	3307
1815	1980	2139	2323	2465	2711	2909	3144	3310
1819	1994	2141	2328	2469	2717	2910	3145	3311
1823	2005	2152	2335	2470	2725	2915	3146	3325
1824	2006	2161	2347	2477	2733	2919	3151	3329
1829	2010	2163	2349	2485	2744	2926	3152	3330
1832	2011	2167	2351	2491	2746	2928	3155	3335
1835	2014	2172	2352	2509	2768	2929	3167	3345
1840	2017	2173	2360	2517	2770	2940	3172	3347
1852	2018	2179	2363	2518	2772	2941	3174	3348
1865	2022	2182	2382	2529	2773	2946	3175	3361
1866	2023	2183	2390	2550	2776	2955	3181	3363
1867	2024	2184	2391	2552	2777	2963	3195	3364
1868	2033	2201	2398	2563	2778	2964	3196	3367
1869	2034	2202	2399	2575	2781	2965	3203	3370
1873	2040	2203	2400	2587	2800	2968	3204	3373
1874	2044	2209	2404	2610	2801	2974	3223	3377
1877	2045	2212	2405	2615	2815	2976	3227	3379
1882	2046	2233	2407	2623	2821	2986	3231	3380
1886	2047	2245	2409	2624	2831	2998	3239	3381
1893	2053	2257	2416	2625	2847	3003	3240	3392
1901	2057	2258	2417	2626	2848	3005	3243	3394
1902	2058	2259	2420	2631	2849	3009	3247	3408
1912	2066	2262	2427	2633	2854	3029	3249	3418
1923	2068	2267	2434	2636	2855	3079	3250	3419
1925	2071	2268	2441	2643	2862	3085	3257	3424
1939	2074	2273	2442	2644	2864	3101	3270	3428
1946	2080	2292	2443	2650	2865	3103	3276	3433
1948	2081	2299	2444	2651	2874	3120	3277	3434

3436	3727	3911	4140	4365	4669	4866	5136
3438	3731	3916	4145	4373	4671	4871	5141
3439	3733	3922	4155	4383	4675	4893	5151
3443	3734	3929	4167	4384	4676	4910	5154
3454	3736	3938	4168	4385	4677	4911	5157
3455	3742	3939	4169	4396	4683	4917	5165
3459	3743	3940	4188	4418	4686	4920	5169
3463	3748	3942	4193	4445	4688	4929	5171
3473	3752	3943	4198	4446	4689	4931	5180
3474	3757	3944	4199	4468	4694	4933	5182
3479	3763	3947	4203	4469	4701	4934	5187
3489	3782	3955	4209	4479	4707	4961	5194
3495	3788	3974	4216	4491	4708	4978	5199
3619	3791	3992	4218	4492	4709	4988	5206
3637	3793	3994	4225	4505	4711	4989	5207
3654	3794	4002	4240	4520	4721	4997	5215
3661	3802	4006	4268	4523	4729	5014	5216
3668	3812	4028	4273	4527	4745	5018	5218
3669	3822	4040	4274	4529	4750	5023	5232
3673	3825	4041	4304	4576	4760	5030	5246
3682	3835	4042	4312	4577	4764	5043	5245
3692	3840	4052	4313	4584	4767	5046	5252
3700	3846	4053	4314	4585	4781	5050	5253
3703	3847	4056	4315	4593	4785	5062	5254
3704	3876	4060	4316	4598	4788	5098	5265
3714	3877	4072	4329	4600	4791	5102	5266
3715	3879	4120	4331	4632	4795	5106	5270
3720	3895	4121	4352	4657	4805	5113	5274
3723	3902	4136	4354	4658	4815	5127	
3726	3907	4139	4364	4668	4830	5131	

❀ ❀ ❀

नजात का रास्ता

*अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि **नबी** करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि **वसल्लम** ने इरशाद फ़रमायाः*

"यहूदी इकहत्तर (71) फ़िर्कों में तक़सीम हुये, और अ़ीसाई बहत्तर (72) फ़िर्कों में बट गये, और मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िर्कों में तक़सीम हो जायेगी। उन में सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाए एक के। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! वह कौन सा फ़िर्का हो? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं।"

(सुनन् अबू दावूद शरीफ़–4596, 4597)

❀ ❀ ❀

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः
*"मैं तुम्हारे दर्मियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक उन दोनों को मज़बूती से थामे रहोगे, हर्गिज़ गुमराह न होगे। **वह (दो चीज़ें) अल्लाह की किताब (कुरआन पाक) और उस के रसूल का तरीक़ा है।"***

(मिश्कातुल मसाबीह)

❀ ❀ ❀

इरबाज़ बिन सारिया रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः .... "मैं तुम्हें वसिय्यत करता हूँ कि तुम मेरी सुन्नत और हिदायत पाये हुये नेक ख़लीफ़ाओं का तरीक़ा अपनाओ, उसे मज़बूती से थामे रहो, और दीन के अन्दर ईजाद किये गये नए--नए कामों से बचो, क्योंकि हर नया कार्य बिदअ़त गुमराही है।"

(अबू दावूद–4607)

कुर्बानी के अहकाम व मसाइल

बाब **(कुर्बानी वाजिब है।)**

2788:— मिख़नफ़ बिन सुलैम रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अ़रफ़ात में ठहरे हुये थे कि आप ने फ़रमाया: ऐ लोगों! बेशक हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी है और अ़तीरा। क्या जानते हो कि अ़तीरा क्या है, यही जिसे लोग रजबिय्या कहते हैं।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि अ़तीरा (यानी रजबिय्या) मन्सूख़ है और यह हदीस मन्सूख़ है।

फ़ाइदा:— इस हदीस से अ़तीरा जाइज़ है, लेकिन आगेकी हदीस न॰ 2831 से नाजाइज़ होना साबित है और यही सहीह है। उलमा ने अहादीस की रोशनी में कुर्बानी को "मुअक्कदा सुन्नत" कहा है और उम्मत का इसी पर इत्तिफ़ाक़ है।

2789:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुझे कुर्बानी के दिन के बारे में हुक्म दिया गया है कि उसे ई़द के तौर पर मनाऊँ जिसे कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिये ख़ास किया है। इस पर एक आदमी ने कहा: फ़रमाइये कि अगर मुझे दूध के जानवर के अ़लावा कोई जानवर न मिले तो क्या मैं उस की कुर्बानी कर दूँ? आप ने फ़रमाया: नहीं, बल्कि अपने बाल काट लो, नाख़ून और मूँछें काट लो और नाफ़ के नीचे की सफ़ाई कर लो। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी यही कामिल कुबानी होगी।

फ़ाइदा:— अगर कोई वास्तव में कुबानी करने की ताक़त नहीं रखता है तो उस के लिये माफ़ है। ई़द के दिन नमाज़ के बाद अगर ऊपर की बातों पर कोई अ़मल कर डाले तो उसे अल्लाह पाक कुबानी का सवाब देगा।

बाब **(मय्यित की तरफ़ से कुर्बानी।)**

2790:— हनश (कनानी, सनानी) से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि वह दो मेंढों की कुर्बानी करते हैं। मैंने उन से पूछाः यह क्याहै? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे वसिय्यत फ़रमायी थी कि मैं उन की तरफ़ से कुर्बानी किया करुँ, चुनान्चे मैं आप की तरफ़ से कुर्बानी किया करता हूँ।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। सलफ़ के यहाँ मय्यित की तरफ़ से कुर्बानी का सबूत नहीं मिलता। कुर्बानी एक मुआ़हिदा है कि हम जब तक जियेंगे इब्राहीम अ़लै॰ की मिल्लत और सुन्नत पर जियेंगे। जिस प्रकार इब्राहीम अ़लै॰ ने पूरी ज़िन्दगी अल्लाह की इताअ़त में गुज़ारी हम भी गुज़ारेंगे, और ज़ाहिर है यह मुआ़हिदा ज़िन्दा करेगा न कि मुर्दा। मुर्दा की तरफ़ से सदक़ा करने के लिये दिन ख़ास नहीं होते हैं और कुर्बानी के चार दिन ख़ास हैं।

बाब {जो शख़्स कुर्बानी करना चाहता हो और वह पहली से दस ज़िलहिज्जा के दर्मियान अपने बाल काटता हो।}

2791:— उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के पास कोई जानवर हो जिसे वह (कुर्बानी के लिये) ज़ब्ह करना चाहता हो तो ज़िल हिज्जा का चाँद नज़र आ जाने के बाद अपने बाल और नाख़ून को बिल्कुल न काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले।

फ़ाइदा:— यह रिवायत मुस्लिम में भी है (मुस्लिम-1977) यह हुक्म कुर्बानी करने वाले के लिये हैं। जिस के पास कुबानी नहीं है वह दोगाना के बाद हजामत बनवा ले तो उसे कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 2789 में गुज़रा।

बाब {किस प्रकार का जानवर कुर्बानी के लिये अच्छा है?}

2792:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक मेंढा लाया जाये जो सींगों वाला हो, पाँव काले हों, आँखे काली हों, सीना और पेट भी काला हो। चुनान्चे वह पेश किया गया तो आप ने उसे कुर्बान किया। फ़रमायाः ऐ आइशा! छुरी लाओ। फिर फ़रमायाः उसे पत्थर पर तेज़ करो। मैंने वैसे ही किया। फिर आप ने छुरी ली और मेंढे को पकड़ा, उसे लिटाया और ज़ब्ह किया और दुआ़ कीः

> **बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्म त-क़ब्बल् मिन् मुहम्मदिन् वआलि मु-हम्मादिन् वमिन् उम्मति मु-हम्मदिन्** (ऐ अल्लह! मुहम्मद, मुहम्मद की आल और मुहम्मद की उम्मत की तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा) फिर उसे कुर्बान कर दिया)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जानवर अच्छा और तुन्दरुस्त होना चाहिये, छुरी तेज़ होनी चाहिये। इस हदीस से मय्यित की तरफ़ से कुबानी की दलील बनाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की खुसूसियत थी जिस पर दूसरों के लिये अ़मल करना दुरुस्त नहीं।

2793:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात ऊँटनियाँ अपने हाथ से खड़ी हालत में नहर किया। और मदीना में आप ने दो मेंढे क़ुर्बान किये जो सींगों वाले और चितकबरे थे।

फ़ाइदा:— ऊँट को खड़ा कर के बायें पैर को बाँध दिया जाये और तीन पैर पर खड़ा रहे, फिर खड़े हालत में उस के हलक़ में छुरा घोप दिया जायें, खून निकल जाने के बाद गिर जायेगा, फिर चमड़ा अलग किया जाये।

2794:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो मेंढे ज़ब्ह किये जो सींगों वाले और चितकबरे थे। उन्हें ज़ब्ह करते हुये आप ने तक्बीर पढ़ी और बिस्मिल्लाह कहा (यानी बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर) और अपना पाँव उन की गर्दन पर रखा।

2795:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुर्बानी के दिन दो मेंढे ज़ब्ह किये जो सींगों वाले, चितकबरे और ख़स्सी थे। जब आप ने उन्हें क़िब्ला की तरफ़ किया तो यह दुआ़ पढ़ीः

इन्नी वज्जहतु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-तरस्समावाति वल् अर्-ज़ अ़ला मिल्लति इब्राही-म हनी-फ़न् वमा अना मि-नल् मुश्रिकी-न, इन्न सलाती वनुसुकी व-महया-य व-म-माती लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमीन्+ ला शरी-क लहू वबिज़ालि-क उमिर्तु व-अना मि-नल् मुस्लिमी-न+अल्लाहुम्म मिन्-क व-ल-क अ़न् मु-हम्मदिन् वउम्मतिही बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्-बरु+

2796:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे मेंढा कि क़ुबानी किया करते थे जो सींगों वाला और नर (बिन ख़स्सी वाला) होता, जो सियाही में देखता (उस की आँखें काली होती) सियाही में खाता (मुँह काला होता) और सियाही में चलता (पाँव भी काले होते)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़स्सी और ग़ैर खस्सी दोनों प्रकार के जानवरों की क़ुबानी की है इसलिये क़ुबानी में दोनों ही प्रकार के जानवर ज़ब्ह किये जा सकते हैं।

बाब {क़ुबानी के लिये किस आयु का जानवर जाइज़ है।}

2797:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः केवल दो दाँता जानवर ही ज़ब्ह करो, सिवाए इस के कि तुम्हारे लिये बहुत मुश्किल हो जाये तो भेड़ का जज़अ़ा कर सकते हो।

फ़ाइदा:— 'जज़अ़ा' भेड़ के एक साल के बच्चे को कहते हैं। मालूम हुआ कि भेड़ के एक वर्ष के बच्चे और बकरी के दाँता की क़ुबानी करनी चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने एक आध सहाबा को बकरी के एक वर्ष (या दस माह, छः माह) के बच्चे की क़ुर्बानी करने की इजाज़त दी है, लेकिन यह अनुमति केवल उन्ही केलिये थी। इमाम नौवी रह० ने कहा कि बकरी का जज़आ एक वर्ष और भेड़ का जज़आ 10 माह का होता है। मजहूर उलमा का यही कहना है।

2798:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में क़ुर्बानी के जानवर बाँटे तो मुझे एक जज़आ दिया। मैं उसे लेकर आप के पास आया और कहा कि यह तो जज़आ (एक वर्ष का) है। आप ने फ़रमायाः तुम इसे ही क़ुर्बान कर दो। चुनान्चे मैंने उस की क़ुबानी कर दी।

2799:— आ़सिम बिन कुलैब अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक सहाबी के साथ थे जिन का नाम मजाशे था जो कि क़बीला बनी सुलैम में से थे (क़ुबानी के लिये) बकरियाँ (तक़सीम की गयीं तो) कम हो गयीं। पस उन्होंने एक एलान्ची को हुक्म दिया कि वह एलान कर दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे। बिला शुब्हा जज़आ (एक साला) सनिय्या (दो दाँते) की जगह काफ़ी हो जाता है।

इमाम अबू दावूद ने फ़रमायाः उस सहाबी का नाम मशाजे बिन मस्ऊद है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि तीन सहाबी के लिये जज़आ (एक साल के बकरी के बच्चे) की क़ुबानी की इजाज़त दी है। (1) अबू बुंदा था, (2) ज़ैद बिन ख़ालिद (3) उक़्बा बिन आ़मिर।

2800:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुबानी के दिन नमाज़ के बाद खुत्बा दिया और फ़रमायाः जिस ने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह क़ुबानी की, उस की क़ुबानी सहीह हुयी। और जिस ने नमाज़ से पहले क़ुबानी की तो वह गोश्त की बकरी है। (यह सुन कर) अबू बूर्दा बिन नयार खड़े हुये और बोलेः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अल्लाह की क़सम! मैंने नमाज़ के लिये आने से पहले ही क़ुर्बानी कर दी। मैंने समझा कि आज का दिन खाने-पीने का दिन है तो मैंने जल्दी की, खुद भी खाया और अपने घर वालों और पड़ोसी लोगों को भी खिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह तो गोश्त की बकरी हुयी। इस पर उन्होंने कहाः मेरे पास (अब केवल) बकरी का बच्चा है जो जज़आ है और यह गोश्त की दो बकरियों से भी बढ़ कर है, तो क्या यह मेरी तरफ़ से काफ़ी होगी? आप ने फ़रमायाः हाँ, लेकिन तुम्हारे बाद किसी के लिये हर्गिज़ काफ़ी नहीं होगी।

2801:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० से रिवायत है कि मेरे मामूँ ने जिन का नाम अबू बुंदा था, उन्होंने नमाज़ से पहले ही क़ुर्बानी कर डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः तुम्हारी बकरी तो गोश्त की बकरी हुयी। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास घर की पली हुयी एक जज़आ बकरी है। आप ने फ़रमायाः उसे ज़ब्ह कर डालो, लेकिन तुम्हारे अ़लावा किसी और के लिये दुरुस्त नहीं होगी।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस 2798, 2799 को इसी हदीस पर महमूल करना ही अफ़ज़ल है कि भेड़

का एक वर्ष का बच्चा जो दाँता न हो जाइज़ है, मगर बकरी का बच्चा नहीं। बकरी के लिये दाँता होना शर्त है।

बाब {कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का बयान।}

2802:— उबैद बिन फ़ीरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़िब रज़ि॰ से पूछा कि कुर्बानी में कौन सा जानवर जाइज़ नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें खुत्बा देने खड़े हुये.....और मेरी उँगलियाँ और पोर आप की उंगलियों और पोरों से बहुत हेच हैं... ...आप ने (चार उंगलियों के इशारा से) फ़रमायाः चार प्रकार के जानवर कुर्बानी में जाइज़ नहीं हैं (1) काना, जिस का कानापन ज़ाहिर हो (2) बीमार, जिस की बीमारी स्पष्ट हो (3) लंगड़ा, जिस का लंगड़ा पन ज़ाहिर हो (4) कमज़ोर, कि उस की हड्डी में गूदा न हो। मैंने (यानी उबैद बिन फ़ीरोज़ ने) कहा कि मुझे ऐसा जानवर भी नापसन्द है जिस के दाँत में ऐब हो। बरा रज़ि॰ ने कहाः जो तुम्हें नापसन्द हो तो उसे छोड़ दो, मगर दूसरों के लिये हराम न ठहराओ।

इमाम अबू दावूद ने कहा "ला तुन्क़ी" का अर्थ यह है कि उस जानवर के हड्डी में गूदा न हो (बिल्कुल कमज़ोर, हड्डी का ढाँचा हो)

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि मामूली ऐब बर्दाशत है, मगर स्पष्ट ऐब वाले जानवर की मिनाही है।

2803:— यज़ीद ज़ू मिस्र बयान करते हैं कि मैं उत्बा बिन अ़ब्दे सुलमा के पास आया और (उन से) कहाः ऐ अबू वलीद! मैं कुर्बानी लेने के लिये निकला हूँ मगर कोई जानवर ही पसन्द न आया, सिवाए एक जानवर के कि उस के दाँत गिर गये हैं, मगर वह भी मुझे पसन्द नहीं है तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहाः उस जानवर को तुम मेरे लिये क्यों नही ला देते? मैंने कहाः सुब्हानल्लाह! तुम्हारी तरफ़ से जाइज़ होगा तो क्या मेरी तरफ़ से नाजाइज़ होगा? उन्होंने कहाः हाँ, (इसलिये कि) तुम शक करते हो और मुझे कोई शक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन जानवरों से मना किया है जिन का कान जड़ से कट गया हो कि उस का सूराख़ नज़र आने लगे। जिस का सींग जड़ से निकल गया हो, जिस की आँख की रोशमी समाप्त हो गयी हो मगर आँख ठीक-ठाक हो, जो कमज़ोरी की वजह से दूसरी बकरियों के साथ न चल सके, और जिस की टाँग टूट गयी हो।

2804:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम (कुर्बानी के जानवरों की) आँखें और कान ग़ौर से देख लिया करें और कोई ऐसी कुर्बानी न करें जो काना हों, या उस के कान आगे या पीछे से कटे हुये हों, या कान चीरा हुआ हो, या उस में सूराख़ हो। जुहैर कहते हैं कि मैंने इस्हाक़ से पूछाः क्या सींग टूटे का भी ज़िक्र किया था? उन्होंने कहाः नहीं। मैंने कहाः "मुक़ाबला" से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः जिस के कान का कनारा कटा हुआ हो। मैंने कहाः "मुदाबरा" से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः जिस का कान पीछे की तरफ़ से कटा हुआ हो। मैंने पूछाः "शरक़ा" किसे कहते हैं? कहा कि जिस का कान चीरा हुआ हो। मैंने

कहा: "ख़रक़ा" किसे कहते हैं? उन्होंने कहा: जिस के कान में निशानी के तौर पर छेद कर दिया गया हो।

2805:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसी क़ुर्बानी करने से मना फ़रमाया है जिस का कान, या सींग जड़ से कट गया हो, या टूट गया हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जुरै बिन कुलैब सदूसी है, बसरा का रहने वाला है। उस से क़तादा के अ़लावा और किसी ने हदीस नहीं ली है।

2806:— इमाम क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने सओ़द बिन मुसय्यिब रह॰ से पूछा कि "आज़ब" किसे कहते हैं? उन्होंने कहा: ऐसा जानवर जिस का सींग आधा या इस से ज़्यादा टूट गया हो।

बाब {गाय और ऊँट कितने आदमी के लिये काफ़ी हैं।}

2807:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में तमत्तो का हज्ज करते थे तो सात आदमी की तरफ़ से एक गाय ज़ब्ह करते थे और हम सब उस में शरीक हो जाते थे।

2808:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: गाय सात आदमी की तरफ़ से है और ऊँट भी सात आदमी की तरफ़ से है।

2809:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया में ऊँट सात लोगों की तरफ़ से क़ुर्बान किया, और गाय सात लोगों की तरफ़ से ज़ब्ह किया।

फ़ाइदा:— हज्ज और उम्रा में गाय और ऊँट में केवल सात-सात लोग ही शरीक होंगे, लेकिन आ़म क़ुर्बानी में गाय में सात और ऊँट में दस लोग शरीक होंगे। कुछ लोग अ़क़ीक़ों के हिस्से बना कर एक गाय में कई-कई अ़क़ीक़े करते हैं, लेकिन यह तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हर अ़क़ीक़ा में एक जान चाहिये, न कि गोशत का एक हिस्सा।

बाब {एक जमाअ़त की तरफ़ से एक बकरी क़ुर्बानी करना।}

2810:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं एक ओ़दुल अज़हा के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ओ़दगाह में हाज़िर था। जब आप ने अपना ख़ुत्बा मुकम्मल कर लिया और मिंबर से उतरे तो आप को एक मेंढा पेश किया गया। आप ने उसे अपने हाथ से ज़ब्ह किया और यह दुआ़ पढ़ी:

> **बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्-बरु+हाज़ा अ़न्नी व-अ़म्मन् लम् यु-ज़ह्हि मिन उम्मती** (अल्लाह के नाम से और सब स बड़ा है। यह मेरी तरफ़ से है और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से है जो क़ुर्बानी नहीं कर सके।)

फ़ाइदा:— अपने घर के लोगों की तरफ़ से एक बकरी काफ़ी है, मगर लोगों की एक जमाअ़त की तरफ़ से केवल एक बकरी कुर्बान करना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की खुसूसियत है। मिंबर भी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं (देखें बुख़ारी–961, मुस्लिम–884)

2811:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी ओ़ीदगाह ही में ज़ब्ह किया करते थे और इब्ने उमर रज़ि॰ का भी यही अ़मल था।

फ़ाइदा:— इमाम ओ़ीदगाह में करे तो लोगों को इस से तर्ग़ीब मिलती है, और जोश पैदा होता है।

बाब {कुंबानी का गोशत रख लेना जाइज़ है।}

2812:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में (एक बार) ओ़ीदुल अ़ज़हा के मौक़ा पर दीहातों के लोग बहुत ज़्यादा आ गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी कुंबानियों में से तीन रातके लिये रख लो और बाक़ी सदक़ा कर दो। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि इस के बाद का मौक़ा आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! लोग (पहले) अपनी कुंबानियों से फ़ाइदा उठाते थे, उन की चर्बी जमा कर लेते थे, और उन (की खालों) से मशक बना लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तो अब क्या हुआ? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने कुर्बानी का माँस तीन रात से ज़्यादा रखने से मना फ़रमा दिया है। आप ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें इस वजह से रोका था कि तुम्हारे पास दीहाती लोग बहुत अधिक आ गये थे। इसलिये तुम खाओ, सदक़ा करो, और रख भी लो।

2813:— नुबैशा हुज़ल्ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम ने तुम लोगों को कुंबानियों का गोशत तीन दिन से ज़्यादा रखने से इसलिये मना किया था कि तुम सब को गोशत (खाने को) मिल जाये। और अब अल्लाह पाक ने कुशादगी दे दी है (और ग़नी कर दिया है) इसलिये खाओ, जमा करो और सवाब कमाओ। ख़बर्दार! यह दिन खाने–पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जहाँ फ़क़ीर और ग़रीब लोग ज़्यादा हों वह तक़सीम करना चाहिये और जहाँ इस के उलट मामला हो वहाँ जमा कर के खाने की गुन्जाइश है।

बाब {जानवरों को बाँध कर क़त्ल करना मना है। और ज़बीहा के साथ नर्मी करने का बयान।}

2814:— शद्दास बिन औस रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने दो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हैं आप ने फ़रमायाः "बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने हर चीज़ के साथ एहसान को वाजिब किया है, इसलिये जब तुम क़त्ल करो तो उस में भी एहसान करो" मुस्लिम बिन इब्राहीम के अ़लावा किसी दूसरे रावी के यह शब्द हैं "अच्छाई के साथ क़त्ल करो। और जब ज़ब्ह करो तो अच्छी तरह ज़ब्ह करो"। ज़ब्ह करने वाले को चाहिये कि अपनी छुरी को तेज़ कर ले और अपने जानवर को आराम पहुँचाये।

फ़ाइदा:— यह हुक्म आम है। काफ़िर और मुश्रिक मुज्रिम को भी तक्लीफ़ देकर क़त्ल करना नाजाइज़ है। शिकार को मज़े ले लेकर आराम से मारना भी नाजाइज़ है।

2815:— हिशाम बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंअनस रज़ि॰ के साथ हकम बिन अय्यूब के पास गया तो उन्होंने देखा कि कुछ नौजवांन या लड़के एक मुर्ग़ी को खड़ा कर के उस पर निशाना साध रहे हैं। अनस रज़ि॰ ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि जानवरों को बाँधा जाये (फिर क़त्ल किया जाये)

फ़ाइदा:— अल्बत्ता जन्गली जानवरों में से या पालतू जानवरों में से जो क़ाबू से बाहर हों उन्हें ज़ब्ह करने के लिये बाँधना बिला शुब्हा जाइज़ है।

बाब {मुसाफ़िर भी कुर्बानी करे।}

2816:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुर्बानी की फिर फ़रमाया: ऐ सौबान! हमारे लिये इस बकरी का गोशत बनाओ। कहते हैं कि फिर मैं आप को उस से खिलाता रहा यहाँ तक कि हम लोग मदीना पहुँच गये।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सफ़र–हज़र हर हालत में कुर्बानी वाजिब है।

बाब {अहले किताब (यहूद–नसारा) के हाथ का ज़ब्ह किया हुआ का हुक्म।}

2817:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने फ़रमाया है: "खाओ वह चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो" (सूर: अन्आम 118) और अगली आयत में है "वह चीज़ें मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो" (आयत 121) इसे मन्सूख़ कर के (अहले किताब के खाना को हमारे लिये हलाल कर दिया गया और) फ़रमाया: "जिन लोगों को किताब दी गयी है उन का खाना तुम्हारे लिये हलाल है, और तुम्हारा खाना उन के लिये हलाल है।" (सूर: माइदा–5)

फ़ाइदा:— अहले किताब जब अपने शरीअ़त के मुताबिक़ ज़ब्ह करें तब उन का ज़ब्ह किया हुआ हलाल है। अगर मालूम हो जाये कि ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़ब्ह किया है तो उन का ज़बीहा हराम है। मशीनी झटके से ज़ब्ह किया हुआ जानवर मुर्दार के हुक्म में है। मेरे ख़याल में आज कल यहूद–नसारा का ज़बीहा न खाने ही में भलाई और एहतियात है।

2818:—इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से अल्लाह पाक के फ़र्मान "और शैतान अपने दोस्तों को इलहाम करते हैं" (अन्आम–121) की तफ़सीर में रिवायत है वह कहते हैं: जिसे अल्लाह ने ज़ब्ह किया (यानी मार डाला) उसे मत खाओ, और जिसे तुम खुद ज़ब्ह करो वह खा लो।" तो अल्लाह पाक ने नाज़िल फ़रमाया: "वह चीज़ मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो।" (सूर: अन्आम–121)

2819:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहा: हम वह तो खा लेते हैं जो खुद क़त्ल करते हैं, और जिसे

अल्लाह ने क़त्ल किया (मार डाला) हो उसे हम नहीं खाते, तो अल्लाह पाक ने फ़रमायाः "जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे मत खाओ।" (अन्आम-121)

बाब {ऐसे जानवरों का खाना जिन को बद्दू लोग फ़ख़ के तौर पर ज़ब्ह करें।}

2820:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़रब के बद्दू लोगों के उस काम से मना फ़रमाया है जिस में वह मुक़ाबला बाज़ी में ऊँट ज़ब्ह करते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि गुन्दुर ने इस रिवायत को इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ पर मौक़ूफ़ किया है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि (हदीस के रावी) अबू रैहाना का नाम अ़ब्दुल्लाह बिन मतार है।

फ़ाइदा:— अ़रब के बद्दू लोग ऊँट ज़ब्ह करने में एक-दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते। कोई दस ऊँट ज़ब्ह करता तो दूसरा 20, पहला तीस करता तो दूसरा चालीस। यहाँ तक कि एक हार मान लेता। यह कोई अच्छा काम नहीं है इसलिये इस से मना फ़रमाया गया है। यह हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है।

बाब {पत्थर से ज़ब्ह करने का मस्अला।}

2821:— राफ़े बिन ख़दीज से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! कल हम दुश्मन से जन्ग करेंगे, लेकिन हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। तो क्या हम पत्थर से या लाठी के तेज़ फट्टे से जब्ह कर सकते हैं? आप ने फ़रमायाः फुर्ती दिखाओ, या जल्दी करो, जो चीज़ भी खून बहा दे उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ, लेकिन दाँत या नाखून न हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि दाँत तो हड्डी है और नाखून हब्शी लोगों की छुरी है।

इसी बीच कुछ जल्द बाज़ लोग आगे बढ़े उन्होंने जल्दी की, उन्हें कुछ ग़नीमत का माल मिल गया, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पीछे ही थे कि उन्होंने (ग़नीमत से ज़ब्ह कर के) देगची आग पर रख दिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास से गुज़रे तो आप ने हुक्म दिया और उन्हें उलट दिया गया। फिर उन में माले ग़नीमत को तक़्सीम किया और एक ऊँट भाग खड़ा हुआ, उन के पास घोड़े नहीं थे, एक व्यक्ति ने उस को तीर मारा और अल्लाह ने उस को रोक लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन जानवरों में भी बिदक कर भागने वाले होते हैं जैसे कि दूसरे वहशी (जन्गली जानवर) तो जो उन में से इस प्रकार से करे उस के साथ इसी प्रकार करो (कि तीर मार कर खड़ा कर दो)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दाँत (हड्डी) और नाखून को छोड़ हर चीज़ ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी जो धार दार हो उस से जब्ह करना जाइज़ है।

2822:— मुहम्मद बिन सफ़वान या सफ़वान बिन मुहम्मद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने दो ख़रगोश का शिकार किये तो उन्हें पत्थर से ज़ब्ह किया, फिर इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने उन के खाने का हुक्म दिया।

2823:— बनी हारिसा कबीला के एक शख़्स से रिवायत है कि उहुद की एक घाटी में दूध देने वाली ऊँटनी चराया करता था, उस ऊँटनी को मौत ने आ लिया तो उसे कोई चीज़ न मिली जिस से उसे नहर कर दे, चुनान्चे उस ने एक कील ली और उस के लब्बा (नरख़रे) से घोंप दिया और सारा खून बह गया। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस के बारे में सब कुछ बता दिया तो आप ने उस को खाने का हुक्म दिया।

2824:— अदी बिन हातिम रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये कि हम में से कोई शिकार करता है और उस के पास छुरी नहीं होती है तो क्या वह उस पत्थर या लक्ड़ी के तेज़ धार वाले टुक्ड़े से ज़ब्ह कर डाले? आप ने फ़रमायाः खून बहाओ जिस से भी तुम चाहो मगर अल्लाह का नाम लो।

फ़ाइदा:— ऊपर बयान हदीस की रोशनी में दाँत और नाखून को छोड़ कर।

बाब {जो जानवर कहीं गिर गया हो तो उस को ज़ब्ह करने का तरीक़ा।}

2825:— अबू उशरा अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जानवर का ज़ब्ह करना नरख़रे से या हल्क़ ही से होता है? आप ने फ़रमायाः अगर तू उस की रान में भी कोई तीर वग़ैरह मार दे तो काफ़ी है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि यह सूरत सिर्फ़ उस जानवर में है जो कहीं नीचे जा गिरा हो या वहशी बन गया है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन मजबूरी में जब ज़ब्ह करने की मोहलत न मिले और कहीं से भी खून बह जाये तो वह ज़ब्ह के माना में होगा, जैसे कि शिकार में होता है।

बाब {ज़ब्ह खूब अच्छी तरह से करना चाहिये।}

2826:— इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के ज़बीहा से मना फ़रमाया है।

इमाम ईसा ने अपनी हदीस में यह इफाज़ा किया है कि (शैतान के ज़बीहा से मुराद यह है कि) ज़बीहा की खाल काट दीजिये मगर नसें न काटी जायें और फिर उसे यूँहीं छोड़ दिया जाये यहाँ तक कि (तड़प-तड़प) कर मर जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अम्र बिन अब्दुल्लाह को अम्र बर्क़ कहा जाता है, इक्रमा उन के बाप के पास यमन में मेहमान ठहरे थे। और मामर जब उस से रिवायत करते हैं कि तो वह अम्र बिन अब्दुल्लाह कहते हैं और जब यमन वाले रिवायत करते हैं तो उस का नाम ज़िक्र नहीं करते।

फ़ाइदा:— रिवायत अगर्चे ज़ईफ़ है मगर मस्अला सहीह है। चूँकि शैतान ने उन्हें इस प्रकार ज़ब्ह करना सिखाया था इसलिये शैतान का ज़बीहा कहलाया।

बाब {पेट के बच्चे के ज़ब्ह करने का मस्अला।}

2827:— अबू सअ़ीद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पेट के बच्चा के बारे में सवाल किया तो आप ने फ़रमायाः अगर चाहो तो खा लो। इमाम मुसद्दद की रिवायत में यह है कि "हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम कोई ऊँटनी, गाय, या बकरों को ज़ब्ह करते हैं तो उस के पेट से बच्चा निकल आता है, तो क्या हम उसे खा लें या फेंक दें? आप ने फ़रमायाः अगर चाहो तो खा लो, बिला शुब्हा उस की माँ का ज़ब्ह करना ही उस के लिये ज़ब्ह है।

2828:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बच्चे का ज़ब्ह करना उस की माँ के ज़ब्ह करने में है।

फ़ाइदा:— माँ को ज़ब्ह करने के बाद उस के पेट से बच्चा ज़िन्दा निकला तो ज़ब्ह करना होगा, वर्ना वह माँ की तरह ज़बीहा का हिस्सा है और हलाल है और उस का खाना जाइज़ है।

बाब {जिस गोश्त के बारे में मालूम न हो कि उस को ज़ब्ह करने वाले ने "बिस्मिल्लाह" पढ़ी है या नहीं?}

2829:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत हैं कि लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ लोग जो जाहिलिय्यत से नये-नये निकले हैं (यानी नौ मुस्लिम हैं) वह हमारे पास गोश्त लाते हैं,हमें मालूम नहीं होता कि उन्होंने उन जानवरों को जब्ह करते हुये "बिस्मिल्लाह" पढ़ी या नहीं। तो क्या हम यह खा लें? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अल्लाह का नाम लो और खा लो।

फ़ाइदा:— तुम खा लो क्योंकि उन के बारे में कीड़े निकालना, और शक व शुब्ह नहीं करना चाहिये, मगर यह कि स्पष्ट सबूत हो कि वह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई भूल गया तो बेशक यह माफ़ है और ज़बीहा हलाल है।

बाब {अ़तीरा का बयान।}

2830:— नुबैशा रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पुकार कर कहाः हम जाहिलिय्यत के ज़माना में रजब के महीना में कु़र्बानी किया करते थे (यानी अ़तीरा) तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमायाः अल्लाह के लिये जब्ह करो जिस महीने में भी हो, अल्लाह के लिये नेकी करो और खिलाया करो। उस आदमी ने कहाः हम जाहिलिय्यत के ज़माना में "फ़रा" भी करते थे? तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमायाः तमाम चरने वाले जानवरों में एक फ़रा है (ज़बीहा है) यह नव उम्र बच्चा जिसे कि तुम्हारे दूसरे जानवर खाना (आहार) देते हैं यहाँ तक कि वह बोझ उठाने के क़ाबिल हो जाये। नस्र बिन अ़ली ने कहाः जब वह हाजियों को उठाने के काबिल हो जाये तो उसे जब्ह कर डालो और उस का गोश्त सदक़ा कर दो। ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि (उस्ताद अबू किलाबा ने) यूँ कहाः मुसाफ़िरों पर सदक़ा करो यह नेकी का काम है। ख़ालिद हज़्ज़ा ने कहा कि मैंने उस्ताद अबू

क़िलाबा से पूछा कि चरने वाले जानवरों की संख्या क्या होती है? उन्होंने कहाः एक सौ।

2831:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः न फ़रा (वाजिब) है और न अ़तीरा।

2832:– सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से रिवायत है कि "फ़रा" उस बच्चे को कहते थे जो उन के जानवरों में सब से पहले पैदा होता, फिर वह उसे ज़ब्ह कर देते थे।

2833:– आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हर पचास बकरियों में एक बकरी (सदक़ा) है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि कुछ उलमा का कहना है कि "फ़रा" से मुराद ऊँटों में पैदा होने वाला पहला बच्चा होता था जिसे वह लोग अपने बुतों के नाम से ज़ब्ह करते थे। गोश्त खा लेते और उस का चमड़ा किसी पेड़ पर डाल देते थे। और "अ़तीरा" उसे कहते थे जिसे वह रजब के दस दिनों में ज़ब्ह करते थे।

फ़ाइदा:– इस्लाम के आरंभ में "फ़रा" और "अ़तीरा" पर अ़मल होता था कि काफ़िर ग़ैरुल्लाह के नाम पर करते थे और मुसलमान अल्लाह के नाम पर। मगर बाद में जब क़ुर्बानी का हुक्म हुआ तो उसे मन्सूख़ कर दिया गया, यानी उस का वजूब मन्सूख़ हो गया। मगर आ़म सदक़ा करने का मुस्तहब होना बाक़ी है। मगर इन कामों में काफ़िरों और उन के जाहिली रस्मों में मुशाबहत नहीं होनी चाहिये (देखें हदीस न॰ 2788)

बाब {अ़क़ीक़ा केअहकाम व मसाइल।}

2834:– उम्मे कुर्ज़ काबिय्या रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर-बराबर (यानी एक जैसी) और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद से सुना वह कहते थे कि "मुकाफ़ि-अतान" के माना हैं कि दोनों बकरियाँ बराबर-बराबर हों, या क़रीब-क़रीब हों।

फ़ाइदा:– "दोनों बराबर-बराबर हों" का तक़ाज़ा यह है कि दोनों जानवरों की जिन्स भी एक हो। यानी दोनों बकरियाँ हों या दोनों भेड़। ऐसा न हो कि एक बकरी हो और दूसरी भेड़।

2535:– उम्में कुर्ज़ रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः परिन्दों को अपने घोंसले में रहने दो (उन्हें अच्छा-बुरा शगून लेने के लिये न उड़ाओ।) उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बयान करते सुना है कि आप ने फ़रमायाः लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी। और इस में कोई बात नहीं कि दोनों नर हों या मादा।

2836:– उम्में कुर्ज़ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ हैं एक जैसी, और लड़की तरफ़ से एक बकरी है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सहीह हदीस यही है जबकि (ऊपर) सुफ़यान की हदीस वहम है।

फ़ाइदा:— ऊपर की सनद में उबैदुल्लह बिन जबी यज़ीद "अन अबीहि" का इज़ाफ़ा सहीह नहीं है। सहीह सनद यही है जिस में इज़ाफ़ा नहीं है। (यानी हदीस न॰ 2836 की सनद)

2837:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं ने फ़रमायाः हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के साथ गिरवी होता है। इसलिये सातवें दिन उस की तरफ़ से जानवर ज़ब्ह किया जाये, सिर मुडाँया जाये, और उस पर खून लगाया जाये। इमाम क़तादा से जब यह पूछा जाता कि खून किस तरह लगाया जाये तो कहते कि जब जानवर ज़ब्ह किया जा रहा हो तो उस के चन्द बाल लेकर उस की (कटने वाली) रगों के आगे कर दो और बच्चे की चुँदिया पर रख दिये जाये यहाँ तक कि वह (ताज़ा-ताज़ा खून) उस के सर पर धागे की तरह बहने लगे, फिर उस का सर धोया जाये और बाल मूँड दिये जायें।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "खून" लगाने वाली बात हम्माम रावी का वहम है। इस जुम्ले में हम्माम की मुख़ालिफ़त की गयी है। दूसरे लोग रिवायत करते हैं कि बच्चे का नाम रखा जाये, मगर हम्माम ने इस को खून लगाना कह दिया। (यानी "युसम्मा" को "युदम्मा" कह दिया।

यह रिवायत ज़ओफ़ है। खून लगाने की बात ग़लत है। लोग नया घर बनाते हैं तो बुनियाद में खून गिराते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके टायर पर खून लगा देते हैं, यह सब शिर्क है और इस्लाम से इस का कोई संबन्ध नहीं।

2838:— समुरा बिन जुन्दब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के साथ गिरवी होता है, इसलिये सातवें दिन उस की तरफ़ से जानवर ज़ब्ह किया जाये, उस का सर मूँड़ा जाये और नाम रखा जाये।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने बयान किया कि लफ़्ज़ "युसम्मा" (नाम रखा जाये) ही सहीह है। सल्लाम ने क़तादा से और अयास और अश्आस ने हसन के वास्ते से लफ़्ज़ "वयुसम्मा" रिवायत किया है। और अशअस ने हसन से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही शब्द "वयुसम्मा" (उस का नाम रखा जाये)) बयान किया है।

फ़ाइदा:— "गिरवी होता है" का यह अर्थ है कि बच्चे का अक़ीक़ा न किया जाये तो वह अपने माता-पिता की सिफ़ारिश नहीं कर सकेगा। यह भी कहा गया है कि वह अपने मैल-कुचैल के साथ गिरवी होता है, इसलिये उस को साफ़ करना चाहिये। और भी कई अर्थ उलमा ने बयान किये हैं।

2839:— सलमान बिन आमिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लड़के के लिये अक़ीक़ा लाज़िम है, इसलिये उस की तरफ़ से खून बहाओ और उस का मैल-कुचैल दूर कर दो।

2840:— हसन बसरी रह॰ बयान करते हैं कि "मैल-कूचैल दूर करने" से मुराद बच्चे का सर मूँड़ना है।

2841:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के अक़ीक़ा में एक-एक मेंढा ज़ब्ह किया था।

फ़ाइदा:— नसई की रिवायत में (हदीस न॰ 4224) में दो-दो मेंढों का ज़िक्र आया है। दोनों ही रिवायतें सहीह है। लेकिन तर्जीह दो वाली रिवायत को हासिल है। सहीह यही है कि लड़के के लिये दो होना चाहिये क्योंकि मर्द को औ़रत पर फ़ज़ीलत हासिल है जैसे "लिज़्ज़-करि मिस्लु हज़्ज़िल् उन्-सयैनि"

2842:— अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने पिता से और मेरा ख़याल है कि वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अ़क़ीक़ा के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक "उक़ूक़" को पसन्द नहीं करता है। गोया कि आप ने (अ़क़ीक़ा का) नाम पसन्द नहीं फ़रमाया (क्योंकि "अ़क़ीक़ा" और "उक़ूक़" दोनों का माद्दा एक है) आप ने फ़रमायाः जिस के घर बच्चा पैदा हो और वह उस की तरफ़ से सदक़ा और क़ुर्बानी करना चाहता हो तो करे। लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर-बराबर और लड़की की तरफ़ से एक बकरी। आप से "फ़रा" के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः फ़रा भी हक़ है और चाहिये कि उसे (पैदा हुये) जानवर को छोड़ दो यहाँ तक कि जब वह एक साल का, या दो साल का ख़ून मोटा ताज़ा हो जाये तो किसी बेवा को दे दो, या जिहाद में (सवारी के लिये) दे दो, यह बेहतर है इस से कि तुम उसे ज़ब्ह कर डालो जबकि उस का गोश्त उस के बालों ही से लगा हुआ हो। और अपने बर्तन को तुम औंधा कर डालो और अपनी ऊँटनी को बेक़रार और बेचैन कर के छोड़ो।

फ़ाइदा:— "फ़रा" इस पर शुरु में अ़मल था बाद में मुस्तहब हो गया जैसे कि पीछे की रिवायतों में गुज़रा। छोटे बच्चों को नहीं ज़ब्ह करना चाहिये इस से उस की माँ बेचैन रहती हैं उस का दूध भी कम हो जाता है।

2843:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा कहते हैं कि मैंने अपने पिता बुरैदा रज़ि॰ से सुना वह बयान करते थे कि जाहिलिय्यत के जमाना में जब हम में से किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती तो वह एक बकरी ज़ब्ह करता और उस का खून बच्चे के सर पर चपड़ देता था। और जब से अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत दी (मुसलमान हुआ) तो हम एक बकरी ज़ब्ह करते हैं, बच्चे का सर मूँडते हैं और उस के सर पर ज़ाफ़रान मल देते हैं।

फ़ाइदा:— खून लगाना जाहिलिय्यत के ज़माने की बात थी। खून के स्थान पर खुश्बू (ज़ाफ़रान, केसर) लगाना चाहिये। ऊपर की हदीसों से मालूम हुआ कि अ़क़ीक़ा ताक़ीदी सुन्नत है। आप ने करने का हुक्म भी दिया और अ़क़ीक़ा पर अ़मल भी किया। इस से मुतअ़ल्लिक़ क़ौली और फ़ेली दोनों हदीसें हैं। जो लोग मामूली सुन्नत समझ की नज़र अन्दाज़ कर देते हैं वह गुनाहगार होते हैं।

❀ ❀ ❀

(00) शिकार के अहकाम व मसाइल

बाब **{शिकार के लिये कुत्ता रखने का बयान।}**

2844:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः **जिस ने कुत्ता पाला तो ऐसे शख़्स के सवाब में से हर रोज़ एक क़ीरात कम होता रहेगा, मगर यह कि वह कुत्ता पाला जाये जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये, या शिकार के लिये, या खेती (की सुरक्षा) के लिये।**

2845:— अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः **अगर यह बात न होती कि कुत्ते भी (अल्लाह की मख़्लूक़ और) उम्मतों में से एक उम्मत हैं, तो मैं उन के क़त्ल करेन का हुक्म दे देता (बहर हाल) उन में जो काला सियाह हो, उसे मार डालो।**

फ़ाइदा:— कुत्ता केवल तीन काम के लिये पाल सकते हैं(1) खेत की सुरक्षा के लिये (2) शिकार के लिये (3) जानबरों की निग्रानी के लिये। काला कुत्ता जिस की आँखों पर दो नुक़्ते (बिन्दी) हों उन्हें तो बिल्कुल ही ज़िन्दा नहीं रखना चाहिये।

2846:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (शुरु में) **कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया था, यहाँ तक किअगर कोई औरत दीहात से आती और उस के साथ कुत्ता होता तो हम उसे भी मार डालते थे। इस के बादआप ने हमें इस से मना कर दिया और फ़रमायाः केवल काले कुत्तों को मारो।**

बाब **{शिकार करने का बयान।}**

2847:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ का बयान है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः मैं अपने सिखाए हुये कुत्तों को छोड़ता हूँ तो वह हमारे लिये शिकार को पकड़ कर रोक रखते हैं, तो क्या मैं उसे खा लूँ? आप ने फ़रमायाः जब तुम सिखाए हुये कुत्तों को छोड़ों और छोड़ते समय अल्लाह का नाम लो तो जो वह तुम्हारे लिये पकड़ रखें उसे खा लो। मैंने कहाः

अगर्चे वह उसे मार ही डालें? आप ने फ़रमायाः चाहे मार ही डालें, मगर शर्त यह है कि कोई और कुत्ता उन में शामिल न हो गया हो जो उन में से न हो। मैंने कहाः मैं भाला फेंकता हूँ और उस से शिकार करता हूँ, तो क्या उसे खा लिया करूँ? आप ने फ़रमायाः जब तुम भाला फेंको और "बिस्मिल्लाह" कहो और वह शिकार को लगे और उस को फाड़ दे तो खा सकते हो। लेकिन अगर वह चौड़ाई की तरफ़ से लगे (यानी बग़ैर धार के महज़ चोट से उस को मार डाले) तो मत खाओ।

2848:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया (और) पूछाः हम इन कुत्तों के ज़रीआ शिकार करते हैं, तो आप ने मुझ से फ़रमायाः जब तुम अपने सिधाये हुये कुत्ते छोड़ो और उन पर "बिस्मिल्लाह" कहो तो जो वह तुम्हारे लिये रोक रखें उसे खा लो, चाहे वह उसे मार ही डालें, सिवाए इस के कि कुत्ता खुद उस में से कुछ खा ले। अगर वह उस में से खा ले तो मत खाओ। मुझे शुब्हा है कि उसे उस ने अपने लिये पकड़ा होगा।

फ़ाइदाः— सिधाये हुये कुत्ते सेशिकार करना हलाल और जाइज़ है, मगर शर्त यह है कि कुत्ता सिधाया हुआ हो और अपने मालिक के कहने पर चले। यानी जब दौड़ाए तो दौड़ जाये और जब बुलाए तो वापस आ जाये, और मालिक के छोड़ने पर शिकार करे। कुत्ता दौड़ाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रुरी है, लेकिन अगर भूल जाये तो माफ़ हैऔर शिकार हलाल है। कुत्ता उस शिकार में से कुछ न खाये बल्कि मालिके के लिये रोक ले। शिकार ज़िन्दा होतो उसे ज़ब्ह करे। भाले से भी शिकार हलाल है मगर शर्त यह है कि बिस्मिल्लह पढ़ कर फेंके और धार दार हिस्सा शिकार को लगे। बन्दूक़ की गोली और छर्रा का भी हुक्म नोकदार से शिकार करने के हुक्म में है। हाँ, मिट्टी की गोली से शिकार चोट से मरने के हुक्म में है।

2849:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम नेअपना तीर मारा हो और अल्लाह का नाम लिया हो फिर अपने शिकार को अगले दिन पाओ, लेकिन पानी में न पाओ (ऐसा न हो कि डूब कर मारा हो) और किसी और के तीर का भी उस में निशान न हो, तो उस शिकार को खा लो। और जब तुम्हारेकुत्तों के साथ कोई और कुत्ता मिल गया हो तो मत खाओ इसलिये कि न मालूम उस को उस कुत्ते ने मारा हो जो तुम्हारे कुत्तों में से न था।

2850:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारा शिकार पानी में डूब गया हो और फिर मर गया हो तो उसे मत खाओ।

2851:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस कुत्ते या बाज़ को तुम ने सिखाया हो फिर तू उसे छोड़ दे और अल्लाह का नाम ले तो वह जो तेरे लिये रोक रखे उसे खा ले। मैंने कहाः चाहे वह उसे मार ही डाले? आप ने फ़रमायाः जब वह उसे मार डाले मगर उस में से उस ने खाया न हो, तो वह उस ने तेरे ही लिये रोक रखा है।

इमाम अबू दावूद रह॰ कहते हैं कि बाज़ अगर खा भी ले तो कोई हरज नहीं, लेकिन कुत्ता

अगर खाये तो मकरुह है (हराम है) लेकिन अगर खून पी ले तो कोई हरज नहीं।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओफ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है। अल्बत्ता "बाज़" का ज़िक्र सहीह रिवायत के ख़िलाफ़ है।

2852:— अबू सालबा ख़शनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते के शिकार के बारे में फ़रमायाः जब तुम अपना कुत्ता छोड़ो और अल्लाह का नाम लिया हो तो उसे खा लो अगर्चे कुत्ते ने उस से खा भी लिया हो। और हर वह चीज़ खाओ जिस को तुम्हारे हाथ ने तुम पर लौटाया हो (जिसे तुम ने अपने हाथ से शिकार किया हो)

फ़ाइदा:— सहीह वही है जो ऊपर गुज़रा कि अगर कुत्ते ने कुछ खा लिया है तो उस शिकार को खाना जाइज़ नहीं। कुछ उलमा है जो इसे जाइज़ कहते हैं।

2853:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने कहाः ए अल्लाह के रसूल! हम में से एक आदमी शिकार को तीर मारता है फिर वह उस के पीछे दो तीन फ़िरता रहता है तो क्या उसे खा ले? आप ने फ़रमायाः हाँ, अगर चाहे तो। या आप ने यह फ़रमायाः खा ले अगर चाहे तो।

फ़ाइदा:— जब यक़ीन है कि वह शिकार उस के अपने तीर से मरा है तो हलाल है, मगर शर्त यह है कि गोश्त ख़राब न हुआ हो।

2854:— अदी बिन हातिम रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाले से शिकार के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः अगर वह धार की तरफ़ से लगा है तो खा लो। और अगर मोटाई की तरफ़ से लगा हो तो मत खाओ। बिला शुब्हा वह चोट से मरा होगा। मैंने कहाः मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ। आप ने फ़रमायाः जब तुम ने अल्लाह का नाम लिया हो तो खा लो वर्ना मत खाओ। और अगर कुत्ते ने उस में से कुछ खा लिया हो तो भी मत खाओ, वह उस ने अपने लिये पकड़ा है। मैंने कहाः अपना कुत्ता छोड़ता हूँ और फिर शिकार पर एक और भी कुत्ता देखता हूँ? आप ने फ़रमायाः मत खाओ, क्योंकि तुम ने अपने कुत्ते पर अल्लाह का नाम लिया है।

2855:— अबू सालबा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सिधाए हुये कुत्ते के साथ शिकार करता हूँ और ऐसे कुत्ते के साथ भी जो सिधाया हुआ नहीं होता। आप ने फ़रमायाः जो शिकार तुम अपने सिधाये हुये कुत्ते से करो तो अल्लाह का नाम लो और खाओ। और जो बग़ैर सिधाये हुये कुत्ते से करो तो अगर शिकार को ज़ब्ह कर सको तो खा लो।

फ़ाइदा:— बिना सिधाये हुये कुत्ते का मारा हुआ हलाल नहीं, चाहे कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ा गया हो। हाँ, अगर उस को ज़ब्ह करने का मौक़ा मिल गया जो ज़ब्ह के बाद उस का खाना जाइज़ होगा।

2856:— अबू सालबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ से

फ़रमायाः ऐ अबू सालबा! तेरी क़ौस (कमान) और तेरा कुत्ता जो तुझ पर लौटाए वह खा ले। इब्ने हर्ब ने मज़ीदकहा कि कुत्ता सिधाया हुआ हो और तेरा हाथ जो तुझ पर लौटाए (तीर वग़ैरह से शिकार करे) तो उसे ज़ब्ह कर सको या न कर सको, खा लो।

फ़ाइदाः— चूँकि कुत्ता छोड़ते हुये या तीर कमान से फेंकते हुये "बिस्मिल्लाह" पढ़ी जाती है, तो इस प्रकार से मर भी जाये वह हलाल है। ज़िन्दा मिले तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर ज़ब्ह कर ले।

2357:— एक बद्दू जिस का नाम अबू सालबा था उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे यहाँ सिधाये हुये (शिकारी) कुत्ते हैं। आप मुझे उन के साथ शिकार के बोर में फ़रमाइयें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हाँ (दोनों सूरतों में खाना जाइज़ है) उन्होंने कहाः अगर कुत्ता उस में से खा ले तो? आप ने फरमायाः चाहे खा भी ले। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मेरे कमान के (शिकार के) बारे में बताइये? आप ने फ़रमायाः तेरी कमान जो तुझ पर लौटाए उसे खा ले। उन्होंने पूछाः ज़ब्ह कर के या बिना ज़ब्ह किये। कहाः अगर वह शिकार मुझ से ग़ाइब हो जाये? आप ने फ़रमायाः अगर्चे तुम से ग़ाइब ही हो जाये, लेकिन जब तक ख़राब न हो, या तो उस में अपने सिवा किसी और के तीर का निशान न पाये। उन्होंने कहाः मुझे मजूसियों के बर्तनों के बारे में बताइये? कि हम उन के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जायें तो? आप ने फरमायाः उन्हें धो लो और फिर उस में से खाओ।

फ़ाइदाः— इस रिवायत में यह बयान कि "चाहे कुत्ता शिकार से खा भी ले" सहीह नहीं है। इस के बारे में बयान पीछे गुज़र चुका है। शिकार किया हुआ जानवर अगर ज़िन्दा मिल जाये तो ज़ब्ह किया जाये और अगर मर जाये तो हलाल है। मजूसियों के बर्तन के इस्तेमाल के बोर में यह हुक्म है कि उसे धो लिया जाये। यही हुक्म हिन्दुओं का है। यहूदी और अीसाई पाकी का ख़याल रखते हों तो ठीक है। लेकिन अगर शुब्हा हो कि सुअर और शराब से नहीं बचते हैं तो उन के बर्तन भी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोने ज़रुरी हैं।

बाब {ज़िन्दा जानवर से काटा गया माँस हराम है।}

2858:— अबू वाक़िद लैसी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जानवर से जो गोश्त काटा जाये जबकि वह जानवर ज़िन्दा हो तो वह गोश्त मुर्दार (हराम) है।

फ़ाइदाः— अरब में कुछ लोग दुन्बे की चकती काट लेते फिर घाव पर दवा लगा देते इस प्रकार गोश्त पुर हो जाता। इसे शरीअत ने हराम क़रार दिया हैं।

इस हदीस का इस बाब से यूँ संबन्ध है कि अगर शिकारी कुत्ते ने या तीर और गोली वग़ैरह ने जानवर का कोई हिस्सा अलग कर दिया हो, अगर उसी हालत में जान निकल गयी हो तो दोनों टुकड़े हलाल हैं। लेकिन अगर जान नहीं निकली और कोई हिस्सा अलग हो चुका हो और फिर उसे ज़ब्ह किया जा रहा हो तो ज़ब्ह से पहले अलग हो जाने वाला हिस्सा खाने में एहतियात करनी चाहिये, वर्ना निशाना मारते हुये "बिस्मिल्लाह" तो पढ़ी जा चुकी है, उसे भी खाया जा सकता है।

बाब {शिकार के पीछे पड़े रहना कैसा है?}

2859:- इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने जन्गल में रहना पसन्द किया वह सख़्त दिल हो गया, और जो शिकार के पीछे पड़ा वह ग़ाफ़िल हुआ। और जो हाकिम के पास आता-जाता रहता है वह आज़माइश में पड़ा।

2860:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बादशाह की संगत इख़्तियार की वह फ़ितने में पड़ा। और यह भी कहाः जो बन्दा किसी बादशाह से जितना क़रीब होगा अल्लाह पाक से उतना ही दूर हो जायेगा।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

2861:— अबू सालबा ख़ुश्नी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम शिकार को (तीर) मारो और फिर तीन रात के बाद उसे पाओ जबकि तुम्हारा तीर उस में हो तो उसे खा लो, जब तक कि बदबू न देने लगे।

फ़ाइदा:— ज़रुरत के मुताबिक़ शिकार करना कोई ऐब नहीं, मगर शर्त यह है कि उस के चक्कर में रोज़ा-नमाज़ से ग़ाफ़िल न हो जाये। खाने-पीने की चीजों का स्वाद और बू बिगड़ जाये कि खाने से हानि पहुँचे, तो न इस्तेमाल करें। हाँ, अगर नुक़्सान स्पष्ट न हो तो जाइज़ है।

❀ ❀ ❀

(17) वसिय्यत के अहकाम व मसाइल

बाब **{वसिय्यत करने की ताकीद।}**

2862:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी भी मुसलमान को लाइक़ नहीं कि उस के पास कोई चीज़ हो जिस के बारे में वह कोई वसिय्यत करना चाहता हो तो वह दो रातें भी न गुज़ारे, मगर इस हाल में कि उस की वसिय्यत उस के पास लिखी हुयी हो।

फ़ाइदाः— "दो रातें न गुज़ारे" यानी ताख़ीर न करे। सहीह मुस्लिम में तीन रातों का ज़िक्र है। बहरहाल अगर कोई अर्ज़ हो, या अमानत, या और कोई अहकाम मामला, तो चाहिये कि उसे अपने यहाँ रखे ताकि वारिसों को तक़्सीम करने में आसानी हो।

2863:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीनार दिरहम या ऊँट बकरी नहीं छोड़ गये और न किसी चीज़ केबोर में वसिय्यत ही फ़रमायी।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसिय्यत शरीअत के मामले में साबित है जैसे नमाज़ की पाबन्दी के बारे में, गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव के बारे में। लेकिन माल केबारे में आप की कोई वसिय्यत न थी क्योंकि आप ने माल छोड़ा ही नहीं था।

बाब **{माल में कितनी वसिय्यत जाइज़ है?}**

2864:— आमिर बिन सअद अपने वालिद (सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि वह (अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर) मक्का में सख़्त बीमार हो गये यहाँ तक कि मरने के क़रीब हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन की बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास माल बहुत है और एक बेटी के अलावा मेरा कोई

वारिस नहीं, तो क्या मैं अपना दो तिहाई माल सदका कर जाऊँ? आप ने फ़रमायाः नहीं। उन्होंने कहाः आधा माल? आप ने फ़रमायाः नहीं। उन्होंने कहाः एक तिहाई? आप ने फ़रमायाः एक तिहाई (कर सकते हो) और यह भी ज़्यादा ही है। तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ जाना ज़्यादा बेहतर है इस से कि उन्हें फ़क़ीर छोड़ जाओ कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। और तुम जो भी ख़र्च करते हो तो उस पर तुम्हें अज्र व सवाब मिलता है, यहाँ तक कि वह लुक़्मा जो तुम अपनी बीवी के मुँह की तरफ़ उठाते हो (उस पर भी तुम्हें सवाब मिलता है) मैंने कहाः ऐ अल्लाह केर सूल! क्या मैं अपनी हिजरत से पीछे रह जाऊँगा? आप ने फ़रमायाः अगर तुम मेरे बाद पीछे रह भी गये तो अल्लाह की रज़ा के लिये जो भी नेक अमल करोगे, उस से तुम्हारा स्थान और दर्जा बुलन्द होगा । और शायद तुम मेरे बाद ज़िन्दा रहोगे यहाँ तक कि तुम से एक कौम़ फ़ाइदा उठायेगी और दूसरी नुक़्सान। फिर फ़रमायाः ऐ अल्लाह! मेरे सहाबा की हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे और उन्हें उन की एड़ियों पर न लौटा दे (मक्का में उन की मौत न हो) लेकिन हसरत है सअद बिन ख़ौला पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अफ़सोस कर रहे थे कि वह मक्का में वफ़ात कर गये थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि तिहाई माल से ज़्यादा की वसिय्यत जाइज़ नहीं। सअद रज़ि॰ की बशारत के मुताबिक़ चालीस साल तक ज़िंदा रहे, इराक़ उन्हीं के हाथों फ़त्ह हुआ। क़ादिसिय्या में कमान्डर आप ही थे। सअद बिन ख़ौला मुहाजिर सहाबी थे, मक्का से मदीना हिजरत की, फिर हब्शा हिजरत की, बद्र की जन्ग में शरीक हुये, अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर मक्का में देहान्त हुआ।

बाब {वसिय्यत में किसी को नुक़्सान पहुँचाना नाजाइज़ है।}

2865:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा सदक़ा अफ़्ज़ल है? आप ने फ़रमायाः तू सदक़ा करे इस हालत में जबकि तू तन्दुरुस्त हो, माल का हरीस हो, ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो, और फ़क़ीर हो जाने का खटका लगा रहा हो। जोकुछ देने का इरादा हो तो उस में ढील न कर यहाँ तक कि जब जान हलक़ में आ टिके तोकहने लगेः फ़लाँ के लिये इतना हैऔर फ़लाँ के लिये इतना है, हालाँकि वह फ़लाँ का हो चुका है (वरासत की बुनियाद पर)।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि तन्दुरुस्ती के दिनों में और अपनी ज़रुरत को छोड़ कर जो सदक़ा किया जाये वह अफ़्ज़ल है।

2866:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्सान का अपनी ज़िन्दगी में एक दिर्हम सदक़ा करना, मौत के समय सौ (दिर्हम) सदक़ा करने की निस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है।

2867:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक इन्सान मर्द या औरत साठ साल तक अल्लाह की इताअत करते रहते हैं, फिर जब उन की मौत का वक़्त आता है तो वसिय्यत में (वारिसों को) नुक़्सान दे जाते हैं तो उन केलिये आग

वाजिब हो जाती है। (शहर बिन हौशब ने) कहाः अूब हुरैरा रज़ि॰ ने मुझ पर (सूरः निसा की आयत न॰ 12, 13 तिलावत की)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि (इस सनद में) अशअ़स बिन जाबिर, नज़र बिन अ़ली का दादा है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि वसिय्यत में वारिसों को नुक़सान पहुँचाना महापाप और अल्लाह की हद से आगे बढ़ना है और ऐसी वसिय्यत जाइज़ नहीं।

बाब {वसिय्यत का ज़िम्मादार बनना कैसा है?}

2868:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया थाः ऐ अबू ज़र! मैं तुझे कमज़ोर पाता हूँ, और बिला शुब्हा मैं तेरे लिये वही चीज़ पसन्द करता हूँ जो मुझे अपेन लिये पसन्द है। तुम कभी दो आदमियों पर भी अमीर न बनना और न किसी यतीम के माल का वली बनना।

फ़ाइदा:— कहने का अर्थ यह है कि किसी क़ौम का वली, सरबराह बनना और यतीम का वली बनना यह सब ज़िम्मेदारी से भरा काम है। इसलिये जो अपने अन्दर कमज़ोरी पाये वह इन ज़िम्मेदारी के उठाने से दूर रहे और माज़रत कर ले।

बाब {माता–पिता और दूसरे (वारिस) क़राबत दारों के लिये वसिय्यत करना मन्सूख़ है।}

2869:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि सूरः बक़रह की आयत न॰ 180 का हुक्म शुरु में ऐसे ही था, यहाँ तक कि उसे मीरास की आयत ने मन्सूख़ कर दिया।

फ़ाइदा:— इस हदीस की वज़ाहत नीचे की हदीस में आ रही है।

बाब {वारीस केलिये वसिय्यत।}

2879:— अूब उमामा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुना कि बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने हर हक़दार को उस का हक़ दे दिया है इसलिये वारिस के लिये कोई वसिय्यत नहीं।

फ़ाइदा:— ताहम वारिस अपनी तरफ़ से किसी को एक तिहाई तक दें दे तो इस में कोई बुराई नहीं।

बाब {खाने–पीने में यतीम को अपने साथ शरीक रखना कैसा है?}

2871:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जबअल्लाह पाक ने सूरः अन्आम की आयत 162 और सूरः निसा की आयत न॰ 10 नाज़िल कीं, तो जिन लोगों के यहाँ कोई यतीम था उन्होंने उस के खाने–पीने को अपने से अलग कर दिया। इस प्रकार जो खाना उस का बचा रहता तो वह उस के लिये रख छोड़ते यहाँ तक कि वह यतीम ही उसे खाता या ख़राब (और बर्बाद) होजाता। और यह हालत उन के लिये भारी हुयी और उन्होंने इस का ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से

किया तो अल्लाह पाक ने सूरः बक़रह की आयत न॰ 220 नाज़िल फ़रमायी। चुनान्चे उन लोगों ने उन का खाना-पीना अपने खाने-पीने के साथ मिला लिया।

फ़ाइदा:— यतीम की पर्वरिश करते समय उस के माल को अपने माल के साथ मिलाने में कोई हरज नहीं, अगर निय्यत दुरुस्त हो। लेकिन अहम और क़ीमती माल को अलग ही रखा जाये ताकि यतीम को नुक़्सान न हो और कोई शुब्हा न कर सके।

बाब {यतीम का वली उस के माल में से कितना ले सकता है।}

2872:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहाः मैं फ़क़ीर हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे यहाँ एक यतीम भी है, तो आप ने फ़रमायाः तू अपने यतीम के माल से खा सकता है, लेकिन ज़्यादती और फ़ुज़ूल ख़र्ची न हो, और न जल्दी करने वाला हो (कि उस के बड़े होने से पहले-पहले उस के माल को समाप्त कर डाले) और न उस के माल से तू कोई पूँजी बनाने वाला हो।

बाब {यतीमी कब ख़त्म हो जाती है।}

2873:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह बात याद रखी है कि "बालिग़ होने के बाद यतीमी नहीं, और सुब्ह से रात तक ख़ामोश रहना नहीं।"

फ़ाइदा:— यतीम बालिग़ होने के बाद अपने कामों का ज़िम्मेदार हो जाता है और यतीमी के अहकाम उस के ऊपर से उठ जाते हैं। लेकिन अगर बालिग़ होने के बाद भी यह साबित हो जाय कि मामलात में दाना-बीना नहीं है तो वली ही उस का निग्रान होगा। देखें सूरः निसा। "सुब्ह से रात तक ख़ामोश रहना" इस्लाम से पहले लोग चुप रहने का रोज़ा रखते थे, शरीअ़त ने इस से मना कर दिया।

बाब {यतीम का माल हड़प कर जाने की मज़म्मत (आलोचना) का बयान।}

2874:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सात हलाक करने वाले कामों से बचो। पूछा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन से हैं? आप ने फ़रमायाः (1) अल्लाह के साथ शरीक ठहराना (2) जादू करना (3) जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम बनाया है उस को क़त्ल करना, मगर यह कि उस को क़त्ल करना जाइज़ हो (4) सूद खाना (5) यतीम का माल हड़प कर जाना (6) जिहाद के दिन (काफ़िरों का सामना करने से) पीठ फेर कर भागना (7) पाक दामन महिलाओं पर ज़िना का आरोप लगाना।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि (अबू हुरैरा रज़ि॰ के शार्गिद) अबुल ग़ैस का नाम सालिम है जो कि इब्ने मुतीअ का मौला है।

2875:— उबैद बिन उमैर अपने पिता से रिवायत करते हैं जो कि सहाबी थे, उन्होंने कहा कि एक

शख़्स ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! महापाप कौन से हैं? आप ने फ़रमाया: वह नौ है........ फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और यह भी कहा कि मुसलमान माँ-बाप की नाफ़रमानी करना। बैतुल्लाह शरीफ़ का अपमान करना जो जीते जी तुम्हारा क़िब्ला है।

बाब {कफ़न भी मय्यित के माल में से होता है।}

2876:— ख़ब्बाब रज़ि॰ बयान करते हैं कि मुसअ़ब बिन उमैर रज़ि॰ उहुद केदिन शहीद हो गये और उन के पास सिर्फ़ दोधारी चादर थी। हम जब उस चादर से उन का सर ढाँपते तो पाँव नन्गे होजाते, और जब पाँव ढाँपते तो सर नन्गा हो जाता। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उस चादर से उन का सर ढाँप दो और पाँव पर इज़ख़िर घास डाल दो।

फ़ाइदा:— मय्यित के कफ़न का इन्तिज़ाम भी उसके माल से किया जायेगा चाहे उस का कुल माल कफ़न-दफ़न में ख़र्च होजाये। मुसअ़ब बिन उमैर रज़ि॰ की कुल जायदाद ही चादर थी।

बाब {इन्सान कोई चीज़ हिबा करे, फिर उस चीज़ की उसी के लिये वसिय्यत कर दे, या देने वाला ही उस का वारिस बन जाये?}

2877:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी और कहा: मैंने एक लौंडी अपनी माता जी को सदक़ा में दी थी। माता जी देहान्त कर गयी हैं और वह लौंडी वरासत में छोड़ गयी हैं। आप ने फ़रमाया: तुम्हारा सवाब साबित हो गया और वह लौंडी वरासत में तुम्हें वापस मिल गयी। उस ने कहा: माता जी मर गयी हैं और उन पर एक माह के रोज़े हैं, अगर मैं उन की तरफ़ से रोज़े रखूँ तो क्या उन की तरफ़ से क़ज़ा अदा हो जायेगा? आप ने फ़रमाया: जी हाँ। औरत ने कहा: उन्होंने हज्ज नहीं किया था, अगर मैं उन की तरफ़ से हज्ज कैर डालूँ तो क्या उन की तरफ़ से क़ज़ा अ़दा हो जायेगा? आप ने फ़रमाया: हाँ।

फ़ाइदा:— मय्यित के ज़िम्मे अगर रोज़े बाक़ी हों (वह फ़र्ज़ हो या नज़्र के रोज़े) तो वारिस को उन की क़ज़ा करनी चाहिये। इसी प्रकार मय्यित की तरफ़ से हज्ज भी हो सकता है।

बाब {आदमी कोई चीज़ वक़्फ़ कर दे।}

2878:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे पिता (उमर रज़ि॰) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहा: मुझे ज़मीन मिली हैऔर उस जैसा क़ीमती माल मुझे कभी नहीं मिला है, तो उस के बारे में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमाया: अगर चाहो तो उस के अस्ल को अपने पास रखो और उस (की आमदनी) को सदक़ा कर दो। चुनान्चे उमर रज़ि॰ ने उस को सदक़ा कर दिया इस शर्त के साथ कि उस के अस्ल को बेचा नहीं जायेगा, हिबा नहीं किया जायेगा, और न वरासत ही में वह तक़्सीम होगी। और उस की आमदनी फ़क़ीरों, रिश्तेदारों, गर्दन के छोड़ाने, जिहाद और मुसाफ़िरों के लिये ख़र्च होगी (मुसद्दद के उस्ताद) बिश्र ने "मेहमानों के लिये" भी बयान किया है। और उस के निग्राँ पर कोई गुनाह नहीं कि उस आमदनी में से दस्तूर के मुताबिक़ खुद खाये और दोस्त को खिलाये, लेकिन

माल जमा करने वाला न हो (मुसद्दद के उस्ताद) बिश्र ने कहाः मुहम्मद बिन औन के शब्द यह हैं "माल जमा करने वाला न हो"

2879:— यहया बिन सओद ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के सदक़ा (वक़्फ़) के बारे में बयान किया और कहाः मुझे यह तहरीर उन के पड़ पोते अ़ब्दुल हमीद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब ने नक़ल कर के दी (तहरीर का उर्दू तर्जुमा यह है) "बिस्मिल्लाहरमा निरहीम, यह तहरीर अल्लाह के बन्दे उमर ने समग़ वाली जायदाद के बारे में लिखी है और ऊपर नाफ़े की रिवायत की तरह बयान की। उस में यह भी था कि "मुतवल्ली माल जमा करने वाला न हो।" और जो फल ज़ाइद है तो वह सवालियों और नादारों का हक़ है...... और पूरी रिवायत बयान की और कहाः अगर समग़ का मुतवल्ली चाहे तो उस के फल (आमदनी) से काम काज के लिये गुलाम भी ख़रीद सकता है। और (एक दूसरी तहरीर इस को) मुऐक़ीब रज़ि॰ ने नक़ल किया और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़र्क़म ने गवाही दी (इस का तर्जुमा यह है "बिस्मिल्लाह हिर्रहमा निरहीम, यह वसिय्यत नामा है जो अल्लाह के बन्दे उमर की तरफ़ से है कि अगर मेरे साथ कोई घटना पेश आ जाये (और मैं मर जाऊँ) तो समग़ और सिमा बिन अक्वा वाली जायदाद और वह गुलाम जो वहाँ हैं, और ख़ैबर (की ग़नीमत से हासिल होने) वाले सौ हिस्से और उस में जो गुलाम हैं और वह सौ हिस्से जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वादी क़ुर में अपने बाल-बच्चों के ख़र्च के लिये छोड़े हैं उन की निग्राँ (मुतवल्ली) हफ़सा रज़ि॰ होगी जब तक यह ज़िन्दा रहें। इन कैबाद इन के घर वालों में से अ़क़्लमन्द लोग उस के मुतवल्ली होंगे, और शर्त यह है कि उस जायदाद को बेचा नहीं जायेगा, ख़रीदा नहीं जायेगा। मुतवल्ली अपनी समझ के मुताबिक़ सवालियों, नादारों, क़रावतदारों में ख़र्च करेगा। और उस के मुतवल्ली पर कोई हरज नहीं कि ख़ुद खाये और (आने-जाने वाले मेहमानों को) खिलाए या गुलाम ख़रीदे।

बाब {मय्यित की तरफ़ से सदक़ा का बयान।}

2880:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्सान जब मर जाता है तो तीन सूरतों के अ़लावा उस के सब अ़मल कट जाते हैं (और वह तीन यह हैं) (1) जारी रहने वाला सदक़ा (2) वह ज्ञान जिस से नफ़ा उठाया जाता रहे (3) नेक औलाद जो उस के लिये दुआ करता रहे।

बाब {मय्यित की वसिय्यत के बग़ैर ही उस की तरफ़ से सदक़ा करना।}

2881:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माता जी का अचानक देहान्त हो गया है। अगर यह सूरत न होती (और उन्हें मौक़ा मिलता) तो वह ज़रुर कोई सदक़ा कर जाती और कोई माल देती। तो अगर मैं उस की तरफ़ से सदक़ा करुँ तो क्या उस की तरफ़ से काफ़ी होगा? (उस का सवाब मिलेगा?) आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हाँ, तुम उस की तरफ़ से सदक़ा करो।

2882:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स (यानी सअ़द बिन उबादा रज़ि॰) ने

कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ मर गयी हैं, अगर मैं उन की तरफ़ से सदक़ा करुँ तो क्या उन को नफ़ा पहुँचेगा? आप ने फ़रमायाः जी हाँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक खजूर का बाग़ है, आप गवाह रहें कि मैंने उसे अपनी माँ की तरफ़ से सदक़ा कर दिया है।

फ़ाइदाः— **सवाब पहुँचाने की यही चन्द शक्लें हैं जिन से मुर्दा को सवाब पहुँचता है।**

बाब **{काफ़िरों की वसिय्यत पर अ़मल किया जाये या न किया जाये? जबकि वारिस मुसलमान हो गया हो।}**

2883:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि आ़स बिन वाइल ने वसिय्यत की कि उस की तरफ़ से सौ गुलाम आज़ाद किये जायें। चुनान्चे उन के बेटे हिशाम ने उन की तरफ़ से पचास गुलाम को आज़ाद कर दिया, फिर उन के बेटे अ़म्र ने पचास और गुलाम को आज़ाद करना चाहा तो कहा कि पहले चल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम कर लूँ। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बाप ने सौ गुलाम आज़ाद करने की वसिय्यत की थी, तो मेरे भाई हिशाम ने उन की तरफ़ से पचास आज़ाद कर दिये हैं और पचास उन के ज़िम्मा बाक़ी हैं। तो क्या मैं उन की तरफ़ से आज़ाद कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर वह मुसलमान होता और तुम उस की तरफ़ से गुलाम आज़ाद करते, या सदक़ा करते, या उस की तरफ़ से हज्ज करते तो उस को पहुँच जाता।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि वसिय्यत या सवाब पहुँचाने का फ़ाइदा सिर्फ़ मुसलमान को होता है, काफ़िर को नहीं। चुनान्चे काफ़िर की वसिय्यत पर अ़मल करना मुसलमान के लिये ज़रुरी नहीं है।

बाब **{जो शख़्स क़र्ज़ की हालत में फ़ौत हुआ और माल छोड़ गया तो वारिस क़र्ज़ ख़ाहों से मोहलत माँगे और नर्मी चाहे।}**

2884:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे पिताजी (अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰) देहान्त कर गये और उन के ज़िम्मा एक यहूदी का तीन वसक़ क़र्ज़ था।

जाबिर रज़ि॰ ने उस से मोहलत माँगी मगर उस ने इन्कार कर दिया। तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये ताकि यहूदी के पास जा कर सिफ़ारिश फ़रमा दें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और यहूदी से बात की कि उस क़र्ज़ के बदले खजूर का फल ले ले, मगर वह न माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से कहा कि मोहलत दे दो तो भी उस ने इन्कार किया.....और पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदाः— मय्यित का क़र्ज़ा पहली फ़ुर्सत में अदा करना चाहिये, मगर ज़रुरत पड़ने पर मोहलत लेने में कोई हरज नहीं। मालूम हुआ कि इस प्रकार के मामलात में सिफ़ारिश करना बेहतर है। एक वसक़ साठ साअ़ का और एक साअ़ा ढाई किलो का होता है।

(18) वरासत के अहकाम व मसाइल

बाब {मीरास के अ़िल्म की अहमियत।}

2885:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़िल्म तीन चीज़ों का नाम है, और उन के अ़लावा जो है वह इज़ाफ़ी है। (यानी बुनियादी नहीं) मोहकम आयात, साबित शुदा सुन्नतें, माली हुकूक़ जो इन्साफ़ पर आधारित हों।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। आयतें दो तरह की हैं, मोहकम, मुतशाबेह। माली मामलात में बिना किसी हक़ के कुछ लेना-देना जुल्म है और इस से दुनिया में फ़साद फैलाता है, इसलिये मुसलमान को इन बातों की तालीम होनी चाहिये और इन में से एक अ़िल्म मीरास है।

बाब {कलाला का बयान।}

2886:— जाबिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं बीमार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र पैदल चलते हुये मेरी बीमार पुर्सी के लिये आये, उस समय मैं बेहोश था और आप से बात न कर सका। आप ने वुजू किया और बचा हुआ पानी मेरे ऊपर डाला तो मुझे कुछ आराम हुआ। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने माल में कैसे क्या करुँ? जबकि मेरी वारिस (केवल) मेरी बहनें हैं, तब सूरः निसा की आयत न॰ 176 नाज़िल हुयी।

फ़ाइदाः— "कलाला" से मुराद वह मय्यित है जिस के वारिसों में न कोई औलाद हो और न माता-पिता। दूसरे रिश्तेदार हों या न, यह अलग बात है।

बाब {जिस की आलौद न हो और कई बहनें वारिस हों।}

2887:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं बीमार पड़ गया और मेरी सात बहनें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और मेरे चेहरे पर दम किया तो फ़ाइदा हुआ। मैंने पूछाः

ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी बहनों के लिये तिहाई माल की वसिय्यत न कर जाऊँ? आप ने फ़रमायाः एहसान करो। मैंने कहाः आधा माल? आप ने फ़रमायाः एहसान करो। फिर आप चले गये और मुझे छोड़ दिया और फ़रमायाः ऐ जाबिर! मैं नहीं समझता कि तुम इस बीमारी में देहान्त कर जाओगे। अल्लाह पाक ने वहयि नाज़िल की है और तुम्हारी बहनों का हक़ बयान फ़रमा दिया है। उन के लिये दो तिहाई ख़ास किया है। चुनान्चे जाबिर रज़ि॰ कहा करते थे कि सूरः निसा की आयत न॰ 176 मेरे ही बारे में नाज़िल हुयी है।

2888:— बरा बिन आज़िब रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि आख़िरी आयत जो नाज़िल हुयी कलाला के बारे में है (आयत न॰ 176, सूरः निसा)

2889:— बरा बिन आज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आप से कलाला के बारे में फ़तवा चाहते हैं, तो इस कलाला से क्या मुराद है? आप ने फ़रमायाः तुम्हें वह आयत काफ़ी है जो गर्मी के मौसम में नाज़िल हुयी है (रावी अबू बक्र कहते हैं) मैं ने कहाः अबू इस्हाक़ से कहाः (क्या कलाला वह नहीं कि) जो फ़ौत हो जाये और न औलाद छोड़ जाये और न बाप। उन्होंने कहाः उ़लमा ऐसे ही कहते हैं।

फ़ाइदा:— "कलाला" का ज़िक्र दो स्थान पर है (1) सूरः निसा–12 (2) सूरः निसा–176। आयत न॰ 12 सर्दियों में, और आयत न॰ 176 गर्मियों में। सूरः निसा की आयत न॰ 176 में कलाला उसे कहते हैं जिस की औलाद न हो और बाप भी न हो। यह इज़ाफ़ा जाबिर रज़ि॰ की हदीस से माख़ूज़ है कि उन के बारे में जब यह आयत उतरी तो न उन के औला थी और न बाप।

बाब {सुलबी औलाद की वरासत का बयान।}

2890:— हुज़ैल बिन शुरहबील अवदी से रिवायत है कि एक शख़्स अबू मूसा अश्अ़री और सलमान बिन रबीआ़ के पास आया और उन से पूछा कि एक शख़्स मर गया। एक बेटी, एक पोती और एक हक़ीक़ी बहन छोड़ा (इन के दर्मियान मीरास कैसे तक़्सीम हो?) उन दोनों ने कहाः बेटी के लिये आधा है और हक़ीक़ी बहन के लिये भी आधा। पोती को उन्होंने महरुम ठहराया। और कहा) इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ के पास चले जाओ (और उन से भी पूछ लो) वह हमारी तस्दीक़ करेंगे। चुनान्चे वह आदमी उन के पास गया और ऊपर का मस्अला पूछा और उन को अबू मूसा और सलमान का जवाब भी बताया। तो इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः (अगर मैं भी यही जवाब दूँ) तब तो मैं गुमराह हो गया और हिदायत पाये हुये लोगों में से न हुआ। मैं तो वह फ़ैसला देता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दिया था कि उस की बेटी के लिये आधा और पोती के लिये छठा हिस्सा है दो तिहाई की तक्मील के लिये और बाक़ी (एक तिहाई) वह हक़ीक़ी बहन केलिये है।

फ़ाइदा:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ का जवाब सूरः निसा की आयत न॰ 11 में मौजूद है। यानी अगर केवल लड़कियां ही हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें तर्का से दो तिहाई मिलेगा। इसलिये एक

लड़की को आधा देने के बाद पोती को सिर्फ़ छठा हिस्सा मिलेगा। यूँ दोनों मिल कर दो लड़कियों की जगह पूरा कर देंगी।

2891:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले यहाँ तक कि एक अन्सारी महिला के यहाँ पहुँचे जो (मदीना के हरम के सीमा के अन्दर) अस्वाफ़ के स्थान पर रहती थी। यह महिला अपनी दो बेटियों को ले कर आयी और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह साबित बिन क़ैस की बेटियाँ हैं जो आप के साथी थे और उहुद की जंग में शहीद हुये थे। उन के चचा ने उन का सारा माल और सारी वरासत ले ली है और उन के लिये कोई माल नहीं छोड़ा है, बल्कि सब पर क़ब्ज़ा कर लिया है। ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह की क़सम! (इस प्रकार तो) उन का कभी निकाह नहीं होगा जब तक कि इन के पास कुछ माल न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक इस मामले में फ़ैसला फ़रमा देगा। फिर सूरः निसा की आयत न॰ 11 नाज़िल हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः औरत को और उस के देवर को मेरे पास बुलाओ। तो आप ने लड़कियों के चचा से कहाः इन दोनों लड़कियों को दो तिहाई और उन की माँ को आठवाँ हिस्सा दे दो औरबाक़ी तुम्हारा है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इस इआयत में बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने ग़लती की है। यह लड़कियाँ सअ़द बिन रबीअ़ की बेटियाँ थीं। और साबित बिन क़ैस की शहादत यमामा की जन्ग में हुयी है।

फ़ाइदा:— बेटियाँ सअ़द बिन रबीअ़ की थीं जैसा कि आगे की रिवायत में आ रहा है। इस में अस्ल मस्अला 24 से बनेगा कि 16 हिस्से (दो तिहाई) बेटियों के, 3 हिस्से (आठवाँ हिस्सा) बीवी का और बाक़ी 5 हिस्से चचा को मिलेंगे।

2892:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि सअ़द बिन रबीअ़ की बेवा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! सअ़द शहीद हो गये हैं। और दो बेटियाँ छोड़ गये हैं......... और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत ज़्यादा सहीह है।

2893:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ ने एक बहन और एक बेटी को मय्यित का वारिस बनाया और हर एक को आधा-आधा दिया। जबकि मआ़ज़ उन दिनों यमन में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़िन्दा थे।

बाब {दादी और नानी की वरासत का बयान।}

2894:— क़बीसा बिन ज़ुऐब रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक (मय्यित की) "नानी" अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पास आयी, वह अपनी वरासत का हक़ माँग रही थी। अबू बक्र ने कहाः अल्लाह की किताब में तुम्हारा कोई हिस्सा (ज़िक्र) नहीं है और न मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत से कुछ मालूम है। तुम लौट जाओ तब तक मैं लोगों से पूछ लूँ। चुनान्चे उन्होंने सहाबा

से पूछा तो मोग़ीरा बिन शोबा ने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ हाज़िर था तो आप ने उसे (नानी को) छठा हिस्सा दिया। अबू बक्र ने पूछाः क्या इस ख़बर के बारे में तुम्हारे साथ और भी कोई है? यह सुन कर मुहम्मद बिन मसलमा रज़ि॰ उठे और उन्होंने इसी प्रकार कहा जैसे कि मुग़ीरा बिन शोबा ने कहा था। चुनान्चे अबू बक्र रज़ि॰ ने नानी को यह हिस्सा दिया। फिर एक और "दादी" उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के पास आयी, वह भी अपनी वरासत का हक़ तलब कर रही थी। उन्होंने कहाः अल्लाह की किताब में तुम्हारा कोई हक़ (ज़िक्र) नहीं। और जो फ़ैसला इस से पहले हुआ है वह दूसरी (नानी) के लिये था। और मैं वरासत के हक़ में कुछ बढ़ा नहीं सकता, लेकिन वह छठा हिस्सा ही है। अगर तुम दोनों (नानी और दादी) जमा हो जाओ तो यह हिस्सा तुम दोनों के दर्मियान होगा। और जो तुम में से कोई अकेली हो (दादी हो, नानी न हो। या नानी हो, दादी न हो) तो यह छठा हिस्सा पूरे का पूरा लेगी।

फ़ाइदा:— इस रिवायत को बाज़ लोगों ने ज़ओ़फ़ कहा है। लेकिन मस्अला यूँ ही है कि जद्दा का लफ़्ज़ नानी और दादी दोनों के लिये बोला जाता है और उन का हिस्सा छठा ही होता है।

2895:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जद्दा (नानी, दादी) के लिये छठा हिस्सा मुक़र्रर किया था लेकिन जब इस से पहले (वरे) माँ न हो।

फ़ाइदा:—रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन मस्अला यही है कि माँ अगर है तो यह दादी और नानी को वरासत के हक़ से महरुम कर देती है।

बाब {दादा की वरासत का बयान।}

2896:— अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने कहाः मेरा पोता फ़ौत हो गया है, तो मेरे लिये उस की वरासत में से क्या है? आप ने फ़रमायाः तेरे लिये छठा हिस्सा है। जब उस ने पीठ फेरी तो आप ने उसे बुलाया और फ़रमायाः तेरे लिये एक और छठा हिस्सा भी है। जब उस ने पीठ फेरी तो आप ने उसे बुलाया और फ़रमायाः यह दूसरा छठा हिस तोहफ़ा है।

इमाम क़तादा ने कहाः लोग नहीं जान सके के किस चीज़ के साथ उसे वारिस बनाया। क़तादा ने (यहभी) कहाः दादा का कम से कम हिस्सा वरासत में छठा है।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है मगर मस्अला सहीह है। मरने वाले के वारिस दादा और दो बेटियाँ हो तो दादा को छठा हिस्सा, बेटियों को दो तिहाई, और बाक़ी छठा हिस्सा भी दादा को मिलेगा।

2897:— उमर रज़ि॰ ने पूछाः क्या तुम में से कोई जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दादा को क्या वरासत दी थी? यह सुन कर माक़िल बिन यसार ने कहाः मैं जानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे छठा हिस्सा दिया था। उन्होंने पूछाः किस के साथ? कहाः मुझे नहीं मालूम। उमर रज़ि॰ ने कहाः तुम ने नहीं जाना (तुम्हें अधूरी बात बताने का क्या फ़ाइदा?)

बाब {असबा की वरासत का बयान।}

2898:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिन लोगों के हिस्से मुक़र्रर हैं उन के दर्मियान माल को इसी प्रकार तक़सीम करो जैसे में अल्लाह की किताब में है और जो बचा रहे तो वह सब से क़रीब मर्द का हक़ है।

बाब {ज़विल् अरहाम (निकट संबन्धियों) की वरासत का बयान।}

फ़ाइदा:— मय्यित के वह तमाम तअल्लुक़ रखने वाले जो असबा नहीं है उन्हें "ज़वालि अरहाम" कहा जाता है, यानी बेटियों की औलाद, पतियों, बहनों, नाना, नानी और मादरी भाइयों की औलाद वग़ैरह।

2899:— मिक़दाम बिन मादीकर्ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई क़र्ज़ा या बाल-बच्चे छोड़ गया तो मेरे ज़िम्मा है......और कभी यूँ भी फ़रमायाः........"अल्लाह और उन के रसूल के ज़िम्मा है"। और जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उस के वारिसों के लिये है। और जिस का कोई वारिस न हो तो उस का वारिस मैं हूँ, उस की तरफ़ से दियत (हर्जाना) अदा करूँगा और उस का वारिस बनूँगा। और मामूँ उस का वारिस है जिस का कोई और वारिस न हो, वह उस की तरफ़ से दियत अदा करेगा और उस का वारिस भी बनेगा।

2900:— मिक़दाम बिन मादीकर्ब कन्दी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं हर मोमिन के लिये उस की अपनी ज़ात सेभी क़रीब तर हूँ। जो शख़्स क़र्ज़ या छोटी औलाद छोड़ जाये तो वह मेरे ज़िम्मे है। और जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उस के वारिसों का है। मैं उस का वली हूँ जिस का कोई वली न हो। मैं उस के माल का वारिस बनूँगा और उस के क़ैदी छुड़ाऊँगा। और मामूँ उस का वारिस है जिस का और कोई वारिस न हो। वह उस के माल का वारिस होगा और उस का क़ैदी छोड़ायेगा।

इमाम अूब दावूद ने कहा कि "ज़ैअह" के माना "बाल-बच्चे" होते हैं।

2901:— सालेह बिन यहया बिन मिक़दाम अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "मैं उस का वारिस हूँ जिस का कोई वारिस न हो, मैं उस का क़ैदी छुड़ाऊँगा और उस के माल का वारिस बनूँगा। और मामूँ उस का वारिस है जिस का कोई वारिस न हो। वह उस का क़ैदी छुड़ाएगा और उस के माल का वारिस बनेगा।

फ़ाइदा:— मामूँ ज़विल् अरहाम में से है। दूसरे वारिसों के न होने की सूरत में वही वारिस है। इसी प्रकार अगर भान्जे के ज़िम्मा कोई माली हक़ आता है तो वह उस को अदा करने का पाबन्द है। मालमू हुआ कि अगर कोई शख़्स लावारिस है तो इस्लामी स्टेट (बैतुल माल) उस की वारिस होगी। और ऐसे शख़्स पर लाज़िम आने वाले माली हक़ भी हुकूमत अदा करेगी।

2902:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम

मर गया और कुछ माल छोड़ गया, उस की कोई औलाद और रिश्तादार न था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस की वरासत उस की बस्ती वालों में किसी को दे दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सुफ़यान की रिवायत ज़्यादा कामिल है और मुसद्दद ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या यहाँ कोई उस के क्षेत्र का रहने वाला है? सहाबा ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः उस की वरासत उसी को दे दो।

2903:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने पिता से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उस ने कहाः मेरे पास क़बीला इज़्द के एक आदमी की मीरास है और मुझे कोई उस क़बीला का नहीं हमला कि उसे दे दूँ। आप ने फ़रमायाः जाओ एक वर्ष तक तलाश करते रहो। चुनान्चे वह एक वर्ष बाद फिर आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई उस क़बीला का नहीं मिला कि उसके हवाले कर दूँ। आप ने फ़रमायाः जाओ और बनी ख़ुज़ाआ का जो आदमी तुम्हें सब से पहले मिले यह उस के हवाले कर दो। जब उस ने पीठ फेरा तो आप ने फ़रमायाः उस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वह आया तो आप ने फ़रमायाः ख़ुज़ाआ का बड़ा आदमी देखो, यानी जो दादा के पद के क़रीब का हो तो यह मीरास उस के हवाले कर दो।

2904:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि बनी ख़ुज़ाआ का एक आदमी मर गया तो उस का तर्का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप ने फ़रमायाः इस का कोई वारिस या रिश्तेदार तलाश करो, मगर कोई न मिला तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह माल बनी ख़ुज़ाआ के बड़े को दे दो, यानी जो क़बीला के परदादा के क़रीब का हो।

यहया बिन आदम ने कहा कि मैंने शरीक से इस हदीस में एक बार यूँ सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह माल बनी ख़ुज़ाआ के सब से बड़े उम्र वाले को दे दो।

2905:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि शख़्स मर गया, तो उस का कोई वारिस ही न था सिवाए एक गुलाम के जिस को उस ने आज़ाद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या उस का कोई वारिस है? लोगों ने कहाः नहीं, सिवाए एक आज़ाद किये हुये गुलाम के। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की वरासत उसी को दे दी।

बाब **{लिआ़न वाली महिला के बच्चे की वरासत का बयान।}**

2906:— वासला बिन अश्क़ा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः महिला तीन प्रकार की वरासत जमा कर लेती हैं (1) अपने गुलाम (2) उस बच्चे की जो उसे कहीं से गिरा-पड़ा मिल गया हो (3) उस बच्चे की जिस केबारे में उस ने (अपने शौहर से) लिआ़न किया हो।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है। "लक़ीत" (गिरे-पड़े बच्चे) के बारे में इख़्तिलाफ़ है ताहम गुलामऔर लिआ़न वाले बच्चे की वह खुद ही वारिस होती है। लिआ़न के बच्चे से मुराद वह बच्चा

है जिसे महिला ने जन्म दिया लेकिन पति कहता है कि मेरा बेटा नहीं है।

2907:— इमाम मक्हूल रह॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लिआ़न वाली औरत के बच्चे का तर्का उस की माँ के लिये मख़सूस की थीं और इस के बाद उस महिला के वारिसों के लिये होगी।

2908:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

फ़ाइदा:— चूँकि बच्चे का नसब बाप से कट जाने के बाद माँ से जुड़ जाता है इसलिये वही उस की वारिस होगी।

बाब {क्या मुसलमान किसी काफ़िर का वारिस हो सकता है?}

2909:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान किसी काफ़िर का, या काफ़िर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता।

2910:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप कल कहाँ उतरेंगे? आप ने फ़रमायाः क्या अ़क़ील ने हमारे लिये कोई मकान छोड़ा भी है? फिर फ़रमायाः हम ख़ीफ़ बनी कनाना में पड़ाव करेंगे जहाँ कुरैश ने कुफ़्र पर क़समें उठायीं थीं। आप की इस से मुराद मुहस्सब की वादी से थी। और कुरैश के लोगों ने उस जगह बनी हाशिम के ख़िलाफ़ क़समें उठायीं थीं कि उन से रिश्ता-नाता करेंगे, न कुछ लेन-देन करेंगे, और न उन्हें पनाह देंगे।

फ़ाइदा:— अ़क़ील, यह अ़ली और जाफ़र रज़ि॰ से बड़े थे। यह दोनों ईमान ले आये थे और अ़क़ील नहीं लाये थे इसलिये इन सब की जायदाद पर अ़क़ील ने क़ब्ज़ा कर लिया। चूँकि अबू तालिब काफ़िर थे अ़ली व जाफ़र जो मुसलमान थे, उन की जायदाद के तर्का के मालिक नहीं बन सकते थे। तो जब अ़क़ील अकेले मालिक बने तो खूब खाया-उड़ाया, औने-पौने बेचा और कुछ भी न छोड़ा।

2911:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दो मुख़ालिफ़ मिल्लतों (और दीनों) वाले एक दूसरे के वारिस नहीं बनते।

2912:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक यहूदी और एक मुसलमान दो भाई थे। वह दोनों अपना झगड़ा यहया बिन यामर रह॰ के पास लेकर आयेतो उन्होंने मुसलमान भाई को यहूदी का वारिस बनाया और कहा कि मुझ से अबू अस्वद नें बयान किया, उन से एक शख़्स ने बयान किया कि मआ़ज़ रज़ि॰ ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना हैः "इस्लाम बढ़ता है घटता नहीं है", और मुसलमान को वारिस क़रार दिया।

2913:— अबू अस्वद दीली रह॰ से रिवायत है कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ के पास एक यहूदी की मीरास लायी गयी जिस का वारिस मुसलमान था......फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया।

बाब {जो कोई किसी मीरास पर मुसलमान हुआ।}

2914:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो तक़्सीम (इस्लाम से पहले) जाहिलिय्त में हो चुकी सो हो चुकी (वह उसी के मुताबिक़ रहेगी) और जो इस्लाम कुबूल करने तक नहीं हुयी वह अब इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक़ होगी।

फ़ाइदा:— इस्लाम ले आने के बाद जाहिलिय्यत के आ़माल के कोई माना नहीं। ऐसा आदमी जो जाहिलिय्यत के कामों को करता रहे तो या तो उस ने इस्लाम ही कुबूल नहीं किया, या फिर इस्लाम को "दीन" नहीं समझा।

बाब {वला का बयान।}

2915:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने इरादा किया कि एक लौंडी ख़रीद कर आज़ाद कर दें। तो लौंडी के मालिकों ने कहाः आप के हाथ बेच देते हैं लेकिन उस का वला हमारे पास रहेगा (यानी उस के मरने के बाद उस का तर्का हम लेंगे) आ़इशा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जब इस का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः (उन की शर्त) तुम्हारे लिये कोई रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि वला उसी का होता हैजो आज़ाद करे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि शरीअ़त शर्तों का कोई एतबार नहीं होता है। 'वला' गुलाम के मर जाने के बाद उस के तर्का और मीरास का नाम है। और यह चीज़ आज़ाद करने वाले को मिलेगा।

2917 1:— अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रिआ़ब बिन हुज़ैफ़ा ने एक महिला से शादी कर ली और उस से तीन लड़के पैदा हुये और माँ का देहान्त हो गया, तो वह बच्चे अपनी माँ के घर और गुलाम के तर्का के मालिक हुये। अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ उन बच्चों के अ़स्बा थे (यानी वारिस थे) वह उन्हें शाम ले गये और वहीं उन का देहान्त हो गया (वह बच्चे अ़मवास के ताऊन में मरे थे) अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ वापस आये जबकि उस महिला का एक गुलाम भी देहान्त कर गया था और तर्का छोड़ गया था। तो महिला के भाइयों ने अ़म्र बिन आ़स से (अपनी बहन के वला के बारे में) झगड़ा किया और मामला उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के समाने पेश किया तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेटे ने या पिता ने जो भी जमा किया हो वह उस के अ़स्बा का होता है जो भी हों। चुनान्चे उन्होंने (इस फ़ैसले की) एक तहरीर लिखी जिस में अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ैद बिन साबित और एक और आदमी की गवाही नक़ल की। फिर जब अ़ब्दुल मलिक ख़लीफ़ा हुये तो औरत के भाइयों ने यह मुक़दमा हिशाम बिन इस्माईल, या इस्माईल बिन हिशाम के सामने पेश किया। उस ने उन को अ़ब्दुल मालिक के यहां भेज दिया तो उन्होंने कहाः यह वही फ़ैसला है जो मेरा ख़याल है कि मैं पहले देख चुका हूँ। चुनान्चे उस ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ की तहरीर के मुताबिक़ हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया और अब तक हम इसी में हैं।

फ़ाइदा:— गुलामों का वला (तर्का) मय्यित के वारिस असबा को मुन्तकिल होगा जैसे कि दूसरे माल। असबा के होते हुये मामूँ वारिस नहीं बन सकता।

2917/2:— हुमैद ने कहा: इस हदीस के बारे में लोग अम्र बिन शुऐब को मुत्तहम करते हैं। इमाम अबू दावूद ने कहा: अबू बक्र, उमर और उस्मान रज़ि॰ से उस (ऊपर) हदीस के ख़िलाफ़ रिवायत है, लेकिन अली रज़ि॰ से इस के मिस्ल रिवायत है।

बाब {जो शख़्स किसी के हाथ पर मुसलमान हो तो उन के दर्मियान भी वला का तअल्लुक़ समझा जाता है।}

फ़ाइदा:— इस तअल्लुक़ को "वलाउल इस्लाम" से ताबीर किया जाता है। और जब कोई और वारिस न हों तो यह एक दूसरे के वारिस होंगे।

2918:— तमीम दारी रज़ि॰ ने प्रश्न किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब कोई शख़्स किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम कुबूल करता है तो इस बारे में सुन्नत क्या है? आप ने फ़रमाया: ज़िन्दगी और मौत में वही सब से बढ़ कर उस का वली है (उस के साथ नेकी, ईसार और एहसान का मामला करता रहे)

बाब {वला का बेचना कैसा है?}

2919:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला की निस्बत को बेचने, या किसी को हिबा करने (देने) से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— सहीह इब्ने हिब्बान में है कि वला की निस्बत ऐसे है जैसे नसब की निस्बत। उसे बेचा या उपहार नहीं दिया जा सकता।

बाब {बच्चा जो ज़िन्दा पैदा होकर रोए और फिर मर जाये।}

2920:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: (नया पैदा हुआ) बच्चा जब आवाज़ बुलन्द करे तो वारिस होगा।

फ़ाइदा:— माँ के पेट से पैदा होते ही रोये, साँस ले, हर्कत करे, या छींक मारे और साबित हो जाये कि वह ज़िन्दा था तो उसे वरासत का हक़ मिलेगा।

बाब {नसब की मीरास ने मवाख़ात और हल्फ़ की वरासत को मन्सूख़ कर दिया है।}

2921:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि एक आदमी दूसरे का हलीफ़ बन जाता था जबकि उन में कोई नसबी क़राबत न होती थी, फिर हर एक दूसरे का वारिस भी होता था, तो इस हुक्म को सूर: अन्फ़ाल की आयत न॰ 75 ने मन्सूख़ कर दिया। अल्लाह पाक ने फ़रमाया: "रिश्ते-नाते वाले एक-दूसरे से ज़्यादा नज़दीक हैं" (सूर: अन्फ़ाल 75)

फ़ाइदा:— हफ़्स की क़िरात में "अ-क़-दत्" है और बाज़ रिवायतों में "आ-क़-दत" है।

2922:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से "वल्लज़ी-न आ-क़-दत् ऐमानुकुम्" की तफ़सीर में फ़रमाया कि मुहाजिर जब मदीना आये तो अन्सार के वारिस बनते थे, न कि दूसरे रिश्तेदार। ऐसा इसलिये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के दर्मियान भाईचारा करा दिया था। फिर सूरः निसा क़ी आयत 23 ने मन्सूख़ कर दिया, मगर आ़म मदद, ख़ैरख़ाही, और एहसान को बाक़ी रखा। वह एक-दूसरे को वसिय्यत भी कर सकते थे, जबकि वरासत समाप्त कर दी थी।

2923:— दावूद बिन हुसैन बयान करते हैं कि मैं उम्मे सअ़द बिन्त रबीअ़ के यहाँ पढ़ा करता था जबकि वह यतीम थी और अबू बक्र की पर्वरिश में थी, तो मैं ने यूँ क़िरात कीः "वल्लज़ी-न आ़-क़-दत् ऐमानुकुम्" तो उस ने कहाः इस प्रकार न पढ़ो (बल्कि बात यह है कि) यह आयत अबू बक्र और उन के बेटे अ़ब्दुर्रहमान के बारे में नाज़िल हुयी थी, जबकि उन्होंने इस्लाम क़ुबूल करने से इन्कार कर दिया तो अबू बक्र ने क़सम खाई थी कि उसे अपनी वरासत नहीं दूँगा। फिर जब अ़ब्दुर्रहमान ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को हुक्म दिया कि वह उन का हिस्सा दें। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (बिन यहया) ने मज़ीद कहा कि अ़ब्दुर्रहमान ने उस समय तक इस्लाम क़ुबूल नहीं किया जब तक कि उन्हें तल्वार के ज़ोर पर मजबूर नहीं कर दिया गया (जब इस्लाम तल्वार के ज़ोर पर ग़ालिब आ गया और बहुत से लोग इस्लाम लाने पर मजबूर हो गये)

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि "अ़-क़-दत" का अर्थ क़सम खाने के माना में होगा (अबू बक्र ने क़सम खाई थी हिक अपने ग़ैर मुस्लिम बेटे को वरासत नहीं देंगे) और जो "आ़-क़-दत" पढ़ते हैं उन के नज़दीक वादा, अ़हद पैमान अर्थ होगा। और पहले की हदीस तल्हा बिन मुस्रिफ़ वाली ज़्यादा सहीह है।

2924:— इब्ने अ़बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने सूरः अन्फ़ाल की आयत 72 की तफ़सीर में फ़रमाया कि दीहाती (मुसलमान जिस ने हिजरत न की होती) मुहाजिर का वारिस न बनता था। फिर इस हुक्म को आयत न॰ 75 ने मन्सूख़ कर दिया।

बाब {हिल्फ़ का बयान।}

2925:— जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम में कोई (नया) हिल्फ़ नहीं है और इस्लाम से पहले (जाहिलिय्यत के ज़माना में) जो मुआ़हिदे हो चुके उन को इस्लाम ने और मज़बूत किया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि इस्लाम से पहले तो मुआ़हिदा हुआ था, इस्लाम उन्हें भलाई और नेकी की बुनियाद पर मज़बूत बनाता है।

2926:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारे अहाते में बैठ कर मुहाजिर और अन्सार के दर्मियान भाईचारा कराया था। उन से कहा गयाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह नहीं फ़रमाया था कि "इस्लाम में कोई हिल्फ़

नहीं" उन्हें जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारे अहाते में बैठ कर मुहाजिर और अन्सार के दर्मियान हिल्फ़ क़ाइम किया था। उन्होंने अपनी यह बात दो या तीन बार दोहराई।

फ़ाइदा:– "इस्लाम में कोई हिल्फ़ नहीं" इस का अर्थ यह है कि कुफ़्र की हालत में मुश्रिक लोग जो तअ़स्सुब की बुनियाद पर यकतरफ़ा मुआ़हिदा करते थे, इस्लाम इस की इजाज़त नहीं देता।

बाब {महिला अपने पति की दियत में से हिस्सा पायेगी।}

2927:– सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह० से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहा करते थे कि दियत कुंबे वालों का हक़ है (जो बाप की तरफ़ से क़रीबी होते हैं) और महिला अपने पति की दियत में से कुछ न पायेगी यहाँ तक कि ज़हहाक बिन सुफ़यान ने उन से कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे लिखा था कि मैं अश्यम ज़बाबी की पत्नी को उसके पति की दियत से हिस्सा दिलाऊँ, चुनान्चे उमर रज़ि० ने अपनी राय वापस ले ली।

फ़ाइदा:– मक़्तूल के सिलसिले में मिलने वाली दियत उस की मिलकियत शुमार होकर वारिसों में तक़्सीम होगी, जिस में से बीवी भी एक वारिस है।

❀ ❀ ❀

(19) महसूलात, आराज़ी, ग़नीमत और इमारत के बारे में अहकाम व मसाइल

बाब {जनता और प्रजा के अधिकार जो हाकिम वा वाजिब हैं।}

2928:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः होशियार! तुम में से हर शख़्स निग्राँ और ज़िम्मेदार है और हर शख़्स से उ़स की प्रजा (जो कोई और जो कुछ उस की ज़िम्मेदारी में है) के बारे में पूछा जायेगा। पस अमीर, जो लोगों का निग्राँ है, उस से उस की प्रजा के बारे में पूछा जायेगा। शौहर अपने घर वालों का निग्राँ है, उस से उस के घर वालों के बारे में पूछा जायेगा। गुलाम, अपने मालिक के माल का निग्राँ है, उस से अपने मालिक के माल के बारे में पूछा जायेगा। मतलब यह कि तुम सब के सब (किसी न किसी हैसियत से) निग्राँ और हाकिम हो और तुम सब से तुम्हारी जनता और प्रजा के बारे में सवाल किया जायेगा।

फ़ाइदा:— हर शख़्स के अधीन कुछ न कुछ लोग होते हैं, लिहाज़ा उन की निग्रानी, देखभाल और रख-रखाव उस के ज़िम्मा है। निग्रानी और देखभाल में उन के खाने-पीने, शिक्षा-प्रशिक्षण, दवा-दारु, तालीम व तर्बियत आदि सब शामिल है।

बाब {हुकूमत तलब करेन का मस्अला।}

2929:— अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा! हुकूमत का सवाल न करना, क्योंकि अगर यह तुम्हें माँगने पर दी गयी तो तुम इस सिलसिले में अपने आप के सिपुर्द कर दिये जाओगे (यानी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मदद न होगी) लेकिन अगर बिना माँगे के गयी तो इस में तुम्हारी मदद की जायेगी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि हुकूमत का माँगना और तलब करना अल्लाह की रहमत से महरुमी

का सबब बनता है। लेकिन अगर मुल्क के हालात ख़राब हों और एक शख़्स के अन्दर सलाहियत है कि वह मुल्क को सुधार सकता है तो उसे आना चाहिये। ऐसे शख़्स की अल्लाह पाक सहायता करेगा।

2930:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं दो आदमियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उन में से एक ने (बात करने के लिये) तशह्हुद के कलिमे पढ़े और फिर कहाः हम आप की ख़िदमत में हाज़िर हुये हैं कि आप हम से अपने काम में कोई मदद लें (यानी हाकिम और गवर्नर बना दें) और दूसरे ने भी अपने साथी की सी बात की। आप ने फ़रमायाः जो शख़्स यह ज़िम्मेदारी तलब करता है वह हमारे नज़दीक सब से ज़्यादा ग़द्दार है। चुनान्चे अबू मूसा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से माफ़ी माँग ली और कहाः मुझे मालूम नहीं था कि यह किस मक़्सद से आये हैं। और फिर आप ने अपनी वफ़ात तक उन से किसी काम में मदद नहीं ली।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है।

बाब {नाबीना को हाकिम बनाना जाइज़ है।}

2931:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि॰ को दो बार मदीने का वाली बनाया था।

फ़ाइदा:— अन्धा आदमी अगर सलाहियत रखता है तो उसे शासन सौंपने में कोई हरज नहीं।

बाब {वज़ीर बनाना जाइज़ है।}

2932:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक जब किसी हाकिम के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कोई ईमानदार वज़ीर दे देता है। जो भूल जाने पर उसे याद दिलाता है, और याद होने पर उस की सहायता करता है। और अल्लाह जब उस के साथ कोई इरादा करता है तो उस के लिये बुरा वज़ीर बना देता है जो भूल जाने पर उसे याद नहीं दिलाता और याद आने पर उस की सहायता नहीं करता।

बाब {क़ौम की नुमाइन्दगी (प्रतिनिधि)}

2933:— मिक़्दाम बिन मादीकरब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे कन्धे पर हाथ मारा, फिर फ़रमायाः ऐ क़ुदैम! तू कामियाब हुआ अगर इस हाल में फ़ौत हुआ कि न अमीर बना, न उस का सिक्रेट्री, और न अपनी क़ौम का सरदार।

फ़ाइदा:— 'अ़रीफ़' गाँव का चौधरी, सर्पन्च, मालिक, उडेरा, प्रमुख मुखिया को कहते हैं।

2934:— ग़ालिब क़त्तान एक शख़्स से रिवायत करते हैं, वह अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हमारे लोग एक चश्मे पर ठहरे हुये थे। जब उन को इस्लाम की दावत पहुँची तो चश्मे के पानी के मालिक ने कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम ले आओ तो मैं तुम्हें एक

सौ ऊँट दूँगा। चुनान्चे उन्होंने इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो उस ने उन के दर्मियान ऊँट तक़्सीम कर दिये। फिर उसे ख़याल आया कि यह ऊँट उन से वापस ले ले, तो उस ने अपने बेटे को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा और उस से कहा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाये और उन से कहे कि बाप ने आप को सलाम कहा है, फिर बताना कि उस ने अपनी क़ौम से कहा था कि अगर वह मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें सौ ऊँट देगा। चुनान्चे वह मुसलमान हो गये तो उस ने वह ऊँट उन में बाँट दिये और अब उसे ख़याल आया है कि यह ऊँट उन से वापस ले ले। तो क्या मेरे पिता जी उन ऊँटों का हक़ रखते हैं या वह लोग? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हाँ कहें, या नहीं कहें तो उन से कहना कि मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं और वह अपनी क़ौम के पानी के निग्राँ और मालिक हैं, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के बाद यह पद और ओहदा मेरे लिये मुक़र्रर फ़रमा दें। चुनान्चे उस का बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचा और कहा कि मेरे पिता जी आप को सलाम कहते हैं। आप ने फ़रमायाः "व-अ़लै-क व-अ़ला अबी-कस्सालामु (तुम और तुम्हारे पिता पर सलाम हो) फिर उन्होंने कहाः मेरे पिता जी ने अपनी क़ौम के लोगों से कहा था कि अगर वह लोग ईमान ले आयें तो उन्हें सौ ऊँट दूँगा। चुनान्चे वह लोग इस्लाम ले आये और अच्छे मुसलमान साबित हुये (जिस पर उन्हें ऊँट दिये गये थे) फिर मेरे पिता जी को ख़याल आया कि अपना ऊँट उन से वापिस ले लूँ। तो क्या मेरे पिता जी ज़्यादा हक़दार हैं ऊँट के या वह लोग? आप ने फ़रमायाः अगर वह उन्हीं को देना चाहते हें तो ठीक है, और अगर वापस लेना चाहते हैं तो वह उन ऊँटों का उन के मुक़ाबले में ज़्यादा हक़दार है। वह अगर इस्लाम लाये हैं तो उन के इस्लाम लाने का फ़ाइदा उन्हीं को है। और अगर इस्लाम क़ुबूल नहीं करेंगे तो उन से इस्लाम के लिये लड़ाई लड़ी जायेगी। लड़के ने फिर कहाः मेरे पिता बहुत बूढ़े हो गये हैं और वह पानी के मालिक हैं (अपनी क़ौम के सरदार हैं) उन की गुज़ारिश है कि यह पद उन के बाद आप मुझे दिला दें। आप ने फ़रमायाः क़ौम का सरदार बनना हक़ है और लोगों को सरदारों से कोई चारा नहीं, लेकिन सरदार लोग जहन्नम में जाने वाले हैं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। दूसरी रिवायतों से साबित है कि उपहार या हदिया देकर वापस लेना जाइज़ नहीं। अल्बत्ता बाप को अपनी औलाद से उपहार वापस ले लेने का हक़ हासिल है। लेकिन औलाद कोअपने माता-पिता से वापस लेने का हक़ हासिल नहीं।

बाब {कातिब (Secrotry) रखने का बयान।}

2935:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि सिजिल्ल नाम का एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का कातिब (मुन्शी) था।

बाब {सदक़ा (ज़कात) वसूल करने वाले का सवाब।}

2936:— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः हक़ के साथ सदक़ा जमा करने वाला ऐसा है जैसे कि

अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, यहाँ तक कि वह घर लौट आये।

फ़ाइदा:— जहाँ ज़कात का अदा करना फ़ज़ीलत का काम है, वहीं मुसलमानों से इकट्ठा कर के बैतुल माल में जमा करना भी फ़ज़ीलत का काम है। बड़े-बड़े सहाबा और नेक लोग यह काम करते थे।

2937:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चुन्गी और भत्ता लेने वाला जन्नत में नहीं जायेगा।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। मगर इस में शक नहीं कि हुकूमत के बनाए हुये नियम के बिना किसी प्रकार का भत्ता लेना हराम, जुल्म और महापाप है।

2938:— इब्ने इस्हाक़ ने "साहिबे मक्स" की व्ज़ाहत में कहा कि इस से मुराद वह शख़्स है जो (उस की राह में आने-जाने वाले ताजिरों और दूसरे लोगों से उन के माल का) दस्वाँ हिस्सा लेता है।

फ़ाइदा:— यह भत्ता चाहे कम हो या ज़्यादा, हर हाल में हराम और नाजाइज़ है।

बाब {ख़लीफ़ा अपने जानिशीन का नाम दे।}

2939:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने (जब वह घायल किये गये तो उन्हें अपना जानिशीन बनाने के बारे में कहा गया, तो उन्होंने कहाः अगर मैं अपना जानिशीन न बनाऊँ तो (सहीह है) क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जानिशीन नहीं बनाया था। और अगर बनाया जाऊँ तो भी (दुरुस्त है) क्योंकि अबू बक्र रज़ि॰ जानिशीन बनाए गये थे। इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं: अल्लाह की क़सम! उन्होंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र ही का नाम लिया और मुझे यक़ीन हो गया कि वह अल्लाह के रसूल के बराबर किसी को नहीं समझेंगे और वह किसी को ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने वाले नहीं।

फ़ाइदा:— उमर रज़ि॰ ने छः सहबा उस्मान, अ़ली, तल्हा, जुबैर, अ़ब्दुरहम बिन औ़फ़, सअ़द रज़ि॰ में से किसी एक को ख़लीफ़ा बनाने के लिये नामज़द किया था। फिर लोगों ने उन में से उस्मान रज़ि॰ को ख़लीफ़ा चुना।

बाब {बैअ़त के अहकाम व मसाइल का बयान।}

2940:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इताअ़त और आज्ञा पर बैअ़त करते थे (कि आप के अहकाम सुनेंगे और खुशी-खुशी अ़मल करेंगे) और आप हमें फ़रमातेः "उन में जिन में तुम ताक़त रखो।"

फ़ाइदा:— इस बैअ़त से दो फ़ाइदे थे (1) इस बात की अ़लामत थी कि लोगों ने तजवीज़ होने वाले नाम को क़ुबूल कर लिया है (2) यह कि तमाम मुसलमान उस का सहयोग करेंगे।

2941:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ ने नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के औरतों से बैअ़त लेने के बारे में कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औ़रत का हाथ नहीं छुवा, अल्बत्ता वादा लिया करते थे। और जब वादा करती तो आप उस से फ़रमातेः जाओ, मैंने तुम से बैअ़त ले ली।

फ़ाइदा:— जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हाथ नहीं मिलाते थे तो दूसरों को तो और अधिक प्रहेज़ और एहतियात करना चाहिये। ऐसे ही महिलाओं पर वाजिब है कि वह नामहरम और अजनबी से मुसाफ़ा और हाथ मिलाने से बचें।

2942:— अ़ब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ि॰ के बारे में आता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सोहबत और संगत में रहे हैं। उन की माता जी ज़ैनब बिन्त हुमैद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ले गयीं और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस से बैअ़त फ़रमा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह छोटा है, फिर आप ने उस के सर पर हाथ फेरा।

बाब {हुकूमत की तरफ़ से काम करने वालों की तन्ख़ाह का बयान।}

2943:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे हम किसी काम पर रखें और उसे उस काम पर तन्ख़ाह भी दें, तो जो वह उस से अधिक लेगा वह ख़ियानत होगी।

फ़ाइदा:— चाहे चोरी-छुपे वसूल करें, या पद का गलत इस्तेमाल कर के चुन्गी-भत्ता, या उपहार और हदिया के नाम पर वसूल करें, सब नाजाइज़ है।

2944:— इब्ने साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने मुझे ज़कात की वसूली करने के लिये तहसीलदार बनाया। जब में वसूली कर के आया तो आप ने मेरे लिये उजरत देने का हुक्म दिया। मैंने कहाः यह काम मैंने अल्लाह की रज़ा के लिये किया है। आप नेफ़रमायाः जो मिल रहा है उसे ले लो, मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में काम लिया था तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे उस काम के बदले में (उजरत) दिया था।

2945:— मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः जो हमारा तहसीलदार हो वह बीवी हासिल कर ले, अगर उस के पास नौकर न हो तो नौकर ले ले, अगर उस के पास रहने के लिये घर न हो तो वह घर हासिल कर ले। मुस्तौरिद ने कहा कि अबू बक्र रज़ि॰ ने कहाः मुझे बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई इस के अ़लावा ले तो वह ख़ियानत करने वाला है या चोर है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि निकाह करना, नौकर देना, और घर-दर का इन्तिज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने मुलाज़िमों को जीने के लिये जो बुनियादी ज़रुरतें हैं उन्हें मुहय्या कराये। आज कल मुलाज़िमों को कम से कम उजरत दी जाती है, यह बहुत बड़ा अत्याचार है।

बाब {तहसीलदारों का लोगों से हदिया वसूल करना।}

2946:— अबू हुमैद साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अज़्द क़बीला के एक शख़्स को सदक़ा वसूल करने के लिये मुहस्सिल बनाया जिस का नाम इब्ने लतुबिय्या था.....इब्ने सरह ने उस का नाम इब्ने उतबिय्या कहा है......जब वह वापस आया तो उस ने कहाः यह आप का है और मुझे हदिया दिया गया है। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुये, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फ़रमायाः वसूली करने वालों को क्या हुआ है कि हम उसे भेजते हैं तो वह आ कर कहता हैः यह आप का है और वह मुझे हदिया दिया गया है। वह अपनी माँ या बाप के घर में क्यों न बैठा रहा, फिर देखता कि उसे हदिया मिलता है या नहीं? तुम में से जो कोई भी इस प्रकार की चीज़ लेगा वह उसे क़ियामत के दिन लेकर हाज़िर होगा। अगर वह ऊँट हुआ तो बलबलाता हुआ आयेगा, अगर गाय हुयी तो डकारती हुयी आयेगी, या बकरी हुयी तो मिमयाती हुयी आयेगी। फिर आप ने अपने दोनों हाथ बुलन्द फ़रमाये यहाँ तक कि हम ने आप के बग़लों की सफ़ेदी देखी। आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! मैंने बिला शुब्हा पहुँचा दिया, ऐ अल्लाह! मैंने बिला पहुँचा दिया।

फ़ाइदाः— हुकूमत का पद पाने के बाद जितना वसूल करने का हक़ है उस से ज़्यादा लेना, या लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा दें और उसे हदिया (उपहार) कह कर दें, तो वह बैतुल माल का हक़ है और क़ौम की अमानत है। उसे अपने प्रयोग में लाना नाजाइज़ है।

बाब {सदक़ा की वसूली में ख़ियानत करना।}

2947:— अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे लगान की वसूली के लिये भेजा और फ़रमायाः ऐ अबू मस्ऊद! जाओ और ख़्याल रखना, ऐसा न हो कि क़ियामत के दिन मैं तुम्हें पाऊँ कि तुम आओ और तुम्हारी पीठ पर ज़कात का कोई ऊँट बलबलाता हुआ आये जिसे तुम ने ख़ियानत से लिया हो। कहते हैं कि (मैंने कहाः अगर मामला इतना सख़्त है) तब मैं नहीं जाता। आप ने फ़रमायाः ठीक है मैं तुम्हें जाने पर मजबूर भी नहीं करता।

बाब **{प्रजा से संबन्धित हाकिम के फ़राइज़ (कर्तव्य) का बयान। और यह कि वह प्रजा और जनता से मिलने से न कतराए।}**

2948:— अबू म्रयम अज़्दी बयान करते हैं कि मैं मुआ़विया रज़ि॰ से मिलने गया (जब कि वह शाम में गवर्नर थे) तो उन्होंने कहाः ऐ अबू फ़लाँ! क्या खूब आये हो (यानी तुम्हारे आने से हमें खुशी हुयी है) और यह जुम्ला "मा अन्-अ़म्ना बि-क" अ़रब लोग स्वागत के मौक़े पर बोला करते हैं। मैंने कहाः एक हदीस है जो मैं आप को बताने आया हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "अल्लाह पाक ने जिस किसी को मुसलमानों के किसी मामले का हाकिम और ज़िम्मेदार बना दिया हो, फिर वह उन की ज़रुरत, मुहताजी और फ़क़ीरी में उन से मिलने से कतराए तो अल्लाह पाक भी उस से कतराएगा जबकि वह ज़रुरत मन्द होगा, मुहताज

होगा और फ़क़ीर होगा। चुनान्चे उन्होंने एक आदमी मुक़र्रर कर दिया जो लोगों की ज़रुरतें उन तक पहुँचाता था।

2949:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं तुम्हें जो चीज़ भी देता हूँ या नहीं देता, तो उस की वजह यह है कि मैं एक ख़ज़ान्ची की तरह हूँ,चीज़ों को वहीं रखता हूँ जहाँ मुझे रखने का हुक्म दिया गया है।

2950:— मालिक बिन औस बिन हदसान रज़ि॰ ने बयान किया कि एक दिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने फ़ै के माल का ज़िक्र किया और कहाः इस माल का मैं तुम से ज़्यादा हक़दार नहीं हूँऔर न हम में से कोई एक किसी दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखता है, सिवाए इस के लिये हम अल्लाह की किताब की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तक़सीम के मुताबिक़ अपने-अपने मर्तबा पर हैं, या तो कोई इस्लाम क़ुबूल करने में आगे बढ़ चुका है, या कोई इस्लाम के लिये अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने वाला है, या कोई बाल-बच्चों वाला है, या कोई ज़रुरत मन्द है (इसलिये उन ही को सामने रख कर यह माल तक़सीम किया जाता है)

2951:— ज़ैद बिन अस्लम रह॰ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ मुआ़विया रज़ि॰ के पास गये तो उन्होंने पूछाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! किस काम से पधारे हैं? उन्होंने कहाः आप आज़ाद किये हुये गुलाम (और लौंडियों) का हिस्सा अदा करें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप के पास जब भी कोई माल आता तो उस में से आज़ाद हुये गुलामों और (लौंडियो) को पहले दिया करते थे।

2952:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक थैली आयी उस में नगीने थे। आप ने उन्हें आज़ाद महिलाओं और लौंडियों के दर्मियान तक़सीम कर दिया। आ़इशा रज़ि॰ ने कहा कि मेरे पिता जी भी आज़ाद और गुलाम सब में तक़सीम किया करते थे।

2953:— औ़फ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जब फ़ैका माल आता तो उसी दिन ही तक़सीम फ़रमा देतेथे। आप पत्नी वाले को दो हिस्से और अविवाहित को एक हिस्सा देते थे।

इब्ने मुसफ़्फ़र की रिवायत में इतने शब्द और भी हैं कि "हमें भी बुलाया गया। और मुझे (यानी औ़फ़ बिन मालिक को) अ़म्मार से पहले बुलाया जाता था। मुझे बुलाया और दो हिस्से दिये, क्योंकि मेरे पास बीवी थी। फिर मेरे बाद अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ को बुलाया गया और उन्हें एक हिस्सा दिया गया।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा की ज़ाती ज़रुरतों और परेशानियों का ख़याल रखा जाता था। जिस की ज़िम्मेदारी अधिक होती उस का हिस्सा भी अधिक होता।

बाब {मुसलमानों की औलादों के हिस्से का बयान।}

2954:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: " मैं मोमिनों के लिये उन की जानों से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ (कि मेरे पद पहचानें, और आज्ञा पालन करें) चुनान्चे जो कोई माल छोड़ जाये तो वह उस के घर वालों का हक़ है, और जो कोई क़र्ज़ा छोड़ जाये, या छोटे बच्चे छोड़ जाये, तो वह मेरी तरफ़ से हैं और मेरे ज़िम्मे (निग्रानी में) हैं।

2955:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो माल छोड़ जाये तो वह उस के वारिसों का है, और जो बाल-बच्चे छोड़ जोय तो वह हमारी निग्रानी में हैं (हम उन की पर्वरिश करेंगे)

2956:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं हर मोमिन के लिये उन की जान से भी अधिक क़रीब हूँ। जो शख़्स मर जाये और उस पर क़र्ज़ा हो तो वह मेरे ज़िम्मा है, और जो माल छोड़ जाये तो वह उस के वारिसों का हक़ है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि शासन प्रशासन, हाकिम और राजा-महाराजा की ज़िम्मेदारी है कि प्रजा में ग़रीब और यतीम वर्ग के बाल-बच्चों की देखभाल करें और उन की शिक्षा और प्रशिक्षण करें।

बाब {जिहाद में कब किसी को बक़ायदा जन्ग का मौक़ा दिया जाये?}

2957:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि मुझ को उहुद की लड़ाई के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया जबकि मेरी आयु चौदह वर्ष थी, चुनान्चे आप ने (जन्ग करने की) इजाज़त न दी। और फिर (अगले साल) ख़न्दक़ की लड़ाई के मौक़ा पर पेश किया गया जब 15 वर्ष का था तो आप ने इजाज़त दे दी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि लड़का 15 वर्ष की आयु में बालिग़ होता है और उस पर शरीअ़त के नियम लागू होते हैं, और लड़ाई में शिर्कत की इजाज़त होती है।

बाब {आख़िरी ज़माना में बादशाहों से कुछ लेना मक्रुह है।}

2958:— सलीम बिन मुतैर ने कहा कि मुझ से मेरे पिता मुतैर ने बयान किया कि वह हज्ज केलिये रवाना हुआ, जब सुवैदा के स्थान पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक आदमी गोया किसी दवा की तलाश में है, या रसौत ढूँड रहा है। उस ने कहा: मुझ से उस शख़्स ने बयान किया जिस ने अन्तिम हज्ज में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे, कुछ बातों का हुक्म दे रहे थे। और कुछ से मना कर रहे थे। आप ने फ़रमाया: लोगों! (बादशाहों के) उपहार और हदिया जब तक उपहार हों कुबूल कर सकते हो, लेकिन जब क़ुरैशी लोग हुकूमत के लिये लड़ने लगें और यह हदिया तुम्हारे दीन का बदला बन जायें जो छोड़ देना।

इमाम अबू दावूद रह॰ फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इब्ने मुबारक ने मुहम्मद बिन यसार के वास्ता से सलीम बिन मुतैर से रिवायत किया है।

2959:— सुलैम बिन मुतैर ने अपने पिता से रिवायत किया और यह कुरा की वादी का रहने वाला था। उस के पिता ने कहाः मैंने एक साहब से सुना वह कहते थे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर सुना, आपने लोगों को कुछ कामों के करने का हुक्म दिया और कुछ से मना फ़रमाया। फिर फ़रमायाः ऐ अल्लाह! मैंने पहुँचा दिया। लोगों ने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह! (हम गवाह हैं) फिर आप ने फ़रमायाः जब कुरैश के लोग आपस में हुकूमत के लिये झगड़ने लगें और उपहार रिश्वत बन जायें तो फिर उन्हें छोड़ देना। पूछा गया कि यह बयान करने वाला कौन है? लोगों ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी जू ज़वाइद हैं।

बाब {ग़नीमत और फ़ै लेने वालों के नाम लिखना (रिकार्ड रखना)}

2960:— अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक अन्सारी से रिवायत है कि अन्सार के लोगों का एक लश्कर अपने अमीर के साथ ईरान के क्षेत्र में गया। और उमर रज़ि॰ हर साल लश्करों को बारी-बारी भेजा करते थे, तो उमर रज़ि॰ (और दूरे कामों में मश्गूल हो जाने के नाते) भूल गये। फिर जब समय बीत गया तो उस तरफ़ की सरहदों वाले वापस चले आये तो उमर रज़ि॰ ने उन्हें डाँटा और धमकी भी दी, हालाँकि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा थे। उन्होंने कहाः ऐ उमर! तुम इस से ग़ाफ़िल रहे हो और हमारे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था वह तुम ने छोड़ दिया है कि मुजाहिद लोग एक-दूसरे के बाद बारी-बारी भेजे जायेंगे।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में संख्या इतनी अधिक नहीं थी इसलिये इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उमर फ़ारुक़ रज़ि॰ के जमाना में सूची बनी हुयी थी उस में सब के नाम दर्ज थे जिन्हें ग़नीमत में हिस्सा मिला करता था। आप के पास लिखित रुप से सूची थी इसलिये बारी-बारी भेजते थे। और इसी सूची की तय्यारी में लेट हो गये थे जिस का ज़िक्र हदीस में है।

2961:— अ़दी बिन अ़दी कन्दी के सहाबज़ादे (पुत्र) का बयान है कि उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ ने लिखाः "जो शख़्स यह पूछे कि फ़ै का माल कहाँ-कहाँ ख़र्च होता है तो इस का जवाब यह है कि इन का इस्तेमाल वहीं है जिस का उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने फ़ैसला किया था और ईमान वालों ने भी उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़र्मान की रोशनी में इन्साफ़ पर पाया था। आप ने उमर रज़ि॰ के बारे में फ़रमाया थाः "अल्लाह पाक ने हक़ को उमर की ज़बान और दिल पर रख दिया है" उमर रज़ि॰ ने फ़ै के माल को मुसलमानों के लिये ख़ास किया हुआ था और दूसरे मज़हब वालों के लिये अमन व शान्ति का वादा दिया था उसे टेक्स के बदले जो उन से लिया जाता था और उन का पाचवाँ या गनीमत में कोई हिस्सा न था।

फ़ाइदाः— चूँकि ग़ैर मुस्लिम का जिहाद में कोई हिस्सा नहीं था इसलिये उन को हिस्सा भी नहीं

मिलता था।

2962:— अूब ज़र गिफ़ारी रह॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने उमर की ज़बान पर हक़ जारी फ़रमा दिया है और वह हक़ ही कहते हैं।

फ़ाइदा:— उमर रज़ि॰ के बारे में इतनी प्रशंसा के बावजूद वह ख़ता से पाक नहीं है। जहाँ कहीं भी उन का हुक्म कुरआन व हदीस के ख़िलाफ़ हुआ सहाबा ने उन से इख़्तिलाफ़ किया।

बाब {वह ख़ास माल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने लिये ख़ास कर लिया करते थे।}

2963:— मालिक बिन औस बिन हदसान रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने मुझे बुलवा भेजा जबकि दिन चढ़ आया था। मैं उन के पास आया तो देखा कि नन्गी चारपाई पर बैठे हुये हैं (चारपाई पर कोई बिछौना नहीं है) जैसे ही मैं दाख़िल हुआ उन्होंने कहाः ऐ मालिक! तुम्हारी क़ौम के कुछ लोग अपने बाल-बच्चों समेत आहिस्ता-आहिस्ता चल कर मेरे पास आये थे, तो मैं ने उन के लिये थोड़ा बहुत माल देने का वादा कर लिया है। तो वह माल उन के दर्मियान तक़्सीम कर दो। मैंने कहाः अगर यह काम आप मेरे अ़लावा और किसी के हवाले कर दें (तो बेहतर होगा) उन्होंने कहाः (नहीं) तुम ही को करना है। इतने में (उन का ख़ादिम) यरफ़ा आ गया। उस ने कहाः ऐ मुसलमानों के ख़लीफ़ा! उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान, अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़, जुबैर बिन अ़व्वाम और सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ आप से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहाः हाँ (आने दो) और उन्हें इजाज़त दे दी, तो वह दोनों भी अन्दर आ गये। अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः ऐ मुसलमानों के ख़लीफ़ा! आप मेरे और अ़ली के दर्मियान फ़ैसला कर दें। यह सुन कर मज्लिस के कुछ लोगों ने भी कहा कि हाँ ऐ ख़लीफ़ा, उन के दर्मियान फ़ैसला कर दें और उन्हें राहत दे दें। मालिक बिन औस ने कहाः मेरा ख़याल है कि उन दोनों ही ने दूसरे लोगों को इस काम के लिये भेजा था। उमर रज़ि॰ ने कहाः ज़रा ठहरो और उस जमाअ़त की तरफ़ मुतवज्जेह हुये और कहाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूँ, जिस के हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः "हम लोगों (नबिय्यों) का कोई वारिस नहीं होता, हम जो भी छोड़ जायें सदक़ा होत है" उन सब ने कहाः हाँ (यह सच है) फिर अ़ली और अ़ब्बास रज़ि॰ की तरफ़ मुतवज्जेह हुये और कहाः मैं तुम दोनों को उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिस के हुक्म से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो भी छोड़ जायें वह सदक़ा होता है" उन दोनों ने कहाः हाँ (यह सच है) उमर रज़ि॰ ने कहाः अल्लह पाक ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये एक खुसूसिय्यत अ़ता फ़रमाई थी जो आ़म लोगों में से किसी और को नहीं अ़ता की गयी। अल्लाह पाक ने फ़रमाया हैः "और उन का जो माल अल्लाह पाक ने अपने रसूल की तरफ़ फेर दिया है उस पर तुम ने न तो घोड़े दौड़ाये और न ऊँट, लेकिन अल्लाह पाक अपने रसूल को जिस पर चाहे ग़ालिब कर देता है, अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है" (सूरः

हश्र-6) अल्लाह पाक ने अपने रूसल को बनी नज़ीर के माल दिये थे, तो अल्लाह की क़सम! वह आप ने लोगों को छोड़ कर अपने लिये ख़ास नहीं किया, न तुम्हारे बग़ैर खुद ही रख लिया था कि तुम्हें उस में से कुछ न दिया हो। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन में से अपना एक साल का ख़र्चा और अपने घर वालों का एक साल का ख़र्चा लिया करते थे और बाक़ी जो बच जाता उन को दूसरे माल की तरह ख़र्च किया करते थे। फिर उमर रज़ि॰ उस जमाअ़त की तरफ़ मुतवज्जह हुये और कहाः मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ जिस के हुक्म से ज़मीन व आसमान क़ाइम हैं, क्या आप लोग यह बात जानते हैं? उन लोगों ने कहाः हाँ। फिर वह अ़ब्बास और अ़ली रज़ि॰ की तरफ़ मुतवज्जह हुये और कहाः मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूँ जिस के हुक्म से ज़मीन और आसमान क़ाइम हैं, क्या तुम्हें मालूम है? उन दोनों ने भी कहाः जी हाँ (उमर रज़ि॰ ने कहाः) तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त हो गया तो अबू बक्र ने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वली (उन की तरफ़ से मामले का ज़िम्मेदार) हूँ तो तुम और यह (यानी अ़ब्बास और अ़ली) अबू बक्र के पास आये। तुम अपने भतीजे की मीरास से अपना हिस्सा और वरासत माँगते थे, और यह (यानी अ़ली) अपनी पत्नी (फ़ातिमा) का उन के वालिद की मीरास से हिस्सा तलब कर रहे थे। तो अबू बक्र ने इस पर कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः हम कोई वरासत नहीं छोड़ते, और जो माल छोड़ जायें वह सब सदक़ा होता है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि अबू बक्र सच्चे थे, नेक थे, हिदायत पर थे और हक़ पर चलने वाले थे। तो अबू बक्र रज़ि॰ उस माल के निग्राँ बने रहे। जब उन का देहान्त हो गया तो मैं ने कहाः मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र का ख़लीफ़ा हूँ। सो जब तक अल्लाह ने चाहा मैं उस माल का निग्राँ रहा हूँ। फिर आप और यह आये, और आप दोनों का इत्तिफ़ाक़ था और दोनों का मामला भी एक था जिस का आप दोनों मुझ से मुतालबा कर रहे थे। तो मैं ने कहाः अगर तुम चाहो तो मैंने माल तुम्हारे हवाले कर दूँ। मगर इस शर्त पर कि तुम्हें अल्लाह के नाम से यह वादा करना होगा कि उस माल की देखभाल उसी प्रकार करोगे जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किया करते थे। इसी वादा पर आप दोनों ने मुझ से लिया है। इस के बाद अब आप दोनों फिर मेरे पास आये हो कि मैं तुम दोनों के दर्मियान दूसरा फ़ैसला करुँ। तो अल्लह की क़सम! इस फ़ैसला के सिवा मैं तुम्हारे दर्मियान कोई दूसरा फ़ैसला नहीं करुँगा चाहे क़ियामत आ जाये। अगर तुम उस माल की निग्रानी करने और उस का इन्तिज़ाम संभालने से आजिज़ हो तो मुझे वापस कर दो।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि उन दोनों का सवाल यह था कि उस माल का इन्तिज़ाम उन दोनों के दर्मियान आधा-आधा कर दिया जाये। यह बात नहीं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस फ़र्मान को नहीं जानते थे कि "हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ जायें वह सब सदक़ा होता है" वह दोनों हज़रत भी हक़ ही चाहते थे। उमर रज़ि॰ ने कहाः मैं उस माल पर तक़्सीम का नाम नहीं आने दूँगा, मैं उसे ऐसे ही रहने दूगाँ जैसे कि यह है।

2964:— मालिक बिन औस (बिन हदसान) रज़ि॰ ने यह वाक़िआ बयान किया। उन्होंने कहाः

अ़ली और अ़ब्बास को निग्राँ बना दिया। उस्मान रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में अ़ब्बास रज़ि॰ निग्रानी से अलग हो गये थे और अ़ली रज़ि॰ अकेले उस के निग्राँ बने, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर अ़ली बिन हुसैन, फिर हसन बिन हसन, फिर ज़ैद बिन हसन उस माल के निग्राँ, रखवाले रहे और वैसे ही तक़्सीम करते रहे जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र और उमर रज़ि॰ करते रहे। सन दो सौ हि॰ तक यह मामला चलता रहा, बाद में हालात बदल गये।

2965:— मालिक बिन औस बिन हदसान रज़ि॰ उमर रज़ि॰ से बयान करते हैं कि बनी नज़ीर के माल वह थे जो अल्लाह पाक ने अपने रसूल को बिना कोई लड़ाई लड़े (फ़ै के तौर पर) दिये थे। मुसलमानों ने उस पर न तो घोड़े दौड़ाये थे और न ऊँट, और यह माल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ही के लिये मख़्सूस थे, आप अपने घर वालों पर ख़र्च करते थे (इमाम अबू दावूद के शैख़) अहमद बिन अ़ब्दा ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने बाल-बच्चों के लिये एक साल का ख़र्चा उस माल में से लेते थे, और जो बच जाता तो उस को घोड़ों और जिहाद के सामान (की ख़रीदारी) में लगा देते। इब्ने अ़ब्दा के शब्द यह हैं: "फ़िल कराइ वस्सलाहि"

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये जो माल अल्लाह पाक ने मख़्सूस किये थे वह तीन प्रकार के थे (1) वह ज़मीन जो अन्सार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उपहार और तोहफ़ा में दी थी। उन ज़मीनों पर पानी नहीं पहुँचता था (2) मुख़ैरीक़ यहूदी ने उहुद के मौक़ा पर इस्लाम ला कर अपने सात बाग़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उपहार में दिया था। (3) बनी नज़ीर ने जब बिना लड़ाई लड़े हथियार डाल दिये तो उन का माल फ़ै कहलाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मख़्सूस था (4) ख़ैबर का आधा हिस्सा जिस में वतीख़ और सलालिम क़िले शामिल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़ै में मिले थे। यह सब माल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मख़्सूस थे। आप इस में से अपने घर वालों के लिये एक साल का ख़र्चा निकाल कर रख लेते थे, और बाक़ी बैतुल माल में डाल देते, जिस से जन्गी सामान खरीदे जाते, ग़रीबों-बेवाओं की मदद की जाती।

अबू बक्र के ख़िलाफ़त के ज़माना में जब फ़ातिमा और अ़ब्बास रज़ि॰ ने उन्ही ऊपर के चार मालों का मुतालबा किया तो उन्होंने कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के माल में वरासत नहीं चलती और उन मालों की निग्रानी ख़लीफ़ा की ज़िम्मेदारी है। और वह माल वही ख़र्च होंगे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किया करते थे।

उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में अ़ली और अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि उन माल को हमें दिया जाये, हम उन की निग्रानी करेंगे और जहाँ अल्लाह के रसूल ख़र्च करते थे वहीं हम भी ख़र्च करेंगे। तो उमर रज़ि॰ ने उन के हवाले कर दिया। उस्मान रज़ि॰ के ज़माना में अब्बास रज़ि॰ उस माल से अलग हो गये और कुल ज़िम्मेदारी अ़ली रज़ि॰ पर गयी। यह माल उन को सिर्फ़ निग्रानी, देख भाल और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक़्सीम करतेथे वहीं पर तक़्सीम करने के लिये केवल दिये गये थे। वरासत में नहीं दिये थे कि उन की मिलकिय्यत हो गयी

थे।

2966:— इमाम ज़ोहरी रह॰ बयान करते हैं कि उमर रज़ि॰ सूरः हश्र की आयत "और उन लोगों का जो माल अल्लाह पाक ने अपने रसूल की तरफ़ फेर दिया है, उस के लिये तुम ने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए" के बारे में फ़रमाते हैं कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास है उस में उरैना की बस्तियाँ, फ़िदक, वग़ैरह वग़ैरह हैं (इस के बाद सातवीं आयत में है) "लड़े-भिड़े बग़ैर बस्ती वालों का जो माल अल्लाह पाक ने अपने रसूल के इस्तेमाल में दिया है वह अल्लाह, रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, ग़रीबों और मुसाफ़िरों का हक़ है" (और आगे आठवीं आयत में है कि यह माल फ़ै) "उन फ़क़ीरों, महाजिरों का हक़ है जोअपने घरों और मालों से निकाल बाहर किये गये ...." (और इस के बाद यह बयान हुआ है कि उस फ़ै के माल में उन का भी हक़ है) जिन्होंने उन (मुहाजिरों के आने) से पहले (मदीने में) ठिकाना बना लिया था और ईमान क़ुबूल कर लिया था मदीना के अन्सार और (फिर दसवीं आयत में है: "और वह लोग जो उन के बाद आये... .." यह (अन्तिम) आयत तमाम लोगों से मुतअ़ल्लिक़ है, और मुसलमानों में से कोई भी नहीं बचता, मगर उस का इस फ़ै में हिस्सा है....... अय्यूब ने लफ़्ज़ "हक़" के स्थान पर "हज़्ज़" कहा.... .. सिवाए तुम्हारे कुछ ऐसे लोगों के जिन की गर्दनों के तुम मालिक हो (गुलाम जो आज़ाद नहीं हुये और उन की पूरी जिम्मेदारी उन के आक़ाओं पर है।)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। उमर रज़ि॰ समझते थे कि फ़ै के माल में तमाम मुसलमानों का हक़ और हिस्सा है। पाँचवाँ हिस्सा माले ग़नीमत में निकाला जाता है। और निकाल कर हकूमत के हवाले किया जाता है।

2967:— मालिक बिन औस बिन हदसान रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने (अ़ली और अ़ब्बास रज़ि॰ के दर्मियान फ़ैसला करते हुये) हुज्जत के तौर पर कहा था: "बनू नज़ीर, ख़ैबर और फ़िदक की ज़मीनें (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास थीं। बन नज़ीर वाली जायदाद अहम हादिसों (घटनाओं) पर ख़र्च करने के लिये होती थी। फ़िदक़ वाली जायदाद मुसाफ़िरों के लिये और ख़ैबर वाली जायदाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तीन हिस्से कर रखे थे। दो हिस्से मुसलमानों में और एक हिस्सा आप के बाल-बच्चों के ख़र्च के लिये था। आप के बाल-बच्चों के ख़र्च से जो बच जाता उसे मुहाजिर फ़क़ीरों में बाँट दिया करते थे। (यह हदीस ज़ओ़फ़ है)

2968:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ि॰ ने अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के यहाँ कहला भेजा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उस तर्क़ा में से हिस्सा दिया जाये जो आप को फ़ै में मदीना, फ़िदक और ख़ैबर के खुमुस (पाँचवाँ) का बक़िय्या छोड़ गये हैं। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने उत्तर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह सब सदक़ा होता

है, अल्बत्ता मुहम्मद के बाल-बच्चों का ख़र्चा (पहलू की तरह) उस माल से पूरा किया जायेगा। और अल्लाह की क़सम! मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सदक़ा को उस हालत से, जिस पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे अपनी ज़िन्दगी में छोड़ गये हैं, तबदील नहीं कर सकता। मैं इस में इस प्रकार अ़मल करूँगा जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते रहे। मतलब यह कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने फ़ातिमा रज़ि॰ को उस में से कुछ भी देने से इन्कार कर दिया।

2969:— उर्वा बिन जुबैर ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ ने उन्हें यह हदीस बयान कीं इस रिवायत में उर्वा कहते हैं कि उन दिनों (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद) फ़ातिमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उस सदक़े का मुतालबा किया जो आप मदीना, फ़िदक और ख़ैबर के खुमुस (पाँचवाँ) का बक़िय्या छोड़ गये थे। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि अबू बक्र रज़ि॰ ने जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया थाः "हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वह सदक़ा होता है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल-बच्चे उसी में से खायेंगे" यानी अल्लाह के माल में से और उन्हें हक़ नहीं कि खाने-पीने के ख़र्च से ज़्यादा लें।

2970:— उर्वा ने मुझे बताया कि आ़इशा रज़ि॰ ने मुझे यह हदीस बयान की। उर्वा ने इस रिवायत में बयान किया कि अबू बक्र रज़ि॰ ने (फ़ातिमा रज़ि॰ को देने से) इन्कार कर दिया और कहाः जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते रहे हैं, मैं उस में से कुछ तर्क न करूँगा। अगर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े में से कुछ छोड़ दिया तो मुझे डर है कि कहीं गुमराह न हो जाऊँ। अल्बत्ता आप का सदक़ा जो मदीने में था उमर रज़ि॰ ने उसे अ़ली और अ़ब्बास की निग्रानी में दे दिया था। बाद में अ़ली रज़ि॰ अ़ब्बास पर ग़ालिब आ गये थे (और कुल जायदाद के निग्राँ अकेले बन गये थे) ख़ैबर और फ़िद्रक के माल को उमर रज़ि॰ ने अपनी निग्रानी में रखा और कहाः यह दोनों माल आप का वह सदक़ा है जो आप के घर के खर्च के लिये थे, इसलिये इन दोनों मालों की निग्रानी ख़लीफ़ा के हाथ में रहेगी। चुनान्चे वह आज तक इसी प्रकार है।

फ़ाइदा:— इस हदीस में सदक़ा से मुराद फ़ै का माल है। दो सौ वर्ष तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खान्दान की निग्रानी में रहा। देखें हदीस न॰ 2969 का फ़ाइदा।

2971:— इमाम ज़ोहरी रह॰ ने आयत "उन पर तुम ने कोई घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये" (सूरः हश्र-6) की तफ़सीर में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़िदक क़बीला वालों और कई बस्तियों के साथ समझौता फ़रमाया था, जबकि आप दूसरी बस्तियों को घेरे हुये थे। तो उन लोगों ने इस बीच सुलह का सन्देश भेजा था और यह उसी सिलसिले का बयान है कि बिना किसी जन्ग और लड़ाई के यह हासिल हुयी थी। इमाम जुहरी ने कहा कि बनी नज़ीर क़बीला केमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मख़सूस थे (क्योंकि) वह समझौता के ज़रीआ प्राप्त् हुये थे, उसे जन्ग के ज़रीआ नहीं प्राप्त किया गया था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस माल को मुहाजिरों में तक़सीम कर दिया। और दो को छोड़ कर किसी भी अन्सारी

को उस में से कुछ नहीं दिया। यह दो जन भी ज़रुरत मन्द थे।

2972:— मोग़ीरा (बिन हकीम सनआ़नी) से रिवायत है कि उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ जब ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने बनू मर्वान (मर्वान के खान्दान वालों को) जमा किया और कहाः फ़िदक की ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास थी। आप उसी की आमदनी से अपना ख़र्च पूरा करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों पर उसी के ज़रीआ़ एहसान फ़रमाते थे और बेवाओं की शादी कराते थे। फ़ातिमा रज़ि॰ ने जब उस ज़मीन का मुतालबा किया कि उसे मुझे दिया जाये तो आप ने इन्कार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में यह मामला ऐसे ही रहा यहाँ तक कि आप का देहान्त हो गया। फिर अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ख़लीफ़ा हुये तो वह भी उस ज़मीन में वही कुछ करते रहे जैसे कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में होता था, यहाँ तक कि वह भी अपनी राह चले गये (देहान्त कर गये) फिर उमर रज़ि॰ ख़लीफ़ा हुये तो उन्होंने भी उस ज़मीन में वही कुछ किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र करते रहे, यहाँ तक कि वह भी देहान्त कर गये। फिर यह ज़मीन मर्वान ने अपने लिये ख़ास कर ली, फिर उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के क़ब्ज़े में आ गयी तो उन्होंने कहाः मैंने सोचा है कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपनी बेटी) फ़ातिमा को नहीं दी तो उस ज़मीन पर हमारा भी कोई हक़ (अधिकार) नहीं हासिल है। और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने फ़िदक की आरज़ी को उस हाल में कर दिया है जैसे कि थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में जिस हाल में थी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जब उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ख़लीफ़ा बने तो उन की आमदनी चालीस हज़ार दीनार थी और जब उन का देहान्त हुआ तो घट कर चार सौ दीनार रह गयी थी। अगर वह और ज़िन्दा रहते तो और भी कम हो जाती।

2973:— अबू तुफ़ैल (आ़मिर बिन वासला लैसी) रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़ातिमा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तर्का का मुतालबा लेकर अबू बक्र के पास आयीं, तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः "अल्लाह पाक जब अपने नबी को कोई रोज़ी देता है उस का निग्राँ और सरपरस्त वहीं होता है जो उस के बाद (ख़लीफ़ा बन कर) आये।

2974:— अबूल् हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरा तर्का दीनार की सूरत में तक़सीम नहीं होगा। जो कुछ भी छोड़ जाऊँ तो वह मेरी बीवियों के ख़र्च में आयेगा और उस की वसूली करने वालों को उसी में से दिया जायेगा, और बाक़ी जो बचेगा वह सब सदक़ा होगा।

2975:— अबू बख़्तरी कहते हैं कि मैंने एक आदमी से हदीस सुनी जो मुझे पसन्द आयी मैंने कहा कि मुझे इस बात को लिख कर दीजिये तो उन्होंने मुझे साफ़-साफ़ लिख दी (यह लिखा कि) अ़ब्बास और अ़ली रज़ि॰ उमर रज़ि॰ के पास आये, जबकि तल्हा, जुबैर, अ़ब्दुर्रहमान और सअ़द

रज़ि॰ (पहले ही से) उन के पास बैठे हुये थे। उन दोनों का आपस में मामला था। उमर ने तल्हा, ज़ुबैर और सअ़द ने कहा: क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "नबी का तमाम माल सदक़ा होता है उस माल को छोड़ कर जो वह अपने घर वालों को खिला दें या पहना दें। हम लोग अपना कोई वारिस नहीं बनते हैं।" उन सब ने कहा: हाँ (हम जाने तहें) उमर ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर वालों पर ख़र्च करते और बाक़ी माल सदक़ा कर देते थे। फिर आप का देहान्त हो गया, और अबू बक्र दो साल तक उस जायदाद के निग्राँऔर मुतवल्ली रहे, और वह भी वही कुछ करते रहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते थे। फिर (अबुल् बख़्तरी ने) मालिक बिन औस की हदीस से कुछ बयान किया।

2976:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बज देहान्त हो गया तो तमाम बीवियों ने इरादा किया कि उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ को अबू बक्र के पास भेजें ताकि वह उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तर्का से आठवाँ हिस्सा (हम बीवियों को) दें। यह सुन कर आइशा रज़ि॰ ने उन से कहा: क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह नहीं फ़रमा गये हैं कि "हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ भी छोड़ जायें वह सदक़ा होता है।"

2977:— इब्ने शहाब ज़ोहरी रह॰ ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है, उस में यह भी है कि मैंने कहा: "क्या तुम अल्लाह से नहीं डरती हो? क्या तुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान नहीं सुना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे: "हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह सदक़ा होता है। और यह माल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के बाल बच्चों का है जो उन पर, और मुसीबत में मुब्तला लोगों के ऊपर ख़र्च करने और उन के मेहमानों के लिये है। जब मैं देहान्त कर जाऊँगा तो उस माल का निग्राँ वहीं होगा जो मेरे बाद ख़लीफ़ा होगा।

फ़ाइदा:— आप कह सकते हैं कि सुलैमान अ़लै॰ अपने पिता दावूद अ़लै॰ के वारिस हुये हैं (सूर: नम्ल-16) इस का उत्तर यह है कि वह माल-दौलत के नहीं, बल्कि अ़िल्म और किताब के और उस जैसी दूसरी ज़िम्मेदारियों के वारिस हुये थे। वारिस का शब्द केवल दौलत और तर्का ही के लिये नहीं इस्तेमाल होता है।

बाब {माले ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा (खुमुस) कहाँ ख़र्च होता था और क़राबत दारों के हिस्से का बयान।}

2978:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ का बयान है कि मुझ से जुबैर बिन मुतइम ने बयान किया कि मैं और उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ उस खुमुस की तक़्सीम के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बात करने के लिये गये जो आप ने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को हिस्सा दिया था मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने हमारे भाइयों बनी मुत्तलिब को दिया है मगर हमें

नहीं दिया, हालाँकि हमारी और उन की आप के साथ रिश्तादारी एक सी है। यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब एक ही चीज़ हैं। जुबैर रज़ि॰ ने बयान किया कि आप ने खुमुस (यानी माले ग़नीमत में पाँचवाँ हिस्सा) में से बनी अ़ब्दे शम्स और बनी नौफ़ल का हिस्सा न निकाला जिस तरह कि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब का निकाला था। रावी का बयान है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ पाँचवाँ इसी प्रकार तक़सीम किया करते थे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते थे, लेकिन वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उन रिश्तेदारों को उतना न देतेथे जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दिया करते थे। चुनान्चे उमर रज़ि॰ और उन के बाद उस्मान रज़ि॰ भी उन्हें देते रहे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़राबतदार, रिश्तेदार और नज़दीकी कौन थे? इसे समझने की ज़रुरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चौथे दादा अ़ब्दे मुनाफ़ के चार बेटे थे (1) हाशिम (2) मुत्तलिब (3) नौफ़ल (4) अ़ब्दे शम्स। जाहिलिय्यत के ज़माना में बनी नौफ़ल और बनी अ़ब्दे शम्स एक साथ और बनी मुत्तलिब और बनी हाशिम एक साथ हो गये। यहाँ तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बनी हाशिम को घाटी में क़ैद कर दिया गया तो उस मौक़े पर भी बनी मुत्तलिब ने बनी हाशिम का साथ दिया। फिर धीरे-धीरे यह दोनों खान्दान एक हिस्सा बन गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी इसी खान्दान से थे इसलिये आप भी इस एकाई के ज़िम्मेदार थे, इसीलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने माल में इस ख़ान्दान को शरीक़ फ़रमाया और हिस्सा दिया। और चूँकि दूसरा सिलसिला यानी नौफ़ल और अ़ब्दे शम्स का मुश्तरका खान्दान तो इस को आप ने कुछ न दिया। उस्मान रज़ि॰ का संबन्ध क़बीला बनू अ़ब्दे शम्स से और जुबैर रज़ि॰ का क़बीला बनू नौफ़ल से था, इसीलिये यह दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़राबत दारों में नही आते थे इसीलिये आप ने इन्हें अपने माल में से नहीं दिया।

2979:— सओद बिन मुसय्यिब रह॰ बयान करते हैं कि हमें जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनू अ़ब्दे शम्स और बनू नौफ़ल को पाँचवाँ हिस्सा में से कुछ नहीं दिया जैसे कि बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब का दिया। हदीस के रावी ने कहा कि अबू बक्र रज़ि॰ इसी प्रकार तक़सीम करते थे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते थे, मगर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़राबतदारों को इस प्रकार न देते थे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम देते थे। जबकि उमर रज़ि॰ और उन के बाद वाले (यानी उस्मान रज़ि॰) उस में से हिस्सा दिया करते थे।

2980:— सओद बिन मुसय्यिब रह॰ से रिवायत है कि मुझे जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ ने बताया कि जब ख़ैबर फ़त्ह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "क़राबतदारों के हिस्से" में से बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को दिया मगर बनू नौफ़ल और बनू अ़ब्दे शम्स को छोड़ दिया। तो मैं और उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये। हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत का हमें इन्कार नहीं है कि जो

संबन्ध और दर्जा अल्लाह पाक ने आप को उन के साथ दिया है सो दिया है, मगर हमारे भाई बनू मुत्तलिब क्या वजह हैं कि आप ने उन्हें दिया है और हमें छोड़ दिया है? हालाँकि हमारी (आप के साथ) क़राबत दारी एक सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब जाहिलिय्यत और इस्लाम में जुदा-जुदा नहीं हुये हैं, हम और वह एक शै हैं। और आप ने (यह बताते हुये) अपने हाथों की एंगलयाँ एक दूसरी के अन्दर डालीं।

2981:— हसन बिन स्वालेह, सुद्दी से नक़ल करते हैं कि "ज़िल् क़ुबा" से मुराद बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब हैं।

2982:— यज़ीद बिन हुर्मुज़ से रिवायत है कि जिन दिनों इब्ने जुबैर रज़ि॰ को शहीद किया गया, नज्दा हरवी हज्ज के लिये आया हुआ था (यह ख़ारिजी लोगों का सर्दार था) उस ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से "क़राबतदारों" के हिस्से के बारे में पुछवाया कि आप उसे किस का हक़ समझते हैं? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने फ़रमायाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़राबतदारों के लिये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। और उमर रज़ि॰ ने भी उस में से हमें थोड़ा बहुत दिया था जिसे हम ने अपने हक़ से कम समझा, तो हम ने उसे उन को वापस कर दिया और लेने से इन्कार कर दिया।

2983:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रह॰ कहते हैं कि मैंने अ़ली रज़ि॰ से सुना, वह यान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे खुमुस के पाँचवें हिस्से का ज़िम्मेदार बनाया, तो मैंने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में उस के ख़र्च करने के स्थान पर ख़र्च किया। फिर अबू बक्र और उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में भी उसी तरह होता रहा। फिर कुछ माल आया और उमर रज़ि॰ ने मुझे बुलाया और कहाः ले लो। मैंने कहाः मुझे इस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहाः ले लो, तुम ज़्यादा हक़दार हो। मैंने कहाः हम उस से बेनियाज़ है। चुनान्चे उन्होंने उस को बैतुल माल में जमा कर लिया।

2984:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रह॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ से सुना वह बयान करते थे कि मैं अ़ब्बास, फ़ातिमा और ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुये। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर आप उचित समझें तो अल्लाह की किताब के अनुसार जो खुमुस में से हमारा हक़ है, आप अपनी ज़िन्दगी ही में उस का मुझे वली बना दें ताकि आप के बाद कोई मुझ से झगड़ा न करे। चुनान्चे आप ने ऐसे ही कर दिया। और मैं आप की ज़िन्दगी में उसे तक़सीम करता रहा। फिर अबू बक्र रज़ि॰ ने मुझे उस का वाली बनाया, यहाँ तक कि जब उमर रज़ि॰ का आख़िरी साल था तो उन के पास बहुत सा माल आया तो उन्होंने मुझे हटा दिया, फिर उन्होंने मुझे बुला भेजा तो मैंने कहाः इस वर्ष मुझे उस की ज़रुरत नहीं है जबकि दूसरे मुसलमान लोगों को उस की ज़्यादा ज़रुरत है, आप यह माल उन्हें दे दीजिये। चुनान्चे उन्होंने उसे मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। फिर उमर के बाद मुझे किसी ख़लीफ़ा ने उस माल के लिये नहीं बुलाया। उमर रज़ि॰ के पास

आने के बाद मैं अ़ब्बास रज़ि॰ से मिला तो उन्होंने कहाः ऐ अ़ली! आज आप ने मुझे एक हक़ से महरुम कर दिया है जो भविष्य में कभी हमें नहीं दिया जायेगा, और वह बड़े होशियार आदमी थे।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है और ऊपर की सहीह रिवायतों के ख़िलाफ़ भी है।

2985:— अ़ब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ़ बिन हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया कि उन के पिता रबीआ़ बिन हारिस और अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने अ़ब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ़ (यानी मुझ से) और फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास से कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में जा कर कहो कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम इस उमर को पहुँच गये हैं जो आप देख ही रहें है (यानी भरपूर जवान हैं) और हम शादी करना चाहते हैं और आप ऐ अल्लाह के रसूल! सब से बढ़ कर अच्छा व्यवहार करने वाले और रिश्ता-नाता का लिहाज़ करने वाले हैं। हमारे माता-पिता के पास हमारी महर अदा करने के लिये कुछ नहीं है तो ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें सदक़ा वसूल करने के लिये तहसील दार बना दीजिये, हम वही करेंगे जो दूसरे वसूली करने वाले करते हैं और हमें हमारी मज़दूरी जो होगी वह हमें मिल जायेगी। अ़ब्दुल मुत्तलिब ने कहाः हम यही बात-चीत कर रहे थे कि अली बिन अ़बू तालिब रज़ि॰ आ गये और कहने लगेः अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम में से किसी को भी तहसीलदार नहीं बनाएँगे। तो रबीआ़ ने उन से कहाः यह तुम्हारी बात है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दामादी मिल गयी हैं, हमें तो इस पर तुम से कोई हसद नहीं है। फिर अ़ली ने अपनी चादर बिछाई और उस पर लेट गये और कहने लगेः मैं अबुल हसन हूँ और मामला को समझने वाला हूँ (जैसे कि बड़ा ऊँट होता है) अल्लाह की क़सम! मैं यहाँ से उस समय तक नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम्हारे लड़के जवाब लेकर वही आ जाते, जिस मक़सद के लिये आप ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेजा है। अ़ब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि चुनान्चे मैं और फ़ज़्ल (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दर्वाज़े की तरफ़) गये। हम ने देखा कि ज़ोहर का समय हो चुका है और जमाअ़त खड़ी हो गयी है तो हम ने लोगों के साथ मिल कर नमाज़ पढ़ी, फिर जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कमरे के पास आ गये। आप उस दिन ज़ैनब रज़ि॰ के यहाँ थे। हम दर्वाज़े के पास खड़े हो गये यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (प्यार से) मेरे और फ़ज़्ल के कान पकड़ लिये और फ़रमायाः कहो जो कुछ तुम्हारे जी में है। फिर आप अन्दर तशरीफ़ ले गये और हमें अन्दर आने की इजाज़त दी तो अन्दर चले गये, और थोड़ी देर तक बात करने को हम एक दूसरे पर टालते रहे (यानी मैं कहता कि तुम कहो और वह कहते कि तुम कहो) अन्त में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मैं ने बात की या फ़ज़्ल ने .... अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस को शक है .... और हमारे बापों ने जो कहा था हम ने आप से बयान कर दिया तो सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक घड़ी के लिये ख़ामोश हो गये, आप ने अपनी नज़र छत की तरफ़ उठाई हुयी थी यहाँ तक कि बहुत समय बीत गया और आप हमें कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। तो हम ने देखा कि ज़ैनब रज़ि॰ ने पर्दे के पीछे से हमें इशारा किया यानी जल्दी मत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम तुम्हारे ही बारे में ग़ौर फ़रमा रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना सर झुकाया और फ़रमायाः "यह सदक़ा तो लोगों का मैल-कुचैल है और यह मुहम्मद और उनके बाल-बच्चों के लिये हलाल नहीं है। नौफ़ल बिन हारिस को मेरे पास बुला लाओ। चुनान्चे उन्हें बुला लाया गया। आप ने उन से कहाः ऐ नौफ़ल! अ़ब्दुल मुत्तलिब से (अपनी बेटी का) निकाह कर दो। चुनान्चे उन्होंने मेरे साथ (अपनी बेटी) का निकाह कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महमिया बिन जज़ा को बुला लाओ, वह बनी ज़ुबैद क़बीला से थे और उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुमुस का निग्राँ बनाया हुआ था। आप ने उन से कहाः ऐ महमिया! फ़ज़्ल से अपनी बेटी का निकाह कर दो। चुनान्चे उन्होंने भी निकाह कर दिया, फिर आप ने फ़रमायाः उठो और उन्हें खुमुस में से इतना-इतना महर अ़दा कर दो। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझे महर की तादाद नहीं बताई थी (कि कितने दिर्हम थे)

फ़ाइदाः— आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें तहसीलदार नहीं बनाया, अल्बत्ता खुमुस में से कुछ दिला दिया। अबू बक्र और उमर रज़ि॰ ने भी इसी प्रकार अ़मल किया।

2986:— हुसैन बिन अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने बताया कि मेरे पास एक अच्छी ऊँटनी थी जो मुझे बद्रके मौक़ा पर ग़नीमत में मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस मौक़ा पर मुझे खुमुस से भी एक ऊँटनी दी थी। जब मैंने इरादा किया कि (अपनी बीवी) फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी को अपने घर लाऊँ तो मैं ने बनू क़युनक़ाअ़ के एक आदमी से जो कि सुनार था वादा लिया कि वह मेरे साथ चले, हम लोग इज़ख़िर घास लायेंगे जिसे मैं सुनारों को बेच कर अपने वलीमे का ख़र्च बना सकूँगा। चुनान्चे इस ख़याल से मैं अपनी ऊँटनियों के लिये पालन, बोरे और रस्सी आदि इकट्ठी कर रहा था, और मेरी ऊँटनियाँ एक अन्सारी के हुजरे के साथ बैठी हुयी थीं। जब मैंने यह सामान इकट्ठा कर लिया और आया तो क्या देखा कि मेरी ऊँटनियों के कोहान कटे पड़े हैं, उन के पहलू चीर दिये गये हैं और जिगर भी निकाल लिये गये हैं। मैं यह सब देख कर रोने लगा और पूछाः यह किस ने किया है? लोगों ने बतायाः यह सब (तुम्हारे चचा) हम्ज़ा बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने किया है, और वह उस अन्सारी के घर में अन्सारियों के साथ शराब पी कर एक मज्लिस में हैं। एक गाने वाली ने उन के और उन के साथियों के सामने यूँ कहाः "अला या हम्ज़ु लिश्शुर्फ़िन्नवाई" (ऐ हम्ज़ा उन मोटी ताज़ी ऊँटनियों को जाने मत दो) चुनान्चे वह तुरन्त उठे, अपनी तल्वार ली और उन के कोहान काट डाले और पहलू चीर दिये और जिगर निकाल लिये। अ़ली रज़ि॰ कहते हैं कि फिर मैं चला आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचा। उस समय आप के पास ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ बैठे हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ पर जो बीती थी उसे मेरी सूरत से ही भाप गये तो फ़रमायाः क्या हुआ? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैंने आज जैसा दिन कभी नहीं देखा। हम्ज़ा ने मेरी ऊँटनियों पर हमला कर के उन के कोहान काट डाले हैं और पहलू चीर दिये हैं, और वह उस

घर में मौजूद हैं और उन के साथ दूसरे शराब पीने वाले भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी चादर मँगाई, उसे ओढ़ा और चल पड़े। मैं और ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ उन के पीछे-पीछे थे और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस घर के पास पौंच गये जिस में हमज़ा रज़ि॰ थे। आप ने अन्दर जाने की इजाज़त तलब की तो आप को बुला लिया गया, आप ने देखा कि शराब पीने वालों का जमावड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमज़ा को उन की हर्कत पर बुरा-भला कहने लगे और वह नशे की हालत में थे, उन की आँखें लाल तूल हो रही थीं। हमज़ा ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ देखा फिर नज़र उठा कर आप के घुटनों तक देखा, फिर नज़र उठाई तो नाफ़ तक देखा फिर नज़र उठाई और आप के चेहरे को देखा फिर बोलेः तुम मेरे बाप के गुलाम होने के अ़लावा और क्या हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भाँप लिया कि यह नशे में धुत हैं तो उल्टे पाँव लौट आये। आप निकले तो हम भी आप के साथ निकल आये।

फ़ाइदा:— बाद में जब हमज़ा होश में आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से हर्जाना दिलवाया और हमज़ा ने खुशी-खुशी अदा किया। यह घटना शराब के हराम होने के पहले की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुमुस में से खुसूसी तौर पर ऊँटनी दी थी।

2987:— ज़ोबैर बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेटियों उम्मे हकम या उम्मे ज़आआ में से किसी एक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ बन्दी आये तो मैं, मेरी बहन और फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी आप की ख़िदमत में आयीं और हम सब ने अपनी हालत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की (कि सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते है।) हम ने प्रार्थना की कि उन बन्दियों में से हमारे लिये भी किसी क़ैदी को दिये जाने का हुकम दिया जाये। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः बद्र के यतीम (यानी जिन के पिता बद्र की लड़ाई में शहीद हुये) तुम से पहले ले चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस से बेहतर काम बताता हूँ कि हम नमाज़ के बाद 33 बार अल्लाहु अक्बर, 33 बार सुब्हानल्लह, 33 बार अल्हम्दु लिल्लाह और (एक बार) **लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व-लहुल् हम्दु वहु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर** पढ़ा करो।

अय्याश बिन उक़्बा ने कहा कि यह दोनों महिलायें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की चचा जाद बहन थीं।

फ़ाइदा:— इन महिलाओं को अगर कुछ मिलता तो खुमुस में से मिलता, मगर शायद माले ग़नीमत के साथ वह भी शहीदों के बाल-बच्चों में तक़्सीम कर दिया था।

2988:— इब्ने आबुद से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ ने मुझ से कहाः क्या मैं तुम्हें अपनी और फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी की बात न बताऊँ? और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने बाल बच्चों में फ़ातिमा से सब से अधिक प्यार करते थे। मैंने कहाः हाँ बताइये। उन्होंने कहाः फ़ातिमा चक्की चलाती थीं जिस की वजह से उन के हाथों में निशान पड़ गये थे, पानी की मशक़ भर कर लाती थीं जिस से उन के सीने पर निशान पड़ गये थे,

घर में झाडू देने से उन के कपड़े ख़राब हो जाते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ लौंडी और गुलाम आये तो मैंने फ़ातिमा से कहाः अगर आप अपने पिता जी के पास जा कर किसी नौकर के बारे में कहें (तो आप को मिल जायेंगे) चुनान्चे वह गयीं तो क्या देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कई लोग बातें करने वाले बैठे हैं, चुनान्चे वह वापस आ गयीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अगले दिन उन के पास स्वैंय तशरीफ़ ले गये और पूछा कि क्या काम था? यह सुन कर वह चुप रहीं, तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ही बतलाये देती हूँ। यह चक्की चलाती हैं जिस से उन के हाथों पर निशान पड़ गये हैं, पानी के मशक ढो कर लाती है जिस से उन के सीने पर निशान पड़ गये हैं, चूंकि आप के पास लौंडी और गुलाम आये हुये हैं तो मैंने उन से कहा कि आप के पास जायें और कोई नौकर माँग लें जिस से आप के कामों में सहूलत हो जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ फ़ातिमा! अल्लाह से डरो, अपने रब का फ़र्ज़ अ़दा करो, अपने घर वालों का काम-काज करो, और रात को जब सोने लगो तो 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अक्बर कह लिया करो, यह 111 बार हुआ, और यह काम तुम्हारे लिये नौकर से बेहतर है। फ़ातिमा रज़ि० ने कहाः मैं अल्लाह और उस के रसूल से (दिल व जान से) राज़ी हूँ।

2989:— इमाम ज़ोहरी रह० ने अ़ली बिन हुसैन रह० के वास्ते से वह क़िस्सा बयान किया है और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को कोई नौकर चाकर नहीं दिया था।

2990:— मुज्जाअ़ा (बिन मुरारा हनफ़ी यमामी रज़ि०) से रिवायत है वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और अपनेभाई की दियत (खून का हर्जाना) माँगा, उन के भाई को बनी हुज़ैल की एक शाख़ बनू सदूस के लोगों ने क़त्ल कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर मैं किसी मुश्रिक की दियत देता तो तुम्हारे भाई की भी दे देता, ताहम मैं तुम्हें दियत का बदला कुछ दूँगा। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें लिख दिया कि सब से पहला खुमुस जो बनी जुहल के मुश्रिकों से हासिल होगा, उस में से उन्हें एक सौ ऊँट दिये जायेंगे। चुनान्चे उस ने उस का (दियत) एक हिस्सा हासिल कर लिया, इस के बाद बनी जुहल के लोग मुसलमान हो गये। तो मुज्जाअ़ा ने बाक़ी बाक़ी दियत का मुतालबा अबू बक्र से किया और उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तहरीर पेश की तो अबू बक्र ने उन के लिये यमामा के सदक़ा से बाहर हज़ार साअ़ा लिख दिया। उन में चार हज़ार साअ़ा गन्दुम, चार हज़ार साअ़ा जौ, और चार हज़ार साअ़ा खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वह तहरीर जो आप ने मुज्जाअ़ा को लिख कर दी थी उस का विषय इस प्रकार था "बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहमी+यह तहरीर मुहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से बनू सलमा के मुज्जाअ़ा बिन मुरारा के लिये लिखी गयी है कि मैंने उसे उस के मक़्तूल भाई के बदले में एक सौ ऊँट दिये हैं जो कि बनू ज़ोहल के मुश्रिकों से हासिल होने वाले पहले खुमुस में से अदा कर दिये जायें।"

बाब {"सफ़िय्या" के अहकाम व मसाइल।}

2991:— आमिर शोबी रह॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़नीमत में एक ख़ास हिस्सा हुआ करता था जिसे "सफ़िय्या" कहा जता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो गुलाम ले लेते या लौंडी या घोड़ा। और यह खुमुस निकालने से पहले ले सकते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़नीमत में से कोई चीज़ पसन्द करते तो खुमुस निकालने से पहले उसे ले सकते थे, उस का नाम "सफ़िय्य" था।

2992:— इब्ने औन कहते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन सीरीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से और सफ़िय्यय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे किसी जिहाद में शरीक न भी हुये होते फिर भी आप का हिस्सा निकाला जाता था। और खुमस में से सब से पहले आप के लिये कोई ख़ास चीज़ निकाल ली जाती थी जिसे "सफ़िय्य" कहा जाता था।

2993:— इमाम क़तादा रह॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जिहाद में शरीक होते तो आप का एक ख़ास हिस्सा (सफ़िय्य) होता था, आप माले ग़नीमत में से जो चाहते ले सकते थे। चुनान्चे सफ़िय्या रज़ि॰ (आप की पत्नी) उसी हिस्सा में से थीं। और जब आप खुद शरीक न होते तो आप का हिस्सा रख दिया जाता था, मगर वह आप से पसन्द न कराया जाता था।

2994:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि सफ़िय्या रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सा में "सफ़िय्या के तौर पर आई थी।

2995:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ख़ैबर आये। जब अल्लाह पाक ने क़िला फ़त्ह करा दिया तो आप के सामने हुय्यि की बेटी सफ़िय्या की खूबसूरती का ज़िक्र हुआ उन के शौहर का क़त्ल हो गया था जबकि वह अभी नई नवेली दुल्हन थीं। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने लिये पसन्द फ़रमा दिया। आप उन्हें लेकर रवाना हुये, जब सद्दे सहबा के स्थान पर पहुँचे तो वह हलाल (यानी हैज़ से पाक) हो गयीं तो आप ने उन के साथ हमबिस्तरी की।

फ़ाइदा:— जन्ग में जो लौंडी हाथ आये तो उस की अिद्दत एक हैज़ है। एक हैज़ आ जाने के बाद यह पता चल जाता है कि वह हमल से नहीं है, फिर उस से हमबिस्तरी करे। वर्ना बच्चा पैदा होने तक उस से दूर रहो। ख़ैबर से थोड़ी दूर पर एक स्थान का नाम "सद्दे सहबा" है।

2996:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि सफ़िय्या रज़ि॰ को पहले दहया कलबी रज़ि॰ ने पसन्द किया था, मगर बाद में (उन के बारे में मालूमात होने के बाद) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आ गयीं।

2997:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ का बयान है कि दहया कलबी के हिस्से में एक बहुत ही सुन्दर लौंडी आयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को सात गुलाम देकर ख़रीद लिया। फिर आप ने उन्हें उम्मे सुलैम के हवाले किया ताकि उनकी चोटी–कन्घी कर दें और दुल्हन के तौर पर तय्यार कर दें। हम्माद कहते हैं कि मेरा ख़याल है किआप ने फ़रमायाः यह उम्मे सुलैम के घर अि़द्दत पूरी कर लें और यह हुय्यि की बेटी सफ़िय्या थीं।

2998:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ैबर में कै़दियों को एकत्र किया गया तो दहया रज़ि॰ आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कै़दियों में से एक लौंडी दे दें। आप ने फ़रमायाः जाओ और एक लौंडी ले लो। चुनान्चे उन्होंने हुय्यि की बेटी सफ़िय्या को ले लिया। फिर एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने सफ़िय्या को दहया के हवाले कर दिया है। हालाँकि वह बनी कु़रैज़ा और बनी नज़ीर क़बीला की सर्दार हैं (य़ानी सर्दार की बेटी हैं) यह सिर्फ़ आप ही के लिये मुनासिब हैं। आप ने फ़रमायाः दहया को बुलाओ। चुनान्चे उसे लेकर आये तोआप ने सफ़िय्या को देखा तो दहया से फ़रमायाः कै़दियों में से उन के अलावा कोई और लौंडी ले लो। चुनान्चे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें स्वतन्त्र कर दिया फिर उन से निकाह फ़रमा लिया।

फ़ाइदा:— आप ने वापस लिया तो दहया को बदले में सात लौंडी देकर उन्हें राज़ी किया। कि एक शख़्स आया, उस के सर के बाल बिखरे हुये थे, वह हाथ में लाल चमड़े का एक टुकड़ा लिये हुये था। हम ने कहाः तुम शायद दीहात के रहने वाले हो? उस ने कहाः हाँ। हम ने पूछाः यह तुम्हारे हाथ में चमड़े का टुकड़ा कैसा है? ज़रा हमें दिखाओ। उस ने चमड़ा हमें दे दिया। उस चमड़े को लेकर पढ़ा तो उस में लिखा थाः "मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ़ से बनी जुहैर बिन उक़ीश के लिये। तुम लोग अगर लाइला–ह–इल्लल्लाह मुहम्मुदर्ररसुल्लाह की गवाही दो, नमाज़ क़ाइम करो, ज़कात अदा करो, ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा (खुमुस) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास हिस्सा (सफ़िय्य) अदा करो तो अल्लाह और उस के रसूल की अमान में रहो।" हम ने पूछाः तुम्हें यह तहरीर किस ने दी है? उस ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।

2999:— यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हम (बसरा के मुहल्ला) मिरबत में थे कि एक आदमी आया, उसके सर के बाल बिखरे हुये थे, वह हाथ में लाल चमड़े का एक टुकड़ा लिये हुआ था। हमने पूछा तुम शायद दीहात के रहने वाले हो, उसने कहाः हाँ। हम ने कहाः यह तुम्हारे हाथ में चमड़े का टुकड़ा कैसा है? ज़रा हमे दिखाओ। उसने हमे दे दिया। हमने उसे पढ़ा तो उस में लिखा हुआ था "मुहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ से बनी जुहैर के लिये, तुम लोग अगर लाइल्लाह–इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह की गवाही दो, नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, ग़नीमत में से पाँचवा हिस्सा दो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ारस हिस्सा (सफ़ी) अदा करो तो अल्लाह और उसके रसूल की अमान में रहो।" हम ने पूछाः तुम्हें यह पर्चा किसने दिया? उसने कहाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।

बाब {यहूदी मदीना शरीफ़ से कैसे निकाले गये?}

3000:— अब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक अपने पिता से रिवायत करते हैं, यानी कअ़ब बिन मालिक से। और कअ़ब उन तीन लोगों में से एक थे जिन की तौबा क़ुबूल की गयी थी। उन्होंने बयान किया कि (यहूदियों का सर्दार) कअ़ब बिन अशरफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बड़ी बुराई बयान करता था और क़ुरैश के काफ़िरों को उन पर हमला करने के लिये उभारता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लायेतो शहर में तीन प्रकार के लोग बसते थे। यानी मुसलमान, मुश्रिक बुतों की पूजा करने वाले, और यहूदी। और यह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा को बहुत दुख दिया करते थे, तो अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सब्र करने का हुक्म दिया और इन्हीं के बारे में यह आयत (आले अ़िम्रान-186) नाज़िल हुयी। और जब कअ़ब बिन अशरफ़ (यहूदी) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तक्लीफ़ देने से बाज़ न आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (क़बीला औस के सर्दार) सअ़द बिन मआ़ज़ रज़ि॰ से फ़रमाया कि कोई जमाअ़त भेज दो जो उस का काम तमाम कर दे। चुनान्चे उन्होंने मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ि॰ को भेज दिया, और फिर उस के क़त्ल का क़िस्सा बयान किया। जब उन लोगों ने उस को क़त्ल कर दिया तो यहूदी और मुश्रिक घबरा गये और सुब्ह के समय ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहाः हमोर सर्दार को रात के समय क़त्ल कर दिया गया है, यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन लोगों को वह सब बताया जो कअ़ब कहा करता था और उन्हें दावत दी कि आओ, हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक तहरीरी (लिखित) अनुबन्ध (मुआ़हिदा) हो जाए जिस पर सब का इत्तिफ़ाक़ हो। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने और यहूदियों और मुसलमानों के दर्मियान एक तहरीर लिख ली (यानी मुआहिदा हो गया)

फ़ाइदा:— कअ़ब बिन अशरफ़ यहूदी की हत्या बद्र की लड़ाई के बाद हिजरत के तीसरे साल के आरंभ में हुयी थी। इस का बयान हदीस न॰ 2768 में गुज़र चुका है।

3001:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि बद्र के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब क़ुरैश पर ग़ालिब आ गये और जीत हासिल करने के बाद मदीना पहुँचे तो यहूदियों को बनी क़युनक़ाअ़ के बाज़ार में जमा किया और फ़रमायाः ऐ यहूद की जमाअ़त! इस्लाम स्वीकार कर लो इस से पहले कि तुम्हें उन हालात से दो-चार होना पड़े जिन से मक्का के क़ुरैश दो-चार हुये हैं। इस पर उन लोगों ने कहाः ऐ मुहम्मद! आप धोखे में न रहें कि क़ुरैश के अनाड़ी लोगों को क़त्ल कर आये हें, वह जन्ग करना जानते ही नहीं थे। अगर तुम ने हम से जन्ग की तो पता चल जायेगा कि हम मर्द हैं, तुम्हारा हम जैसों से सामाना नहीं हुआ है। चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "काफ़िरों से कह दीजिये कि तुम बहुत जल्द पराजित किये जाओगे।" (आले अ़िम्रान-12, 13)

हदीस के रावी मुसर्रिफ़ बिन अ़म्र ने आगे तक पढ़ा कि "एक गरोह तो अल्लाह की राह में

लड़ रहा था (यानी बद्र में) और दूसरा गरोह काफ़िरों का था।

3002:— मुहय्यिसा बिन कअ़ब अन्सारी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस यहूदी पर भी तुम्हारा बस चले उसे मार डालो। चुनान्चे मुहय्यिसा ने एक यहूदी ताजिर पर जिस का नाम शुबैबा था हमला किया और उसे मार डाला जो उन के साथ रहता था। और मुहय्यिसा का भाई हुवय्यिसा अभी उन दिनों मुसलमान नहीं हुआ था और आयु में मुहय्यिसा से बड़ा था। जब उस ने हत्या कर दी तो हुवय्यिसा, मुहय्यिसा को मारने लगा और कहता थाः ऐ अल्लाह के दुश्मन! अल्लाह की क़सम! तेरे पेट की बहुत सी चर्बी उस के माल की वजह से है (यानी वह तुझ पर एहसान करने वाला है और तूने उस की हत्या कर दी है)

3003:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः चलो उठो, यहूदियों की तरफ़ चलो। चुनान्चे हम आप के साथ चल कर उन के पास पहुँचे, फिर आप रुक गये और उन्हें पुकार कर फ़रमायाः "ऐ यहूदी लोगों! इस्लाम कुबूल कर लो तो सलामती में रहोगे। उन्होंने कहाः ऐ अबुल क़ासिम! आप ने पैग़ाम पहुँचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फिर फ़रमायाः इस्लाम कुबूल कर लो सलामती में रहोगे। उन्होंने कहाः ऐ अबुल क़ासिम! आप ने पैग़ाम पहुँचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं यही चाहता हूँ (कि तुम इक़रार कर लो कि मैंने पैग़ाम पहुँचा दिया है) आप ने तीसरी बार फ़रमायाः याद रखो! ज़मीन अल्लाह की है और उस के रसूल की, और मैं तुम को इस ज़मीन से निकाल बाहर करने वाला हूँ। इसलिये जिसे अपने माल में से कुछ मिलता हो तो वह उसे बेच ले, वर्ना याद रखो कि जमीन अल्लाह की है और उस के रसूल की।

बाब {क़बीला बनी नज़ीर के यहूद का बयान।}

3004:— अब्दुर्रहमान बिन कअ़ब बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक सहाबी के वास्ते से बयान करते हैं कि मक्का के कुरैश ने अ़ब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफ़िक़) और उस के साथियों औस-खज़रज़ के दूसरे बुत परस्त लोगों को पत्र लिखा जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना आ चुके थे। और यह बद्र की लड़ाई से पहले का क़िस्सा है। उन्होंने लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी को पनाह दे रखी है और हम अल्लाह की क़सम खा कर कहते हैं कि तुम लोग उस से जन्ग करो या उसे (अपने यहाँ से) निकाल बाहर करो, वर्ना हम सब मिल कर तुम पर धावा बोलेंगे यहाँ तक कि तुम्हारे जवानों को क़त्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। यह ख़बर जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उस के साथी बुत परस्तों को पहुँचा तो वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जन्ग करने के लिये एकत्र हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब यह सूचना मिली तो आप उन से मिले और फ़रमायाः कुरैश की धमकी से तुम लोग बहुत प्रभावित हो गये हो, हालाँकि वह तुम्हारा इस से अधिक नुक़सान नहीं कर सकते जितना कि तुम अपने हाथों ख़ुद कर बैठना चाहते हो। क्या

तुम अपने बेटों और भाइयों से जन्ग करना चाहते हो? जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह बात सुनी (और उस की हक़ीक़त को समझ गये) तो वह इधर-उधर हो गये। क़ुरैश के काफ़िरों को यह सूचना मिली तो उन्होंने बद्र की लड़ाई के बाद यहूदियों को लिखा कि तुम लोग हथियार और क़िलों के मालिक हो। तुम लोग या तो हमारे आदमी से जन्ग करो वर्ना हम ऐसे और ऐसे कर डालेंगे और फिर हमारी और तुम्हारी महिलाओं की पाज़ेबों के दर्मियान कोई रुकावट न होगी (यानी हम मर्दो को क़त्ल कर के उन की बीवियों को लौंडी बना लेंगे) जब उन के लिखे की सूचना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँची तो उसी दर्मियान क़बीला बनी नज़ीर ने भी (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से) धोखा बाज़ी करने का इरादा किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कहला भेजा कि आप अपने तीस लोगों के साथ हमारी तरफ़ आयें और हम में से तीस ज्ञानी आयें और एक बीच की जगह में मिलें। यह लोग आप की बात सुनेंगे अगर इन्होंने आप की बात तस्दीक़ की और आप पर ईमान लाये तो हम भी आप पर ईमान ले आयेंगे। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को उन की ख़बर बता दी। जब अगला दिन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लश्कर लेकर गये और उन का घेराव कर लिया और कहाः अल्लाह की क़सम! तुम लोगों पर अब कोई भरोसा नहीं रहा मगर यह कि एक नये मुआ़हिदा के ज़रीआ़ से जो तुम (नये सिरे से) मेरे साथ करो। उन लोगों ने मुआ़हिदा करेन से इन्कार कर दिया तो आप ने उस दिन उन से जन्ग किया फ़िर अगले दिन लश्कर लेकर बनी क़ुरैज़ा से मुतालबा किया कि वह (नया) मुआ़हिदा करें तो उन्होंने मुआ़हिदा कर लिया, और आप ने उन से तवज्जोह हटा ली और (अगले दिन दोबारा) बनी नज़ीर पर लश्कर लेकर चढ़ाई की और उन से जन्ग किया, चुनान्चे वह जिला वतनी पर राज़ी हो गये और मुल्क बदर हो गये। वह लोग जितना सामान लेकर जा सकते थे, घर का सामान, दर्वाज़े, शहतीर और कड़ियाँ वग़ैरह ऊँटों पर लाद लिया और बनी नज़ीर के खूजर के बाग़ ख़ास तौर पर आप की तहवील में आ गये। अल्लाह पाक ने वह चीज़ें आप को अ़ता कीं और आप के लिये मख़्सूस कर दीं। अल्लाह पाक ने फ़रमायाः “और अल्लाह ने उन में से जो कुछ अपने रसूल को दिलवाया है तुम ने उस पर कोई घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाये” (यानी बिना जन्ग किये हासिल किया) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का अक्सर हिस्सा मुहाजिरों में तक़्सीम फ़रमा दिया और अन्सार में से केवल दो आदमियों को दिया, उन के अ़लावा किसी अन्सारी को कुछ नहीं दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सदक़ा में से यही बाक़ी है जो फ़ातिमा की औलाद के क़ब्ज़े में है।

3005:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी नज़ीर और क़ुरैज़ा के यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जन्ग की (यानी आप के ख़िलाफ़ साज़िश की) तो आप ने बनी नज़ीर को मदीना से निकाल बाहर किया और बनी क़ुरैज़ा को उन के घरों में रहने दिया और उन पर एहसान फ़रमाया। फिर इन्होंने बाद में जन्ग की (यानी अहज़ाब की जन्ग के मौक़ा पर धोखा दिया) तो उन के लड़ने वाले क़त्ल कर दिये गये और उन की महिलाओं-बच्चों और उन के माल को मुसलमानों में तक़्सीम कर दिया गया, उन चन्द लोगों को छोड़ कर जो

(कारवाई से पहले) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से आ मिले थे तो आप ने उन को अमान दी और वह इस्लाम ले आये (और क़त्ल से बच गये) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी क़युनक़ाअ़ और बनी हारिसा के तमाम यहूदियों को जो मदीना में रह रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया। बनी क़युनक़ाअ़ अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम की क़ौम थी।

बाब {ख़ैबर की ज़मीन का हुक्म।}

3006:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर वालों से जन्ग की, उन की खजूरें और ज़मीनें आप के क़ब्ज़े में आ गयीं, और उन्हें अपने क़िलों के अन्दर हो जाने पर मजबूर कर दिया गया तो उन्होंने आप से सुलह कर लिया कि तमाम सोना-चाँदी और हथियार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये होगा। और दूसरे सामान जो उन के ऊँट उठा सकें ले जायेंगे और कोई चीज़ छुपायेंगे नहीं, और न ही गुम करेंगे। अगर ऐसा किया तो उन के लिये कोई ज़िम्मा और अ़हद न रहेगा। मगर उन्होंने चमड़े का एक बोरा गुम कर दिया जो हुय्यि बिन अख़्तब का था और वह खुद ख़ैबर से पहले मारा जा चुका था। वह यह बोरा बनी नज़ीर के मदीना से निकाले जाने के मौक़ा पर उठा कर लाया था, उस बोरा में उन लोगों के ज़ेवर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सअय्या नाम के एक यहूदी से कहाः हुय्यि बिन अख़तब का बोरा कहाँ है? उस ने कहाः वह जन्गों में और दूसरे कामों में ख़र्च हो गया है। मगर सहाबा ने उस बोरे को ढूँड निकाला। जब इब्ने इबी हुक़ैक़ को क़त्ल किया गया, उन की महिलाओं और बच्चों को क़ैदी बना लिया गया और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर करने का इरादा कर लिया, तो उन्होंने कहाः ऐ मुहम्मद! हमें यहाँ रहने दें, हम इस ज़मीन में मेहनत करेंगे और जब तक आप (हमें रखना) चाहेंगे उस की पैदावार का आधा हम लेंगे और आधा आप लेंगे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (उस पैदावार में से) अपनी बीवियों में से हर एक को अस्सी वसक़ खजूर और बीस वसक़ जौ दिया करते थे।

3007:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने कहाः ऐ लोगों! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर के यहूदियों से यह तय किया था कि जब हम चाहेंगे उहें निकाल बाहर करेंगे, तो उन से जिन को कुछ लेना हो वह वसूल कर ले, मैं यहूदियों को ख़ैबर से निकाल बाहर करने जा रहा हूँ। चुनान्चे इस केबाद उन्होंने यहूदियों को ख़ैबर से जिला वतन कर दिया।

3008:— अ़ब्दुल्नाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि जब ख़ैबर फ़त्ह हो गया तो यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि हमें यहीं रहने दिया जाये, हम मेहनत करेंगे और जो आमदनी होगी उस से आधी आप को अ़दा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं तुम्हें इस शर्त पर यहाँ रहने देता हूँ कि हम जब तक चाहेंगे। चुनान्चे वह इसी के मुताबिक़ वहाँ रहे। और ख़ैबर से प्राप्त होने वाली आधी खजूर कई हिस्सों में तक़्सीम की जाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाँचवाँ हिस्सा (खुमुस) लिया करते थे।

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से हर बीवी को 100 वसक खजूर और 20 वसक् जौ दिया करते थे। फिर जब उमर रज़ि॰ ने (अपने ख़िलाफ़त के ज़माना में) यहूदियों को निकालने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों को कहला भेजा कि आप में से जिसका जी चाहे मैं उन को उतने पेड़ दिये देता हूँ जिस से 100 वसक् खजूर मिला जायेगी, और वह पेड़, जमीन और पानी उसी का होगा। और ऐसे ही इतनी ज़मीन भी दिये देता हूँ जिस से 20 वसक् जौ मिल जाये। और अगर कोई पसन्द करती हैं तो हम खुमुस में से उन का हिस्से पहले की तरह अ़दा करते रहेंगे।

फ़ाइदा:— सहीह मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक़ आइशा और हफ़सा रज़ि॰ ने ज़मीन और पानी को लिया और बाज़ बीवियों ने 100 वसक् खजूर और 20 वसक् जौ लेना पसन्द किया।

3009:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर पर चढ़ाई की तो हम ने ख़ैबर को ताक़त से हासिल किया और बन्दी इकट्ठा किये।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ैबर का कुछ हिस्सा जन्ग कर के और कुछ हिस्सा सुलह-समझौता पर हासिल हुआ था।

3010:— सहल बिन अबी हसमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर को दो हिस्सों में तक़सीम किया था। एक हिस्सा तोआप के ज़ाती ख़र्च और इत्तिफ़ाक़ी ख़र्च के लिये ख़ास था और आधा मुसलमानों के लिये। आप ने उसे उन में 18 हिस्सों में तक़सीम किया था।

3011:— बुशैर बिन यसार रह॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने सहाबा की एक जमाअ़त से सुना, उन्होंने बताया.....और फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान की। चुनान्चे आधा हिस्सा मुसलमानों का था और उन में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का भी हिस्सा था, और बाक़ी आधा मुसलमानों की इत्तिफ़ाक़ी ज़रुरत और और अचानक पेश आने वाले मामलात के लिये अलग कर लिया था।

3012:— बुशैर बिन यसार रह॰ जो कि अन्सार के आज़ाद किये हुये गुलाम थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कई सहाबा से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब ख़ैबर फ़त्ह किया तो उसे कुल 36 हिस्सों में तक़सीम किया, और हर हिस्से में 100 हिस्से थे। चुनान्चे उस में से आधे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिये थे और बाक़ी आधा इत्तिफ़ाक़ी ज़रुरत के लिये सुरक्षित रख गये, क्योंकि आप के पास वफ़्द आते थें, या कोई हन्गामी ख़र्च होता, या मुसलमानों पर कोई मुश्किल आ पड़ती (तो उस में से इस मद से लेकर ख़र्च किया जाता था)

3013:— बुशैर बिन यसार रह॰ से रिवायत है कि जब अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़ैबर दिया तो आप ने उसे 36 हिस्सों में तक़सीम किया। हर हिस्से में 100 हिस्से थे। उन में से आधे आप के ज़ाती ख़र्च और आप के पास आने वाले मेहमानों और

मन्डलों के ऊपर ख़र्च के लिये थे। इन में क़िला वतीहा, क़िला कुतैबा और उन के साथ की मिली हुयी ज़मीन थी। और बाक़ी आधे मुसलमानों में तक़्सीम कर दिये, यानी क़िला शक़्क़, क़िला नज़्ज़ारा और उन के आस-पास का क्षेत्र। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हिस्सा भी उन्हीं से मिला हुआ था।

फ़ाइदा:— ख़ैबर का जो हिस्सा बिन लड़े-भिड़े हासिल हुआ था उस में खुमुस (पाँचवाँ) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का था, वही क्षेत्र...........।

3014:— बुशैर बिन यसार रह० से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जब अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़ैबर का माल अ़ता किया तो आप ने उसे कुल 36 हिस्सों में तक़्सीम किया। आप ने आधे यानी 18 हिस्से मुसलमानों के लिये ख़ास कर दिये। हर हिस्सा 100 हिस्सों पर मुश्तमिल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी उन के साथ शरीक थे। आप का हिस्सा भी उसी तरह था जैसे कि एक मुसलमान का। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 18 हिस्से अपने आड़े वक़्तों और मुसलमानों की हन्गामी ज़रुरत के लिये अलग कर दिये थे। वतीह और कुतैबा और सलालिम बस्तियों के क़िले और उन के आस-पास की ज़मीन। जब यह ज़मीनें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गयीं तो आप के पास कोई मेहनत करने वाला न था जो उन ज़मीन में काम करता, इसलिये आप ने यहूदियों को दावत दी और उन से मामला तै कर लिया।

फ़ाइदा:— मामला यह तै कर लिया कि यहूद मेहनत करेंगे और आधी पैदावार (लेंगे) यानी बटाई पर काम करते थे।

3015:— मुजम्मे बिन जारिया अन्सारी रज़ि० से रिवायत है.....और यह उन हाफ़िज़ लोगों में से थे जिन्हें पूरा कुरआन ज़बानी याद था.... बयान करते हैं कि ख़ैबर को उन मुजाहिदों में तक़्सीम किया गया जो हुदैबिय्या में शरीक थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की जायदाद को 18 हिस्सों में तक़्सीम किया था। उस लश्कर की तादाद एक हज़ार पाँच सौ थी। उन में से तीन सौ घोड़े सवार थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को दो हिस्से दिये और पैदल को एक हिस्सा।

फ़ाइदा:— मुजाहिदों की तादाद अनुमान से बताई गयी है, वर्ना सहीह तादाद 1400 थी और घोड़ों की तादाद 200। घोड़ों के हिस्से 400 हुये। मुजाहिदों के 1400। कुल 1800 हुये।

3016:— इमाम ज़हरी औरअ़ब्दुल्लाह बिन अबू बक्र से और मुहम्मद बिन मसलमा के बाज़ लड़कों से रिवायत है कि ख़ैबर वालों में से कुछ बच गये तो वह क़िला में बन्द हो गये। और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि हमारे खून माफ़ कर दियेजायें (यानी क़त्ल न किया जाये) और हमें यहाँ से निकल जाने का मौक़ा दिया जाये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। फ़िदक वालों ने यह बात सुनी तो वह भी इस बात पर राज़ी होगये। चुनान्चे यह क़िले और ज़मीनें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये

ख़ास रहीं। क्योंकि उन पर कोई घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये गये थे (यानी जन्ग नहीं हुयी थी)

3017:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर का कुछ हिस्सा जन्ग कर के हासिल किया था।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने हारिस बिन मिसकीन की सनद से इब्ने शिहाब ज़हरी से रिवयत किया है कि ख़ैबर का कुछ हिस्सा जन्ग से और कुछ हिस्सा सुलह से प्राप्त हुआ था। कुतैबा (की बस्ती की ज़मीन) का अक्सर हिस्सा जन्ग से हासिल हुआ था और उस में कुछ हिस्सा समझौता से भी हासिल हुआ था। (इब्ने वहब कहते हैं) मैंने इमाम मालिक रह॰ से पूछाः कुतैबा क्या है? उन्होंने कहाः यह ख़ैबर की ज़मीन है, उस में खजूर के चालीस हज़ार पेड़ थे।

3018:— इब्ने शिहाब ज़हरी रह॰ कहते हैं कि मुझे यह बात पहुँची हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर को लड़ाई लड़ कर ताक़त से फ़त्ह किया था। और जन्ग के बाद उस के कुछ लोगों ने यह अ़लाक़ा छोड़ देने की शर्त पर अपनी क़िला बन्दी को समाप्त कर दिया और सुलह कर लिया।

3019:— इब्ने शिहाब ज़हरी रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर का खुमुस (पाँचवाँ) निकाला फिर उसे हुदैबिय्या में शरीक लोगों में बाँट दिया, चाहे कोई हाज़िर था या ग़ैर हाज़िर।

3020:— उमर रज़ि॰ ने कहाः अगर मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का ख़याल न हो तो जो बस्ती भी फ़त्ह हो मैं उसे तक़्सीम कर दूँ जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर को तक़्सीम कर दिया था।

बाब **{फ़त्ह मक्का का बयान।}**

3021:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का बयान है कि फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब रज़ि॰, अबू सुफ़यान बिन हर्ब को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाये, फिर उन्होंने मर्रज़्ज़हरान के स्थान पर इस्लाम कुबूल कर लिया। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़यान ऐसा आदमी है जिसे फ़ख्र और बड़ाई पसन्द है, अगर आप उन के लिये कोई ख़ास चीज़ दे दें (तो अच्छा हो) आप ने फ़रमायाः ठीक है, जो अबू सुफ़यान के घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है। और जो अपने घर में दर्वाज़ा बन्द कर के बैठे रहे उसे भी अमान में है।

फ़ाइदा:— ज़ीक़ादा सन 6 हि॰ में हुदैबिय्या के स्थान पर मुसलमानों और कुरैश के दर्मियान मुआ़हिदा हुआ था। सन 8 हि॰ में मुआ़हिदा को कुरैश ने तोड़ दिया, तब मुसलमानों ने मक्का फ़त्ह कर लिया और पूरे अ़रब दीप में इस्लाम का झन्डा फहराने लगा।

3022:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब मर्रज़्ज़हरान के स्थान पर पड़ाव डाला तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः अल्लाह की क़सम! अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी ताक़त के बलबूते मक्का में दाख़िल हो गयेऔर

इस से पहले मक्का के लोग आप के पास न आये और अमान न माँगी तो इस में कुरैश के लिये बहुत बड़ी बर्बादी है। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़च्चर पर बैठ कर बाहर निकला। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई आदमी मिल जाये जो किसी काम से निकला हो तो वह मक्का वालों के पास जा उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आने के बारे में बता दे, और वह आप की ख़िदमत में हाज़िर होकर अमन तलब कर लें चुनान्चे मैं चला जा रहा था कि अबू सुफ़यान और बुदैल बिन वरक़ा को बात-चीत करते सुना तो मैं ने कहाः ऐ अबू हन्ज़ला! उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली और बोलेः ऐ अबुल फ़ज़्ल! मैंने कहाः हाँ। उस ने कहाः क्या हुआ? मेरे माता-पिता तुम पर कुर्बान। मैंने कहाः यह अल्लाह के रसूल हैं और सहाबा भी आप के साथ हैं। उस ने पूछाः तो अब क्या हीला है? फिर अबू सुफ़यान मेरे पीछे ख़च्चर पर बैठ गया और उस का साथी (बुदैल) वापस चला गया। जब सुब्ह हुयी तो मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने इस्लाम कुबूल कर लिया। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़यान ऐसा आदमी है जिसे फ़ख़र और बड़ाई पसन्द है तो आप उस के लिये कोई ख़ास चीज़ फ़रमा दें। आप ने फ़रमायाः ठीक है, जो अबू सुफ़यान के घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है, जोअपने घर का दरवाज़ा बन्द कर ले उसे अमान है, जो मस्जिद में दाख़िल हो जाये उसे अमान है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान कियाः फिर लोग अपने घरों और मस्जिद में बिखर गये।

3023:— वहब बिन मुनब्बिह रह॰ कहते हैं कि मैंने जाबिर रज़ि॰ से पूछाः फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर मुसलमानों ने कोई ग़नीमत का माल हासिल किया था? उन्होंने कहाः नहीं।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक्का वालों पर एहसान किया था कि आप ने मक्का की ज़मीन को माले ग़नीमत या माले फ़ै नहीं करार दिया।

3024:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में दाख़िल हुये तो जुबैर बिन अ़व्वाम, अबू उबैदा बिन जर्राह और ख़ालिद बिन वलीद को घोड़ सवारों का अमीर बनाया। आप ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से फ़रमायाः अन्सार को बुलाओ। (वह आ गये तो) उन से फ़रमायाः तुम लोग यह रास्ता लो और जो भी तुम्हारे सामने सर उठाने की कोशिश करे उसे सुला दो (उस की गर्दन मार दो) चुनान्चे एक पुकारने वाले ने ऐलान किया कि आज के बाद कुरैश नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपने घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है और जो हथियार फेंक दे उसे अमान है। कुरैश के बड़ों ने काबा का रुख़ कियाऔर उस में जा दाख़िल हुये और वह उन से खचा-खच भर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मुक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर काबा के दरवाज़े की चौखट पकड़ कर खड़े हो गये तो वह लोग निकल आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैअ़त की।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हन्बल रह॰ से सुना कि एक आदमी ने उन से प्रश्न किया था कि क्या मक्का जन्ग से फ़त्ह हुआ था? तो उन्होंने उत्तर दिया थाः

जो भी हो तुम्हें उस का क्या नुक़सान है? उस ने पूछाः क्या सुलह हुयी थी? उन्होंने फ़रमायाः नहीं।

फ़ाइदा:— मक्का को जन्ग से फ़त्ह किया था। आप ने इस जन्ग को राज़ में रखा था ताकि हरम में खून न बहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह के बाद हासिल होने वाले माल को उन्हीं में तक़सीम कर दिया। मक्का के अ़लावा जिस भी क़बीले ने आ कर खुद से इस्लाम क़ुबूल किया तो उस में से किसी के माल को फ़ै क़रार नहीं दिया। बहर हाल यह बात तै है कि मक्का जन्ग से फ़त्ह हुआ था।

बाब {ताइफ़ का बयान।}

3025:— वहब कहते हैं कि मैं ने जाबिर रज़ि॰ से क़बीला सक़ीफ़ की बैअ़त का हाल पूछा तो उन्होंने कहाः उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ शर्त की थी कि वह सदक़ा देंगे न जिहाद करेंगे। जाबिर रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बाद में सुना, आप फ़रमाते थेः "यह लोग जब मुसलमान हो जायेंगे तो सदक़ा देंगे और जिहाद भी करेंगे (यानी जब इस्लाम के बारे में उन्हें इत्मिनान हो जायेगा तो सब काम करेंगे)

फ़ाइदा:— शव्वाल 8 हि॰ को ताइफ़ का घेराव किया गया। ताइफ़ के सर्दार उर्वा बिन मस्ऊद ने पहले इस्लाम स्वीकार किया, बाद में सन 9 हि॰ में क़ौम के लोग इस्लाम ले आये।

3026:— उस्मान बिन अबुल आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि सक़ीफ़ का वफ़्द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हेंमस्जिदे नबवी में ठहराया ताकि यह उन के दिलों को ज़्यादा नर्म करने का सबब हो। चुनान्चे उन लोगों ने यह शर्त रखी कि उन्हें जिहाद के लिये नहीं बुलाया जायेगा, न उन से सदक़ा वसूल किया जायेगा, और न यह लोग नमाज़ पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह तो हो सकता है कि तुम्हें जिहाद के लिये न बुलाया जाये, या सदक़ा न किया जाये, मगर उस दीन में कोई भलाई नहीं जिस में रुकूअ़ (नमाज़) न हो।

बाब {यमन की ज़मीन का बयान।}

3027:— आ़मिर बिन शहर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का एलान किया तो हमदान क़बीला के लोगों ने मुझ से कहाः क्या तुम उस शख़्स (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पास जा कर हमारे बारे में बातचीत कर सकते हो? जिस चीज़ पर तुम राज़ी हो जाओगे हम उसे क़ुबूल कर लेंगे, और जिसे तुम नापसन्द करोगे हम भी उसे नापसन्द करेंगे। मैंने कहाः हाँ। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मुझे आप का मामला पसन्द आया और मेरी क़ौम ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उमैर ज़ी मुर्रान की तरफ़ यह ख़त लिखा (हुआ यह था कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मालिक बिन मुरारा रहावी को तमाम यमन वालों की तरफ़ अपना नुमाइन्दा बना कर भेजा था। पस एक शख़्स अ़क्क ज़ी ख़ैवान ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो उस से कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की

ख़िदमत में जाओ और आप से अपनी बस्ती और माल के लिये अमान का पर्वाना हासिल कर लो। चुनान्चे वह आप की ख़िदमत में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को यह तहरीर लिख कर दी: "बिस्मिल्ला हिंरहमा निंरहीम..... अल्लाह के रसूल मुहम्मद की तरफ़ से अक्क ज़ी ख़ैवान के लिये तहरीर है कि अगर वह सच्चा हो तो उसे उस की जमीन, माल और गुलामों के बारे में अमान हासिल है। इस के लिये अल्लाह का ज़िम्मा हे और अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िम्मा है।"

इस तहरीर को ख़ालिद बिन सअ़ीद बिन आ़स ने लिखा था।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है, ताहम दूसरी हदीसों से साबित है कि यमन वाले अपनी खुशी से इस्लाम लाये थे इसलिये उन की तमाम जायदाद उन्हीं के पास रही, उन से सिर्फ़ दस्वाँ वसूल किया जाता था।

3028:— अबयज़ बिन हम्माल रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सदक़ा के बारे में बात-चीत की जबकि वह वफ़्द लेकर आप के पास आये थे। आप ने फ़रमाया: ऐ सबा के भाई! सदक़ा अ़दा करना ज़रुरी है। उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी खेती केवल कपास की हैऔर सबा क़ौम अब बिखर चुकी है और मआरिब के स्थान पर थोड़े से लोग ठहरे हुये हैं। चुनान्चे उस ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुलह कर ली कि वह लोग सलाना सत्तर जोड़े कपड़े के बराबर क़ीमत अ़दा करेंगे। और फिर यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वफ़ात तक अ़दा करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वहाँ के हाकिमों ने उन की तरफ़ से किया गया वादा तोड़ दिया जो कि अबयज़ बिन हम्माल रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सत्तर जोड़ों की अदायगी का कर रखा था, तो अबू बक्र रज़ि॰ ने दोबारा उस हालत में कर दिया जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में था। फिर जब अबू बक्र का देहान्त हो गया तो फिर यह मुआ़हिदा टूट गया और (आम तौर पर जो सदक़ा लिया जाता था वही) सदक़ा लिया जाने लगा।

बाब {यहूदियों को अ़रब दीप से निकाल देने का बयान।}

3029:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तीन बातों की वसिय्यत फ़रमाई थी (1) मुश्रिकों को अ़रब द्वीप से निकाल देना (2) वफ़्द से उसी प्रकार व्यवहार करना जैसे कि मैं किया करता हूँ (3) और तीसरी बात के बारे में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने या तो यह कहा कि आप ख़ामोश रहे (और नहीं बताया) या यह कहा कि मैं ही भूल गया हूँ।

हुमैदी ने सुफ़यान से रिवायत किया कि सुलैमान ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि सअ़ीद बिन जुबैर ने तीसरी बात ज़िक्र की थी और मैं भूल गया हूँ, या वह (इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰) ही ख़ामोश रहे थे।

फ़ाइदा:— अ़रब महादीप, यह क्षेत्र हिन्द सागर, कुलजुम सागर, शाम सागर और दिजला व फुरात से घिरा होने की वजह से दीप कहलाता है। इस की सरहद लंबाई में अ़दन से शाम और जद्दा से रीफ़ इराक़ तक फैली हुयी है। यह क्षेत्र चूँकि इस्लाम का सर्वप्रथम केन्द्र है और यहीं से इस्लाम का प्रचार पूरे संसार में होना था इसलिये इस क्षेत्र को यहूद-नसारा के मकड़ जाल से सुरक्षित रखना था।

तीसरी बात यह थी कि मेरे बाद मेरी क़ब्र को बुत न बना लेना, या नमाज़ और गुलामों का ख़याल रखना।

3030:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मैं यहूदियों और ईसाइयों को अ़रब दीप से ज़रुर निकाल कर रहूँगा, मैं उस में मुसलमानों के सिवा किसी और को नहीं छोड़ूँगा।

3031:— जाबिर रज़ि॰, उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ....फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की। ऊपर की हदीस ज़्यादा मुकम्मल है।

3032:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुल्क (अ़रब) में दो क़िब्ले नहीं हो सकते।

3033:— सओ़द बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से रिवायत है कि अ़रब दीप से मुराद (वह क्षेत्र है) जो कुरा की वादी से यमन के अन्तिम सिरे (छोर) तक और दूसरी तरफ़ इराक़ की सीमा से लेकर समुन्द्र तट तक है।

3034:— इमाम अबू दावूद रह॰ (हारिस बिन मिसकीन की सनद से) बयान करते हैं कि इमाम मालिक रह॰ ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ ने नजरान क़बीला वालों को मुल्क बदर कर दिया लेकिन वह तैमा से नहीं निकाले गये, क्योंकि वह अ़रब की सीमा के अन्दर नहीं आते हैं। और कुरा की वादी के यहूदियों को भी मेरा ख़याल है कि नहीं निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने उसे अ़रब का क्षेत्र नहीं समझा।

इब्ने सरह की सनद से रिवायत है कि इमाम मालिक रह॰ ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ ने नजरान और फ़िदक के यहूदियों को मुल्कबदर किया था (क्योंकि यह क्षेत्र अ़रब दीप में शुमार होते थे)

बाब {इराक़ की ज़मीन और ताक़त से हासिल की गयी ज़मीन वक़्फ़ करने का बयान।}

3035:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (एक रात आने वाली है कि) इराक़ अपने (ख़राज, लगान) के क़फ़ीज़ और दिरहम रोक लेगा और शाम अपने मुदी और दीनार देने बन्द कर देगा, और मिस्र अपने इरदब और दीनारों की अदायगी रोक देगा और फिर तुम उधर ही लौट जाओगे जहाँ से शुरु किया था। ज़ुहैर ने इसे तीन बार दोहरा कर कहा कि इस पर अबू हुरैरा रज़ि॰ का गोश्त और ख़ून गवाह है।

फ़ाइदा:— क़फ़ीज़, मुदीं, इरदब, यह सब माप-तौल के पैमाने हैं। "ख़राज रोक देंगे" यानी या तो इन्कार कर देंगे, या मुसलमान हो जायेंगे और ख़राज इन पर से हट जायगा। "तुम उधर ही लौट जाओगे जहाँ से आरंभ किया था" यानी अलग-अलग आज़ाद और एक दूसरे से जुदा मुल्क बन जाओगे, जैसा कि इस्लाम के शुरु में थे।

3036:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस बस्ती में तुम आओ और वहाँ ठहर जाओ तो उस में तुम्हारा हिस्सा है (यानी जो सुलह से हासिल हो तो फ़ै में तुम्हारा हिस्सा जाना-पहचाना है) और जो बस्ती अल्लाह की और उस के रसूल की नाफ़रमानी करे तो उस का खुमुस (पाँचवाँ) अल्लाह और उस के रसूल के लिये हैं, फिर यह तुमहारे लिये है।

बाब {जिज़या (टेक्स) लेने के अहकाम व मसाइल।}

3037:— उमर रज़ि॰ के पुत्र आ़सिम रह॰ अनस बिन मालिक रज़ि॰ से मर्फ़ूअ़ तरीक़े सेऔर उस्मान बिन अबू सुलैमान रह॰ से मौक़ूफ़ तरीक़े से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ालिद बिन वलीद (और कुछ दूसरे सहाबा) को दूमा के बादशाह उकैदिर के पास भेजा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाये तो आप ने उस का खून माफ़ कर दिया और जिज़या देने की शर्त पर सुलह कर लिया।

फ़ाइदा:— मुसलमान बादशाह अपने ग़ैर मुस्लिम प्रजा से टेक्स लेता है क्योंकि उन के धन-माल, जान और इज़्ज़त की सुरक्षा करते हैं। इस टेक्स का नाम "जिज़या" है।

3038:— मआ़ज़ रज़ि॰ से रिवायत हैकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें जब यमन की तरफ़ रवाना किया तो उन को हुक्म दिया कि हर बालिग़ से एक दीनार या उस के बराबर मआ़फ़री कपड़ा वसूल करें। यह कपड़ा उसी क्षेत्र में बुना जाता था।

फ़ाइदा:— ज़कात में जिन्स के बदले रुपया, रुपया के बदले जिन्स लेना दुरुस्त है। यहाँ जिज़या की रकम के बदले कपड़ा लेने की इजाज़त दी गयी है। फिर भी अस्ल जिन्स की अदायगी ही ज़रुरी है।

3039:— इमाम मस्रुक़ ने मआ़ज़ रज़ि॰ की सनद से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

3040:— ज़ियाद बिन हुदैर रह॰ सेरिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ ने फ़रमायाः अगर मैं जीवित रहा तो हर हाल में बनी तग़लिब के ओ़साइयों से सख़्त जन्ग करुँगा और उन की औलाद को क़ैद करुँगा। बिला शुब्हा उन के और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दर्मियान होने वाला मुआ़हिदा मैंने ही लिखा था कि यह लोग अपनी औलाद को ओ़साई नहीं बनायेंगे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस मुन्कर है (यानी बहुत अधिक ज़ओ़फ़ है) इमाम अहमद बिन हन्बल के बारे में मालूम हुआ कि वह भी इस हदीस को "मुन्कर" कहते थे।

अबू अ़ली (लोलोई) रह० कहते हैं कि इमाम अबू दावूद ने दूसरी मतर्बा जब अपनी इस किताब को शागिर्दों के सामने पढ़ा तो इस हदीस को नहीं पढ़ा था।

फ़ाइदा:— बनी तग़लिब अ़रब का क़बीला है और अ़रब काफ़िरों से भी टेक्स लेने का हुक्म है।

3041:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नजरान वालों से यह मुआ़हिदा किया था कि वह दो हज़ार हुल्ले (कपड़ों के जोड़े) अ़दा किया करेंगे। आधे सफ़र माह में और आधे हुनैन रजब माह में। इन के अ़लावा तीस ज़िरहें, तीस घोड़े, तीस ऊँट और हर प्रकार का हथियार जो जन्ग में प्रयोग होते है तीस-तीस की तादाद में दिया करेंगे और मुसलमान उन के वापस करने तक उन के ज़ामिन होंगे (यह रिआ़यत उस समय ली जायेगी) जब यमन में कोई फसाद या झगड़ा हुआ (और उन हथियारों की ज़रुरत पड़ी) और (उन के साथ अ़हद था कि) उन का कोई इबादत ख़ाना (धर्म स्थल) नहीं गिराया जायेगा, या किसी पादरी को नहीं निकाला जायेगा, और उन के दीन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा जब तक कि यह दीन में कोई बात न निकालें और सूद न खायें।

हदीस के रावी इस्माओ़ल (बिन अ़ब्दुर्रहमान क़रशी) ने कहा कि इन लोगों ने सूद खाया। इमाम अबू दावूद ने कहा कि वह लोग जब कोई शर्त तोडेंगे तो यह दीन में नई बात निकालना होगा।

बाब {मजूसियों (आग की पूजा करने वालों) से टेक्स लेने का बयान।}

3042:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि जब फ़ारस वालों का नबी मर गया तो इब्लीस ने उन्हें आग की पूजा करने पर लगा दिया।

3043:— अबू शासा (जाबिर बिन ज़ाइद रह०) ने कहा कि मैं जुज़बिन मुआ़विया का सिक्रेट्री था, और वह अहनफ़ बिन क़ैस के चचा थे। (इसी दर्मियान) उमर रज़ि० की शहादत से एक वर्ष पहले हमारे पास उमर रज़ि० का एक पत्र आया। उस में लिखा था कि हर जादूगर को क़त्ल कर दो और आग की पूजा करने वालों में से जिस किसी ने अपनी महरम महिला से (जिस से निकाह हराम है) निकाह किया उन को एक दूसरे से अलग कर दो और उन्हें (खाने के समय) गुनगुनाने से मना कर दो। चुनान्चे हम ने एक दिन तीन जादूगरनियों को क़त्ल किया और अल्लाह की किताब के अनुसार जिस किसी ने अपनी महरम महिला से निकाह कर रखा था उन में जुदाई करा दी। और जज़ा बिन मुआ़विया ने बहुत सा खाना तैयार कराया और फिर उन्हें दावत दी और उस दौरान में तल्वार अपनी रान पर रख ली, चुनान्चे उन लोगों ने खाना खाया मगर गुनगुनाए नहीं। और उन लोगों ने एक ख़च्चर के बोझ के बराबर चाँदी जुज़ बिन मुआ़विया के सामने डाल दिया। उमर रज़ि० मजूसियों से टेक्स लेने के क़ाइल नहीं थे, यहाँ तक कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि० ने गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़बीला हजर के मजूसियों से जिज़या लिया था।

फ़ाइदा:— सहाबी की गवाही के बाद उमर रज़ि० ने मजूसियों को ज़िम्मी मान कर जिज़या लेना

समझा।

3044:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत हैकि बहरैन के असबज़ी लोगों का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया, यह लोग हजर स्थान के मजूसी थे। यह आदमी कई दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ठहरा रहा, फिर जब वापस होने लगा तो मैंने उस से पूछाः तुम्हारे बारे में अल्लाह और उस के रसूल ने क्या फ़ैसला किया है? उस ने कहाः बहुत बुरा फ़ैसला। मैंने कहाः ख़ामोश (यानी अल्लाह और रसूल का फैसला बुरा नहीं) वह कहने लगाः (फ़ैसला यह है कि) या तो इस्लाम ले आओ, या क़त्ल हो जाओ।

हदीस के रावी ने कहा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से जिज़या लेना कुबूल कर लिया था। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ कहते हैं कि लोगों ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ की बात ले ली है और मेरी बात छोड़ दी है जो मैंने उस असबज़ी से सुनी थी।

फ़ाइदा:— यह हदीस फ़त्ह मक्का के बाद की है, जबकि सब इस्लाम में दाख़िल हो चुके थे इसलिये जिज़या लेने का सवाल ही नहीं होता है।

बाब **{जिज़या लेने में सख़्ती करने का मस्अला।}**

3045:— हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ ने हिम्स के गर्वनर को देखा कि उन्होंने कई क़िबती लोगों को जिज़या न देने के जुर्म में धूप में खड़ा किया हुआ था। उन्होंने पूछा यह क्या है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः जो लोग दुनिया में दूसरों को अ़ज़ाब देते हैं अल्लाह पाक भी उन्हें अ़ज़ाब देगा।

फ़ाइदा:— टेक्स न दे पाने पर उसे और समय देना चाहिये। हाँ, अगर बिला वजह न दे रहा हो तो उचित दन्ड दे सकते हैं।

बाब **{ग़ैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना तिजारत का माल लेकर आयें—जायें तो उन से दस्वाँ हिस्सा लिया जाये।}**

3046:— हर्ब बिन उबैदुल्लाह रह॰ अपने नाना (उमर सक़फ़ी) से और वह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दस्वाँ हिस्सा (टेक्स) यहूदियों और ईसाइयों पर हैं और मुसलमानों पर कोई दस्वाँ नहीं।

3047:— हर्ब बिन उबैदुल्लाह रह॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं.... और फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, लेकिन इन की रिवायत में "दस्वाँ" के स्थान पर "ख़राज" का लफ़्ज़ है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। मुसलमानों की खेती की पैदावार में दस्वाँ—बीसवाँ है।

3048:— अ़ता रह॰ बक्र बिन वाइल के एक आदमी से और वह अपने मामूँ से नक़ल करते हैं कि

मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी क़ौम से दस्वाँ हिस्सा लिया करुँ? आप ने फ़रमायाः यह दस्वाँ हिस्सा यहूदियों और ईसाइयों पर है।

3049:— हर्ब बिन उबैदुल्लाह बिन उमैर सक़फ़ी अपने दादा से रिवायत करते हैं जो कि क़बीला बनी तग़लिब से थे, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कुबूल किया। आप ने मुझे इस्लाम के बारे में समझाया और बताया कि मैं अपनी क़ौम के मुसलमानों से किस प्रकार सदक़ा वसूल करुँ। फिर मैं आप के पास दोबारा आया तो मैंनेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने जो कुछ बताया है मैं ने उसे याद कर लिया सिवाए सदक़ा के, तो क्या मैं उन से दस्वाँ हिस्सा लिया करुँ? आप ने फ़रमायाः नहीं, दस्वाँ हिस्सा तो ईसाइयों और यहूदियों पर होता है।

3050:— इरबाज़ बिन सारिया सुलमी रज़ि० से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ख़ैबर में उतरे और आप के साथ दूसरे सहाबा भी थे। ख़ैबर का मालिक एक सरकश और बुरा व्यक्ति था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहाः ऐ मुहम्मद! क्या तुमहारे लिये जाइज़ है कि हमारे गधों को ज़ब्ह कर डालो, हमोर फल खा जाओ और हमारी महिलाओं को मारो पीटो? यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नाराज़ हो गये और फ़रमायाः ऐ इब्ने औफ़! अपने घोड़े पर सवार होकर एलान कर दो कि जन्नत सिर्फ़ ईमान वालों के लिये है और यह कि नमाज़ के लिये एकत्र हो जाओ। चुनान्चे सहाबा रज़ि० एकत्र हो गये तो आप ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई, फिर खड़े हुये और फ़रमायाः क्या तुम में से कोई अपने तख़्त पर तकिया का टेक लगा कर यह गुमान करता है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ़ वही कुछ हराम ठहराया है जो इस कुरआन में है। ख़बरदार! अल्लाह की क़सम! मैंने अच्छी तरह वाज़ नसीहत की है, कई बातों का हुक्म दिया है और कई बातों से मना किया है, और मेरी बात कुरआन ही की तरह है, या उस से बढ़ कर (मुफ़स्सल) है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये हलाल नहीं किया है कि बिला इजाज़त अहले किताब के घरों में दाख़िल होजाओ, या उन की महिलाओं को मारो, या उन के फल खाओ, जबकि वह तुम्हें अपने ज़िम्मे का वाजिब अ़दा कर रहे हों।

3051:— क़बीला जुहैना के एक व्यक्ति सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शायद कि तुम एक क़ौम से जन्ग करोगे और उन पर ग़ालिब आ जाओगे, तो वह अपनी जानें और अपनी औलाद को बचाने के लिये अपना माल पेश करेंगे। सअ़ीद बिन मन्सूर ने अपनी हदीस में यह इज़ाफ़ा बयान किया " फिर वह तुम से समझौता कर लेंगे" फिर दोनों रावी हदीस के अगले शब्द बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं "तो तुम उन से ज़्यादा लेने की कोशिश न करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिये नाजाइज़ है।

3052:— सफ़वान बिन सुलैम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कई सहाबा के बेटों से रिवायत किया, वह अपने क़रीब के रिश्तेदारों से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आगाह! जिस किसी ने किसी अ़हद वाले (ज़िम्मी) पर अत्याचार किया या उन के हक़ में कमी की, या उस की हिम्मत से बढ़ कर उसे किसी बात का पाबन्द किया,

या उस की दिली रज़ामन्दी के बिना कोई चीज़ ली तो क़ियामत के दिन मैं उस ज़िम्मी की तरफ़ से झगड़ा करुँगा।

फ़ाइदा:— काफ़िर का काफ़िर होना अपनी जगह, मगर हुक़ूक़ और अधिकार में अत्याचार किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं।

बाब {कोई काफ़िर (ज़िम्मी) साल के दौरान में मुसलमान हो जाये तो क्या उस पर जिज़या होगा?}

3053:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान पर जिज़या नहीं।

3054:— इमाम सुफ़यान सौरी रह॰ ने इस बारे में तफ़सील मालूम की गयी तो उन्होंने कहाः जब कोई शख़्स इस्लाम कुबूल कर ले तो उस पर जिज़या (टेक्स) नहीं।

बाब {हाकिम का मुश्रिकों से हदिया (उपहार) स्वीकार करना।}

3055:— अ़ब्दुल्लाह हौज़नी कहते हैं कि मैं ने हलब में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुअ़ज़्ज़िन बिलाल रज़ि॰ से मुलाक़ात की और पूछाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़र्च के बारे में बतायें कि उन की क्या हालत थीं? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जो कुछ होता वह मेरे हवाले होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने से लेकर देहान्त तक मैं ही उन की देखभाल करता रहा। आप का मामूल था कि जब कोई मुसलमान आदमी आप के पास आता और आप देखते कि उस के पास कपड़ा नहीं है तो आप मुझ से फ़रमाते तो मैं जा कर कहीं से क़र्ज़ लेता और उसे चादर लेकर पहना देता और खाना खिला देता, यहाँ तक कि मुझे मुश्रिकों में से एक व्यक्ति मिला तो कहने लगाः ऐ बिलाल! मेरे पास कुशादगी है, तो जब क़र्ज़ लेना हो तो मुझ से ले लिया करो, चुनान्चे मैंने ऐसा ही किया। एक दिन मैं ने वुज़ू किया कि नमाज़ के लिये अज़ान कहूँ तो क्या देखा कि वह मुश्रिक अपने कई ताजिर साथियों के साथ आ रहा है, उस ने मुझे देखा तो बोलाः ओ हब्शी! मैंने कहाः हाजिर हूँ। फिर वह बड़े बुरे ढंग से मिला और बड़ी सख़्त बातें कीं। उस ने कहाः मालूम भी है कि महीने में कितने दिन बाक़ी हैं? मैंने कहाः नज़दीक ही है। उस ने कहाः सिर्फ़ चार दिन बाक़ी है। फिर मैं तुम्हें अपने माल के बदले पकड़ ले जाऊँगा और बकरियाँ चराने पर लगा दूँगा जैसे पहले चराया करते थे। यह सुन कर मुझे बड़ा दुःख़ हुआ जैसे कि इन्सानों को होता है। फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर वालों के पास तशरीफ़ ले गये तो मैंने मुलाक़ात के लिये इजाज़त माँगी तो आप ने इजाज़त दे दी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान, वह मुश्रिक जिस से में क़र्ज़ लिया करता था उस ने मुझे इस तरह धमकी दी है, और क़र्ज़ वापस करने के लिये आप के पास कुछ है और न मेरे पास, वह मुझे ज़लील करने पर आमादा है। आप मुझे इजाज़त दें कि किसी मुसलमान क़बीला वालों के पास भाग कर चला जाऊँ, तब तक अल्लाह पाक आप को कुछ दे दे जिस से मेरा क़र्ज़

अदा हो जाये। चुनान्चे मैं आप के पास से निकल कर अपने घर आया और तल्वार, थैला, जूता और ढाल अपने सर के पास रख लिये, और जैसे ही पहली फ़ज्र (काज़िब) ज़ाहिर हुयी तो मैं ने निकल जाने का इरादा कर लिया, इतने में एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और कहाः ऐ बिलाल! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचो। मैं चला और आप के पास पहुँचा तो क्या देखा कि चार ऊँटनियाँ बैठी हुयी हैं और उन पर बोझ लदे हुये हैं। मैंने इजाज़त माँगी तो आप ने फ़रमायाः खुश हो जाओ, अल्लाह पाक ने तुम्हारे क़र्ज़ के अदा करने के लिये सामान भेज दिया है। फिर फ़रमायाः क्या तुम ने चार ऊँटनियाँ देखी हैं? मैंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः यह ऊँटनियाँ और उन पर लदा माल यह सब तुम्हारा है, उन पर कपड़े हैं और खाने का सामान भी है, यह सब फ़िदक के सर्दार ने मुझे उपहार में भेजा है, इन्हें ले जाओ और अपना क़र्ज़ अदा करो। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं ने वैसे ही किया........और हदीस बयान की......फिर मैं मस्जिद की तरफ़ चल पड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी मस्जिद में मौजूद थे। मैंने सलाम किया तो आप ने पूछाः उस माल का क्या हुआ जो तुम्हें मिला है? मैंने कहाः अल्लाह पाक ने अपने रसूल पर जो क़र्ज़ था सब अदा करा दिया और कुछ भी बाक़ी नहीं रहा। आप ने पूछाः क्या कुछ माल बचा भी है? मैंने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः देखो, मुझे उस की तरफ़ से आराम पहुँचाओ, मैं उस समय तक अपने बच्चों के पास नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे उस की तरफ़ से आराम नहीं दे देते (यानी तक़सीम नहीं कर देते) फिर जब आप ने इशा की नमाज़ पढ़ी तो मुझे बुलाया और पूछाः उस माल का क्या हुआ जो तुम्हें मिला है? मैंने कहाः वह मेरे ही पास है, हमारे पास कोई नहीं आया (माँगने वाला) इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूरी रात मस्जिद में बिताई और पूरी हदीस बयान की। फिर जब अगले दिन इशा की नमाज़ पढ़ चुके तो मुझे बुला कर फिर पूछाः उस माल का क्या बना जो तुम्हें मिला है? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक ने आप को आराम पहुँचाया है (यानी लोग ले गये) यह सुन कर आप ने अल्लाहु अक्बर कहा और अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की। आप को डर था कि कहीं उस हालत में मौत न आ जाये और माल आप के पास मौजूद हो। फिर मैं आप के पीछे-पीछे चला, और आप अपनी बीवियों के पास गये और हर एक को अस्सलामु अ़लैकुम कहा, फिर उस घर में तशरीफ़ ले गये जहाँ आप को रात गुज़ारनी थी। तो यह थी वह हालत, जिस का तुम ने मुझ से प्रश्न किया है।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि मुश्रिक और अहले किताब से उपहार क़ुबूल किये जा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उस में कोई दीनी और सियासी नुक़्सान न हो।

3056:— महमूद बिन ख़ालिद ने मरवान बिन मुहम्मद से, उन्होंने मुआ़विया बिन सल्लाम से रिवायत किया और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। और जहाँ यह आया है कि "मैं भाग जाता हूँ और मुसलमान क़बीले के पास चला जाता हूँ....." इस रिवायत में हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ से ख़ामोश हो रहे और मुझे इस से बड़ा बोझ महसूस हुआ।

3057:— अ़याज़ बिन हिमार रज़ि० से रिवायत है वह कहतेहैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में उपहार में एक ऊँटनी पेश की तो आप ने पूछाः क्या तुम ने इस्लाम कुबूल कर लिया है? मैंने कहाः नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे मुशिरकों के उपहार को कुबूल करने से रोक दिया गया है।

बाब {ज़मीन का टुक्ड़ा देना।}

3058:— अ़ल्क़मा बिन वाइल अपने पिता (वाइल बिन हुज्र) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हिज्र मूत के क्षेत्र में एक ज़मीन का टुक्ड़ा मुझे दिया।

फ़ाइदा:— उस ज़मीन को आबाद करने के लिये दिया था।

3059:— जामे बिन मतर ने भी अ़ल्क़मा बिन वाइल से ऊपर की सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

3060:—अ़म्र बिन हुरैस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में एक घर मुझे दिया जिसे आप ने अपनी कमान से नापा और फ़रमाया थाः मैं तुम्हें और भी दूँगा, और भी दूँगा।

3061:— रबीआ़ बिन अ़ब्दुर्रहमान कई एक से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस रज़ि॰ को फुरा के आस-पास क़बल के स्थान की कानें दी थीं। उन कानों से आज तक सिवाए ज़कात के और कुछ नहीं लिया जाता।

फ़ाइदा:— कान का दिया जाना बेशक साबित है, लेकिन उस में ज़कात लेने का जो ज़िक्र है वह सहीह नहीं है, देखें इरवाउल ग़लील।

3062:— कसीर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन औ़फ़ मुज़नी अपने पिता अ़ब्दुल्लाह से, वह उस के दादा अ़म्र बिन औ़फ़ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस मुज़नी को "क़बल" के क्षेत्र की कानें दी थीं, उन के ऊपर की तरफ़, नीचे की तरफ़ और कुदुस पहाड़ की तरफ़ जहाँ खेती हो सकती है।

अ़ब्बास के अ़लावा बाक़ी रावियों ने "जलसिय्यहा, ग़ैरिय्यहा" के स्थान पर, "जलसहा व ग़ौरहा" के शब्द प्रयोग किये हैं। (और इन का भी अर्थ वही है; किसी दूसेर मुसलमान का हक़ उन्हें नहीं दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें यह तहरीर दी थीः "बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम- यह वह उपहार है जो अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस मुज़नी को दिया है, उन्हें क़बल के स्थान की कानें, उन के ऊपरी और नीचे के हिस्से और कुदस पहाड़ का क्षेत्र जहाँ खेती हो सकती है, उन्हें दी हैं और किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं दिया है।

अबू उवैस ने कहा कि मुझे सौर बिन ज़ैद ने इक्रमा के हवाले से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

3063:— इस्हाक़ बिन इब्राहीम जुनैनी रह॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम का पत्र (बिलाल बिन हारिस की) जागीर के बारे में कई बार पढ़ा है।

अबू दावूद ने कहा कि हमें कई एक ने हुसैन बिन मुहम्मद से हदीस सुनाई, उन्होंने कहा कि हमें अबू उवैस ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे कसीर बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपने पिता से और उन्होंने उन के दादा से हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस रज़ि॰ को क़बल के स्थान की कानें, उन का ऊपरी और निचला हिस्सा......हदीस के रावी इब्ने नज़र के जरस के स्थान और ज़ातुन्नुसुब का भी ज़िक्र किया.......और क़ुदस पहाड़ की वह ज़मीन जो खेती के क़ाबिल है वह सब उन्हें दिया और उन्हें किसी मुसलमान का हक़ नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें यह पत्र भी दिया "यह वह उपहार है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस को दिया है, उन्हें क़बल के स्थान की कानें, और उस के ऊपरी और निचले क्षेत्र की ज़मीन और क़ुदस पहाड़ की ज़मीन जो खेती के योग्य है, दिया है। किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं दिया है।"

अबू उवैस ने कहा कि मुझे सौर बिन ज़ैद ने अ़िक्रमा के वास्ते से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस तरह बयान की।

इब्ने नज़र ने यह इज़ाफ़ा किया है कि यह तहरीर उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ नेलिखा।

3064:— अबयज़ बिन हम्माल रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि मैं एक वफ़्द लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से नमक की कान को जागीर के तौर पर तलब की जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें दे दी।

इब्ने मुतवक्किल कहते हैं कि वह कान मआरिब के स्थान पर थी...... जब मैंने पीठ फेरी तो मज्लिस में से एक आदमी ने कहा: क्या आप को मालूम है कि आप ने उसे क्या दे दिया है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे न समाप्त होने वाला हमेशा के लिये पानी दे दिया है। चुनान्चे आप ने उसे वापस ले लिया। फिर मैंने प्रश्न किया कि पीलू के कौन से पेड़ घेरे जायें (अपने क़ब्ज़े में लिये जा सकते हैं?) आप ने फ़रमाया: वह जिन्हें ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों (यानी आबादी से काफ़ी दूर हों)

3065:— मुहम्मद बिन हसन मख़ज़ूमी रह॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान "वह जिन्हें ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों" से यह मुराद है कि आ़म चरते हुये ऊँट पेड़ों से, जहाँ तक कि उन के मुँह पहुँचते हैं, खाते हैं, तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो, अल्बत्ता उन से ऊपर को तुम अपनी मिलकियत में ले सकते हो।

3066:— अबयज़ बिन हम्माल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पीलू के पेड़ों को घेरने (अपने कब्ज़े में लेने) के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमाया: पीलू के पेड़ों को घेरा नहीं जा सकता। (यानी दूसरों को उन से मना नहीं किया जा सकता) उस ने कहा: वह पेड़ जो मेरी ज़मीन के अहाते में आते हों? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: पीलू के पेड़ों को घेरा नहीं जा सकता।

हदीस के रावी फ़रुज बिन सअ़ीद ने "ख़ितारी" का यह अर्थ बताया है कि वह भूमि जिस में

खेती हो और उस के चारों तरफ़ अहाता भी हो।

फ़ाइदा:— इस्लामी स्टेट ने किसी को ज़मीन न दी, उस में पहले से पेड़ लगे हैं। उस ज़मीन को उस ने आबाद कर लिया और उस में पेड़ लगाए तो अपने पेड़ से रोक सकता है, लेकिन पहले से जो पेड़ थे उन से नहीं रोक सकता। जैसे घास, झाड़ी, आप से आप उगने वाले पौधे।

3067:— सख़र (बिन औ़ला, अबू हाज़िम, हुज़ल्लां) रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी सक़ीफ़ से जिहाद किया तो सख़र ने जब सुना तो अपने सवारों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सहायता के लिये निकल खड़ा हुआ, मगर जब वहाँ पहुँचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे फ़त्ह किये बिना ही वापस जा चुके थे। तो सख़र ने उस दिन अल्लाह पाक से यह अ़हद किया और अपने ज़िममा किया कि जब तक यह लोग अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं मान लेते उस समय तक मैं इस क़िला को नहीं छोड़ूँगा। चुनान्चे हुआ ऐसे ही और उन्हें न छोड़ा यहाँ तक कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़ैसला मानने पर मजबूर हो गये। चुनान्चे सख़र ने यह सूचना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ लिख भेजी "हम्द और सलात के बाद! ऐ अल्लाह के रसूल! बनी सक़ीफ़ के लोगों का फ़ैसला मान लिया है और मैं उन की तरफ़ जा रहा हूँ और यह लोग अपने सवारों के साथ हैं। यह सुन कर आप ने एलान् कराया कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। फिर आप ने (सख़र की क़ौम) अहमस के लिये दस दुआ़यें फ़रमायीं: ऐ अल्लाह! अहमस के सवारों और उन के पियादों में बर्कत दे। फिर वह क़ौम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गयीऔर मुग़ीरा बिन शोबा (सक़फ़ी) ने आप से बात की और कहा: ऐअल्लाह के नबी! सख़र ने मेरी फूफी को पकड़ लिया है हालाँकि वह उस (अ़हद) में दाख़िल हो चुकी है जिस में मुसलमान दाख़िल हुये हैं (यानी मुसलमान हो चुकी है) आप ने उसे बुलवाया और फ़रमाया: ऐ सख़र! कोई क़ौम जब मुसलमान हो जाये तो वह अपनी जान और अपना माल सुरक्षित कर लेती है, इसलिये मुग़ीरा को उस की फूफी वापस कर दो, चुनान्चे उस ने वापस कर दिया। सख़र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बनी सुलैम के पानी का सवाल किया, वह लोग इस्लाम क़ुबूल करने से भाग गये थे और अपना पानी का चश्मा छोड़ गये थे। सख़र ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे और मेरी क़ौम को वहाँ उतरने (और उसे अपने क़ब्ज़ा में लेने) की इजाज़त दें। आप ने फ़रमाया: हाँ। और उसे वहाँ उतरने की इजाज़त दे दी। फिर बनी सुलैम वाले इस्लाम ले आये और सख़र के पास आये और मुतालबा किया कि हमारा चश्मा वापस कर दो, तो उस ने इन्कार किया। वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! हम ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया है, हम लोग सख़र के पास गये थे कि हमारा पानी का चश्मा हमें वापस कर दे मगर उस ने इन्कार कर दिया है। आप ने सख़र को बुलाया और उस से फ़रमाया: ऐ सख़र! जब कोई क़ौम मुसलमान हो जाये तो वह अपने माल और जान को महफ़ूज़ कर लेती है। तुम उस क़ौम को उस का चश्मा वापस कर दो। उस ने कहा: बहुत अच्छा ऐ अल्लाह के नबी! (सख़र कहते हैं कि उस समय) मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चेहरा हया की वजह से

लाल हो गया था कि उस से लौंडी ले ली गयी और चश्मा भी (हालाँकि उस ने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत फ़ाइदा पहुँचाया था)

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है। जोकोई मुसलमान हो जाये, या इस्लाम से भाग जाये और फिर मुसलमान हो जाये तो उस की जान-माल महफ़ूज़ हो जाती है, और उस का क़ब्ज़ा किया हुआ माल वापस किया जायेगा।

3068:— सबरा बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रबीअ़ जोहनी अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (उन के क्षेत्र में) एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ाव किया जहाँ अब मस्जिद है। आप वहाँ तीन दिन तक ठहरे, फिर वहाँ से तबूक के लिये रवाना हुये। जुहैना क़बीला के लोगों ने आप से एक खुले मैदान में मुलाक़त की थी। आप ने उन से पूछाः ज़ी मर्वा स्थान पर कौन लोग ठहरे हैं? उन्होंने कहाः जुहैना का खान्दान बनी रिफ़ाआ़ यहाँ रहता है। आप ने फ़रमायाः यह ज़मीन मैं बनी रिफ़ाआ़ के नाम करता हूँ। चुनान्चे उन लोगों ने वह ज़मीन आपस में बाँट ली। उन में से किसी ने बेच दी, किसी ने रख ली और उस में ख़ेती-बाड़ी करने लगे। (इब्ने वहब कहते हैं कि) फिर मैंने सबरा के पिता अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने उस का कुछ हिस्सा बयान किया और पूरी हदीस नहीं बयान की।

3069:— अूब बक्र रज़ि॰ की बेटी अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे शौहर जुबैर बिन अ़ब्बाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म खूजर का एक बाग़ दिया था।

3070:— अ़ब्दुल्लाह बिन हस्सान अ़न्बरी रह॰ बयान करते हैं कि मुझे मेरी दादी-नानी ने बयान किया जिन का नाम सफ़िय्या और दुहैबा था और यह दोनों उलैबा की बेटी थीं......और क़ैला बिन्त मख़रमा की लैपालक थीं, क़ैला उन दोनों के बाप की दादी थी..... उन्होंने उन दोनों को बताया कि हम नबी करीम सल्ल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और मेरे साथी हुरैस बिन हस्सान जो क़बीला बिक्र बिन वायल का भेजा हुआ था। नबी करीम सल्ललहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आगे बढ़ा और अपनी और अपनी क़ौम की तरफ़ से इस्लाम पर बैअ़त की, फिर उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे और बनी तमीम के दर्मियान दहना का क्षेत्र (सरहद केतौर पर) लिख दीजिये कि उस से आगे उन की तरफ़ से हमारी तरफ़ कोई न बढ़े, सिवाए इस के कि कोई यात्री हो, या कोई आगे जाने वाला हो। आप ने फ़रमायाः ऐ लड़के इस दहना का क्षेत्र लिख दो। (क़ैला ने बयान किया कि) जब मैंने देखा कि आप उस को यह क्षेत्र लिख रहे हैं तो मुझे बहुत परेशानी हुयी, क्योंकि वह मेरा वतन है और मेरा घर भी वहीं है। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने आप से बीच की ज़मीन का सवाल नहीं किया है (बल्कि अच्छी ज़मीम माँगी है) यह दहना ऊँट बाँधने की जगह है और बकरियों के चरने की जगह है, और बनी तमीम की महिलाएँ और उन के बच्चे उन के पीछे (ठहरे) हैं। आप ने फ़रमायाः ऐ लड़के! रुक जाओ। उस ग़रीब महिला ने सच कहा है, मुसलमान, मुसलमान का भाई होता है, पानी और पेड़ सब के फ़ाइदे के लिये हैं, फ़ितना फैलाने वाले लोगों के मुक़ाबले में उन्हें एक दूसरे के साथ सहायता और सहयोग करना चाहिये।

फ़ाइदा:— हदीस ज़अ़ीफ़ है लेकिन मस्अला दुरुस्त है कि कोई ऐसी जागीर जिस से आम मुसलमान को फ़ाइदा पहुँच रहा हो, तो उसे किसी ख़ास मुसलमान को नहीं दिया जायेगा।

3071:— असमर बिन मुज़र्रिस रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से बैअ़त की तो आप ने फ़रमाया: जो किसी पानी (तालाब, कुँए, चश्मे) पर पहले पहुँच जाये और कोई मुसलमान उस से पहले उस तक न पहुँचा हो तो वह उसी का है। हदीस के रावी बयान करते हैं कि लोग दौड़ते हुये निकले और निशान लगाते जाते थे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़अ़ीफ़ है। इस में वह तालाब और चश्मे नहीं शामिल हैं जो रास्ते में हैं और लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं।

3072:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुबैर बिन अ़व्वाम रज़ि॰ को जागीर दी जहाँ तक कि उन का घोड़ा दौड़ सके। चुनान्चे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया यहाँ तककि वह खड़ा हो गया, तो उन्होंने अपना कोड़ा फेंक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जहाँ तक उन का कोड़ा पहुँचा है उन्हें दे दो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है, मगर हदीस न॰ 3069 और बुख़ारी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ि॰ को बनी नज़ीर की ज़मीन में से कुछ ज़मीन दी थी। इस हदीस में उसी ज़मीन की तरफ़ इशारा है। देखें बुख़ारी–315।

बाब {बन्जर लावारिस ज़मीन को आबाद करना।}

3073:— सअ़ीद बिन ज़ैद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स किसी बन्जर ज़मीन को आबाद करे तो वह उसी की होगी और ज़ालिम रग (इन्सान के अन्दर दूसरे का हक़ मारने की ख़ाहिश) का कोई हक़ नहीं (यानी जिस ने ज़र्बदस्ती किसी जगह पर क़ब्ज़ा कर लिया तो वह उस की नहीं मानी जायेगी)

फ़ाइदा:— "ज़ालिम रग" से मुराद वह पेड़–पौधे और मकान हैं जो कोई दूसरे की ज़मीन में बिन इजाज़त ज़र्बदस्ती बना दे। उस से कहा जायेगा कि अपना पेड़ काट ले, मकान की ईंटें उठा ले जाये, मगर यह कि ज़मीन का मालिक राज़ी हो जाये।

3074:— यहया बिन उर्वा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो कोई बन्जर लावारिस ज़मीन आबाद करे तो वह उसी की है और ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की। उर्वा ने कहा: इस हदीस को बयान करने वाले ने मुझ से बताया कि दो शख़्स अपना झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर आये, एक ने दूसरे की ज़मीन में खजूरों के पेड़ लगाये थे तो आप ने फ़ैसला दिया कि "ज़मीन, ज़मीन वाले की है" और जिस ने पेड़ लगाया था उसे हुक्म दिया "अपने खजूर के पेड़ उखाड़ लो" चुनान्चे मैंने देखा कि उन पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़े चलाये जा रहे थे, हालाँकि वह पेड़ लंबे हो गये थे, यहाँ

तक कि वह पेड़ ज़मीन से निकाल ले गये।

3075:— इब्ने इस्हाक़ ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, लेकिन उन्होंने "जिस ने मुझे यह हदीस बयान की" के स्थान पर यूँ कहाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख़्स ने बयान किया और मेरा गुमान यह है कि वह अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ हैं। तो मैं ने उस आदमी को देखा कि वह खजूर की जड़ों पर कुल्हाड़ा मार रहा था।

3076:— उर्वा बिन जुबैर रह॰ से रिवायत है वह बयान करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला क़िया था कि ज़मीन अल्लाह की है और बन्दे भी अल्लाह के हैं तो जिस ने कोई बन्जर ज़मीन आबाद की तो वही उस का मालिक है। हमें यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उन्हीं लोगों ने बयान की है जिन्होंने आप से नमाज़ों के अहकाम बयान किये हैं।

3077:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी (लावारिस) ज़मीन पर कोई अहाता बना लिया, तो वह उसी की मिलकिय्यत है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। क़ब्ज़ा के साथ आबाद करने से मिलकिय्यत साबित होती है।

3078:— हिशाम बिन उर्वा बयान करते हैं कि "ईक़ ज़ालिम" (ज़ालिम रग) का यह अर्थ है कि कोई शख़्स किसी दूसरे की ज़मीन में पेड़ लगा दे और फिर इसी वजह से उस ज़मीन का दावेदार बनजाये। इमाम मालिक कहते हैं कि इस से मुराद वह चीज़ है जो किसी से ज़र्बदस्ती छीन ली जाये, वहाँ कुवाँ आदि खोद लिश जाये या पेड़ लगा दिये जायें।

फ़ाइदा:— आजकल इसी प्रकार दूसरे की ज़मीन पर क़ब्ज़ा किया जाता है। इन्हीं तरीक़ों का नाम "ज़ालिम की रग" है।

3079:— अबू हुमैद साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं तबूक के जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था। जब आप कुरा की वादी से गुज़रेतो देखा कि एक महिला अपने बाग़ में है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा सेफ़रमायाः इस बाग़ के फल का अनुमान लगाओ (कितना होगा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दस वसक़ का अनुमान लगाया। फिर आप ने उस महिला से फ़रमाया कि जो फल तोड़ना उसे गिन लेना। फिर हम लोग तबूक पहुँचे तो ईला के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक सफ़ेद ख़च्चर हदिया दिया और (बदले में) आप ने (हाकिम को) एक धारीदार चादर दी और उसे लिख कर दे दिया कि उस का क्षेत्र उसी के पास रीहेगा। फिर जब हम वापस हुये और कुरा की वादी से गुज़रे तो आप ने उस महिला से मालूम किया कि तुम्हारे बाग़ में कितना फल हुआ? उस ने बतायाः दस वसक़। यानी जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बताया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं मदीना जल्दी पहुँचना चाहता हूँ जो मेरे साथ जल्दी पहुँचना चाहे वह मेरे साथ चल पड़े।

फ़ाइदाः— बाब से यह तअ़ल्लुक़ है कि महिला ने बाग़ को बन्जर और ग़ैर आबाद भूमि में लगाया था इसीलिये उसकी मिलकिय्यत हो गया, क्योंकि बन्जर भूमि को आबाद करने वाले को वह ज़मीन मिलती है। ईला के हाकिम ने जिज़या देना मन्जूर किया जो आप ने उस के नाम लिखा।

3080:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवी ज़ैनब रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सर साफ़ कर रही थी और आप के पास उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ की बीवी और दूसरी मुहाजिर औरतें भी बैठी हुयी थीं। उन औरतों ने अपने घरों की तन्गी की शिकायत की और यह कहा कि उन्हें (पति के देहान्त के बाद) घरों से निकाल दिया जाता है। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुहाजिर लोगों के घर उन की बीवियों को वरासत में दिये जायेंगे। चुनान्चे इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ का देहान्त हुआ तो उन की पत्नी मदीना में एक घर में वारिस बनी थीं।

फ़ाइदाः— बीवी को घर वरासत में देने का मस्अला मुहाजिर महिलाओं के लिये ख़ास था। या यह भी अर्थ होगा कि वरासतमें और तर्का की जगह उन्हें घर दिया जाये ताकि रहने का मस्अला हल रहे।

बाब {ख़राजी भूमि ख़रीदने का मस्अला।}

3081:— मआ़ज़ रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि जिस ने अपनी गर्दन में जिज़या का क़लादा (पट्टा) डाला वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े से बरी होगा।

3082:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी ज़मीन को उस के जिज़्ये के साथ हासिल किया तो उस ने अपनी हिजरत को वापस कर दिया। और जिस ने काफ़िर की ज़िल्लत को उस की गर्दन से उतार कर अपनी गर्दन में डाला, उस ने इस्लाम से पीठ फेर ली (सनान बिन क़ैस ने कहा कि) ख़ालिद बिन मादा ने मुझ से यह हदीस सुनी तो मुझ से पूछाः क्या शबीब ने तुम्हें यह हदीस बयान की है? मैंने कहाः हाँ। उन्होंने कहाः जब तुम उन के पास जाना तो उन से कहना कि यह हदीस मुझे लिख कर दे दें। चुनान्चे उन्होंने लिख कर दे दी। जब मैं ख़ालिद बिन मादान से दोबारा मिला तो उन्होंने मुझ से वह कागज़ माँगा तो मैंने उन्हें दे दिया। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो अपने क़ब्ज़े की सारी ज़मीनें छोड़ दीं।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि हदीस के रावी यज़ीद बिन खुमैर यज़नी यह इमाम शोबा के शार्गिद नहीं हैं।

फ़ाइदाः— ऊपर की दोनों रिवायतें हदीस न॰ 3081, 3082 ज़ओ़फ़ हैं। हदीस का यह अर्थ है कि जो मुसलमान काफ़िर की ख़राज़ वाली ज़मीन हासिल कर के खेती करेगा और उस का जिज़या और ख़राज भी खुद अदा करेगा तो इस प्रकार वह मुसलमान किसान उस ज़िल्लत को अपने सर ले रहा है जो अल्लाह ने काफ़िर पर डाली थी, और यह इस्लामी ग़ैरत के ख़िलाफ़ है।

बाब {इमाम या कोई शख़्स किसी भूमि को अपने लिये चरागाह के तौर पर ख़ास कर लें.....

तो?}

3083:— सअ़ब बिन जस्सामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई चरागाह नहीं, मगर अल्लाह और उस के रसूल के लिये। इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नक़ीअ़ की भूमि को चरागाह बनाया हुआ था।

फ़ाइदा:— अगर इमाम के साथ और मुसलमान के जानवर फ़ाइदा उठायें तो दुरुस्त है।

3084:— सअ़ब बिन जस्सामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नक़ीअ़ के स्थान की भूमि को चरागाह केतौर पर छोड़ा हुआ था, और फ़रमायाः "हिमा" केवल अल्लाह पाक के लिये है।

फ़ाइदा:— यहाँ ज़कात और बैतुल माल के जानवर चरते थे, इसलिये दूसरे लोगों को चराने की इजाज़त नहीं थी। अगर अनुमति होती तो बैतुल माल के जानवरों का पेट नहीं भरता, इसी कारण दुरुस्त है।

बाब {ज़मीन में गड़ा हुआ माल मिले तो इस का मस्अला।}

3085:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़मीन में गड़ा हुआ माल (मिले तो उस) में पाँचवाँ हिस्सा (ज़कात) है।

3086:— इमाम हसन बसरी रह॰ ने बयान किया कि रिकाज़ से मुराद वह माल है जो किसी पुरानी आबादी में गड़ा हुआ मिले।

फ़ाइदा:— जिस के मालिक का पता न हो, पाँचवाँ निकालने के बाद वह उस का मालिक बन जायेगा।

3087:— जुबैर बिन मुत्तलिब की बेटी जुबाअ़ा ने बयान किया कि मिक़्दाद रज़ि॰ किसी काम से बक़ीअ़ ख़बख़बा की तरफ़ गये तो क्या देखा कि एक चूहा एक बिल से दीनार निकाल कर ला रहा है। और फिर वह एक-एक कर के निकालता रहा, यहाँ तक कि उस ने 17 दीनार निकाले, फिर एक लाल रंग का कपड़ा निकाला जिस में भी दीनार था, इस प्रकार कुल 18 दीनार हो गये। वह उन्हें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये और कहा कि आप इस का सदक़ा ले लीजिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम ने उस सूराख़ की तरफ़ हाथ बढ़ाया था? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह तुम्हें बर्कत दे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। उलमा का कहना है कि जिस ने कोई जगह न खोदी, उसे गड़ा माल नहीं कहेंगे बल्कि पड़ा माल कहेंगे, उसे एलान करना पड़ेगा न कि उस में 5वाँ निकाला जायेगा।

बाब {उन पुरानी क़ब्रों के खोदने का मस्अला जिन के अन्दर माल हो।}

3088:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जब हम ताइफ़ के लिये रवाना हुये और एक क़ब्र के पास से गुज़रे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: यह अबू रिग़ाल की क़ब्र हैं यह समूद क़ौम का शख़्स था (और क़बीला सक़ीफ़ का पूर्वज था) इस हरम में ठहरा था कि अल्लाह के दन्ड से सुरक्षित रहे। जब वह उस से बाहर निकला तो उसे उस स्थान पर वह सज़ा आ पहुँची जो उस की क़ौम को आई थी, चुनान्चे उसी स्थान पर दफ़न कर दिया गया। इस की पहचान यह है कि उस के साथ सोने की एक छड़ दफ़न की गयी थी। अगर तुम उसे उखाड़ो तो उस सोने को उस के साथ पालोगे, इस पर लोगों ने जल्दी की और वह छड़ निकाल लाये।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ हैं, लेकिन मस्अला यही है कि काफ़िर की क़ब्र से निकाले माल को रिकाज़ ही कहा जायेगा। काफ़िर की क़ब्र को खोद कर निकाला जा सकता है, उन के क़ब्रों के लिये सम्मान नहीं है। (13.10.09, दिल्ली)

❀ ❀ ❀

(20) जनाज़ा के अहकाम व मसाइल

बाब {बीमारियाँ गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनती हैं।}

3089:— आ़मिर राम रज़ि॰ से रिवायत है कि हम आग अपने क्षेत्र में थे कि हमारे लिये झन्ड़े और निशान बुलन्द किये गये (यानी हमारे क्षेत्र में जिहादी मुहिम में पहुँच गयीं) मैंने पूछाः यह क्या है? लोगों ने कहाः यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का झन्ड़ा है। चुनान्चे मैं आप के पास हाज़िर हुआ उस समय आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुये थे। आप के लिये एक चादर बिछाई गयी थी और आप उस पर बैठे हुये थे और आप के सहाबा आप के पास जमा थे। यह देख कर मैं भी उन के साथ बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बीमारियों का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः मोमिन को जब कोई बीमारी आती है और फिर अल्लाह पाक उसे शिफ़ा दे देता है तो वह बीमारी उस के पहले के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती है और भविष्य के लिये नसीहत का सबब बन जाती है।

और मुनाफ़िक़ जब बीमार पड़ता है और फिर उसे शिफ़ा दी जाती है तो उस की मिसाल ऊँट की सी है जिसे उस के घर वालों ने बाँधा हो और फिर खोल दिया हो। उसे नहीं मालूम कि क्यों बाँधा था और यह भी नहीं मालूम होता कि क्यों छोड़ दिया है। आप के पास बैठे हुये सहाबा में से एक ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह बीमारियाँ क्या होती हैं? मैं तो अल्लह की क़समं! कभी बीमार ही नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उठ जा, तू हम में से नहीं है (फिर किसी दूसरे मौक़ा पर) हम आप के पास बैठे हुये थे कि एक व्यक्ति आया, वह चादर ओढ़े हुये था और उस के हाथ में कुछ था जिसे उस ने लपेटा हुआ था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब मैं ने आप को तशरीफ़ लाते देखा तो आप की तरफ़ चल पड़ा। मैं पेड़ों के एक झुन्ड़ के पास से गुज़रा तो उस में चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुनी, मैं ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी चादर में डाल लिया, इतने में उन की माँ आ कर मेरे सर के ऊपर मडलाने लगी। मैंने उस माँ के लिये उसके बच्चों को नन्गा किया तो वह उन के ऊपर आ पड़ी तो मैं ने फिर उन बच्चों को चादर में लपेट लिया और यह वहीं बच्चे मेरे पास हैं। आप ने फ़रमायाः उन्हें छोड़ दो। मैंने उन्हें

छोड़ दिया, मगर उन की माँ ने (उड़ जाने से) इन्कार किया और बच्चों के साथ पड़ी रही। यह देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमायाः क्या तुम उस माँ की अपने बच्चों पर मुहब्बत से तअ़ज्जुब करते हो? उन्होंने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः क़सम उस ज़ात की जिस ने मुझे हक़ के साथ भेजा है, अल्लाह पाक अपने बन्दों के साथ उन बच्चों की माँ से बढ़ कर रहीम और मेहरबान है। इन बच्चों को ले जाकर वहीं रख दो जहाँ से उठा कर लाये थे और उन की माँ भी साथ रहे। चुनान्चे वह आदमी उन्हें वापस ले गया।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है। लेकिन बात सच है कि इन्सान को पहुँचने वाले दुःख तक्लीफ़ और बीमारयों से उन के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है।

3090:— मुहम्मद बिन ख़ालिद से रिवायत है। इमाम अबू दावूद रह० ने कहा कि इब्राहीम बिन महदी ने मुहम्मद बिन ख़ालिद के बारे में कहा कि वह सुलमी हैं। वह अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "बन्दे के लिये जब अल्लाह पाक के यहाँ कोई स्थान और मतर्बा मुक़द्दर हो चुका हो और वह अपने आमाल की वजह से उस तक न पहुँच सकता हो, तो अल्लाह पाक उसे उस के अपने शरीर या माल या औलाद की आज़माइश में डाल देता है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने नुफ़ैल ने इतना इज़ाफ़ा किया है "और फिर अल्लाह पाक उसे सब्र की तौफ़ीक़ भी देता है" फिर दोनों रावी हदीस बयान करने में मुत्तफ़िक़ होजाते हैं "यहाँ तक कि उस स्थान और मतर्बा तक पहुँचा देता है जो अल्लाह पाक की तरफ़ से पहले ही उस के लिये मुक़द्दर हो चुका होता है।

बाब {.....जब आदमी नेक काम करता रहा हो, फिर बीमारी या सफ़र की वजह से वह काम न कर सके तो?}

3091:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कई बार सुना है आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे कि जब कोई बन्दा नेक अ़मल करता रहा हो, मगर बीमारी या सफ़र की वजह से वह न कर सके तो अल्लाह पाक उस के लिये वह अ़मल उसी प्रकार अच्छी हालत में लिखता रहता है जबकि वह तन्दुरुस्त और मुक़ीम था।

फ़ाइदा:— जो लोग पाबन्दी से नेक अ़मल करते हैं उन के लिये शुभ सूचना है कि किसी बीमारी की वजह से वह नेक काम न कर सकें, फिर भी अल्लाह पाक उनको सवाब देता रहता है।

बाब {औरतों की अ़यादत करना।}

3092:— उम्मे अ़ला रज़ि० बयान करती हैं कि मैं बीमार होगयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी अ़यादत के लिये तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः ऐ अम्मे अ़ला! तुम्हें बशारत हो कि मुसलमान की बीमारी के ज़रीआ़ से अल्लाह पाक उस के गुनाहों को ख़त्म कर देता है जैसे कि आग सोने और चाँदी का खोट निकाल देती है।

फ़ाइदा:— मर्द, महिला को और महिला, मर्द को देखने जायें तो इस में कोई हरज नहीं, शर्त यह है कि पर्दे का इन्तिज़ाम हो। अयादत में यह कोई ज़रुरी नहीं कि आप बीमार से बात भी करें। मर्द, मर्द के पास जाकर औरत की ख़ैरियत मालूम कर लें और महिला बीमार के घर की महिला से मर्द के बारे में मालूम कर ले।

3093:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं खूब जानती हूँ कि कुरआन में सब से सख़्त आयत कौन सी है। आप ने फ़रमाया: वह कौन सी आयत है? उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा: अल्लाह पाक का यह फ़रमान "जिस ने भी कोई बुराई की, उसे उस का बदला दिया जायेगा" आप ने फ़रमाया: ऐ आइशा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मोमिन कोजो कोई परेशानी आती है या काँटा भी चुभ जाता है तो उसे उस के किसी सब से बुरे अमल का बदला दे दिया जाता है। और जिस का हिसाब लिया गया तो उसे अज़ाब हुआ। आइशा रज़ि॰ कहती हैं कि मैंने कहा: तो क्या अल्लाह ने नहीं फ़रमया है "बन्दे का हिसाब लिया जायेगा आसान हिसाब? आप ने फ़रमाया: इस से मुराद अल्लाह पाक के सामने हाज़िरी है। ऐ आइशा! जिस से हिसाब में पूछ-गछ हो गयी उसे अज़ाब हुआ।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं: यह इब्ने बश्शार के शब्द हैं, और इस की सनद में (अन की जगह) "अख़बरना इब्ने अबी मुलैका" है।

बाब {..अयादत का बयान।}

3094:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मुनाफ़िक़ की अयादत के लिये गये, उस बीमारी में जिस में वह मरा था। चुनान्चे जब आप उस के पास पहुँचे तो आप ने उस पर मौत के प्रभाव को भाँप लिया (कि अब मरने वाला है) आप ने उस से कहा: मैं तुझे मना किया करता था कि यहूद से प्रेम न कर। उस ने कहा: असअद बिन ज़रारा ने उन से नफ़रत किया तो क्या हुआ? फिर जब वह मर गया तो उस के बेटे (अब्दुल्लाह रज़ि॰) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह क नबी! अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मर गया है तो आप मुझे अपनी क़मीस दे दें ताकि मैं उस से उस का कफ़न दूँ। यह सुन कर आप ने अपनी क़मीस उतार कर उसे दे दी।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ईफ़ है, लेकिन क़मीस देने का क़िस्सा सहीह है और बुख़ारी में है। उस मुनाफ़िक़ के लड़के का भी नाम अब्दुल्लाह था जो पक्के सच्चे सहाबी थे। आप ने क़मीस क्यों दीं? इस बारे में आगे आ रहा है।

बाब {ज़िम्मी काफ़िर की अयादत करना।}

3095:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदियों का एक लड़का बीमार पड़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस को देखने के लिये गये। आप उस के सर के पास बैठ गये और उस से फ़रमाया: इस्लाम कुबूल कर लो। उस ने अपने पिता की तरफ़ देखा जोकि उस के सर के पास बैठे हुये थे, उस के पिता ने उस से कहा: अबुल क़ासिम की बात मान लो, चुनान्चे उस ने

इस्लाम कुबूल कर लिया। फिर आप वहाँ से उठे तो फ़रमा रहे थेः प्रशंसा उस अल्लाह की जिस ने उस को मेरे ज़रीआ से आग से नजात दी।

फ़ाइदा:— काफ़िर की अ़यादत के लिये जाना जाइज़ है जबकि वहाँ उस को नसीहत कर सके। यह लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सेवक था। (बुख़ारी-5657)

बाब {.....किसी की अ़यादत के लिये पैदल चल कर जाना।}

3096:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी अ़यादत के लिये तशरीफ़ लाते थे, बिना किसी ख़च्चर या घोड़े पर सवार हुये।

बाब {बावजू होकर अ़यादत के लिये जाने की फ़ज़ीलत।}

3097:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने वुज़ू किया और अच्छा वुज़ू किया और सवाब की निय्यत से अपने मुसलमान भाई की अ़यादत के लिये गया तो उसे जहन्नम से सत्तर साल की दूरी पर कर दिया जायेगा। साबित बुनानी कहते हैं कि मैंने पूछाः ऐ अबू हमज़ा! "ख़रीफ़" से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः साल।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि बसरा के लोग जिन हदीसों के बयान करने में अकेले हैं उन में से एक यह भी है कि इन्सान वुज़ू कर के अ़यादत के लिये जाये।

3098:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि जो शख़्स शाम के समय किसी मरीज़ की अ़यादत के लिये निकलता है तो उस के साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भी निकलते हैं जो उस के लिये सुब्ह तक दुआयें तलब करते रहते हैं। और जन्नत में उसे एक बाग़ भी हासिल होगा। और जो कोई सुब्ह के समय अ़यादत के लिये निकले तो उस के साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते निकलते हैं जो उस के लिये शाम तक दुआयें माँगते हैं, और जन्नत में उसे एक बाग़ भी मिलेगा।

3099:— अ़ली रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, लेकिन इस में बाग़ का जिक्र नहीं है।

इमाम दावूद ने कहा कि इस हदीस को मन्सूर ने भी हकम से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे कि शोबा ने।

3100:— अबू जाफ़र अ़ब्दुल्लाह बिन नाफ़े से रिवायत है......और नाफ़े हसन बिन अ़ली रज़ि॰ के गुलाम थे......बयान करते हैं कि अबू मूसा अश्अ़री, हसन बिन अ़ली रज़ि॰ की अ़यादत के लिये तशरीफ़ लाये थे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि फ़िर शोबा की रिवायत की हुयी हदीस की तरह रिवायत किया। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस सनद को अ़ली रज़ि॰ के वास्ता से, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कई सनदों से रिवायत किया गया है।

बाब {बार-बार अ़यादत करना।}

3101:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब सअ़द बिन मआज़ रज़ि॰ ख़न्दक़ की जन्ग में घायल हो गये। एक आदमी ने उन के बाज़ू की रग पर निशाना मारा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने उन के लिये मस्जिद में ख़ेमा लगवाया ताकि क़रीब से उन की अयादत करते रहें।

बाब **{किसी की आँख ख़राब हो जाये तो उस की अयादत के लिये जाना।}**

3102:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिये तशरीफ़ लाये जबकि मेरी दोनों आँखों में दर्द था।

बाब {ताऊन से निकल भागना......?}

3103:— अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ ने बयान किया, वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुना "जब तुम सुनो कि फ़लाँ क्षेत्र में ताऊन फैल गया है तो फिर वहाँ मत जाओ, और जब कहीं फैल जाये और तुम वहाँ हो तो उस ताऊन से भागते हुये वहाँ से मत निकलो।

फ़ाइदा:— वबा फ़ैलने की सूरत में हमें यह तालीम दी गयी है कि जहाँ फैली है वहाँ न जाया जाये और जो वहाँ ठहरे हैं, वह वबा के डर से न भागें, बल्कि वहीं रह कर दवा करें।

बाब {अयादत के मौक़ा पर बीमार के लिये शिफ़ा की दुआ करना।}

3104:— सअद बिन वक़्क़ास की बेटी आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे वालिद ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी के लिये मेरे घर तशरीफ़ लाये। आप ने अपना हाथ मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे सीना और पेट पर फेरा और फ़रमाया: ऐ अल्लाह! सअद को शिफ़ा दे और उस की हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे।

3105:— अबू मूसा अशअरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की बीमार पुसी करो और क़ैदी को छोड़ाओ।

सुफ़यान ने कहा कि "आनी" से मुराद क़ैदी है।

बाब {अयादत के मौक़े पर बीमार के लिये दुआ करना।}

3106:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने किसी ऐसे बीमार की अयादत की जिस की अभी मौत न आयी हो तो सात बार उस के पास यह दुआ:

अस्–अलुल्लाहल् अज़ी–म रब्बल् अर्शिल् अज़ीमि अय्यशफ़ी–क
(मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अज़मत और बड़ाई वाला और बड़े अर्श का रब है कि तुझे शिफ़ा अता फ़रमाये)
तो अल्लाह पाक उसे उस बीमारी से अमन और चैन में रखेगा।

3107:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो कोई शख़्स किसी बीमार की अयादत के लिये जाये तो चाहिये कि यूँ कहे

अल्लहुम्मशफ़ि अब्–द–क यन्–कउ ल–क अदुव्वन् औ यम्शी ल–क इला जना–ज़तिन् (ऐ अल्लाह! अपने बन्देको शिफ़ा अता फ़रमा, यह तेरी राह

में किसी दुश्मन को घायल करेगा, या तेरी रज़ा के लिये किसी जनाज़ा में शरीक होगा।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इब्ने सरह (अहमद बिन अम्र बिन अब्दुल्लाह) ने "इला जना-ज़तिन्" की जगह "इला सलातिन" रिवायत किया है (यानी यह बन्दा नमाज़ के लिये जायेगा)

बाब **{मौत की इच्छा करना मक्रूह है।}**

3108:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी दुःख के आने पर कोई व्यक्ति हर्गिज़ मौत की दुआ़ न करे, बल्कि चाहिये कि यूँ कहे:

अल्लाहुम्म अह्यिनी मा कानतिल हयातु ख़ै–रल्ली व–त–वफ़्फ़नी इज़ा–नतिल् वफ़ातु ख़ै–रल्ली (ऐ अल्लाह! मुझे जीवित रख जब तक कि जिन्दगी मेरे लिये ख़ैर का सबब हो। और जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे।)

3109:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स हर्गिज़-हर्गिज़ मौत की इच्छा न करे....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {मौत का अचानक आना।}

3110:— उबैद बिन ख़ालिद सुलमी रज़ि॰ से रिवायत है ....जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से थे.....मुसद्दद ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से और एक बार उबैद से रिवायत किया "अचानक मौत नाराज़ी की पकड़ है।"

फ़ाइदा:— अचानक मौत से, तौबा करने का जो चान्स है वह समाप्त होजाता है। लेकिन जो मोमिन बन्दा मौत के लिये हर समय तैयार रहता है उस की ज़िन्दगी की हर साँस इताअ़त में गुज़रती है। उस की अचानक मौत अल्लाह की तरफ़ से नाराज़ी नहीं, बल्कि इस से उस का मर्तबा बुलन्द होगा।

बाब {उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो ताऊन से मर जाये।}

3111:— जाबिर बिन अ़तीक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ब्दुल्लाह बिन साबित रज़ि॰ की अ़यादत के लिये तशरीफ़ लाये तो उन्हें बेहोश पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें ज़रा ज़ोर से बुलाया मगर उन्होंने उत्तर न दिया तो आप ने इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊ-न पढ़ा और फ़रमायाः ऐ अबू रबीअ़! तुम्हारे मामले में हम बेबस हैं। यह सुन कर औरतें चीख़ कर रोने लगी। इब्ने अ़तीक उन्हें ख़ामोश कराने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उन्हें छोड़ दो, मगर जब मामला साबित हो जाये तो फिर कोई हर्गिज़ न रोए। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मामला साबित हो जाने से क्या मुराद है? आप ने फ़रमायाः मौत। उन की एक बेटी उन के बारे में कहने लगीः मुझे तो आशा थी कि

अल्लाह पाक आप को शहादत अता करेगा और आप ने अपना जिहाद का सामान भी तय्यार कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने उन को उन की निय्यत के मुताबिक़ सवाब दे दिया है। और तुम लोग शहादत किसे समझते हो? वह कहने लगेः अल्लाह की राह में जान दे देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की राह में जान देने के अलावा भी शहादत की सात क़िस्में हैं (1) ताऊन से मरने वाला शहीद (2) पानी में डूब जाने वाला शहीद (3) पिसुली चल्ने से मरने वाला शहीद (4) पेट की तक्लीफ़ से मरने वाला शहीद (5) आग से जल कर मरने वाला शहीद (6) किसी मकान या दीवार के नीचे आ कर मर जाने वाला शहीद (7) वह महिला जो बच्चा पैदा होने की तक्लीफ़ से मर जाये वह शहीद है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि "अल् जुमा" से मुराद यह है कि बच्चा भी औरत के साथ हो (वह भी मर जाये)

फ़ाइदा:— 'ज़ातुल् जन्बि' एक बीमारी है जिस में पिसुली के अन्दर एक फोड़ा हो जाता है और अक्सर आदमी उस से मर जाता है।

बाब {मरने के क़रीब बीमार के नाखून काटे जायें और नाफ़ से नीचे की सफ़ाई भी की जाये।}

3112:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि बनी हारिस बिन आमिर बिन नौफ़ल ने खुबैब रज़ि॰ को ख़रीद लिया। खुबैब रज़ि॰ ही वह शख़्स थे जिन्होंने बद्र की लड़ाई में हारिस बिन आमिर को मौत के घाट उतारा था। चुनान्चे खुबैब उन के यहाँ क़ैदी रहे, फिर उन लोगों ने उन को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। फिर (अपने क़त्ल किये जाने से कुछ दिन पहले) उन्होंने हारिस की बेटी से उस्तरा माँगा ताकि नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लें, तो उन्होंने दे दिया। फिर उस का छोटा बच्चा घिसटते-घिसटते उन के पास पहुँच गया, उस की माँ उस बच्चे से गाफ़िल थी। उस ने अचानक क्या देखा कि बच्चा अकेला ही खुबैब के पास उन की रान पर बैठा है और उस्तुरा भी उन के हाथ में है। चुनान्चे वह इस मन्ज़र को देख कर घबरा गयी। खुबैब रज़ि॰ ने इस बात को भाँप लिया और बोलेः क्या तुम डरती हो कि मैं उसे क़त्ल कर डालूँगा, नहीं, नहीं, मैं यह काम नहीं करुँगा।

अबू दावूद ने कहा कि शुऐब बिन अबू हमज़ा ने यह क़िस्सा इमाम ज़हरी के वास्ते से रिवायत किया और कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अयाज़ ने बयान किया कि हारिस की बेटी ने उसे बताया कि उन लोगों ने जब यह फ़ैसला कि वह खुबैब रज़ि॰ को मार डालेंगे तो उन्होंने उन की लड़की से उस्तुरा माँगा ताकि नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लें तो उस लड़की ने दे दिया।

फ़ाइदा:— जब मरीज़ को पता चल जाये कि अन्तिम दिन चल रहे हैं तो उसे अपने ज़ाहिरी पाकी और सफ़ाई का ख़याल रखना चाहिये। नाखून काट लें, मूँछे काट लें, बग़ल और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लें। मर जाने के बाद सफ़ाई करने का कोई सबूत नहीं है।

बाब {मुस्तहब है कि इन्सान मौत के समय अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखे।}

3113:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम को अपने इन्तिक़ाल (देहान्त) से तीन दिन पहले फ़रमाते सुना "तुम में से किसी की मौत न आये मगर इस हाल में कि वह अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता हो।"

बाब {बेहतर है कि मरने वाले आदमी के कपड़े पाक–साफ़ कर दिये जायें।}

3114:— अबू सलमा बयान करते हैं कि अबू सईद खुदरी रज़ि॰ के देहान्त का समय जब निकट आया तो उन्होंने नये कपड़े मँगवाए और पहन लिया, फिर कहने लगे: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "मय्यित को उन्हीं कपड़ों में उठाया जायेगा जिन कपड़ों में उसे मौत आयेगी।

फ़ाइदा:— आख़िरत के सफ़र में जिस में कि अल्लाह पाक से मुलाक़ात होने वाली है एक मुसलमान का शरीर, लिबास पाक–साफ़ होना चाहिये।

बाब {मय्यित के पास किस प्रकार की बात–चीत की जाये।}

3115:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम किसी मरने वाले के पास जाओ तो अच्छी बात बोलो, क्योंकि जो कुछ तुम बोलते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। जब अबू सलमा का देहान्त हुआ तो मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या कहूँ? आप ने फ़रमाया: तुम इस प्रकार कहो:

अल्लाहुम्मग़ फ़िर् लहू वआक़िब्ना उक़बा सालि–ह–तन् (ऐ अल्लाह! उन्हें बख़्श दें, और हमें अच्छा बदला अ़ता फ़रमा)

उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर अल्लाह पाक ने मुझे अबू सलमा के बदले में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ़ता फ़रमा दिया।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा बदला और क्या हो सकता है कि अल्लाह पाक ने उम्मे सलमा को आप की पत्नी बना दिया। सभी को अपने मरने वाले के बाद यह दुआ ज़रुर पढ़नी चाहिये।

बाब {जो मरने के क़रीब हो उस को तल्क़ीन करने का बयान।}

3116:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस की आख़िरी बात लाइला–ह इल्लल्लाहु हो, वह जन्नत में दाख़िल होगा।

3117:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने मरने वालों को कलिमा लाइला–ह इल्लल्लाह की तलक़ीन करो।

फ़ाइदा:— तलक़ीन की बेहतरीन सूरत यह है कि मरीज़ के सामने बैठ कर मुनासिब आवाज़ से पढ़ा जाये ताकि उस को मालूम हो जाये। पढ़ने का हुक्म न दिया जाये, क्योंकि हो सकता है कि वह बेचैनी में हो और इन्कार कर दे तो भलाई के बजाए बुराई हो जाये।

बाब {मय्यित की आँखें बन्द कर देनी चाहिये।}

3118:— उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अबू सलमा के पास आये उस समय उन की नज़र फट गयी थी (रुह निकल जाने के बाद) तो आप ने उन की आँखें बन्द कर दीं, पस उन के घर वाले रोने चिल्लाने लगे तो आप ने फ़रमाया: अपने लिये बुरी दुआयें मत करो, बल्कि अच्छे बोल बोलो, क्योंकि जो तुम कहते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। फिर आप ने (दुआ के तौर पर) फ़रमाया: ऐ अल्लाह! अबू सलमा को बख़्श दे हिदायत पाये हुये लोगों के साथ उन के दर्जे बुलन्द फ़रमा और उन के पीछे रह जाने वालों में तू ही उन का ख़लीफ़ा बने। और ऐ रब्बुल् आ़लमीन! हमारी और उस की मग़्फ़िरत फ़रमा। ऐ अल्लाह! उस की क़ब्र को कुशादा और रोशन कर दे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मय्यित की आँखें उस की रुह निकल जाने के बाद बन्द कर दीजिये। कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन नोमान मुक़री से सुना वह कहते थे कि मैंने अबू मैसरा से सुना जो कि एक नेक इन्सान थे वह कहते थे कि मैंने जाफ़र अल् मुअल्लिम की मौत की हालत में आँखे बन्द की दीं.......और वह एक नेक इन्सान थे......तो मैंने उसी रात सपना देखा कि वह मुझ से कह रहे थे: मेरी मौत से पहले ही तुम्हारा मेरी आँखें बन्द कर देना मेरी लिये बहुत बड़ी बात थी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जान निकल जाने के बाद आँखें बन्द कर देनी चाहिये।

बाब **{(किसी भी मुसीबत के समय) इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का बयान।}**

3119:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी को मुसीबत आ पड़े तो चाहिये कि यूँ कहे:

> **इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहिं राजिऊ—न+अल्लहुम्म इन्—द—क अह्—तसिबु मुसी—बती फ़ाजुर्नी फ़ीहा, व—अब्दिल ली बिहा ख़ै—रन् मिन्हा** (हम अल्लाह के लिये हैं और उसी की तरफ़ लौट जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! इस मुसीबत में, मैं तुझ से सवाब की उम्मीद रखता हूँ। मुझे इस में अज्र अ़ता फ़रमा और बदले में मुझे इस से बेहतर बदल अ़ता फ़रमा)

बाब **{मय्यित के ढाँक देने का बयान।}**

3120:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (उन की वफ़ात पर) एक रन्गीन धारीदापर चादर से ढाँप दिया गया था।

बाब **{मरने वाले के पास कुरआ़न पढ़ने का मस्अला।}**

3121:— माक़िल बिन यसार रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने मरने वालों पर सूर: यासीन पढ़ा करो। और यह लफ़्ज़ इब्ने उला के हैं।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है इसलिये मरने वाले के पास कुरआ़न पढ़ने का तरीक़ा सहीह नहीं।

बाब {मुसीबत के समय (ग़म के सबब से) बैठने का बयान।}

3122:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करती हैं कि जब ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबू तालिब और अ़ब्दुल्लाह बिन रबाहा रज़ि॰ की शहादत हो गयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ गये, आप के चेहरे पर ग़म का प्रभाव प्रकट था.....फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— मय्यित के घर वाले और उन के रिश्तेदार लोगों को ऐसे मौक़ा पर एक साथ बैठना चाहिये, लेकिन इस के लिये कोई ज़रुरी नहीं कि सब ज़मीन पर बैठें, बल्कि जो भी मिल जाये उस पर बैठें। लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं कि ज़रुरी हो।

बाब {ताज़ियत का बयान।}

3123:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक शव को दफ़न किया। जब हम फ़ारिग़ हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वापस लौटे तो हम लोग भी वापस हुये, तो हम ने क्या देखा कि एक महिला आ रही है। मेरा ख़याल है कि आप ने उसे पहचान लिया था। जब वह जाने लगी तो मालूम हुआ कि वह फ़ातिमा रज़ि॰ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फ़ातिमा! तुम अपने घर से क्यों निकली हो? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं उन घर वालों के पास आयी थी और मैंने उन की मय्यित के लिये दुआ और उसके लिये ताज़ियत की है। आप ने फ़रमायाः और तुम शायद उन के साथ कदा (क़ब्रिस्तान) भी गयी होगीं? उन्होंने कहाः अल्लाह की पनाह! जबकि मैंने आप को इस बारे में फ़रमाते सुना है जो कुछ आप फ़रमाते हैं। आप ने फ़रमायाः अगर तुम उन के साथ (क़ब्रिस्तान) कदा जातीं तो.....आप ने बड़ी सख़्त बात ज़िक्र फ़रमायी।

(मुफ़ज़्ज़ल कहते हैं कि) मैं ने रबीआ़ से कदा के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहाः मैं समझता हूँ कि उस जगह क़ब्रें हैं।

फ़ाइदा:— इस हदीस से महिलाओं का क़ब्रिस्तान जाना मना है, लेकिन यह शुरु इस्लाम की बात है। बाद में आप ने मर्दों के साथ महिलाओं को भी ज़ियारत की अनुमति दे दी। लेकिन वह महिलायें जो सब्र न कर सकें उन्हें जाने की अनुमति नहीं।

बाब {सब्र वास्तव में वही है जो मुसीबत आते ही किया जाये।}

3124:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक महिला के पास से गुज़रे जो अपने बच्चे पर रो रही थी। आप ने उस से फ़रमायाः अल्लाह का तक़्वा इख़्तियार कर और सब्र कर। उस ने कहाः तुम्हें मेरी मुसीबत की क्या पर्वा? फिर जब उस से कहा गया कि वह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं तब वह आप के पास आयी। उस ने आप के दर्वाज़े पर चौकीदार न पाया तो उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आप को पहचाना नहीं था। आप ने फ़रमायाः सब्र तो वही होता है जो पहले को सदमा के समय हो।

फ़ाइदाः— रोने, पीटने और चीखने- चिल्लाने के बाद जब इन्सान थक-हार जाता है और चुप हो जाता है तो उसे सब्र नहीं कहा जायेगा। सब्र इस का नाम है कि मौत की ख़बर सुन कर इन्नालिल्लाह पढ़े और चुप रहे।

बाब {मय्यित पर रोना।}

3125:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक बेटी ने आप को सन्देश भेजा, जबकि मैं, सअ़द बिन उबादा और शायद उबय्यि रज़ि॰ आप के पास बैठे हुये थे। (उन्होंने यह सन्देश भेजा कि) मेरा बेटा या बेटी जान निकलने की हालत में है तो आप तशरीफ़ ले आयें। आप ने जवाब में सलाम भेजवाया और फ़रमायाः उन से कह दो कि जो अल्लाह पाक ले ले, जो वह दे दे सब उसी का है, और हर चीज़ का उस के यहाँ एक वक़्त मुक़र्रर है। उन्होंने आप को दोबारा क़सम देकर बुलवाया तो आप तशरीफ़ ले गये, फिर बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया जबकि उस की जान निकल रही थी। यह देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आँखें बह पड़ीं। सअ़द रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह क्या? आप ने फ़रमायाः बिला शुब्हा यह रहमत है। अल्लाह पाक जिन के बारे में चाहता है उन के दिलों में उसे डाल देता है और अल्लाह अपने उन्हीं बन्दों पर रहम फ़रमाता है जो रहम दिल हों।

फ़ाइदाः— मय्यित को देख कर आँख से आँसू निकल आना यह दिल की नर्मी और रहम दिली की पहचान है। हाँ चीख़-पुकार कर के रोना मना है।

3126:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़बर दीः "मेरे यहाँ आज रात एक बच्चा पैदा हुआ है। मैंने उस का नाम अपने वालिद के नाम पर इब्राहीम रखा है" ......और हदीस बयान की।

अनस रज़ि॰ कहते हैं: मैंने उसे देखा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथों में (जान निकलने की हालत में) बेचैन हो रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आँखें बह पड़ीं। फिर आप ने फ़रमायाः आँख रोती है, दिल बहुत रन्जीदा है, और हम वही कहते हैं जिस में हमारे रब की मर्ज़ी है। और ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई में ग़मगीन हैं।"

बाब {नौहे का बयान।}

3127:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नौहा करने से मना फ़रमाया है।

3128:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नौहा करने वाली और उसे सुनने वाली पर लानत फ़रमायी है।

3129:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मय्यित को उस के घर वालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब होता है। यह हदीस आइशा

रज़ि॰ के सामने बयान की गयी तो उन्होंने कहा (इब्ने उमर भूल गये हैं, हक़ीक़त यह है कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे तो फ़रमाया था "यह क़ब्र वाला अ़ज़ाब दिया जा रहा है और उस के घर वाले उस पर रो रहे हैं" फिर आ़इशा रज़ि॰ ने यह आतय पढ़ी: "कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।" हन्नाद ने अबू मुआ़विया से रिवायत करते हुये स्पष्ट किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक यहूदी की क़ब्र के पास से गुज़रे थे।

फ़ाइदा:– मरने वाला अगर नौहा और मातम करने की वसिय्यत कर गया हो तब तो उसे क़ब्र में अ़ज़ाब दिया जायेगा। इस सूरत में उसे अ़ज़ाब दिया जाना आयत के ख़िलाफ़ नहीं है।

3130:– यज़ीद बिन औस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ के यहाँ गया जबकि वह (बीमारी की वजह से) बहुत ही तक्लीफ़ में थे। चुनान्चे उन की पत्नी रोने लगीं, या रोने की तय्यारी करने लगीं। यह देख कर अबू मूसा ने कहा: क्या तू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हुक्म नहीं सुना है? उस ने कहा: हाँ मैंने सुना है, चुनान्चे वह ख़ामोश हो गयी। फिर जब अबू मूसा का देहान्त हो गया तो यज़ीद कहते हैं कि उन की पत्नी से मिला और पूछा: वह क्या बात थी जो अबू मूसा ने आप से कही थी? उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "जो कोई (मुसीबत में) बाल मूँडे या बैन करे (या मुँह पीटे) या कपड़े फाड़े, वह हम में से नहीं है।

3131:– उसैद बिन अबू उसैद एक महिला से बयान करते हैं जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बैअ़त की थी, कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जो वादा लिया था कि नेकी के कामों में आप की नाफ़र्मानी नहीं करेगी......उस में यह भी था कि मुँह नहीं नोचेंगी, हाय-वाय नहीं करेंगी, कपड़े नहीं फाड़ेंगी और बाल नहीं नोचेंगी।

बाब {मय्यित के घर वालों के लिये खाना तय्यार करना।}

3132:– अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया था: जाफ़र के घर वालों के लिये खाना तय्यार करो, उन्हें ऐसा मामला पेश है जिस ने उन्हें मश्गूल कर दिया है (उन के पास जाफ़र रज़ि॰ की शहादत की ख़बर आयी थी)

फ़ाइदा:– इस हदीस से मालूम हुआ कि चूँकि मरने वाले के घर वाले रन्ज व ग़म में डूबे होते हैं उन्हें पकाने-खाने का होश नहीं होता, इसलिये उन के घर खाना पहुँचा दो। कुछ लोगों ने यह कहा है कि तीन दिन तक मरने वाले के घर वाले न पकाएँ और तीन दिन तक उन के घर पास-पड़ोस के लोग खाना पहुँचायें। यह बात न ऊपर की हदीस से साबित है और न ही किसी और हदीस से। मरने वाले के घर वाले सब्र कर के उसी दिन पकायें-खायें तो यह और खुशी की बात है। तीन दिन की क़ैद ग़लत है।

दिल्ली जैसे शहर में यह देखने में आया है कि मरने वाले के घर वाले दफ़न करेन के बाद पका कर आने वालों को खिलाते हैं, यह भी दुरुस्त नहीं है।

बाब {शहीद को स्नान देने का मस्अला।}

3133:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक शख़्स को उस के सीने या गले में एक तीर आ लगा तो वह मर गया, तो उसे उसी तरह उस के कपड़ों में पलेट दिया गया। कहते हैं (इस घटना में) हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे।

3134:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उहुद के शहीदों के बारे में फ़रमाया था: उन के हथियार और (चमड़े की) पोस्तीन उतार लिये जायें और उन्हें उन के खूनों और कपड़ों ही में दफ़न किया जाये। यह शब्द ज़ियाद बिन अय्यूब के हैं।

3135:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि उहुद के शहीदों को स्नान नहीं दिया गया था, उन्हें उन के खून के साथ ही दफ़न कर दिया गया और जनाज़ा भी नहीं पढ़ा गया।

फ़ाइदा:— बाज़ रिवायतों में जनाज़ा पढ़ने का भी सबूत है। मालूम हुआ कि जनाज़ा के मामले में पढ़ने और न पढ़ने दोनों की गुन्जाइश है। फिर भी न पढ़ना अफ़ज़ल है और पढ़ना जाइज़ है।

3136:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमज़ा रज़ि॰ के पास से गुज़रे जबकि उन का मुसला कर दिया गया था (यानी उन के नाक, कान काट लिये गये थे) आप ने फ़रमाया: अगर यह बात न हो कि (उन की बहन) सफ़िय्या से बर्दाशत नहीं हो सकेगा तो मैं उसे (यानी हमज़ा के शव को) ऐसे ही छोड़ दूँ यहाँ तक कि उसे दरिन्दे और परिन्दे खा जायें और फिर यह उन के पेटों ही से (क़ियामत को) महशर में आये। और उहुद के मैदान में कपड़े कम पड़ गये और शहीदों की तादाद अधिक हो गयी तो एक-एक, दो-दो और तीन-तीन को एक ही कपड़े में कफ़न दिया गया।

कुतैबा ने यह भी कहा कि एक-एक क़ब्र में दफ़न किये गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के बोरे में मालूम करते जाते थे कि उन में कुरआन किस को अधिक याद है? फिर उसे क़िब्ला की तरफ़ आगे कर देते थे।

3137:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमज़ा (के शव) के पास से गुज़रे (तो देखा कि) उन का मुसला किया गया है, तो आप ने उन के अ़लावा किसी और का जनाज़ा नहीं पढ़ा।

फ़ाइदा:— इस से शहीद की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का सबूत मिला।

3138:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उहुद के शहीदों में से दो-दो को एक साथ करते फिरे मालूम करते थे कि इन में से किस को कुरआन ज़्यादा याद है? जब किसी एक की तरफ़ इशारा किया जाता तो आप उसे क़ब्र में आगे रखते। और आप ने फ़रमाया: मैं क़ियामत के दिन उन के लिये गवाह रहूँगा। आप ने हुक्म दिया कि उन्हें उन के खूनों ही में दफ़न किया जाये, और उन्हें स्नान नहीं दिया।

3139:— लैस ने इस हदीस को ऊपर की हदीस के हममाना रिवायत किया और कहा कि आप ने

उहूद के शहीदों में से दो-दो आदमियों को एक-एक कफ़न में इकट्ठा किया।

बाब {मय्यित को स्नान देते हुये उस के लिये पर्दा करना।}

3140:— अली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी रान को नन्गी न करो और न कभी किसी ज़िन्दा या मुर्दा की रान को देखो।

3141:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि सहाबा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देना चाहा तो उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! हमें मालूम नहीं कि अया हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारें जैसे कि हम अपनी मय्यितों के उतार देते हैं, या उन्हें उन के कपड़ों समेंत ही गुस्ल दें। पस जब उन का इस बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ तो अल्लाह पाक ने उन पर नींद को भेज दिया। उन में से कोई भी न बचा मगर उस की ठोड़ी उस के सीने से जा लगी। फिर घर की तरफ़ से एक बात करने वाले ने बात की। किसी को मालूम नहीं कि वह कौन था (उस ने कहाः) नबी को उन के कपड़ों के साथ ही गुस्ल दो। चुनान्चे सब उठे और आप को आप की क़मीस समेत स्नान दिया। वह क़मीस के ऊपर ही पानी डालते जाते थे और आप की क़मीस ही से आप को मलते जाते थे, बग़ैर इस के कि आप के शरीर को उन के हाथ लगें। आइशा रज़ि॰ कहा करती थीं कि अगर मुझे इस बारे में पहले मालूम हो जाता जिस का बाद में ज्ञान हुआ तो आप को आप की बीवियाँ स्नान देतीं।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि मय्यित को बिल्कुल नन्गा कर देना जाइज़ नहीं। यह भी मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीवी को, और बीवी अपने शौहर को स्नान दे तो जाइज़ है। चुनान्चे अली रज़ि॰ ने फ़ातिमा को और अस्मा बिन्त और ने अबू बक्र को स्नान दिया था।

बाब {मय्यित को कैसे स्नान दिया जाये?}

3142:— उम्मे अतिय्या रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आये जबकि आप की बेटी का देहान्त हो गया था। आप ने फ़रमायाः उन्हें तीन या पाँच बार स्नान देना, या इस से भी ज़्यादा (दे सकती हैं) अगर ज़रुरत महसूस करो। ऐसे पानी के साथ (स्नान दो) जिस में बैरी के पत्ते मिले हों, और अन्तिम बार में कुछ काफ़ूर मिला लेना। और जब तुम स्नान दे चुको तो मुझे ख़बर करो। चुनान्चे जब स्नान दे चुकीं तो आप को सूचना दी, तो आप ने हमें अपना तहबन्द दिया और फ़रमायाः इसे उस के शरीर के साथ लपेट दो।

इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि इमाम मालिक ने "इज़ार" का शब्द इस्तेमाल किया है (और माना एक ही है यानी तहबन्द) और मुसद्दद ने "द-ख़-ल अलैना" के शब्द बयान नहीं किये।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि कम से कम तीन बार गुस्ल देना चाहिये। गुस्ल के पानी में बैरी के पत्ते उबाल लें, और अन्तिम गुस्ल वाले पानी में काफ़ूर मिला लें। मालूम हुआ कि किसी मुसलमान के पहने हुये कपड़े का कफ़न देना जाइज़ है।

3143:— उम्मे अतिय्या रज़ि॰ बयान करती हैं कि हम ने (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

की बेटी को नहलाने के बाद) उन के बालों की तीन लटें बनाई थीं।

3144:— उम्मे अतिय्या रज़ि॰ बयान करती हैं कि हम ने उन के बालों की तीन लटें बट दीं और फिर उन लटों को उन के पीछे डाल दिया, यानी सिर के आगे के बाल और आस-पास वाले।

3145:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बेटी के गुस्ल के बारे में फ़रमायाः "उन को दायें तरफ़ से और वुज़ू के हिस्सों से गुस्ल देना शुरु करें।

3146:— मुहम्मद बिन सीरीन रह॰ ने उम्मे अ़तिय्या से हदीस बयान की जो इमाम मालिक रह॰ की रिवायत की तरह है।

और हफ़सा (बिन्त सीरीन) की हदीस जो उम्मे अ़तिय्या से रिवायत है उस में भी उसी की तरह रिवायत है, लेकिन उस में इतना इज़ाफ़ा है कि "या सात बार गुस्ल दो, या अगर ज़रुरत हो इस से भी ज़्यादा मर्तबा।"

3147:— मुहम्मद बिन सीरीन रह॰ मय्यित के स्नान की रिवायत उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰से बयान किया करते थे (या गुस्ल देने का तरीक़ा उन्होंने उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से सीखा था) और वह मय्यित को दो बार बैरी के पानी से नहलाते और तीसरी बार काफ़ूर मिले पानी से।

फ़ाइदा:— मय्यित को सुन्नत के अनुसार स्नान देना बहुत अहमियत रखता है। नहलाने का तरीक़ा महिलाओं को घरों में सिखाना चाहिये।

बाब {कफ़न का बयान।}

3148:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक रोज़ खुत्बा दिया और उस में अपने एक सहाबी को याद किया जिन का देहान्त हो गया था और उन को मामूली कफ़न दिया गया और रात ही में दफ़न कर दिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात पर डाँटा कि रात के समय किसी को दफ़न न किया जाये यहाँ तक कि आप उस का जनाज़ा पढ़ लें, मगर यह कि कोई मजबूरी हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो अच्छा कफ़न दे।

फ़ाइदा:— इस से मुराद महँगा और क़ीमती कफ़न नहीं, बल्कि सादा, साफ-सुथरा और मुकम्मल कफ़न हो।

3149:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पहले धारी दार चादर का कफ़न पहनाया गया था मगर उसे उतार लिया गया।

3150:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "हम में से जब कोई फ़ौत हो जाये और उस को कुशादगी हो तो चाहिये कि उस का कफ़न धारीदार चादर का हो।

3151:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफ़न दिया गया था, उन में कमीस थी और न पगड़ी।

3152:— हिशाम बिन उर्वा ने अपने पिता के वास्ते से आइशा रज़ि॰ से ऊपर की हदीस ही की तरह रिवायत किया और यह भी कहा कि यह कपड़े सूती थे। उन्होंने बयान किया कि आइशा रज़ि॰ से लोगों की यह बात ज़िक्र की गयी कि "आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कपड़ों और एक रन्गीन धारीदार चादर में कफ़न दिया गया था" तो उन्होंने कहाः धारीदार चादर लाई गयी थी मगर उन्होंने उसे वापस कर दिया था और उस में कफ़न नहीं दिया था।

3153:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन नजरानी कपड़ों में कफ़न दिया गया था। एक हुल्ला जो दो कपड़ों के बराबर था और एक उन की अपनी क़मीस जिस में उन की वफ़ात हुयी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उस्मान बिन अबू शैबा ने कहाः तीन कपड़ों में कफ़न दिया गया। एक लाल जोड़ा, एक क़मीस जिस में आप की वफ़ात हुयी थी।

बाब {कफ़न महँगा बनाना मक्रुह है।}

3154:— अली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने बयान किया कि कफ़न महँगा नहीं होना चाहिये। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना हैः "कफ़न महँगा मत बनवाया करो, यह बहुत जल्द छीन लिया जायेगा।"

3155:— ख़ब्बाब रज़ि॰ से रिवायत है कि मुस्अब बिन उमैर रज़ि॰ उहुद के दिन शहीद हो गये। उन के पास एक ही सफ़ेद व सियाह धारीदार ऊनी चादर थी। उस से जब हम उन का सर ढाँपते तो उन के पाँव निकल आते, और जब पाँव ढाँपते तो उन का सर नन्गा हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस से उन का सर ढाँप दो और पैरों पर थोड़ी सी इज़ख़िर (घास) डाल दो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर तन्गी है तो कफ़न में एक चादर ही काफ़ी है।

3156:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेहतरीन कफ़न हुल्ला है (दो चादरें) और बेहतरीन क़ुर्बानी मेंढा है जो सींगों वाला हो।

बाब {महिला के कफ़न का बयान।}

3157:— लैला बयान करती हैं कि मैं उन महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने उम्मे कुलसूम (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी) को देहान्त के बाद गुस्ल दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें (उन के कफ़न के लिये) सब से पहले तहबन्द दिया, फिर क़मीस, फिर ओढ़नी, फिर एक चादर उन को लपेटने के लिये, फिर उन (कपड़ों) के बाद उन को एक-दूसरे कपड़ें में लपेटा गयो। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़फ़न के लिये दर्वाज़े के पास तशरीफ़ रखते थे और हमें एक-एक कपड़ा देते जाते थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत और इस से पहले वाली रिवायत दोनो ज़अ़ीफ़ हैं। महिला को मर्द से ज़्यादा कपड़े में कफ़न दिया जाये किसी सहीह हदीस से साबित नहीं, इसलिये मर्द और महिला कफ़न के कपड़ों में बराबर हैं। यह हदीस न॰ 3157 में नूह बिन हकीम और दावूद नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ अ़ता पता नहीं कि कौन हैं। रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कफ़न देते समय मौजूद थे, हालाँकि आप उन दिनों बद्र के मैदान में थे। इसलिये दोनों को ही तीन कपड़े में कफ़न दिया जाये।

बाब {मय्यित को कस्तूरी लगाना।}

3158:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे ख़ुश्बू में बेहतरीन खुश्बू कस्तूरी है।

बाब {जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना मुस्तहब और रोके रखना मकरुह है।}

3159:— हुसैन से रिवायत है कि तलहा बिन बरा बीमार हो गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की अ़यादत के लिये तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः मेरा ख़याल है कि तल्हा की मौत आ गयी है (जब उन का देहान्त हो जाये तो) मुझे सूचना देना और जल्दी करना। यह मुनासिब नहीं कि मुसलमान की मय्यित उस के घर वालों के पास पड़ी रहे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़अ़ीफ़ है, मगर दीगर सहीह रिवायतों से यही मस्अला साबित है।

बाब {मय्यित को नहलाने वाले के लिये गुस्ल करने का मस्अला।}

3160:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चार बातों से स्नान किया करते थे (1) जनाबत से (2) जुमा के दिन (3) सींगी लगवा कर (4) मय्यित को गुस्ल देकर।

3161:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो किसी मय्यित को नहलाये वह स्नान करे, और जो उसे उठाये वह वुज़ू करे।

फ़ाइदा:— स्नान और वुज़ू करना यह मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इसलिये अगर कोई स्नान नहीं करता है तो कोई हरज नहीं।

3162:— ज़ाइदा के आज़ाद किये हुये गुलाम इस्हाक़ ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की रिवायत की तरह रिवायत किया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हुक्म मन्सूख़ है। मैंने इमाम अहमद बिन हन्बल रह॰ से सुना, उन से पूछा गया कि मय्यित को नहलाने से गुस्ल करना कैसा है? उन्होंने कहाः इस के लिये वुज़ू ही काफ़ी है।

अबू दावूद ने कहा कि अबू सालेह ने इस हदीस की सनद में अपने और अबू हुरैरा रज़ि॰ के दर्मियान "ज़ाइदा के आज़ाद किये हुये गुलाम" को बढ़ा दिया है। और ऊपर की हदीस (3160) ज़अ़ीफ़ है। इस में कई बातें हैं। जिन पर अ़मल नहीं।

बाब {मय्यित को बोसा देना।}

3163:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ को बोसा दिया, जबकि उन का देहान्त हो गया था। मैंने देखा कि आप के आँसू बह रहे थे।

फ़ाइदा:— अपने महबूब को बोसा लेने में कोई हरज नहीं। और ग़म में आँसू का निकल आना कोई बुरी बात नहीं।

बाब {रात के समय मय्यित को दफ़न करना।}

3164:— जाबिर बिन अब्दुलह रज़ि॰ बयान करते हैं कि (एक बार) लोगों ने क़ब्रिस्तान में रोशनी देखी। वहाँ गये तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में उतरे हुये हैं और फ़रमा रहे हैं। अपना साहब मुझे पकड़ाओ। फिर मालूम हुआ कि वह आदमी था जो अल्लाह के ज़िक्र (कुरआन की तिलावत) के साथ अपनी आवाज़ बुलन्द किया करता था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि रात को दफ़न करने में कोई हरज नहीं। हदीस न॰ 3148 में रात को दफ़न करने पर आप ने डाँटा था तो इसलिये कि आप को बताया नहीं गया था और आप के जनाज़ा पढ़ाए बिना ही उसे दफ़न कर दिया गया था।

बाब {मय्यित को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अच्छा नहीं है।}

3165:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि हम उहुद के शहीदों को दफ़न करने के लिये उठा लाये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलान्ची आया और कहा : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि उन शहीदों को उन के शहीद होने की जगह पर दफ़न करो, चुनान्चे हम ने उन्हें वहीं लौटा दिया।

फ़ाइदा:— दफ़न से पहले यहाँ से वहाँ दफ़न के लिये टाला जा सकता है। लेकिन दफ़न कर देने के बाद क़ब्र खोद कर वहाँ से निकाल कर दूसरी क़ब्र में रखना मक्रुह है, लेकिन जाइज़ है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने अपने पिता का शव निकाल कर 6 माह के बाद दूसरी क़ब्र में दफ़न किया। (3232)

बाब {नमाज़ जनाज़ा में सफ़ बन्दी का बयान।}

3166:— मालिक बिन हुबैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो कोई मुसलमान मर जाये और फिर उस पर मुसलमानों की तीन सफ़ें जनाज़ा पढ़ें तो अल्लाह पाक उस के लिये (जन्नत) वाजिब कर देता है। बयान किया कि मालिक रज़ि॰ जब किसी जनाज़ा में लोगों की संख्या कम पाते तो उन्हें तीन सफ़ों में तक़सीम कर दिया करते थे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ईफ़ है। इस हदीस से तीन सफ़ों की फ़ज़ीलत साबित है।

बाब {औरतों का जनाज़ा के साथ जाना।}

3167:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ से रिवायत है कि हम महिलाओं को जनाज़ा के साथ जाने से मना किया गया है, मगर हम पर सख़्ती नहीं की गयी।

फ़ाइदा:— न जाना ही बेहतर है। और अगर जायें तो शरीअ़त के आदाब की पाबन्दी के साथ जायें, पर्दे से हों, चीख़-पुकार न करें।

बाब {जनाज़ा पढ़ने और मय्यित के साथ जाने की फ़ज़ीलत।}

3168:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जो शख़्स जनाज़े के साथ गया और फिर उस पर नमज पढ़ी तो उस के लिये एक क़ीरात सवाब है, और जो उस के साथ गया यहाँ तक कि (दफ़न से) फ़ारिग़ होगया तो उस के लिये दो क़ीरात हैं। उन दोनों क़ीरातों में से छोटा उहुद पहाड़ के बराबर होगा, या यह फ़रमाया कि उन में एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना होगा।

फ़ाइदा:— दुनिया का क़ीरात 2475 या 2125 ग्राम है। मगर आख़िरत का क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर वज़न में है।

3169:— दाऊद बिन आ़मिर बिन सअ़द बिन वक़्क़ास, अपने पिता (आ़मिर) से बयान करते हैं कि वह (आ़मिर) अ़ब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के पास थे कि इतने में ख़ब्बाब तशरीफ़ लाये और कहा: ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन उमर! क्या आप ने सुना कि अबू हुरैरा रज़ि॰ क्या कहते हैं? उन का कहना है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे "जो शख़्स जनाज़े वाले घर से उस के साथ निकला और उस पर नमाज़ पढ़ी......" फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इब्ने उमर ने यह हदीस आ़इशा रज़ि॰ से मालूम कराई तो उन्होंने कहा: अबू हुरैरा रज़ि॰ ने सच कहा।

3170:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: "जो कोई मुसलमान फ़ौत हो जाये और फिर उस पर चालीस आदमी खड़े होकर जनाज़ा पढ़ें, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते हों, तो उस मय्यित के बोर में उन की सिफ़ारिश क़ुबूल कर ली जाती है।

फ़ाइदा:— जनाज़ा में शरीक होने के लिये इसलिये ख़ास कर तौहीद परस्त को सूचना देनी चाहिये ताकि उन की दुआओं के क़ुबूल होने की उम्मीद बढ़ जाये।

बाब {मय्यित के साथ आग ले जाना मना है।}

3171:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जनाज़ा के साथ कोई आवाज़ या आग न जाये।

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया: (हदीस के रावी) हारुन ने इतना और बयान किया है कि "आग उस के आगे-आगे न ले जायी जाये।"

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम यह सहीह है कि मय्यित के साथ इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिये। जैसे कि ईसाइयों के यहाँ मशाल ले जाते हैं, या बिदअ़ती आग के साथ

अगरबत्ती जलाते हैं। रोशनी के लिये रात में आग जलाना जाइज़ है कि यह ज़रुरत है।

बाब **{मय्यित के लिये खड़ा होने का मस्अला।}**

3172:— आमिर बिन रबीआ से रिवायत है उन्होंने कहा कि मुझ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस पहुँची है कि "जब तुम जनाज़ों को देखो तो उसके लिये खड़े हो जाओ यहाँ तक कि आगे गुज़र जाये, या उसे नीचे रख दिया जाये।"

फ़ाइदा:— बाद में आप ने बैठने का हुक्म दिया। इसलिये कुछ उलमा इसे मन्सूख़ मानते हैं। देखें हदीस न॰ 3176। कुछ उलमा दोनों पर अमल करते हैं। हमारा भी अमल खड़े होने ही पर है चाहे वह शव मुशिरक और काफ़िर का क्यों न हो।

3173:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम जनाज़ा के साथ जाओ तो जब तक उसे नीचे न रख दिया जाये, मत बैठो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को सुफ़यान सौरी ने सुहैल के वास्ते से उन के वालिद से और उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत किया है और कहा है कि "यहाँ तक कि उसे ज़मीन पर रख दिया जाये" जबकि अबू मुआविया ने सुहैल से रिवायत करते हुये कहा कि "यहाँ तक कि उसे क़ब्र में रख दिया जाये।" अबू दावूद ने कहा कि सुफ़यान सौरी, अबू मुआविया की निस्बत ज़्यादा हाफ़िज़ थे।

3174:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस को देख कर खड़े हो गये। जब हम ने उस को कन्धा देना चाहा तो मालूम हुआ कि यह तो यहूदी का जनाज़ा है। हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह यहदी का जनाज़ा है। आप ने फ़रमाया: बिला शुब्हा मौत एक दुखदाई हादसा है, इसलिये जब तुम कोई जनाज़ा देखो तो उस के लिये खड़े हो जाया करो।

3175:— अली बिन अबूतालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ों को देख कर खड़े हो जाया करते थे, मगर बाद में बैठने लग गये थे।

3176:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ा के लिये खड़े रहते थे यहाँ तक कि उसे क़ब्र में उतार दिया जाता। एक यहूदी ज्ञानी का आप के पास से गुज़र हुआ तो उस ने कहा: हम भी ऐसे ही करते हैं। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गये और फ़रमाया: बैठ जाओ, यहूद की मुख़ालिफ़त करो।

बाब **{सवार होकर जनाज़ा में जाना।}**

3177:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाज़ा के साथ थे तो आप को सवारी पेश की यी, मगर आप ने सवार होने से इन्कार कर यिा। फिर जब वापस हुये तो सवारी पेश की गयी तो आप सवार हो गये। इस बारे में आप से पूछा गया तो फ़रमाया: फ़रिश्ते चल रहे थे तो मैंने पसन्द न किया कि वह पैदल चल रहे हों और मैं सवार हो

जाऊँ। जब वह चले गये तो मैं सवार हो गया।

फ़ाइदा:— जनाज़ा के साथ सवार होकर जाना जाइज़ है, मगर सवार जनाज़ के पीछे-पीछे रहे।

3178:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्ने दहदाह का जनाज़ा पढ़ाया और हम उस में मौजूद थे। फिर एक घोड़ा ला कर बाँध दिया गया जिस पर आप सवार हो गये, फिर वह आप के साथ बीच की चाल से तेज़-तेज़ चलने लगा और हम भी आप के साथ तेज़-तेज़ चलने लगे।

बाब {जनाज़ा के आगे-आगे चलना।}

3179:— सालिम अपने पिता (इब्ने उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र और उमर रज़ि॰ को देखा कि यह लोग जनाज़ा के आगे-आगे चलते थे।

3180:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सवार आदमी जनाज़ा के पीछे चले और पैदल लोग उस के पीछे-आगे, दायें-बायें उस के क़रीब-क़रीब चलें। और बच्चा जो अधोरा पैदा हो उस की भी जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जाये और उसके माता-पिता के लिये माफ़ी और रहमत की दुआ की जाये।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ज़रुरत पड़ने पर मय्यित के आगे-आगे भी चलना दुरुस्त है और इस में उस का कोई अनादर (तौहीन) नहीं होता।

अधोरा बच्चा के जनाज़ा में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। सहीह बात यह है कि 120 दिन के बाद माँ के पेट में रुह फूँक दी जाती है। अगर 120 दिन के बाद पैदा हुआ तो उस पर जनाज़ा पढ़ी जायेगी, क्योंकि वह माँ के पेट में ज़िन्दा होकर मरा है।

बाब {जनाज़ा जल्दी ले जाने का बयान।}

3181:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जनाज़ा जल्दी ले जाओ, अगर वह नेक भला है तो तुम भलाई की तरफ़ आगे लै जा रहे हो। और अगर वह उस के अ़लावा है तो वह एक बुराई है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार फेंक रहे हो।

3182:— उयैना बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हम उस्मान बिन अबुल आ़स रज़ि॰ के जनाज़ा में शरीक थे और मय्यित को उठा कर आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे थे। इतने में अबू बक्र पीछे से हमें आ मिले और अपना कोड़ा बुलन्द किया और कहा: मैं देख रहा हूँ कि गोया हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ होते थे और (मय्यित को उठा कर) बीच की चाल से दौड़ रहे होते थे।

फ़ाइदा:— इस रिवायत में उस्मान का ज़िक्र नहीं है, अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा सहीह है, जैसा कि नीचे की रिवायत में है।

3183:— ख़ालिद बिन हारिस और ओ़सा बिन यूनुस ने उयैना बिन अ़ब्दुर्रहमान से यह रिवायत

नक़ल की तो उन दोनों ने अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा के जनाज़े का ज़िक्र किया और कहा कि (अबू बक्र रज़ि॰) अपना ख़च्चर दौड़ा कर लाये और अपने कोड़े से इशारा किया।

3184:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा कि जनाज़ा के साथ चलने का क्या अदब है? आप ने फ़रमायाः बीच की चाल से तेज़ी से चलाये जाओ। अगर वह नेक है तो भलाई की तरफ़ जल्दी ले जाते हो और अगर वह इस के अ़लावा है तो जहन्नम वालों के लिये बर्बादी है। जनाज़ा आगे-आगे होना चाहिये, पीछे नहीं होना चाहिये, ऐसा न हो कि कोई उस के आगे चले।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस ज़ओ़फ़ है। यहया, यह यहया बिन अ़ब्दुल्लाह है और यही यहया जाबिर है और यह कूफ़ा का रहने वाला है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू माजिदा बसरी, यह मशहूर रावी नहीं है।

बाब {इमाम खुदकुशी (आत्महत्या) करने वाले का जनाज़ा न पढ़ाये।}

3185:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स बीमार हो गया तो (उस के घर वाले) उस पर रोने लगे। इस पर उस का पड़ोसी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगाः वह आदमी मर गया है। आप ने फ़रमायाः तुम्हें क्या पता? उस ने कहाः मैंने उसे देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह नहीं मरा है। यह सुन कर वह घर लौट आया। घर वाले उस आदमी पर फिर रोने लगे तो वह फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि वह तो मर गया है। आप ने फ़रमायाः वह मरा नहीं है। यह सुन कर वह फिर लौट गया तो लोग फिर उस पर रोने लगे। उस की बीवी ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाओऔर सूचना दे दो। उस आदमी ने कहाः ऐ अल्लाह! इस पर लानत कर। फिर वह आया और देखा कि उस ने अपने आप को तीर (या नेज़े) से ज़ब्ह कर लिया था, तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया और सूचना दी कि वह मर गया है। आप ने पूछाः तुम्हें कैसे मालूम? उस नेकहाः मैंने उसे देखा है कि उस ने नेज़े के फल के साथ अपने आप को ज़ब्ह कर लिया है। आप ने पूछाः क्या तू ने स्वँय उसे देखा है? उस ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः तब मैं उस की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढूँगा।

फ़ाइदा:— इमाम, क़ाज़ी, आ़लिम, बड़े बुज़ूर्ग न पढ़ें ताकि लोगों को नसीहत हो।

बाब {जो शख़्स हद में क़त्ल किया जाये उस की नमाज़ जनाज़ा।}

3186:— अबू बरज़ा अस्लमी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक रज़ि॰ की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरों को रोका नहीं था।

फ़ाइदा:— एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़बीला ग़ामिदिया की महिला जो ज़िना के जुर्म में रज्म की गयी थी, नमाज़ जनाज़ा पढ़ा था। मालूम हुआ था कि इस प्रकार के मामले में इमाम के ऊपर है कि किस की पढ़े और किस की न पढ़े, लेकिन आ़म

मुसलमानों, को तो हर हाल में पढ़ना चाहिये। अ़ल्लामा शौकानी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी है।

बाब {बच्चे की जनाज़ा की नमाज़।}

3187:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का देहान्त हुआ, उस समय उन की आयु 18 माह थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी।

3188/1:— वाइल बिन दाऊद ने कहा कि मैंने बहिय्य से सुना वह कहते थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का देहान्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक़ाइद के स्थान पर उन की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी थी।

3188/2:— इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने सअ़ीद बिन याकूब तालक़ानी को पढ़ कर सुनाया और उन से पूछा गया कि क्या आप को इब्ने मुबारक ने याकूब बिन क़ाक़अ़ के वास्ते से और वह अ़ता के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम का जनाज़ा पढ़ा था जबकि सत्तर दिन के थे।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 3187 सहीह है जिस में साबित है कि आप ने जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी। और हदीस न॰ 3188/1, 3188/2 ज़अ़ीफ़ हैं जिन में है कि आप ने जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी थी। आप ने इब्राहीम की जनाज़ा शायद सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ने में मस्रुफ़ रहने की वजह से नहीं पढ़ी थी। या उस फ़ज़ीलत की बिना पर जो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बेटा होने की निसबत से प्राप्त थी, इस पर किफ़ायत की गयी। बहरहाल सहीह हदीसों से साबित है कि इब्राहीम की जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी गयी। (देखें-अहकामुल जनाइज़-अल्बानी)

बाब मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा पढ़ना।}

3189:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैज़ा के बेटे सुहैल की जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ी थी।

3190:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैज़ा के दोनों बेटों सुहैल और उस के भाई (सहल) की जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद में अदा फ़रमाई थीं।

फ़ाइदा:— मस्जिद में पढ़ लेने में कोई हरज नहीं, मगर अ़ीदगाह में पढ़ना अफ़ज़ल है।

3191:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने किसी मय्यित की जनाज़ा मस्जिद में अदा की तो उस पर कोई गुनाह नहीं।

बाब {सूरज निकलते या डूबते समय दफ़न करना।}

3192:— उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ से रिवायत है कि तीन वक़्तों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें मना फ़रमाया करते थे कि हम उन वक़्तों में नमाज़ पढ़ें या अपने मय्यित को दफ़न करें (1) जब सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलन्द हो जाये (2) ठीक दोपहर के समय यहाँ तक कि ढल जाये(3) और जब सूरज डूबने केक़रीब हो यहाँ तक कि डूब जाये। रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ कुछ इसी प्रकार थे।

बाब {मर्दों और औ़रतों के जनाज़े इकट्ठे आ जायें तो किसे आगे किया जाये?}

3193:— हारिस बिन नौफ़ल के आज़ाद किये हुये गुलाम अ़म्मार से रिवायत है कि वह (अ़ली रज़ि॰ की बेटी और उमर रज़ि॰ की बीवी) उम्मे कुलसूम और उन के बेटे (ज़ैद अक्बर) के जनाज़े में हाज़िर थे। बच्चे को (इमाम साहब ने) इमाम की तरफ़ रखा तो मैंने इस का इन्कार किया। जमाअ़त में इब्ने अ़ब्बास, अबू सअ़ीद खुदरी, अबू क़तादा और अबू हुरैरा रज़ि॰ भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहाः यही सुन्नत है।

फ़ाइदा:— यानी मर्द को इमाम की तरफ़ और औ़रत को उस के बाद रखा जाये, और दोनों की जनाज़ा एक ही साथ पढ़ी जाये।

बाब {जनाज़ा पढ़ते हुये इमाम मय्यित के पास कहाँ खड़ा हो?}

3194:— नाफ़े अबू ग़ालिब रह॰ का बयान है कि मैं (बसरा में) मिरबद मुहल्ला की एक गली में था कि एक जनाज़ा गुज़रा, उस के साथ बहुत से लोग थे। लोगों ने कहाः यह अ़ब्दुल्लाह बिन उमैर का जनाज़ा है, तो मैं भी उस के साथ हो गया। मैंने एक आदमी को देखा जो एक बारीक सी ऊनी चादर ओढ़े हुये अपने छोटे से घोड़े पर सवार था। धूप से बचाव के लिये उस ने अपने सर पर कपड़ा रखा हुआ था। जब मय्यित को रखा गया तो अनस रज़ि॰ खड़े हुये और उस का जनाज़ा पढ़ाया। मैं उन के पीछे था। मेरे और उन के दर्मियान कोई चीज़ रुकावट नहीं थी। आप उस मय्यित के सर के पास खड़े हुये और चार तक्बीरें कहीं। आप ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने में न तो बहुत लंबा किया और ना ही मुख़्तसर किया। फिर बैठने लगे तो लोगों ने कहाः ऐ अबू हमज़ा! यह एक अन्सारी महिला का जनाज़ा है और वह उसे क़रीब लाये और मय्यित के ऊपर हरे रंग का पर्दा था (यानी ताबूत की तरह थीं) तो आप उस की कमर के सामने खड़े हुये और जनाज़ा पढ़ाया, जैसे कि मर्द का पढ़ाया था, फिर आप बैठ गये तो अ़ला बिन ज़ियाद ने पूछाः ऐ अबू हमज़ा! क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी ऐसे ही जनाज़ा पढ़ाया करते थे जैसे कि आप ने पढ़ाया है कि चार तक्बीर के साथ और मर्द के लिये उस के सर के सामने और महिला के लिये उस की कमर के पास खड़े हुआ करते थे? उन्होंने कहाः हाँ। फिर उन्होंने पूछाः ऐ अबू हमज़ा! क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक रहे हैं? उन्होंने कहाः हाँ। मैं आप के साथ हुनैन की जन्ग में शरीक था, मुश्रिक निकले और हम पर हमला कर दिया यहाँ तक कि हम ने अपने घोड़ों को अपनी पीठों के पीछे देखा (यानी हम पसपा हो गये) और उन मुश्रिकों में एक आदमी था जो हमें कुचले जा रहा था और उस ने हमें तोड़ के रख दिया था। आख़िर अल्लाह

पाक ने उसे पसपा कर दिया और फिर उन लोगों को लाया गया और वह इस्लाम पर बैअ़त करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी ने कहाः मैंने यह नज़र मानी है कि अगर अल्लाह पाक उस आदमी को ले आया जो आज हमें कुचलता रहा है तो मैं ज़रुर उस की गर्दन उड़ाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह सुन कर खामोश रहे और उस आदमी को ले आया गया। जब उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अल्लाह की तरफ़ तौबा करता हूँ। और फिर आप रुके रहे और उस से बैअ़त नहीं ली ताकि वह सहाबी अपनी नज़र पूरी कर लें। हदीस के रावी ने बयान किया कि वह सहाबी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने आते रहे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे उस के क़त्ल कर देने का हुक्म दें, ज़बकि वह अपने तौर पर उस को क़त्ल कर देने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हैबत में था। पस जब आप ने देखा कि वह सहाबी कुछ नहीं कर रहा है तो आप ने उस से बैअ़त ले ली। फिर उस सहाबी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी नज़र (का क्या होगा) आप ने फ़रमायाः मैं तो इसीलिये रुका रहा कि तुम अपनी नज़र पूरी कर लो। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने मुझे आँख से इशारा क्यों न कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह नबी की शान के ख़िलाफ़ है कि आँख से इशारा करे।

अबू ग़ालिब कहते हैं कि मैंने अनस रज़ि॰ के उस काम के बारे में पूछा जो वह महिला की कमर के पास खड़े होकर जनाज़ा पढ़ी थी तो लोगों ने कहाः कि पहले यह इसलिये होता था कि मय्यित पर ताबूत नहीं रखा जाता था तो इमाम महिला की कमर के सामने खड़ा हो जाता था ताकि उस के लिये क़ौम से पर्दा बन जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़र्मान "मुझे लोगों के साथ जन्ग करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह लाइला-ह-इल्लल्लाह कह दें, इस हदीस की रोशनी में मन्सूख़ है जिस में कि क़त्ल की नज़र पूरी कर देने का बयान आया है, हालाँकि उस शख़्स ने कह दिया था कि "मैं तौबा करता हूँ"

फ़ाइदा:— औरत और मर्द के जनाज़ा में सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि इमाम औरत की कमर के सामने खड़ा होकर मर्द के सर या सीने के सामने खड़ा हो। आँख से इशारा बहुत बुरी बात है।

3195:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे एक महिला का जनाज़ा पढ़ा जो कि निफ़ास की हालत में फ़ौत हो गयी थी तो आप उस के सामने खड़े हुये थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि हैज़-निफ़ास की हालत में मरने वाली महिला का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।

बाब {जनाज़ा की तक्बीरों का बयान।}

3196:— इमाम शोबी रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ताज़ा

बनी हुयी क़ब्र के पास से गुज़रे तो सहाबा ने उस पर सफ़ बनाई और आप ने चार तक्बीरें कहीं (और जनाज़ा पढ़ाई) अबू इस्हाक़ कहते हैं कि मैंने इमाम शोबी से पूछा कि आप को यह किस ने बयान किया? उन्होंने कहाः एक भरोसेमन्द शख़्स ने जो उस जनाज़े में मौजूद थे, यानी अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰।

3197:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ हमारे जनाज़ों पर चार तक्बीरें कहा करते थे। एक जनाज़ा पर आप ने पाँच भी तक्बीरें कही हैं। मैंने उन से पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह (पाँच तक्बीरें भी) कहा करते थे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि मुझे मुहम्मद बिन मुसन्ना की हदीस अच्छी तरह याद है।

फ़ाइदा:— जनाज़ा की तक्बीर चार लेकर 9 तक है। मगर उलमा का चार पर इत्तिफ़ाक़ है। वैसे अगर कोई चार से ज़ाइद पर अ़मल करता है तो भी हरज नहीं।

बाब {जनाज़ा में क़िरात करना।}

3198:— तल्हा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ केसाथ एक जनाज़ा पढ़ा तो उन्होंने सूरः फ़ातिहा पढ़ा और कहा कि यह सुन्नत है।

फ़ाइदा:— सहाबी का कहना कि सुन्नत है इस का मतलब यह है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को करते और कहते सुना है। और यह भी मालूम हुआ कि जेहरी भी पढ़ सकते हैं।

बाब {मय्यित के लिये दुआ़ का बयान।}

3199:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "जब तुम किसी मय्यित का जनाज़ा पढ़ो तो उस के लिये इख़्लास की दुआ़ करो।

3200:— मर्वान बिन हकम ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से प्रश्न किया कि आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जनाज़ा पढ़ते हुये कैसे सुना है? उन्होंने कहाः क्या इस सब के बावजूद जो तुम ने कहा है? उस ने कहाः हाँ..... रावी ने वज़ाहत की कि उन दोनों के दर्मियान इस से पहले कोई बात हुयी थी...... अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः आप यह दुआ़ पढ़ा करते थेः

अल्लाहुम्म अन्‌–त रब्बुहा व–अन्‌–त ख़–लक़्–तहा, व–अन्‌–त हदै–तहा लिल्‌इसलामि, व–अन्‌–त क़–बज़्–त रु–हहा, व–अन्‌–त आ–लमु बिर्सिरिही व–अलानि–य–त–हा, जिअ्ना शु–फ़–आ–अ लहू फ़ग़्फ़िर् लहू (ऐ अल्लाह! तू इस मुर्दे का रब है, तू ने ही उसे पैदा किया है और दीन इस्लाम की हिदायत दी है, और तू ने ही उस की रुह को निकाला है, और तू ही उस के बातिन और ज़ाहिर से अच्छी तरह आगाह है। हम उसके सिफ़ारिशी बन कर आते हैं, तू उसे माफ़ फ़रमा दे।)

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैः शोबा ने सनद के एक रावी "अ़ली बिन शमाख़" के नाम में ग़लती करते हुये उसे "उस्मान बिन शमास" कह दिया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अहमद बिन इब्राहीम मूसली से सुना जो इमाम अहमद बिन हन्बल से रिवायत करते थे कि मैं जब भी हम्माद बिन ज़ैद की मज्लिस में बैठा तो वह अ़ब्दुल वारिस और जाफ़र बिन सुलैमान से रिवायत लेने से मना करते थे।

3201:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक जनाज़ा पर नमाज़ पढ़ी तो यूँ दुआ फ़रमाईः

अल्लाहुम्मग़ फ़िर् लि–हय्यिना व–मय्यितिना, व–सग़ीरिना व–कबीरिना व–ज़–करिना वउन्साना, वशाहिदिना वग़ाइबिना+अल्लाहुम्म मन् अहयै–तहू मिन्ना फ़–अह्यिही अ़–लल् ईमानि व–मन् त–वफ़्फ़–तहू मिन्ना फ़–त–वफ़्फ़हू अ़–लल् ईमानि+अल्लाहुम ला ताहरिम्ना अज्–रहू वला तुज़िल्लना बा दहू।

फ़ाइदा:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का दुआ सुन लेना इस बात की दलील है कि आप ने जेहरी नमाज़ पढ़ाई थी।

3202:— वासला बिन अशक़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें एक मुसलमान की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई है। मैंने आप को कहते हुये सुनाः

अल्लाहुम्म इन्न फुला–नब्–न फुलानिन् फ़ी ज़िम्मति–क फ़क़िहि फ़ित्–न–तल् क़ब्रि

जबकि अ़ब्दुर्रहमान इब्राहीम ने यूँ कहाः

फ़ी ज़िम्मति–क व–हब्लि जवारि–क, फ़क़िहि मिन फ़ित्–नतिल् क़ब्रि व–अ़ज़ाबिन्नारि+व–अन्–त अह्लुल् वफ़ाइ वल्–हक़्क़, अल्लाहुम्म फ़ग़्फ़िर लहू वर्–हम्हु इन्न–क अन्–तल् ग़फ़ूर्रुहीमि+(ऐ अल्लाह! फ़लाँ बिन फ़लाँ तेरे ज़िम्मे (निग्रानी) में है और तेरी हमसायगी और आमान में आ गया है। इसलिये तू उसे क़ब्र की आजमाइश और आग केअ़ज़ाब से महफ़ूज़ रख, तू अपना वादा पूरा करने वाला और हक़ वाला है+ऐ अल्लाह! उसे बख़्श दे और उस पर रहम फ़रमा, तू तो बहुत ही बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।)

अ़ब्दुर्रहमान ने सनद बयान करते हुये (हद्दसान के स्थान पर) अ़न् मर्वा–नब्नि जनहिन कहा।

फ़ाइदा:— जनाज़ा की दुआ में मय्यित और उस के पिता का भी नाम लिया जा सकता है।

बाब {क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना।}

3203:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि काले रन्ग की महिला या मर्द मस्जिद की सफ़ाई किया

करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे मौजूद न पाया तो उन के बारे में पूछा तो बताया गया कि वह मर गये हैं। आप ने फ़रमायाः तुम ने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर फ़रमायाः मुझे उस की क़ब्र बताओ। सहाबा ने उस को बताया तो आप ने उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि क़ब्र पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़नी जाइज़ है।

बाब {जो मुसलमान मुश्रिकों के क्षेत्र में फ़ौत हो जाये।}

3204:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नजाशी के देहान्त के दिन उन के बारे में लोगों को बताया और फिर उन्हें लेकर ई़दगाह की तरफ़ गये, उन की सफ़ें बनायीं (नमाज़ जनाज़ा में) चार तक्बीरें कहीं।

फ़ाइदा:— इस से मालूम हुआ कि नमाज़ जनाज़ा ग़ाइबाना पढ़ना दुरुस्त है। क़ब्र पर नमाज़ ज़नाज़ा पढ़ना भी एक तरह का ग़ाइबाना जनाज़ा है, लेकिन इसे मुसलमानों के लिये आ़म कर देना दुरुस्त नहीं।

2305:— अबू बुर्दा अपने पिता (अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से फ़रमाया कि हम नजाशी के मुल्क में चले जायें ......और फिर हदीस बयान की। नजाशी ने कहाः मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के सन्देष्टा हैं और यह वहीं है जिन के बारे में ई़सा बिन मरियम ने शुभ सूचना दी थी, अगर मैं बादशाही के इन हालात से दोचार न होता तो मैं ज़रुर आप की ख़िदमत में हाज़िर होता यहाँ तक कि आप के जूते उठाता।

बाब {एक क़ब्र में कई शव को इकट्ठा करने और क़ब्र पर निशान रखने का बयान।}

3206:— मुत्तलिब (बिन अ़ब्दुल्लाह रह॰) ने बयान किया कि जब उस्मान बिन मज़ऊन का देहान्त हो गया, फिर उन का नमाज़ जनाज़ा लाया गया और दफ़न किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स सेफ़रमायाः एक पत्थर लाओ मगर उसे न उठा सका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस की तरफ़ उठे अपनी कलाइयों से कपड़ा हटाया .... हदीस के रावी कसीर ने कहा कि मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करने वाले ने बतायाः गोया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाज़ू की सफ़ेदी देख रहा हूँ। जब आप ने उन से कपड़ा हटाया .....फिर आप ने उसे उठाया और क़ब्र पर सर की तरफ़ रख दिया और फ़रमायाः मैं इस पत्थर से अपने भाई की क़ब्र को पहचान सकूँगा और मेरे खान्दान में से जो कोई मरेगा तो उसे इन के क़रीब दफ़न करुँगा।

फ़ाइदा:— क़ब्र पर कोई उचित निशान रख देना जाइज़ है, मगर कतबा लगाना और झन्डा लगाना नाजाइज़ है। "अद्फ़िनु इलैहि" का तर्जुमा वह है जो यहाँ किया गया, जिस से नेक लोगों के क़रीब दफ़न होने का सबूत मिलता है। इस का दूसरा तर्जुमा सह है कि "मैं उस के साथ ही अपने दूसरे बाल-बच्चों को दफ़न करुँगा।" इस से एक ही क़ब्र में कई लोगों को दफ़न करने का सबूत

मिलता है, इसलिये बाब बाँधा गया है कि कई को एक साथ दफ़न करना।

बाब {क़ब्र खोदने वाले को कोई हड्डी मिल जाये तो क्या वह उस स्थान को छोड़ दे।}

3207:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मय्यित की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे कि ज़िन्दा की तोड़ना।

फ़ाइदा:— अगर क़ब्र खोदने के दौरान क़ब्र होने का एहसास हो जाये तो वह जगह बदल देना बेहतर है। और अगर हड्डी निकल आये तो उन्हें एक तरफ़ रख दे, उन्हें तोड़े नहीं। आजकल पोस्टमार्टम का चलन है इसे उसी समय किया जाये जब बहुत अहम हो, वर्ना शव की तौहीन है।

3208:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लहद हमारे लिये है और शक़्क़ दूसरों के लिये।

फ़ाइदा:— ज़मीन सख़्त होतो लहद बनाना मुस्तहब है, वर्ना शक़्क़ भी जाइज़ है।

बाब {मय्यित को क़ब्र में उतारने के लिये कितने आदमी उतरें?}

3209:— आमिर शोबी रह॰ से रिवायत है कि अ़ली, फ़ज़्ल और उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और उन्होंने ही आप को क़ब्र में उतारा। शोबी ने कहा कि मुझे मरहब .... या इब्ने अबी मरहब (सुवैद बिन क़ैस) ने बयान किया कि उन्होंने अपने साथ अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ को भी शामिल किया था, और जब अ़ली रज़ि॰ फ़ारिग़ हुये तो कहाः दफ़न वग़ैरह के काम में अपने घर के लोग ही हिस्सा लें।

3210:— अबू मरहब से रिवायत है कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र में उतरे थे। उन्होंने कहा कि गोया मैं (आज भी) उन चारों को (क़ब्र में) देख रहा हूँ।

बाब {मय्यित को (किस तरफ़ से) क़ब्र में उतारा जाये।}

3211:— अबू इस्हाक़ (सबीओ़) ने बयान किया कि हारिस आवर ने वसिय्यत की कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद (हतमी रज़ि॰) उन की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ायें। चुनान्चे उन्होंने जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्हें क़ब्र की पैतानी की तरफ़ से क़ब्र में उतारा और फ़रमायाः यह सुन्नत है।

बाब {क़ब्र के पास किस प्रकार बैठें।}

3212:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक अन्सारी के जनाज़ा में गये। हम जब क़ब्र के पास पहुँचे तो अभी तक लहद नहीं बनी थी। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के बैठ गये और हम भी आप के साथ बैठ गये।

बाब {क़ब्र में उतारते हुये मय्यित के लिये दुआ़ करना।}

3213:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मय्यित

को क़ब्र में उतारते तो यूँ फ़रमाया करते

बिस्मिल्लाहि व-अ़ला सुन्नति रसूलिल्लाहि (अल्लाह के नाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़ा पर)

यह लफ़्ज़ मुस्लिम बिन इब्राहीम के हैं।

बाब **{किसी का मुश्रिक रिश्तेदार मर जाये तो.........?}**

3214:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सूचना दी कि आप का बूढ़ा और गुमराह चचा मर गया है तो आप ने फ़रमाया जाओऔर अपने पिता को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न करना यहाँ तक कि मेरे पास आ जाना। चुनान्चे मैं गया और उसे ज़मीन में दबा आया और आप की ख़िदमत में हाज़िर हो गया तो आप ने मुझे हुक्म दिया और मैंने स्नान किया और आप ने मेरे लिये दुआ फ़रमायी।

फ़ाइदा:— यह हदीस दलील है कि उन का देहान्त कुफ़्र पर हुआ। इसीलिये किसी ने जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी। मुश्रिक रिश्तेदार को गढ़े में दबा देना काफ़ी है, फिर स्नान कर डाले।

बाब {क़ब्र गहरी खोदी जाये।}

3215:— हिशाम बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि उहुद के दिन अन्सारी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहा: हम घायल हैं और थके हुये भी हैं। क्या फ़रमाते हैं? आप ने फ़रमाया: क़ब्रें खोदो और खुली-खुली बनाओ, और दो-दो और तीन-तीन को एक-एक क़ब्र में दफ़ना दो। कहा गया कि आगे किसे किया जाये? फ़रमाया: जिसे क़ुरआन ज़्यादा याद हो।

हिशाम कहते हैं कि मेरे पिता आ़मिर भी उसी दिन शहीद हो गये थे और वह दो आदमियों के साथ दफ़न हुये थे, या यह कहा कि "एक के साथ"

3216:— हुमैद बिन हलाल ने अपनी ऊपर की सअ़द से इस के हम माना बयान किया और इस में इज़ाफ़ा है कि "क़ब्रें गहरी बनाओ।"

3217:— हुमैद बिन हिलाल ने सनद बिन हिशाम बिन आ़मिर से यही हदीस रिवायत की।

बाब **{क़ब्र बराबर कर देने का बयान।}**

3218:— अबू हय्याज असदी से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ ने मुझे भेजा और फ़रमया: मैं तुम्हें इस काम परभेज रहा हूँ जिस काम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था कि किसी ऊँची क़ब्र को न छोड़ूँ मगर न छोड़ूँ उसे बराबर कर दूँ और न किसी बुत को मगर यह कि उसे मिटा डालूँ।

3219:— अबू अ़ली हमदानी ने बयान किया कि हम फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ के साथ रुम की ज़मीन में रोडस महादीप में थे कि हमारे एक साथी का देहान्त हो गया। फ़ुज़ाला ने उन की क़ब्र के बारे में कहा कि उसे बराबर कर दिया जाये। फिर फ़रमाया: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम को सुना कि आप क़ब्र को बराबर करने का हुक्म देते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "रोडस" समुन्दर में एक दीप का नाम है।

फ़ाइदाः— यह जज़ीरा (दीप) तुर्की के दक्षिण-पश्चिम साहिल से 19 किलोमीटर दूर है। सब से पहले मुआविया रज़ि० के ज़माना में सन 52 में मुसलमानों ने इस दीप पर क़दम रखा। ख़लीफ़ा सुलैमान ने 1522 ई० में फ़त्ह कर के उस्मानी बादशाहत में शामिल कर दिया। 1912 ई० में इटली ने इस पर क़ब्ज़ा कर लिया और 1947 ई० में इसे यूनान के हवाले कर दिया गया।

3220:— क़ासिम (बिन मुहम्मद बिन अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि०) कहते हैं कि मैं आइशा रज़ि० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः अम्मा जान! मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और उन के दो साथियों की क़ब्रें दिखायें। चुनान्चे उन्होंने मेरे लिये पर्दा एक तरफ़ कर दिया। तीन क़ब्रें थीं, जो न तो ऊँची थीं और न ही ज़मीन के साथ बराबर, बल्कि थोड़ी ऊँची थीं और लाल रंग की कन्करियाँ उन पर डाली गयी थीं।

अबू अ़ली (जो कि अबू दावूद के रावी हैं) से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र आगे है और अबू बक्र उन के सर के पास और उमर उन के पैर के पास हैं। यानी उमर का सर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पैरों में हैं।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ईफ़ है। क़ब्र एक बालिशत ऊँची होनी चाहिये।

बाब {क़ब्रिस्तान से वापस होते हुये क़ब्र के पास मय्यित के लिये दुआ़ करना।}

3221:— उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मय्यित को दफ़न कर के फ़ारिग़ हो जाते तो क़ब्र पर रुकते और फ़रमातेः अपने भाई के लिये इस्तिग़फ़ार करो और साबित क़दमी की दुआ़ करो। बेशक अभी उस से सवाल किया जायेगा।

फ़ाइदाः— लेकिन क़ब्र को घेर कर और हाथ उठा कर नहीं, जैसा कि आज कल राइज है। इसी प्रकार क़ब्रिस्तान से चालीस क़दम चल कर दुआ़ करना भी ग़लत है।

बाब {क़ब्र के पास जानवर ज़ब्ह करना हराम है।}

3222:— अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम में अ़क्र (जानवरों को क़ब्र पर ज़ब्ह करना) नहीं है।

इमाम अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि लोगों को मामूल था कि वह क़ब्र के पास गाय या बकरी आदि ज़ब्ह किया करते थे।

फ़ाइदाः— जानवर ज़ब्ह कर के छोड़ देते थे और जानवर माँस खाते थे। साबित यह करते थे कि मरने वाला बड़ा दानी और सख़ी था। इस्लाम ने इसे हराम क़रार दिया।

बाब {एक मुद्दत के बाद क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना।}

3223:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि० का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का

बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ ले गये और उहुद में शहीद होने वालों पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जैसे कि मय्यित पर पढ़ते हैं, फिर वापस तशरीफ़ ले आये।

3224:— यज़ीद बिन इबी हबीब ने ऊपर की हदीस बयान की और कहा:बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उुहद के शहीदों पर आठ वर्ष के बाद नमाज़ जनाज़ा पढ़ी (इसी प्रकार कि) गोया आप ज़िन्दों और मुर्दों को रुख़्सत कर रहे थे।

फ़ाइदा:— "सल्ला" शब्द दुआ और जनाज़ा की नमाज़ दोनों के लिये आता है। उलमा ने कहा कि यहाँ दुआ मुराद हैं। कुछ उलमा ने कहा कि शहीद पर जनाज़ा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह बेहतर जाने।

बाब **{क़ब्र पर मकान बनाना।}**

3225:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना, आप मना फ़रमाते थे कि क़ब्र पर बैठा जाये, या उसे चूना गच किया जाये, या उस पर कोई मकान तामिर (निर्माण) किया जाये।

फ़ाइदा:— किसी ज़रुरत के तहत बैठ जाने में कोई हरज नहीं, लेकिन मुजाविर बन कर बैठना हराम है।

3226:— सुलैमान बिन मूसा और अबू जुबैर रह॰ ने जाबिर रज़ि॰ से यह हदीस बयान की।

अबू दावूद ने कहा: कि उस्मान बिन अबू शैबा ने कहा "उस को ऊँचा करना मना है।" और सुलैमान बिन मूसा ने कहा: "ऊपर कतबा लगाना भी मना है।" मगर मुसद्दद ने अपनी रिवायत में "उसे ऊँचा किया जाये" का ज़िक्र नहीं किया है। इमाम अबू दावूद रह॰ कहते हैं कि मुसद्दद की रिवायत में मेरे लिये शब्द "व-अन्" स्पष्ट नहीं हुआ था।

फ़ाइदा:— केवल पहचान के लिये कोई पत्थर आदि गाड़ देना जाइज़ है। बाक़ी कुछ नहीं।

3227:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमाया: अल्लाह पाक यहूदियों को हलाक करे, उन्होंने अपने नबिय्यों की क़ब्रों को सजदागाह (धर्मस्थल) बना लिया।

फ़ाइदा:— क़ब्र पर मस्जिद बनाना, मस्जिद में मुर्दा दफ़न करना, दोनों ही शक्ल में नाजाइज़ हैं। मालूम रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र का मस्जिद नबवी में आ जाना एक इत्तिफ़ाक़ी घटना है। आप का अपने उस कमरें में दफ़न होना आप की विशेषता थी, और उस समय कमरा मस्जिद से अलग था।

बाब **{क़ब्र पर बैठना मना है।}**

3228:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई दहकते हुये कोयले पर बैठ जाये, और आग उस के कपड़े जला दे और फिर उस

का असर उस के शरीर तक पहुँच जाये, यह उस के लिये बेहतर है इस से कि वह किसी क़ब्र पर बैठे।

3229:— वासला बिन अश्क़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने अबू मर्सद ग़नवी रज़ि॰ को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ब्रों पर मत बैठो और न उन की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ो।

फ़ाइदा:— नमाज़ तो बेशक हराम है, लेकिन जनाज़ा की नमाज़ जिस में रुकूअ़, सज्दा नहीं होता, क़ब्र पर पढ़ लेने की गुन्जाइश है, जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 3203 में गुज़रा।

बाब {जूते पहने हुये क़ब्रों पर चलना।}

3230:— बशीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के गुलाम थे, जाहिलिय्यत में उस का नाम ज़हम बिन माबद था। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ हिजरत कर आये थे। आप ने पूछाः तुम्हारा नाम क्या है? कहाः ज़हम। आप ने फ़रमायाः नहीं, बल्कि तुम बशीर हो। यही बशीर बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि आप मुश्रिकों की क़ब्र के पास से गुज़रे तो फ़रमायाः इन लोगों ने बहुत बड़ी भलाई पा ली (इस्लाम में दाख़िल हो गयें) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो देखा कि एक आदमी जूता पहने हुये क़ब्रों पर चला आ रहा है। आप ने फ़रमायाः ऐ जूतों वाले! तुम पर अफ़सोस है, अपने जूते उतार दो। उस आदमी ने जब देखा और पहचान लिया कि यह अल्लाह के रसूल हैं तो उस ने अपने जूते उतार कर फेंक दिये।

√ ***3231:***— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बन्दे को जब उस की क़ब्र में रख दिया जाता है तो उस के साथी उस के पास से जाने लगते हैं, तो बिलाशुब्हा वह उन के जूतों की चाप सुनता है।

फ़ाइदा:— बेहतर है कि क़ब्रिस्तान में चलते हुये जूते उतार दे। अनस की रिवायत से साबित है कि जाइज़ है। बहरहाल पाक-साफ़ हों तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो क़ब्रिस्तान में चल भी सकते हैं। जाइज़ होने में शुब्हा नहीं। एहतियात व एहतराम की बुनियाद पर न पहनना और बात है।

बाब {किसी वजह से मय्यित को उस की जगह से मुन्तक़िल करना।}

3232:— जाबिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरे पिता जी एक-दूसरे आदमी के साथ दफ़न किये गये तो इस वजह से मेरे जी में था कि उन को वहाँ से निकाल लूँ। चुनान्चे मैंने उन्हें छः माह बाद वहाँ से निकाला, तो उन में कोई तबदीली नहीं आयी थी सिवाए दाढ़ी के चन्द बालों के जो ज़मीन के साथ लगे हुये थे।

बाब {मय्यित को अच्छे से याद करना।}

3233:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग एक जनाज़ा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रे और उन्होंने उसे अच्छाई से याद किया तो आप ने फ़रमाया

"वाजिब हो गयी"। फिर वह एक दूसरा जनाज़ा लेकर गुज़रे और उस को बुराई के साथ याद किया तो आप ने फ़रमायाः "वाजिब हो गयी" फिर आप ने फ़रमायाः बिला शुब्हा तुम एक दूसरे पर गवाह हो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ज़िन्दा लोग मुर्दों को भलाई से याद करें, या कम से कम ख़ामोश रहें। लोगों में जिस किसी का कोई शोहरा और चरचा होता है उस की कोई न कोई बुनियाद ज़रुर होती है, इसलिये चाहिये कि इन्सान हक़ और ख़ैर अपनाए ताकि उस का ज़िक्र भलाई के साथ हो।

बाब {क़ब्रों की ज़ियारत का बयान।}

3234:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी वालिदा की क़ब्र पर आये तो रो पड़े और आप के पास के साथी भी रो पड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने अपने रब से इजाज़त चाही कि उस के लिये माफ़ी की दुआ करुँ मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गयी, फिर मैंने इजाज़त चाही कि उन की क़ब्र की ज़ियारत कर लूँतो मुझे इजाज़त दे दी गयी। चुनान्चे तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, बिलाशुब्हा इस से मौत याद आती है।

3235:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें क़ब्रो की ज़ियारत से रोका था। चुनान्चे अब उन की ज़ियारत किया करो। बिला शुब्हा उन की ज़ियारत में (मौत की) याद देहानी है।

बाब {महिलाओं का क़ब्रों की जयिारत के लिये जाना।}

3236:— इब्ने अ़ब्बास राज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसी महिलाओं पर लानत फ़रमायी हैं जो क़ब्रों पर जाती हैं और (उनप पर भी) जो उन्हें सज्दा करने की जगह बनाते हैं, या वहाँ चराग़ जलाते हैं।

फ़ाइदा:— बेशक महिलायें भी क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जा सकती है, मगर जो रोयें, चीखें, चिल्लायें, सज्दे करें, चराग़ जलायें, या और दूसरे शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम करें, इन के लिये इजाज़त नहीं है।

बाब {क़ब्रिस्तान (में जाये या उस के क़रीब) से गुज़रे तो क्या पढ़े?}

3237:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़बिस्तान की तरफ़ तशरीफ़ ले गये तो यह दुआ पढ़ीः

अस्सलामु अ़लैकुम दा—र कौमिम्मो मिनी—न वइन्ना इन् शा—अल्लाहु बिकुल लाहिक़ू—न

फ़ाइदा:— मुस्लिम की रिवायत में यह दुआ हैः

अस्सलामु अ़लैकुम अह्—लद्दियारि मि—नल् मोमिनी—न वल् मुस्लिमीन+वइन्ना इन् शा—अल्लाहु ललाहिक़ू—न+अस्—अलुल्ला—ह

लना व—लकुमुल् आफ़ि—य—त

बाब {एहराम की हालत में अगर (हाजी) मर जाये तो उस के साथ क्या किया जाये?}

3238:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक ऐसे आदमी को लाया गया जिसे उस की सवारी ने गिरा कर उस की गर्दन तोड़ दी और वह मर गया, जब कि वह एहराम की हालत में था। आप ने फ़रमायाः उसे उस के उन दो कपड़ों में कफ़न दो। बैरी के पत्ते मिले पानी के साथ स्नान दो, और उस का सर मत ढाँको। क़ियामत के दिन अल्लाह पाक उसे उठायेगा तो तलबिया (लब्बैक) पढ़ रहा होगा।

इमाम अबू दावूद रह॰ फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हन्बल रह॰ को फ़रमाते सुना कि इस हदीस में पाँच अहकाम हैं (1) ऐसे मुर्दा को दो ही कपड़ों में कफ़न दिया जाये। (2) स्नान में बैरी के पत्ते प्रयोग किये जायें (3) उस का सर ना ढाँका जाये। (4) खुश्बू न लगायी जाये (5) कफ़न उस के अपने माल में से लिया जाये।

3239:— सअ़ीद बिन जुबैर रह॰ इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से इस हदीस की तरह रिवायत करते हैं और कहाः "उस को दो कपड़ों में कफ़न दो।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सुलैमान बिन हर्ब की अय्यूब से रिवायत में शब्द यूँ हैं "सौबैहि" (दो कपड़ों में) जबकि अ़म्र की रिवायत में "सौबैनि" आया है (यानी दो कपड़ों में) (उस के अपने हों, या किसी दूसरे ने दिये हों) इब्ने उबैद की रिवायत जो अय्यूब से है उस में "फ़ी सौबैनि" का लफ़्ज़ है, जबकि अ़म्र ने "सौनैहि" कहा है। और सिर्फ़ सुलैमान ने यह इज़ाफ़ा किया कि "उसे खुश्बू भी न लगाओ।"

3240:— अय्यूब, सअ़ीद बिन जुबैर से और वह इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से सुलैमान की रिवायत की तरह ही रिवायत करते हैं, यानी "फ़ी सौबैनि" (दो कपड़ों में कफ़न दो)

3241:— सअ़ीद बिन जुबैर रह॰, इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि एक मुहरिम आदमी को उस की सवारी ने गिरा दिया और उस की गर्दन तोड़ दी जिस से उस का देहान्त हो गया। उस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे गुस्ल दो, कफ़न पहनाओ, लेकिन सर न ढाँको और ना ही खुश्बू लगाओ। बिला शुब्हा यह तलबिया पुकारते हुये उठाया जायेगा।

❀ ❀ ❀

(21) क़सम खाने और नज़र मानने के अहकाम

बाब {झूठी क़सम में गुनाह की सख़्ती।}

3242:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने (किसी हाकिम वग़ैरह की मज्लिस में) झूठी क़सम खाई तो उसे चाहिये कि अपने चेहरे का स्थान आग में बना ले।

बाब {जो शख़्स किसी का माल मार लेने के लिये क़सम खाये।}

3243:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने क़सम खाई और वह उस में झूठा हुआ तकि उस के ज़रीआ़ किसी मुसलमान का माल मार ले तो वह अल्लाह से इस्लाम में मिलेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा। अश्अ़स ने कहाः अल्लाह की क़सम! यह हदीस मेरे ही बारे में है। मेरी और एक यहूदी की ज़मीन साझी में थी, वह मेरे हिस्सा का इन्कारी हो गया तो मैंने यह मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया तो आप ने मुझ से पूछाः क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? मैंने कहाः नहीं। आप ने यहूदी से फ़रमायाः क़सम खाओ। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो क़सम खा ही लेगा और मेरा माल मार लेगा। तब अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "जो लोग अल्लाह के अ़हद और क़सम को मामूली माल के बदले बेच देते हैं....(आ़ले अ़िम्रान–77)

3244:— अश्अ़स बिन क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला कन्दा और हिज़र मूत के दो आदमी अपनी ज़मीन का मामला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये। यह ज़मीन यमन में थी। हज़रमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी ज़मीन उस शख़्स के बाप ने मुझ से ज़बर्दस्ती छीन ली थी और यह ज़मीन अब इस के क़ब्ज़े में है। आप ने पूछाः तुम्हारे पास

कोई गवाह है? उस ने कहाः नहीं, लेकिन मैं उसे क़सम देता हूँ कि (वह यह कहे) अल्लाह की क़सम! वह नहीं जानता कि वह ज़मीन मेरी है जो इस के बाप ने मुझ से ज़बर्दस्ती छीन ली थी। उधर कन्दी आदमी भी क़सम खाने को तय्यार हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः **जो कोई क़सम खा कर किसी का माल मार लेता है तो वह अल्लाह से इस हाल में** मिलेगा कि वह कोढ़ी होगा। चुनान्चे कन्दी ने कहाः यह ज़मीन उसी की है।

3245:— अल्क़मा बिन वाइल बिन हजर हज़रमी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हिज़र मूत और क़बीला कन्दा के दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये तो हज़रमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह शख़्स मेरे पिता की ज़मीन पर क़ाबिज़ हो गया है। कन्दी ने कहाः यह मेरी ज़मीन है, मेरे क़ब्ज़े में है, मैं इसे बोता-जोतता हूँ, उस का इस ज़मीन में कोई हक़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रमी से पूछाः क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तो तुम्हें उस की क़सम खाने को मानना पड़ेगा। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह नापाक आदमी है, इसे क्या मालूम कि क्या क़सम खा रहा है, यह किसी चीज़ से प्रहेज़ नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे लिये इस की तरफ़ से बस यही है (कि क़सम खाये) चुनान्चे वह क़सम खाने के लिये तय्यार हो गया। **जब उस ने पीठ फेरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर उस ने क़सम खा ली कि ज़ुल्म से माल खा ले तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उस से मुँह फेरे हुये होगा।**

फ़ाइदा:— **क़ाज़ी का फ़ैसला तो उसूली होगा।** मुद्दअ़ी (वादी) गवाह पेश करे या प्रतिवादी क़सम खाए। अगर वह झूठी गवाही पेश करे या झूठी क़सम खायें तो वह गुनहगार होगा न कि क़ाज़ी।

बाब {मिंबर के पास क़सम खाने की अहमियत।}

3246:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस किसी ने मेरे इस मिंबर के पास झूठी क़सम खाई, चाहे एक मिस्वाक का ही मामला क्यों न हो, तो उस ने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। या फ़रमायाः उस के लिये जहन्नम वाजिब है।

बाब {ग़ैरुल्लाह (अ़ल्लाह कक अ़लावा) के नाम की क़सम खाना।}

3247:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने क़सम में कहा "क़सम है लात की" तो उसे चाहिये कि वह "लाइला-ह-इल्लल्लाह" कहे। और जिस ने अपने साथी से कहाः आओ जुआ खेलें: तो उसे चाहिये कि कुछ सदक़ा करे।

बाब **{बाप-दादाओं के नाम की क़सम खाने की मिनाही।}**

3248:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने बापों या माओं के नाम की क़समें न खाया करो। अल्लाह की क़सम भी उसी सूरत में खाओ

जब तुम सच्चे हो।

3249:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं एक क़ाफ़िला में जा रहा था कि पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझे आ मिले (तो आप ने मुझ से सुना) मैं अपने बाप की क़सम खा रहा था तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हें मना फ़रमाता है कि अपने बाप-दादाओं की क़समें खाओ। जिसे क़सम खानी हो वह अल्लाह के नाम की खायें या ख़ामोश रहे।

3250:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से सुना (कि मैं अपने बाप-दादा की क़सम खा रहा हूँ) फिर.....पूरी हदीस बयान की। उमर रज़ि॰ ने इतना और कहा कि अल्लाह की क़सम! (इस के बाद से मैंने उन की क़सम नहीं खाई, न जान-बूझ कर, और ना ही किसी को बात नक़ल करते हुये।

3251————3275 यह हदीसें नहीं है।

बाब **{जो शख़्स जानबूझ कर झूठी क़सम खाए।}**

3275:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि दो व्यक्ति अपना झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वादी से गवाह तलब किया तो उस के पास गवाह नहीं थे। जब आप ने मुद्दआ़ अ़लैहे (प्रतिवादी) से क़सम खाने को कहा तो उस ने कहाः क़सम है अल्लाह की जिस के सिवा कोई माबूद नहीं (मैंने यह काम नहीं किया है जो मुद्दअ़ी कहता है) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्यों नहीं, तहक़ीक़ तू ने यह किया है, लेकिन अल्लाह ने तुझे इख़्लास के साथ "लाइला-ह-इल्लल्लाह" कहने की वजह से बख़्श दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस से मुराद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे (झूठी क़सम खाने पर) कफ़्फ़ारा अ़दा करने का हुक्म नहीं दिया।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वह्यि के ज़रीआ़ मालूम हुआ कि उस ने झूठी क़समें खाईं हैं इसलिये उस के झूठे होने का ज़िक्र किया।

बाब **{क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिये।}**

3276:— अबू बुर्दा अपने पिता (अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! अगर मैं कोई क़सम खाऊँ और फिर उस के ख़िलाफ़ को बेहतर पाऊँ तो इनशाअल्लाह ज़रुर अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करुँगा और वही करुँगा जो बेहतर होगा। या यूँ फ़रमायाः "मगर मैं वह करुँगा जो बेहतर होगा और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।

3277:— अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया थाः ऐ अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा! जब तुम कोई क़सम खाओ, फिर उस के

ख़िलाफ़ को उस से बेहतर पाओ तो वही करो जो बेहतर हो और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना कि वह क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करने की रुख़्सत देते थे।

फ़ाइदा:— इस की इजाज़त है कि चाहे पहले कफ़्फ़ारा दे या क़सम तोड़ने के बाद।

3278:— अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि॰ से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है मगर इस रिवायत में (इतना और) है कि "अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करो और उस पर अ़मल करो जो बेहतर हो"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस बारे में अबू मूसा अश्अ़री अ़दी बिन हातिम और अबू हुरैरा रज़ि॰ से भी हदीसें मर्वी हैं। कुछ हदीसों में है कि क़सम के ख़िलाफ़ काम करे फिर कफ़्फ़ारा दे। और कुछ हदीसों में है कि पहले कफ़्फ़ारा दे और फिर क़सम के ख़िलाफ़ काम करे।

बाब {कफ़्फ़ारा में कौन सा साअ़ा (मापने का पैमाना) मोतबर है?}

3279:— अ़ब्दुर्रहमान बिन हर्मला, उम्मे हबीब बिन्त जुवैब बिन क़ैस मुज़नी से रिवायत करते हैं... ...और यह उम्मे हबीब पहले बनी अस्लम के एक शख़्स के निकाह में थीं। इस के बाद सफ़िय्या रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी के भतीजे के निकाह में आयीं......इब्ने हर्मला ने कहाः उम्मे हबीब ने हमें एक पैमाना साअ़ा हदिया दिया और बताया कि उन के शौहर (यानी सफ़िय्या रज़ि॰ के भतीजे) ने सफ़िय्या से रिवायत किया है कि यह साअ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का था। हदीस के रावी अनस बिन अ़याज़ कहते हैं कि फिर मैं ने उस साअ़ा को मापा तो (इस दौर के उमवी पैमाने) हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक बिन मर्वान के पैमाने के मुताबिक़ ढाई मुद के बराबर पाया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

3280:— मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद अबू उमर का बयान है कि हमारे पास एक मुद था जो ख़ालिद की तरफ़ मन्सूब था जो हारुन के कैलजा (एक माप) से दोगुना था। मुहम्मद बिन मुहम्मद ने कहाः ख़ालिद के साअ़ा (मुद) से हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक का साअ़ा मुराद है।

3281:— मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद अबू उमर ने कहाः हमें मुसद्दद ने उमय्या बिन ख़ालिद सेबयान किया कि जब ख़ालिद गवर्नर बने तो उन्होंने साअ़ा को दोगुना कर दिया और फिर एक साअ़ा सोलह (16) रतल का हो गया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद को काले लोगों ने बाँध कर क़त्ल किया था और अपने हाथों से यूँ इशारा किया। अबू दावूद रह॰ ने अपने हाथों को फ़ैलाया और अपनी हथेलियों को ज़मीन की तरफ़ किया। कहा कि मैंने उसे सपने में देखा और उस से पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उन्होंने कहाः मुझे जन्नत में दाख़िल कर दिया है। मैंने कहाः तो तुम्हें वक़्फ़ ने कोई नुक़सान नहीं दिया (यानी गोरे लोगों के सामने सेरन्डर हो जाने से तुम्हें कोई नुक़सान नहीं पहुँचा, बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मामला साफ़ ही है।)

बाब {मोमिन गर्दन (लौंडी–गुलाम) के बयान मैं}

3282:— अबू मुआविया बिन हकम सलमी रज़ि॰ से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह केर सूल! मैंने अपनी लौंडी को थप्पड़ मारा है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस काम को मेरे लिये बहुत बुरा बताया। मैंने कहाः क्या मैं उसे आज़ाद कर दूँ? आप ने फ़रमायाः उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे आप के पास ले आया तो आप ने उस से पूछाः मैं कौन हूँ? उस ने कहाः आप अल्लाह के रसूल हैं। आप ने पूछाः अल्लह कहाँ है? उस नेकहाः आसमान पर। आप ने फ़रमायाः इसे स्वतन्त्र कर दो, यह मोमिन है।

3283:— शरीद बिन सुवैद सक़फ़ी रज़ि॰ से रिवायत है कि उन की वालिदा ने उन को वसिय्यत की कि वह उस की तरफ़ से एक ईमानदार (लौंडी या गुलाम) की गर्दन आज़ाद करें। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा ने वसिय्यत की है कि मैं उस की तरफ़ से एक मोमिन गर्दन आज़ाद करुँ, तो मेरे पास तूबी क़बीला की एक काली लौंडी है......फिर ऊपर की हदीस बयान की.....तो आप ने फ़रमायाः उसे मेरे पास लाओ। चुनान्चे उसे बुलाया तो वह आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछाः तुम्हारा रब कौन है? उस ने कहाः अल्लाह। आप ने पूछाः मैं कौन हूँ? उस ने कहाः रसूलुल्लाह। आप ने फ़रमायाः उस को आज़ाद कर दो बिला शुब्हा यह मोमिन है।

इमाम अबू दावूद ने कहा (दूसरी सनद में) ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने इसे मुरसल बयान किया है और शरीद का ज़िक्र नहीं किया है।

3284:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स एक काले रन्ग की लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ऊपर एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है। आप ने उस लौंडी से पूछाः अल्लाह कहाँ है? उस ने उंगली से इशारा कर के कहाः आसमान पर है। फिर आप ने पूछाः मैं कोन हूँ? तो उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आसमान की तरफ़ इशारे से समझायाः आप अल्लाह के रसूल हैं। आप ने फ़रमायाः इसे आज़ाद कर दो, यह मोमिन है।

बाब {क़सम खाने के बाद थोड़े से ठहर जाने के बाद "इनशाअल्लह" कहना।}

3285:— अ़िक्रमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मैं कुरैश पर ज़रुर चढ़ाई करुँगा। अल्लाह की क़सम! मैं कुरैश पर ज़रुर चढ़ाई करुँगा, अल्लाह की क़सम! मैं कुरैश पर ज़रुर चढ़ाई करुँगा। फिर फ़रमायाः इन् शाअ–अल्लाह! (यानी अगर अल्लाह ने चाहा)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को कई एक ने शरीक से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने अ़िक्रमा से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुस्नद रिवायत किया है। वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से रिवायत में कहा है "फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई नहीं की।"

फ़ाइदा:— भविष्य के कामों में इनशाअल्लाह कहना ज़रुरी है। अगर ज़रा सा ठहर कर भी कहे तब भी जाइज़ है।

3286:— अ़िक्रमा रह॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रुर चढ़ाई करुँगा। फिर फ़रमाया: इनशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) फिरआप ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं क़ुरैश पर ज़रुर चढ़ाई करुँगा। फिर ख़ामोश रहे, बाद में फ़रमाया: इन्शाअल्लाह।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत में वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से यह भी बयान किया कि "फिर आप से चढ़ाई नहीं की।"

बाब {नज़र मानना मक्रुह है।}

3287:— अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि (एक मौक़ा पर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नज़र मानने से मना फ़रमाने लगे, आप फ़रमाते थे: "नज़र किसी चीज़ को रद्द नहीं करती, बल्कि उस के द्वारा से कन्जूस आदमी से माल निकाला जाता है।

मुसद्दद ने यूँ बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "बेशक नज़र किसी चीज़ को रद्द नहीं करती।

फ़ाइदा:— यह मिनाही उस नज़र की है कि आदमी कहे कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो इतना माल सदक़ा करुँगा। क्योंकि होता तो वही है जो मुक़द्दर है, मगर इस से होता यह है कि जो आदमी आ़म हालात में अल्लाह की रज़ा के लिये ख़र्च नहीं करता, वह किसी मुश्किल में पड़ कर ख़र्च कर देता है। बहरहाल अल्लाह की राह में ख़र्च करने को अपने मतलब के पूरा होने से जोड़ना मक्रुह और नापसन्दीदा है।

3288:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: (अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि) नज़र इब्ने आदम की तक़दीर में, जिसे मैं ने पहले से मुक़द्दर न किया हो, कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि यह तक़दीर ही में से होता है कि इन्सान नज़र मान लेता है जिस केद्वारा से कन्जूस से कुछ निकाला जाता है और वह कुछ कराया जाता है जो वह इस से पहले नहीं कर रहा होता।

फ़ाइदा:— जाहिल लोग यह समझते हैं कि नज़र मानने से तुरन्त लाभ पहुँचेगा, या किसी हानि से बचाव होजायेगा। यह ख्याल गलत है इसीलिये इस प्रकार नज़र मानना मना है।

बाब {गुनाह और नाफ़र्मानी की नज़र मानने का बयान।}

3289:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने अल्लाह पाक की इताअ़त की नज़र मानी उसे चाहिये कि (उसे पूरा करते हुये) अल्लाह पाक की इताअ़त करे। और जिस ने अल्लाह पाक की नाफ़र्मानी और गुनाह की नज़र मानी हो वह उस की नाफ़र्मानी और गुनाह न करे। (और नज़र को छोड़ दे)

बाब {नाफ़रमानी की नज़र छोड़ देने में कफ़्फ़ारे का बयान।}

3290:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई नज़र नहीं और उस का कफ़्फ़ारा है।

फ़ाइदाः— कफ़्फ़ारा का बयान पीछे हदीस न॰ 3279 में देखें।

3291:— इब्ने वहब ने यूनुस से और उन्होंने इब्ने शिहाब ज़हरी से ऊपर की सनद से ऊपर की हदीस के हम माना रिवायत किया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने अहमद से सुना वह कहते थे कि इब्ने मुबारक ने इस हदीस में कहा है कि "अबू सलमा ने हदीस बयान की" इस प्रकार बयान करने का तरीक़ा इस बात की दलील है कि इमाम ज़हरी ने अबू सलमा से सीधे तौर पर नहीं सुना है। अहमद बिन मुहम्मद मरुज़ी ने कहा कि इस की दलील वह रिवायत है जो हमें अय्यूब बिन सुलैमान ने बयान की है (जो नीचे हदीस न॰ 3292 में आ रही है। उस में इमाम ज़हरी और अबू सलमा के दर्मियान दो वास्ते हैं जो इस सनद में नहीं है।)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ से सुना, वह कहते थे कि लोगों ने हम पर यह हदीस ख़ल्त-मल्त कर दी है। उन से कहा गया कि क्या उस का फ़साद आप के नज़दीक साबित है? और क्या अबू बक्र के अ़लावा किसी और ने भी इसे रिवायत किया है? उन्होंने कहाः अय्यूब बिन सुलैमान बिन बिलाल अबू बक्र से बेहतर था और अय्यूब ने उस से रिवायत किया है (जिस की सनद नीचे आ रही है।)

3292:— अहमद बिन मुहम्मद मरुज़ी ने बयान किया कि हम से अय्यूब बिन सुलैमान ने बयान किया अबू बक्र बिन अबू उवैस से, उन्होंने सुलैमान बिन बिलाल से, उन्होंने इब्ने अबी अ़तीक़ और मूसा बिन उक़्बा से (दोनों ने) इब्ने शिहाब ज़हरी से, उन्होंने सुलैमान बिन अर्क़म से रिवायत किया कि यहया बिन कसीर ने उन को ख़बर दी अबू सलमा से, उन्होंने आइशा सिद्दिक़ा रज़ि॰ से, वह हकती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नाफ़रमानी में कोई नज़र नहीं, और उस का कफ़्फ़ारा क़सम वाला कफ़्फ़ारा है।

अहमद बिन मुहम्मद मरुज़ी ने कहाः अस्ल में हदीस की सनद इस प्रकार हैः अ़ली बिन मुबारक, यहया बिन अबी कसीर से, वह मुहम्मद बिन जुबैर से, वह अपने पिता से, वह अिम्रान बिन हुसैन से, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से। मरुज़ी का मक़्सद यह है कि सुलैमान बिन अर्क़म को इस में वहम हुआ है। ज़हरी ने उस से रिवायत करते हुये (दो वास्ते छोड़ दिये और) उसे अबू सलमा से, उन्होंने आइशा रज़ि॰ से मुर्सल रिवायत किया।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि बक़िय्या ने औज़ाई से, उन्होंने यहया से, उन्होंने मुहम्मद बिन जुबैर से अ़ली बिन मुबारक की सनद से इसी प्रकार बयान किया।

3293:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ का बयान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अपनी बहन के बारे में पूछा, जिस ने यह नज़र मानी थी कि नन्गे पाँव और नन्गे सर

हज करेगा। आप ने फ़रमायाः उस से कहो कि सर पर कपड़ा ले और सवारी पर सवार हो और तीन दिन के रोज़े रखे।

3294:— इब्ने जुरैज ने कहा कि यहया बिन सअ़ीद ने मुझे लिखा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन ज़हर जो बनी ज़मुरा के मौला थे ने लिखा......और क्या अच्छा आदमी था.......कि अबू सअ़ीद रुऐनी ने उन्हें ख़बर दी और ऊपर की सनद यहया से रिवायत किया कि उसी के हम माना बयान किया।

3295:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नज़र मानी है कि वह पैदल हज्ज करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तेरी बहन के परेशानी झेलने से कुछ नहीं करेगा (यानी उसे कुछ नहीं देगा) उसे चाहिये कि सवार होकर हज्ज करे और क़सम का कफ़्फ़ारा दे।

3296:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उक़्बा बिन आ़मिर की बहन ने नज़र मानी कि वह बैतुल्लाह को पैदल जायेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि सवार हो और क़ुर्बानी करो।

फ़ाइदा:— हज्ज के बारे में इस प्रकार नज़र मानने का कफ़्फ़ारा क़ुर्बानी है। और यह भी कहा जाता है कि मुस्तहब है, जैसे क़सम खाने वाला कमज़ोर और आ़जिज़ हो। इस प्रकार की रिवायत आगे हदीस न॰3303 में आ रही है।

3297:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब यह बात पहुँची कि उक़्बा बिन आ़मिर की बहन ने पैदल हज्ज करने की नज़र मानी है तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक उस की नज़र से बेपर्वाह है, उसे हुक्म दो कि सवार हो जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इसे सअ़ीद बिन अ़रुबा ने उसी की तरह रिवायत किया है। और ख़ालिद ने भी इक्रमा के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार बयान किया है।

3298:— इक्रमा रह॰ से बयान है कि उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ की बहन (ने नज़र मानी) जैसे कि हिशाम ने रिवायत किया। मगर उन की रिवायत में क़ुर्बानी का ज़िक्र नहीं है, बल्कि यह है कि आप ने फ़रमायाः अपनी बहन को हुक्म दो कि वह सवार हो जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इसे ख़ालिद ने इक्रमा से रिवायत किया है और हिशाम की रिवायत के हम माना बयान किया है।

3299:— उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी से रिवायत है कि मेरी बहन ने नज़र मानी कि वह बैतुल्लाह को पैदल जायेगी। फिर उस ने मुझ से कहा कि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला मालूम कर लूँ। चुनान्चे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम किया तो आप ने फ़रमायाः उसे चाहिये कि पैदल चले और सवार भी हो जाये।

3300:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुत्बा दे रहे थे कि देखा एक आदमी धूप में खड़ा है। आप ने उस के बारे में पूछा तो लोगों ने कहाः यह अबू इस्राईल है, इस ने नज़र मानी है कि खड़ा ही रहेगा, बैठेगा नहीं। न साया में जायेगा और न किसी से बात-चीत करेगा, और इसी प्रकार रोज़ा रखेगा। आप ने फ़रमायाः उस से कहो कि बात-चीत करे, साया हासिल करे और बैठ जाये, और अपना रोज़ा भी पूरा करे।

3301:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वह अपने दो बेटों के दर्मियान उन के सहारे से चल रहा है। आप ने उस के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उस ने पैदल चलने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक उस को अपने आप को अज़ाब देने से बेपर्वाह है और उसे हुक्म दिया कि सवार हो जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को अम्र बिन अबी अम्र ने आरज के वास्ते से अबू हुरैरा रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी प्रकार रिवायत किया।

3302:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। आप एक आदमी के पास से गुज़रे कि दूसरा उसे नकेल डाल कर लिये जा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस की नकैल को अपने हाथ से तोड़ डाला और उसे हुक्म दिया कि उस का हाथ पकड़ कर चले।

3303:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ की बहन ने नज़र मानी कि वह पैदल हज्ज करेगी, और उस के अन्दर पैदल हज्ज करने की हिम्मत नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हारी बहन के पैदल चलने से बेपर्वाह है, उसे चाहिये कि सवार हो और एक ऊँटनी की क़ुर्बानी दे।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 3293 में तीन रोज़े रखने का हुक्म है और यहाँ क़ुर्बानी का ज़िक्र है। जिस में रोज़े का ज़िक्र है वह हदीस ज़ईफ़ है, और यह हदीस सहीह है।

3304:— इक्रमा रह॰ से बयान है कि उक़्बा बिन आमिर जोहनी ने कहाः मेरी बहन ने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ पैदल चलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हारी बहन के बैतुल्लाह की तरफ़ पैदल चलने से कुछ नहीं करेगा (अल्लाह पाक को कोई फ़ाइदा नहीं हासिल होगा)

बाब {जो शख़्स बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने की नज़र मान ले।}

3305:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़त्ह मक्का वाले दिन एक आदमी खड़ा होकर कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अल्लाह के लिये नज़र मानी है कि अगर अल्लाह पाक ने मक्का फ़त्ह करा दिया तो मैं बैतुल मुक़द्दस में दो रक्अत नमाज़ पढ़ूँगा। नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहीं (काबा में) पढ़ लो। उस ने अपनी बात दोहराई तो आप ने फ़रमायाः यहीं पढ़ लो। उस ने तीसरी बार अपनी बात दोहराई तो आप ने फ़रमायाः तब तुम्हारी मर्ज़ी है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार रिवायत है।

3306:— उमर बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कई एक सहाबा से यह ख़बर रिवायत की है और इस में इज़ाफ़ा है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम! जिस ने मुझे हक़ के साथ नबी बना कर भेजा है, अगर तुम यहाँ नमाज़ पढ़ लेते तो यह नमाज़ तुम्हारी बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने से काफ़ी हो जाती। इमाम अबू दावूद ने कहाः इस रिवायत को (मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुसन्ना) अन्सारी ने इब्ने जुरैज से रिवायत किया तो (सनद के रावियों में हफ़्स बिन उमर के स्थान पर) जाफ़र बिन अ़म्र कहा और ऐसे ही (अ़म्र बिन हन्ना के स्थान पर) अ़म्र बिन हय्या ("या" के साथ) और कहा कि इन दोनों ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ और दीगर कई सहाबा से रिवायत किया।

फ़ाइदाः— अगर किसी ख़ास जगह इबादत की नज़र मानी है तो उस से अफ़्ज़ल स्थान पर इबादत कर के अपनी नज़र पूरी कर ले। बैतुल मुक़द्दस में इबादत की नज़र मानी थी, वह बैतुल्लाह में पूरी कर ले। क्योंकि बैतुल्लाह उस से अफ़्ज़ल है।

बाब {मय्यित की तरफ़ से नज़र पूरी करना।}

3307:— सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि मेरी माता जी का देहान्त हो गया है, उन के ज़िम्मा नज़र थी जिसे वह पूरी न कर सकीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उन की तरफ़ से नज़र पूरी करो।

3308:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला समुन्दर के सफ़र पर गयी तो उस ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उसे नजात दे दी तो वह एक माह का रोज़ा रखेगी। चुनान्चे अल्लाह ने उसे नजात दे दी, मगर उस ने रोज़े नहीं रखे और मर गयी। तो उस की बहन या बेटी आप की ख़िदमत में आयी तो आप ने उसे हुक्म दिया कि वह उस की तरफ़ से नज़र के रोज़े रखे।

फ़ाइदाः— मय्यित के ज़िम्मे रोज़े रह गये हों तो उस के वारिस उस की तरफ़ से रखें, या उसका फ़िदया दें।

3309:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी और कहाः मैंने अपनी माता जी को एक लौंडी सदक़ा (उपहार) दी थी, अब उन का देहान्त हो गया है और लौंडी तर्के में छोड़ गयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारा सवाब तो साबित हो गया और वह लौंडी तुम्हें वरासत में मिल गयी। उस ने बताया कि माता के ज़िम्मे एक माह के रोज़े थे?......फिर आगे की हदीस अ़म्र बिन औ़फ़ की हदीस की तरह बयान की।

बाब {....जो कोई मर जाये और उस के ज़िम्मे रोज़े हों तो उस का वारिस उस की तरफ़ से रोज़े रखे।}

3310:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहा: मेरी माता के ज़िम्मे एक माह के रोज़े बाक़ी थे, तो क्या मैं उन की तरफ़ से क़ज़ा कर सकती हूँ? आप ने फ़रमाया: अगर तुम्हारी माँ के ऊपर क़र्ज़ा होता तो क्या उसे अदा करती? उस ने कहा: हाँ। आप ने फ़रमाया: तो अल्लाह का क़र्ज़ा ज़्यादा अहम है कि उसे अदा किया जाये।

3311:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो मर जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उस का वली (वारिस) उस की तरफ़ से रोज़े रखे।

बाब {नज़र पूरी करने का हुक्म?}

3312:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नज़र मान रखी है कि मैं आप के सर के पास दफ़ बजाऊँगी। आप ने फ़रमाया: अपनी नज़र पूरी कर लो। उस ने कहा: मैंने नज़र मानी है कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह जानवर ज़ब्ह करूँगी जहाँ जाहिलिय्यत के ज़माना में लोग ज़ब्ह किया करते थे। आप ने पूछा: क्या वहाँ कोई बुत था जिस के लिये वह ज़ब्ह करते थे? उस ने कहा: नहीं। आप ने पूछा: तो क्या कोई मूर्ति थी जिस के लिये ज़ब्ह करते थे? उस ने कहा: नहीं। आप ने फ़रमाया: फिर अपनी नज़र पूरी कर लो।

फ़ाइदा:— गाने-बजाने के यन्त्रों (सामानों) में केवल दफ़ ही ऐसी चीज़ है जिसे इस्लाम में खुशी के मौक़े पर बजने की इजाज़त दी है। (17 अगस्त 2009, इतवार)

3313:— साबित बिन ज़ह्हाक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख़्स ने नज़र मानी कि वह बवाना के स्थान पर एक ऊँट ज़ब्ह करेगा। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहा: मैंने बवाना में ऊँट जब्ह करने की नज़र मानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछा: क्या वहाँ कोई बुत था? जिस की इबादत की जाती थी? सहाबा ने कहा: नहीं। आप ने पूछा: क्या वह जगह उन की मेलागाह थी? सहाबा ने कहा: नहीं। आप ने फ़रमाया: फिर तुम अपनी नज़र पूरी कर सकते हो। ऐसी नज़र में कोई फ़ाइदा नहीं जिस में अल्लाह की नाफ़र्मानी हो, और न उस की जो इन्सान की मिलकिय्यत न हो।

फ़ाइदा:— ऐसे स्थान जहाँ काफ़िर, मुश्रिक और बिदअ़ती लोग खुराफ़ात करते हों, एक पक्के-सच्चे मुसलमान को उस से दूर रहना चाहिये। इसी प्रकार वह मख़्सूस तारीख़ और दिन भी, जिन में बिदअ़त के काम करते हैं, उन में भी नेक काम करने से बचना चाहिये।

3314:— करदम की बेटी मैमूना का बयान है कि मैं अपने पिता के साथ हज्ज के लिये रवाना

हुयी जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज्ज के लिये गये थे, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने लोगों को कहते सुना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं। चुनान्चे मैं आप को अच्छी तरह नज़र भर कर देखती रही। फिर मेरे पिता जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये उस समय आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आप के पास एक कोड़ा था जैसे कि मदरसों में उस्ताद के पास होता है। मैंने बद्दू लोगों को सुना जो कह रहे थे, "तबतबिय्या, तबतबिय्या।" मेरे पिता जी आप के क़रीब हुये और आप का क़दम पकड़ लिया और आप की नबुव्वत का इक़रार कियाऔर आप के पास खड़े रहे और आप की बातें सुनी और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नज़र मानी है कि अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो मैं बवाना के सिरे पर घाटी में कई बकरियाँ ज़ब्ह करुँगा। हदीस के रावी ने बयान किया कि शायद मैमूना ने पचास बकरियाँ कहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या वहाँ कोई बुत था? कहा की नहीं। आप ने फ़रमायाः जो तू ने अल्लाह के लिये नज़र मानी है उसे पूरा करो। चुनान्चे मेरे पिता ने बकरियों को जमा किया और उन्हें ज़ब्ह करने लगे तो उन में से एक बकरी भाग निकली तो उसे ढूँड़ने निकले और कहते जाते थेः "ऐ अल्लाह मुझ से मेरी नज़र पूरी करा दें" चुनान्चे उन्होंने उसे पा लिया और फिर ज़ब्ह किया।

3315:— अ़म्र बिन शुऐब ने मैमूना बिन्त करदम रज़ि॰ से, उन्होंने अपने पिता से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, लेकिन थोड़ा मुख़्तसर करके। आप ने पूछाः क्या वहाँ कोई बुत था या मेला लगता था? कहाः कुछ भी नहीं। मैंने कहाः मेरी माता जी के ज़िम्मे नज़र है और पैदल चलना। क्या मैं उन की तरफ़ से क़ज़ा अदा करुँ? (और इब्ने बश्शार के शब्द में) क्या हम उस की तरफ़ से क़ज़ा अदा करें? आप ने फ़रमायाः हाँ।

बाब {आदमी जिस चीज़ का मालिक न हो उस में नज़र नहीं।}

3316:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी अ़ज़बा पहले बनू अ़क़ील के एक आदमी के पास थी, और यह हाजियों के तमाम सवारियों से आगे रहती थी। वह आदमी क़ैद कर लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया उस समय वह बाँधा हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने गधे पर थे, उस पर एक कपड़ा डाला हुआ था। उस ने कहाः ऐ मुहम्मद! तुम ने मुझे क्यों पकड़ा है और उस ऊँटनी को भी जो हाजियों की सवारी से आगे रहती है? आप ने फ़रमायाः हम ने तुझे तेरे मददगार बनू सक़ीफ़ के जुर्म में पकड़ा है। रावी ने कहाः बनू सक़ीफ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दो सहाबा को बन्दी बना लिया था। उस आदमी ने बात-चीत के दौरान यह भी कहाः मैं मुसलमान हो चुका या यह कहा कि मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चल दिये......इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने हदीस का यह हिस्सा मुहम्मद बिन अ़ीसा से समझा है....... उस शख़्स ने पुकाराः ऐ मुहम्मद, ऐ मुहम्मद! और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बहुत ही रहीम और रहम दिल न थे, तो आप उस की तरफ़ मुतवज्जह हुये और पूछाः क्या बात है? उस ने कहाः बेशक मैं

मुसलमान हूँ। आप ने फ़रमायाः अगर तू यह बात उस समय कहता जब तू अपने मामले का मालिक था तो मुकम्मल तौर पर नजात पा जाता........ इमाम अबू दावूद ने कहाः मैं फिर सुलैमान की रिवायत की तरफ़ लौटता हूँ....... उस आदमी ने कहाः ऐ मुहम्मद! मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिलाओ, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी पिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "हाँ यह तेरी ज़रुरत हक़ है। या यह फ़रमायाः यह उस की ज़रुरत है। मुख़्तसर यह कि बाद में उसे दो आदमियों के फ़िदया में छोड़ दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ज़बा ऊँटनी को अपनी सवारी के लिसे रोक लिया। हदीस के रावी ने बयान किया कि इस के बाद मुश्रिकों ने मदीना के बाहर चरते जानवरों पर डाका डाला और अ़ज़बा ऊँटनी को भी ले गये। जब वह उसे ले गये थे तो मुसलमानों की एक महिला को भी क़ैद कर के ले गये। वह लोग रात के समय अपने ऊँटों को छोड़ देते थे। एक रात उन पर नींद तारी कर दी गयी तो वह महिला उठी (कि भाग जाये) तो जिस ऊँट पर भी वह हाथ रखती वह बलबलाने लगता। जब वह अ़ज़बा के पास आयी तो गोया एक नर्म मिज़ाज और सफ़र करने की आ़दी ऊँटनी के पास आ गयी (वह बलबलाई नहीं) तो वह महिला उस पर सवार हो गयी, फिर उस ने अपने लिये नज़र मानी कि अगर अल्लाह पाक ने उसे नजात दे दी तो वह इस ऊँटनी को ज़रुर ज़ब्ह करेगी। चुनान्चे जब वह मदीना पहुँची तो अ़ज़बा को लोगों ने पहचान लिया कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी है। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस की सूचना दी गयी तो आप ने उस महिला को बुलवाया, उसे लाया गया और उस की नज़र के बारे में बताया गया तो आप ने फ़रमायाः उस ने इसे बहुत बुरा बदला दिया। या यह फ़रमायाः तू ने उसे बहुत बुरा बदला दिया है। अल्लाह पाक ने इसे उस के द्वारा नजात दी और यह उसे ज़ब्ह करने चली है। जिस काम में अल्लाह पाक की नाफ़रमानी हो, या ऐसी चीज़ जिस का इन्सान मालिक न हो, उस में नज़र नहीं है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह महिला अबू ज़र रज़ि॰ की पत्नी थीं।

फ़ाइदाः— चूँकि महिला ऊँटनी की मालिक नहीं थी, इसलिये नज़र ग़लत ठहरा, और नज़र पर अ़मल न होगा।

बाब {जो यह नज़र माने कि सब माल सदक़ा कर देगा।}

3317:— अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब जो अपने वालिद के अन्धे हो जाने के बाद उन को इधर-उधर लेकर आते-जाते थे, बयान करते हैं कि मेरे पिता ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा क़ुबूल होने का शुक्राना यह है कि मैं अल्लाह और उस के रसूल के लिये अपना माल सदक़ा कर दूँ और उस से अलग हो जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुछ माल अपने पास रखो, यह तुम्हारे लिये बेहतर हैं। उन्होंने कहाः मैं अपना वह हिस्सा जो ख़ैबर वाला है अपने पास रखता हूँ।

फ़ाइदाः— किसी गुनाह में तौबा करना और सदक़ा-ख़ैरात करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन कुल ख़ैरात कर देना कि वह कन्गाल हो जाये, दुरुस्त नहीं।

3318:— अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक ने अपने पिता से रिवायत किया कि जब उन की तौबा कुबूल हो गयी तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः मैं अपने माल को छोड़ देता हूँ......और ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की।

3319:— **कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ के बेटे अपने पिता (कअ़ब) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा, या अबू लुबाना ने, या किसी और ने, कि मेरी तौबा कुबूल होने का शुक्राना यह है कि मैं अपना पुश्तेनी घर जिस में मुझ से यह गुनाह हुआ है छोड़ दूँ और तमाम माल को सदक़ा कर के ख़ाली हो जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि** वसल्लम ने फ़रमायाः तिहाई माल काफ़ी है।

3320:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ के बेटे (अ़ब्दुल्लाह) का बयान है कि ऊपर की हदीस में ज़िक्र घटना अबू लुबाबा का है.....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

इमाम अबू दावूद ने कहाः इसे यूनुस ने इब्ने शिहाब ज़हरी के हवाले से, बनी साइब बिन अबी लुबाबा के किसी व्यक्ति से। और ऐसे ही ज़बीदी ने ज़हरी के वासते से, हुसैन बिन साइब बिन अबी लुबाबा से उस के मिस्ल रिवायत किया।

फ़ाइदा:— अबू लुबाबा का क़िस्सा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब बनी कुरैज़ा का घेराव किया (और बनी कुरैज़ा के लोग क़बीला औस के सहयोगी थे) और पकड़े गये तो इन्होंने अबू लुबाबा से मश्वरा किया कि क्या हम सअ़द बिन मआ़ज़ को अपना हकम बनायें या न बनायें? तो अबू लुबाबा ने इशारे से कहा कि अग़र बनाओगे तो वह तुम्हें क़त्ल कर देने का हुक्म देंगे। मगर तुरन्त ही अबू लुबाबा को एहसास हो गया कि मैंने मश्वरा देकर अल्लाह और उस के रसूल के साथ ख़ियानत की है। चुनान्चे उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सुतून में बाँध दिया और क़सम खाई कि अपने आप को उस समय तक नहीं खोलेंगे जब तक कि अल्लाह पाक उन की तौबा न कुबूल कर ले। चुनान्चे एक सप्ताह के बाद अल्लाह पाक ने उन की तौबा स्वीकार कर ली।

3321:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब अपने पिता से और वह अपने दादा से अपने क़िस्से में रिवायत करते हैं कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तौबा का अल्लाह के लिये शुक्राना यह है कि मैं अपना सब माल अल्लाह और उस के रसूल के लिये सदक़ा कर दूँ। आप ने फ़रमायाः नहीं। मैंने कहाः एक तिहाई माल? आप ने फ़रमायाः हाँ। इस पर मैंने कहाः मैं अपना ख़ैबर वाला हिस्स रख लेता हूँ।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर कोई अपना कुल माल सदक़ा करने की नज़र माने तो उसे चाहिये कि एक तिहाई सदक़ा करे।

बाब {जो शख़्स ऐसी नज़र मान ले जिस की वह ताक़त न रखता हो।}

3322:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः जिस ने कोई अनिश्चित (ग़ैर मुअय्यन) नज़र मानी हो उस का कफ़्फ़ारा क़सम वाला है। और जिस ने किसी गुनाह के काम की नज़र मानी हो तो उस का कफ़्फ़ारा क़सम वाला है। और जिस नेकोई ऐसी नज़र मान ली हो जिस की वह ताक़त न रखता हों तो उस का कफ़्फ़ारा नज़र वाला है। और जिस ने ऐसी नज़र मान ली हो जिस की वह ताक़त रखता हो तो उसे पूरा करे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को वकीअ़ वग़ैरह ने अ़ब्दुल्लाह से रिवायत करते हुये इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ पर मौक़ूफ़ क़रार दिया है।

बाब **{जिस ने कोई ऐसी नज़र मानी हो जो तै न हो।}**

3323:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को अ़म्र बिन हारिस ने भी कअ़ब बिन अल्क़मा के वास्ते से इब्ने शमासा से और उन्होंने उक़्बा रज़ि॰ से रिवायत किया।

3324:— कअ़ब बिन अल्क़मा ने इब्ने शिमासा से सुना, उन्होंने अबुल ख़ैर से रिवायत किया, उन्होंने उक़्बा बिन आ़मिर से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

फ़ाइदा:— ऐसी सूरत में उलमा का कहना है कि अगर उस ने नेक काम करने का इरादा किया हो तो उसे नज़र पूरी करने या कफ़्फ़ारा देने में इख़्तियार है। और अगर किसी ग़लत काम का इरादा था तो कफ़्फ़ारा दे।

बाब {जिस ने जाहिलिय्यत के दिनों में नज़र मानी हो, फिर मुसलमान हो जाये।}

3325:— उमर रज़ि॰ का बयान है, उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलिय्यत के दिनों में नज़र मानी थी कि बैतुल्लाह शरीफ़ में एक रात के लिये एतकाफ़ करुँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी नज़र पूरी करो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर कुफ़्र और शिर्क की हालत में नेक काम करने की नज़र मानी है तो इस्लाम के बाद भी उसे पूरा करो।

आज बुधवार के दिन 19 अगस्त 2009 को 10 बजे दिन में अपने घर पर बैठ कर यहाँ तक के तर्जुमा और तशरीह को मुकम्मल किया– (ख़ालिद)

❀ ❀ ❀

(22) ख़रीद-फ़रोख़्त के मसाइल

बाब {तिजारत जिस के साथ क़सम और वाहियात बातें शामिल हो जायें।}

3326:— क़ैस बिन अबी ग़रज़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम ताजिरों को समासिरा (दल्लाल) कहा जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे और हमें उस से बेहतर नाम दिया और फ़रमायाः ऐ ताजिरों की जमाअ़त! लेन-देन में बहुत सी बेजा बातें होती हैं और क़समें भी खाई जाती हैं तो इस में सदक़ा मिला लिया करो।

फ़ाइदा:— लेन-देन में लोग बढ़ा-चढ़ा कर तारीफ़ करते, चिकनी-चुपड़ी बातें करते, झूठ बोलते, तरह-तरह की डींगें मारते, राई को पर्वत बनाते हैं, सदक़ा करते रहने से कफ़्फ़ारा बन जाता है और अल्लाह पाक की नाराज़गी दूर होती है।

3327:— क़ैस बिन अबी ग़रज़ा ने भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः "लेन-देन और तिजारत के मामलात तै करते हुये झूठ और क़सम शामिल हो जाती है" अ़ब्दुल्लाह जुहरी ने "वाहियात और झूठ" के शब्द इस्तेमाल किये हैं।

बाब {खान (कान) से माल निकालना।}

3328:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स अपने मक़रुज़ (यानी जिस को क़र्ज़ दिया था) से चिमट गया, उस को दस दीनार देने थे। उस ने कहाः अल्लाह की क़सम! जब तक तू मेरा क़र्ज़ वापस नहीं कर देता मैं तुझे हर्गिज़ नहीं छोडूँगा, मगर यह कि तू कोई ज़ामिनदार या कफ़ील ले आये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मा ले लिया। फिर वह आदमी वादा के मुताबिक़ माल लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछाः तुम्हें यह सोना कहाँ से मिल गया है? उस ने कहाः एक कान से। आप ने फ़रमायाः हमें इस की ज़रुरत नहीं (और) इस में कोई भलाई भी नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने उस की तरफ़ से क़र्ज़ अदा फ़रमा दिया।

फ़ाइदा:— उस शख़्स को जो सोना मिला था उस ने किस तरह से हासिल किया था यहाँ स्पष्ट नहीं था इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे कुबूल नहीं फ़रमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ामिनदार बन कर दूसरे मुसलमानों को इस बात की तालीम (शिक्षा) दी कि परेशान हाल लोगों की सहायता करनी चाहये।

बाब {शुब्हा से बचने की ताकीद।}

3329:— इमाम शोबी रह॰ ने बयान किया कि मैं ने नोमान बिन बशीर रज़ि॰ को सुना और उनके बाद किसीऔर से सुनने से मुझे कोई ज़रुरत नहीं (क्योंकि वह एक सच्चे सहाबी थे) कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थे। बिला शुब्हा हलाल स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है और उन दोनों के दर्मियान कई बातें शुब्हे वाली हैं। मैं तुम्हें इन्हें मिसाल से समझाता हूँ। अल्लाह पाक के लिये चरागाह है (जिसे "रख" या "महफ़ूज़ा" कहा जाता है) और अल्लाह पाक की रख और चरागाह वही है जो उस ने हराम किया है। जो शख़्स अपने सुरक्षित क्षेत्र के क़रीब अपने जानवर चरायेगा क़रीब है कि वह उस में जा पड़े। और जो शक वाली बातों में पड़ता है क़रीब है कि वह उन में चराने लगे।

3330:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, आप ने फ़रमाया: और उन हलाल और हराम के दर्मियान कुछ शुब्हे वाली चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते, तो जो शुब्हात से बच गया उस ने अपनी इज़्ज़त और दीन को महफ़ूज़ कर लिया, और जो शुब्हे वाली चीज़ों में जा पड़ा वह हराम में जा पड़ा।

फ़ाइदा:— कुछ चीज़ें बाज़ कारण से हलाक और बाज़ कारण से हरम होती हैं। और कभी स्पष्ट नहीं हो पाता इसलिये ऐसे कामों से बचना चाहिये। जो शुब्हे के कामों से नहीं बचते वह एक दिन हराम में जा पड़ते है।

3331:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक समय आने वाला है कि लोगों में से कोई भी न बचेगा जो सूद न खाता हो। पस अगर किसी ने भी खाया तब भी उस की भाप तो उसे पहुँचेगी ही। इब्ने ईसा ने यह अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं: "उस का कुछ गुबार उसे पहुँचेगा।"

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। इस हदीस में अक्सर लोगों की तरफ़ इशारा है कि हलाल-हराम की तरफ़ तवज्जोह नहीं देंगे।

3332:— आ़सिम बिन कुलैब अपने पिता से और वह एक अन्सारी जवान से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक जनाज़ा में गये। मैंने आप को देखा कि आप क़ब्र खोदने वालों को हिदायत दे रहे हैं कि "पायताना की तरफ़ से खुली करो, सर की तरफ़

से खुली करो" जब आप वापस हुये तो आप को एक महिला की तरफ़ से दावत देने वाला मिला, तो आप उस के घर गये। आप के सामने खाना पेश किया गया तो आप ने अपना हाथ बढ़ाया। फिर लोगों ने भी अपने हाथ बढ़ाये और खाने लगे। हमारे बड़ों ने देखा कि आप एक ही लुक़्मा अपेन मुँह में घुमाए जा रहे हैं। (मगर निगल नहीं रहे हैं) आप ने फ़रमाया: मैं महसूस करता हूँ कि यह गोश्त ऐसी बकरी का है जिसे उस के मालिक की इजाज़त के बिना लिया गया है। फिर (जब उस महिला को बुलवाया गया तो) उस ने सन्देश भेजवाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने बक़ीअ़ की तरफ़ आदमी भेजा कि मेरे लिये एक बकरी ख़रीद लाये मगर नहीं मिली। फिर मैंने पड़ोसी की तरफ़ भेजा जिस ने एक बकरी ख़रीदी थी, तो मैंने उस से कहा कि उसी क़ीमत पर बकरी मुझे दे दे मगर वह भी नहीं मिली। तब मैंने उस आदमी की बीवी से कहा तो उस ने मुझे यह बकरी भेज दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: यह खाना क़ैदियों को खिला दो।

फ़ाइदा:— पति की इजाज़त के बिना पत्नी ने दे दिया, तो वह माल शुब्हा वाला हो गया। मालूम हुआ कि इस प्रकार के शुब्हा वाले माल को खाने से बचना चाहिये।

बाब {सूद खाने–खिलाने की वओ़ीद।}

3333:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूद खाने–खिलाने, उस के गवाह और लिखने वाले (सब) पर लानत फ़रमायी है।

बाब {सूद की रक़म छोड़ देने का बयान।}

3334:— सुलैम बिन अ़म्र अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अन्तिम हज्ज में फ़रमाते सुना: ख़बर्दार! जाहिलिय्यत के तमाम सूद बातिल किया जाते हैं। तुम्हारे लिये तुम्हारा अस्ल माल है। न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किये जाये। ख़बर्दार! जाहिलिय्यत के तमाम ख़ून बातिल किये जाते हैं और सब से पहला ख़ून जोमैं समाप्त कर रहा हूँ हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का ख़ून है जो बनी लैसे में दूध पीता बच्चा था और बनी हुज़ैल ने उस की हत्या कर दी थी। रावी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! मैंने पहुँचा दिया। तमाम मौजूद लोगों ने कहा: हाँ। आप ने तीन बार कहलवाया। फिर आप ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! इस बात पर गवाह रहना। तीन बार आप ने कहा।

फ़ाइदा:— अगर बैंक में आप का सूद मौजूद है तो उसे निकाल कर आ़म शहरी ज़रुरत में ख़र्च करदिया जाये जैसे हस्पताल, स्कूल, सड़क, पुल आदि का निर्माण, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाये जो किसी बीमारी में मुबतला हो। चूंकि यह रक़म हुकूमत की होती है इसलिये उस सूद की रक़म को मुल्क के नागरिक पर ख़र्च कर दिया जाये। इस सूद की रक़म को ज़ालिमों केलिये छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं। हदीस न॰ 3333 की रोशनी में सूदी बैंकों में काम करना भी हराम है।

बाब {लेन–देन में क़समें खाना हराम है।}

3355:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को

फ़रमाते सुनाः क़सम खाने से सौदा तो बिक जाता है मगर बर्कत समाप्त हो जाती है।

इब्ने सरह ने "सल्आ" के स्थान पर "कस्ब" कहा है और सनद में यूँ कहाः सअ़ीद बिन मुसय्यिब से और वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से।

बाब {झुकता तौलने (की तर्ग़ीब) और मज़दूरी लेकर माल तौलने का बयान।}

3336:— सुवैद बिन क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं और मख़रमा अ़ब्दी रज़ि॰ बहरैन के एक क्षेत्र हजर से कपड़ा लाये और हम उसे मक्का ले आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चल कर हमारे पास तशरीफ़ लाये और हम से एक पाजामा का सौदा किया तो हम ने आप को बेच दिया। वहाँ एक आदमी था जो मज़दूरी लेकर माल तौलता था, उस से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तौलो और ज़रा झुकता हुआ तोलो।

3337:— अबू सफ़वान बिन उमैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले मैं मक्का में आप की ख़िदमत में आया। और ऊपर की हदीस बयान की, मगर उस में "मज़दूरी पर माल तौलने" का ज़िक्र नहीं है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस को क़ैस ने भी इसी प्रकार बयान किया है जैसे कि सुफ़यान ने। और सुफ़यान का क़ौल राजेह है।

3338:— इब्ने अबी रिज़मा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना कि एक शख़्स ने शोबा से कहा कि सुफ़यान ने आप की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने कहाः तुम ने मुझे बहुत परेशान किया है। हालाँकि मुझे यहया बिन मुअ़ीन की यह बात पहुँची है कि जो भी सुफ़यान की मुख़ाालिफ़त करे तो बात सुफ़यान की राजेह होगी।

3339:— इमाम शोबा से रिवायत है कि सुफ़यान मुझ से ज़यादा हाफ़िज़ थे।

फ़ाइदा:— यानी पहली रिवायत जो सुवैद बिन क़ैस से रिवायत है राजेह है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "नापने का पैमाना मदीना वालों का मोतबर है।}

3340:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वज़न, मक्का वालों का मोतबर है और नापने का पैमाना, मदीना वालों का।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि फ़रयाबी और अबू अहमद ने भी सुफ़यान से ऐसे ही रिवायत किया है। इब्ने दकीन ने उन दोनों के मत्न में मुवाफ़क़त की है (न कि सनद में) अबू अहमद ने इब्ने उमर के स्थान पर इब्ने अ़ब्बास का नाम लिखा है। वलीद बिन मुस्लिम ने हन्ज़ला से रिवायत की तो कहाः वज़न कदीना वालों का मोतबर है और नापने का पैमाना मक्का वालों का।

फ़ाइदा:— मदीना शरीफ़ चूँकि खेती-किसानी का केन्द्र था। यहाँ लेन-देन में नापने का पैमाना राइज (प्रचलित) था जिसे "मुद" और "साआ" कहा जाता है। और मक्का चूँकि हर प्रकार की चीज़ों के बेचने का केन्द्र था, इसलिये तौलने का पैमाना प्रचलित था। आज भी हम मुसलमानों को

आपस में लेन-देन और नाप-तौल करते समय मक्का और मदीना के ही मापों का प्रयोग करना चाहिये। सदक़-ए-फ़ित्र की अदायगी के लिये पहले साअ़ा का हिन्दुस्तान में रिवाज़ था। कुछ मुसलमान के घर में बचपन में साअ़ा मौजूद था और उसी से सदक़ा निकालते थे। बाद में किसी मौलवी साहब ने एक साअ़ा अनाज कोतौला तो वह ढाई किलो का था। इसलिये अब ढाई किलो निकाला जाने लगा। अल्लाह पाक हम सब को मक्का और मदीना के नाप-तौल के मापों को प्रयोग करने की तौफ़ीक़ दे कि इस में बड़ी बर्कत है।

बाब {क़र्ज़े का मामला इन्तिहाई सख़्त है।}

3341:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ुत्बा दिया और पूछाः क्या बनी फ़लाँ में से कोई यहाँ है? मगर किसी ने जवाब न दिया। आप ने दोबारा पूछाः क्या बनी फ़लाँ में से कोई यहाँ है? लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। आप ने तीसरी बार भी पूछाः क्या बनी फ़लाँ में से कोई यहाँ है? तो एक आदमी खड़ा हुआ और उस ने कहाः मै हूँ ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः तुम्हें किसी ने रोका था कि पहली और दूसरी मर्तबा जवाब नहीं दिया? बिला शुब्हा मैंने तुम्हारे लिये भलाई ही का इरादा किया है। तुम्हारा साथी अपने क़र्ज़े में पकड़ा हुआ है (समुरा रज़ि॰ कहते हैं कि) फिर मैंने उस शख़्स को देखा कि उस ने क़र्ददार की तरफ़ से सब को अ़दा करा दिया यहाँ तक कि कोई मुतालबा करने वाला बाक़ी न रहा।

इमाम अबू दावूद ने कहाः कि (शोबा के शैख़ का नाम) समआ़न बिन मुशन्नज है।

3342:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के नज़दीक उस के मना किये हुये गुनाह कबीरा केबाद सब से बड़ा गुनाह यह है कि बन्दे पर जब मौत ओय तो वह क़र्ज़दार हो और उस ने अदा करने के लिये कुछ न छोड़ा हो।

3343:— जाबिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी ऐसे आदमी का जनाज़ा न पढ़ाया करते थे जिस पर क़र्ज़ा बाक़ी होता। एक शव को लाया गया तो आप ने पूछाः क्या इस पर क़र्ज़ है? सहाबा ने कहाः हाँ, दो दीनार है। आप ने फ़रमायाः तुम लोग अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो। फिर अबू क़तादा अन्सारी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह मेरे ज़िम्मे है जब आप ने उस का जनाज़ा पढ़ाया। फिर जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये विजय का दर्वाज़ा खोल दिया तो आप ने फ़रमायाः मैं हर मोमिन के लिये उस की जान से भी क़रीब हूँ इसलिये जिस ने कोई क़र्ज़ा छोड़ा उस की अदायगी मेरे ज़िम्मा है।

3344:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़िसी क़ाफ़िला वालों से कोई चीज़ ख़रीदी। उस समय आप के पास क़ीमत न थी, फिर आप को उस पर नफ़ा दिया गया तो आप ने फ़रोख़्त कर दिया। फिर आप ने उस का नफ़ा बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेवाओं पर सदक़ा कर दिया और फ़रमायाः भविष्य में कोई चीज़ तभी ख़रीदूँगा जब मेरे पास उसकी क़ीमत

होगी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है।

बाब {टाल–मटोल करने के बारे में।}

3345:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मालदार आदमी का क़र्ज़े की अदायगी का टाले जाना ज़ुल्म है। और जब तुम में से किसी को किसी मालदार के हवाले किया जाये तो उसे चाहिये कि वह उस की बात मान ले।

बाब {क़र्ज़ की अदायगी अच्छे ढंग से।}

3346:— अबू राफ़े से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (एक बार) एक जवान ऊँट उधार लिया, फिर आप के पास सदक़े के ऊँट आ गये, तो आप ने मुझ से फ़रमाया कि उस का (जवान) ऊँट अदा कर दूँ। मैंने कहाः कि गल्ले में उस के ऊँट से अच्छा रबाओ (चार दाँत वाला) ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे वही दे दो, लोगों में बेहतरीन वही होते हैं जो अदायगी में बेहतरीन हों।

3347:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरा कुछ क़र्ज़ था, आप ने उसे अदा फ़रमाया तो उस से ज़्यादा दिया।

फ़ाइदा:— क़र्ज़ अदा करते हुये अगर इन्सान अपनी ख़ुशी से कुछ और दे दे तो यह एहसान है जो सूद नहीं कहलायेगा। सूद में पहले से तै होता है और इस में न तो पहले से तै था और न कर्ज़ख़ाह का मुतालबा था और न हीं कोई अनुबन्ध था।

बाब {सर्फ़ का बयान।}

3348:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सोने के बदले चाँदी सूद है सिवाए इस के कि हाथों हाथ (नक़द) हो। गेहूँ के बदले गेहूँ सूद है मगर यह कि हाथों हाथ (नक़द) हो। और खजूर के बदले खजूर सूद है मगर यह कि हाथों हाथ (नक़द) हो। और जौ के बदले जौ सूद है मगर यह कि हाथों हाथ (नक़द) हो।

3349:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सोने के बदले सोना, डला हो या ढला हो (सिक्का हो या ज़ेवर) चाँदी के बदले चाँदी, डला हो या ढला हो। गेहूँ के बदले गेहूँ, एक मुदी के बदले एक मुदी, खजूर के बदले खजूर एक मुदी के एक मुदी। नमक के बदले नमक, एक मुदी के बदले एक मुदी (बेचा जाये) जो ज़्यादा दे या ज़्यादा ले तो उस ने सूद का मामला किया। सोने को चाँदी के बदले बेचना जबकि चाँदी ज़्यादा हो तो कोई हरज नहीं जबकि हाथों हाथ (नक़द) हो, लेकिनउधार नहीं। गेहूँ को जौ के बदले बेचना, जबकि जौ ज़्यादा हों कोई हरज नहीं जबकि हाथों हाथ हो, लेकिन उधार जाइज़ नहीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को सओद बिन अबी अरुबा और हिशाम दस्तवाई ने क़तादा के वास्ते से मुस्लिम बिन यसार से उस की सनद से रिवायत किया है।

3350:— अबू अश्अस सनआनी ने यह हदीस उबादा बिन सामित के वास्ता से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी क़दर कमी-बेशी से रिवायत की है और इज़ाफ़ा यह किया: जब यह जिन्स मुख़तलिफ़ हों तो जैसे चाहो बेचो, जबकि मामला हाथों हाथ हो।

फ़ाइदा:— एक ही जिन्स को एक साथ ख़रीदना-बेचना जाइज़ है मगर बराबर-बराबर। एक किलो अच्छा खजूर को दो किलो घटिया खजूर से, या एक किलो अच्छे गेहूँ को दो किलो घटिया गेहूँ के बदले बेचना नाजाइज़ है। अगर आप को घटिया गेहूँ के बदले अच्छा गेहूँ खरीदना है तो घटिया को क़ीमत से बेच दें, फिर उसी क़ीमत से अच्छा गेहूँ खरीदें। एक ही जिन्स को चाहे अच्छा हो या बुरा, कम-बेश कर के बेचना नाजाइज़ है। यह छः चीज़ें हैं (1) गेहूँ, जौ, खजूर, नमक। मुदी, शाम और मिस्र में एक पैमाने का नाम है।

बाब {तल्वार के दस्ते की चाँदी को चाँदी के रुपों से बेचना।}

3351:— फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ैबर के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हार लाया गया जिस में सोना और नगीने थे। अबू बक्र और इब्ने मनीअ़ ने कहा: सोने के लटके हुये नगीने थे, तो एक आदमी ने उसे नौ या सात दीनार में ख़रीद लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नहीं (यह सौदा नाजाइज़ है) यहाँ तक कि तुम उन नगीनों और सोने को अलग-अलग कर लो। उस आदमी ने कहा: मैंने सिर्फ़ क़ीमती पत्थर लेने चाहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नहीं, जब तक कि तुम उन को जुदा-जुदा न कर लो। चुनान्चे उस ने उसे वापस कर दिया और उन्हें जुदा-जुदा किया गया।

इब्ने ओसा के शब्द थे: "मैं ने तिजारत का इरादा किया है।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उन की अस्ल पुस्तक में "हिजारह (पत्थर) शब्द था जिसे "तिजारह" (तिजारत) से बदल दिया।

3352:— फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ ने बयान किया कि ख़ैबर के दिन मैंने बारह (12) दीनार में एक हार ख़रीदा, उस में सोना और नगीने थे। पस मैं ने उन्हें जुदा-जुदा किया तो मुझे उस में बारह (12) दीनार से ज़्यादा का सोना मिला। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया तो आप ने फ़रमाया: जुदा किये बिना न बेचा जाये।

3353:— फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ ने बयान किया कि ख़ैबर वाले दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और यहूदियों से एक ऊक़िया सोना (यानी लगभग 40 दिर्हम) एक दीनार में ख़रीदा था। कुतैबा के अलावा दूसरों ने कहा: दो या तीन दीनार में ख़रीदा था। फिर दूसरे हदीस के रावी के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सोने को सोने से मत बेचो सिवाए इस के कि वज़न बराबर-बराबर हो।

फ़ाइदा:— सोने का तबादिला सोने के साथ, या चाँदी का चाँदी के साथ हो तो वज़न बराबर-बराबर और मामला नक़द होना ज़रुरी है, वर्ना सूद होगा। अगर सोना किसी चीज़ में मिला हुआ है तो उसे उस से अलग किया जायेगा। मख़लूत शक्ल में सोने की क़ीमत का सहीह अनुमान

लगाना असंभव है। जब सोना अलग हो जायेगा तो सब की क़ीमत सहीह-सहीह आ जायेगी और सूद की शंका समाप्त हो जायेगी।

बाब {चाँदी के बदले सोना लेना।}

3354:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं बक़ीअ़ में ऊँट बेचा करता था, तो ऐसा होता कि दीनारों में सौदा करता और दिंहम वसूल करता। या दिंहम में सौदा करता और दीनार वसूल करता। उन्हें एक-दूसरे के बदले में ले लिया करता, या दे दिया करता था। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया उस समय आप अपनी पत्नी हफ़सा रज़ि॰ के घर में था। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रा ठहरें, मुझे आप से एक प्रश्न है। मैं बक़ीअ़ में ऊँट बेचने का काम करता हूँ तो दीनार से सौदा कर के दिंहम ले लेता हूँ, या दिंहम में सौदा कर के दीनार ले लेता हूँ। उन्हें एक-दूसरे के बदले लेता भी हूँ और देता भी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई हरज नहीं, अगर तुम उसी दिन के भाव से लो और तुम्हारे अलग होने पर तुम में कोई चीज़ बाक़ी न हो (हिसाब उस समय बिल्कुल बेबाक़ हो जाये)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि मुख़्तलिफ़ करन्सी का तबादला कमी-बेशी के साथ जाइज़ है, लेकिन ज़रुरी है कि बाज़ार में जारी और उस दिन के भाव से हो, और देन-लेन नक़द हो उधार न हो।

3355:— सिमाक ने अपनी सनद से और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है। लेकिन पहली सनद ज़्यादा कामिल है और उस में "उस दिन के भाव" ज़िक्र नहीं है।

बाब {जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना।}

3356:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि जानवर को जानवर के बदले उधर बेचा जाये।

बाब {जानवर उधार बेचने का जवाज़।}

3357:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि लश्कर की तय्यारी करें मगर ऊँट खत्म हो गये, तो आप ने उन को हुक्म दिया कि सदक़ा की ऊँटनियाँ आने तक उधार ले लें। चुनान्चे वह सदक़ा के आने तक दो-दो ऊटों के बदले एक-एक ऊँट कर लिया करते थे।

फ़ाइदा:— एक तरफ़ नक़द और दूसरी तरफ़ उधार हो तो जाइज़ है। मगर दोनों तरफ़ से उधार बिल्कुल नाजाइज़ है।

बाब {एक जानवर को दो जानवरों के बदले नक़द बेचना।}

3358:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो गुलामों के बदले एक गुलाम ख़रीद फ़रमाया।

फ़ाइदा:— इमाम अबू दावूद रह॰ के नज़दीक इन्सान और हैवान की हैसियत बराबर है इसीलिये

जानवरों को भी गुलाम ही पर क़ियास कर के यह साबित किया है कि इन को भी एक के बदले लेना-देना जाइज़ है।

बाब **{खजूर के ताज़ा फल को सूखे खजूर के बदले बेचना।}**

3359:— जैब अबू अयाश ने सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से सवाल किया कि सफ़ेद गन्दुम को सुल्त (जौ) के बदले बेचना कैसा है? उन्होंने कहा कि सफ़ेद गन्दुम, तो उन्होंने इस से मना कर दिया है और फ़रमायाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप से पूछा गया कि सूखी खजूर को ताज़ा खजूर के बदले बेचना कैसा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या भला ताज़ा खजुर सूख जाने पर कम हो जाती है? सहाबा ने कहाः हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमा दिया।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को इस्माअ़ील बिन उमय्या ने मालिक की तरह रिवायत किया है।

3360:— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताज़ा खजूर को सूखी खजूर के बदले उधार बेचने से मना फ़रमाया है।

इमाम अूब दावूद ने कहा कि इस रिवायत को इम्रान बिन अबू अनस ने बनू मख़ज़ूम के एक मौला के वास्ते से सअ़द रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— मालू हुआ कि ताज़ा खजूर के बदले सूखी खजूर की तिजारत बराबर-बराबर और नक़द हो तब भी जाइज़ नहीं है।

बाब **{मुज़ाबना के तर्ज पर ख़रीद-फ़रोख़्त मना है।}**

3361:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेड़ पर लगे खजूर के फल को (सूखे) खजूर के बदले बेचने से मना फ़रमाया है जबकि सूखे खजूर की मात्रा मालूम हो। और इसी तरह अन्गूर और किशमिश के बदले बेचना जबकि किशमिश की मात्रा मालूम हो। और खेती (यानी खेत में खड़ी फ़सल) को सूखे गेहूँ के बदले बेचना जबकि उस की मात्रा मालूम हो (मना है)

फ़ाइदा:— पेड़ में लगे फल को घर में रखे हुये वज़न किये हुये फल से बेचना इसे मुज़ाबना कहते हैं। और यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक तरफ़ की मात्रा मालूम है और पेड़ पर लगे फल की मात्रा मालूम नहीं। इस में बेचने और ख़रीदने वाले में से किसी एक का नुक़्सान हो सकता है। हाँ "अ़राया" में जाइज़ है। और इस की तफ़सील आगे आ रही है।

बाब **{"अ़राया" की तिजारत जाइज़ है।}**

3362:— ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित रह॰ अपने पिता ज़ैद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़राया के कारोबार की इजाज़त दी थी, यानी इन्सान सूखी खजूर

का ताज़ा खजूर के बदले लेन-देन करे।

3363:— सहल बिन अबी हसमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताज़ा खजूर को सूखी खजूर के बदले लेन-देन से मना फ़रमाया है, लेकिन "अ़राया" की रुख़्सत दी है कि इन्सान ताज़ा खजूर का अनुमान लगा कर (सूखी खजूर के बदले खरीद ले) ताकि वह लोग ताज़ा खजूर खा सकें।

फ़ाइदा:— "अ़राया" का अर्थ यह है कि किसी ग़रीब को खजूर के दो-चार पेड़ दे देना। इस प्रकार जब बाग़ मालिक ग़रीब को देता तो उन का भी बाग़ में आना-जाना हो जाता। इस से बचने के लिये अपने ही दिये हुये पेड़ों के ताज़ा फल का सूखी खजूर से बदली कर लें। इस अ़राया में पेड़ पर लगे फल को घर में रखे सूखे खजूर से बेचना ग़रीबों का लिहाज़ कर के जाइज़ किया गया है। और वहभी केवल पाँच वसक़ की मात्रा तक इजाज़त दी है (देखें बुख़ारी शरीफ़-2190)

बाब {अ़राया के लेन-देन में मात्रा का बयान।}

3364:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़राया के लेन-देन में पाँच वसक़ से कम या पाँच वसक़ तक की इजाज़त दी है। यह शक दावूद बिन हुसैन को हुआ है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जाबिर की हदीस में चार वसक़ का बयान आया है।

फ़ाइदा:— एक वसक़ साठ साआ़ का होता है। एक साआ़ ढाई किलो का होता है। इस प्रकार एक वसक 150 किलो और पाँच वसक़ 750 किलो का हुआ, यानी साढ़े सातकुन्टल।

बाब {अ़राया से क्या मुराद है?}

3365:— अ़ब्दे रब्बिही बिन सअ़ीद अन्सारी ने बयान किया कि "अ़राया" यह है कि इन्सान किसी को खजूर का कोई पेड़ दे दे या बाग़ बेच दे तो उस मर्ते से एक-दो पेड़ अलग कर ले ताकि ताज़ा फल खा सके, लेकिन फिर उसे सूखे खजूर के बदले बेच दे।

3366:— इब्ने इस्हाक़ ने बयान किया कि "अ़राया" यह है कि कोई शख़्स किसी को खजूरों के पेड़ हिबा कर दे, मगर बाद में उन लोगों का आना-जाना उसे भारी पड़े तो उन के फल का अन्दाज़ा कर के सूखे खजूर के बदले ख़रीद ले।

बाब {फलों को ठोस होने से पहले ही बेच देना।}

3367:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि फलों को उन के ठोस होने से पहले ही बेच दिया जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया है।

3368:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि खजूरों को पीला या लाल होने से पहले बेचा जाये, या ग़ल्ला को जबकि वह बालियों में हो, यहाँ तक कि सफ़ेद हो जायें और गिरने-पड़ने से सुरक्षित हो जायें। नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे मामले से बेचने और ख़रीदने दोनों से मना किया है।

3369:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि ग़नीमत के माल को तक़्सीम से पहले ही बेच दिया जाये, या खजूरों को बेच दिया जाये जबकि हर प्रकर की बीमारी से महफ़ूज़ हो जायें। और इस से भी मना किया हैकि इन्सान कमरबन्द (पेटी) के बग़ैर नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदा:— कमर बन्द बाँधने का हुक्म इसलिये है कि लोग शलवार बहुत कम इस्तेमाल करते थे और चादर को अगर अच्छी तरह लपेटा न गया होतो अन्देशा रहता है कि इन्सान कहीं नन्गा न हो जाये। यह डर ही नमाज़ से तवज्जुह हटाने के लिये काफ़ी है।

3370:— सअ़ीद बिन मीना रह॰ बयान करते हैं कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूर को "मुश्क़ह" तक पहुँचने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है। जाबिर रज़ि॰ से पूछा गया कि "मुश्क़ह" से क्या मुराद है? उन्होंने बताया कि जब खजूर लाल या पीला हो जाये और खाने के लाइक़ हो जाये।

3371:— अनस रज़ि॰ से रिवायत हैकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्गूरों को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि काले हो जायें और खेती (की फसल) को बेचने से रोका है यहाँ तक कि दाने सख़्त हो जायें।

3372:— यूनुस कहते हैं कि मैंने अबू ज़नाद से पूछा कि फलों को उन के ठोस होने से पहले बेचना कैसा है, और इस बारे में क्या आया है? तो उन्होंने कहाः उर्वा बिन जुबैर ने सहल बिन अबू हसमा के वास्ते से ज़ैद बिन साबित से रिवायत किया करते थे कि लोग फलों को उन के ठोस होने से पहले बेच दिया करते थे, फिर जब लोगों के पके फल तोड़ने का समय आया और उन का तक़ाज़ा करने वाले आते तो ख़रीदार लोग कहते कि फल तो सड़ गये, झड़ गये और बीमारी आ गयी, और इस प्रकार वह सौदे में हील हुज्जत करते। जब उन लोगों के मुक़द्दमात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा आने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें मश्वरा दिया कि अगर तुम इन झगड़ों से बाज़ नहीं आते तो अपने फल उन के ठोस होने से पहले बेचा ही न करो।

फ़ाइदा:— शुरु में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मश्वरा दिया, लेकिन बाद में ज़रुरी क़रार दिया और इस पर अ़मल अनिवार्य हो गया।

3373:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फल के ठोस होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है। और यह कि उसे दिंहम और दीनार (यानी नक़द) ही से बेचा जाये, हाँ, अल्बत्ता अ़राया में रुख़्सत है।

फ़ाइदा:— अ़राया के बारे में तफ़सील ऊपर गुज़र चुकी है।

बाब {कई सालों के लिये फल बेच देना।}

3374:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कई सालों के लिये (पेशगी) पेड़ के फल को बेचने से मना फ़रमाया है। और आफ़त (आँधी-तूफ़ान) में नुक़सान की तलाफ़ी कराई।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से तिहाई तक की कमी (नुक़सान) को पूरा करने के बारे में कोई रिवायत दुरुस्त नहीं, यह मदीना के उलमा की राय है।

3375:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "मुआ़वमा" की तिजारत से मना फ़रमाया है, जबकि (अबूज़ुबैर, सअ़ीद बिन मीना में से किसी) एक ने "बैअ़ सिनीन" का लफ़्ज़ बयान किया।

फ़ाइदा:— किसी बाग़ या पेड़ का कई साल के लिये पेशगी बेच देना मना है। क्योंकि पता नहीं कि भविष्य मेंफल आये न आये, या पेड़ ही सूख जाये, कम फल आये या बहुत अधिक फलआये। तो इस में दोनों में से एक का नुक़सान है। इसीलिये इस से मना किया गया है। उस समय तक जो सौदा हो चुका था और आफ़त में पैदावार में जो नुक़सान हुआ था उस की भरपाई कराई गयी और आइन्दा के लिये फल वग़ैरह ठोस होने के बाद खरीदने और बेचने का हुक्म दिया।

बाब {धोखे वाली तिजारत नाजाइज़ है।}

3376:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने धोखे वाली ख़रीद-फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है। उस्मान ने यह भी कहा कि कन्करी फेंक कर सौदा करने से मना फ़रमाया।

फ़ाइदा:— बेचने वाला या ख़रीदने वाला यह कहे कि यह कन्करी मैं फेंकता हूँ जिस पर भी लग जाये उसे मैं ख़रीद लूँगा। इस प्रकार का अटकल पच्चू लेन-देन शरीअ़त में मना है।

3377:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो प्रकार से मोल-भाव करने से और दो प्रकार से कपड़ा ओढ़ने से मना फ़रमाया है। मोल भाव में "मलामसा" और "मुनाबज़ा" से और ओढ़ने में "इश्तिमाले सम्मा" से मना किया है। और दूसरा यह कि इन्सान अपने ऊपर कपड़ा इस तरह से पलेट कर बैठे कि शर्मगाह को नन्गा रखे या उस पर कुछ न हो (इस की तफ़सील आगे आ रही है)

3378:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस रिवायत की और मज़ीद कहा कि "इश्तिमाले सम्मा" यह है कि इन्सान एक कपड़े में इस प्रकार से लिपट जायें कि कपड़े के दोनों कनारों को बायें कन्धे पर डाल ले और अपनी दाहिनी तरफ़ से खुला रखे। और "मुनाबज़ा" यह है कि यूँ कहे: "जब मैं तुम्हारी तरफ़ यह कपड़ा फेंक दूँ तो मोल भाव पक्का हो गया। और "मुलामसा" यह है कि चीज़ को अपना हाथ लगा दे, उसे खोल कर या उलट-पलट कर न देख सके, और जब उसे हाथ लगा दिया तो मोल भाव पक्का हो गया।

फ़ाइदा:— "इशितमाले सम्मा" का दूसरा अर्थ यह है कि इन्सान सर से पाँव तक एक ही कपड़े में लिपट जाये और हाथ-पाँव का कोई हिस्सा बाहर न हो। इस में किसी भी जल्दी में नुक़्सान हो सकता है। हो सकता है गिर जाये और संभल न सके, या किसी कीड़े-मकोड़े से अपने को बचा न सकेगा। "मुनाबज़ा" की एक सूरत यह भी है कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला अपनी-अपनी चीज़ एक-दूसरे की तरफ़ फेंक कर तबादला कर लें और उन्हें देखने-भालने और सोचनेका हक़ न हो। "मुलामसा" का एक अर्थ यह भी है कि किसी चीज़ को केवल हाथ लगने ही से मोल भाव पक्का मान लिया जाये। या अंधेरे में सौदा हो और छूने से मोल-भाव पक्का हो जाये और उसे देख न सके। इस्लाम ने इस प्रकार के धोखे के सौदे को जिन में फ़रीक़ैन में से किसी एक का नुक़्सान हो, मना किया है।

3379:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है, फिर आगे सुफ़यान और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ की अहादीस (न॰ 3377, 3378) की तरह बयान किया है।

3380:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमल वाले जानवर के बच्चे के बच्चे की ख़रीद-फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— "हबुलल् हब्ला" इस का दो अर्थ है (1) एक आदमी सामान ख़रीदे और बेचने वाले से कहे कि जब हमारी यह गर्भवती ऊँटनी मादा बच्चा जनेगी फिर वह बड़ी होकर बच्चा जनेगी तब पैसा दूँगा। यह नाजाइज़ है, क्योंकि हो सकता है कि वह मादा न जने, यह भी हो सकता है कि जनने से पहले ही मर जाये, या यह भी हो सकता है कि कच्चा बच्चा जने। इन तमाम सूरतों में आपस में तनाज़ा और झगड़े की नौबत आयेग। (2) दूसरा अर्थ यह है कि हमल वाली ऊँटनी के पेट के बच्चा की पैदा होने से पहले ही सऔदा कर ले कि मैं उसे 1000 रुपये में ख़रीदता हूँ। इस सौदे को अन्धा सौदा कहा जायेगा, क्योंकि हो सकता है कि वह बच्च पैदा होते ही मर जाये, या कच्चा बच्चा जने, या खूद ही बच्च जनने से पहले मर जाये। इस प्रकार के सौदे बाज़ी में किसी एक फ़रीक़ का बड़ा नुक़्सान होने की संभावना है, इसलिये शरीअ़त ने इस प्रकार के सौदा और मोल भाव करने से मना किया है।

3381:— इमाम नाफ़े ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के वास्ता से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है और कहा है कि "हबलुल् हब्ला" का अर्थ यह है कि यह ऊँटनी बच्चा जनेगी, फिर वह पैदा होने वाली बच्चा ऊँटनी (बड़ी होकर) हमल से होगी (तो उस समय पैसे की अदायगी होगी।"

बाब {मजबूर होकर लेन-देन करना।}

3382:— अ़ली रज़ि॰ ने खुत्बा देते हुये फ़रमाया: लोगों पर ऐसा वक़्त आयेगा जो काट खाने वाला होगा। माल वाला अपने माल को अपने दाँतों से पकड़े रहेगा (न सदक़ा करेगा और न क़र्ज़ देगा, बल्कि बख़ील बना रहेगा) हालाँकि उस इस बाब का हुक्म नहीं (कि बख़ील बना रहे)

अल्लाह पाक ने फ़रमाया है: "आपस में एहसान करने को मत भूलो" और मजबूर लोग (मजबूरी की वजह से) लेन-देन करेंगे हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मजबूरी के लेन-देन से मना फ़रमाया है। और धोखे के लेन-देन और फलों के तैयार हो जाने से पहले उन्हें बेचने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है। मजबूरी की लेन-देन दो प्रकार की होती है (1) ज़ालिम किसी कमज़ोर को अपना सामान सस्ते दाम में बेचने पर मजबूर करे तो यह सौदा बातिल है। (2) एक आदमी क़र्ज़दार है इसलिये मजबूरी में औने-पौने सस्ते दाम में अपना सामान बेच देता है और लोग ताक में रहते हैं और तुरन्त ख़रीद लेते हैं। यह लेन-देन दुरुस्त तो है मगर इस्लामी आदाब (सभ्यता) के ख़िलाफ़ है।

बाब **{साझीदारी का बयान (किसी कारोबार में)}**

3383:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह पाक ने फ़रमाया है: "मैं दो साझीदारों का तीसरा हूँ। जब तक उन में से कोई एक-दूसरे की ख़ियानत न करे। जब कोइ ख़ियानत करता है तो मैं उन के दर्मियान से निकल जाता हूँ।"

फ़ाइदा:— "अल्लह पाक बीच से निकल जाता है" यानी ख़ैर-बकर्त उठ जाती है, और शैतान दर्मियान में आ जाता है।

बाब **{वकील (एजन्ट) ऐसा मामलात तै कर ले जिस की मालिक ने इजाज़त न दी हो।}**

3384:— उर्वा बिन जाद बारिक़ी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक दीनार दिया कि उस से कुर्बानी का जानवर या कोई बकरी ख़रीद लाऊँ। चुनान्चे मैंने दो बकरियाँ ख़रीद लीं और एक को फिर एक दीनार में बेच दिया, फिर मैं एक बकरी और एक दीनार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर आया। तो आप ने मेरे कारोबार में बर्कत की दुआ दी। चुनान्चे मेरा यह हाल हो गया कि मिट्टी भी ख़रीद लेता तो उस में भी नफ़ा होता।

फ़ाइदा:— सहाबी ने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदा और बेचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें इस का हुक्म नहीं दिया था। मालूम हुआ कि इस प्रकार के नेक और नफ़ा के काम में उसे अपनी मर्ज़ी से करने की इजाज़त है। लेकिन इस से अपने मालिक को नफ़ा पहुँचाने का इरादा हो न कि नुक़सान पहुँचाने का।

3385:— अबू लबीद कहते हैं कि उर्वा बारिक़ी रज़ि॰ ने मुझे यह हदीस बयान की, लेकिन (ऊपर की हदीस के मुक़ाबला) अल्फ़ाज़ मुख़्तलिफ़ हैं।

3386:— हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक दीनार देकर भेजा कि आप के लिये कुर्बानी का जानवर ख़रीद लाऊँ। चुनान्चे मैंने एक दीनार में जानवर ख़रीदा और फिर उसे दो दीनार में बेच दिया। फिर लौटते हुये एक दीनार में एक जानवर ख़रीद लिया। फिर मैंने उस जानवर के साथ एक दीनार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम के सामने पेश किया तो आप ने उस को सदक़ा कर दिया और मेरे लिये कारोबार में बर्कत की दुआ फ़रमायी।

बाब **{जब कोई शख़्स किसी के माल में उस की इजाज़त के बग़ैर तिजारत करे।}**

3387:— सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि मैंनेनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थेः तुम में से जो कोई चावलों के टोपे वाले की तरह बन सकता हो तो बन जाये। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह चावलों के टोपे वाला कौन है? यह सुन कर आप ने ग़ार वालों की हदीस बयानकी कि जब उनके ऊपर एक चट्टान आ पड़ी थी तो उन में से हर एक ने कहा था कि अपना बेहतरीन अ़मल बयान करो। चुनान्चे तीसरे आदमी ने कहाः ऐ अल्लह! तू अच्छी तरह जानता है कि मैं एक मज़दूर लाया और उस के साथ चावलों का एक टोपा मज़दूरी तै की। जब शाम हुयी तो मैंने उसे उस की मज़दूरी पेश की मगर उसने लेने से इन्कार कर दिया। तो मैंने उन चावलों की काश्त कर दी यहाँ तक कि उस से गायें और चरवाहे इकट्ठे कर लिये। फिर वह (एक समय के बाद) मुझ से मिला और कहने लगा कि मेरा हक़ मुझे दो। तो मैंने कहाः जाओ यह गायें और उन के चरवाहें ले जाओ। चुनान्चे वह उन्हें हाँक कर ले गया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत विस्तार से बुख़ारी शरीफ़ (2333) में ज़िक्र है। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि नेक निय्यती के साथ किसी मुसलमान भाई को फ़ाइदा पहुँचाने के लिये उस के माल में बिना उस की इजाज़त के तिजारत करना जाइज़ है।

बाब {माल लगाए बिना साझीदारी करना।}

3388:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि बद्र की जन्ग वाले दिन मैं अ़म्मार और सअ़द ने आपस में तै किया कि जो भी हमें मिलेगा हम तीनों उस में शरीक होंगे। चुनान्चे सअ़द रज़ि॰ तो दो क़ैदी ले आये, मगर मैं और अ़म्मार कुछ न ला सके।

फ़ाइदा:— यहाँ तीनों ने यह तै किया था कि मेहनत कर के कमाई करेंगे और तीनों एक दूसरे की कमाई में शरीक होंगे। तो कोई कम कमाएगा या ज़्यादा, या कुछ न कमा पाए, फिर भी एक–दूसरे की कमाई में शरीक होंगे।

बाब {बटाई पर ज़मीन देना।}

3389:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ज़मीन को बटाई पर देने में कोई हरज न समझते थे, लेकिन मैंने राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से सुना वह कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बटाई पर देने से मना फ़रमाया है (अ़म्र बिन दीनार कहते हैं कि) मैंने यह हदीस तऊस से बयान किया तो उन्होंने कहाः मुझ से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना तो नहीं किया था अल्बत्ता फ़रमाया था कि "तुम अपनी ज़मीन किसी को उपहार में दे दो तो यह तैशुदा पैदावार लेने से बेहतर

है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि बटाई पर देना, या तै शुदा पैदावार पर देना हराम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वैसे ही अल्लाह की राह में दे दिया जाये तो अफ़ज़ल और बेहतर है।

3390:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने कहा कि अल्लाह पाक राफ़े बिन ख़दीज़ रज़ि॰ को माफ़ फ़रमाये। अल्लाह की क़सम! मैं इस हदीस को उन से बेहतर तौर पर जानता हूँ। हक़ीक़त यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास दो शख़्स (और मुसद्दद ने कहा कि दो अन्सारी) हाज़िर हुये। इस जुम्ले के बाद दोनों (की रिवायतें) एक सी हैं। दोनों मरने-मारने पर तुले हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम्हारा यही हाल है तो अपने खेत को किराये पर मत दिया करो। मुसद्दद ने इतना और भी कहा कि राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ ने इतनी सी सुन ली कि "अपने खेत को किराए पर मत दिया करो"

फ़ाइदा:— किसी मामले में कम समझी, उलझाव, धोखा यह झगड़े की बुनियाद बनती है। इस से बचने के लिये खेती-बाड़ी को शरीअ़त के मुताबिक़ उपहार में दे दिया जाये, या फिर खुद ही खेती करे।

3391:— सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम अपनी ज़मीनें किराए (बटाई) पर दिया करते थे और साथ ही यह तै होता था किजो कुछ नालियों पर पैदा होगा, या जिस हिस्से को अपने आप ही पानी पहुँचता हो (सींचाई न करनी पड़ती है वह मालिक का होगा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें इस से मना फ़रमा दिया और हुक्म दिया कि हम अपनी ज़मीन सोने या चाँदी (करन्सी) के बदले किराया पर दें (यानी ख़ास रक़म पर ठेका लिया करें।

फ़ाइदा:— किराया पर देने से झगड़ा-लड़ाई समाप्त हो जाता है। अब सब कुछ ख़रीदार के ऊपर हो गया। नफ़ा हुआ तो उस का नुक़सान हुआ तो उस का।

3392:— हन्ज़ला बिन कै़स अन्सारी कहते हैं कि मैंने राफ़े बिन ख़दीज से पूछा कि ज़मीन को सोने-चाँदी (यानी नक़दी) के बदले किराया पर देना कैसा है? उन्होंने कहाः इस में कोई हरज नहीं। अस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लोग इस तरह करते थे कि जो कुछ पानी के बहाव और नालों के सरों पर होता, उस पर और कुछ खेती पर मामला तै करते थे। तो फिर ऐसे होता कि यह बर्बाद हो जाती और वह बची रहती, या वह बर्बाद होजाती और यह बच जाती। लोगों में किराया पर देने की बस यही एक शक्ल प्रचलित थी। जिस की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस मामले से (ऐसा करने से) डाँट कर रोक दिया। लेकिन ऐसा मामला जिस में बदला तै हो और मालूम हो तो इस प्रकार ज़मीन देने में कोई हरज नहीं।

इब्राहीम की हदीस (जो ऊपर बयान हुयी) इस से ज़्यादा मुकम्मल है। और कुतैबा ने अपनी सनद में "राफ़े के वास्ता से हन्ज़ला से" रिवायत किया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यहया बिन सअ़ीद ने हन्ज़ला से इसी तरह रिवायत किया है।

3393:— हन्ज़ला बिन कै़स अन्सारी कहते हैं कि उन्होंने राफ़े बिन ख़दीज़ रज़ि॰ से पूछाः ज़मीन को किराया पर देना कैसा है? उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़मीन किराया पर देने से मना फ़रमाया है। मैंने पूछाः क्या सोने और चाँदी के बदले भी मना है? तो कहा कि सोने -चाँदी के बदले में कोई हरज नहीं।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीसों से मालूम हुआ कि ही खेत में अपने लिये अलग और बटाई पर काम करने वाले के लिये अलग हिस्सों की पैदावार तै करना यह तरीक़ा बटाई में नाजाइज़ है। बटाई के माना (अर्थ) यह हैं कि नफ़ा में दोनों और नुक़सान में भी दोनों शरीक हों। हाँ, अगर ज़मीन ठेके पर दी जाये तो इस में कोई हरज नहीं। ठेके पर देने का अर्थ यह है कि यह ज़मीन है तुम मुझे इतना गल्ला दे दो, बाक़ी सब कुछ तुम्हारा।

बाब {बटाई के मना होने का बयान।}

3394:— सालिम रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरे पिता अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ज़मीन किराए (बटाई) पर दिया करते थे। फिर जब उन्हें यह हदीस पहुँची कि राफ़े बिन ख़दीज अन्सारी रज़ि॰ हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़मीन किराया (बटाई) पर देने से मना फ़रमाया करते थे। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह ने उन से मुलाक़ात की और पूछा कि तुम ज़मीन को बटाई पर देने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क्या हुक्म बयान करते? इस पर राफ़े रज़ि॰ ने कहाः मैंने अपने दो चचाओं से सुना जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुये थे, वह अपने घर वालों से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़मीन किराए (बटाई) पर देने से मना किया है। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह (बिन उमर रज़ि॰) ने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना के बारं में यही मालूम है कि उस ज़माना में ज़मीन बटाई पर दी जाती थी, मगर फिर अ़ब्दुल्लाह को शुब्हा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस बारे में (बाद में) कोई नई बात न फ़रमा दी हो जिस की मुझे जानकारी न हो सकी हो। चुनान्चे इस कारण उन्होने ज़मीन बटाई पर देना छोड़ दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को अय्यूब, उबैदुल्लाह, कसीर बिन फ़रक़द और मालिक ने इमाम नाफ़े के वास्ते से, फिर राफ़े और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया है। और औज़ाअ़ी ने-हफ़स बिन अ़नान हनफ़ी-नाफ़े-राफ़े से बयान करते हुये कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है। और ऐसे ही ज़ैद बिन अबू उनैसा ने-हकम-नाफ़े-इब्ने उमर से बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ राफ़े के पास आये और पूछा कि क्या तुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहाः हाँ। और ऐसे ही इक्रमा बिन अ़म्मार ने अबू नज्जाशी से, उन्होंने राफ़े बिन ख़दीज़ से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना। और औज़ाअ़ी ने भी अबू नजाशी से रिवायत किया, उन्होंने राफ़े बिन खदीज़ रज़ि॰ से, उन्हेांने अपने चचा ज़हीर बिन राफ़े से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया।

अबू दावूद रह॰ फ़रमाते हैं कि अबू नजाशी का नाम अ़ता बिन सुहैब है।

फ़ाइदा:— हक़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में, अबू बक्र और उमर रजि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में यहूदियों को ख़ैबर से निकाले जाने के समय तक उन को ख़ैबर की ज़मीने और बाग़ बटाई पर दिये जाते थे। बटाई पर देने की मिनाही की हदीसें एहतियात की बुनियाद पर हैं। या उन शक्लों की वजह से मना है जिन का ज़िक्र ऊपर हुआ। इब्ने उमर रज़ि॰ का बटाई से रुक जाना एहतियात और तक़्वा की बुनियाद पर था.......।

3395:— सुलैमान बिन यसार रह॰ कहते हैं कि राफ़े बिन ख़दीज ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में ज़मीन बटाई पर दिया करतेथे। तो उन के एक चचा उन के पास आये और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें उस मामले से जो हमारे लिये लाभदायक था मना फ़रमा दिया है, और अल्लाह और उस के रसूल की इताअ़त ही हमारे लिये फ़ाइदे मन्द है। हम ने पूछाः और वह क्या है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः जिस के पास ज़मीन हो तो वह या तो खुद खेती करे या अपने भाई को खेती करने के लिये दे दे (उपहार में) लेकिन तिहाई या चौथाई या तै शुदा ग़ल्ले पर बटाई पर न दे।

फ़ाइदा:— बटाई की एक ही शक्ल जाइज़ है और वह यह कि ज़मीन मालिक की और खेती-किसानी मज़दूर की, और पैदावारमें आधा-आधा। ज़मीन के मालिक ने आधे से ज़्यादा का मुतालबा किया तो यह सूद होगा जो नाजाइज़ है।

3396:— अय्यूब ने रिवायत किया है कि याला बिन हकीम ने मुझे लिख भेजा कि मैंने सुलैमान बिन यसार से सुना है। और उबैदुल्लाह की सनद और उस की रिवायत के हम माना बयान किया है।

3397:— राफ़े बिन खदीज रज़ि॰ के बेटे अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अबू राफ़े रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से होकर मेरे पास आये और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें एक काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे लिये लाभपर्द था, मगर अल्लाह और उस के रसूल की इताअ़त में हमारे लिये बहुत ज़्यादा नफ़ा है। आप ने हमें किसी की ज़मीन खेती करने से मना फ़रमा दिया है, मगर यह कि खेती करने वाला उस ज़मीन का खुद मालिक हो या किसी ने उस को उपहार में दिया हो।

फ़ाइदा:— मना उस शक्ल मैं है कि ज़मीन का मालिक पैदावार में आधे से ज़्यादा माँग करे।

3398:— उसैद बिन जुहैर बयान करते हैं कि राफ़े बिन खदीज़ रज़ि॰ हमारे पास आये और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हें एक काम से मना फ़रमाते हैं जो तुम्हारे लिये बड़े फ़ाइदे का था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इताअ़त तुम्हारे लिये उस से बढ़ कर लाभदायक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हें बटाई पर खेती करने से मना फ़रमाते हैं। और फ़रमाया हैः जो कोई अपनी ज़मीन में दिलचस्पी न ले तो उसे चाहिये कि उस

ज़मीन को अपने भाई को तोहफ़ा और उपहार में दे दे, या वैसे ही छोड़ दे।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि शोबा और मुफ़ज़्ज़ल बिन मुहलहल ने इसे मन्सूर से ऐसे ही रिवायत किया है। शोबा ने कहा कि उसैद, राफ़े बिन ख़दीज के भतीजे हैं।

3399:— अबू जाफ़र ख़तमी का बयान है कि मेरे चचा ने मुझे और अपने गुलाम को सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ के यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि हम ने उन से कहा: हमें आप की तरफ़ से खेती-किसानी के मुतअ़ाल्लिक़ एक बात पहुँची है (तो वह कैसे है?) उन्होंने कहा: अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ इस में कोई हरज नहीं समझते थे, मगर उन्हें राफ़े बिन ख़दीज की एक हदीस पहुँची तो वह ख़ुद उन के पास गये तो राफ़े ने उन्हें बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बनी हारिसा के यहाँ तशरीफ़ लाये तो ज़ुहैर की ज़मीन में फ़सल लगी देखी तो फ़रमाया: ज़ुहैर की खेती बहुत अच्छी है। लोगों ने कहा: यह ज़ुहैर की नहीं है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क्या भूमि ज़ुहैर की नहीं है। उन्होंने कहा: हाँ, ज़मीन तो उन की है मगर फ़लाँ ने काश्त कर रखी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपनी ज़मीन ले लो और उस का ख़र्चा उस को वापस कर दो। राफ़े रज़ि॰ कहते हैं: चुनान्चे हम ने अपनी खेती ले ली और उस का ख़र्च (खेती की भर्ती) उसे अदा कर दिया। सअ़ीद बिन मुसय्यिब ने कहा: अपने भाई को ज़मीन तोहफ़ा (उपहार) में दे दो या दिर्हमों के बदले किराए पर दे दो।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क्यों मना कर दिया? इस की वजह हदीस न॰ 3392 में बयान हो चुकी है कि नाजाइज़ शर्तें थीं और हिस्सा स्पष्ट नहीं था, झगड़े का शुब्हा था।

3400:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से रिवायत है कि राफ़े बिन ख़दीज ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "मुहाक़ला" और "मुज़ाबना" से मना फ़रमाया है। आप ने फ़रमाया: आदमी तीन तरह से ही खेती कर सकता है (1) ज़मीन आदमी की अपनी मिलकिय्यत हो तो उस में खेती करे (2) या किसी ने उसे मुफ़्त में दे दी होतो उस में खेती करे (3) या सोन-चाँदी के बदले किराया पर ली हो।

3401:— उस्मान बिन सहल बिन राफ़े बिन ख़दीज ने बयान किया कि मैं यतीम था और (अपने दादा) राफ़े बिन ख़दीज की निग्रानी में था। मैंने उन के साथ हज्ज भी किया। मेरा भाई इम्रान बिन सहल उन के पास आया और कहा: हम ने अपनी ज़मीन फ़लाँ महिला को दो सौ दिर्हम के बदले ठेके पर दे दी है। उन्होंने कहा: उसे छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भूमि किराए (ठेके) पर देने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। राफ़े ने खेती की जिस सूरत के मना होने की ख़बर दी है, यह ऐसी ही सूरत पर दी गयी होगी, इसलिये उसे मन्सूख़ क़रार दिया।

3402:— रोफ़ बिन ख़दीज़ रज़ि॰ का बयान है कि उन्होंने ज़मीन में खेती कर रखी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे जबकि वह सींचाई कर रहे थे। तो आप ने उन से पूछा: किस ने खेती की है, और ज़मीन किस की है मैंने कहा कि मैंने खेती की है। बीज मेरे है और

मेहनत भी मेरी है, इस में मुझे आधा मिलेगा और आधा फ़लाँ को मिलेगा (जिस की ज़मीन है) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम दोनों ने सूद का मामला किया है। ज़मीन को उस के मालिक के हवाले कर दो और अपना ख़र्च ले लो।

फ़ाइदाः— सूद का मामला उसी शक्ल में होगा जबकि मालिक नाली के पास वाली जमीन की पैदावार (जो पूरी ज़मीन में सब से अच्छी होती है) अपने लिये ख़ास कर ले, या कुल पैदावार में आधे से ज़्यादा का मुतालबा करे। वर्ना ज़मीन मालिक की और बीज और मेहनत किसी की हो और कुल पैदावार का आधा-आधा, इस प्रकार खेती जाइज़ है। इस का नाम बटाई है।

बाब **{बिना इजाज़त किसी की ज़मीन में खेती कर लेना।}**

3403— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी की ज़मीन उस केमालिक की इजाज़त के बिना खेती कर ली, उस केलिये उस खेती में से कुछ नहीं, अल्बत्ता (जो खेती में लगायी है भर्ती वह) ख़र्चा ले सकता है।

फ़ाइदाः— ज़ाहिर है बिना इजाज़त के दूसरे की ज़मीन से कोई फ़ाइदा नहीं उठा सकता।

बाब **{मुख़ाबरा (बटाई पर खेती) का बयान।}**

3404— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और मुआ़वमा से मना फ़रमाया है। एक रावी ने (मुआ़वमा के स्थान पर) कई साल के लिये बाग़ को बेच देना कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ अलग कर लेने से भी मना किया है। अल्बत्ता अ़राया की इजाज़त दी है।

फ़ाइदाः— 'मुहाक़ला' खेत में खड़ी फसल को घर में रखे तौले हुये ग़ल्ले के बदले बेच देना। या ग़ल्ला अभी बाली में हो उसे बेच देना। "मुख़ाबरा" खेती-किसानी। "मुज़ाबना" पेड़ पर लगी खजूर को घर में रखी सूखी और तौली हुयी खजूर के बदले बेचना। यह सब शक्लें दुरुस्त नहीं हैं? क्योंकि पता नहीं पेड़ में लगी हुयी फसल आगे चल कर नष्ट हो जाये। इस प्रकार खरीदने वाले का दीवालिया हो जायेगा। कुछ पेड़ अगर पहचान लगा कर मालिक अलग कर ले तो जाइज़ है, मगर पहचान लगाना शर्त है ताकि बाग़ ख़रीदने वाले और मालिक के दर्मियान इख़्तिलाफ़ न हो।

3405— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुज़ाबना, मुहाक़ला और बाग़ के कुछ पेड़ को अलग कर लेने से मना फ़रमाया है, मगर यह कि अलग किये हुये पेड़ों पर निशान लगा दिये जायें।

3406— अबू ज़ुबैर, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है "जो शख़्स मुख़ाबरा (खेती-किसानी) को न छोड़े तो उसे चाहिये कि अल्लाह और रसूल से जन्ग के लिये तय्यार हो जाये।

3407— ज़ैद बिन स़ाबित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है। (स़ाबित बिन हज्जाज ने पूछाकि) मुख़ाबरा से क्या मुराद है? उन्होंने

कहाः यह कितुम ज़मीन को आधी, तिहाई या चौथाई पर हासिल कर लो।

फ़ाइदा:— नाजाइज़ शर्त लगाई हो तो मना है, वर्ना कोई हरज नहीं, जैसा कि ऊपर के फ़ाइदों में बयान हुआ।

बाब {मुसाक़ात का बयान।}

3408:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर वालों से मामला तै फ़रमाया था कि जो फल या खेती आयेगी, उस में से आधा उन्हें मिलेगा।

3409:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की खजूरें और वहाँ की ज़मीनें ख़ैबर वालों को इस शर्त पर दे दी थीं कि वह उन में अपने ख़र्च पर मेहनत करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उन का आधा फल मिलेगा।

3410:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब ख़ैबर को फ़त्ह कर लिया और यह शर्त रखी कि मुसलमान उस की ज़मीन और उसके सोने-चाँदी इसलिये आप तो ख़ैबर वालों ने कहा कि हम आप की निस्बत ज़मीन के ज़्यादा माहिर हैं, इसलिये आप जमीन को हमें दे दें (ताकि हम खेती करें) और शर्त यह रही कि आधा हम आप को देंगे और आधा खुद लेंगे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस शर्त पर ज़मीन उन्हें दे दी। फिर जब फल तोड़ने का समय आया तो आप ने अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि॰ को भेजा तो खजूरों के फल का अनुमान लगा कर आये। और इस तरीक़ा को मदीना वाले "ख़र्स" (अनुमान लगाना) कहते हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा कि फ़लाँ बाग़ में इतना फल लगा है और फ़लाँ बाग़ में इतना, तो उन्होंने कहाः ऐ इब्ने रवाहा! आप ने अन्दाज़ा ज़्यादा लगा दिया है। उन्होंने कहाः मैंने उन फलों को जो अन्दाज़ा लगाया है उस का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं उस का आधा तुम्हें देता हूँ। यहूदियों ने कहाः यही वह हक़ है जिस से आसमान और ज़मीन क़ाइम हैं, जो आप ने कहा है हम उतना लेने पर राज़ी हैं।

3411:— जाफ़र बिन बुरक़ान ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है और "फ़-ह-र-ज़" का शब्द प्रयोग किया.....

3412:— मिक़सम ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर फ़त्ह कर लिया। और ज़ैद की (ऊपर की) हदीस की तरह बयान किया। उस के लफ़्ज़ थेः "फल की मात्रा का अनुमान लगाया" और कहाः (अगर तुम हमारे अनुमान लगाने पर मुतमइन नहीं हो तो) फल को में तोड़ूँगा और जितना मैंने कहा है उस का आधा तुम्हें दे दूँगा।

बाब {पेड़ों पर लगे फलों की मात्रा का अन्दाज़ा लगाना।}

3413:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब खजूर पकने के क़रीब होते तो उन के खाये जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ब्दुल्लाह बिन रबाहा को रवाना करते, वह जा कर उन के बाग़ के फलों की मात्रा का अनुमान लगाते। फिर वह यहूदियों को इख़्तियार देते कि

वह या तो अनुमान लगाये हुये मात्रा के मुताबिक़ अपना हिस्सा ले लें, या मुसलमानों को दे दें। और यह सब इसलिये होता कि फल खाये जाने से पहले उन की ज़कात (अुश्र) का हिसाब लगाया जा सके और तक़सीम किया जा सके।

3414:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब अल्लाह पाक ने ख़ैबर अपने रसूल को फ़ै के तौर पर (बिला लड़े भिड़े) दे दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों को उन की ज़मीनों पर वैसे ही रहने दिया जैसे कि वह पहले थे। और उन के और अपने दर्मियान ख़ास तैशुदा हिस्से तै कर लिये। चुनान्चे आप ने अ़ब्दुल्लह बिन रवाहा को भेजा जिन्होंने उन पर फलों का अन्दाज़ा लगाया।

फ़ाइदा— मालूम हुआ कि अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि॰ अन्दाज़ा लगाने के फ़न में माहिर थे।

3415:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि इब्ने रवाहा ने चालीस हज़ार वसक़ का अनुमान लगाया था। और फिर जब यहूदियों को इख़्तियार दिया तो उन्होंने फल ले लिया और उन के ज़िम्मे (मुसलमानों का) बीस हज़ार वसक़ आ गया।

फ़ाइदा:— बटाई की खेती जाइज़ है। इस में ज़मीन मालिक की और खेती-किसानी और बीज किसान का होता है। कुल पैदावार का आधा-आघा दोनों का होगा। अगर मालिक ने आधे से ज़्यादा का मुतालबा किया तो यही सूद है और इस प्रकार की बटाई हराम है। इसी प्रकार अगर ज़मीन के मालिक ने कहा कि नाली की पैदावार या जो ज़मीन उपजाऊ है उस की पैदावार मैं लूँगा, तो यह भी नाजाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार की नाजाइज़ शर्तें लगाने से मना फ़रमाया है और राफ़े बिन ख़दीज को इसी प्रकार की बटाई खेती देने और करने से मना फ़रमाया है। इस्लाम के आरंभ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जिस के पास ज़मीन ज़्यादा है वह बटाई पर न दे बल्कि अपने किसी भाई को तोहफ़ा और उपहार में देदे, ऐसा इसलिये कहा था कि ग़रीबों के पास भी ज़मीन हो जाये। वर्ना यह कोई अनिवार्य हुक्म न था। खुलासा यह कि बटाई पर ज़मीन देना और लेना दोनों जाइज़ है,मगर शर्त यह है कि पैदावार में बराबर-बराबर दोनों शरीक होंगे।

❀ ❀ ❀

(00) इजारा के अहकाम व मसाइल

बाब {तालीम देने वाले की कमाई का बयान।}

3416:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने सुफ़्फ़ा के लोगों में से कुछ को कुरआन पढ़ाया और लिखना सिखाया, तो उन में से एक शख़्स ने मुझे एक कमान उपहार में दिया। मैंने (दिल में) सोचाः यह तो कोई अहम माल भी नहीं है। मैं जिहाद में इस के ज़रीआ से तीर ही चला सकता हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर इस के बारे में पूछता हूँ। चुनान्चे मैं आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे एक आदमी ने एक कमान तोहफ़ा में दिया है जिसे मैंने लिखना सिखाया और कुरआन पढ़ाया है। और यह कोई अहम माल भी नहीं, मैं इस के ज़रीआस जिहाद में तीर ही चला सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम्हें यह पसन्द हो कि तुम्हें आग की तौक़ पहनाया जाये तो उसे कुबूल कर लो।

3417:— जनादा बिन अबू उमय्या रह॰ ने उबादा बिन सामित रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, लेकिन पहली हदीस ज़्यादा कामिल है। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस के बारे में आप की क्या राय है? आप ने फ़रमायाः यह अन्गारा है जिसे तू ने अपने कन्धों के दर्मियान डाल लिया है।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसों में कुरआन पाक पढ़ाने पर उजरत लेने की मिनाही आयी है। लेकिन एक दूसरी रिवायत में जिस में सहाबन ने दुआ कर के बकरियाँ उजरत में ली थीं, उसे जाइज़ क़रार दिया है। मालूम हुआ कि जो मालदार हो उसे कुरआन पर उजरत लेना दुरुस्त नहीं, लेकिन जिन की कोई आमदनी का ज़रीआ नहीं उन के लिये जाइज़ है। यह इस्लामी होकूमत की ज़िम्मेदारी है कि सरकारी तौर पर तन्ख़ाह दे और उलमा लोगों को तालीम दें और जनता से उजरत न माँगे।

बाब {तबीब (डाक्टर) की कमाई का बयान।}

3418:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमाअ़त सफ़र में गयी। उन्होंने एक अ़रब क़बीला के यहाँ पड़ाव किया और उन से खाना माँगा, मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि उस क़बीला के सर्दार को (बिच्छू) ने डंक मार दिया। उन्होंने उस का हर तरह से उपचार किया मगर उसे कोई फ़ाइदा न हुआ, तो उन में से किसी ने कहाः अगर तुम लोगों के पास जाओ जो तुम्हारे पास पड़ाव डाले हुये हैं, हो सकता है कि उन में किसी के पास कोई चीज़ हो जो तुम्हारे आदमी केलिये फ़ाइदा मन्द हो (तो क़बीला के कुछ लोग आये) और कहाः हमारे सर्दार को बिच्छू ने डन्क मार दिया है और हम ने उस का हर प्रकार से उपचार किया है मगर उस को कोई लाभ न हुआ। तो क्या तुम में किसी के पास कोई चीज़ है जो हमारे आदमी के लिये लाभदायक हो? उन का मक़सद दम था। सहाबा में से एक आदमी ने कहाः हाँ, मैं दम करता हूँ, लेकिन हम ने मेहमान होने के नाते तुम से खाना माँगा था लेकिन तुम ने इन्कार कर दिया। तो मैं उस समय तक दम नहीं करुँगा जब तक तुम मुझे उस का बदला न दो। चुनान्चे उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देना तै किया। फिर वह सहाबी उस के पास गये और उस पर सूरः फ़ातिहा पढ़ी। वह उस दौरान उस पर (हल्का-हल्का) थूक भी फूँकते जाते थे यहाँ तक कि वह चन्गा हो गया, गोया कि किसी बन्धन से खुल गया हो। उन्होंने जो उजरत (बदला) तै किया था उसे दे दिया (यानी बकरियाँ दे दीं) साथियों ने कहा कि उन्हें आपस में बाँट लें, तो जिस ने दम किया था उस ने कहाः ऐसे मत करो, पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर आप से मश्वरा कर लें। चुनान्चे वह सुब्ह को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचे और आप के सामने घटना को बयान किया तो आप ने फ़रमायाः तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरः फ़ातिहा दम भी है? तुम ने बहुत अच्छा किया। मेरा भी उन बकरियों में हिस्सा रखो।

3419:— माबद बिन सीरीन ने अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस रिवायत की।

3420:— ख़ारिजा बिन सल्त ने अपने चचा से रिवायत किया कि वह एक क़ौम के पास से गुज़रे तो वह लोग उन के पास आये और कहाः तुम उस शख़्स के पास से ख़ैर लेकर आये हो (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से कुरआन लेकर आयेहो) इसलिये हमारे इस व्यक्ति पर दम कर दो। फिर वह उन के पास एक पागल को लाये जो ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने उस पर तीन दिन तक सुब्ह शाम सूरः फ़ातिहा का दम किया। जब वह भी सूरः फ़ातिहा ख़त्म करते तो मुँह में अपना थूक जमा करते और उस पर फूँक देते। फिर वह ऐसे हो गया जैसे कि बन्धन से ख़ोल दिया गया हो। फिर इस के बदले में उन लोगों ने उन को कुछ दिया तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और सब बयान किया, तो आप ने फ़रमायाः खा लो, मेरी उमर की क़सम! लोग बातिल झाड-फूँक से खाते हैं और तुम ने जाइज़ दम कर के (उस की उजरत को) खाया है।

फ़ाइदा:— फ़ातिहा और दूसरी आयतों से दम करना जाइज़ है। इस के बदले मिलने वाली उजरत

भी हलाल है, मगर बुर्जुगों से कुरआनी दुआ (रुहानी इलाज) को रोज़ी रोटी का पेशा बना लेना साबित नहीं है।

बाब {पोछना लगाने वाले की कमाई का बयान।}

3421:— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पोछना लगाने वाले की कमाई नापसन्दीदा है, कुत्ते की क़ीमत ख़बीस (नापाक) है, बदकार महिला की ख़र्ची ख़बीस है।

फ़ाइदा:— एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोछना लगाने वाले को एक साआ खजूर देने का हुक्म दिया। आप ने पहले मना फ़रमाया था, बाद में इजाज़त दे दी। कुत्ता हराम है, इसलिये उस की क़ीमत भी हराम है। हाँ, शिकारी कुत्ता की क़ीमत जाइज़ है। ज़िना से हासिल होने वाली आमदनी के हराम होने में क्या शुब्हा है।

3422:— इब्ने मुहय्यिसा अपने पिता (यानी दादा) से रिवायत करते हैं कि मुहय्यिसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोछना लगाने की उजरत के बारे में पूछा तो आप ने उन्हें मना फ़रमा दिया। वह फिर भी आप से सवाल करते और इजाज़त चाहते रहे यहाँ तक कि आप ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे अपनी ऊँटनी और अपने गुलाम को खिला दे।

3423:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोछना लगवाया और हज्जाम को उसकी उजरत दी। अगर यह काम या उजरत नापाक (हराम) होती तो उसे न देते।

3424:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि अबू तैबा (नाफ़े रज़ि॰) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोछना लगाया तो आप ने उन्हें एक साआ खजूर देने का हुक्म दिया और उन के मालिकों से सिफ़ारिश की कि उन पर लागू टेक्स में कमी कर दें।

बाब {लौंडियों से बुरा पेश करा के माल हासिल करना।}

3425:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों की कमाई से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— वह लौंडी जो नाजाइज़ पेशा करती हो, या गाती-बजाती हो उस की कमाई..........

3426:— तारिक़ बिन अब्दुर्रहमान क़रशी ने बयान किया कि राफ़े बिन रिफ़ाआ रज़ि॰ अन्सार की एक मज्लिय में आये और कहा कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फ़रमाया है और कई चीज़ों का ज़िक्र किया। उन में से एक चीज़ यह भी था कि आप ने हमें लौंडी की कमाई से मना फ़रमाया है, उस कमाई को छोड़ कर जो उस के हाथ की हो, और अपनी उंगलियों से इशारा करते हुये कहा कि जैसे रोटी पकाए, ऊन काते, या रुई धुनके।

फ़ाइदा:— यानी लौंडी की हाथ की कमाई जैसे किसी के घर खाना पका कर मज़दूरी कमाए, या सूत कात कर कमाई करे, यह हलाल है। मगर ज़िना की कमाई हराम है।

3427:— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लौंडी की कमाई से मना फ़रमाया है मगर यह कि जाना जाये कि कहाँ से कमाया है।

फ़ाइदा:— मालिक की ज़िम्मेदारी है कि उस को पता हो कि उस के घर के लोग कहाँ से कमाई कर के लाते हैं ताकि हलाल-हराम से बचा जा सके।

बाब {काहिन का "नज़राना" (हराम है)}

3428:— अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्ते की क़ीमत, बदकार महिला की कमाई, और काहिन के नज़राना से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— काहिन उन्हें कहा जाता है जो भविष्य की बातें और भाग्य के बारे में बताते हैं। इन के पास जाना हराम है। जो उन की बातों को सच माने तो चालीस दिन तक उन की नमाज़ क़ुबूल नहीं होती (मुस्लिम-2230) उन्हें कुछ देना हराम, उन की कमाई हराम, और उन का उपहार और नज़राना भी हराम।

बाब {जानवर को जोड़ा खिलाने की उजरत लेना।}

3429:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जानवर को जोड़ा खिलाने की मज़दूरी लेने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— अगर कोई नर जानवर को जोड़ा खाने के बदले में कुछ खिलायें तो बेशक यह जाइज़ है, लेकिन मालिक उस की क़ीमत खाए और पेशा बना ले तो यह बड़ा घिनावना और मक्रूह अ़मल है।

बाब {सुनारों की कमाई का बयान।}

3430:— अबू माजिदा कहते हैं के मैंने एक लड़के का कान काट लिया, या मेरे कान को काट लिया गया। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ हज्ज करते हुये हमारे यहाँ आये तो हम उन के पास जमा हो गये तो उन्होंने मुझे उमर के पास भेजा तो उमर रज़ि॰ ने कहाः इस में क़िसास है। हज्जाम को बुलाओ जो इस से क़िसास ले। जब हज्जाम को बुलाया गया तो उमर रज़ि॰ ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि : "मैं ने अपनी ख़ाला को एक गुलाम दिया है उम्मीद है कि वह उस के लिये बर्कत वाला साबित होगा। और मैंने उस से कहा है कि उसे किसी हज्जाम, सुनार, या क़साई के हवाले न करना।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुल आला ने इब्ने इस्हाक़ से रिवायत में कहा कि "इब्ने माजिदा, क़बीला बनी सहम के थे, और उन्होंने उमर रज़ि॰ से रिवायत किया है।

3431:— अबू माजिदा (इब्ने माजिदा) सहमी ने उमर बिन ख़त्ताब के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— ऊपर की तीनों हदीसें ज़ओफ़ हैं। सुनार की कमाई हलाल है, हराम होने की कोई

दलील नहीं। और सुनारी के पेशे में भी कोई ऐब नहीं।

बाब {मालदार गुलाम जो बेचा जा रहा है।}

3433:— सालिम रह॰ अपने पिता (अ़ब्दुल्लह बिन उमर) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई गुलाम बेचा और उस के पास माल भी हो तो यह माल उस बेचने वाले का होगा, मगर यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले (कि माल भी मेरा होगा) और जिस ने खजूर में गाभा लगाने के बाद बेचा तो उस का फल बेचने वाले के लिये होगा, मगर यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले (कि पेड़ के साथ फल भी मेरा होगा)

फ़ाइदा:— अगर ख़रीदने वाला पहले से तै कर ले कि गुलाम का माल और पेड़ का फल मेरा होगा तो ठीक, वर्ना बेचने वाले का होगा।

3434:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से गुलाम का क़िस्सा और इब्ने उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से खजूर का मस्अला बयान किया।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि इमाम ज़हरी और इमाम नाफ़े ने चार हदीसों में इख़्तिलाफ़ किया है, उन में से एक यह है।

3435:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने गुलाम बेचा और गुलाम के पास माल हो तो उस का माल बेचने वाले को मिलेगा, मगर यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले (कि मेरा होगा)

बाब {मन्डी में माल लाने वालों से रास्ता ही में सौदा कर लेना।}

3436:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई शख़्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा न करे और न सामान लाने वालों से राह में मिले जब तक कि मन्डी में माल उतार न दिया जाये।

3437:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किय ाकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मन्डी में सामान लाने वालों से रास्ता ही में मिल लिया जाये (और सामान ख़रीद लिया जाये) अगर कोई ख़रीदार उस से मिला हो और सामान ख़रीदा हो तो माल वाले को बाज़ार में आने के बाद इख़्तियार है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम सुफ़यान ने कहाः कोई शख़्स किसी के सौदे पर सौदा न करे, यानी यूँ कहे, कि मेरे पास उस से दस गुना बेहतर है। (ऐसा कहना जाइज़ नहीं)

फ़ाइदा:— मन्डी में आने से पहले राह में ख़रदने से दो नुक़्सान है (1) माल मालिक को पता नहीं कि मन्डी में इस माल का क्या रेट है और औने-पौने उस से ख़रीद कर ख़रीदार मन मानी बेचेगा। इस प्रकार का सौदा माल मालिक के साथ धोखा है।

बाब {धोखा देने के लिये क़ीमत बढ़ा-चढ़ा कर लगाना।}

3438:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सौदे पर धोखा देने के लिये एक –दूसरे से बढ़ कर क़ीमत न लगाओ।

फ़ाइदा:— 'नजश' का अर्थ है दलालीकरना। एक आदमी ज़ाहिर में ख़रीदार बन कर भाव बढ़ा देता है। सामने वाला समझता है कि यह तो अभी ख़रीद लेगा, इसलिये जितना उस नें दाम लगाया है उतना देकर ख़रीद लेता है। कभी तो दूकानददार लोग ऐसे दलालों को कमीशन पर रखते हैं जो बाज़ार में घूम कर भाव बढ़ाते हैं। सह धोखा है और हराम है। हाँ, नीलामी में ख़रीदार एक दूसरे से बढ़ कर बोली बोंलें, तो यह जाइज़ है।

बाब {शहरी को दीहाती का माल बेचना मना है।}

3439:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई शहर वाला आदमी किसी दीहाती के लिये ख़रीदने और बेचने का काम करे। (इमाम ताऊस कहते हैं) मैंने मालूम किया कि इस का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि कोई शहरी किसी दीहाती के लिये दलाल न बने।

3440:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शहरी किसी दीहाती के लिये ख़रीद-फ़रोख़्त न करे, अर्गचे वह उस का भाई या बाप ही क्यों न हो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने हफ़स बिन उमर से सुना, उन्होंने कहाः हमें अबू हलाल ने बयान किया, उन्होंने कहाः हम से मुहम्मद बिन सीरिन अनस रज़ि॰ के वास्ते से बयान करते थे कि "ला यबीउ हाज़िरुन् लिबादिन्" का कलिमा बड़ा ठोस अर्थ रखता है। यानी शहरी, दीहाती के लिये कोई चीज़ बेचे और न खरीदे।

फ़ाइदा:— शहरी, दीहाती ताजिर की दलाली न करे। इस का अर्थ यह है कि शहरी आदमी जानता है कि किस क्षेत्र में कौन सा सामान महँगा बिकेगा, और किस क्षेत्र में किस सामान की खपत है। जब दीहाती माल को शहरी आदमी के हवाले कर देगा तो वह शहरी लोगों से जम कर कमाई करेगा। अगर शहरी दलाली न करे तो दीहाती ला कर माल सस्ते दाम बेच देगा और सब को सस्ता माल सामान बिकेगा।

3441:— सालिम मक्की से रिवायत है कि एक दीहाती ने उन से बयान किया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी एक ऊँटनी दूध वाली लाया और तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि॰ के यहाँ ठहरा (और चाहा कि तल्हा उसे बेच दें) तो तल्हा ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमाया है कि कोई शहरी किसी दीहाती के लिये फ़रोख़्त करे। लेकिन तुम खुद बाज़ार जाओ और देखो कि कौन तुम से ख़रीदना चाहता है, फिर मुझ से मश्वरा कर लेना और मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम ने उस से सौदा करना है या नहीं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है।

3442:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

कोई शहरी किसी दीहाती के लिये ख़रीद-फ़रोख़्त -लेन-देन न करे। लोगों को छोड़ दो, अल्लाह पाक बाज़ को बाज़ से रोज़ी देता है।

बाब **{अगर किसी ने दूध रोका हुआ जानवर ख़रीद लिया हो और फिर वह जानवर उसे पसन्द न आये तो.......।}**

3443:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (मन्ड़ी में पहुँचने से पहले) ख़रीदारी के लिये क़ाफ़िलों से मत मिलो। और कोई शख़्स किसी दूसरे के सौदा पर सौदा न करे। और ऊँटनी या बकरी का दूध मत रोको। जिस ने दूध रोके हुये जानवर को ख़रीद लिया हो तो दूध दूह लेने के बाद उसे दो बातों का इख़्तियार है। (1) अगर जानवर पसन्द है तो उसे रख ले (2) अगर पसन्द न आये तो उसे लौटा दे और एक साअ़ा खजूर भी दे।

फ़ाइदाः— ख़रीदने वाले को इजाज़त है कि ऐसे जानवर को तीन दिन तक अपने घर रख कर दूध को दूह कर आज़माये। अगर नापसन्द हो तो लौटा दे और जो दूध घर पर दूहा और इस्तेमाल किया है उस के बदले एक साअ़ा (ढाई किलो) खजूर दे दे। जब जानवर नहीं लिया तो दूध पर भी हक़ नहीं रहा। (देखें बुख़ारी-2150, मुस्लिम-1515)

3444:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिस का दूध रोका गया था उसे तीन दिन तक इख़्तियार है। अगर वह चाहे तो वापस कर दे और एक साअ़ा खाना भी साथ में लौटा दे, लेकिन समरा (अच्छा गेहूँ) न हो।

3445:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिस का दूध रोका गया था, फिर उसे दूहा तो अगर पसन्द हो तो रख ले, वर्ना (वापस कर दे, और) उस के दूध के बदले एक साअ़ा खजूर (मालिक को देना) है।

3446:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिस का दूध रोका गया था तो उसे तीन दिन तक इख़्तियार है। अगर उसे वापस कर दे तो उस के दूध के बराबर, या उस से दोगुना गेहूँ भी वापस करे।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। सहीह मस्अला ऊपर की हदीस में बयान हुआ। दूध के बराबर या दोगुना सहीह नहीं है।

बाब **{गल्ला, अनाज रोक कर जमा करना मना है।}**

3447:— मामर बिन अबू मामर रज़ि॰ से रिवायत है, और यह क़बीला बनी अ़दी बिन कअ़ब के आदमी हैं, यह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई नाफ़रमान और गुनाह गार आदमी ही माल जमा कर सकता है (मुहम्मद बिन अ़म्र ने) कहाः मैंने सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से कहा कि आप भी तो ज़ख़ीरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मामर रज़ि॰ भी माल जमा

किया करते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद से पूछा कि "हुक्रा" क्या है? उन्होंने कहा कि वह चीज़ें जिन पर लोंगों का गुज़र-बसर हो (उन को जमा करना मना है) इमाम अबू दावूद ने कहाः इमाम औज़ाअी रह॰ कहते हैं कि माल जमा करने वाला वह होता है जो बाज़ार आता-जाता रहे (बाज़ार पर नज़र रखे और अहम चीज़ें ख़रीद कर रोक ले।)

फ़ाइदा:— माल ख़रीद-ख़रीद कर जमा करना और बेचने से रोकना, ताकि बाज़ार में उस की कमी हो जाये और फिर मनमानी दाम से बेचे और नफ़ा कमाए, इस का नाम (ज़ख़ीरा अन्दोज़ी) है। अगर बाज़ार में वह चीज़ खूब मौजूद है और कमी नहीं है, अगर उस सामान को जमा किया जाये तो यह जाइज़ है। क़हत साली और माल की कमी के समय रोकना और स्टोर किये रहना यह मुतलक़ (सरासर) हराम है।

3448:— इमाम क़तादा रह॰ ने कहा कि खजूर में ज़ख़ीरा अन्दोज़ी (माल रोक कर रखना) जाइज़ नहीं है।

इब्ने मुसन्ना ने हसन बसारी से भी यही बात बयान की तो हम ने उन से कहाः हसन केबारे में यह न कहें (यानी इस बात की निस्बत उन की तरफ़ न करें) इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत हमारे नज़दीक बातिल है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सअीद बिन मुसय्यिब रह॰ गुठलीदार फल (जैसे खजूर, आम, किशमिश) पत्ते (जानवरों का चारा) और बीज (जो बोने के लाइक़ हो) इन का ज़खीरा रखते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहाः मैंने अहमद बिन यूनुस से सुना, उन्होंने कहाः मैंने सुफ़यान से बरसीम हिजाज़ी (जानवरों के चारे) को रोकने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः सहाबा ज़ख़ीरा अन्दोज़ी को मकरुह समझते थे। मैंने अबू बक्र बिन अयाश से यह मस्अला पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़खीरा कर सकते हो।

फ़ाइदा:— इमाम अबू दावूद रह॰ ने अहादीस और सहाबा व ताबअीन के क़ौल को नक़ल कर के यह स्पष्ट किया है कि उन्हीं चीजों को रोके रखना मना है। जिन का संबन्ध इन्सानों या जानवरों की बुनियादी (बेसिक) खान-पान से है।

बाब {दिहमों को तोड़ना मना है।}

3449:— अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में राइज (प्रचलित) सिक्कों को तोड़ने से मना फ़रमाया है, मगर यह कि कोई अहम ज़रुरत हो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अीफ़ है। जो सिक्के मुल्क में होकूमत के चल रहे हैं उन्हें गला कर उन से कुछ और बनाना जाइज नहीं। इस प्रकार सिक्कों की बाज़ार में कमी हो जायेगी और लेन-देन में बड़ी कठिनाई होगी।

बाब {भाव तै करना।}

3450:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक शख़्स आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! भाव मुक़र्रर फ़रमा दीजिये। आप ने फ़रमायाः (नहीं) बल्कि मैं दुआ करुँगा (कि अल्लाह पाक सस्ताई लादे) फिर एक और आदमी आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! भाव मुक़र्रर फ़रमा दीजिये। आप ने फ़रमायाः (नहीं)बल्कि अल्लाह ही घटाता-बढ़ाता है, और मुझे यक़ीन है कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँगा कि किसी को मुझ पर जुल्म का दावा न होगा।

3451:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! भाव बहुत बढ़ गया है इसलिये आप भाव मुक़र्रर फ़रमा दीजिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ही भाव मुक़र्रर करने वाला है, वही तन्गी करने वाला, कुशादगी देने वाला, रोज़ी देने वाला है। और मुझे यक़ीन है कि मैं अल्लाह पाक से इस हाल में मिलूँगा कि तुम में से कोई भी मुझ पर किसी ख़ून या माल के मामले में कोई मुतालबा न रखता हो।

फ़ाइदा:— भाव मुकर्रर कर देने से बेचने या ख़रीदने वाले में किसी न किसी का हक़ ज़रुर मारा जाता है इसलिये आप ने इसे यूँ ही छोड़ दिया।

बाब {धोखा देना और मिलावट करना हराम है।}

3452:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुज़रे जो ग़ल्ला बेच रहा था। आप ने उस से पूछाः कैसे बेच रहे हो? उस ने बता दिया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर वह्यि की गयी कि अपना हाथ उस ग़ल्ले में डालिये। आप ने अपना हाथ उस में डाला तो उसे गीला पाया, तो फ़रमायाः जो धोखा देता है वह हम में से नहीं।

3453:— यहया बयान करते हैं कि सुफ़यान नापसन्द करते थे कि "लै-स मिन्ना" की तफ़सीर" "लै-स मिस्-लना" से की जाये।

फ़ाइदा:— "लै-स-मिन्न" के माना "हम में से नहीं" और "लै-स मिसलना" के माना "हमारे जैसा नहीं" इमाम सुफ़यान यह कहना चाहते हैं कि ग़लत काम से डराने और रोकने के लिये सख़्त अल्फ़ाज़ दुरुस्त हैं। "मिन्ना" को "मिसलना" से नहीं बदलना चाहिये।

बाब {तिजारत में लेन-देन करने वालों के लिये इख़्तियार का बयान।}

3454:— अ़दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़रीदने और बेचने वालों में दोनों को इख़्तियार होता है (कि वह अपने सौदे को मन्सूख़ कर दें) जब तक कि जुदा न हो जायें, सिवाए इस के कि सौदा ही इख़्तियार का हो (यानी जुदा होने के बाद की जितनी ज़्यादा या कम मुद्दत वह आपस में तै कर लें, इख़्तियार (क़ाइम रहेगा)

3455:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है और फ़रमाया है: "या कोई दूसरे को यूँ कह दे कि (अभी) पसन्द कर लो।

फ़ाइदा:— दूकानदार ने सौदा देते हुये ख़रीदार से कहा कि "अभी देख लो और पसन्द कर लो" और उस ने पसन्द कर लिया तो सौदा पक्का माना जायेगा और मन्सूख़ करने का हक़ समाप्त हो जायेगा। यहाँ मज्लिस का लिहाज़ नहीं किया जायेगा।

3456:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेचने वाले और ख़रीदने वाले के दर्मियान जुदा होने से पहले तक इख़्तियार बाक़ी रहता है मगर यह कि सौदे में इख़्तियार तै कर लिया गया हो। और किसी के लिये भी हलाल नहीं कि सौदा वापस कर लिये जाने के डर की वजह से जानबूझ कर अपने साथी को छोड़ कर चला जाये।

3457:— अबू वज़ी से रिवायत है कि हम लोग एक लड़ाई में शरीक हुये तो एक स्थान पर पड़ाव डाला। हमारे एक साथी ने दूसरे को गुलाम के बदले में अपना घोड़ा बेच दिया। फिर वह दोनों बाक़ी दिन और रात इकट्ठे ही रहे। जब अगला दिन हुआ और कूच का समय आ गया तो घोड़े का ख़रीदार अपने घोड़े के पास गया और ज़ीन रख कर उसे तय्यार करने लगा, तो बेचने वाले को अपने सौदे पर निदामत हुयी और उस के पास आया और सौदा मन्सूख़ करने की बात करने लगा। लेकिन घोड़ा ख़रीदने वाले ने वापस करने से इन्कार कर दिया, तो उस ने कहा: मेरे और तुम्हारे दर्मियान (हकम) अबू बरज़ा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी हैं। चुनान्चे वह दोनों लश्कर की एक तरफ़ अबू बरज़ा के पास आये और क़िस्सा बयान किया। उन्होंने कहा: क्या तुम राज़ी हो कि मैं तुम्हारे दर्मियान वह फ़ैसला कर दूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़ैसला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: दो सौदा करने वाले जब तक अलग-अलग न हो जायें (सौदा मन्सूख़ करने का) उन्हें इख़्तियार रहता है।

हिशाम बिन हस्सान ने कहा कि जमील (बिन मुर्रा) ने बयान किया कि अबू बरज़ा रज़ि॰ ने कहा: मैं नहीं समझता कि तुम जुदा-जुदा हुये हो।

फ़ाइदा:— अबू बरज़ा ने दोनों को एक जगह रहने की वजह से एक ही मज्लिस माना, अगर्चे दिन-रात को मिला कर लंबा समय बीत गया।

3458:— यहया बिन अय्यूब बयान करते हैं कि अबू ज़ुरआ़ जब किसी से कोई लेन-देन करते तो उस को इख़्तियार देते, फिर उस से कहते कि मुझे इख़्तियार कर लेने की मोहलत दो। और बयान करते कि मैंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है (लेन-देन करने वाले) दोनों आदमी रज़ामन्दी के बग़ैर हर्गिज़ जुदा न हों।

3459:— हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ख़रीदने और बेचने वाले दोनों लोगों को जुदा होने से पहले तक इख़्तियार हासिल रहता है। अगर वह सच बोलें और हक़ीक़त खोल कर बयान करें तो उन के कारोबार में बर्कत होती है।

और अगर वह हक़ीक़त को छुपायें और झूठ बोलें तो उन के सौदे से बर्कत उठा ली जाती है।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि सअ़ीद बिन अबी अ़रुबा और हम्माद ने (क़तादा से) एसे ही रिवायत किया है। लेकिन हम्माम ने (क़तादा से) रिवायत करते हुये कहाः यहां तक कि दोनों जुदा-जुदा हो जावें, या इख़्तियार करने की शर्त कर लें" यह बात तीन मतबा कही।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जुदा होने तक दोनों को सौदा बेचने और ख़रीदने का इख़्तियार बाक़ी रहता है। जुदाई से मुराद बात-चीत न करना नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पर जुदाई मुराद है। ताहम अगर दो एक दिन की मोहलत माँगी हैं तो यह शक्ल भी जाइज़ है और उतने दिन के अन्दर लेने या न लेने का इख़्तियार बाक़ी रहता है।

बाब {सौदा वापस कर लेने की फ़ज़ीलत।}

3460:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी मुसलमान का सौदा वापस कर लिया, अल्लाह पाक उस की ख़ता को माफ़ कर देगा।

फ़ाइदा:— वसूली तौर पर सौदा बेच दिया गया और फ़रीक़ ने ख़रीद लिया। अब कोई भी न वापस लेने का पाबन्द है और न वापस करने का। लेकिन फिर भी अख़्लाक़ का तक़ाज़ा है कि बाद में भी अगर कोई फ़रीक़ गुज़ारिश करता है कि माल ले लो, या माल वापस कर दो तो अफ़ज़ल है कि वापस ले ले, इस में अल्लाह पाक बर्कत देगा।

बाब {एक सौदा में दो सौदा करना।}

3461:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने एक सौदे में दो सौदे किये तो उस के लिये उन में से या तो कम क़ीमत है, या सूद है।

फ़ाइदा:— एक सौदा में दो सौदा की मिसाल यह है। एक आदमी कहे कि मैं अपनी यह चीज़ तुम्हें 100 रुपये में देता हूँ मगर शर्त यह है कि तुम अपनी चीज़ को 50 रुपये में दे दो। यह ग़लत है क्योंकि अपनी मँहगी बेचता है और उस की सस्ते दाम लेता है। दूसरी शक्ल यह है कि यूँ कहे कि इस चीज़ को नक़द 100 रुपये में और उधार 150 रुपये में दे दो। इस का नाम भी "एक सौदा में दो सौदा है।"

बाब {"अ़ीना" की ख़रीद-फ़रोख़्त नाजाइज़ है।}

3462:— इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब तुम "अ़ीना" का लेन-देन करने लगोगे, बेलौं की दुमें पकड़ लोगे, खेती-बाड़ी ही पर मुतमइन हो जाओगे और जिहाद को छोड़ बैठोगे जो अल्लाह तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा जो किसी तरह समाप्त न होगी यहाँ तक कि तुम अपने दीन की तरफ़ लौट आओ।

इमाम अबू दावूद ने कहाः यह हदीस जाफ़र (बिन मुसाफ़िर) की है और लफ़्ज़ भी उन्हीं के हैं।

फ़ाइदा:— "अ़ीना" की सूरत यह है कि कोई शख़्स किसी को उधार क़ीमत पर माल हवाले कर दे, मगर क़ीमत वसूल करने से पहले ही उस से वही माल दोबारा ख़रीद ले और अपनी क़ीमत फ़रोख़्त से कम में ख़रीद ले और फिर ज़्यादा क़ीमत वसूल कर ले। खेती-बाड़ी में लगे रहोगे, नमाज़ रोज़े से दूर रहोगे, और किसी नेक काम के क़रीब न जाओगे, खेती ही से फ़ुर्सत न मिलेगी तो ऐसी खेती बिला शुब्हा दुरुस्त नहीं। हाँ, तो खेती भी करते हैं, नमाज़ रोज़ा करते हैं, नेक काम करते हैं, जिहाद करते हैं और नेकी के काम में खेती रुकावट नहीं बनती है, ऐसी खेती दुरुस्त है, जाइज़ है।

बाब {"सलम" और "सलफ़" का बयान।}

3463:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाये तो आप ने उन्हें पाया कि वह खजूरों में एक-एक, दो-दो और तीन-तीन साल के लिये सलफ़ का कारोबार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई खजूरों में सलफ़ का कारोबार करे तो उसे चाहिये कि उस का नाप मालूम हो, वज़न मालूम हो, और मुद्दत भी मालूम हो।

फ़ाइदा:— क़ीमत पहले अदा कर दीजिये और उस के बदले माल, जिस का वज़न, नाप वग़ैरह पूरी तरह मालूम हों, मुक़र्ररा मुद्दत तक देता हो और देने की ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर हो, इस का नाम "सलफ़" और "सलम" है। इस प्रकार का कारोबार लोग बहुत पहले से करते रहे हैं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पसन्द किया, लेकिन यह पाबन्दी लगा दी कि माल की क्वालिटी, भरती, वज़न और मुद्दत मालूम हो और तै हो। इस के बिना सलम जाइज़ नहीं।

3463:— मुहम्मद बिन मुजालिद (या अ़ब्दुल्लाह बिन मुजालिद) ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ि॰ और अबू बुर्दा रज़ि॰ का "सलफ़" के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया तो उन्होंने मुझे इब्ने अबी औफ़ा रज़ि॰ के पास भेजा, चुनान्चे मैंने उस से सवाल किया तो उन्होंने कहाः बिला शुब्हा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में और अबू बक्र रज़ि॰ और उमर रज़ि॰ के भी ख़िलाफ़त के ज़माना में गेहूँ, जौ, खजूर और किशमिश का कारोबार सल्फ़ के तर्ज पर किया करते थे। इब्नपे कसीर ने इतना और भी कहा कि हम उन लोगों से ख़रीद-फ़रोख़्त करते थे जिन के पास यह माल नहीं होता था (हफ़स बिन उमर और इब्ने कसीर) दोनों ने बिला किसी इख़्तिलाफ़ के कहाः कि फिर मैंने (यानी मुहम्मद बिन मुजालिद या अ़ब्दुल्लाह बिन मुजालिद ने) अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा से पूछा तो उन्होंने इसी प्रकार कहा।

फ़ाइदा:— सलफ़ का कारोबार करने वाले के बारे में यह भरोसा होना चाहिये कि यह सच्चा और ईमानदार आदमी है और यह ज़रुरी नहीं कि वह फ़ौरी तौर पर उन चीज़ों का मालिक भी हो, मौसल और समय पर उन चीज़ों का मिलना ज़रुरी होना चाहिये।

3465:— यहया और (अ़ब्दुर्रहमान) बिन महदी दोनों ने शोबा के वास्ते से अ़ब्दुल्लाह बिन अबू मुजालिद कहा और यह हदीस बयान की और कहाः हम ऐसे लोगों से मामला करते थे कि यह

चीज़ें उन के पास न होती थीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "इब्ने अबी मुजालिद' ही सहीह है और इस में इमाम शोबा से ख़ता हुयी है।

3466:— अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा अस्लमी रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ शाम की तरफ़ जिहाद का सफ़र किया। तो वहाँ के नबती लोग हमारे पास आते और फिर हम उन से सलफ़ की शक्ल में गेहूँ और तेल का सौदा मालूम क़ीमत और मालूम मुद्दत के साथ किया करते थे। उन से कहा गयाः क्या उन लोगों से ख़रीदते थे जिन के पाास यह चीज़ें होती थीं? उन्होंने कहाः हम उन से यह नहीं पूछा करते थे।

बाब {मख़्सूस पेड़ या बाग़ की सलम की शक्ल में ख़रीद–फ़रोख़्त जाइज़ नहीं।}

3467:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने दूसरे से एक खजूर के फल की सलम (सलफ़) की शक्ल में ख़रीद-फ़रोख़्त कर ली, लेकिन उस साल उस पर कोई फल ही न आया तो वह अपना झगड़ा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। आप ने (खजूर वाले से) फ़रमायाः तुम क्यों कर उस का माल हलाल समझते हो? उस का माल उसे वापस कर दो। फिर फ़रमायाः खूजर (या बाग़) की सलफ़ की शक्ल में मोल–भाव न करो यहाँ तक कि फल प्रयोग के योग्य हो जाये (यहाँ ख़ास पेड़ या ख़ास बाग़ मुराद है)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। लेकिन मस्अला यही है कि ताजिर (व्यापारी) अगर मतलूबा माल देने से मजबूर हो जाये तो सिर्फ़ वसूल की हुयी क़ीमत वापस की जायेगी। ख़ास पेड़ या बाग़ की सलम की शक्ल में ख़रीद-फ़रोख़्त इसलिये रोक दिया कि उस में नुक़सान का पहलू मौजूद है। पता नहीं उस पर फल आयेगा या नहीं। कम आयेगा या ज़्यादा? इसलिये उमूमी मामला होना चाहिये न कि ख़ास।

बाब {सलफ़ के सौदा मैं बेची हुयी चीज़ को बदला न जाये।}

3468:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी चीज़ में सलफ़ का सौदा किया तो उसे दूसरी चीज़ से न बदले।

फ़ाइदा:— ऐसी सूरत में माल बेचने वाला तै समय पर माल ला कर देने में माजूर है तो हासिल की हुयी रक़म वापस कर दे, या मुनासिब अन्दाज़ में सुलह कर लें।

बाब {अगर खेत या बाग़ में आफ़त आ जाये तो ख़रीदार के नुक़्सान की तलाफ़ी (भरपाई) की जाये।}

3469:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख़्स ने फल ख़रीदे (पेड़ पर लगे हुये) लेकिन वह आफ़त का शिकार हो गये, तो ख़रीदने वाले पर बहुत बड़ा क़र्ज़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे सदक़ा दो। लोगों ने उस को सदक़ा दिया लेकिन फिर भी उस से क़र्ज़ पूरा अदा न हो सका तो

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़र्ज़ देने वालों से फ़रमायाः जो पा रहे हो उतना ले लो, तुम्हारे लिये बस इतना ही है।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि किसी के दीवालिया हो जाने की सूरंत में क़र्ज़ चाहने वाले अपने क़र्ज़ की निस्बत से हाज़िर और मौजूद में से हिस्सा ले सकेंगे, बाक़ी का वह मुतालबा नहीं कर सकते। यह भी मालूम हुआ कि बाग़ या खेत का सौदा जब शरीअ़त के मुताबिक़ हो और उस में घाटा लग जाये तो उस घाटे को पूरा करना मुस्तहब है न कि वाजिब।

3470:– **जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम अपने भाई को खजूर बेचो और फिर बाद में उस में बीमारी लग जाये तो उस से कुछ लेना तुम्हारे लिये हलाल नहीं। हक़ के बग़ैर अपने भाई का माल लेना तुम्हारे लिये क्योंकर जाइज़ हो सकता है।**

फ़ाइदा:– ....

बाब {"आफ़त" से क्या मुराद है।}

3471:– इमाम अ़ता रह॰ ने बयान किया किआफ़त से मुराद वह ज़ाहिरी कारण जैसे वर्षा, पाला, ओला, टिड्डी दल, आँधी, तूफ़ान, आग लगना आदि (जो ख़ेत और फ़स्ल को बर्बाद कर दें)

फ़ाइदा:– आफ़त तीन प्रकार की हो सकती है (1) वह बीमारी जो फलों में ऐसे समय लग जाती हैं जब कि फल अभी किसी काम के नहीं होते, इस मंहले में फल बेचना मना है। (2) फल पकने के निकट हो, जब खूजर का रन्ग बदल जाये, ऐसे महंले में बीमारी लगती है तो उन फलों का बेचना जाइज़ है। क्योंकि वह इस्तेमाल के लाइक़ हो चुके हैं।
(3) टिड्डी दल या आग लगाने की आफ़त। यह ऐसी तबाही है कि इस में पेड़ के मालिक का भी फ़र्ज़ बनता है कि वह नुक़सान में शामिल हो।

3472:– यहया बिन सअ़ीद रह॰ ने बयान किया कि अस्ल माल की तिहाई से कम में आफ़त आये (और नुक़सान हो जाये) तो उस की तलाफ़ी (पूर्ति) ज़रुरी नहीं है और मुसलमानों में ऐसे ही राइज (प्रचलित) है।

बाब {पानी से रोकना मना है।}

3473:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः घास को महफ़ूज़ रखने की ग़रज़ से ज़ाइद (फ़ाज़िल) पानी को न रोका जाये।

फ़ाइदा:– जन्गल में पहले चश्मे, कुँए और तालाब होते थे। चरवाहे वहाँ आ कर जानवरों को पानी पिलाते, आराम करते और जानवरों को चराते थे। कभी ऐसा होता कि पहले आने वाला, बाद में आने वाले को पानी से रोक देता, इस प्रकार पानी और चरागाह पर कब्ज़ा कर लेता। यह तरीक़ा नाजाइज़ है क्योंकि पानी और घास सार्वजनिक चीज़ है। हाँ ज़ाती तालाब हो, या कुँवा और नल हो, उस पर पैसा ख़र्च किया हो तो रोक सकता है। फिर भी इस्लामी अख़्लाक़ यही है कि पिये

और पिलाने दे।

3474:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन प्रकार के आदमियों से अल्लाह पाक क़ियामत के दिन कलाम नहीं करेगा (1) वह आदमी जिस ने किसी मुसाफ़िर से अपना पानी रोक लिया हो (2) जिस ने अ़स्र के बाद किसी सौदे पर (बेचने के लिये) झूठी क़सम खाई हो(3) वह शख़्स जिस ने इमाम से बैअ़त की हो। अगर वह उसे (दुनिया का माल) देता रहे, तो उस का वफ़ादार रहे, और अगर न दे तो वफ़ा न करे।

फ़ाइदा:— पानी को मुसाफ़िरों से रोक लेना बड़ी बदबख़्ती और बेमुरव्वती है। झूठी क़सम खा कर बेचना, वह भी अ़स्र के बाद जबकि आदमी वापसी के लिये जल्दी में होता है, और जल्दी-जल्दी समान ख़रीदने लगता है ताकि जल्दी घर पहुँच जाये, आपा-धापी में जल्द बाज़ी में उस की क़सम पर भरोसा कर के ग़लत माल ख़रीद लेता है। बुख़ारी शरीफ़ (1606) की रिवाय है कि झूठी क़सम से माल तो बिक जाता है, मगर उठ जाती है।

3475:— इमाम आमश ने भी इस रिवायत को अपनी सनद से ऊपर ही की हदीस के हममाना रिवायत किया है और कहाः "अल्लाह ऐसे लोगों को पाक नहीं करेगा और उन के लिये दुखदाई दन्ड होगा।" और बेचने वाले सामान के बारे में कहा कि यूँ कहेः "अल्लाह की क़सम! मुझे इस सामान की इतनी क़ीमत दी गयी (मगर मैंने नहीं दिया, लेकिन तुम्हें कम में दे रहा हूँ) और दूसरा (ख़रीदने वाला) उस को सच्चा समझे और उस सामान को ख़रीद ले।

3476:— बुहैसा नाम की एक महिला अपने पिता से रिवायत करती है कि मेरे पिता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिलने की इजाज़त माँगी, फिर वह आप की क़मीस के अन्दर से होकर आप को चिमट गये और आप को चूमने लगे। फिर कहने लगेः ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ को रोकना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः पानी का। फिर कहाः ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ को रोकना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः नमक का। उन्होंने फिर पूछाः किस चीज़ को रोकना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः भलाई करते रहने में तुम्हारे लिये ख़ैर है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

3477:— मुहाजिर सहाबा में से किसी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ तीन बार जिहाद में शामिल हुआ, मैंने आप को फ़रमाते सुनाः "मुसलमान तीन चीज़ों में एक-दूसरे के शरीक हैं (1) घास (2) पानी (3) आग।

फ़ाइदा:— अगर यह चीज़ सार्वजनिक हैं, यानी सब के इस्तेमाल के लिये हैं तो किसी को पहले पहुँच कर क़ब्ज़ा कर के दूसरों को उस में चरने और पीने से रोकना मना है। इसी प्रकार आप के आग से आग लेकर कोई जलाता है तो रोकना नहीं चाहिये।

बाब {अपनी ज़रुरत से ज़्यादा जो पानी है उसे बेचना?}

3478:— अयास बिन अ़ब्द रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

ज़ाइद पानी को बेचने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— इस से मुराद सार्वजनिक तालाब, कुँओं, और चश्मों का पानी है। अपनी ज़ाती मिल्कियत के तालाब, चश्मे आदि का बेचना, या न पीने देना इस में कोई हरज नहीं।

बाब **{बिल्ले (और बिल्ली) को खरीदना–बेचना जाइज़ नहीं।}**

3479:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्ते और बिल्ले की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

3480:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिल्ली की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

बाब **{कुत्तों की क़ीमत लेना मना है।}**

3481:— अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि आप ने कुत्ते की क़ीमत, रन्डी की ख़र्ची (कमाई) और काहिन के नज़राने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— इस से शिकारी कुत्ते अलग हैं जिन की ख़रीद–फ़रोख़्त जाइज़ है, क्योंकि उन से शिकार करते हैं, खेतों की सुरक्षा और जासूसी का काम लेते हैं, वग़ैरह।

3482:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्ते की क़ीमत से मना फ़रमाया है। और अगर बेचने वाला कुत्ते की क़ीमत का मुतालबा करने आये तो उस की हथेली मिट्टी से भर दो।

3483:— औ़न बिन अबू जुहैफ़ा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुत्ते की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

3484:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कुत्ते की क़ीमत, काहिन का नज़राना (उपहार) और बेसवा की कमाई हलाल नहीं।

बाब **{शराब और मुर्दार का मोल भाव करना हराम है।}**

3485:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने शराब और उस की क़ीमत (यानी लेन–देन) को हराम किया है। मुर्दार और उस की क़ीमत को हराम किया है। सुअर और उस की क़ीमत को हराम किया है।

3486:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना जबकि आप फ़तह मक्का के साल मक्का ही में थे (यह फ़रमाते सुना कि) बेशक अल्लाह पाक ने शराब, सुअर और बुतों का लेन–देन हराम ठहराया है। कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी केबारे में कुछ फ़रमायें, क्योंकि उसे नाव के तख़्तों और चमड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसे चराग़ों में भी जलाते हैं। आप ने फ़रमाया: नहीं, यह हराम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस मौक़ा पर

फ़रमायाः अल्लाह पाक यहूद को तबाह करे कि जब अल्लाह ने उन पर मुर्दार की चर्बी को हराम कर दिया तो उन्होंने उसे पिघला कर बेचना शुरु कर दिया और फिर उस की क़ीमत खाने लगे।

फ़ाइदा:— जो चीज़ हराम हैं उन की तिजारत भी हराम है। शराब हराम है तो उस की तिजारत भी हराम है, दवा में प्रयोग भी हराम है। हाँ, मुदार्र हलाल जानवर का चमड़ा दिबाग़त देने के बाद पाक़ हो जाता है। मुर्दार की र्चबी को चराग़ में जलाना जाइज़ है, लेकिन उस की जितारत हराम है। वग़ैरह.....

3487:— यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया कि अ़ता ने जाबिर रज़ि॰ की यह रिवायत मुझे इस प्रकार लिख कर भेजी, मगर उस में "वह हराम है" का लफ्ज़ नहीं थी।

3488:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (काबा में) हजरे-अस्वद के पास बैठे देखा। आप ने अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठाई और हँस पड़े, फिर फ़रमायाः अल्लाह पाक यहूदियों पर लानत करे....तीन बार फ़रमाया अल्लाह पाक ने उन पर र्चबी का प्रयोग हराम कर दिया तो उन्होंने उसे बेचना शुरु कर दिया और उस की क़ीमत खाने लगे। बिला शुब्हा अल्लाह पाक जब किसी क़ौम पर किसी चीज़ का खाना हराम कर देता है तो उस की क़ीमत भी हराम कर देता है।

ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह तह्हान की रिवायत में "मैंने देखा" का वाक्य नहीं है और "यहूद पर अल्लाह लानत करे" की जगह "अल्लाह पाक यहूद को हलाक करे"

3489:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शराब बेचता है उसे चाहिये कि सुअर को (खाना) हलाल समझे।

3490:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब सूरः बक़र की अन्तिम आयतें नाज़िल हुयीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम निकले और उन्हें हम पर पढ़ा और फ़रमायाः "शराब की तिजारत हराम कर दी गयी है।

3491:— इमाम आमश रह॰ ने अपनी सनद से इस हदीस के हम माना बयान करते हुये कहा कि अन्तिम आयतें जो सूद से मुतअ़ल्लिक़ हैं (जब नाज़िल हुयीं)

फ़ाइदा:— इस से मुराद सूरः बक़र की आयत न॰ 275 से 281 तक हैं।

3492:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई ग़ल्ला (खाना) ख़रीदा हो तो उसे अपने क़ब्ज़े में लिये बग़ैर न बेचे।

3493:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में हम ग़ल्ला ख़रीदा करते थे। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास आदमी भेजते जो हमें हुक्म देता कि हम उसे बेचने से पहले ख़रीदने की जगह से दूसरी जगह मुन्तिक़ल (ट्रान्सफ़र) कर लें। यानी अन्दाज़े से जो ख़रीद-फ़रोख़्त करते थे (उस से मना किया गया)

3494:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि लोग मन्डी की बालाई तरफ़ अन्दाज़े से ग़ल्ला ख़रीदते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस को बेचने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वह उसे दूसरी जगह मुन्तिक़ील कर लें।

फ़ाइदा:— ग़ल्ले का नाप या वज़न तै न होता था बल्कि वैसे ही ढेर का सौदा कर लिया जाता था और फिर बिना तौले और क़ब्ज़े में लिये ढेर की शक्ल में बेच दिया जाता था। हदीस की रोशनी में ग़ल्ला नाप-तौल कर लिया जाये और बेचने से पहले वहाँ से हटा कर अपने क़ब्ज़े में ले लिया जाये। ढेरी को बिना तौले अनुमान से ख़रीदना जाइज़ नहीं, क्योंकि इस में बेचने या ख़रीदन वाले के लिये नुक़सान का अन्देशा है।

3495:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि जिस ने (कोई चीज़) नाप-तौल कर ख़रीदी है, तो उसे क़ब्ज़ा में लिये बिना आगे बेच सकता है।

3496:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने ग़ल्ला ख़रीदा हो तो उसे न बेचे जब तक नाप न ले (यानी अपने क़ब्ज़े में न ले ले) हदीस के रावी अबू बक्र ने इतना और कहा कि ताऊस कहते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछा कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहाः क्या देखते नहीं हो कि लोग उसे सोने के बदले ख़रीद लेते हैं हालाँकि वह ग़ल्ला अभी बहुत दूर होता है (बेचने वाले के पास पहुँचा ही नहीं होता)

3497:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक उसे अपने क़ब्ज़े में न ले ले, उसे न बेचे। सुलैमान बिन हर्ब के यह शब्द थे कि " हत्ता यसूतौफ़ीहि"। मुसद्दद ने इतना और इज़ाफ़ा किया कि ताऊस ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास ने कहाः मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ खाने (ग़ल्ले) की तरह है (यानी ख़रीदी हुयी चीज़ को अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले आगे नहीं बेचना चाहिये, चाहे उसकी नौइयत कोई हो)

3498:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अगर कोई ग़ल्ले का ढेर ख़रीदता और फिर वहीं बेच देता तो इस काम पर उसे सज़ा दी जाती यहाँ तक कि अपनी मन्ज़िल पर ले जाये।

3499:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने बाज़ार से तेल ख़रीदा, जब उसे ले लिया तो मुझे एक आदमी मिला जिस ने मुझे उसे तेल में अच्छा नफ़ा देने का वादा दिलाया। मैंने चाहा कि (उसे कुबूल करते हुये) उस केहाथ पर हाथ मारुँ, कि इतने में एक शख़्स ने मेरे पीछे से मेरा बाज़ू पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो वह ज़ैद बिन साबित थे। उन्होंने कहाः जहाँ तुम ने ख़रीदा है उसी स्थान पर मत बेचो, बल्कि अपने ठिकाने (अड्डे) पर ले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदने की जगह ही पर उस माल को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि ताजिर (व्यापारी) उसे अपने-अपने बेचने के अड्डे पर ले जायें।

बाब **{जो शख़्स मामला करते हुये कह दे कि "धोखा-धड़ी नहीं चलेगी।"}**

3500:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि लोग लेन-देन में मुझे धोखा दे जाते हैं। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः जब तुम मामला करो तो यूँ कह दिया करो "धोखा-धड़ी नहीं"। चुनान्चे वह सौदा करते हुये कहा करते थे कि ला ख़िला-ब-त (धोखा धड़ी नहीं)।

फ़ाइदा:— यह कह देने के बाद अगर बाद में मालूम हुआ कि फ़रीक़ ने धोखा दिया है तो उसे लेन-देन को फ़स्ख़ करने का हक़ हासिल होगा। यानी सामान वापस कर के बेचने वाले से अपना पैसा वापस लेगा।

3501:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक आदमी थे जो मामला करने में सादाऔर कमज़ोर थे। उन के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! फ़लाँ पर (लेन-देन में) पाबन्दी लगा दीजिये, वह मोल भाव करते हैं जबकि वह इस मामले में बहुत कमज़ोर हैं। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस काम से नहीं रह सकता, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम लेन-देन नहीं छोड़ सकते तो कह दिया करोः लाओ और लो (यानी मामला नक़द करो) और धोखा-धड़ी नहीं।

बाब **{पेशगी दिया हुआ बयाना मार लेना जाइज़ नहीं।}**

3502:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "उरबान" की तिजारत से मना फ़रमाया है। इमाम मालिक ने कहा कि हमारे ख़यालन से इस तिजारत की सूरत यह है .... और अल्लह पाक ही बेहतर जानता है .... कोई शख़्स किसी से गुलाम ख़रीदे, या जानवर किराया पर ले, फिर उस से कहे कि मैं तुम्हें एक दीनार (बयाना केतौर पर) दिये जाता हूँ, अगर मैंने यह सौदा या जानवर किराया पर लेना छोड़ दिया (और न लिया) तो जो मैंने तुम्हें दिया है वह तुम्हारा है (और अगर ले लिया तो अस्ल क़ीमत में शुमार होगा)

फ़ाइदा:— लोग पहले जानवर को पसन्द कर के भाव और क़ीमत तै कर लेते हैं और बयाना के तौर पर कुछ दे देते हैं। जब जानवर लेने आते हैं तो क़ीमत देते हैं और पहले का दिया हुआ बयाना भी क़ीमत में शुमार होता है।

बाब **{जो चीज़ इन्सान के पास न हो उस को बेचना.....}**

3503:— हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी मेरे पास आता है और मुझ से ऐसी चीज़ ख़रीदनी चाहता है जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या मैं उस के लिये बाज़ार से ख़रीद लूँ? आप ने फ़रमायाः जो तुम्हारे पास नहीं है उसे

मत बेचो।

फ़ाइदा:— अगर ग्राहक दूकानदार से खुद ही मुतालबा करे कि बाज़ार से मंगवा कर दो तो इस सूरत में जाइज़ है। कोई जानवर भाग गया हो, या कोई चीज़ ख़रीदी है लेकिन अपने क़ब्ज़े में नहीं आई है, इन सब का सौदा करना दुरुस्त नहीं। केवल "सलफ़" की शक्ल में लेन-देन करना जाइज़ है।

3504:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (बिन आ़स) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उधार और लेन-देन से और एक लेन-देन में दो शर्तें हलाल नहीं हैं। और उस चीज़ का नफ़ा भी हलाल नहीं जो तुम्हारे अपने क़ब्ज़े में नहीं। और जो चीज़ तुम्हारे पास (यानी तुम्हारे क़ब्ज़े में) न हो उसे मत बेचो।

फ़ाइदा:— उधार और ख़रीद-फ़रोख़्तः इस की शक्ल यह है कि कोई शख़्स नक़द और उधार की क़ीमत में फ़र्क़ को नाजाइज़ समझता है लेकिन हीले से यह तरीक़ा अपनाये कि कोई चीज़ ख़रीदे मगर क़ीमत पास में न हो, तो उसी दूकारनदार से (जिस से सामान ख़रीदा है) रुपया उधार ले ले ताकि जो सामान ताजिर से खरीदा है उस की क़ीमत अदा कर दे।

और एक सौदा में दो शर्तेंः इस की मिसाल यह है कि कोई कहे कि मैं यह चीज़ तुम्हारे हाथ बेच रहा हूँ मगर इस शर्त पर कि तुम उसे न तो बेचोगे और न हिबा (उपहार) में दोगे।

बाब {लेन-देन में एक शर्त कर लेना।}

3505:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपना ऊँट बेचा और आप से यह शर्त कर ली कि अपने घर तक उस पर सवारी करुँगा। .... इस हदीस के आख़िर में कहा कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा नुक़सान किया है ताकि मैं तुम्हारा ऊँट ले लूँ? जाओ, ऊँट भी लेजाओ और उस की क़ीमत भी, दोनों ले जाओ।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जानवर को बेचने के बाद उस पर सवारी करने की शर्त करना जाइज़ है।

बाब {गुलाम की तिजारत और उस की सलामती की ज़मानत।}

3506:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः गुलाम की ख़रीद-फ़रोख़्त और उस की सलामती की ज़मानत तीन दिन तक है (तफ़सील नीचे की हदीस में है)

3507:— क़तादा रह॰ ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और इतना और और भी कहा कि अगर तीन रात (दिन के अन्दर उस के अन्दर कोई ऐब का पता चला तो गवाह पेश किये बिना ही उसे वापस कर सकेगा। और अगर तीन दिन के बाद मालूम हुआ तो उसे गवाह पेश करना होगा कि जब उसे ख़रीदा था तो उस के अन्दर यह ऐब मौजूद था। इमाम अबू दावूद ने

कहा कि यह तफ़सील इमाम क़तादा का अपना क़ौल है (हदीस नहीं है)

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें जओ़ीफ़ हैं, लेकिन मस्अला सहीह है।

बाब **{गुलाम ख़रीदा और उसे काम पर लगाया, बाद में उस के ऐब का जाना।}**

3508:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: आमदनी का हक़दार वही है जो ज़ामिन हो।

फ़ाइदा:— यानी ख़रीदने के बाद जो कुछ गुलाम ने कमाया, ख़रदने वाले का होगा, क्योंकि अगर उन दिनों में गुलाम मर जाता तो नुक़्सान ख़रीदने वाले का होता। ऐब ज़ाहिर होने के बाद केवल गुलाम वापस होगा, उस की कमाई नहीं।

3509:— मख़लद बिन खुफ़ाफ़ ग़िफ़ारी रह॰ ने बयान किया कि लोगों के साथ में भी एक गुलाम में साझीदार था। मैंने उसे काम पर लगाया और मेरा साझीदार मौजूद नहीं था। गुलाम कमा कर ला कर मुझे देता था। मेरे साझीदार ने (वापस आकर) अपने हिस्से के बारे में मुझ से झगड़ा किया और क़ाज़ी के पास मुक़दमा कर दिया। क़ाज़ी ने मुझ से कहा: कि मैं उस का हिस्सा अ़दा कर दूँ। चुनान्चे में उर्वा बिन जुबैर के पास आया और उन्हें पूरी जानकारी दी तो वह क़ाज़ी के पास गये और उन्हें आ़इशा रज़ि॰ की रिवायत सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "आमदनी का वहीं हक़दार है जो ज़ामिन है"

फ़ाइदा:— इस सूरत में मख़लद ने संभवतः अपने साझीदार से राय-मश्वरा के बिना गुलाम से काम करवाया, इसलिये गुलाम उन की ज़मान में हो गया। वर्ना वह भी उस आमदनी में हिस्सादार होता।

3510:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने गुलाम ख़रीदा, फिर जब तक अल्लाह ने चाहा उस के पास रहा। इस के बाद उसे गुलाम के अन्दर किसी ऐब की ख़बर लगी तो वह इस मामले को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले गया तो आप ने उसे बेचनें वाले को वापस करा दिया तो उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने मेरे गुलाम से आमदनी भी ली है। आप ने फ़रमाया: आमदनी का वही हक़दार होता है जो ज़ामिन हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस की सनद अच्छी नहीं है।

बाब **{जब ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दर्मियान इख़्तिलाफ़ हो जाये और चीज़ मौजूद हो।}**

3511:— अ़ब्दुर्रहमान बिन क़ैस बिन मुहम्मद बिन अशअ़स अपने पिता (क़ैस) से और वह अ़ब्दुर्रहमान के दादा (मुहम्मद) से रिवायत करते हैं कि अशअ़स रज़ि॰ ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से बीस हज़ार (20000) में कुछ गुलाम ख़रीदे जो कि खुमुस के थे। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने क़ीमत लेने के लिये आदमी भेजा तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें दस हज़ार में लिया है। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने कहा: किसी आदमी को चुन लो जो हमारे दर्मियान फ़ैसला कर दे। अशअ़स रज़ि॰ ने कहा: आप खुद ही मेरे और अपने दर्मियान फ़ैसला कर दें। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने कहा: मैंने नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप ने फ़रमाया है कि जब ख़रीदने और बेचने वाले के बीच इख़्तिलाफ़ हो जाये और उन में किसी के पास गवाह न हो तो बात बेचने वाले की मानी जायेगी, या फिर वह दोनों ही सौदा छोड़ दें।

फ़ाइदा:— इस मामले में इख़्तिलाफ़ को समाप्त करने के लिये एक उचित तरीक़ा बयान किया गया है।

3512:— क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने अपने पिता से रिवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने अशअस बिन क़ैस को एक गुलाम बेचा.....और अल्फ़ाज़ के थोड़े से फ़र्क़ के साथ ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {शुफ़आ का बयान।}

3513:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शुफ़आ हर साझी वाली ज़मीन या बाग़ में है। उसे अपने साझीदार को बताए बिना बेचना दुरुस्त नहीं। अगर (बिना बताए) बेच दिया तो साझीदार ही ज़्यादा हक़दार है (कि उस के हाथ बेचा जाये) मगर यह कि वह साझीदार दूसरे के हाथ बेचने की इजाज़त दे दे।

3514:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साझी वाली चीज़ में जो तक़सीम न हुयी हो शुफ़आ रखा है। लेकिन जब हद (सीमा) तै हो जाये और राहें अलग हो जायें तो फिर शुफ़आ नहीं।

3515:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब भूमि तक़सीम हो जाये और सीमाएँ तै हो जायें तो उस में कोई शुफ़आ नहीं।

3516:— अबू राफ़े ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः पड़ोसी नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा हक़दार होता है।

3517:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः घर का पड़ोसी, पड़ोसी के घर या ज़मीन का ज़्यादा हक़दार है।

फ़ाइदा:— शुफ़आ, ज़मीन, या मकान में पड़ोसी या साझीदार को बताए बिना किसी और को दे देना, फिर उस चीज़ को वापस लौटाना "शुफ़आ" कहलाता है। मगर शर्त यह हो कि क़ीमत वही हो जो अजनबी ने दी हो। हदीस न॰ 3575 और 3516 में पड़ोसी से मुराद साझीदार है। शुफ़आ का हक़दार सिर्फ़ वह होगा जो ज़मीन या बाग़ में शरीक होगा।

3518:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पड़ोसी, पड़ोसी पर शुफ़आ का अधिक हक़दार है, अगर वह मौजूद न हो तो उस का इन्तिज़ार किया जाये, मगर शर्त यह है कि उन का रास्ता एक हो।

बाब {अगर कोई कन्गाला और दीवालिया हो जाये और क़र्ज़ देने वाला (अपना क़र्ज़ दिया हुआ)

माल उस के पास पाये.........तो?}

3519:— अबू हुरैरा रजि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई कन्गाल और दीवालिया हो जाये और फिर कोई (माल देने वाला) अपना माल उस के पास हू बहू पाये तो दूसरों के मुक़ाबला में वही उस का ज़्यादा हक़दार है।

3520:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई माल बेचा हो और फिर ख़रीदने वाला कन्गाल हो गया हो और बेचने वाले ने उस की कोई क़ीमत वसूल न की हो, फिर वह अपने माल को उस के पास हू बहू पाये तो वही उस के माल का ज़्यादा हकदार होगा। अगर ख़रीदने वाला मर जाये तो माल वाला दूसरे क़र्ज़ ख़ाहों के साथ बराबर होगा।

3521:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस रह॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया.....(ऊपर की हीस की तरह) मालिक की हदीस (न॰ 3520) की तरह रिवायत किया। उस में इतना और कहा कि अगर उस की कुछ क़ीमत वसूल कर ली हो तो फिर वह उस में दूसरे क़र्ज़ ख़ाहों के बराबर हक़ रखता होगा।

अबू बक्र ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमायाः जो कोई मर जाये और उसके पास किसी का माल हू बहू मौजूद हो, उस ने उस की कोई क़ीमत भी अ़दा न की हो तो जिस ने माल दिया था वह दूसरे क़र्ज़ ख़ाहों जैसे सुलूक का मुस्तहिक़ होगा। इमाम अबू दावूद ने कहा कि मालिक की (हदीस न॰ 3520) ज़्यादा सहीह है।

3522:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और कहा "अगर उस की क़ीमत से कुछ वसूल कर लिया हो तो बाक़ी में वह दूसरे क़र्ज़ख़ाहों के बराबर होगा। हाँ, अगर कोई मर जाये और उस के पास किसी का माल हूबहू मौजूद हो, वह चाहे उस की क़ीमत वसूल कर चुका हो य न, तो वह बाक़ी क़र्ज़ख़ाहों के साथ होगा।

3523:— उमर बिन ख़ल्दा बयान करते हैं कि हम अपने एक साहब के सिलसिले में जो कन्गाल हो गया था अबू हुरैरा रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुयेतो उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाला फ़ैसला करुँगा (फ़रमाया) जो शख़्स दीवालिया या मर जाये और माल देने वाला अपना माल हू बहू उस के पास पाये तो वही उस माल का ज़्यादा हक़दार होगा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को कोई नही कुबूल करेगा (इस हदीस के रावी) अबू मोतमर कौन है? हम उस को नहीं जानते हैं।

फ़ाइदा:— इस हदीस में बग़ैर शर्त के क़र्ज़ ख़ाह को अपना माल ले जाने की इजाज़त है। हालाँकि पिछली हदीसों में जो सहीह हैं उन में बयान हुआ है कि शर्त यह है कि लेने वाला जिन्दा हो और चीज़ देने वाले ने क़ीमत का कुछ भी हिस्सा वसूल न किया हो......। इमाम साहब ने बता दिया है कि यह हदीस ज़ईफ़ है।

बाब {जिस में किसी लाचार, कमज़ोर और बिछड़े (भटके) हुये जानवर को पकड़ कर (खिला–पिला) तन्दुरुस्त बना लिया हो........?}

3524:— आमिर शोबी रह० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे कोई ऐसा जानवर मिला हो कि उस के मालिक उस को चारा देने से तन्ग आ गये हों और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया हो तो जो कोई उसे ले ले और उसे (खिला–पिला कर) ज़िन्दा कर ले तो वह जानवर उसी का होगा।

(इमाम अबू दावूद रह०) इबान की हदीस में फ़रमाते हैं कि उबैदुल्लाह (बिन हमीद) कहते हैं कि मैंने आमिर से पूछा कि यह हदीस किस से रिवायत है? तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक सहाबा से। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत हम्माद की है और मुकम्मल और स्पष्ट है।

3525:— इमाम शोबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्फ़ूअन रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस ने किसी कमज़ोर और तबाह हाल जानवर को छोड़ दिया हो और कोई दूसरा उसे (खिला–पिला कर) ज़िन्दा कर ले, तो जानवर उस का हुआ जिस ने उसे ज़िन्दा किया।

फ़ाइदा:— यह एक सिद्वान्त है कि किसी जानवर की ज़िन्दगी समाप्त दिखाई दे रही हो और मालिक ने उसे छोड़ दिया हो, तो जो कोई उसे पाल–पोस कर और दवा–दारु कर के ज़िन्दा कर लें तो वही उस का मालिक होगा और भविष्य में जिस प्रकार चाहे उसे प्रयोग करेगा।

बाब {गिरवी रखने के अहकाम व मसाइल।}

3526:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दूध वाले जानवर का दूध निकाला जायेगा जबकि उसे रहन रखा गया हो उस ख़र्च के बदले जो उस पर होता है। और सवारी वाले जानवर पर सवारी की जायेगी जबकि उसे रहन रखा गया हो उस ख़र्च के बदले जो उस पर होता है। जो सवारी करता है और दूध भी निकालता है, ख़र्च भी उसी के ज़िम्मा है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस हमारे नज़दीक सहीह है।

फ़ाइदा:— क़र्ज़ा लेने वाला, क़र्ज़ा देने वाले को अपने क़र्ज़ की ज़मानत के तौर पर कोई माल आदि दे तो इसे "गिरवी रखना" "रहन रखना" कहते हैं।

रहन क़ब्ज़े में रखने वाला जानवर पर जब ख़र्च करेगा तो उस से लाभ भी उठायेगा, मालिक ने इजाज़त दी हो या न दी हो। लेकिन यह हुक्म सिर्फ़ जानवर पर लागू होगा। मकान, गाड़ी, या ज़मीन आदि में यह हुक्म नहीं जारी होगा। अगर किसी ने मकान गिरवी पर लिया है तो न उसे किराया पर दे सकता है और न उस में रह सकता है।

3527:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के बन्दों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी होंगे और न शहीद होंगे, मगर

क़ियामत के दिन अल्लाह पाक के यहाँ (बुलन्द) मतर्बे और दर्जे की वजह से नबी और शहीद भी उन पर रश्क करेंगे। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें बतायें कि वह कौन लोग होंगे? आप ने फ़रमायाः यह वह लोग होंगे जो आपस में अल्लाह की किताब (या अल्लाह के साथ प्रेम) की वजह से मोहब्बत करते थे। हालाँकि उन का आपस में कोई रिश्ता नाता या माली लेन-देन न था। अल्लाह की क़सम! उन के चेहरे नूर होंगे और वह लोग नूर पर होंगे। जब लोग डर रहे होंगे तो उन्हें कोई डर न होगा। जब लोग परेशान होंगे तो उन्हें कोई परेशानी न होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमायीः "अला इन्न औलिया-अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अ़लैहिम वला हुम् यह्-ज़नू-न" (सूरः यूनुस-62)

फ़ाइदा:- इस हदीस का बाब से कोई संबन्ध नहीं है।

बाब **{बाप, अपने बेटे की कमाई खा सकता है।}**

3528:- अ़म्मारा बिन उमैर की फूफी ने आ़इशा रज़ि॰ से पूछा कि एक यतीम (अनाथ) मेरी पर्वरिश में है, तो क्या मैं उसके माल में से खा सकती हूँ? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, "सब से पाकीज़ा माल जो इन्सान खाता है वह है जो उस की अपनी कमाई हो। इन्सान की औलाद उस की अपनी कमाई ही है।

3529:- अ़म्मारा बिन उमैर अपनी माता जी से और वह आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदमी की औलाद उस की अपनी कमाई है, बल्कि बेहतरीन कमाई है। चुनान्चे तुम उन के मालों में से खा सकते हो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन अबू सुलैमान ने अपनी रिवायत में इतना और ज़यादा किया है कि "जब तुम को ज़रुरत हो" (तो उन की कमाई खा सकते हो) मगर यह इज़ाफ़ा मुन्कर (यानी ज़ओ़फ़) है।

3530:- अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगाः ऐ अल्लह के सन्देष्टा! मेरे पास माल भी है और औलाद भी। और मेरे पिता जी को मेरे माल की ज़रुरत रहती है (और वह लेते रहते हैं) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम और तुम्हारा माल (सब) तुम्हारे पिता का है। तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, चुनान्चे तुम अपनी औलादों की कमाई से खा सकते हो।

फ़ाइदा:- मालूम हुआ कि औलाद पर वाजिब है कि वह अपने माता-पिता की पर्वरिश करें। इसी प्रकार माता-पिता भी बिना इजाज़त के अपनी औलाद की कमाई में से ले सकते हैं। इस हदीस से यह अर्थ निकालना कि बेटे का माल कुल का कुल बाप का है, दुरुस्त नहीं, बल्कि उतना ही ले सकता है जितने में उस की अहम ज़रुरतें पूरी हो जायें। औलाद की कमाई को बेदर्दी से खर्च करना बाप के लिये भी जाइज़ नहीं।

बाब **{जब कोई शख़्स अपना माल (जो उस ने दिया था) हू बहू किसी के पास पाये?}**

3531:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपना माल हू बहू किसी के पास पाये तो वही उस का ज़्यादा हक़दार है (इसलिये वह उसे ले ले) और (जिस के पास यह पाया गया है) उसे चाहिये कि अपने बेचने वाले के पीछे पड़ जाये (और उस पर दावा कर दे)

फ़ाइदा:— चोरी या छीना हुआ अपना माल, चोर के पास मिले तो जिस का माल है उसे तुरन्त उस से ले ले। और जिस ने चोर से ख़रीदा है उस माल को अस्ल मालिक को दे दे और चोर से उस की क़ीमत वसूल करे।

बाब **{जो कोई क़ब्ज़ा में आये माल में से अपने हक़ के बराबर ले ले तो?}**

3532:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अमीर मुआविया की माँ हिन्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयीं और कहाः (मेरे पति) अबू सुफ़यान बख़ील और कन्जूस आदमी हैं, वह इतना ख़र्चा नहीं देते है कि मेरे बाल बच्चों के लिये काफ़ी हो। तो अगर मैं उन के माल में से कुछ ले लूँ, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उतना ले लिया करो जो दस्तूर (रीति-रिवाज) के मुताबिक़ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिये काफ़ी हो।

3533:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि (अबू सुफ़यान की पत्नी) हिन्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयी और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (मेरे पति) अबू सुफ़यान कन्जूस आदमी हैं। मैं उन के माल में से उन की इजाज़त के बिना अगर बाल बच्चों के ख़र्च के लिये ले लूँ, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दस्तूर के अनुसार ख़र्च करो तो कोई हरज (गुनाह) नहीं।

3534:— यूसुफ़ बिन माहक मक्की ने बयान किया कि फ़लाँ आदमी कई यतीमों का सरपरस्त था और मैं उस का ख़र्च लिखा करता था। उन यतीमों ने उसे एक हज़ार दिर्हम का धोखा दिया जो उस ने उन को अदा कर दिया। फिर मैं (कातिब) ने उन के माल में दोगुना पाया। मैंने उस से कहाः वह हज़ार जो उन्होंने तुम से (धोखा देकर) लिया है, निकाल लो। उस ने कहा कि नहीं। क्योंकि मुझ से मेरे पिता ने बयान किया है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना था कि जो तुम को अमानत सौंपे तो उस की अमानत उसे वापस कर दो, और जो तुम्हारे साथ ख़ियानत करे तो तुम उस के साथ ख़ियानत न करो।

3535:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो तुम्हें अमीन बनाये तो तुम उस की अमानत अदा करो, और जो तुम्हारे साथ ख़ियानत करे तुम उस के साथ ख़ियानत न करो।

फ़ाइदा:— इसे उदाहरण से समझें। एक आदमी ने जुल्म कर के आप का 1000रुपया छीन लिया, या झूठ बोल कर ले लिया और वापस नहीं किया। कुछ समय के बाद उसी ज़ालिम ने 2000 रुपया

आप के पास अमानत रखा, फिर उस ने अमानत वापस माँगी तो आप अगर चाहें कि वह एक हज़ार जो उस ने किसी जमाना में लिया था इस में से काट लें और एक हज़ार वापस लौटायें तो यह जाइज़ नहीं है। अमामत पूरी की पूरी वापस करे। कुछ लोगों ने लिखा है कि लोगों को जमा कर के उन के सामने एलान कर के ले सकता है , लेकिन यह अमानत और दियानत के सख़्त ख़िलाफ़ है।

बाब **{हदिया कुबूल करने का बयान।}**

3536:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया क़ुबूल फ़रमाते और उस का बदला भी देते थे।

फ़ाइदा:— बदला देने से परस्पर मुहब्बत बढ़ती है। अगर उस के पास बदला में देने के लिये माल नहीं है तो शुक्र ही अदा कर दे।

3537:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मैं आज के बाद किसी का हदिया (उपहार) स्वीकार नहीं करूँगा, मगर यह कि कोई मुहाजिर कुरैशी हो, या अन्सारी, या दौसी, या सक़फ़ी।

फ़ाइदा:— अस्ल में लोग जानते थे कि जो हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है उस से अच्छा और क़ीमती (बहुमूल्य) हदिया आप बदले में देते हैं, इसलिये लोग बहुत अधिक हदिया लेने के चक्कर में आप को हदिया देते थे, तब आप ने यह इरादा फ़रमाया। यह क़बीले मालदार थे और लालची नहीं थे।

बाब **{हदिया देकर वापस ले लेना।}**

3538:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हदिया देकर वापस ले लेने वाला ऐसे है जैसे कोई क़ै करेऔर फिर उसे खा ले। हम्माम रह॰ कहते है कि इमाम क़तादा ने कहा कि हम तो क़ै को हराम समझते हैं।

3539:— इब्ने उमर और इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमयाः किसी आदमी के लिये हलाल नहीं कि कोई हदिया या उपहार दे और फिर उसे वापस ले ले, सिवाए बाप के जो वह अपने बेटे को दे (तो वह उसे वापस ले सकता है) उस व्यक्ति की मिसाल जो उपहार देकर वापस ले लेता है उस कुत्ते की सी है जो खाता है, जब पेट भर जाये तो क़ै कर देता है और फिर दो बारा उसी को खाने लग जाता है।

3540:— अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हदिया देकर वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते की सी है जो क़ै करता है और फिर उसे दोबारा खाने लगता है। तो जब कोई उपहार देने वाला अपना उपहार वापस लेने लगे तो उसे सब के सामने खड़ा किया जाये और जो वापस ले रहा हो उस के बारे में पूछा जाये, फिर वह चीज़ उसे वापस दे दी जाये।

फ़ाइदा:— वापस लेना बड़ा ज़लील काम है, इसलिये सब के सामने पूछा जाये कि उपहार देकर

वापस लेने का क्या मक़सद है? क्या ऐसा नहीं है कि उस को ज़लील करना मक़सद है? ऐसा करने से डराना मक़सद है। हाँ, बाप वापस ले सकता है, क्योंकि बेटे के माल में बाप का हक़ है कि गोया बाप ही उस का मालिक है। इस प्रकार बाप-बेटे का रिश्ता एक विशेषता रखता है।

बाब **{कोई काम कर देने पर हदिया लेना।}**

3541:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अपने किसी भाई की सिफ़ारिश की और फिर उसे उस पर कोई हदिया दिया, तो अगर उस ने उसे स्वीकार कर लिया तो वह सूद के दर्वाज़ों में से एक बड़े दर्वाज़े में दाख़िल हो गया।

फ़ाइदा:— एक मुसलमान के किसी जाइज़ और नेक काम के लिये सिफ़ारिश करना बड़े सवाब का काम है, ऐसे काम पर हदिया लेना सवाब को ग़ारत करना है। और ऐसे हदिया, उपहार और तौहफ़े सूद का दर्वाज़ा खोलते हैं।

बाब **{बाप का तोहफ़ा देने में अपने किसी बच्चे को तर्जीह देना?}**

3542:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक तोहफ़ा (उपहार) दिया। इस्माईल बिन सालिम ने यूँ कहाः दूसरे बच्चों के मुक़ाबले में मुझे अपना एक गुलाम तोहफ़ा दिया। तो मेरी माता जी अम्रा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाओ और उन्हें इस बारे में गवाह बना लो। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और आपको गवाह बना लेने के लिये यह बात बताई और कहा कि मैंने अपने पुत्र नोमान को उपहार दिया है और (मेरी पत्नी) अम्रा ने मुझ से कहा है कि मैं आप को इस पर गवाह बना लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे इस बच्चे के अ़लावा और भी बच्चे हैं? उन्होंने कहाः जी हाँ। आप ने पूछाः क्या तुम ने उन सब को भी इस प्रकार का उपहार दिया है? उन्होंने कहाः नहीं। यहाँ पर कुछ उलमा (मुहद्दिस) के शब्द हैं कि "यह अत्याचार है" और कुछ ने कहाः "यह मजबूरी और लाचारी का मामला है" (खुशी का नहीं, वर्ना सभी को देता) इस पर मेरे अ़लावा किसी और को गवाह बना लो। मुग़ीरा की रिवायत में है कि "क्या तुम्हें पसन्द नहीं कि तुम्हारे साथ एहसान और सेवा करने में तुम्हारे बच्चे बराबर हों? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः तो फिर इस मामले पर मेरे अ़लावा किसी और को गवाह बना लो।

मुजालिद के यह शब्द हैं कि "उन का तुम पर यह हक़ है कि तुम उन सब के दर्मियान न्याय से काम लो जैसे कि उन सब पर लाज़िम है कि वह सब तुम्हारी सेवा करें।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि कुछ रावी लोगों ने "अकुल्लु बनी-क" कहा और बाज़ ने "व-ल-द-क" कहा। इब्ने अबी खालिद ने शोबी से रिवायत करते हुये कहा कि "अ-ल-क बनूनुन सिवाहु" (क्या तुम्हारे उस बच्चे के अ़लावा भी और बच्चे हैं?)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि माँ-बाप को बच्चों को तोहफ़ा और उपहार देने में भी बराबरी का ख़याल रखना चाहिये। यह भी मालूम हुआ कि जुल्म पर गवाह बनना भी नाजाइज़ है और गुनाह

है।

3543:— नोमान बिन बशीर रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे पिता जी ने मुझे एक गुलाम दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः यह गुलाम क्या और कैसा है? मैंने कहाः यह मेरा गुलाम है और इसे मेरे पिता जी ने मुझे दिया है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या उस ने तेरे सब भाइयों को इसी प्रकार दिया है जैसे तुम्हें दिया है? मैंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः उस गुलाम को अपने बाप को वापस कर दो।

3544:— नोमान बिन बशीर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी औलाद के दर्मियान न्याय से काम लो, अपनी औलद के दर्मियान न्याय से काम लो।

फ़ाइदा:— यानी लड़के-लड़की, नौकर-चाकर, छोटे-बड़े, आ़लिम-जाहिल आदि सब को एक नज़र से देखे और सब को जहाँ तक संभव हो बराबर-बराबर दे।

3545:— जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि बशीर की पत्नी ने कहाः आप मेरे इस बेटे को अपना गुलाम हदिया कर दें और मेरे लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गवाह भी बना लें। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहा कि फ़लाँ की बेटी ने (यानी अ़म्रा बिन्त रवाहा) ने मुझ से कहा है कि मैं उन के बेटे को एक गुलाम दे दूँ और इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गवाह भी बना दूँ। इस पर आप ने पूछाः क्या उस के और भी भाई हैं? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः यह जाइज़ नहीं है और मैं केवल हक़ का गवाह बनता हूँ।

बाब {बीवी का अपने पति की इजाज़त के बिना तोहफ़ा देना।}

3546:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई शख़्स किसी स्त्री की इज़्ज़त का मालिक बन जाये (यानी वह उस की पत्नी बन जाये) तो उस स्त्री केलिये जाइज़ नहीं कि वह अपने ज़ाती माल को भी (पति की इजाज़त के बिना) ख़र्च करे।

3547:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी महिला को अपने पति की अनुमति के बिना किसी को तोहफ़ा देना जाइज़ नहीं।

फ़ाइदा:— पत्नी केवल हिफ़ाज़त और देखभाल करने वाली होती है पति की इजाज़त के बिना ख़र्च नहीं करेगी।

बाब {उम्रा (यानी अपनी जिन्दगी भर के लिये किसी को कुछ देना।}

3548:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उम्रा (यानी उम्र भर के लिये दिया गया उपहार) हमेशा हमेशा के लिये (जिस को दिया है उस के लिये) हो जाता है।

3549:— समुरा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से भी ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है।

3550:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: उम्रा उसी के लिये बाक़ी रहेगा जिस को उपहार दिया गया हो।

3551:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिसे ज़िन्दगी भर के लिये कोई उपहार दिया गया तो यह उस का और उस के वारिसों का होगा। उस के वारिस वही होंगे जो उस की औलाद में से उस के वारिस होंगे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जिस को माल दिया गया है उस के मरने के बाद वह माल उस की औलाद को मिलेगा, न कि जिस ने दिया है उस को वापस मिल जोयगा। अर्गचे उस ने ज़िन्दगी भर के लिये ही दिया था।

3552:— जाबिर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी के हममाना रिवायत किया है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि लैस बिन सअ़द ने ज़हरी के वास्ते से अबू सलमान से, वह जाबिर से इसी प्रकार रिवायत है।

3553:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस किसी को और उस की औलाद को उम्र भर के लिये उपहार दिया गया हो तो यह उसी काहुआ जिस को दिया गया हो, यह देने वाले को वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि उस ने ऐसा उपहार दिया है जिस में वरासत चल निकली है।

3554:— इब्ने शिहाब रह॰ ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा जैसा कि इस रिवायत को अ़क़ील और यज़ीद बिन अबी हबीब ने ज़हरी के वास्ता से इसी प्रकार रिवायत किया है। अल्बत्ता औज़ाअ़ी के शब्दों में इख़्तिलाफ़ है जो कि इब्ने शिहाब से नक़ल हुये हैं। और फुलैह बिन सुलैमान ने मालिक की हदीस की तरह रिवायत किया है।

3555:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि उम्रा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (हमेशा के लिये) लागू फ़रमाया है वही है कि यूँ कहे: "यह तेरे लिये है और तेरी औलाद केलिये हैं। और जब यूँ कहे "तेरे जीते जी यह तेरे लिये है" तो यह उस के मालिक को लौट आयेगा।

फ़ाइदा:— यह जाबिर रज़ि॰ का अपना ख़याल है। दूसरी सहीह रिवायतों में "तेरी औलाद के लिये" की शर्त का ज़िक्र नहीं है।

3556:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: फरक़्बा या उम्रा की शक्ल में उपहार मत दिया करो। जिसे कोई चीज़ रुक़्बा या उम्रा के तौर पर दी गयी हो तो वह उस के वारिसों की हो गयी (यानी जिसे दी गयी हो)

फ़ाइदा:— "रुक़्बा" में इस प्रकार कह कर हदिया दिया जाता है कि "जीते जी यह चीज़ प्रयोग

करते रहो। अगर तुम मुझ से पहले मर गये तो चीज़ (उपहार) मुझे वापस होगी वर्ना तेरी हो जायेगी" और यह शक्ल हदीस की रोशनी में दुरुस्त नहीं। रुक़्बा या उम्रा के नाम पर जो दिया जाता है वह हमेशा के लिये उसी का हो जाता है जिसे दिया जाता है। यह राजेह मज़हब है।

3557:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक अन्सारी महिला के बारे में फ़ैसला फ़रमाया जिसे उसके बेटे ने खजूरों का एक बाग़ उपहार दे रखा था और वह मर गयी तो बेटे ने कहा कि मैंने बाग़ को उस की ज़िन्दगी तक के लिये ही दिया था। उस देने वाले के और भी भाई थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "यह बाग़ ज़िन्दगी में उस के लिये था तो मौत के बाद भी उस का है।" इस पर बेटे ने कहाः मैंने तो उसे सदक़ा दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फिर तो यह बाग़ तुझ से और भी ज़्यादा दूर है (कि सदक़ा दे कर वापस लेते हो)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है कि उम्रा और रुक़्बा वापस नहीं होता और ख़ास कर जबकि सदक़ा किया हो।

बाब {रुक़्बा के अहकाम का बयान।}

3558:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उम्रा और रुक़्बा के तौर पर दिये गये उपहार उन के घर वालों के हो जाते हैं (जिन्हें दिये गये हों। वापस नहीं हो सकते)

3559:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने ज़िन्दगी भर के लिये किसी को कोई उपहार दिया हो तो ज़िन्दगी और मौत दोनों सूरतों में उस का है जिस को दिया गया है। और रुक़्बा (का हदिया) न किया करो। जिस ने कोई चीज़ इस अन्दाज़ में दी हो तो इस का रास्ता वही है (यानी जिस को दी है उस की वरासत में जायेगी)

3560:— मुजाहिद रह॰ फ़रमाते हैं कि उम्रा यह है कि एक इन्सान दूसरे से यूँ कहे कि "जब तक तुम ज़िन्दा हो तुम्हारे लिये है" तो जब इस प्रकार कह दिया तो यह चीज़ उस की होती है और फिर उस के मरने के बाद उस के वारिसों की हो जाती है।

और रुक़्बा यह है कि इन्सान दूसरे से कहे कि "यह चीज़ हम में से बाद में मरने वाले के लिये है" (यानी अगर तुम पहले मर गये तो मेरी होगी और मैं पहले मर गया तो तुम्हारी हो जायेगी)

फ़ाइदा:— रुक़्बा के बारे में ऊपर की हदीस न॰ 3556 में बयान हो चुकी है।

बाब {माँगे की चीज़ पर ज़मान (अदायगी की ज़मानत) का मस्अला।}

3561:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "हाथ के ज़िम्मा है जो उस ने लिया यहाँ तक कि उसे अदा कर दे" फिर हसन बसरी रह॰ भूल गये और

कहा "उधार लेने वाला तुम्हारा अमानतदार है, उस पर कोई ज़मानत नहीं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। सहीह मस्अला यह है कि उधार के तौर पर ली हुयी कोई चीज़ बर्बाद हो जाये तो उस की ज़मान देनी होगी।

3562:— सफ़वान बिन उमय्या रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से हुनैन की जन्ग के मौक़ा पर ज़िरह उधार ली थी तो मैंने कहाः ऐ मुहम्मद! क्या ज़बर्दस्ती लेना चाहते हो? आप ने फ़रमायाः नहीं, बल्कि उधार लेना चाहते हैं (अगर कोई गुम हो गयी तो) हम उस का बदला देंगे।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि यज़ीद बिन हारुन की यह रिवायत बग़दाद की है, लेकिन वासित में जब यह रिवायत बयान की तो शब्दों का फ़र्क़ था।

3563:— अ़ब्दुल्लाह बिन सफ़वान के ख़ान्दान के कुछ लोगों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः ऐ सफ़वान! क्या तुम्हारे पास हथियार हैं? उन्होंने कहाः उधार या ज़र्बदस्ती के तौर पर? आप ने फ़रमायाः नहीं, बल्कि उधार के तौर पर। चुनान्चे उन्होंने तीस और चालीस के दर्मियान ज़िरहें उधार दीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें हुनैन में ले गये। जब मुश्रिक लोग पराजित हो गये और ज़िरहों को इकट्ठा किया गया तो उन में कुछ गुम थीं तो आप ने सफ़वान से फ़रमायाः हम कुछ ज़िरहें गुम पाते हें तो क्या उन का तावान अ़दा करें? उन्होंने कहाः नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल! आज मेरे दिल में इस्लाम से इतनी मुहब्बत है जो उस दिन न थी (जिस दिन हथियार दिया था)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सुफ़यान ने ज़िरहें इस्लाम लाने से पहले दी थीं मगर बाद में इस्लाम ले आये थे।

फ़ाइदा:— अगर माफ़ कर दे तो ठीक, वर्ना तावान देना होगा। सफ़वान ने ज़िरहें दी थीं और स्वँय जन्ग में गये थे उस समय काफ़िर थे। लेकिन जन्ग के दौरान इस्लाम उन के दिल में घर कर गया। इसी हदीस को सनद बना कर अ़रब के बादशाहों ने अमरीका से जन्गी मदद ली थी और 1990 में इराक़ पर चढ़ाई करा दी थी। आप देखें कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुश्रिक से मदद ली है, न कि यहूदी से। चुनान्चे यहूदी से मदद लेने की सज़ा आज 25.10.2010 तक झेल रहे हैं। और कब तक झलेंगे? अल्लह पाक ही बेहतर जाने।

3564:— सफ़वान के ख़ान्दान के बाज़ लोगों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़िरहें उधार ली थीं.....और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

3565:— अबू उमामा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः अल्लाह पाक ने हर हक़ वाले को उस का हक़ दे दिया है तो अब किसी वारिस के लिये वसिय्यत नहीं। और कोई महिला अपने घर में से अपने पति की अनुमति के बिना कोई चीज़ ख़र्च न करे। आप से पूछा गया कि ऐ अल्लाह केर सूल! खाना भी नहीं? आप ने फ़रमायाः यह तो हमारे बेहतरीन माल में से होता है। फिर फ़रमायाः माँगे की चीज़ वापस करनी

होगी। और दूध का जानवर जो उपहार में दिया गया है लौटाया जाता है। क़र्ज़ अदा करना लाज़िम है और ज़ामिन आदमी ज़िम्मा अदा करेगा।

3566:— सफ़वान बिन याला अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः जब मेरा आदमी तुम्हारे पास जाये तो उसे तीस ज़िरहें और तीस ऊँट दे देना। मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मान होगी या इसे वापस अदा करेंगे? आप ने फ़रमायाः वापस अदा करेंगे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हब्बान, हिलाल राई के मामूँ हैं।

बाब {जो कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दे, तो वैसी ही चीज़ तावान दे।}

3567:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी पत्नी के घर में थे कि आप की किसी दूसरी पत्नी ने अपनी नौकरानी के हाथ (आप के पास) एक प्याला भेजा जिस में खाना था। घर वाली ने अपना हाथ मारा और प्याला तोड़ दिया। इब्ने मुसन्ना ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने टूटे हुये दोनों टुक्ड़ों को पकड़ा और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलया और उस में खाना डालने लगे और फ़रमाते जाते थे कि "तुम्हारी माँ को ग़ैरत आ गयी है" इब्ने मुसन्ना ने इतना और इज़ाफ़ा किया है (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) खाओ। चुनान्चे सब ने खाया यहाँ तक कि वह (पत्नी) प्याला लेकर आ गयीं जो उन के घर में था (मुसद्दद की हदीस के शब्द यह हैं कि) आप ने फ़रमायाः खाओ, और आप ने नौकरानी को प्याले के लिये रोके रखा यहाँ तक कि आप खा चुके। फिर आप ने सहीह और साबूत प्याला नौकरानी के हवाले किया और टूटा हुआ घर में रख लिया।

3568:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कोई महिला नहीं देखी जो सफ़िय्या जैसा खाना बनाने वाली हो। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये खाना तय्यार किया और आप की ख़िदमत में (मेरे घर में) भेज दिया। मुझे इस पर गुस्सा आ गया तो मैंने उस बर्तन को तोड़ दिया। फिर मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस का कफ़्फ़ारा क्या है जो मैंने किया है? आप ने फ़रमायाः बर्तन के बदले बर्तन और खाना के बदले खाना।

बाब {जानवर, जो किसी क़ौम की खेती ख़राब कर जायें।}

3569:— हराम बिन मुहय्यिसा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ की ऊँटनी एक बाग़ में दाख़िल हो गयी और उन की खेती ख़राब कर दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमायाः खेती वालों के ज़िम्मा है कि दिन को (उस खेती) की सुरक्षा करें और जानवर के मालिक पर लाज़िम है कि रात को उन की सुरक्षा करें (यानी बाँध कर रखें)

3570:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरी एक ऊँटनी थी जो बहुत नुक़्सान किया करती थी। चुनान्चे उस ने एक बाग़ में घुस कर वहाँ नुक़्सान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में बात की गयी तो आप ने फ़ैसला फ़रमायाः दिन के समय बाग़ की

निग्रानी और हिफ़ाज़त उन के मालिक के ज़िम्मा हैऔर रात के समय जानवरों की निग्रानी उन के मालिक के ज़िम्मा है। और रात के समय जानवर को नुक़्सानन कर जायें तो वह उन के मालिक के ज़िम्मा है (कि उसे पूरा करें)

❀ ❀ ❀

(23) क़ज़ा (न्याय) के मसाइल का बयान

बाब {क़ाज़ी का पदभार स्वीकार करना।}

3571:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने क़ाज़ी का औहदा (पदभार) लिया तो वह छुरी के बिना ही ज़ब्ह कर दिया गया।

3572:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे लोगों का क़ाज़ी बना दिया गया, उसे छुरी के बिना ही ज़ब्ह कर दिया गया।

फ़ाइदा:— इस का अर्थ यह है कि क़ाज़ी का पद बड़ी ज़िम्मेदारी से भरा हुआ है, इसलिये जिस के सर इस पद को लादा जाये वह भरसक हक़ और इन्साफ़ पर साबित रहे, किसी की तरफ़दारी न करे, अन्याय से दूर रहे, हर समय अल्लाह पाक से दुआ़ करता रहे।

बाब {क़ाज़ी जो ग़लती कर जाये।}

3573:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ाज़ी तीन प्रकार केहोते हैं। उन में एक जन्नत में है और दो आग में। जन्नत में जाने वाला वह है जिस ने हक़ पहचाना और उस के अनुसार फ़ैसला किया। और जिस ने हक़ पहचाना और फ़ैसला करते समय अन्याय किया तो वह आग में है। और जिस ने जाहिल होते हुये लोगों के फ़ैसले किये वह भी आग में है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस विषय में यह हदीस सब से अधिक सहीह है। यानी बुरैदा की हदीस कि क़ाज़ी तीन प्रकार के होते हैं।

3574:— अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई हाकिम न्याय करे और अच्छी तरह सोच विचार और ग़ौर फ़िक्र से काम ले और दुरुस्त नतीजा पर पहुँचे तो उस के लिये दो गुना अज्र है। और जब अच्छी तरह सोच समझ कर और ग़ौर फ़िक्र कर के फ़ैसला करे लेकिन ग़लती हो जाये तो उस के लिये एक सवाब है

(यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने कहा) मैंने यह रिवायत अबू बक्र बिन हज़्म से बयान की तो उन्होंने कहाः मुझे अबू सलमा ने अबू हुरैरा रज़ि० से ऐसे ह रिवायत की है।

3575:— अबू हुरैरा रजि० सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने मुसलमानों में क़ाज़ी के पदभार को तलब किया और उसे हासिल कर लिया, फिर उस का न्याय और इन्साफ़ करना अत्याचार करने पर ग़ालिब रहा, तो उस के लिये जन्नत है और जिस का जुल्म उस के इन्साफ़ पर ग़ालिब रहा, उस के लिये जहन्नम है।

3576:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० ने बयान किया कि सूरः माइदा की यह तीनों आयतें (व-मन् लम् यह्कुम् ता........ अल् फ़ासिकून) यहूदियों के क़बीले ख़ास कर बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर के बारे में नाज़िल हुयी थीं।

बाब **{क़ज़ा का पदभार तलब करना और फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी करना।}**

3577:— अ़ब्दुरहमान अज़रक़ कहते हैं कि (शायद कूफ़ा में) बाबे कन्दा की तरफ़ से दो आदमी आये जबकि अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि० मज्लिस में बैठे हुये थे। उन दोनों ने कहाः क्या कोई हमारे दर्मियान फ़ैसला कर देगा? मज्लिस में से एक आदमी ने कहाः मैं कर देता हूँ। यह सुन कर अबू मस्ऊद ने एक मुट्ठी भर कन्करी ली और उसे दे मारा और फ़रमायाः इस से दूर रहो, क्योंकि फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी को (सहाबा में) नापसन्द किया जाता था।

3578:— अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना : जिस ने क़ाज़ी (न्यायधीश) का पदभार तलब किया और उस के लिये लोगों से मदद माँगी (यानी सिफ़ारिश कराई) तो यह पद और काम उसी पर डाल दिया जायेगा (यानी अल्लाह पाक की मदद न होगी) और जिस ने उसे तलब किया और लोगों से मदद न चाही तो अल्लाह पाक उस के लिये एक फ़रिश्ता नाज़िल फ़रमाता है जो उसे सीधी राह सुझाता रहता है।

3579:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि० से रिंवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई उस पर और काम को तलब करेगा हम उसे हर्गिज़ नहीं देंगे।

बाब **{रिश्वत (घूस) हराम है।}**

3580:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले को लानत फ़रमाई है।

बाब **{हाकिम, क़ाज़ी और दूसरे औहदेदारों के लिये हदिया का मस्अला।}**

3581:— अ़दी बिन उमैर कन्दी रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों! तुम में से जिस किसी को हमारी तरफ़ से कोई पदभार (अ़मलदारी) सौंपी गयी हो, फिर उस ने वसूली में से कोई चीज़ सूई के नाके के बराबर या इस से भी कम या अधिक मात्रा में कोई चीज़ छुपा लिया, तो वह गले का तौक़ बन जायेगा, जिसे पहने हुये वह क़ियामत के दिन

हाज़िर होगा। यह सुन कर एक अन्सारी नौजवान जो काले रन्ग का था खड़ा होगया (गोया मैं उसे देख रहा हूँ) कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझ से अपना काम (पदभार) वापस ले लीजिये। आप ने पूछाः क्या हुआ? उस ने कहाः मैंने आप को इस इस प्रकार फ़रमाते सुना है। आप ने फ़रमायाः (हाँ) मैं यही कहता हूँ। जिस को मैंने कोई काम सौंपा तो उसे चाहिये कि उस की वसूली थोड़ी हो या ज़्यादा सब कुछ ले आये। और फिर उस में से जो कुछ उसे (ख़िदमत के बदले में) दिया जाये वह ले ले और जिस से रोक दिया जाये उस से रुक जाये।

फ़ाइदा:- दीनी कामों में लगान, माल गुज़ारी, ज़कात आदि की वसूली सब से अहम काम है। इस में निय्यत बिगड़ने का हर समय डर रहता है। चोरी, ख़ियानत आदि लोग करते रहते हैं, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चेतावनी दी और आख़िरत के दिन हिसाब-किताब को याद दिलाया।

बाब **{फ़ैसला करने के आदाब।}**

3582:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे यमन का क़ाज़ी बना कर रवाना फ़रमाया तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं नौजवान शख़्स हूँ इसलिये मुझे फ़ैसला करने का तजरुबा नहीं है। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हारे दिल को हिदायत देगा और तुम्हारी ज़बान को साबित रखेगा। जब मुक़दमे के दोनों फ़रीक़ तुम्हारे सामने बैठें तो उस समय तक फ़ैसला न करना जब तक दूसरे से न सुन लेना जैसा कि पहले वाले से सुना है क्योंकि इस प्रकार दोनों फ़रीक़ की सुन लेने के बाद फ़ैसला तुम्हारे लयि स्पष्ट हो जायेगा। अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं वहाँ का क़ाज़ी बना रहा था, या यह कहा कि "मुझे इस के बाद फ़ैसला करने में कोई तर्ददुद नहीं हुआ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन और दूसरी सहीह हदीसों से मस्अले की ताईद होती है।

बाब **{क़ाज़ी से फ़ैसला करने में अगर ग़लती हो जाये तो?}**

3583:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं एक इन्सान हूँ, तुम अपने झगड़े मेरे पास लाते हो और हो सकता है कि तुम में से कोई दूसरे के मुक़ाबले में अपनी हुज्जत पेश करने में अधिक चर्ब ज़बान हों, और फिर मैं उस के कहने के अनुसार फ़ैसला कर दूँ, तो जिस किसी के लिये मैं उस के भाई के हक़ में फ़ैसला कर दूद तो वह उस में से कुछ न ले, बिला शुब्हा मैं उस के लिये आग का टुक्ड़ा काट रहा हूँ।

3584:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास दो व्यक्ति आये, उन का मीरास के मामले में झगड़ा था और उन के पास सिवाए अपने-अपने दावे के और कोई गवाह न था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। चुनान्चे वह दोनों रोने लगे और हर एक दूसरे से कहने लगाः मेरा हक़ तुम्हारे लिये है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन दोनों से फ़रमायाः जब तुम ऐसा करते हो तो आपस में बाँट लो, और हक़ का इरादा करो, फिर आपस में गोटी डाल लो

(हिस्से की पहचान के लिये) फिर जो ज़्यादती की है उसे एक–दूसरे से माफ़ करा लो।

3585:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की कि दो आदमियों के दर्मियान का झगड़ा था और कुछ और मामले थे जिन के निशान मिट गये थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस चीज़ केबारे में मुझ पर कुछ नाज़िल न हुआ हो उस में मैं अपनी राय से फ़ैसला करता हूँ।

फ़ाइदा:— क़ाज़ी का फ़ैसला केवल ज़ाहिर में लागू होता है और वादी–प्रतिवादी दोनों अपने तौर पर अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हक़ पर है और कौन नाहक़ पर है। तो जहाँ मामला साफ़ हो वहाँ ज़ालिम को अपने भाई का हक़ मारते हुये समझ लेना चाहिये कि वह फ़ैसले के बावजूद आग का टुक्ड़ा ले रहा है।

3586:— इब्ने शिहाब रह॰ ने रिवायत किया कि उमर बिन खत्ताब रज़ि॰ ने मिंबर पर फ़रमायाः ऐ लोगों! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की राय बिल्कुल हक़ हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें अल्लाह पाक सुझाता था। और हमारी राय अटकल और गुमान और सिर्फ़ तकल्लुफ़ होते हैं।

3587:— अहमद बिन अ़ब्दा ज़ब्बी कहते हैं कि हमें मआ़ज़ बिन मआ़ज़ ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे अबू सुफ़यान शामी (हुरैज़ बिन उस्मान) ने बयान किया और (मुआ़ज़ बिन मआ़ज़ ने कहा कि) मैं किसी शाम के व्यक्ति को हुरैज़ बिन उस्मान से अफ़ज़ल नहीं समझता।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस न॰ 3586 ज़ओ़फ़ है, लेकिन 3587 से उस की ताईद होती है। तीनों हदीसों से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी राय से जो फ़ैसले फ़रमाते थे वह ग़लती से पाक होते थे, क्योंकि अल्लाह पाक वह्यि द्वारा उन के फ़ैसले को दुरुस्त कर देता था।

बाब {मुक़दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के सामने कैसे बैठें?}

3588:— अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मुद्दओ़ी मुद्दआ़ अ़लैह (वादी–प्रतिवादी) दोनों क़ाज़ी के समाने बैठें।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन सहीह यही है किसी फ़रीक़ को अदालत में कोई तर्जीह न दी जाये, दोनों साथ–साथ बैठें।

बाब {क़ाज़ी का गुस्से की हालत में फ़ैसला करना।}

3589:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा अपनेपिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई हकम (फ़ैसला करने वाला) गुस्से की हालत में दो फ़रीक़ों के दर्मियान फ़ैसला न करे।

फ़ाइदा:— क्योंकि ऐसी हालत में फ़ैसला ख़िलाफ़ हो सकता है। बीमारी की वजह से तक्लीफ़ और दर्द होतो इस हालत में भी फ़ैसला नहीं करना चाहिये, इस को भी गुस्सा पर क़ियास करना चाहिये।

बाब {ज़िम्मी लोगों (कुफ़्फ़ार) में फ़ैसला करना।}

3590:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि पहले यह आयत नाज़िल हुयी "अगर यह यहूदी लोग आप के पास आयें तो आप उन के दर्मियान फ़ैसला फ़रमायें या न फ़ैसला करें" (सूरः माइदा-42) फिर इस आयत को मन्सूख़ कर दिया गया और फ़रमायाः "आप उन के दर्मियान फ़ैसला फ़रमायें उस चीज़ के साथ जो अल्लाह ने नाज़िल की है" (सूरः माइदा-48)

3591:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने रिवायत किया है कि जब यह आयत (सूरः माइदा-42) नाज़िल हुयी (तो उन्होंने नाज़िल होने का सबब) बयान किया कि बनी नज़ीर, बनी कुरैज़ा के किसी शख़्स को क़त्ल कर देते तो आधी दियत दिया करते और अगर बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर का कोई आदमी क़त्ल कर देते तो पूरी दियत देते थे। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दियत को उन के दर्मियान बराबर-बराबर कर दिया।

बाब {फ़ैसला करने में इज्तिहाद और राय से काम लेना।}

3592:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ के कुछ सहाबा ने रिवायत किया जो हिम्स के रहने वाले थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब इरादा फ़रमाया कि मआ़ज़ रज़ि॰ को यमन भेजें तो आप ने पूछाः जब कोई मुक़दमा तुम्हारे सामने पेश होगा तो फ़ैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहाः मैं अल्लाह की किताब से फ़ैसला करूँगा। आप ने फ़रमायाः अगर अल्लाह की किताब में न मिला तो? उन्होंने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक़ फ़ैसला करूँगा। फ़रमाया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह की किताब में भी न मिला तो? उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय इस्तेमाल करने में कमी नहीं करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन का सीना थपकाया और फ़रमायाः उस अल्लाह की तारीफ़ है जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सन्देश लाने वाले को इस बात की तौफ़ीक़ दी जिस पर अल्लाह का रसूल खुश है।

फ़ाइदा:— यह हदीस लोगों के दर्मियान बहुत मशहूर है, मगर यह ज़ईफ़ है। (1) हदीस मुर्सल है (2) मआ़ज़ के सहाबा (साथियों) का नाम निशान नहीं है (3) हारिस बिन अ़म्र मजहूल है। फिर इस हदीस में यह कमी है कि कुरआन और हदीस को दो माना है, यह सहीह नहीं है।हदीस कुरआन की तफ़सीर है, कुरआन से अलग चीज़ नहीं है। इसलिये फ़ैसला के समय कुरआन और हदीस को एक-साथ देखना चाहिये। हर मस्अला बयक वक़्त कुरआन और सुन्नत में तलाश किया जाये।

3593:— मआ़ज़ रज़ि॰ के चन्द असहाब ने मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें जब यमन भेजा......और फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {सुलह-समझौता कर लेने का बयान।}

3594:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया

है "मुसलमानों का आपस में सुलह कर लेना जाइज़ है।

अहमद (बिन अ़ब्दुल वाहिद) ने यह भी कहा कि "सिवाए ऐसी सुलह-समझौता के जो किसी हराम को हलाल, या किसी हलाल को हराम बनाये। सुलैमान बिन दावूद ने इतना और इज़ाफ़ा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "मुसलमान अपनी शर्तों के पाबन्द हैं"

3595:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के जमाना में आप ने इब्ने अबी हदरद से अपने क़र्ज़े का मुतालबा किया। यह मस्जिद में थे कि उन की आवाज़ ऊँची हो गयीं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने घर में से सुन लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की तरफ़ निकले और कमरे का पर्दा उठाया और कअ़ब बिन मालिक को आवाज़ देते हुये कहा: ऐ कअ़ब! उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आप ने अपने हाथ से उन्हें इशारा फ़रमाया कि अपना आधा क़र्ज़ा माफ़ कर दो। कअ़ब ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूसरे से फ़रमाया: उठो और तुम (अब उस आधे को तो) अदा कर दो।

बाब {गवाहियों का बयान।}

3596:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाह न बताऊ? जो गवाही माँगने से पहले ही खुद से अपनी गवाही पेश कर दे। अ़ब्दुल्लाह बिन अबू बक्र को हदीस के अल्फ़ाज़ में शक है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक ने कहा है कि इस से मुराद यह है कि हक़दार को ज्ञान न हो कि उस का गवाह कौन है। हमदानी ने कहा: वह (खुद से) अपने आपको क़ाज़ी के सामने पेश कर दे। इब्ने सरह ने कहा: या इमाम (हाकिम) के सामने पेश कर दे। हमदानी की रिवायत में "अख़बरना" है। इब्ने सरह ने (रावी का नाम) इब्ने अबी अ़म्रा बयान किया है। अ़ब्दुर्रहमान (बिन अबू अम्रा) नहीं ज़िक्र किया है।

फ़ाइदा:— इस हदीस में उन लोगों की आलोचना की गयी है जो झूठे हों, किसी का हक़ मारने या किसी दूसरे को फ़ाइदा पहुँचाने के लिये यह क़समें खायें और आगे बढ़-चढ़ कर खुद से गवाही दें। लेकिन जो किसी कमज़ोर, ग़रीब, यतीम वग़ैरह का हक़ दिलवाने के लिये खुद ही बढ़ कर गवाही दे दे तो यह नेक काम है और बेहतरीन कहलायेगा।

बाब {जो कोई हक़ीक़त जाने बिना किसी झगड़े में सहयोगी बने।}

3597:— यहया बिन राशिद ने बयान किया कि हम इब्ने उमर रज़ि॰ के इन्तिज़ार में बैठे हुये थे कि आप तशरीफ़ लाये और बैठ गये, फिर फ़रमाया: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि, "जिस किसी की सिफ़ारिश अल्लाह के किसी हद के लागू करने में आड़े आई तो उस ने अल्लाह की मुख़ालिफ़त की और जिस ने जानते-बूझते बातिल (की मदद) में झगड़ा किया तो वह अल्लाह की नाराज़ी में रहेगा यहाँ तक कि उस से रुक जाये। और जिस ने किसी

मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उस में नहीं थी तो अल्लाह पाक उसे जहन्नमी लोगों की पीप में डालेगा (वह उसी का मुस्तहिक़ रहेगा) यहाँ तक कि अपनी बात से रुक जाये।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नाजाइज़ काम में सिफ़ारिश नहीं करना चाहिये। दूसरे यह कि अगर मामला क़ाज़ी के पास पहुँच चुका है तो उस के फ़ैसले में रुकावट नहीं बनना चाहिये।

3598:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है और फ़रमाया कि "जिस ने किसी ज़ुल्म के झगड़े में मदद की तो वह अल्लाह पाक की नाराज़ी के साथ लौटा।

बाब {झूठी गवाही का बयान।}

3599:— ख़ुरैम बिन फ़ातिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो सीधे खड़े हो गये और फ़रमायाः झूठी गवाही देना, अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने के बराबर है। आप ने तीन बार फ़रमाया। फिर आप ने यह आयत तिलावत फ़रमायीः "बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से बचो, अल्लाह पाक की तरफ़ यकसू रहो इस हाल में कि उस के साथ शिर्क करने वाले न हो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन अर्थ सहीह है। देखें बुख़ारी–2653।

बाब {किन लोगों की गवाही क़ुबूल नहीं।}

3600:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ियानत करने वाले मर्द और महिला और अपने भाई के साथ कीना और नफ़रत रखने वाले की गवाही रद्द फ़रमाई है। और ऐसे ही जो किसी घर वालों का नौकर हो, उस की गवाही भी क़ुबूल नहीं की, अल्बत्ता दूसरों के हक़ में क़ुबूल है।

इमाम अबू दावूद ने फ़रमायाः "अल् ग़िम्र" का माना कीना और दुश्मनी है। और "अल्क़ाने" से मुराद मातहत रहने वाला। जैसे कोई ख़ास नौकर होता है।

3601:— सुलैमान बिन मूसा ने अपनी सनद से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी ख़ियानत करने वाले मर्द और महिला, ज़िना करने वाले मर्द और महिला, या अपने भाई के बारे में दुश्मनी और कीना रखने वाले की गवाही जाइज़ नहीं।

बाब {शहरी के ख़िलाफ़ दीहाती की गवाही।}

3602:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "किसी दीहाती की शहरी के ख़िलाफ़ गवाही जाइज़ नहीं।

फ़ाइदा:— दीहाती की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चाँद के बारे में तस्लीम की है (अबू दावूद, किताबु स्सौम) यहाँ जो बताई गयी है वह यह है कि दीहाती एक स्थान पर रहते नहीं, सीधे-सादे होते हैं, लोगों के हालात, आ़दत और परंपरा व तौर-तरीक़ों से जानकार नहीं होते

हैं, इसलिये उन्हें मामले को समझने और जानने में ग़लती की संभावना हर समय रहती है। इसलिये किसी बस्ती या नगर के रहने वाले के मामले में उन की गवाही पर एतराज़ होगा। इसकारण से उस की गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। अल्बत्ता, वह मामले जिन का जानना बद्दू और दीहाती लोगों के लिये आसान है उस में उन की गवाही स्वीकार की जायेगी।

बाब {दूध पिलाने की गवाही।}

3603:— इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि मुझ से उक़्बा बिन हारिस रज़ि॰ ने बयान किया और मुझे यह रिवायत मेरे एक और साथी ने भी उक़्बा से बयान किया। और अपने साथी की रिवायत मुझे अधिक याद है। उन्होंने कहा कि मैंने अबू इहाब की बेटी उम्मे यहया से निकाह किया। फिर मेरे पास एक काले रन्ग की महिला आई और कहने लगीः मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। इस पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर होकर इस घटना को बयान किया तो आप ने मुझ से अपना मुँह फेर लिया। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह महिला झूट बोल रही है। आप ने फ़रमायाः तुम्हें क्या मालूम! उस को जो कुछ कहना था उस ने कह दिया। अपनी पत्नी को छोड़ दो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दूध के मामले में केवल एक ही महिला की गवाही काफ़ी है मगर यह भी ज़रुरी है कि वह महिला सच्ची हो। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ में भी है (बुख़ारी–5104–अय्यूब सुख़तयानी)

3604:— इब्ने अबी मुलैका ने उबैद बिन मरयम के वास्ता से उक़्बा बिन हारिस से रिवायत किया। इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि मैंने यह रिवायत उक़्बा से भी सुनी है, मगर मुझे उबैद का बयान ज़्यादा अच्छी तरह याद है......फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन ज़ैद ने हारिस बिन उमैर को देखा और कहाः यह अय्यूब के भरोसे मन्द शार्गिदों में से है।

बाब {सफ़र में वसिय्यत के सिलसिले में काफ़िर की गवाही।}

3605:— इमाम शोबी से रिवायत है कि एक मुसलमान का दक़ूक़ा के स्थान पर देहान्त हो गया। उसे कोई मुसलमान गवाह न मिला जो उस की वसिय्यत पर गवाह होता। उस ने अहले किताब के दो आदमियों को गवाह बना लिया। फिर वह दोनों कूफ़ा में अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ के पास आये और उन्हें बताया, और उसके तर्का और वसिय्यत को उन के सामने पेश किया। अबू मूसा ने कहाः यह मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना के बाद नहीं हुआ है। तो उन्होंने अ़स्र की नमाज़ के बाद उन से अल्लाह के नाम की क़सम ली कि उन्होंने किसी प्रकार की ख़ियानत, झूठ या तबदीली नहीं की है। उस में से न तो कुछ छुपाया है और न ही कोई तबदीली की है, और उस मय्यित की वसिय्यत और तर्का यही कुछ है। चुनान्चे उन्होंने उन की गवाही को क़ुबूल कर लिया।

फ़ाइदा:— इस बारे में अधिक जानकारी सूरः माइदा की आयत न॰ 106 ता 108 में मिलेगी।

3606:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी सहम का एक शख़्स तमीम दारी और अ़दी बिन बद्दा के साथ यात्रा पर निकला। (सफ़र के दौरान) सहमी का देहान्त हो गया जहाँ कोई मुसलमान न था। जब वह दोनों उन का तर्का लेकर आये तो (वारिसों ने) चाँदी का एक प्याला गुम पाया जिस पर सोने के पत्र चढ़े हुये थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन दोनों से क़सम ली, फिर बाद में वह प्याला मक्का में मिल गया (जिस के पास मिला) उस ने बताया कि हम ने इसे तमीम और अ़दी से मोल लिया है। फिर मरने वाले सहमी के वारिसों में से दो ने क़सम खाई और कहाः हमारी गवाही उन की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और यह प्याला हमारे आदमी का है। चुनान्चे उन्हीं के बारे में सूरः माइदा की आयत न॰ 106 नाज़िल हुयी।

फ़ाइदा:— बुदैल के दोनों साथी नसरानी थे जो बाद में ईमान लाये, फिर दोनों ने 500-500 रुपये जुर्माना के तौर पर खुद ही दिया (बुख़ारी-किताबुल वसाया)

बाब {क़ाज़ी को जब एक गवाह की सच्चाई का यक़ीन होतो एक गवाही पर भी फ़ैसला करना जाइज़ है।}

3607:— उमारा बिन खुज़ैमा से रिवायत है कि उन के चचा ने बयान किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दीहाती से घोड़ा खरीदा और उस ने कहा कि मेरे साथ आओ ताकि तुम्हारे घोड़े की क़ीमत में दे दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जल्दी-जल्दी चले जबकि दीहाती धीरे-धीरे चला। इस बीच कुछ लोग उस दीहाती के पास आकरउस के घोड़े का मोल-भाव करने लगे। उन्हें जानकारी नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस घोड़े को ख़रीद लिया है। उस दीहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पुकारा और कहाः अगर आप को घोड़ा मोल लेना है तो ले लें, वर्ना मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। आप उस दीहाती की आवाज़ सुन कर ठहर गये और कहाः क्या मैंने इस घोड़े को तुम से ख़रीद नहीं लिया है? दीहाती ने कहाः नहीं, अल्लाह की क़सम! मैंने तो इसे आप के हाथ नहीं बेचा है। आप ने फ़रमायाः क्यों नहीं, मैंने तो तुम से खरीदा है। दीहाती ने कहाः आप गवाह लाइये। इतने में खुज़ैमा बिन साबित रज़ि॰ ने कहाः मैं गवाही देता हूँ कि तुम ने इस घोड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ बेचा है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः तुम कैसे गवाही देते हो? (जबकि तुम मौजूद नहीं थे) उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप को सच्चा जानने के नाते (यानी आप को रसूल जानते हें तो आप की बात को भी सच मानते हैं) यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुज़ैमा की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर क़रार दे दिया।

फ़ाइदा:— यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास था और किसी पर भी यह लागू नहीं हो सकता।

बाब {एक गवाह और एक क़सम पर फ़ैसला करना।}

3608:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक

गवाह के साथ क़सम लेकर फ़ैसला फ़रमाया (यानी मुद्दई से क़सम ली)

3609:— अम्र बिन दीनार रह० ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की। सलमा की रिवायत में है कि अम्र ने कहा: माल के मामले में (इस प्रकार का फ़ैसला किया)

3610:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक गवाह के साथ क़सम लेकर फ़ैसला फ़रमाया (यानी मुद्दई से क़सम लेकर)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि रबीअ़ बिन सुलैमान मुअज्ज़िन ने मुझे इसरिवायत में इतना और भी कहा कि हमें इमाम शाफ़ई रह० ने अब्दुल अ़ज़ीज़ से रिवायत किया। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा कि मैंने सुहैल बिन अबू सालेह से इस रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे (मेरे शार्गिद) रबीआ़ राई ने बयान किया (और वह मेरे नज़दीक भरोसेमन्द और ठीक-ठाक हैं) कि मैं ही ने रबीआ़ से इस हदीस को बयान किया था जो मुझे याद नहीं रही। अब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा कि सुहैल बीमार हो गये थे जिस से उन की बुद्धि (हाफ़िज़ा) कमज़ोर हो गया था और वह अपनी कई हदीसों को भूल गये थे। चुनान्चे सुहैल इस के बाद यूँ सनद बयान किया करते थे कि मुझ से रबीआ़ ने रिवायत किया और उन से उन के पिता ने बयान किया।

3611:— सुलैमान बिन बलाल ने भी रबीअ़ से अबू मुसअ़ब ज़हरी की ऊपर की सनद से उसी की तरह बयान किया। सुलैमान नेकहा कि मैं सुहैल से मिला और उन से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंनेकहा कि मुझ से रबीआ़ ने आप ही के वास्ते से बयान किया है। उन्होंने कहा: अगर रबीआ़ ने तुम्हें बताया है कि उस ने मुझ से रिवायत किया है तो इस हदीस को रबीआ़ के वास्ता से मुझ से रिवायत करो।

फ़ाइदा:— वादी (मुद्दई) के पास जब एक गवाह हो तो माल और धन-माल के मुक़दमे में मुद्दई से क़सम खिला कर फ़ैसला किया जायेगा। और यह क़सम दूसरे गवाह के स्थान पर होगी।

3612:— जुबैब बिन सालब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना एक लश्कर बनू अन्बर की तरफ़ रवाना किया। उन्होंने ताइफ़ के आस-पास रकबा के स्थान पर उस क़बीला को जा पकड़ा और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पकड़ कर लाये। मैं सवार होकर उन से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच गया और मैंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आप पर सलामती हो और अल्लाह पाक की रहमतें और बर्कतें नाज़िल हों। आप का लश्कर हमारे पास पहुँचा और हमें पकड़ लिया, हालाँकि हम ने (पहले ही) इस्लाम कुबूल कर लिया था और अपने जानवरों के कान भी काट डाले थे। जब बनी अन्बर के लोग (बन्दी बना कर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच गये तो आप ने मुझ से पूछा: क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि तुम लोगों ने पकड़े जाने से पहले ही इस्लाम कुबूल कर लिया था? मैंने कहा: जी हाँ। आप ने फ़रमाया: तुम्हारे लिये कौन गवाह है? मैंने कहा: बनू अन्बर का एक व्यक्ति समुरा और एक दूसरे आदमी का भी नाम लिया। चुनान्चे उस दूसरे व्यक्ति ने गवाही दी, लेकिन समुरा ने गवाही देने से इन्कार कर दिया, तो नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चूँकि उस नेगवाही देने से इन्कार किया है, इसलिये तुम्हें अपने दूसरे गवाह के साथ क़सम उठानी पड़ेगी। मैंने कहाः जी हाँ (क़सम उठाऊँगा) तो आप ने मुझ से क़सम लिया, मैंने कहाः अल्लाह की क़सम! हम लोग फ़लाँ-फ़लाँ दिन इस्लनाम ला चुके हैं और अपने जानवरों के कान भी काट चुके हैं (कान काटना इस्लाम की पहचान थी) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपने लश्कर से) फ़रमायाः जाओ, और उन से आधा-आधा माल ले लो और उन की औलाद को हाथ मत लगाओ (उन्हें गुलाम मत बनाओ) अगर यह बात न होती कि अल्लाह पाक किसी के अ़मल (और उस की मेहनत) को बर्बाद नहीं करता है तो हम तुम से एक रस्सी भी न लेते। जुबैब ने कहा कि फिर मुझे मेरी माता जी ने बुलाया और बताया कि उस आदमी ने मुझ से मेरी थैली ली है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया यानी आप को इस बात की सूचना दी तो आप ने मुझ से कहाः उसे रोक लो। मैंने उस की गर्दन पकड़ ली तो वह अपनी जगह पर रुक गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें खड़ा देखा तो फ़रमायाः तुम अपने बन्दी के साथ का बर्ताव करना चाहते हो? यह सुन कर मैंने उसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब खड़े हुये तो उस आदमी से फ़रमायाः उस की माँ का थैला जो तुम ने लिया है उस को वापस कर दो। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से वह सामान गुम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की तलवार उतार कर मुझ दे दी और उस से कहाः जाओ और कुछ साअ़ा और अधिक उस को ग़ल्ला दे दो, चुनान्चे उस ने मुझ को कई साअ़ा जौ दिया।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। लेकिन ऊपर की हदीस इस की ताईद करती है। अगर वादी दो गवाह न पेश कर सके तो एक गवाह के साथ वह क़सम खाये ताकि गवाही की निसाब पूरा हो जाये। अगर एक भी गवाह मौजूद न हो तो क़सम प्रतिवादी के ज़िम्मा है जिस प्रकार हदीस न॰ 3619 में बयान हुआ है।

बाब {जब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन उन के पास गवाह न हों।}

3613:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि दो आदमियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक ऊँट या किसी जानवर का दावा किया, लेकिन किसी के पास गवाह न था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को दोनों के दर्मियान (आधा-आधा) बाँट दिया।

फ़ाइदाः— अगर वादी के पास एक गवाह है तो दूसरे गवाह की कमी को पूरा करने के लिये वह क़सम खायेगा। अगर उस के पास कोई गवाह नहीं और प्रतिवादी क़सम नहीं खाना चाहता तो क़ाज़ी दोनों की इजाज़त से माल को आधा-आधा बाँट भी सकता है। अगर दोनों समझौते पर राज़ी नहीं हैं तो क़ाज़ी यह भी तरीक़ा अपना सकता है कि दोनों में से जो भी क़सम खायेगा माल उस का होगा। अगर फिर भी दोनों क़सम खाने से इन्कार करें तो गोटी डाली जायेगी जिसके नाम निकलेगी उसे क़सम खानी पड़ेगी, यह फिर माल को छोड़ना होगा। हदीस न॰ 3613 से 3619 तक की ऊपर

की हदीसों को खुलासा यही है।

3614:— सअ़ीद बिन अबू बुर्दा रह॰ ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है।

3615:— इमाम क़तादा ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में दो आदमियों ने एक ऊँट का दावा किया और उन दोनों ने दो–दो गवाह भी पेश कर दिये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस ऊँट को उन दोनों के दर्मियान आधा–आधा कर के तक़सीम कर दिया।

3616:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि दो आदमी किसी माल का मामला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। उन में से किसी के पास कोई गवाह न था तो आप ने फ़रमायाः क़सम खाने के लिये गोटी डालो, फिर जिस का नाम निकल आये (उसे मिलेगा) तुम्हें चाहे यह फ़ैसला पसन्द हो या न हो (फ़ैसला यही है कि जो क़सम खायेगा माल वही लेगा)

3617:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर दोनों क़सम खाना पसन्द न करें, या दोनों ही क़सम खाने को तय्यार हैं, तो क़सम खाने केलिये गोटी डाल लें।

सलमा बिन शबीब ने कहाः हमें मामर ने ख़बर दी कि जब दोनों क़सम खाने पर मजबूर कर दिये जायें (यानी क़सम न खाना चाहें) तो गोटी डाल लें (कि कौन क़सम खाये)

3618:— सअ़ीद बिन अबी अ़रुबा ने हज्जाज बिन मिन हाल की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है और कहा कि दो आदमियों ने एक जानवर को लेकर झगड़ा किया, लेकिन किसी के पास गवाह नहीं था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि क़सम खाने के लिये गोटी (कुरा) डालें (और जिस के नाम निकले वही क़सम खाए)

बाब **{जब वादी (मुद्दअ़ी) के पास गवाह न हों तो प्रतिवादी (मुद्दआ़ अ़लैह) क़सम खाए।}**

3619:— इब्ने अबी मुलैका ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास ने मुझे लिख भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया था कि (वादी के पास गवाह न हों तो) प्रतिवादी क़सम खाये।

बाब **{क़सम कैसे उठाई जाये।}**

3620:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस से क़सम खाने को कहा था उस से कहा कि "तू उस अल्लाह की क़सम खा जिस के अ़लावा कोई माबूद नहीं कि तेरे पास उस वादी का कोई चीज़ नहीं है।"

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि हदीस के रावी अबू यहया का नाम ज़ियाद है जो कूफा का रहने वाला है और भरोसे मन्द है।

बाब **{क्या जब प्रतिवादी (मुद्दा अ़लैह) ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो वह भी क़सम खाये।}**

3621:— अश्अ़स बिन क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे और एक यहूदी के दर्मियान ज़मीन में साझेदारी थी, लेकिन वह मुझे देने से इन्कारी होगया। मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले गया तो आप ने मुझ से पूछाः क्या तुम्हारा कोई गवाह है? मैंने कहाः नहीं। आप ने यहूदी से कहाः क़सम खाओ। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो क़सम खा ही लेगा और मेरा माल मार लेगा। इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं...... (सूरः आले अिम्रान-77)

फ़ाइदा:— मामलेदारी में अगर प्रतिवादी काफ़िर है तो उस से भी क़सम उठाया जायेगा और फिर फ़ैसला किया जायेगा।

बाब {किसी से उस की जानकारी के मुताबिक़ क़सम उठाना जबकि वह उस (झगड़े वाले मामले) में मौजूद न रहा हो।}

3622:— अश्अ़स बिन क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि बनू कन्दा और हिज़र मूत के दो आदमी एक जमीन का झगड़ा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये, वह यमन में थी। हज़रमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस के पिता ने मेरी ज़मीन हथिया ली थी जो अब उस के क़ब्ज़े में है। आप ने हज़रमी से पूछाः तुम्हारे पास कोई गवाह है? उस ने कहाः नहीं। लेकिन मैं अल्लाह की क़सम देकर उस से पूछता हूँ कि क्या वह नहीं जानता है कि यह जमीन मेरी है लेकिन इस के पिता ने मुझ से ज़र्बदस्ती छीन ली थी? इस पर वह शख़्स क़सम खाने को तय्यार हो गया.... पूरी हदीस (जैसा कि 3244 में गुज़री)

3623:— अल्क़मा बिन वाइल अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हिज़र मूत और बनी कन्दा के दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। हज़रमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस आदमी ने मेरी ज़मीन को हथिया लिया है जो कि मेरे पिता की थी। कन्दी ने कहाः यह ज़मीन मेरी है और मेरे क़ब्ज़े में है, मैं इस से खेती-किसानी करता हूँ, उस का इस ज़मीन में कोई हक़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रमी से पूछाः तुम्हारे पास कोई गवाह है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः फिर तेरेलिये उस की क़सम है। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह ग़लत आदमी है, इस को इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि किस बात पर झूठी क़सम खा रहा है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। आप ने फ़रमायाः तेरे लिये उस से बस यही है (कि वह क़सम खा ले)

फ़ाइदा:— वह झूठी क़सम खाता है या सच्ची, वह नेक है या बुरा, उस का जूता उस के सर, झूठ बोलेगा तो स्वँय गुनहगार होगा।

बाब {ज़िम्मी काफ़िर से क़सम कैसे ली जाये?}

3624:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूँ, जिस ने मूसा पर तौरात नाज़िल फ़रमाई, तुम लोग

ज़िना करने वाले के बारे में तौरात में क्या पाते हो? फिर रज्म वाली हदीस बयान की।

3625:— इमाम जोहरी रह॰ ने भी अपनी सनद से इस हदीस को रिवायत किया है और कहा कि मुझे क़बीला मुज़ैना के एक आदमी ने बयान किया जो आ़लिम था और हाफ़िज़ था। उस ने सअ़ीद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— रज्म वाली हदीस आगे हदीस न॰ 4450 और 4451 में आ रही है।

3626:— इक्रमा रह॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्ने सूरया (यहूदी) सेकहाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की याद दिलाता हूँ जिस ने तुम्हें फ़िर्औन के लोगों से नजात दी, तुम्होर लिये समुन्दर को फाड़ा, तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया, और मन्न-सलवा नाज़िल किया, और तुम्हारे लिये मूसी पर तौरात नाज़िल फ़रमाई, क्या तुम अपनी किताब में रज्म का हुक्म पाते हो? उस ने कहाः आप ने तो मुझे बहुत बड़ी ज़ात की याद दिलाई है और मेरे लिये सभंव नहीं कि आप को झूठला सकूँ......और पूरी हदीस (4450, 4451 की तरह बयान की)

फ़ाइदा:— यह हदीसें ज़ओ़फ़ हैं, लेकिन शवाहिद की बुनियाद पर ठीक-ठाक हैं। मालूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिम ज़िम्मी से उसके मज़हब के हवाले से क़सम खिलाया जायेगा। लेकिन मुसलमान क़ाज़ी के पास अपने मज़हब के अनुसार उसी समय क़सम उठा सकते हैं जबकि दीन इस्लाम उन के मज़हब की तस्दीक़ कर दे और उन के संदेष्टाओं को भी सच्चा कह दे।

बाब {आदमी अपने हक़ के हासिल करने के लिये क़सम खा ले।}

3627:— औ़फ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दर्मियान फ़ैसला फ़रमाया। तो मुक़दमा हार जाने वाले ने पीठ फेर कर कहाः हस्बि-यल्लाहु वने-मल् वकीलु (मुझे अल्लाह काफ़ी है और वह बेहतरीन निगरानी करने वाला है) यह सुन कर आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक आ़जिज़ी (और मेहनत व कोशिश न करने) पर मलामत फ़रमाता है। तुम्हें चाहिये कि होशियारी (मामलात में सूझ-बूझ, मेहनत और कोशिश से) काम लो, फिर जब कोई मामला तुम्हारे ऊपर ग़ालिब आ जाये तब कहो: हस्बि-यल्लाहु वने-मल् वकील।

बाब {क़र्ज़ वग़ैरह में क़र्ज़ लेने वाले को क़ैद कर लेना।}

3628:— अ़म्र बिन शरीद अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मालदार का क़र्ज़ को अदा करने में टाल-मटोल से काम लेना उस की बेइज़्ज़ती और सज़ा को हलाल कर देता है।

इब्ने मुबारक ने कहा कि "उस की बेइज़्ज़ती को हलाल कर देता है" यानी उस के साथ सख़्ती से पेश आया जाये। "सज़ा को हलाल कर देता है" यानी उस को क़ैद कर लिया जा सकता है।

3629:— हिरमास बिन हबीब .... जो कि एक दीहाती आदमी थे .... अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि मैं अपने एक क़र्ज़दार को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर आया तो आप ने मुझ से फ़रमायाः इस के साथ चिमटे रहो। फिर आप ने

मुझ से फ़रमायाः ऐ बनी तमीम के भाई! तुम अपने क़ैदी के साथ क्या मामला करना चाहते हो?

3630:— बहज़ बिन हकीम अपने पिता से और वह उन के दादा (मुआ़विया) सेरिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी को आरोप (शुब्हा) में क़ैद किया था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दो-चार दिनकेलिये जब तक सच्चाई सामने न आ जाये किसी आरोपी को बन्द किया जा सकता है, लेकिन चन्द दिनों के लिये। हमारे मुल्क के जेलों की तरह नहीं कि 20-20 साल से लोगों के मामले कोर्ट में अटके हुये हैं और आरोपी 20-20 साल से जेलों में सड़ रहे हैं।

3631:— बह्ज़ बिन हकीम अपने पिता से और वह उन के दादा (मुआ़विया बिन हीदा) से रिवायत करते हैं। इब्ने क़ुदामा ने कहाः मुआ़विया के भाई या चचा। और मोमल (यानी इब्ने हिशाम) ने कहा कि मुआ़विया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने खड़े हुये उस समय आप खुत्बा दे रहे थे। उन्होंने कहाः मेरे पड़ोसियों को किस कारण पकड़ा गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो बार उन की तरफ़ कोई तवज्जोह नहीं की। तो फिर मुआ़विया ने कुछ कहा तो आप ने फ़रमायाः मुआ़विया के पड़ोसियों को आज़ाद कर दो। मोमल ने अपनी रिवायत में "खुत्बा देने का ज़िक्र" नहीं किया है।

फ़ाइदा:— उन्हें किसी आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन जब आरोप सिद्व नहीं हुआ तो छोड़ दिया।

बाब {किसी को अपना वकील बनाना।}

3632:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने ख़ैबर जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और आप को सलाल कर के अनुरोध किया कि मैं ख़ैबर जाना चाहता हूँ। आप ने फ़रमायाः जब तुम मेरे वकील के पास पहुँचना तो उस से 15 वसक़ ग़ल्ला वसूल कर लेना, और अगर वह तुम से कोई प्रमाण (सबूत-निशानी) माँगे तो उस के गले पर अपना हाथ रख देना।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। ताहम वकील बनना-बनाना जाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपना ज़ाती काम अपने वकील द्वारा कराते थे, जैसे बकरी ख़रदने की घटना (बुख़ारी-3642) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सरकारी पदों पर जो लोग थे वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वकील और नाइब ही थे। और आजकल के ज़माना में तो सरकारी मुहकमों में वकील के बिना कोई काम ही नहीं होता है।

बाब {क़ज़ा से संबन्धित दीगर अहकाम-मसाइल।}

3633:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारा किसी राह के बारे में झगड़ा हो तो सात हाथ रास्ता छोड़ दो।

फ़ाइदा:— ताकि एक ऊँट आ रहा हो और एक जा रहा हो तो दोनों आसानी से गुज़र जायें।

आज कल की गाड़ियों को सामने रख कर उसी हिसाब से चौड़ी छोड़ें। है कोई और दीन जो इन सब बातों की रहनुमाई करता हो? इस बात का शर्फ़ दीन इस्लाम को केवल प्राप्त है।

3634:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम से काई भाई इजाज़त चाहे कि तुम्हारी दीवार में लकड़ी गाड़ ले तो उसे मत रोको। यह सुन कर सुनने वालों ने अपनी गर्दनें झुका लीं। अबू हुरैरा रज़ि॰ कहने लगेः क्या बात है कि तुम इस पर अ़मल नहीं करते हो, मैं तो इसे तुम्हारे कन्धों पर टिकाऊँगा।

इमाम अबू दावूद नें कहा कि यह रिवायत इब्ने अबी ख़ल्फ़ की है और मुकम्मल है।

फ़ाइदा:— हदीस में बयान बातें अपने स्थान पर दुरुस्त हैं। लेकिन जहाँ खूँटी गाड़ कर क़ब्ज़ा करना उद्वेश्य हो, ऐसे स्थान पर बिल्कुल इज़ाज़त देने की ज़रुरत नहीं, वर्ना बाद में कोर्ट और कचेहरियों के चक्कार काटने पड़ेंगे, और लेने के देने पड़ जायेंगे।

3635:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी अबू सिरमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने (अपने मुसलमान भाई को) नुक़सान पहुँचाया अल्लाह पाक भी उस को नुक़सान पहुँचाये। और जिस ने किसी (मुसलमान) को परेशानी में डाला, अल्लाह पाक भी उस को परेशानी में डाले।

3636:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्सारी के बाग़ में मेरे भी चन्द खजुर के पेड़ थे। उस अन्सारी के घर वाले भी उसी बाग़ में रहते थे। मैं जब उस बाग़ में अपने पेड़ों के लिये जाता तो अन्सारी को तक्लीफ़ होती और उन्हें मेरा आना-जाना बुरा लगता था। चुनान्चे अन्सारी ने मुझ से कहा कि तुम अपने खजूर के पेड़ मेरे हाथ बेच दो तो मैंने इन्कार कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा उन पेड़ों के बदले में (दूसरे स्थान पर) दूसरे पेड़ ले लो, तो फिर मैंने इन्कार कर दिया। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और पूरी घटना की जानकारी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी मुझ से कहा कि अन्सारी के हाथ अपने पेड़ बेच दो तो फिर मैंने इन्कार कर दिया। आप ने फिर कहा कि अच्छा उन पेड़ों के बदले में (दूसरे स्थान पर) दूसरे पेड़ ले लो, फिर भी मैंने इन्कार कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम उस को हिबा कर दो तो तुम्हें इतना-इतना सवाब मिलेगा। मैंने फिर भी उस अन्सारी को हिबा करने से इन्कार कर दिया तब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तू नुक़सान पहुँचाने वाला है और अन्सारी से कहाः जाओ और उस के खजूरों के पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन अगर कहीं इस प्रकार का मामला सामने आ जाये तो क़ाज़ी को हक़ है कि वह लड़ाई-झगड़ा और फ़साद को समाप्त करने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है।

3637:— अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी ने पथरीली ज़मीन में से आने वाले पानी के एक नाले के बारे में जुबैर रज़ि॰ से झग़ड़ा किया जिस से यह अपने खेतों को सींचते

थे। अन्सारी ने जुबैर से कहाः पानी को छोड़ दें और आगे आने दें। जुबैर रज़ि॰ ने इन्कार कर दिया (और चाहा कि पहले अपना खेत सींच लें) इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ जुबैर! पहले तुम पानी लो फिर अपने पड़ोसी के लिये छोड़ो। इस पर अन्सारी नाराज़ हो गया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! चूँ कि यह आप की फूफी का लड़का है (इसलिये फ़ैसला उस के हक़ में दिया है) यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। फिर आप ने फ़रमायाः (ऐ जुबैर!) तुम अपने खेत को सीचो, पानी को रोक लो यहाँ तक कि खेत की मुँडेर तक चढ़ जाये। जुबैर ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं समझता हूँ कि यह आयत हमारे इसी पानी के मामले के बारे में नाज़िल हुयी है "तेरे रब कीक़ सम! यह लोग उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि यह अपने तमाम झगड़ों में आप को अपना क़ाज़ी और फ़ैसला करने वाला न मान लें....(सूरः निसा-65)

फ़ाइदाः— नदी-नालों के पानी का यही हुक्म है कि पहले जिस का खेत है वह सींचे और भरपूर सींचे फिर बाद वाले को पानी दे।

3638:— सालबा बिन अबू मालिक से रिवायत है, उन्होंने अपने बड़ों को बयान करते सुना कि बनी कुरैज़ा में एक कुरैशी आदमी का ज़मीन का एक टुक्ड़ा था। महज़ोर की वादी में उन लोगों का पानी के बारे में झगड़ा हो गया। चुनान्चे वह अपना मामला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो आप ने उन के दर्मियान यह फ़ैसला फ़रमाया कि जब पानी टख़्ने-टख़्ने तक हो जाये तो फिर ऊपर वाला उस पानी को नीचे वाले की तरफ़ जाने से न रोके।

3639:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महरोज़ की वादी में लाने के पानी के बारे में फ़ैसला फ़रमाया था कि पानी रोक लिया जाये यहाँ तक कि टख़्ने-टख़्ने तक आ जाये, फिर ऊपर वाला नीचे वाले की तरफ़ छोड़ दे।

3640:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ सेरिवायत है कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में झगड़ा लेकर आये। उन का एक खजूर के पेड़ के पास की ज़मीन के बारे में झगड़ा था, तो आप ने हुक्म दिया कि उस पेड़ की लंबाई को नापा जाये। उसे पाना गया तो वह सात हाथ का था। दूसरी हदीस में है कि वह पाँच हाथ का था, तो आप ने उस का फ़ैसला फ़रमा दिया। हदीस के रावी अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुहम्मद ने कहाः पस आप ने उस पेड़ की एक छड़ी के बारे में हुक्म दिया, उसी से उस पेड़ को नापा गया।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि किसी का कहीं पेड़ होतो उस की लंबाई के बराबर उस के चारों तरफ़ उस का अहाता होगा जिस में दूसरा दख़ल नहीं दे सकता।

❀ ❀ ❀

(24) इल्म और उलमा की फ़ज़ीलत का बयान

बाब {इल्म हासिल करने की तरफ़ उभारने का बयान।}

3641:— इब्ने कसीर बिन क़ैस रह० ने बयान किया कि मैं दमिश्क की मस्जिद में अबू दर्दा रज़ि० के पास बैठा हुआ था कि इसी दर्मियान उन के पास एक आदमी आया और उस ने कहाः ऐ अबू दर्दा! मैं एक हदीस के लिये मदीना शरीफ़ से आप के पास आया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप उस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुन कर बयान करते हैं। मेरे यहाँ आप के पास आने का मक़सद सिवाए उस हदीस के सुनने के और कुछ नहीं है। उन्होंने कहाः बेशक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है "जो शख़्स किसी रास्ते में दीन का इल्म हासिल करने की निय्यत से चला तो अल्लाह पाक उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर चलाएगा। और फ़रिश्ते इल्म हासिल करने वालों की रज़ामन्दी के लिये अपने पर बिछाते है। और इल्म वालों के लिये आसमानों में बसने वाले, ज़मीन में रहने वाले और पानी के अन्दर मछलियाँ भी दुआयें देती हैं। और आ़लिम की आ़बिद पर फ़ज़ीलत ऐसे ही है जैसे कि चौदहवीं रात के चाँद की फ़ज़ीलत तमाम सितारों पर होती है। और उलमा, नबिय्यों के वारिस होते हैं। और नबिय्यों ने कोई दिरहम-दीनार तर्का में नहीं छोड़े हैं। उन्होंने इल्म का तर्का छोड़ा है। जिस ने उसे हासिल कर लिया उस ने बड़ा नसीबा (यानी बड़ा हिस्सा) पाया।

फ़ाइदा:— इस हदीस में इल्म का शब्द प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ दीन का ज्ञान और अल्लाह पाक की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत मुराद है। इन के अ़लावा और दूसरे इल्म का शुमार फ़न और हुनर में होता है।

3642:— उस्मान बिन अबी सौदा ने अबू दर्दा रज़ि० से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

3643:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई इल्म प्राप्त करने के लिये किसी राह पर चलता है तो अल्लाह पाक उस की वजह से उस

के लिये जन्नत की राह आसान फ़रमा देता है। और जिसे उस के अ़मल ने पीछे रखा, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता।

बाब **{अहले किताब से रिवायत करने का बयान।}**

3644:— **इब्ने अबी नमला अपने पिता (अबू नमला)से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे और एक यहूदी भी बैठा हुआ था कि इतने में एक जनाज़ा गुज़रा। उस ने पूछाः ऐ मुहम्मद! क्या यह मय्यित बोलती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह ही बेहतर जानता है।** यहूदी ने कहाः यह बोलती है। आप ने फ़रमायाः अहले किताब जो तुम्हें बयानकरें तुम उस को सच जानो और न ही उस को झुठलाओ, बल्कि यूँ कहो, हम अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाये। अगर उन की बात ग़लत हुयी तो तुम ने (गोया) उस की तस्दीक़ नहीं की, और अगर सच हुयी तो उसे झुठलाया नहीं होगा।

3645:— **ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने यहूदियों की तहरीर सीख ली।** आप ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! यहूदियों से जो मैं लिखवाता हूँ उस पर मुझे भरोसा नहीं है। चुनान्चे मैंने (उन की ज़बान लिखना-पढ़ना) सीख ली, और दो सप्ताह भी न बीता था कि मैं उस में अच्छी तरह माहिर हो गया। फिर आप को जब कुछ लिखना होता तो मैं ही लिखा करता। और जब कोई पत्र आदि आता तो मैं भी पढ़ कर सुनाता था।

बाब **{इल्म की बातें लिख लेने का बयान।}**

3646:— **अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मैं जो कुछ सुनता वह सब लिख लिया करता था ताकि उसे याद कर लूँ,** तो कुरैश के कुछ लोगों ने मुझे मना कीर दिया। उन्होंने कहाः तुम हर बात जो सुनते हो लिख लेते हो, हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक इन्सान हैं, गुस्से और खुशी (दोनों हालतों) में बात-चीत करते हैं, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कही तो आप ने अपने मुँह की तरफ़ उंगली से इशारा करते हुये फ़रमायाः **लिखा करो, उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है उस से सिवाए हक़ के और कुछ निकलता ही नही है।**

3647:— मुत्तलिब बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ मुआ़विया रज़ि॰ के यहाँ आये तो उन्होंने न उन से एक हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने एक शख़्स से कहाः इसे लिख लो। तो ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने उन से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि हम उन की कोई हदीस न लिखें, चुनान्चे उन्होंने उसे मिटा दिया।

फ़ाइदा:— **इस हदीस में लिखने से मना किया गया है और दूसरी हदीसों में लिखने का सबूत मौजूद है। उलमा ने दोनों हदीसों के दर्मियान इस प्रकार इख़्तिलाफ़ समाप्त किया है कि जिन सहाबा**

का हाफ़िज़ा कमज़ोर था उन्हें लिखने की इजाज़त दी और जिन का हाफ़िज़ा ठोस था उन्हें **लिखने से** मना कर दिया। या पहले लिखने से मना कर दिया था, बाद में इस की इजाज़त दे दी।

3648:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि हम तशह्हुद और कुरआन के अलावा कुछ न लिखा करतेथे।

3649:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब मक्का फ़त्ह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुये। फिर अबू हुरैरा ने आप के खुत्बे का ज़िक्र किया। इसी दर्मियान यमन का एक आदमी खड़ा हुआ उस का नाम अबू शाह था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस खुत्बे को मुझे लिख दीजिये। आप ने फ़रमायाः अबू शाह को लिख दो।

3650:— वलीद ने कहा कि मैंने अबू अम्र (यानी इमाम औज़ाओ रह॰) से पूछा कि उन्होंने क्या चीज़ लिखवाई थी? उन्होंने कहाः वही खुत्बा जो उन्होंने उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बाँधना बहुत बड़ा गुनाह है।}

3651:— आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैंने अपने पिता जुबैर (बिन अव्वाम) रज़ि॰ से कहा कि आप को कौन सी चीज़ रोकती है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस प्रकार हदीसें नहीं बयान करते जैसे किआप के दूसरे साथी बयान करते हैं? उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझ आप के यहाँ बहुत ही आदर और सम्मान प्राप्त था, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "जिस ने मुझ पर जानबूझ कर झूठ बोला उसे चाहिये कि अपना ठिकाना जहन्न्म में बना लें।"

बाब {बिना ज्ञान और जानकारी के अल्लाह की किताब की तफ़सीर करना।}

3652:— जुन्दुब (बिन अब्दुल्लाह बुजली) रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अपनी राय से अल्लाह की किताब में कुछ कहा, चाहे दुरुस्त ही कहा हो, तो भी उस ने गलती की।

बाब {बात दोहरा कर बयान करना।}

3653:— अबू सल्लाम बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सेवक को बयान करते सुना उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात करते तो अपनी बात को तीन बार दोहराते।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि आवश्यकतानुसार इमान, मौलाना, टीचर, वाज़ नसीहत करने वालों को चाहिये कि सुनने वालों को बात दोहरा कर समझायें, इस में कोई हरज की बात नहीं।

बाब {जल्दी-जल्दी बातें करना।}

3654:— उर्वा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ आइशा रज़ि॰ के हुजरे के बग़ल में बैठे थे

और वह नमाज़ पढ़ रही थीं। उन्होंने कहाः ऐ हुजरे वालों! सुनिये, दो बार कहा। जब आइशा रज़ि॰ ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो कहने लगीं: क्या तुम्हें उस शख़्स पर और उस की बातें पर तअ़ज्जुब नहीं आता? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बात करते तो अगर कोई (आप के अल्फ़ाज़) गिनना चाहता तो गिन सकता था।

***3655:*— उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आइशा रज़ि॰ ने कहाः क्या तुम्हें अबू हुरैरा पर तअ़ज्जुब नहीं आता कि वह आये और मेरे हुजरे के पास बैठ कर मुझे सुनाने को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीसें बयान करने लगे, जबकि मैं नफ़ली नमाज़ पढ़ रही थी, और फिर मेरे नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले ही उठ कर चले गये। अगर मैं उन को पाती तो उन्हें बताती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हारी तरह तेज़-तेज़ बातें नहीं किया करते थे।

***फ़ाइदा:*— मालूम हुआ कि ऊँची आवाज़ से कलाम करना यह कोई अच्छी बात नहीं, ख़ास कर उलमा, और दावत-तब्लीग़ करने वाले लोग।

बाब {फ़तवा देने में एहतियात करना।}

***3656:*— मुआ़विया रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुग़ालितों से मना फ़रमाया है।

***फ़ाइदा:*— यानी इशारों-कनायों और पहेली के अन्दाज़ में मस्अला पूछा जाये। या मुफ़्ती का इसी अन्दाज़ में फ़तवा देना।

***3657:*— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर किसी मुफ़्ती ने किसी को बिना जाने-समझे फ़तवा दिया तो उस फ़तवा पर अ़मल करने वाले का गुनाह उस मुफ़्ती पर होगा। सुलैमान महरी की रिवायत में इतना और है कि "जिस ने अपने भाई को कोई ऐसा मश्वरा दिया जबकि वह जानता था कि भलाई इस मश्वरा के ख़िलाफ़ में है तो उस ने उस के साथ ग़द्दारी की। यह शब्द सुलैमान के हैं।

बाब {इल्म की बात छुपाना नाजाइज़ है।}

***3658:*— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस से इल्म की बात पूछी गयी और उसे ने उसे छुपाया (नहीं बताया) तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उसे आग की लगाम देगा।

बाब {दीन के इल्म को फैलाने की फ़ज़ीलत।}

***3659:*— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम (मुझ से दीन की बातें) सुनते हो और तुम से सुना जायेगा। और फिर जो तुम से सुनेगा उस से भी सुना जायेगा।

3660:– ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप फ़रमा रहे थेः अल्लाह पाक उस शख़्स को प्रसन्न और हरा-भरा रखे जिस ने हम से कोई हदीस सुनी फिर उसे याद कर लिया ताकि उसे दूसरों ते भी पहुँचा सके। बहुत से इल्म और फ़िक़्ह के जानने वाले अपने से बढ़ कर ज़्यादा जानने वाले लोगों को पहुँचाते हैं। और बहुत से अ़ल्म दीन और फ़िक़्ह के जानने वाले ऐसे भी होते हैं जो सहीह मानों में इल्म दीन के जानकार और फ़िक़्ह के जानकार नहीं होते।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि ऐसा भी होता है कि खुद अपने कानों से सुनने वाला, उतनी बातें नहीं समझ सकता जो उस के शार्गिद की समझ में आ जाता है। हदीस में जो "फ़िक़्ह" और "फ़क़ीह" का शब्द प्रयोग हुआ है, इस से मुराद शरीअ़त में ग़ौर कर के मस्अना जानना छानबीन और तहक़ीक़ करना है।

3661:– सहल बिन सअ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! तेरी रहनुमाई से अल्लाह पाक अगर किसी एक शख़्स को भी सीधी राह दिखा दे तो यह तेरे लिये लाल ऊँटों से बेहतर है।

बाब {बनी इस्राईल से रिवायत करना।}

3662:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बनी इस्राईल (अहले किताब) से रिवायत कर सकते हो, इस में कोई हरज की बात नहीं।

फ़ाइदा:– यानी ऐसे मामले जिन का सबूत कुरआन-हदीस से भी हो तो उन को तो बिना किसी संकोच के बयान किया जाये। और जिन बातों को झुठलाया हो उन्हें झुठलाया जाये। जो बातें तारीख़ से संबन्ध रखती हैं उन्हें भी बयान करें मगर यक़ीन के साथ उन पर भरोसा न करें।

3663:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (बिन आ़स) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (कभी-कभार) हमें बनी इस्राईल की बातें बयान करते यहाँ तक कि सुब्ह हो जाती, फिर नमाज़ के ख़याल से ही उठते।

बाब {अल्लाह के अ़लावा (गैरुल्लाह) के लिये इल्म प्राप्त करने की मज़म्मत (आलौचना)।}

3664:– अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अल्लाह की रज़ामन्दी वाला इल्म इसलिये हासिल किया कि उस से दुनिया हासिल करे, तो ऐसा आदमी क़ियामत के दिन जन्नत की खुश्बू तक न पायेगा।

फ़ाइदा:– दीन का इल्म अल्लाह को खुश रखने के लिये हासिल किया जाये, न कि माल या पद हासिल करने के लिये।

बाब {वाज़ कहने का बयान।}

3665:– औफ़ बिन मालिक बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को

फ़रमाते सुना वाज़ वही कहेगा जो मालदार हो, या उस की तरफ़ से मुक़र्रर किया गया हो, या कोई अपनी बड़ाई या नख़रे का इज़हार करने वाला होगा।

3666:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ग़रीब मुहाजिर लोगों की मज्लिस में जा बैठा (तो क्या देखा कि) वह लोग कपड़े न होने की वजह से नन्गे हो जाने के डर से एक-दूसरे की ओट में बैठे हुये थे और एक क़ारी पढ़ा रहा था। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ गये और मज्लिस में खड़े हो गये। यह देख कर क़ारी साहब चुप हो गये। आपने सलाम किया और पूछाः आप लोग क्या कर रहे थे? हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! एक क़ारी साहब हमें पढ़ा रहे थे और हम अल्लाह पाक की किताब सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तारीफ़ है उस अल्लाह की जिस ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किये जिन के बारे में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने आप को उन के साथ रोके रखूँ। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान में बैठ गये ताकि अपने आप को हम सब के बराबर साबित कर सकें। फिर आप ने अपने हाथ से इशारा किया तो उन लोगों ने घेरा बना लिया और सब के चेहरे आप के सामने आ गये।

अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नहीं समझता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी को पहचाना हो। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ मुहाजिर लोगों के फ़क़ीर लोगों! तुम्हें क़ियामत के दिन भर पूरनूर की बशारत हो तुम लोग मालदार लोगों से आधा दिन पहले जन्नत में दाख़िल होगे और उस का अन्दाज़ा 500 साल है।

3667:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो लोग फज्र की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने तक अल्लाह का ज़िक्र करें तो ऐसे लोगों के साथ बैठे रहना मुझे बहुत पसन्द है इस के मुक़ाबले में कि इस्माईल अ़लै॰ की औलाद में से चार गुलाम आज़ाद करूँ। और मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा रहूँ जो अस्र की नमाज़ से सूरज डुबने तक अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, ज़्यादा पसन्द है इस बात से कि चार गुलाम आज़ाद करूँ।

3668:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः "मुझे सूरः निसा पढ़ कर सुनाओ" मैंने कहाः मैं और आप को पढ़ कर सुनाऊँ? हालाँकि कुरआन आप पर नाज़िल हुआ है। आप ने फ़रमायाः मैं दूसरे से सुनना चाहता हूँ। मैंने पढ़ना शुरु किया और जब इस आयत "फ़कै-फ इज़ा जेना मिन् कुल्लि उम्मतिन्..... " पर पहुँचा और अपना चेहरा उठा कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आँखों से आँसू बह रहे थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत बुख़ारी (5049) और मुस्लिम (800) में भी है।

❀ ❀ ❀

(25) पीने के बारे में अहकाम व मसाइल

बाब {शराब के हराम होने का बयान।}

3669:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि जब शराब के हराम होने की आयत नाज़िल हुयी तो उस समय यह पाँच चीज़ों से तय्यार होती थी (1) अँगूर (2) खजूर (3) शहद (4) गेहूँ (5) और जौ से। और शराब से मुराद हर वह चीज़ है जो अ़क्ल (बुद्धि) पर पर्दा डाल दे। और तीन बातों के बारे में मेरी ख़्वाहिश यह रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की वज़ाहत करने से पहले हम से अलग न हुये होते। दादा की वरासत, कलाला का हिस्सा, और सूद के कुछ मस्अले।

3670:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के बारे में आता है कि जब शराब हराम हुयी तो उमर ने कहाः ऐ अल्लाह! शराब के बारे में हमें साफ़-साफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनान्चे सूरः बक़रह की यह आयत "यस्-अलू-न-क अ़निल् ख़म्रि...... (ऐ नबी! लोग आप से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिये कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिये कुछ फ़ाइदा भी है, लेकिन इन दोनों का गुनाह उन के फ़ाइदे से बहुत ज़्यादा है) फिर उमर रज़ि॰ को बुलाया गया और उन्हें यह आयत सुनाई गयी। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह! हमें शराब के बारे में स्पष्ट आदेश दे दीजिये। चुनान्चे सूरः निसा की यह आयत "ऐ ईमान वालों! तुम उस समय तक नमाज़ के निकट न जाओ जब तुम नशे में हो" (सूरः निसा-43) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एलान्ची नमाज़ की इक़ामत के समय एलान किया करता था "ख़बर्दार! कोई शख़्स नशे की हालत में नमाज़ के निकट न आये। उमर के सामने जब यह आयत पढ़ी गयी तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह! हमें शराब के बारे में स्पष्ट आदेश दे दीजिये। चुनान्चे सूरः माइदा की यह आयत नाज़िल हुयी "शराब हराम है और शैतानी काम है, क्या तुम इस के पीने से बाज़ आते हो? तो उमर रज़ि॰ ने कहाः फिर हम बाज़ आ गये।

3671:— अबू तालिक के बेटे अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्सारी ने उन की और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ की दावत की और उन्हें शराब पिलाई। यह घटना शराब के हराम होने से पहले की है। फिर पी कर अ़ली ने मग़रिब की नमाज़ की इमामत कराई और सूरः काफ़िरुन पढ़ने लगे मगर सूरः गड़मड़ हो गयी, चुनान्चे यह हुक्म नाज़िल हुआ "नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब मत जाओ, यहाँ तक कि जानने लगो कि तुम क्या कह रहे रहो।" (सूरः निसा-43)

3672:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि सूरः निसा की आयत 43 और सूर बक़रः की आयत 219 को सूरः माइदा की आयत 90 ने मन्सूख़ कर दिया है।

3673:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं अबू तल्हा के घर में मज्लिस में बैठे लोगों को शराब पिला रहा था कि इसी दर्मियान शराब के हराम होने की आयत नाज़िल हो गयी। उस दिन "फ़ज़ीह" नाम की शराब पी जा रही थी कि एक आदमी ने आ कर कहाः शराब हराम कर दी गयी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एलान्ची ने एलान भी कर दिया है। पस हम ने कहाः यह शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से एलान कर रहा है।

फ़ाइदा:— "फ़ज़ीह" कच्ची खजूर से तय्यार की गयी शराब का नाम है।

बाब {अगर कोई शराब बनाने की गरज़ से अन्गूर निचोड़े।}

3674:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने शराब, उस के पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, अन्गूर निचोड़ने वाले, उस के उठाने वाले, और जिस के लिये उठाई जा रही हो, इन सब पर अल्लाह पाक ने लानत की है।

फ़ाइदा:— कुछ लोग शराब बनाने वाले के हाथ अन्गूर बेच देते हैं जबकि जानते हैं कि वह शराब बनायेगा, ऐसे हाथ में बेचना नाजाइज़ है और बेचने वाला गुनाहगार होगा। अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि नेकी के कामों में सहयोग करो, गुनाह के कामों में न करो (सूरः माइदा-2)

बाब {शराब को सिंका बना लेना।}

3675:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू तल्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा कि यतीमों को तर्का में शराब मिली है (उसे क्या करें) आप ने फ़रमायाः उसे फेंक दो। उन्होंने कहाः क्या मैं उस से सिंका न बना लूँ? आप ने फ़रमायाः नहीं।

बाब {शराब किन चीज़ों से बनती है?}

3676:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अन्गूर से शराब है, खजूर से शराब है, शहद से शराब है, गेहूँ से शराब है, और जौ से शराब है।

3677:— नोमान बिन बशीर ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः अन्गूर, मुनक़्क़ा, खजूर, गेहूँ और जौ के निचोड़ से शराब बनती है। और मैं तुम्हें हर नशा लाने वाली चीज़ से मना करता हूँ।

3678:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शराब इन दो पेड़ों से है। पानी खजूर और अन्गूर से।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस में सनद के रावी अबू कसीर गुबरी हैं, जिन का नाम यज़ीद बिन अ़ब्दुर्रहमान है।

फ़ाइदा:— हदीस में कुछ चीज़ों को बयान किया जाता है जिन से शराब बनाई जाती है। हदीस न॰ 3678 में दो चीज़ों से शराब बनाने का ज़िक्र है। इस से यह बताना उद्वेश्य है कि आ़म तौर पर शराब इन्ही दो चीज़ों से बनाई जाती है।

3679:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर नशा बनाने वाली चीज़ शराब है, और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। और जो शख़्स इस हालत में मरा कि वह शराब पीता था तो वह आख़िरत में नहीं पीने को पायेगा।

3680:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर वह चीज़ जो अ़क़्ल पर पर्दा डाल दे वह शराब है। और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। और जिस ने नशा लाने वाली कोई चीज़ को इस्तेमाल किया उस की चालीस दिन की नमाज़ें काट ली जायेंगी। अगर उस ने तौबा की तो अल्लाह पाक उस की तौबा को क़ुबूल फ़रमायेगा। अगर उस ने चौथी बार भी पिया तो अल्लाह पाक का यह हक़ बनता है कि वह उसे "तीनतुल ख़बाल" पिलाये। आप से पूछा गया कि इस से क्या मुराद है? आप ने फ़रमायाः यह जहन्न्मी लोगों की पीप है। और जिस ने किसी क्रम आयु वाले को शराब पिला दिया जिसे हलाल और हराम की तमीज़ न थी तो अल्लाह पाक का यह हक़ बनता है कि उसे "तीनतुल ख़बाल" (यानी जहन्नमी लोगों की पीप) पिलाये।

3681:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा लाने वाली हो उस की थोड़ी मात्रा भी हराम है।

3682:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से "बिता" के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः हर वह पीने वाली चीज़ जिस में नशा हो हराम है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने यज़ीद को हदीस पढ़ कर सुनाई उस की सनद यह थीः "मुहम्मद से, उन्होंने जुहरी से अपनी सनद के साथ इस हदीस को रिवायत की है। इस रिवायत में इतना और है कि "बिता, शहद की शराब को कहते हैं जिसे यमन के लोग पीते थे।

इमाम अबू दावूद ने यह भी कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल को कहते सुना कि लाइला–ह–इल्लल्लाह,, जुरजुसी बड़ा भरोसेमन्द और सच्चा व्यक्ति था। हिम्स के लोगों में उस जैसा कोई आदमी नहीं था।

3683:— **दैलम** हिम्-यरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से **प्रश्न करते** हुये कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम लोग ठन्डे इलाके के रहने वाले हैं, हमें मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं। हम गेहूँ से पीने की एक चीज़ बनाते हैं जिस से शक्ति प्राप्त करते हैं और ठन्डी से बचाव करते हैं। आप ने फ़रमायाः क्या वह पीने वाली चीज़ नशा देती है? मैंने कहाः जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः फिर तो उस से बचो। मैं ने कहा कि लोग तो उसे पीना नहीं छोडेंगे। आप ने फ़रमायाः अगर वह लोग उसे पीना न छोड़ें तो उन से जन्ग करो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि किसी हराम चीज़ को पीने का रसिया बन जाने से वह चीज़ हलाल नहीं हो जायेगी। और यह कि अगर न छोड़ें तो उन से जन्ग की जाये और छोड़ने पर मजबूर किया जाये।

3684:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने शहद की शराब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः इस का तो नाम "बिता" है। मैंने कहाः जौ और मकई से भी नबीज़ (नशा वाली चीज़) बनाई जाती है। आप ने फ़रमायाः इस का नाम "मिज़र" है। फिर आप ने फ़रमायाः अपनी क़ौम के लोगों को बता दो कि हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है।

फ़ाइदा:— खजूर, किशमिश आदि से जो नबीज़ बनाई जाती है, उसी सूरत में हराम होगी, जबकि उस में नशा पैदा हो जाये। वह नबीज़ जिस में नशा न पैदा हो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी पीते थे।

3685:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शराब, जुवा, सारन्गी और गुबैरा से मना फ़रमाया है और यह भी फ़रमाया है "हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है।

इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि इब्ने सल्लाम अबू उबैद ने कहा कि "गुबैरा" नाम की शराब हब्शा के लोग मकई और जुवार-बाजरा से बनाते थे।

फ़ाइदा:— बाजे-गाज़े, सारन्गी और हारमूनियम आदि में भी शराब का सा नशा होता है इसलिये यह भी हराम है। हाँ, केवल दफ़ बजाने की गुन्जाइश है।

3686:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हर नशा और सुस्ती लाने वाली (यानी सुन्न कर देने वाली) चीज़ों से मना फ़रमाया है।

3687:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। जिस चीज़ का बड़ा प्याला नशा लाने वाला हो उस का एक चुल्लू भी हराम है।

फ़ाइदा:— बल्कि एक बूँद और क़तरा भी हराम है।

बाब {"बादा" शराब का हुक्म।}

3688:— मालिक कहते हैं कि अ़ब्दुर्रहमान रह॰ आये तो हम लोगों ने उन के सामने "तिला" का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि अबू मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायसाः (एक समय ऐसा आयेगा कि) मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे और उस का नाम कुछ और रख लेंगे।

फ़ाइदा:— 'दाज़ी' (बादा) एकअनाज है जिसे नबीज़ में डाल देने से उस में तेज़ी आ जाती है और नशा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार "तिला" अन्गूर के उस रस को बोलते हैं जिस को पकाने के बाद दो हिस्सा सूख जाये और एक हिस्सा बाक़ी बचे। यह हिस्सा निहायत गाढ़ा होगा, इसी का नाम तिला है।

3689:— अबू मन्सूर हारिस बिन मन्सूर ने बयान किया कि मैंने सुफ़यान सौरी रह॰ से सुना जबकि उन से वादा (दाज़ी) के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे और उस का नाम कुछऔर रख लेंगे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सुफ़यान सौरी रह॰ ने कहा कि बादा (दाज़ी) गन्दे और नापाक लोगों के पीने की चीज़ है।

बाब {शराब के बर्तनों का बयान।}

3690:— इब्ने उमर रज़ि॰ और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है, इन दोनों ने बयान किया कि हम गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लौकी के बर्तन (तोंबा) हरे रंग का बर्तन जिस में तेल मल लिया जाता था, ताड़कूल लगे बर्तन और चोबी बर्तन से मना फ़रमाया है।

3691:— सअ़ीद बिन जुबैर रह॰ ने कहा कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ से सुना वह बयान कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ हराम फ़रमाई है। सअ़ीद कहते हैं कि उन की इस बात से कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ को हराम फ़रमाया है" सुन कर घबरा गया और बाहर निकल आया और सीधे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास जा कर पूछा कि क्या आप ने इब्ने उमर का बयान सुना है? उन्होंने पूछाः वह क्या है? मैंने कहा कि वह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ हराम फ़रमायी है। उन्होंने कहा कि इब्ने उमर ने सच कहा है। मैंने पूछाः घड़े से क्या मुराद है? इब्ने अ़ब्बास ने कहाः हर वह बर्तन जो मिट्टी से बना हो।

3692:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला अ़ब्दुल क़ैस का वफ़्द (मन्डल) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम लोग क़बीला रबीअ़ा के रहने वाले हैं। हमारे और आप के दर्मियान क़बीला मुज़र के काफ़िर लोग रुकावट पड़ते हैं, इसलिये हमआप के पास केवल हराम महीनों में ही आ सकते हैं, इसलिये आप

हमें ऐसी बातें बता दीजिये जिसे हम पकड़ लें और अपने पीछे वालों को भी उस की दावत दें। आप ने फ़रमायाः मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूँ और चार बतों से मना करता हूँ। (1) अल्लाह पर ईमान लाना और लाइला–ह इल्लल्लाह की शहादत देना, फिर आप ने अपने हाथ एक अ़दद की गिरह बनाई (यानी एक का इशारा किया)......मुसद्दद ने केवल ईमानबिल्लाह का ज़िक्र किया है.........फिर आप ने इस की तशरीह फ़रमाई कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के सन्देष्टा हैं (2) नमाज़ क़ाइम करना (3) ज़कात देना, और जो ग़नीमत का माल तुम्हें प्राप्त हो उस में से पाँचवाँ हिस्सा अदा करना। और मैं तुम्हें लौकी (कद्दू) के बर्तन (तोंबे) हरे रन्ग के बर्तन जिस पर किसी प्रकार का तेल मला गया हो। ताड़कूल का तेल बर्तन, और क़ीर लगा तेल के बर्तन से मना करता हूँ। इब्ने उबैद ने "मुक़य्यिर" की जगह "नक़ीर" (यानी लकड़ी को खोखला कर के बनाया हुआ बर्तन) का लफ़्ज़ कहा है। और मुसद्दद ने 'नक़ीर' और "मुक़य्यिर" कहा है, इन्होंने "मुज़फ़्फ़त" (ताड़कूल) का ज़िक्र नहीं किया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सनद में अबू जमुरा नामक व्यक्ति का नाम नस्र बिन इम्रान है।

3693:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल क़ैस क़बीला के लोगों से फ़रमायाः मैं तुम्हें लकड़ी खोद कर बनाए गये बर्तन, ताड़कूल लगे हुये बर्तन, हरे रन्ग के तेल मले हुये बर्तन, और कद्दू के बर्तन (यानी तोंबे) से मना करता हूँ। और बड़ी मशक से भी जिस को ऊपर से काट दिया गया हो और पेंदे की तरफ़ से छेद न हो, ऐसे मशक से मना किया है, लेकिन अपने मशक से पिया करोऔर फिर उस का मुँह बाँध दिया करो (यानी उस में नबीज़ बनाया करो)

3694:— अ़ब्दुल क़ैस के क़िस्से में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम किन बर्तनों में पिया करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चमड़े की मशक प्रयोग करो जिन के मुँह को तागा लपेट कर उन्हें बन्द किया जाता है।

फ़ाइदाः— मुँह बाँधने से यह फ़ाइदा होता है कि अगर अन्दर गैस बन कर उस में नशा और तेज़ी आ जाये, तो पता चल जाता है कि उस का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं।

3695:— अबू क़मूस ज़ैद बिन अ़ली से रिवायत है, उन्होंने अ़ब्दुल क़ैस क़बीला के वफ़्द के एक आदमी से रिवायत किया जो उस वफ़्द में शरीक था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिला था........(हदीस के रावी) औ़फ़ का ख़याल है कि उस व्यक्ति का नाम क़ैस बिन नोमान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लकड़ी के बर्तन, ताड़कूल पुते हुये बर्तन, लौकी के बर्तन (तोंबे) या हरे रन्ग लगे हुये बर्तन में मत पियो, बल्कि चमड़े के मशक में पियो जिस का मुँह बाँधा जाता है। अगर नबीज़ में तेज़ी आ जाये तो उस की तेज़ी को पानी डाल कर समाप्त कर डालो, अगर फिर भी तेज़ी (नशा) न ख़त्म हो तो उसे बहा दो।

3696:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ब्दुल क़ैस के वफ़्द के लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह

के रसूल! हम किस में पियें? आप ने फ़रमायाः कद्दू के बर्तन (तोंबे) तारकूल लगे बर्तन और लकड़ी के बर्तन में मत पियो, अपने मशक में नबीज़ बनाया करो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मशक नबीज़ बनाते हुये उस में नशा पैदा हो जाये तो? आप ने फ़रमायाः उस में थोड़ा और पानी डाल लिया करो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! तो आप ने तीसरी या चौथी बार फ़रमायाः उसे फेंक दो। फिर फ़रमायाः अल्लाह पाक ने उसे मेरे ऊपर हराम फ़रमाया है, या यह कहा कि वह हराम की गयी है.......शराब, जुआ, और कूबह। और फ़रमायाः हर नशा देने वाली चीज़ हराम है।

सुफ़यान सौरी कहते हैं कि मैंने अली बिन बज़ीमह से "कूबह" के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः इस से मुराद ढोल है।

फ़ाइदा:— जिस प्रकार शराब का पानी पी कर आदमी की बुद्धि समाप्त हो जाती है इसी प्रकार गाना-बजाना की आवाज़ भी बुद्धि को ख़राब कर देती है। मालूम हुआ जिस प्रकार शराब पीना हराम है, उसी प्रकार ढोल-ताशा बजाना भी हराम है। हाँ, दफ़ की अनुमति है।

3697:— अली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कद्दू के बर्तन, रन्ग लगे हुये हरे बर्तन, लकड़ी के बर्तन और जौ की शराब से मना फ़रमाया है।

3698:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें तीन बातों से रोका था, लेकिन अब मैं तुम्हें उन के करने का हुक्म देता हूँ (1) मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था लेकिन अब उन की ज़ियारत को जाया करो, उस की ज़ियारत में नसीहत है (2) मैंने चमड़े के बर्तनों के अलावा कई बर्तनों में पीने से मना किया था, लेकिन अब तुम हर प्रकार के बर्तनों में पी सकते हो, लेकिन कोई नशा लाने वाली चीज़ मत पियो। (3) मैंने कहा था कि कुर्बानी का माँस तीन दिन से अधिक रख कर न खाओ, लेकिन अब खा सकते हो, और अपने सफ़र में उस से फ़ाइदा उठाओ।

3699:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तनों के इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया तो अन्सार ने कहाः हमें उन बर्तनों के इस्तेमाल किये बिना कोई चारा नहीं है। आप ने फ़रमायाः तो फिर कोई हरज नहीं (इसतेमाल कर सकते हो)

3700:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तनों का ज़िक्र फ़रमाया, यानी लौकी का बर्तन, तेल मला हुआ हरा बर्तन, तारकूल लगा हुआ बर्तन, लकड़ी खोद कर बनाया हुआ बर्तन। यह सुन कर एक बद्दू ने कहाः हमारे पास (इन के अलावा) और कोई बर्तन ही नहीं होते, तो आप ने फ़रमायाः (तो फिर केवल) वहीं पियो जो हलाल हो (यानी सिर्फ़ बर्तन से कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं होती, पीने वाली चीज़ के हराम न होने की सूरत में उन बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हो)

3701:— शरीक बिन अब्दुल्लाह ने अपनी सनद सेरिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "जो चीज़ नशा दे उस से बचो।"

3702:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मशक में नबीज़ बनाया जाता था। जब मशक न होता तो पत्थर के बड़े प्याले में बना लिया करते थे।

बाब {दो अलग–अलग चीज़ों को मिला कर नबीज़ बनाना।}

3702:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किशमिश और खजूर को मिला कर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है। ऐसे ही ताज़ा (पकी हुयी) खजूर और अधपकी (गद्दर) खजूर को मिला कर नबीज़ बनाने से रोका है।

फ़ाइदा:— चूँकि दो अलग–अलग चीज़ें मिलने से बहुत जल्द तेजी आ जाती है और उस में नशा पैदा हो जाता है इसलिये मना किया गया। देखें हदीस न॰ 3706।

3704:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि किशमिश और खजूर (सूखा) को मिलाना, अधपकी और (सूखी) खजूर को मिलाना और कच्ची खजूर (जिस ने अभी लाल या पीला रन्ग पकड़ा हो) और ताज़ा खजूर को मिला कर नबीज़ बनाना मना है। उन्होंने कहा कि उन चीज़ों में से हर एक से अलग–अलग तौर पर नबीज़ बनाओ।

अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अबू क़तादा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की।

3705:— इब्ने अबी लैला एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कच्ची खजूर और पकी हुयी खजूर और इसी प्रकार किशमिश और खजूर को मिलाने से मना फ़रमाया है।

3706:— अबू मरयम की बेटी कबशा ने बयान किया कि मैंने (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) उम्मे सलमा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस चीज़ से मना करते थे? उन्होंने कहा: आप हमें मना करते थे कि खजूर को इतना पकायें कि उस की गुठली ही समाप्त हो जाये, या किशमिश और खजूर को मिलाने से मना करते थे।

3707:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये किशमिश की नबीज़ बनाई जाती और फिर उस में खजूर डाल दी जाती थी, या खजूर की नबीज़ बनाई जाती और फिर उस में किशमिश डाल दी जाती थी।

3708:— सफ़िय्या बिन्त अ़तिय्या कहती हैं कि मैं क़बीला अ़ब्दुल क़ैस की महिलाओं के वफ़्द (मन्डल) के साथ आ़इशा रज़ि॰ के पास गयी तो आप नें खजूर और किशमिश को मिलाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मैं एक मुट्ठी खजूर और एक मुट्ठी किशमिश लेती और उन्हें पानी में डाल देती, फिर उन्हें अपने हाथ से मसलती और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा

में पेश करती और उन्हें पिलाया करती थी।

बाब {अधपकी खजूर से नबीज़ बनाना।}

3709:— जाबिर बिन ज़ैद और इकरमा रह० के बारे में आता है कि वह दोनों अधपकी खजूर (बुसर) की नबीज़ को मक्रुह समझते थे और वह यह बात इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से बयान करते थे। और इब्ने अ़ब्बास रज़ि० ने कहाः मुझे डर है कि यह वही "मज़्ज़ा" न हो जिस से क़बीला अ़ब्दुल कै़स के मन्डल को मना किया गया था। (हिशाम ने कहा) मैंने क़तादा से पूछाः "मुज़्ज़ा" से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कि हरे रन्ग के तेल मिले हुये घड़े और तारकूल मले हुये बर्तन में तय्यार किये गये नबीज़ को "मुज़्ज़ा" कहते हैं।

फ़ाइदा:— अलग-अलग क्षेत्रों में शराब के अलग-अलग नाम थे। लेकिन अगर किसी भी पानी में नशा आ जाये तो उस का इस्तेमाल जाइज़ नहीं, चाहे वह मुज़्ज़ा हो या नबीज़ हो, या खजूर या अन्गूर का पानी हो।

बाब {नबीज़ का बयान।}

3710:— अ़ब्दुल्लाह बिन (फ़ीरोज़) देलमी अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप जानते हैं कि हम कौन हैं? कहाँ से आये हैं? और किस के पास आये हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की तरफ़ से आये हो और उस के रसूल की तरफ़ आये हो। हम नेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अन्गूर होते हैं तो उन का क्या करें? आप ने फ़रमायाः उन्हें सुखा कर किशमिश बना लिया करो। हम ने कहाः किशमिश का क्या करें? आप ने फ़रमायाः सुब्ह के समय भिगो दिया करो और रात को पी लिया करो। इसी प्रकार रात को भिगो दिया करो और सुब्ह को पी लिया करो। और नबीज़ मशक में बनाया करो, न कि मटको में। याद रहे कि उस निचोड़ने में देरी कर दी जाती है तो यह सिरका बन जाती है।

3711:— आ़इशा रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ऐसे मशक में नबीज़ बनाई जाती थी जिस के ऊपर के मुँह को धागे से बाँध दिया जाता था और उस के नीचे की तरफ़ भी सूराख़ थे। सुब्ह के समय भिगोया जाता और आप उसे इशा के समय तक पी लिया करते। और रात को भिगोया जाता तो आप सुब्ह को पी लिया करते थे।

3712:— आ़इशा रज़ि० से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये सुब्ह केलिये नबीज़ भिगो रखती, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शाम को रात का खाना खाने के बाद पी लेते, अगर कुछ बच जाता तो मैं उसे गिरा देती थी। फिर रात को भिगो रखती, जब सुब्ह होती और आप खाना खाते तो उस को पीते। आ़इशा रज़ि० ने बयान किया कि हम मशक को सुब्ह शाम धोते थे। मेरे पिता (हय्यान) ने अ़मरा से कहाः क्या एक दिन में उसे दो मर्तबा धोया जाता था? उन्होंने कहाः हाँ।

3713:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये किशमिश की नबीज़ बनाई जाती थी तो आप उसे उस दिन, फिर अगले दिन और फिर उस से अगले दिन, यानी तीसरे दिन की शाम तक इस्तेमाल करते थे। फिर आप हुक्म देते कि (बची हुयी) नौकरों को पिला दी जाये, या फेंक दी जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नौकरों को पिलाने से उद्वेश्य यह था कि ख़राब होने से पहले-पहले उसे प्रयोग कर लिया जाये। इमाम अबू दावूद ने कहा कि सनद में अबू उमर का नाम यहया बिन उबैद बहरानी है।

बाब {शहद पीने का बयान।}

3714:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (मामूल के अनुसार अपनी बीवियों का हाल-चाल लेते हुये) ज़ैनब रज़ि॰ के पास पहुँचते तो उन के यहाँ शहद पीते। चुनान्चे मैंने और हफ़सा ने परस्पर यह तै किया कि हम में से जिस के पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लायें तो वह कहे कि मैं आप के मुँह से मग़ाफ़ीर (जन्डी के रस) की बू महसूस करती हूँ। चुनान्चे आप हम में से एक के पास आये तो उस ने यह बात कह दी तो आप ने फ़रमायाः (नहीं) मैंने तो ज़ैनब के पास शहद पिया है और आइन्दा (भविष्य) मैं कभी न पियूँगा। चुनान्चे सूरः तहरीम की आयतें नाज़िल हुयीं। (उस का) इशारा आइशा और हफ़सा की तरफ़ है। और आयत न॰ 3 में राज़ की बात वही थी जो आप ने कहा था कि "मैंने तो शहद पिया है"।

3715:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा और शहद बहुत पसन्द था फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया....(और कहा कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बहुत भारी मालूम होती थी कि आप के मुँह से किसी प्रकार की बदबू आये। इस हदीस में है कि सौदा रज़ि॰ ने कहाः आप ने मग़ाफ़ीर का रस पिया है। आप ने फ़रमायाः (नहीं तो) मैंने तो शहद पिया है जो मुझे हफ़सा ने पिलाया है।मैंने कहाः (तो शायद) शहद की मक्खी ने उरफुत का रस चूसा होगा। उरफुत एक बूटी का नाम है जिस पर शहद की मक्खी बैठती है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "मग़ाफ़ीर" एक प्रकार की गोदँ होती है। और "जरसत" का अर्थ है "उस ने चूसा होगा"। "उरफूत" एक प्रकार की बूटी होती है जिस पर शहद की मक्खी बैठती है।

बाब {नबीज़ में जब तेज़ी (उफान) आ जाये।}

3716:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझे जानकारी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते हैं। चुनान्चे (एक दिन) मैं आप के लिये इफ़तार के समय नबीज़ ले आया जिसे मैंने लौकी के बर्तन में बनाई थी और उस में ख़मीर उठा हुआ था (यानी वह ज़ोश मार रही थी) तो आप ने फ़रमायाः इस नबीज़ को इस दीवार पर दे मारो, क्योंकि

यह उन लोगों के पीने की चीज़ है जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान नहीं रखते।

फ़ाइदाः— चूँकि उस में तेज़ी आ गयी थी और नशा पैदा हो गया था इसलिये उस का पीना हराम है।

बाब {खड़े होकर पीने का बयान।}

3717:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी भी शख़्स को खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया है।

3718:— नज़्ज़ाल बिन सबरा से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ ने पानी मँगवाया और खड़े होकर पिया और फिर पीने के बाद कहाः कुछ लोग इस को मक्रुह समझने लगे हैं, हालाँकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि इस प्रकार कर लिया करते थे जैसे तुम ने मुझे करते देखा है (यानी खड़े होकर पी लिया करते थे)

फ़ाइदाः— इस प्रकार की एक रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ़ (1892) में भी है। खड़े होकर पीना यह कोई ऐब नहीं है, लेकिन इस को मुस्तक़िल अपना अ़मल और आ़दत बना लेना दुरुस्त नहीं है। कोशिश यह हो कि बैठ कर पिया जाये, लेकिन अगर खड़ा होकर भी कोई पी लेता है तो यह गुनाह भी नहीं है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज में ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिया था (बुख़ारी–1637)

बाब {मशक के मुँह से मुँह लगा कर पीना।}

3719:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मशक के मुँह से मुँह लगा कर पिया जाये और गन्दगी (पलीदी) खाने वाले जानवर पर सवारी की जाये, और ऐसा जानवर खाया जाये जिस को बाँध कर निशाना मारा गया हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "जल्लाला" उस जानवर को कहते हैं जो पाख़ाना (पलीदी) खाता हो (और उस की आ़दत हो।)

फ़ाइदाः— किसी चीज़ में मुँह लगा कर पानी पीने में हानि यह है कि हो सकता है पानी मुँह में अधिक चला जाये और साँस बन्द हो जाये, या उस के मुँह में कोई जानवर हो जो मुँह में चला जाये। हाँ अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कोई हरज नहीं। पलीदी खाने वाले जानवर का दूध, माँस खाना और सवारी करना मना है। ज़ब्ह करना हो तो कम से कम तीन दिन तक बाँध कर रखा जाये जैसा कि "इरवाउल ग़लील" (2505) में है।

बाब {मशक का मुँह उलट कर उस में पीना।}

3720:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मशक का मुँह उलट कर उस से पिया जाये।

3721:— अ़ीसा बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मशक मँगवाया फिर फ़रमायाः उस का मुँह उलटाओ, फिर आप ने उस के मुँह से (मुँह लगा कर पानी) पिया।

बाब {प्याले की टूटी हुयी जगह से पीना।}

3722:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि प्याले की टूटी हुयी जगह से पिया जाये या पीने की चीज़ में फूँक मारी जाये।

अहमद बिन हज़्म ने बयान किया कि हमें सअ़ीद बिन आराबी ने बताया कि मुझे इमाम अबू दावूद से कुर्रा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हैवलि बिन कासिरिल मुदूद की बाबत यह ख़बर पहुँची है कि उन्हें मुद तोड़ने वाला (कासिरुल मुदूद) इसलिये कहते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने बादशाह के दर्बार में मुद तोड़ दिया था तो इसी वजह से उन्हें इसी नाम से पुकारा जाने लगा।

फ़ाइदा:— टूटे हुये बर्तन के टूटे हुये स्थान पर मुँह लगा कर इसलिये नहीं पीना चाहिये कि वह स्थान टूटने की वजह से साफ़ नहीं हो पाता और मैल जम जाता है, और उस स्थान की सफ़ाई संभव नहीं हो पाती।

बाब {सोने-चाँदी के बर्तन में खाना-पीना।}

3723:— इब्ने अबी लैला ने बयान किया कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ मदाइन में थे, उन्होंने पानी माँगा तो एक दीहाती चाँदी के बर्तन में ले आया, तो उन्होंने उसे फेंक मारा और कहाः मैंने इस को अकारण नहीं फेंका है, बल्कि मैं इस को इस से पहले भी मना कर चुका हूँ मगर यह नहीं माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने-चाँदी के बर्तन में पीने से मना फ़रमाया है।

बाब {ज़मीन के किसी हिस्सा में इकट्ठा साफ़ पानी मुँह लगा कर पीना।}

3724:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के साथ एक अन्सारी के घर तशरीफ़ ले गये जबकि अपने बाग़ में पानी दे रहे थे। आप ने फ़रमायाः अगर तुम्हारे पास ऐसा पानी है जो रात भर मशक में भरा रहा हो तो ले आओ, वर्ना हम कुऐं के हौज़ में जमा पानी ही मुँह लगा कर पी लेते हैं। उन्होंने कहाः हाँ, मेरे पास मशक में रात का पानी मौजूद है।

बाब {पिलाने वाला (खुद) कब पिये?}

3725:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ौम को पिलाने वाला सब से अन्त में पिये।

3726:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दूध पेश किया गया जिस में पानी पिलाया गया था। आप के दायें ओर एक दीहाती था और बायें ओर अबू बक्र सिद्दीक़ थे। आप ने दूध पिया, फिर उस दीहाती को दे दिया और फ़रमायाः दाहिने

वाला, फिर दाहिने वाला।

3727:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब पीते तो तीन साँस लेते और फ़रमातेः इस प्रकार पीने से प्यास अच्छी बुझाता है, हाज़मा (पाचक क्रिया) को मज़बूत करता है और तन्दुरुस्ती का सबब है।

बाब {पानी में फूँक मारना और बर्तन में साँस लेना।}

3728:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बर्तन में साँस लेने या उस में फूँक मारने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— कुछ उलमा ने कहा है कि सूरः फ़ातिहा आदि पढ़ कर पानी में दम करने से पानी में तासीर (प्रभाव) पैदा हो जाती है इसलिये इस काम के लिये पानी में दम करना दुरुस्त है। कुछ उलमा ने कहा कि हदीस आ़म है इसलिये दुआ़ पढ़ कर पानी में दम करना दुरुस्त नहीं, और यही दुरुस्त है।

3729:— अ़ब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ि॰ जो बनी सुलैम क़बीला से हैं बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पिता जी के घर तशरीफ़ लाये और कुछ देर ठहरे। मेरे पिता जी ने आप को खाना पेश किया। उन्होंने बयान किया कि वह खाना हीस था जो लाया गया, फिर पीने की कोई चीज़ लाये जिसे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पिया और इस के बाद अपने दायें तरफ़ वाले को दे दिया, और आप ने खजूर खाई और गुठली अपनी शहादत और उसके बग़ल वाली उँगली की पुश्त पर रखते गये। फिर जब आप वहाँ से उठे तो मेरे पिता जी ने उठ कर आप की सवारी की लगाम थाम ली और अनुरोध किया कि मेरे लिये आप अल्लाह पाक से दुआ़ फ़रमा दें, तो आप ने फ़रमायाः

अल्लाहुम्म बारिक् लहुम् र–ज़क़्– तहुम् वग़्फ़िर लहुम् वर्–हम् हुम्
(ऐ अल्लाह! जो कुछ तू ने उन्हें दिया है उस में उन्हें बर्कत दे, उन को माफ़ कर दे और उन पर रहमत नाज़िल फ़रमा)

बाब {दूध पीने की दुआ़।}

3730:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं (अपनी ख़ाला) मैमूना रज़ि॰ के घर में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये, आप के साथ ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ भी थे। आप के सामने घर वालों ने दो साँडे (गोह) भुने हुये पेश किये जो दो लकड़ियों पर रखे हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (उन्हें देख कर) थूक दिया। यह देख कर ख़ालिद रज़ि॰ ने कहाः मेरे ख़याल से आप इसे नापसन्द करते हैं। आप ने फ़रमायाः हाँ। फिर आप की ख़िदमत में दूध पेश किया गया तो आप ने पी लिया और फिर फ़रमायाः जब तुम में से कोई खाना खाये तो यह दुआ़ पढ़ेः

अल्लाहुम्म बारिक् लना फ़ीहि व–अत्इम्ना ख़ै–रम्मिन्हु

और जब उसे दूध पिलाया जाये तो यूँ कहेः–

अल्लाहुम्म बारिक् लना फ़ीहि वज़िद्ना मिन्ह्
(ऐ अल्लाह! हमें इस में बर्कत दे और अधिक दे)

फ़ाइदा यानी दूध, पानी और खाना दोनों का काम करता है। "ज़ब्ब" का तर्जुमा कुछ उलमा ने गोह और सूसमार किया है और कुछ न साँडा। साँडा और गोह में बड़ा अन्तर है। साँडा, छिपकली जैसा होता है जिस का तेल निकाला जाता है, और गोह यह बिल्ली और नेवले इतना बड़ा होता है। गोह पानी का जानवर है और साँडा पानी का जानवर नहीं है।

बाब {बर्तन को ढाँप का रखने का बयान।}

3731:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपना दर्वाज़ा बन्द कर लो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बन्द दर्वाज़ा नहीं खोलता। अपना चराग़ बुझा दो और अल्लाह का नाम लो। अपना बर्तन ढाँप कर रखो चाहे उस पर कोई लकड़ी ही तिर्छी कर के रख दो और अल्लाह का नाम लो। अपने मशक का मुँह बाँध कर रखो और अल्लाह का नाम लो।

3732:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की (अ़ब्दुल्लाह बिन मसलमा की) यह रिवायत मुकम्मल नहीं है। फ़रमायाः शैतान बन्द दर्वाज़ा नहीं खोल सकता और न तस्मा और बन्धन ही खोल सकता है, और इसी प्रकार न ही ढाँपे हुये बर्तन को नन्गा कर सकता है। (और चराग़ बुझा कर न सोया जाये तो नुक़्सान यह है कि) चूहिया लोगों के घरों को जला डालती है (तेल की बत्ती को घसीट कर गिरा देगी और इस प्रकार आग लग जाती है)

3733:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने मर्फूअ़ तौर पर रिवायत किया कि "इशा के समय" और मुसद्दद ने रिवायत किया कि शाम के समय अपने बच्चों को (घरों में) रोक कर रखा करो। क्योंकि उस समय जिन्न (ज़मीन में) फैल जाते हैं और (बच्चों को) उचक लेते हैं।

3734:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि (एक मर्तबा) हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे कि आप ने पानी माँगा, तो एक व्यक्ति ने कहाः क्या हम आप को (पानी की जगह) नबीज़ न पेश कर दें? आप ने फ़रमायाः ठीक है। चुनान्चे वह भागता-भागता गया और एक प्याला ले आया जिस में नबीज़ थी। आप ने उसे देख कर फ़रमायाः तुम ने इसे ढाँपा क्यों पहीं, इस पर कोई लकड़ी ही रख देता।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इसमअ़ी (जो ग्रामर के इमाम है) ने इस शब्द को "तारु-जहू" पढ़ा है जबकि दूसरे "तारि-जहू" पढ़ते हैं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि खाने-पीने की चीज़ों को कुछ दूरी पर इधर-उधर ले जाना हो तो ढाँप कर ले जाना चाहिये।

3735:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मीठा

पानी सुकया के घरों से लाया जाता था। कुतैबा ने कहा कि "सुक़या" एक चश्मे का नाम था जो मदीने से दो दिन की दूरी पर था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि साफ़ पानी इस्तेमाल करना इन्सान की ज़रुरत है, इस को कोशिश कर के हासिल करना चाहिये। **आज कल छना हुआ साफ़ बोतल का पानी रुपये में ख़रीद कर पीते हैं इस में कोई हरज की बात नहीं। लोग फुज़ूल ख़र्ची समझते हैं यह ग़लत है।**

❀ ❀ ❀

(26) खाने के मसाइल का बयान

बाब {दावत स्वीकार करने का बयान।}

3736:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाये तो चाहिये कि वह उस वलीमे में हाजिर हो।

3737:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और यह भी बयान किया कि अगर रोज़े से नहीं है तो खाने में शामिल हो जाये और अगर रोज़े से हो तो (दावत करने वाले के लिये) दुआ़ करे।

3738:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हें तुम्हारा भाई दावत दे तो कुबूल करनी चाहिये, शादी (का वलीमा) हो या उस प्रकार की कोई और दावत हो।

3739:— इब्ने मुसफ़्फ़ा ने कहा कि हमें बक़िय्या ने बयान किया, और बक़िय्या को जुबैदी इमाम नाफ़े ने अय्यूब की सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

3740:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे दावत दी गयी हो उसे चाहिये कि कुबूल कर ले, फिर अगर चाहे तो खाना खा ले और अगर चाहे तो न खाये।

3741:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे दावत दी गयी और उसे उस ने स्वीकार न किया तो उस ने अल्लाह और उस के रसूल की अवज्ञा की। और जो शख़्स बिना बुलाये किसी दावत में जा पहुँचा तो वह उन में चोर बन कर दाख़िल हुआ और लुटेरा बन कर निकला।

अबू दावूद ने कहा कि (इस सनद में रावी) इबान बिन तारिक़ मजहूल है (यानी उस के

बारे में कुछ मालूम नहीं)

3742:— अबू हुरैरा रज़ि० कहा करते थे कि सब से बुरा वलीमा वह है जिस में मालदार लोगों को बुलाया जाये और फ़क़ीरों को छोड़ दिया जाये। और जो दावत में नही आया उस ने अल्लाह और उस के रसूल की अवज्ञा की।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीसों से मालूम हुआ कि शरीअ़त के मुताबिक़ दी गयी दावत का आयोजन करना, उसे कुबूल करना, उस में हाज़िर और शरीक होना अनिवार्य है, बिना किसी जाइज़ मजबूरी और रुकावट के पीछे रहना और न शामिल होना दुरुस्त नहीं। सुन्नत के ख़िलाफ़ की गयी दावत में न शरीक होना दुरुस्त है।

बाब {निकाह के बाद वलीमा करना मुस्तहब है।}

3743:— अनस बिन मालिक रज़ि० की मज्लिस में (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) ज़ैनब बिन्त जहश का ज़िक्र आया तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी के वलीमा में इतना एहतमाम किया हो जितना उन के वलीमा में किया था। आप ने एक बकरी का वलीमा किया था।

3744:— अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपनी पत्नी) सफ़िय्या के निकाह में सत्तू और खजूर से वलीमा किया था।

फ़ाइदा:— वलीमा करना मुस्तहब है जो कुछ मौके पर मौजूद हो उसी को खिला-पिला देना चाहिये, ज़रुरी नहीं कि माँस ही हो। वलीमा करने में हिक्मत यह भी है कि लोगों को मालूम हो जाता है किजाइज़ तरीक़े से पत्नी घर में आ गई है और फ़लाँ का घर आबाद हो गया है।

बाब {वलीमे की दावत कितने दिनों तक मुस्तहब है?}

3745:— अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने क़बीला सक़ीफ़ ने एक काने से आदमी से रिवायत किया जिस को "मारुफ़" कहा जाता था, यानी उस की प्रशंसा (तारीफ़) की जाती थी। उस का नाम जुहैर बिन उस्मान नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि उस का क्या नाम था? उस ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेशक वलीमा पहले दिन (लाज़िम, अनिवार्य) है, दूसरे दिन नेकी है, और तीसरे दिन रियाकारी और दिखावा है।

क़तादा ने एक आदमी से नक़ल किया कि सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह० को पहले दिन दावत दी गयी तो कुबूल कर लिया, दूसरे दिन बुलाया गया तो भी कुबूल कर लिया, और तीसरे दिन बुलाया गया तो कुबूल न किया और कहाः यह लोग रियाकारी और दिखावा चाहते हैं।

3746:— इमाम क़तादा रह० ने सअ़ीद बिन मुसय्यिब से यह क़िस्सा बयान किया और कहा कि तीसरे दिन बुलया गया तो दावत कुबूल न की और सन्देश लाने वले को कंकर दे मारा।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें ज़ईफ़ है। अगर तीनों दिन खाने वाले एक ही लोग हों तो नाजाइज़ है। और अगर खाने वाले दूसरे लोग होंतो दो दिन, या तीन दिन वलीमा खिलाने में हरज

नहीं है, पहले के बुज़ुर्गों से साबित है।

बाब {सफ़र से वापस पहुँचने पर खाना खिलाना।}

3747:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना तश्रीफ़ लाये तो आप ने एक ऊँट या गाय ज़ब्ह किया।

बाब {मेहमानी करने का बयान।}

3748:— अबू शुरैह काबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस शख़्स का अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान है उसे चाहिये किअपने मेहमान की इज़्ज़त करे। भलीभाँत ख़िदमत और आदर-सम्मान एक दिन है। मेहमानी तीन दिन होती है, इस के बाद सदक़ा है। मेहमान के लिये हलाल नहीं कि अपने मेज़बान के पास डेरा डाल कर बैठ जाये और उस के लिये बोझ बन जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हारिस बिन मिस्कीन से रिवायत है कि इमाम मालिक रह॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान......का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा: एक दिन-रात उस की खूब सेवा और ख़िदमत करे, उसे तोहफ़ा (उपहार) दे और उस का खूब ख़याल रखे। और तीन दिन तक मेहमानी है।

फ़ाइदा:— एक दिन रात खूब सेवा करे" इस में यह भी है कि जाते समय इतना और दे कि वह अपने घर आसानी से पहुँच जाये। अगर कोई परेशानी हो तो मेहमान तीन दिन से अधिक भी ठहर सकता है और मेज़बान की यह ख़िदमत सदक़ा होगी। मेहमान के लिये भी लाज़िम है कि वह मेज़बान पर बोझ न बने।

3749:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेज़बानी तीन दिन है जो तीन दिन के अ़लावा हो वह सदक़ा है।

3750:— अबू करीमा (मिक़दाम बिन मादीकर्ब) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक रात की मेहमानी हर मुसलमान पर हक़ (लाज़िम, वाजिब) है। जो शख़्स किसी के आगँन में उतरे तो उस शख़्स पर मेहमानी कर्ज़ है। मेहमान चाहे तो वसूल कर ले और अगर चाहे तो छोड़ दे।

3751:— मिक़दाम (बिन मादीकर्ब) अबू करीमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स किसी क़ौम का मेहमान हो फिर वह मेहमानी से वन्चित रहे तो उस की मदद करना हर मुसलमान पर वाजिब है यहाँ तक कि वह उन से अपनी एक रात की मेहमानी हासिल कर ले, उस की खेती से और माल से।

3752:— उक़बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें भेजते हैं तो हम किसी क़ौम के पास पड़ाव डालते हैं लेकिन वह हमारी मेहमानी नहीं करते हैं तो आप क्या हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमाया: अगर तुम किसी के यहाँपड़ाव

करो तो अगर वह तुम्हारे लिये उस चीज़ का कहें जो मेहमान के लाइक़ है तो उसे क़ुबूल कर लो। अगर वह ऐसा न करें तो उन से अपनी मेहमानी का हक़ वसूल करो जो मुनासिब और उचित हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस में दलील है कि इन्सान अपना हक़ वसूल कर सकता है।

बाब {दूसरे का माल मेहमानी के तौर पर खाना हराम है, यह हदीस मन्सूख़ है।}

3753:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने सूरः निसा की आयत 29 की तफ़सीर में फ़रमाया कि इस आयत के उतरने पर लोग एक-दूसरे के यहाँ खाना खाने में हरज समझते थे। फिर सूरः निसा की आयत 61 ने इस को मन्सूख़ कर दिया।

फ़ाइदा:— सूरः निसा की आयत 29 से कुछ सहाबा ने यह समझा कि तिजारत के बग़ैर किसी के यहाँ खाना खाना नाजाइज़ है। इसी प्रकार कुछ मालदार अपने ग़रीब रिश्तेदार के यहाँ खाने को बुरा जानते थे। सूरः नूर की आयत 61 ने स्पष्ट कर दिया कि तुम तिजारत के बग़ैर भी एक-दूसरे के यहाँ खा पी सकते हो। इसी प्रकार मालदार आदमी अपने ग़रीब रिश्तेदार के घर खा पी सकता है। शर्त केवल यह है कि उस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो।

बाब {(तकब्बुर, दिखावा और) मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने वाले का खाना।}

3754:— इक्रमा रह॰ ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुक़ाबला बाज़ी में आ कर खिलाने वालों का खाना खाने से मना फ़रमाया है।

बाब {ऐसी दावत में जाना जिस में कोई शरीअ़त के ख़िलाफ़ बात न हो।}

3755:— सफ़ीना अबू अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि एक आदमी ने अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ की दावत की और उन के लिये खाना तय्यार किया (और उन के घर भेज दिया) फ़ातिमा रज़ि॰ ने कहाः अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बुला लें (तो अच्छा रहेगा) चुनान्चे उन्होंने अप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भी दावत दे दी और आप तशरीफ़ ले आये। आप ने अपना हाथ दर्वाज़े की चौखट पर रखा तो एक तस्वीर वाला पर्दा देखा जो घर के एक कोने में लगाया गा था, यह देख कर आप वापस लौट गये। फ़ातिमा ने अ़ली से कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिल कर पूछो कि आप को किस चीज़ ने वापस लौटाया? अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं आप के पीछे गया और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस वजह से वापस आ गये थे? आप ने फ़रमायाः मेरे लिये उचित नहीं, या यह कहा कि नबी के लिये उचित नहीं कि फूल बूटे वाले घर में दाख़िल हो।

3756:— एक सहाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब दो दावत देने वाले इकट्ठे हो जायें तो उस की दावत (न्यौता) स्वीकार करो जिस का दर्वाज़ा ज़्यादा क़रीब हो। और अगर उन में से एक पहले आया है तो पहले आने वाले की क़ुबूल करो।

बाब {जब नमाज़ तय्यार हो और रात का खाना भी।}

3757:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी का रात का खाना रख दिया गया हो और नमाज़ की इक़ामत भी हो गयी हो तो (नमाज़ पढ़ने के लिये) न उठे यहाँ तक कि खाने से फ़ारिग़ हो जाये। मुसद्दद ने यह भी कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के लिये रात का खाना रख दिया जाता.......या शाम का खाना तय्यार हो जाता......तो वह खाना खा लेने के बाद ही उठते, हालाँकि वह इक़ामत सुनते या इमाम की क़िरात सुन रहे होते।

फ़ाइदा:— खाना इसलिये खा लेते ताकि यकसूई से नमाज़ अदा हो और खाने में दिल न लगा रहे। इसी प्रकार पाखाना-पेशाब से भी फ़ारिग़ होना ज़रुरी है, अर्गचे जमाअ़त की एक-आध रकअ़त भी क्यों न छूट जाये। इसी प्रकार उन सब कामों से फ़ारिग़ हो जायें जो नमाज़ में यकसूई के ख़िलाफ़ हों।

3758:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खाने या किसी और वजह से नमाज़ को पीछे न किया जाये।

3759:— अ़ब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ के ज़माना की बात है कि मैं अपने पिता (उबैद बिन उमैर) के साथ अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के साथ बैठा हुआ था कि अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहाः हम ने सुना है कि (नमाज़ से पहले) रात के खाने से आरंभ किया जाये। तो अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने कहाः अफ़सोस तुम पर, भला उन का रात का खाना क्या होता था? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप के रात के खाने की तरह होता था? (यानी किस प्रकार के खाने होते थे?)

फ़ाइदा:— जाबिर रज़ि॰ की ऊपर की रिवायत (हदीस न॰ 7358) ज़ओ़फ़ है।

बाब {खाने के समय हाथ धोने का बयान।}

3760:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शौचालय से निकले तो आप को खाना पेश किया गया। सहाबा ने कहाः क्या आप के लिये वुज़ू का पानी ले आयें? आप ने फ़रमायाः मुझे वुज़ू करने का हुक्म नमाज़ पढ़ने के लिये दिया गया है।

फ़ाइदा:— अगर हाथ साफ़ हों तो दोबारा धोना कोई सुन्नत नहीं है। शौचालाय के बाद हाथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया जायें तो खाने के समय दोबारा धोना अनिवार्य नहीं।

बाब {खाने से पहले हाथ धोने का बयान।}

3761:— सलमान फ़र्सी रज़ि॰ ने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने से पहले वुज़ू कर लेना बर्कत का सबब है। मैंने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताई तो आप ने फ़रमायाः खाने की बर्कत वुज़ू में है कि खाने से पहले किया जाये और बाद में भी।

और अबू सुफ़यान खाने से पहले वुज़ू करना मकरुह समझते थे। इमाम अबू दावूद ने कहा

कि यह रिवायत ज़ओफ़ है।

बाब {अचानक खाने के मौक़ा पर (बिना हाथ धोए) खाना।}

3762:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक पहाड़ी की घाटी की तरफ़ से तशरीफ़ लाये। आप शौचालय से होकर आये थे और हमारे सामने ढाल पर खजूरें रखीं थीं। हम ने आप को खाने की दावत दी तो आप ने हमारे साथ मिल कर खाया और पानी को हाथ न लगाया।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें जिन में हाथ धोने और न धोने का ज़िक्र है, दोनों ही ज़ओफ़ हैं, इसलिये इन पर अ़मल नहीं होगा। अगर हाथ साफ़ है तो धोने की कोई आवश्यकता नहीं।

बाब {खाने में ऐब निकालना मक्रुह है।}

3763:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी किसी खाने में कोई ऐब नहीं निकाला। आप की इच्छा होती तो खा लेते और अगर नापसन्द करते तो छोड़ देते।

बाब {इकट्ठा मिल कर खाने का बयान।}

3764:— वहशी बिन हर्ब अपने पिता से और वह (वहशी के) दादा सहाबी (वहशी बिन हर्ब) रज़ि॰ रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम खाते हैं मगर पेट नहीं भरता। आप ने फ़रमायाः शायद तुम लोग अलग-अलग होकर खाते हो? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः इकट्ठे होकर खाया करो और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो, उस में तुम्हारे लिये बर्कत पैदा कर दी जायेगी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जब तुम किसी दावत में शरीक हो और खाना सामने रख दिया जाये तो जब तक घर वाला इजाज़त न दे मत खाओ।

फ़ाइदा:— इस हदीस से बड़े अहम अख़्लाक़ी मस्अले मालूम हुये।

बाब {खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना।}

3765:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि इन्सान जब अपने घर में बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाख़िल होता है और फिर अपने खाने पर भी अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान कहता है तुम्हारे लिये यहाँ न रात को रहने का ठिकाना है और न रात का खाना। और जब इन्सान दाख़िल होते समय अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है कि तुम्हें रात का ठिकाना मिल गया। और जब खाने पर भी अल्लाह का नाम न ले तो कहता है कि तुम्हें रात के ठिकाने के साथ-साथ खाना भी मिल गया।

फ़ाइदा:— शैतान और उस के चेले-चाँटे दिखाई नहीं देते, लेकिन उन का मौजूद होना हक़ और सच है और उन से बचने का तरीक़ा अल्लाह का ज़िक्र है।

3766:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ खाने में शरीक होते तो हम में से कोई खाने में उस समय तक हाथ न डालता जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शुरु न कर लेते। चुनान्चे एक मर्तबा आप के साथ खाने में शरीक थे कि एक दीहाती आया गोया उसे ढकेला जा रहा था। फिर वह आगे बढ़ा और अपने हाथ को खाने में डालना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का हाथ पकड़ लिया और फ़रमायाः जिस खाने पर अल्लाह पाक का नाम न लिया गया हो शैतान उसे अपने लिये हलाल समझ लेता है। वह इस दीहाती को लाया ताकि इस के ज़रीआ़ से खाना हासिल कर सके, मगर मैंने उस का हाथ पकड़ लिया। और इस बच्ची को लाया ताकि इस के ज़रीआ़ से खाना ले सके, तो मैंने इस का भी हाथ पकड़ लिया। क़सम उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है। उस का हाथ (उन दोनों) के हाथों के साथ मेरे हाथ में है।

फ़ाइदा:— आप अनुमान लगायें कि शैतान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खाने में हमला करने से नहीं रुका तो आ़म मुसलमानों का क्या हाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खाते समय बिस्सिमिल्लाह पढ़ लेने से सुरक्षा हो जाती है।

3767:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जब कोई खाना खाने लगे तो चाहिये कि अल्लाह का नाम ले लिया करे। अगर शुरु में भूल जाये तो (जब याद आये) यूँ कहेः

बिस्मिल्लाहि अव्व—लहू वआख़ि—रहू (अल्लाह पाक के नाम से इस खाने के शुरु में और अन्त में भी)

3768:— उमय्या बिन मख़्शी रज़ि॰ जो कि एक सहाबी थे उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे हुये थे जबकि एक व्यक्ति खाना खा रहा था, उस ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, जब उस के खाने में से एक लुक़्मा बाक़ी रह गया तो उस ने उस अंतिम लुक़्मा को अपेन मुँह की तरफ़ ले जाते हुये पढ़ा : बिस्मिल्लाहि अव्व-लहू वआख़ि-रहू (अल्लाह के नाम से इस खाने के शुरु में और अन्त में भी) यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हँसने लगे और फ़रमायाः शैतान उस के साथ खाये जा रहा था, जब उस ने अल्लाह का नाम लिया तो जो कुछ उस के पेट में था उस ने वह सब क़ै कर के निकाल दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जाबिर बिन सुब्ह, सुलैमान बिन हर्ब के नाना है।

बाब {सहारा लेकर (टेक लगा कर) खाना।}

3769:— अबू जुहैफ़ा (वहब बिन अ़ब्दुल्लाह) रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं सहारा लेकर (टेक लगा कर) नहीं खाता।

3770:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे (किसी काम से) भेजा, फिर मैं आप के पास वापस आकर हाज़िर हुआ तो क्या देखा कि आप खजूरें खा रहे हैं और उकड़ू बैठे हुये थे।

3771:— शुऐब बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा गया कि आप ने तकिया लगा कर खाना खाया हो, या दो आदमियों ने भी आप की एड़ियों पर ऐड़ियाँ रखी हों (यानी ऐसा नहीं हुआ कि आप तकुब्बर से आगे चलें और लोग आप के पीछे चलें)

बाब {प्याले के ऊपर के हिस्से से खाना।}

3772:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जब कोई खाना खाने लगे तो प्याले के ऊपर (दर्मियान) से न खाए, बल्कि नीचे (एक तरफ़) से खाए। क्योंकि बर्कत उस के ऊपर की तरफ़ से उतरती है।

3773:— अ़ब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ा तश्त था जिसे ग़र्रा कहा जाता था। उसे चार आदमी मिल कर उठाते थे। जब दिन चढ़े (चाश्त) का समय हुआ और आप ने चाश्त की नमाज़ पढ़ ली तो उस का उठा कर लाया गया जबकि उस में सरीद बनाया गया था (यानी शूर्बे में रोटी भिगोई गयी थी) सब लोग उस के पास जमा हो गये। जब लोग अधिक मात्रा में एकत्र हो गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने घुटने टेक लिये। एक दीहाती ने कहाः बैठने का यह कैन सा तरीक़ा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह ने मुझे नेक आ़दत वाला बन्दा बनाया है, मैं सरकश और मतकब्बिर नहीं हूँ। फिर आप ने यह भी फ़रमायाः उस के कनारे से खाओ और चोटी को छोड़ दो, उस में बर्कत होगी।

बाब {जिस दस्तरख़ान पर मकरुह चीज़ों का इस्तेमाल हो उस पर नहीं बैठना चाहिये।}

3774:— सालिम अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खाने के तअ़ल्लुक़ से दो बातों से मना फ़रमाया है। (1) ऐसे दस्तरख़ान पर बैठना जिस पर शराब पी जाये (2) पेट के बले औंधे लेट कर खाना।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस जाफ़र ने जुहरी से नहीं सुनी है, यह हदीस मुन्कर है।

3775:— हारुन बिन ज़ैद बिन अबू ज़रक़ा ने कहा कि हमें मेरे पिता जी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें जाफ़र ने बयान किया कि उसे जुहरी से यह हदीस पहुँची।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन हदीस का मफ़हूम सहीह है।

बाब {दाँयें हाथ से खाने का हुक्म।}

3776:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायंत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई खाये तो अपने दाँये हाथ से खाये। और जब पिये तो अपने दाँये हाथ से पिये, क्योंकि शैतान अपने बाँयें हाथ से खाता और अपने बायें हाथ से पीता है।

3777:— उमर बिन अबू सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः मेरे क़रीब हो जाओ, अल्लाह का नाम लो (बिस्मिल्लाह पढ़ो) दायें हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ।

बाब {माँस (गोश्त) खाने का बयान।}

3778:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः गोश्त छुरी से काट कर मत खाओ, क्योंकि यह अ़जमियों का तरीक़ा है, दाँत से काट कर और नोच कर खाओ, इस प्रकार खाने से ज़्यादा स्वाद देती है और अच्छी तरह हज़म होता है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

फ़ाइदा:— बुख़ारी शरीफ़ में छुरी से काट कर खाने का ज़िक्र है (किताबुल वज़ू)

3779:— सफ़वान बिन उमय्या रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और अपने हाथ से हड्डी पर से माँस को अलग कर रहा था। यह देख कर आप ने फ़रमायाः हड्डी उठा कर अपने मुँह से लगाओ (यानी दाँत से नोच कर खाओ) क्योंकि इस प्रकार यह मज़ेदार (स्वादिष्ट) लगता है और खूब हज़म होता है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उस्मान ने सफ़वान से नहीं सुना है, इसलिये यह हदीस मुर्सल है।

3780:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि॰ से रिवायत हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बकरी की ऐसी हड्डी बहुत पसन्द थी जिस पर गोश्त उतार लिया गया हो और थोड़ा बाक़ी हो।

3781:— अबू दावूद तयालसी रह॰ ने इसी सनद से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दस्त का माँस बहुत पसन्द था। उन्होंने बयान किया कि आप को दस्त के माँस ही में ज़हर देने की कोशिश की गयी थी और यह करतूत यहूदियों की थी।

फ़ाइदा:— ऊपर की चारों रिवायतें जओ़फ़ हैं।

बाब {कद्दू (लौकी) खाने का बयान।}

3782:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि दरज़ी (टेलर) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की खाने की दावत ली जो उस ने तय्यार किया था। अनस रज़ि॰ ने कहा कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ उस खाने में गया था। दरज़ी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जौ की रोटी और शूरबा पेश किया जिस में लौकी और सूखा माँस था। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने देखा कि आप प्याले के चारों तरफ़ लौकी के टुकड़े तलाश कर रहे थे। चुनान्चे उस दिन के बाद से मैं भी लौकी को बहुत पसन्द करने लगा।

बाब {सरीद खाने का बयान।}

3783:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि रोटी का सरीद और हैस का सरीद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तमाम खानों में सब से अधिक पसन्द था।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

फ़ाइदा:— लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से सरीद की फ़ज़ीलत साबित है, देखें बुख़ारी किताबुल अतइमा–5419, 5420, मुस्लिम–2446। शुरबा में रोटी के टुकड़े भिगो लिये जायें तो इसे "सरीद" और खजूर, घी, पनीर आदि को मिला कर जो तय्यार हो उसे "हैस" कहा जाता है।

बाब {किसी खाने से बिला वजह नफ़रत मक्रूह है।}

3784:— क़ुबैसा अपने पिता हुल्ब से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना जबकि एक आदमी ने आप से प्रश्न किया था कि कुछ खाने ऐसे हैं जिन के खाने में हरज समझता हूँ। आप ने फ़रमायाः कोई (हलाल) चीज़ तुम्हारे सीने में शक व शुब्हा न डाले, इस से तो नस्रानियों (यानी उन के उलमा राहिबों) के मुशाबह हो जायेगा।

फ़ाइदा:— कि बिला वजह राहिब लोग शक व शुब्हे में पड़ कर हलाल चीज़ को हराम कर लेते थे। हाँ तबीअ़त न चाहे तो न खाये इस में कोई हरज की बात नहीं।

बाब {पलीदी खाने वाले जानवर का माँस खाने और उस के दूध पीने की मिनाही का बयान।}

3785:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पलीदी खाने वाले जानवर को खाने और उस का दूध पीने से मना फ़रमाया है।

3786:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पलीदी खाने वाले जानवर का दूध पीने से मना फ़रमाया है।

3787:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पलीदी खाने वाले ऊँट पर सवारी करने और उस का दूध पीने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— जो जानवर पलीदी, गन्दगी, नजासत, और पाख़ाना खाये उस का दूध और माँस खाना दुरुस्त नहीं। इस में परिन्दे भी शामिल है। आजकल मुर्ग़ी के चूज़ों की ख़ूराक में ख़ून और हराम जानवर का मीट मिलाते हैं। इस प्रकार के दाने खाने वाले चूज़े भी पलीदी खाने वालों में शामिल होंगे। मुर्ग़ी को तीन दिन और जानवर को चालीस दिन बन्द रख कर अपना चरा खिलायें फिर ज़ब्ह करें। अगर उस के शरीर से बदबू आये तो उस पर सवारी भी दुरुस्त नहीं।

बाब {घोड़े का माँस खाने का मस्अला।}

3788:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ैबर वाले दिन गधों के माँस से मना फ़रमाया है और घोड़ों के माँस की इजाज़त दी थी।

3789:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने ख़ैबर के दिन घोड़े, ख़च्चर और गधे ज़ब्ह किये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़च्चरों और गधों से मना फ़रमा दिया, लेकिन घोड़ों से मना नहीं फ़रमाया।

3790:— ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

घोड़े, ख़च्चर और गधे का माँस खाने से मना फ़रमाया है। हैवा बिन शुरैह ने मज़ीद कहा कि दरिन्दों में से हर केचुली वाले जानवर से भी मना फ़रमाया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक का भी यही क़ौल है (यानी घोड़ा मक्रुह है) इमाम अबू दावूद ने कहा कि घोड़े के माँस में कोई हरज नहीं, मगर इस पर अ़मल नहीं है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह (रिवायत जिस में घोड़े के माँस खाने की मिनाही है) मन्सूख़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमाअ़त ने घोड़े का माँस खाया है। उन में जुबैर, फुज़ाला बिन उबैद, अनस बिन मालिक, अस्मा बिन्त अबू बक्र, सुवैद बिन ग़फ़ला और अल्क़मा रज़ि॰ का भी नाम आता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में क़ुरैशी लोग ज़ब्ह किया करते थे।

फ़ाइदा:— घोड़े का माँस हलाल और पाक है। हमारे मुल्क में खाने की परंपरा और रिवाज न होना अलग बात है (बुख़ारी–5519, 5510, 5511+ मुस्लिम–1941, 1942) अन्तिम रिवायत ख़ालिद बिन वलीद वाली (3790) ज़ओ़फ़ है।

बाब {ख़रगोश खाने का बयान।}

3791:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं एक नव आयु का मज़बूत लड़का था, मैंने एक ख़रगोश का शिकार किया, फिर उसे भूना। अबू तल्हा रज़ि॰ ने मुझे उस का पिछला धड़ देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेजा तो मैं उसे आप के पास लेकर आया तो आप ने उसे क़ुबूल फ़रमा लिया।

3792:— अबू ख़ालिद हुवैरिस का बयान है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ सिफ़ाह के स्थान पर थे (मुहम्द (बिन ख़ालिद) ने बताया कि यह मक्का में एक जगह का नाम है।) इस दर्मियान एक आदमी एक ख़रगोश लेकर आया जो उस ने शिकार किया था। उस ने कहाः ऐ इब्ने उमर! आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहाः यह जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया था उस समय में आप के पास बैठा हुआ था, जो आप ने न तो उसे खाया और न ही खाने से मना फ़रमाया और कहा कि इस जानवर को हैज़ (माहवारी) आती है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क़ुबूल कर लेना ही इस के हलाल होने की दलील है। माहवारी आने वाली दोनों हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। परिन्दों के विशेषज्ञों और माहिर लोगों का भी कहना है कि इन को हैज़ नहीं आता है। इन का पेशाब गाहे–बगाहे लाल–पीले रन्ग का आता है और बस। खरगोश को हैज़ आना यह केवल कहावत है।

बाब {साँडा (गोह) खाने का बयान।}

3793:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उन की ख़ाला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में घी, साँडा और पनीर का हदिया (उपहार) भेजा। आप ने घी और पनीर तो खा लिया मगर साँडे को तबीअ़त के न चाहने पर छोड़ दिया। ताहम उसे आप के दस्तरख़ान पर खाया गया। अगर हराम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

दस्तरख़ान पर हर्गिज़ न खाया जाता।

3794:— अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि ख़ालिद रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैमूना रज़ि॰ के घर गये तो उन्हें भुना हुआ साँडा पेश किया गया। आप ने (खाने के लिये) अपना हाथ बढ़ाया तो कुछ महिलाओं ने जो मैमूना रज़ि॰ के घर में थीं कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने लगे हैं तो उन्हें उस खाने के बारे में बता दो। चुनान्चे सहाबा ने कहाः यह साँडा है, यह सुन कर आप ने अपना हाथ उठा लिया। ख़ालिद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह हराम है? आप ने फ़रमायाः नहीं, लेकिन यह मेरे वतन में हीं पाये जाते इसलिये कराहत की बिना पर इस के खाने से बचता हूँ। ख़ालिद ने कहाः फिर मैं ने उसे अपनी तरफ़ खींच लिया और खा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे।

3795:— साबित बिन वदीआ रज़ि॰ से रिवायत है कि हम एक लश्कर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमें साँडे मिले, तो उन में एक को भून कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में ले आया और आप के सामने रख दिया। आप ने एक तिनका लिया और उस से उस की उँगलियाँ गिनी, फिर फ़रमायाः बनी इस्राईल की एक क़ौम को ज़मीन के जानवरों की शक्ल में मस्ख़ कर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम वह कौन से जानवर थे। उन्होंने कहा कि फिर आप ने न तो खाया और न ही मना किया।

3796:— अब्दुर्रहमान बिन शिब्ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साँडे का माँस खाने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत (3796) ज़ओफ़ है। आप ने नहीं खाया, मगर खाने से मना नहीं फ़रमाया। यह रिवायत बुख़ारी (5537) और मुस्लिम (1945) में भी है। अगर हराम होता तो यह कैसे संभव था कि ख़ालिद रज़ि॰ आप के सामने खाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म हराम खाते देख कर ख़ामोश रहें। मालूम हुआ कि साँडा बिला शुब्हा हलाल है।

बाब {हुबारा का माँस खाना।}

3797:— बुरया बिन उमर बिन सफ़ीना अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुबारा का माँस खाया था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। फिर भी यह परिन्दा पंजे से शिकार करने वाले परिन्दों में से नहीं है, इसलिये हलाल है।

बाब {ज़मीन के अन्दर रहने वाले जानवरों का खाना।}

3798:— मिलक़ाम बिन तल्लिब अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में रहा हूँ, मगर मैंने आप से ज़मीन के अन्दर रहने वाले जानवरों के हराम होने के बारे में कुछ नहीं सुना।

3799:— अ़ीसा बिन नुमैला अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के पास था कि उन से ख़ापुश्त (साही) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सूरः अन्आ़म की आयत न॰ 145 तिलावत की (तर्जुमा) आप कह दीजिये कि वह्यि के ज़रीआ़ जोआदेश मेरे पास आयें हैं उन में से मैं किसी खाने वाले के लिये कोई चीज जिसे वह खाना चाहे, हराम नहीं पाता, मगर यह कि वह मरा हुआ हो, या बहता खून हो, या सुअर का माँस.............।

यह सुन कर मज्लिस में बैठे एक बड़ी आयु के व्यक्ति ने कहा कि मैंने अबू हुरैरा रज़ि॰ को फ़रमाते सुना है वह कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास साही जानवर का ज़िक्र हुआ तो आप ने फ़रमायाः नापाक जानवरों में से यह एक ख़बीस जानवर है। इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया है तो फिर वही दुरुस्त है जो आप ने फ़रमाया है जिस का मुझे ज्ञान नहीं है।

फ़ाइदा:— इस जानवर के बारे में शैख़ इब्ने बाज़ का फ़तवा यह है कि "ज़्यादा सहीह यही है कि यह जानवर हलाल है क्योंकि यह ख़रगोश और हिरन की तरह घास और पत्तियाँ खाता है और दाँत से शिकार करने वाले दरिन्दों में से नहीं है। और शरीअ़त में इस जानवर के हराम होने के बारे में कोई दलील नहीं है। (फ़तवा इस्लामिया)

बाब {जिन चीज़ों के हराम होने के बारे में स्पष्ट नहीं है। (उन का हुक्म)}

3800:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि इस्लाम से पहले लोग कई चीज़ों को खाते और कई को नापसन्द करते हुये छोड़ देते थे। तो अल्लाह पाक ने अपना नबी भेजा और अपनी किताब नाज़िल की, हलाल को हलाल और हराम को हराम ठहराया, तो जिसको उस ने हलाल किया वह हलाल है और जिस को हराम किया वह हराम है और जिस के बारे में ख़ामोशी इख़्तियार की वह माफ़ है। और सूरः अन्आ़म कीआयत तिलावत फ़रमायी "कह दीजिये कि वह्यि के ज़रीआ़ जो आदेश मेरे पास आये हैं उन में से मैं किसी खाने वाले के लिये कोई चीज़ जिसे वह खाना चाहे हराम नहीं पाता .... (सूरः अन्आ़म-145)

बाब {लगड़-बगड़ (लकड़ बग्घा) खाना कैसा है।}

3801:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से लगड़-बगड़ के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः वह शिकार है, अगर उसे मुहरिम (एहराम बाँधने वाला) शिकार करे तो उस को एक मेंढा फ़िदया (जुर्माना) देना होगा।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि इस जानवर का खाना हलाल है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे "शिकार" क़रार दिया है, यानी जिस का शिकार कर के खाना जाइज़ है। यह जानवर भी केचलियों से शिकार करने वाला है।

इब्ने क़य्यिम रह॰ ने कहा है कि यह भी दरिन्दा है लेकिन इस के अन्दर वह शक्ति दरिन्दों वाली नहीं पाई जाती जो दीगर दरिन्दों में पाई जाती है, इसलिये इस को हलाल क़रार दिया गया है। (विस्तार से जानकारी के लिये "औनुल माबूद" देखें)

बाब {दरिन्दों का माँस खाना हराम है।}

3802:— अबू सालबा खुशनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर केचली रखने वाले दरिन्दे को खाने से मना फ़रमाया है।

3803:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर केचली वाले दरिन्दे और हर पन्जे दार परिन्दे के खाने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— वह परिन्दे जो अपने पन्जों यानी नाखून से शिकार पकड़ें और चीर फाड़ कर खायें वह हराम हैं जैसे कि शाहीन, बाज़, चील आदि।

3804:— मिक़दाम बिन मादीकर्ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आगाह! केचली के दाँत रखने वाला दरिन्दा, पालतू गधा और किसी ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा पड़ा माल हलाल नहीं हैं, मगर यह कि उस का मालिक उस माल से बेर्पवाह हो, और जो कोई किसी क़ौम के पास जाये और वह उस की मेहमानी न करें तो उस के लिये जाइज़ है कि उन से अपनी मेहमानी के बराबर कुछ ले ले।

3805:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ैबर के दिन हर केचली वाला दरिन्दा और पन्जेदार परिन्दा खाना मना फ़रमाया।

3806:— ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ैबर की लड़ाई में शरीक था। यहूदी लोग (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास) आये (और माल मवेशी लूट लिये हैं) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़बरदार! मुआहिदा करने वाले (ज़िममी) लोगों का माल हलाल नहीं मगर यह कि शरीअत के मुताबिक़ हक़ हो। तुम पर पालतू गधे, घोड़े, ख़च्चर, केचली वाले दरिन्दे, और पंजेदार परिन्दे हराम हैं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। घोड़े के हलाल होने के बारे में देखिये ऊपर की हदीस न॰ 3788, 3790।

3708:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली की कीमत से मना फ़रमाया है।

इब्ने अब्दुल मलिक की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के खाने और उस की क़ीमत के खाने से मना फ़रमाया है।

बाब {पालतू गधों का माँस खाना।}

3808:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ैबर की जन्ग के मौक़ा पर हमें गधों का माँस खाने से मना फ़रमाया और हुक्म दिया कि हम घोड़ों का माँस खायें।

अम्र ने कहा कि मैंने यह रिवायत अबू शाशा को बताई तो उन्होंने कहा कि हकम बिन

अ़म्र ग़िफ़ारी (बसरा में) हमारे पास थे, वह भी यही कहते थे। मगर उस "बहर" ने इस का इन्कार किया है (बहर यानी ज्ञान का समुन्दर) से मुराद इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ हैं।

फ़ाइदा:— "बहर" के माना समुन्दर। इस से मुराद इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ थे कि वह ज्ञान का समुन्द्र थे। आरंभ में इब्ने अ़ब्बास को हदीस न मिलने के कारण गधों के हराम होने में संकोच था, मगर बाद में हदीसें मिलने के बाद पूरा विश्वास हो गया कि गधे का माँस हराम है।

3809:— ग़ालिब बिन अबज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि हमें सूखा काल ने आ लिया, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ न थी जो मैं अपने घर वालों को खिला सकता। केवल कुछ गधे ही मेरे पास थे, और उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हराम क़रार दिया था। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें सूखा काल ने आ लिया है और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैं उन्हें खिला सकूँ सिवाए चन्द मोटे-मोटे गधों के और आप ने पालतू गधों का माँस हराम क़रार दिया है। आप ने फ़रमाया: अपने घर वालों को अपेन मोटे गधों को खिदा दो, मैंने उन्हें इसलिये हराम किया है कि यह आबादी की गन्दगी खाते हैं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सनद में अ़ब्दुरहमान का नाम आया है यह इब्ने माक़िल है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को शोबा ने उबैदुल हसन से रिवायत किया है, उन्होंने अ़ब्दुरहमान बिन माक़िल से, उन्होंने अ़ब्दुरहमान बिन बिशर से, उन्होंने मुज़ैना के कुछ लोगों से (उन्होंने बयान किया) कि मुज़ैना क़बीला के सर्दार अबजर या इब्ने अबजर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया था।

3810:— इब्ने माक़िल कबीला मुज़ैना के दो आदमियों से रिवायत करते हैं, उन में से एक दूसरे सेरिवायत करता है। एक अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़वीम है और दूसरा ग़ालिब बिन अबजर। मिस्अ़र ने कहा कि मेरा ख़याल है कि यह ग़ालिब ही था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया था......और ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया।

3811:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर के दिन पालतू गधों के माँस खाने, पलीदी खाने वाले जानवरों की सवारी करने और उन का माँस खाने से मना फ़रमाया है।

बाब {टिड्डी खाने का बयान।}

3812:— अबू याफ़ूर कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ि॰ से सुना जब कि मैंने उन से टिड्डी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ छः या सात जन्गों में साथ रहा और हम उसे खाया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे साथ होते थे।

3813:— सलमान फ़ारसी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से

टिड्डी के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः यह अल्लाह के बहुत बड़े लश्करों में से है। न मैं इसे खाता हूँ और न ही हराम ठहराता हूँ।

3814:— सलमान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया ....फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया.....आप ने फ़रमायाः यह अल्लाह का बहुत बड़ा लश्कर है।

फ़ाइदा:— यह एक परदार कीड़ा है जो तिहाई को नष्ट कर देता है। इसे बिला ज़ब्ह किये ही खाया जाता हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मछली और टिड्डी मरे हुये भी हलाल हैं (इब्ने माजा-3218)

बाब {जो मछली मर कर ऊपर तैर आये उस का खाना (कैसा है?)}

3815:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह (अन्सारी) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः समुन्दर जो कुछ बाहर फेंक दे, या पानी पीछे हट जाने की सूरत में जो ज़मीन पर रह जाये उसे खा लो, और जो उस में मर गयी हो और ऊपर तैरने लगे तो उसे मत खाओ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, फिर भी ख़ुद से मरने वाली मछली हलाल है, जैसा कि अंबर मछली की घटना है (बुख़ारी-4360)

बाब {मजबूर के लिये मुरदार खाना।}

3816:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी ने (मदीने के निकट) हर्रा के स्थान पर पड़ाव डाला, उस के साथ उस के बीवी-बच्चे भी थे। इसी बीच वहाँ के एक आदमी की ऊँटनी गुम हो गयी, उस ने कहाः अगर तुम्हें मेरी ऊँटनी मिले तो उसे पकड़ लेना। चुनान्चे उसे मिल गयी तो उस ने पकड़ लिया लेकिन उस का मालिक न मिला। इसी बीच ऊँटनी बीमार हो गयी तो उस की बीवी ने कहाः उसे ज़ब्ह कर डालो, मगर वह न माना और वह मर गयी तो उस की पत्नी ने कहाः उस का चमड़ा उतार डालो ताकि हम उस की चर्बी और माँस को सुखा लें और खायें। उस व्यक्ति ने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ। फिर वह आप के पास आया और पूछा तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें उस मरी हुयी ऊँटनी को खाने से रोक दे? उस ने कहाः नहीं। आप ने कहाः तब तुम खा सकते हो। इतने में उस ऊँटनी का मालिक आ गया तो उस से पूरी तफ़सील बयान की। उस ने सुन कर कहाः तुम ने उस को ज़ब्ह क्यों न कर डाला? उस ने कहाः मुझे तुम से हया आयी (कि कहीं यी न समझो कि मैंने तुम्हारी ऊँटनी को किसी बहाने से ज़ब्ह कर डाला)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जब आदमी खाने को कुछ न पायें और अन्तिम खाना मुर्दार हो तो उस के लिये खाना जाइज़ है।

3817:— फुजैअ आमिरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के

पास आया और पूछाः क्या तुम्हारे लिये मुर्दार हलाल नहीं है? आप ने फ़रमायाः तुम्हारा खाना क्या है? हम ने कहाः ग़बूक़ और सबूह। अबू नुऐम ने कहा कि उक़्बा ने मुझे तफ़सील बताई कि एक प्याला दूध सुब्ह को और एक प्याला दूध शाम को (पीते हैं।) आप ने कहाः मेरे बाप की क़सम! यह तो बड़ी सख़्त भूख है फिर आप ने उन के लिये इस हालत में मुर्दार को हलाल क़रार दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि दिन के आख़िर में पी जाने वाली चीज़ को "ग़बूक़" और दिन के शुरू में पी जाने वाली को "सबूह" कहते हैं।

फ़ाइदा:— सुब्ह-शाम जो एक प्याला दूध का पिये उस के लिये हराम, हलाल नहीं है। यह रिवायत ज़ओफ़ है। मगर एक प्याला पीने से मरने के कगार पर हो तो हराम चीज़ हलाल हो जायेगी।

बाब {एक समय में दो प्रकार के खाने जमा करना।}

3818:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरा जी चाह रहा है कि गेहूँ की सफ़ेद रोटी खाऊँ जो घी और दूध से गूँधी गयी हो। यह सुन कर एक शख़्स उठा और पकवा कर आप की ख़िदमत में ले आया। आप ने पूछाः यह घी किस चीज़ में था? उस ने कहाः साँडे के खाल की कुप्पी में। आप ने फ़रमायाः इसे (मेरे सामने से) उठा लो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। आप ने ताज़ा खजूर ककड़ी के साथ खाई है (बुख़ारी-5449)

बाब {पनीर का बयान।}

3819:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को "जुबुनह" यानी पनीर पेश किया गया तो आप ने छुरी मँगवाई और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसे काटा।

बाब {सिंका का बयान।}

3820:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सिंका बेहतरीन सालन है।

3821:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सिंका बेहतरीन सालन है।

बाब {लहसुन खाने का बयान।}

3822:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने लहसुन या प्याज़ खाई हो वह हम से अलग रहे......या यह फ़रमाया कि हमारी मस्जिद से अलग रहे.......उसे चाहिये कि अपने घर में बैठा रहे। (एक बार) आप के सामने प्याला पेश किया गया, उस में कई प्रकार की भाजियाँ थीं, आप ने उस में बू महसूस की तो पूछा (कि क्या-क्या थीं) तो जो सब्जियाँ उस में थीं वह सब बताई गयीं। आप ने फ़रमायाः इसे उस के

क़रीब कर दो (यानी उस सहाबी के जो आप के निकट था) जब उस ने आप को देखा (कि आप ने नहीं खाया है) तो उस ने भी उसे खाना पसन्द न किया। आप ने फ़रमायाः तुम खाओ, क्योंकि मैं (बहुत निकट से) उस से बात करता हूँ जिस से तुम नहीं करते (यानी फ़रिश्तों से)

फ़ाइदाः— लहसुन ही पर तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटका, खनी, चबनी, हुक़्क़ा आदि को क़ियास करेंगे। सहाबी का नाम अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ है। (मुस्लिम-2053)

3823:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लहसुन और प्याज़ का ज़िक्र किया गया और कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! इन तमाम में से लहसुन (की गंध) ज़्यादा सख़्त है, तो क्या आप उसे हराम ठहराते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम इसे खाओ और तुम में से जो इसे खाये तो वह इस मस्जिद के क़रीब न आये यहाँ तक कि उस से इस लहसुन की बदबू समाप्त हो जाये।

3824:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है। हदीस के रिवायत करने वाले कहते हैं कि मेरे ख़याल से वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमायाः जिस ने क़िब्ले की तरफ़ थूका तो क़ियामत के दिन वह शख़्स इस हाल में आयेगा कि उस का थूक उस की आँखों के दर्मियान लगा होगा। और जिस ने यह बदबूदार सब्ज़ी खायी हो वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह बात तीन बार फ़रमायी।

3825:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने यह सब्ज़ी (यानी लहसुन-प्याज़) खाई हो तो वह हर्गिज़ मस्जिदों के निकट न जाये।

3826:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने एक दिन लहसुन खाई फिर मस्जिदे-नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। मेरी एक रकअ़त छूट गयी थी। जब मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लहसुन की बदबू महसूस की।जब नमाज़ सेफ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः जो व्यक्ति यह सब्ज़ी खाये वह हमारे क़रीब हर्गिज़ न आये जब तक कि उस की बू समाप्त न होजाये। फिर जब मैंने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! आप मुझे अपना हाथ ज़रुर पकड़ायेंगे। चुनान्चे मैंने आप का हाथ लेकर अपनी क़मीस की अस्तीन में ले जाकर अपने सीने पर रखा तो उस समय मेरा सीना बँधा हुआ था। आप ने फ़रमायाः बेशक तुम माजूर हो।

फ़ाइदाः— यानी बीमारी में उपचार हेतु तुम ने लहसुन का उपयोग किया है इसलिये तुम माजूर हो।

3827:— मुआ़विया बिन क़ुर्रा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन दो सब्ज़ियों के खाने से मना फ़रमाया है और फ़रमाया है कि "जिस ने इन को खाया है वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आये। और फ़रमायाः अगर तुम्हारे लिये (किसी वजह से) खाना

ज़रुरी हो तो पका कर उस की गन्ध को समाप्त कर लो। रावी ने कहा कि इन सब्ज़ियों से मुराद प्याज़ और लहसुन है।

3828:— अली रज़ि॰ ने बान किया कि लहसुन खाने से मना किया गया है मगर यह कि वह पका हुआ हो।

3829:— अबू ज़ियाद ख़ियार बिन सलमा ने आइशा रज़ि॰ से प्याज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया: अन्तिम खाना जो आप ने खाया था उस में प्याज़ शामिल थी।

फ़ाइदा:— खूब अच्छी तरह पकी हुयी थी और गन्ध समाप्त हो गयी थी इसलिये आप ने खाई थी।

बाब {खजूर का बयान।}

3830:— यूसफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको देखा कि आप ने जौ की रोटी का टुक्ड़ा लिया और उस पर खजूर को रख कर फ़रमाया: यह खजूर इस का सालन है।

3831:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस घर में खजूर न हो उस घर वाले (गोया कि) भूखे हैं।

बाब {जिस खजूर में कीड़े हो उन्हें साफ़ करने का बयान।}

3832:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पुरानी खजूर पेश की गयी तो आप उसे खोल-खोल कर अच्छी तरह जाइज़ा लेते सुरसुरियाँ निकाल देते थे।

3833:— इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा से रिवायत है कि (कभी-कभी) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खजूर पेश की जाती जिस में कीड़ा लगा होता था .... फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {दो-दो कर के खजूरें इकट्ठी खाना।}

3834:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो-दो या तीन-तीन खजूरें इकट्ठी खाने से मना किया है, मगर यह कि तुम साथियों से इजाज़त ले लो।

बाब {खाने में दो प्रकार की चीज़ें इकट्ठी कर के खाना।}

3835:— अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी और ताज़ा खजूर मिला कर खाया करते थे।

3836:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और ताज़ा खजूर मिला कर खाया करते थे और फ़रमाते: हम इस पर (खजूर) की गर्मी का इस

(तरबूज़) की ठन्डक से, और इस तरबूज़ की ठन्ड्क का इस खजूर की गर्मी से तोड़ करते हैं।

3837:— सलीम बिन आ़मिर रज़ि॰ ने बिस्र के दो बेटों से रिवायत किया जो कि क़बीला बनी सलीम से थे (जिन का नाम अ़ब्दुल्लाह और अ़तिय्यह था) उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाये तो हम ने आप की ख़िदमत में मक्खन और खजूर को पेश किया। आप मक्खन और खजूर को खाना पसन्द फ़रमाते थे।

बाब {यहूद और नसारा के बर्तनों में खाना।}

3838:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद पर जाते थे तो हम मुश्रिकों से बर्तन और मशक लेकर इस्तेमाल कर लेते थे और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस में कोई हरज नहीं समझते थे।

3839:— अबू सालबा ख़ुशनी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि हम लोग अहले किताब के पड़ोस में रहते हैं और वह अपनी हाँड़ियों में सुअर का माँस पकाते और अपने बर्तनों में शराब पीते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम्हें और दूसरे बर्तन मिल जायें तो उन में खाओ और पियो। और अगर उन के अ़लावा न मिल सकें तो उन्हें ही पानी से अच्छी तरह धो कर उन में खा पी लिया करो।

बाब {समुन्दरी जानवरों का हुक्म।}

3840:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें (एक मुहिम में) रवाना किया और उबैदा बिन जर्राह रज़ि॰ को हमारा अमीर मुक़र्रर फ़रमायाः हम को कुरैश के एक क़ाफ़िला को पकड़ना था। आप ने हमें सफ़र ख़र्च के लिये एक थैला खजूरों का दिया। इस के अ़लावा हम लोगों को और कुछ न मिला। चुनान्चे अबू उबैदा रज़ि॰ हमें एक-एक दाना खजूर का दिया करते जिसे हम चूसते रहते जैसे कि बच्चा चूसता है, फिर पानी पी लेते, तो वह हमें एक दिन-रात तक के लिये काफ़ी हो जाता। और हम लोग अपनी लाठियों से पेड़ के पत्ते झाड़ कर उन्हें पानी में भिगो लेते फिर उन्हें खाते थे। उन्होंने बयान किया कि हम लोग समुन्दर के साहिल (तट) को पकड़ कर चले तो हमें एक बहुत बड़े टीले की शक्ल की कोई वस्तु नज़र आयी। हम उस के पास पहुँचे तो देखा कि वह एक जानदार चीज़ है जिस का नाम "अ़न्बर" है। अबू उबैदा ने कहाः यह तो मरा हुआ है इसलिये हमारे लिये हलाल नहीं है। फिर कहने लगे कि नहीं, बल्कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के भेजे हुये हैं और अल्लाह की राह में निकले हैं और उस के मुहताज भी हैं इसलिये हम इसे खा सकते हैं। चुनान्चे हम वहाँ उस मछली के पास एक माह तक रहे, हमारी संख्या तीन सौ थी (और सभी लोग खाते रहे) यहाँ तक कि खूब मोटे हो गये। फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लौट कर पहुँचे तो हम ने आप से उस के बारे में ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः वह रोज़ी थी जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये, निकाला था। क्या उस में से कुछ तुम्हारे पास हैं तो हमें भी खिलाओ? चुनान्चे हम ने उस में से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेजा जिसे आप ने भी खाया।

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी (2483) और मुस्लिम (1935) में भी है। मालूम हुआ कि समुन्दरी जानवर मछली के हुक्म में है, अगर वह अपने आप मर जायें तब भी उन का खाना हलाल है जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 3815 में बयान हुआ।

बाब {घी में अगर चूहा गिर कर मर जाये तो?}

3841:— मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है कि घी में चूहा गिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताया गया तो आप ने फ़रमायाः (चूहा और) उस के साथ-साथ जो है उसे गिरा दो बाक़ी खा लो।

3842:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब घी में चूहा गिर जाये तो अगर वह जमा हुआ हो तो चूहा और उस के आस-पास जो हो उसे गिरा दो, और अगर वह पिघला हुआ हो तो उस के निकट भी मत जाओ।

3843:— अहमद बिन स्वालेह ने बयान किया कि........मैमूना रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया जिस प्रकार इमाम ज़ोहरी ने इब्ने मुसय्यिब से रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— जमा हुआ या पिघला हुआ घी के आस-पास को निकाल कर प्रयोग में लाना चाहिये। 3842 न॰ की हदीस ज़ओ़फ़ है जिस में है कि पिघला हुआ घी के निकट मत जाओ।

बाब {मक्खी अगर खाने में गिर जाये तो?}

3844:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारे किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे उसी में डुबो दो, क्योंकि उस के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा होती है। और मक्खी अपने बीमारी वाले पर से अपना बचाव करती है, इसलिये उसे मुकम्मल डुबो देना चाहिये।

फ़ाइदा:— आज के साइन्स ने भी इस बात को सच साबित किया है।

बाब {लुक़्मा नीचे गिर जाये तो?}

3845:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाट लेते और फ़रमातेः जब किसी का लुक़्मा गिर जाये तो उस में लगी हुयी आलूदगी (धूल मिट्टी) को दूर कर के खा ले और उसे शैतान के लिये न छोड़े। और आप ने हमें हुक्म दिया कि पलेट को उंगली से साफ़ कर लिया करें। और फ़रमाया कि तुम में से किसी को नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्सेमें उस के लिये बर्कत डाली गयी है।

बाब {नौकर अपने मालिक के साथ बैठ कर खा सकता है।}

3846:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारा नौकर तुम्हारे लिये खाना तय्यार कर के तुम्हारे सामने पेश करे जबकि वह उस की

गर्मी और धुवाँ सहन करता रहा होतो चाहिये कि उसेअपने साथ बैठा कर खिलाये। अगर खाना कम और उस के चाहने वाले अधिक हों तो भी उचित है कि एक दो निवाला ही उस के हाथ पर रख दे।

बाब {खाने के बाद रुमाल से हाथ साफ़ करना।}

3847:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई खाना खायेतो उस समय तक अपना हाथ रुमाल से न पोछे जब तक उसे चाट न ले, या चटवा न ले।

3848:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाना खाते थे और अपना हाथ उस समय तक नहीं पोंछते थे जब तक कि उस को चाट नहीं लेते थे।

बाब {खाना खाने के बाद कौन सी दुआ़ पढ़ें?}

3849:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दस्तर ख़ान उठा लिये जाने के बाद यह दुआ़ पढ़ा करते थेः

अल्–हम्दु लिल्लाहि कसी–रन् तय्यि–बन् मुबा–रकन् फ़ीहि, गै–र मुक्फ़िय्यिन् वला मु–वद्द–अ़िन् वला मुस्–तग्–नन् अ़न्हु रब्बना (हर प्रकार की तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है, बहुत अधिक पाकीज़ा और बर्कत डाली गयी है उस में, न किफ़ायत किया गया (कि और की ज़रुरत न रहे) और न उसे छोड़ा गया है, और न उस से बेनियाज़ हुआ जा सकता है ऐ हमारे रब!)

3850:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब खाने से फ़ारिग़ होते तो यह दुआ़ पढ़ा करतेः

अल्–हमदु हिल्लाहिल्लज़ी अत्–अ़–मना व–सक़ाना ब–ज–अ़–लना मुस्लिमी–न (हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिसने हमें खिलाया-पिलाया और मुसलमान बनाया)

3851:— अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कुछ खाते-पीते तो यूँ कहा करते थेः

अल् हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्–अ़–मना व–सक़ा व–सव्व–ग़हू व–ज–अ़–ल लहू मख़्–रजा (प्रशंसा उस पालन हार की जिस ने खिलाया-पिलाया, उसे मज़ेदार बनाया, और उस के बाहर निकलने का इन्तिज़ाम भी किया)

बाब {खाने के बाद हाथ धो लेने का बयान।}

3852:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जो शख़्स इस हाल में सो गया कि उस के हाथ पर चिकनाई लगी रह गयी और उस ने उस को धोया नहीं, और फिर उसे कुछ तक्लीफ़ हो गयी तो वह अपने आप को मलामत करे।

फ़ाइदा:— चिकनाई लगने से कीड़ा-मकोड़ा काट सकता है, या कोई बीमारी लग सकती है, इसलिये धो लेना चाहिये, सिर्फ़ चाटना और पोंछना भी काफ़ी नहीं है।

बाब {जिस ने खाने की दावत की है उस के लिये दुआ़ करना।}

3853:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि अबुल हैसम बिन तौहान रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम केलिये खाने का इन्तिज़ाम किया और आप को और सहाबा को बुलाया। जब लोग खा चुके तो आप ने फ़रमायाः अपने भाई को इस का बदला पेश करो। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस का बदला क्या है? आप ने फ़रमायाः जब किसी के घर जाया जाये, उस का खाना खाया जाये, उस का पानी पिया जाये, तो उस के लिये दुआ़ की जाये, यह उस का बदला है।

फ़ाइदा:—मुस्लिम शरीफ़ (2042) में यह दुआ़ है

अल्लाहुम्म बारिक् लहुम् फ़ी मा र-ज़क़-तहुम् फ़ग़्फ़िर लहुम्-वर्-हम्हुम

और दावत करने वाला खुद भी दुआ़ के लिये कह सकता है।

3854:— इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि मुझ से मख़लद बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझ से अ़ब्दुरज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने क़हा कि मुझ से मामर ने साबित के वास्ते से बयान किया, और उन से अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ के पास तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने रोटी और ज़ैतून का तेल पेश किया, जिसे आप ने खाया, फिर आप ने यूँ दुआ़ फ़रमायीः

अफ़-त-र अ़िन्-दकुमुस्साइमू-न व-अ-क-ल तआ़-मकुमुल् अब्रारु व-सल्लत् अ़लैकुमुल् मलाइ-कतु (रोज़ेदार तुम्हारे घर इफ़्तार किया करें, अच्छे और नेक लोग तुम्हारा खाना खाया करें, और फ़रिश्ते तुम्हें दुआ़यें दिया करें)

❀ ❀ ❀

(27) दवा और उपचार का बयान

बाब {दवा और उपचार कराने का बयान।}

3855:— उसामा बिन शरीक ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा (तो क्या देखा) कि आप के सहाबा (आप की मज्लिस में) ऐसे बैठे थे गोया उन के सरों पर परिन्दे हों (यानी बड़े अदब और ख़ामोशी से) चुनान्चे मैंने सलाम किया और बैठ गया। आप के पास इधर-उधर से दीहाती लोग आये और पूछा कि अल्लाह के रसूल! क्या हम दवा-दारु कर लिया करें? आप ने फ़रमायाः दवा किया करो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने कोई बीमारी पैदा नहीं की मगर उस की दवा भी पैदा की है, एक बीमारी को छोड़ कर, यानी बुढ़ापा (कि इस का कोई इलाज नहीं)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि उपचार अल्लाह पर भरोसा के ख़िलाफ़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज कराया है।

बाब {प्रहेज़ इख़्तियार करने का बयान।}

3856:— कैस अन्सारी की बेटी उम्मे मुनज़र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ आये, आप के साथ अली रज़ि॰ भी थे जो अभी बीमारी से उठे थे और कमज़ोर लग रहे थे। हमारे यहाँ खजूरों के गुच्छे लटक रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन में से खाने लगे। अली रज़ि॰ भी खाने के लिये उठे कि आप ने उन से फ़रमायाः रुक जाओ, तुम अभी कमज़ोर हो। चुनान्चे वह खाने से रुक गये। उम्मे मुन्ज़ुर कहती है कि मैंने जौ और चुक़न्दर को एक साथ मिला कर पकाया और आप की ख़िदमत में पेश किया तो फ़रमायाः ऐ अली! लो, यह तुम्हारे लिये अच्छा है।

बाब {सेंगी लगवाने का बयान।}

3857:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

तुम्हारी दवाओं में जिन से तुम उपचार करते हो अगर कोई दवा बेहतर है तो (उन में से एक) सेंगी लगवाना है।

3858:— सलमा (अबू राफ़े की पत्नी) जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवक थीं बयान करती हैं कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास सिर दर्द की शिकायत लेकर आता तो आप उस से फ़रमातेः सेंगी लगवाओ। और जो कोई पाँव के दर्द की तक्लीफ़ बताता तो फ़रमातेः मेंहदी लगाओ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। ताहम उपचार के लिये मर्दों का मेंहदी लगाना जाइज़ है।

बाब {किस जगह सेंगी लगवाई जाये?}

3859:— अबू कबशा अनसारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सर के ऊपरी हिस्से और दोनों कन्धों के दर्मियान सेंगी लगवाया करते थे और फ़रमाते थेः जिस किसी ने उन स्थानों से कुछ खून बहा दिया तो वह किसी बीमारी के लिये कोई दवा न भी ले तो भी उसे कोई हानि नहीं पहुँचेगी।

3860:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तीन बार सेंगी लगवाई। गर्दन के दोनों तरफ़ की नसों में और कन्धों के दर्मियान (कमर के ऊपर शुरु में) मामर ने बयान किया कि मैंने सेंगी लगवाई तो मेरा हाफ़िज़ा जाता रहा, यहाँ तक कि मुझे नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने में भी लुक़्मा दिया जाता था। उन्होंने अपनी खोपड़ी पर (गलत जगह पर) सेंगी लगवाई थी।

फ़ाइदा:— सेंगी लगवाना यह बेहतरीन इलाज है, मगर वह लगाए जो अच्छी तरह जानकारी रखता हो, वर्ना मामर की तरह नुक़्सान उठाना पड़ेगा।

बाब {किन तारीखों में सेंगी लगवाना मुस्तहब है?}

3861:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति 17, 19 और 21 की अ़रबी तारीख़ को सेंगी लगवाए, उसे हर बीमारी से लाभ होगा।

फ़ाइदा:— चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है इसलिये इन तारीख़ों की अहमियत है, इस से अधिक हमें खोज करने की आवश्यकता नहीं।

3862:— कय्यिसा बिन्त अबू बक्रा रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता जी अबू बक्रा मन्गलवार केदिन सेंगी लगवाने से मना करते थे। उन का ख़याल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि "मंगलवार का दिन खून का दिन है, इस में एक समय ऐसा भी आता है कि इस में खून नहीं रुकता।

बाब {फ़सद खोलवाने और सेंगी लगवाने के स्थान का बयान।}

3863:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दर्द की वजह से अपनी सुरीन (शर्मगाह) पर सेंगी लगवाई।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

3864:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ की तरफ़ एक हकीम को भेजा जिस ने उन की नस काटी।

बाब {दाग़ने का बयान।}

3865:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दाग़ने से मना फ़रमाया है। हम ने दाग़ लगवाया, लेकिन कामियाब न रहा और न ही फ़ाइदा पहुँचा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़िम्रान रज़ि॰ फ़रिश्तों का सलाम सुना करते थे, मगर जब उन्होंने दाग़ लगवाया तो यह सिलसिला समाप्त हो गया, फिर जब दाग़ लगवाना बन्द कर दिया तो फिर सलाम सुनने लगे।

3866:— जाबिर (बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी) रज़ि॰ ने बयान किया कि सअ़द बिन मआ़ज़ को तीर लगने के नाते जो घाव हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को दाग़ लगवाया था।

फ़ाइदा:— दाग़ लगवाना सब से अन्तिम उपचार है। जब कोई उपचार और उपाय न बचे जब इसे करना चाहिये। ऊपर हदीसों में दाग़ने से मना किया है इस का अर्थ यही है कि अन्तिम उपाय के तौर पर प्रयोग में लाया जाये।

बाब {नाक में दवा डालने का बयान।}

3867:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नाक में दवा डाली थीं।

फ़ाइदा:— आँख और कान में दवा डालने में रोज़ा नहीं टूटता। फिर भी अगर रात में दवा डाली जाये तो बहुत बेहतर है।

बाब {मन्त्रों का बयान।}

3868:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से नुशरा के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः यह शैतानी काम है।

फ़ाइदा:— जिन्न, शैतान और जादू टोना-टोटका उतारने के लिये शिर्क वाले मन्त्र पढ़ना-पढ़वाना "नुशरा" कहलाता है, और यह हराम है।

बाब {तिरयाक़ का बयान।}

3869:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (बिन आ़स) रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "मुझे कोई चिन्ता नहीं जो चाहे करता फिरुँ, अगर में तिरयाक़ पियूँ, या मन्के लटकाऊँ, या अपनी तरफ़ से शेर पढ़ूँ।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि तिरयाक़ का प्रयोग न करना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बेहतर जानते थे। और इस को इस्तेमाल करने की उलमा की एक जमाअ़त ने छूट दी है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

बाब {मक्रूह दवाओं का इस्तेमाल।}

3870:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गन्दी दवाओं के प्रयोग करने से मना फ़रमाया है।

3871:— अ़ब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ि॰ से रिवायत है कि एक हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मेंढ़क के बारे में पूछा कि क्या इसे दवा में डाल लिया करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे मेंढ़क को मारने से मना फ़रमा दिया।

फ़ाइदा:— यह पानी का जानवर नहीं है इसलिये पानी के हुक्म में नही है। इस का दवा में इस्तेमाल हराम है।

3872:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने ज़हर पिया (तो आख़िरत में) उस का ज़हर उस के हाथ में होगा जिसे वह जहन्नम की आग में हमेशा–हमेशा तक पीता रहेगा।

3873:— तारिक़ बिन सुवैद, या सुवैद बिन तारिक़ रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शराब के बारे में पूछा तो आप ने मना फ़रमा दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया तो आप ने मना फ़रमा दिया। इस पर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो दवा भी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नहीं, बल्कि यह बीमारी है।

3874:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने बीमारी उतारी है तो दवा भी नाज़िल फ़रमाई है, और हर बीमारी के लिये दवा है इसलिये दवा प्रयोग किया करो, लेकिन हराम चीज़ से उपचार न करो।

बाब {अ़जवा खजूर का बयान।}

3875:— सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं सख़्त बीमार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी अ़यादत के लिये आये। आप ने अपना हाथ मेरी छाती के दर्मियान रखा। यहाँ तक कि मैंने उस की ठन्डक अपने दिल में महसूस की तो आप ने फ़रमाया: तुम दिल के मरीज़ हो। क़बीला बनी सक़ीफ़ में हारिस बिन कल्दा के पास जाओ, वह उपचार करता है। उस से कहो कि मदीना की अ़जवा खजूरों में से सात खजूरें लेकर उन्हें गुठलियों समेत कूट ले और तुम्हें खिला दे।

फ़ाइदा:—..................

3876:— आ़मिर बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह–सवेरे अज़वा खजूर के सात दाने खा ले उसे उस दिन कोई ज़हर या जादू हानि नहीं पहुँचायेगा।

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा ख़ताबी रह॰ का कहना है कि इस खजूर में यह फ़ाइदा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दुआ़ की बर्कत से है।

बाब {हल्क़ की तक्लीफ़ का उपचार, उंगली से गले उठा कर करना।}

3877:— मिहसन की बेटी उम्मे क़ैस ने बयान किया कि मैं अपने बेटे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुयी (बच्चे के हलक़ में तक्लीफ़ थी तो) मैंने उस के लटके हुये गले उंगली से ऊपर कर दिये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अपने बच्चों के गले लटकने का उपचार उंगली से क्यों करती हो? ऊद हिन्दी इस्तेमाल करो। इस में सात बीमारियों की शिफ़ा है। उन में से एक पहलू का दर्द भी है (जिस में यह दवा फ़ाइदा देती है) गले की तक्लीफ़ में इसे नाक में टपकाया जाता है और पहलू के दर्द में पानी के साथ खिलाया जाता है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "ऊद" से मुराद "कुस्त" है।

फ़ाइदा:— बच्चों के हल्क़ में कव्वा गिरने या और किसी वजह से गले में दर्द रहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊद हिन्दी का उपचार बताया।

बाब {सुर्मा का बयान।}

3878:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कपड़े सफ़ेद पहना करो, यह तुम्हारे सब कपड़ों में सब से बेहतर है। इसी सफ़ेद कपड़े में अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो। और तुम्हारे सुर्मों में सब से बेहतरीन सुर्मा इसमिद है जो रोशनी को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगता है।

फ़ाइदा:— यह सुर्मा हल्के लाल रंग का होता है और हिजाज़ में मिलता है।

बाब {नज़र लग जाने का बयान।}

3879:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि आप ने फ़रमायाः नज़र का लगना हक़ है।

3880:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि जिस शख़्स की नज़र लगती उसे हुक्म दिया जाता था कि वुज़ू कर के (उस का पानी) दे, फिर उस से बीमार को (जिसे नज़र लगी हो) स्नान कराया जाता था।

बाब {दूध पिलाती महिला से हमबिस्तरी (संभोग) का मस्अला।}

3881:— यज़ीद बिन सकन की बेटी अस्मा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "अपनी औलाद को पोशीदा तरीक़े से क़त्ल मत करो, क्योंकि

दूध पीने के दिनों में महिला से संभोग करने का प्रभाव यह होता है कि बच्चा (बड़ा होकर घोड़े की सवारी करता है तो) घोड़े से गिर जाता है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। इस हदीस पर अ़मल नहीं होगा।

3882:— आइशा रज़ि॰ जुदामा से बयान करती हैं उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मेरा इरादा हुआ कि दूध पिलाने के दिनों में हमबिस्तरी से मना कर दूँ, मगर मुझे बताया गया कि रुम और फ़ारस के लोग ऐसा करते हैं मगर उन के बच्चों को कोई नुक़्सान नहीं होता है।

इमाम मालिक ने कहा कि "ग़ैला" यह है कि जिस ज़माने में महिला बच्चों को दूध पिलाती हो उस का पति उस से संभोग करे।

बाब {तावीज़—गन्ड़े लटकाना।}

3883:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुनाः दम, झाड़, गन्डा, मन्का और जादू की चीज़ें यह सब शिर्क हैं। उन की पत्नी ने कहाः आप यह क्यों कर कहते हैं। अल्लाह की क़सम! मेरी आँख दर्द की वजह से गोया निकली जाती थी तो मैं फ़लाँ यहूदी के पास जाती थी तो वह मुझे दम करता था। जब वह दम करता तो मेरा दर्द रुक जाता था। अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा यह शैतान ठहर जाता था। तुम को तो इतना कह लेना काफ़ी था जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कहा करते थे:

> ***अज़्हिबिल बा—स रब्बन्नासि, इश्फ़ि अन्—तश्शाफ़ी, ला शिफ़ा—अ इल्ला शिफ़ाउ—क शिफ़ा—अन् ला युग़ादिरु स—क़—मन्*** (ऐ लोगों के मौला! दुख़ दूर कर दे शिफ़ा दे दे, तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरी शिफ़ा के अ़लावा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा दे कि कोई दुख़ बाक़ी न रहे।)

3884:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दम—झाड़ केवल बुरी नज़र में है, या ज़हरीले डंक में।

बाब {दम—झाड़ का बयान।}

3885:— यूसुफ़ बिन मुहम्मद, या मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन साबित बिन क़ैस बिन शिमास अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम साबित बिन क़ैस के यहाँ आयें........अहमद ने कहाः जबकि वह मरीज़ थे......तो आप ने दुआ़ फ़रमायी।

> **"ऐ लोगों के पालने वाले! इस तक्लीफ़ को साबित बिन शिमास से दूर कर दे"**

फिर आप ने बुतहान की वादी की मिट्टी ली, उसे एक प्याले में डाला, फिर उस पर पानी फूँक कर डाला और फिर उसे उस पर छिड़क दिया।

फ़ाइदा:— पानी आदि पर दम के लिये इस रिवायत को पेश किया जाता है, लेकिन यह ज़ओ़फ़ है। इस में एक रावी यूसुफ़ बिन मुहम्मद है जो ज़ओ़फ़ है। यह रिवायत नसई (10856, 10889) अ़मलिल् यौमि (1017, 1040) में भी है।

3886:— औ़फ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग जाहिलिय्यत के ज़माना में दम और झाड़-फूँक किया करते थे तो हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप का इस बारे में क्या ख़याल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने दम मुझे पढ़ कर सुनाओ। दम करने में कोई हरज नहीं मगर शर्त यह है कि उस में शिर्क न हो।

3887:— अ़ब्दुल्लाह की बेटी शिफ़ा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये उस समय मैं आप की पत्नी हफ़्सा के पास थी, आप ने मुझ से फ़रमायाः तुम हफ़सा को नमला (बच्चों की पिसुली के ऊपर निकलने वाले दानों) का दम क्यों नहीं सिखा देती, जिस प्रकार उन्हें लिखना सिखाया है।

3888:— सहल बिन हनीफ़ रज़ि॰ से रिवायत है कि हम एक नदी के पास से गुज़रे तो मैं उस में दाख़िल हो गया और स्नान किया, बाहर निकला तो बुख़ार चढ़ा हुआ था। यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताई गयी ता आप ने फ़रमायाः अबू साबित से कहो कि उन्हें दम कर दें (रुबाब कहती हैं) कि मैं ने सहल बिन हनीफ़ से कहाः आक़ा! क्या दम फ़ाइदा करता है? उन्होंने कहाः दम, बुरी नज़र लगने, साँप के काटने और बिच्छू के डन्क मारने में फ़ाइदा देता है।

3889:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दम, इन चीज़ों में फ़ाइदा करता है, बुरी नज़र में, विषैले जानवर के डन्क मारने में और बहते ख़ून में। अ़ब्बास अन्बरी ने "बुरी नज़रु" का ज़िक्र नहीं किया। और इस हदीस के अल्फ़ाज़ सुलैमान बिन दावूद के है।

फ़ाइदा:— यानी बहता ख़ून दम करने से रुक जाता है।

बाब {दम कैसे किया जाये?}

3890:— अनस रज़ि॰ ने साबित बनानी से कहाः क्या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सिखाया हुआ दम तुम्हें न करुँ? उन्होंने कहाः क्यों नहीं। उन्होंने कहाः

> **अल्लाहुम्म रब्बन्नासि, मुज़हि—बल् बासि, इश्फ़िही ला अन्—तश्शाफ़ी, ला शाफ़ी इल्ला अन्—त, इश्फ़िही शिफ़ाअ—अन् ला युग़ादिरु स—क़—मन्** (ऐ अल्लाह! लोगों के पालने वाले, दुखों के दूर करने वाले, शिफ़ा दे दे, तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरे अ़लावा कोई शिफ़ा नहीं दे सकता, उसे शिफ़ा दे, ऐसी शिफ़ा जो कोई बीमारी न रहने दे)

3891:— अबुल आ़स के बेटे उस्मान ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि मुझे बड़ा सख़्त दर्द हो रहा था। क़रीब था कि वह दर्द

मुझे हलाक कर दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दर्द के स्थान पर सात मर्तबा अपना हाथ फेरो और यूँ कहोः

अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि वकुद–रतिही मिन् शर्रि मा अजिदु (मैं अल्लाह की कुदरत और उस की इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ उस तक्लीफ़ से जिस में मैं घिरा हुआ हूँ)

चुनान्चे मैं ने ऐसा ही किया तो अल्लाह पाक ने मेरी तक्लीफ़ दूर कर दी, तब से मैं अपने घर वालों और दूसरों को यह दम बताता आ रहा हूँ।

3892:— अबू दर्दा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तुम में से जिस को कोई तक्लीफ़ हो जाये, या उस का भाई बीमार हो जाये तो उसे यूँ दम करेः

"हमारा रब अल्लाह है जो आसमान में है (ऐ अल्लाह! तेरा नाम पाक है, आसमान और ज़मीन में तेरा हुक्म चलता है, तेरी रहमत जिस प्रकार आसमान में आ़म है ज़मीन में भी आ़म कर दे, हमारे गुनाह और ग़लतियों को माफ़ कर दे, तू पाक लोगों का रब है, अपनी रहमत और शिफ़ा का एक हिस्सा उस बीमारी पर नाज़िल फ़रमा दें" तो वह शिफ़ा पा जायेगा।

3893:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम डर या घबराहट के मौक़ा पर उन्हें यह कलिमे सिखाया करते थे

अऊज़ु बि–कलिमातिल्ला हित्तम्मति मिन् ग़–ज़बिही व–शर्रि इबादिही वमिन् ह–मज़ातिश्श यातिनि व–अय्यह् ज़ुरुनि (मैं अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में आता हूँ, उस की नाराज़ी से, उस के बन्दों की शरारतों से, शैतानों के वसवसों से, और इस बात से कि वह मेरे पास आयें।)

चुनान्चे अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ अपने समझदार बच्चों को यह कलिमात सिखा दिया करते थे, और जो नासमझ होते उन्हें लिख कर उन के गले में डाल देते।

फ़ाइदा:— गले में डाल देते वाली बात ज़ओ़फ़ है, इसलिये इस हदीस की रोशनी में गले में पहनने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता।

3894:— यज़ीद बिन अबू उबैद ने बयान किया कि मैंने सलमा बिन अकवा की पिंडली पर तलवार लगने का निशान देखा तो पूछाः यह कैसा निशान है? उन्होंने बताया कि यह मुझे ख़ैबर के दिन लगी थी। इस पर लोग कहने लगेः सलमा गया (अब नहीं बचेगा) मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप ने मुझ पर तीन बार फूँक मारी तो इस के बाद अब तक मुझे इस की कोई तक्लीफ़ नहीं हुयी।

3895:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब कोई बीमार हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपना थूक लेते फिर उसे मिट्टी लगाते और यूँ फ़रमातेः

तुर–बतु अर्ज़िना बिरी–क़ति बाज़िना युश्फ़ासक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना (मिट्टी हमारी ज़मीन की, हमारे एक के थूक के साथ, शिफ़ा पाये हमारा मरीज़, हमारे रब के हुक्म से)

फ़ाइदा:— इमाम नौवी रह॰ ने लिखा है कि दम करने वाला अपनी उंगली अपने थूक से तर कर के उस पर मिट्टी लगा ले और फिर तक्लीफ़ वाले स्थान पर या मरीज़ पर फेरे और यह दुआ पढ़ता जाये।

3896:— ख़ारिजा बिन सल्त तमीमी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर इस्लाम कुबूल किया, फिर वापस लौटे तो एक क़ौम के पास से गुज़रे। उन के यहाँ एक पागल था जो ज़न्ज़ीरों में जकड़ा हुआ था। उस के घर वालों ने उन से कहा: हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा यह रसूल भलाई के साथ आया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिस से तुम इस का उपचार कर दो? चुनान्चे मैं ने सूर: फ़ातिहा से उस पर दम किया तो वह चन्गा हो गया। फिर उन्होंने मुझे सौ बकरियाँ दीं तो मैं ने आप के पास आ कर बताया तो आप ने पूछा: क्या बस यही? मुसद्दद ने दूसरे मौक़ा पर कहा (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछा) क्या तुम ने इस के अ़लावा भी कुछ पढ़ा था? मैंने उत्तर दिया कि नहीं। आप ने फ़रमाया: ले लो, मेरी उम्र की क़सम! लोग ग़लत दम–झाड़ से खाते–कमाते हैं, जबकि तुम ऐसे दम से खा रहे हो जो हक़ है।

3897:— ख़ारिजा बिन सल्त अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वह एक क़ौम के पास से गुज़रे (और एक बीमार को) तीन दिन तक सुब्ह-शाम सूर: फ़ातिहा पढ़ कर दम करते रहे। जब वह उसे पूरी पढ़ लेते तो अपना थूक जमा कर के बीमार पर फूँक देते। इस से गोया वह बन्धन से खुल गया। इस पर उन लोगों ने उन को कुछ माल दिया तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

3898:— सुहैल बिन अबू स्वालेह अपने पिता सेरिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: मैंने क़बीला अस्लाम के एक व्यक्ति से सुना उस ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था कि आप के सहाबा में एक सहाबी आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आज रात डन्क लगने की वजह से मैं सुब्ह तक नहीं सो सका हूँ। आप ने पूछा: क्या हो गया था? उन्होंने बताया: बिच्छू का डन्क था। आप ने फ़रमाया: अगर तुम शाम के समय यह दुआ पढ़ लेते:

अऊज़ु बि–कलिमा तिल्ला हित्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़–ल–क़

तो तुम्हें अल्लाह ने चाहा तो कोई हानि न पहुँचता।

3899:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति लाया गया जिसे बिच्छू ने डन्क मारा था। आप ने फ़रमाया: अगर उस ने

अऊज़ु बि–कलिमातिल्ला हित्ताम्माति मिन् शर्रि मा ख़–ल–क़

के कलिमे पढ़ लिये होते तो उसे डन्क न लगता। या यह फ़रमायाः "उसे दुख़ न पहुँचता"

3900:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा का एक गरोह एक सफ़र में था कि उन्होंने एक अ़रब क़बीला के पास पड़ाव डाला। उन में से किसी ने कहाः हमारे सर्दार को किसी ने डस लिया है तो तुम में से किसी के पास कोई चीज़ है जो हमारे इस आदमी के लिये फ़ाइदे वाली हो? सहाबा में से किसी ने कहाः हाँ, अल्लाह की क़सम! मैं दम किया करता हूँ, लेकिन तुम सब ने इन्कार कर दिया था, इसलिये मैं भी दम नहीं करता जब तक कि तुम मुझे दम का बदला न दो। चुनान्चे उन्होंने बकरियों का एक गल्ला देना स्वीकार किया, तो वह उस के पास गये और उस पर सूरः फ़ातिहा से दम किया। दम करते समय वह उस के ऊपर अपना थूक भी फूँकते जाते थे, यहाँ तक कि वह ठीक हो गया कि किसी बंधन से आज़ाद हो गया हो। उन्होंने जो उजरत तै किया था पूरा का पूरा दे दिया। इस पर साथी सहाबा ने कहाः इन्हें आपस में बाँट लो। मगर दम करने वाले ने कहाः नहीं, न बाँटो, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच कर आप से मश्वरा करेंगे। चुनान्चे वह दूसरे दिन सुब्ह को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचे और पूरी घटना बयान की तो आप ने फ़रमायाः तुम्हें कहाँ से सूचना मिली थी कि यह दम है? तुम ने अच्छा किया, इन्हें आपस में बाँट लो और मेरा हिस्सा भी रखो।

3901:— ख़ारिजा बिन्त सल्त तमीमी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से रवाना हुये और एक अ़रब क़बीला के पास पड़ाव किया। उन्होंने कहाः हमें सूचना मिली है कि तुम उस व्यक्ति के पास से कोई भलाई लेकर आये हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई दवा या दम है? क्योंकि हमारे यहाँ एक पागल है जो ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ है (उसी पर दम करना है) हम ने कहाः हाँ। चुनान्चे वह उस मजनून को जो ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ था लेकर आये। मैं उस पर तीन दिन तक सुब्ह-शाम फ़ातिहा पढ़ कर दम करता रहा। जब मैं सूरः फ़ातिहा को मुकम्मल करता तो अपना थूक जमा करता और उस पर फूँक देता। उस ने कहाः कि फिर गोया वह अपने बन्धन से खुल गया, फिर उन्होंने मुझे उजरत दी। मैंने कहाः नहीं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछ न लूँ (मैं नहीं लेता) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खा लो, मेरी आयु की क़सम! लोग तो बातिल दमों का बदला खाते हैं और तुम तो हक़ दम का बदला खा रहे हो।

3902:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बीमार हो जाते हो सूरः इख़्लास, सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़ कर अपने ऊपर फूँक लेते थे। फिर जब आप की तक्लीफ़ बढ़ गयी तो मैं उन्हें आप पर पढ़ती और आप का हाथ पकड़ कर आप के शरीर पर फेरती, इस उम्मीद से कि उन में बर्कत है।

बाब **{किसी कमज़ोर और दुबले-पतले को मोटा करने का तरीक़ा।}**

3903:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरी माता जी ने चाहा कि मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ

ताकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर भेजा जा सके, मगर मुझे किसी चीज़ से फ़ाइदा न हुआ (यानी मोटी न हो सकी) जब उन्होंने मुझे ककड़ी और खजूर मिला कर खिलाई तो इन्हें खा कर मैं खूब मोटी हो गयी।

दवा-दारू और उपचार व इलाज का बाब समाप्त हुआ। (25.12.09, मोरी गेट, दिल्ली)

❀ ❀ ❀

(00) कहानत और बदफ़ाली के अहकाम

बाब {ग़ैब की बातें बताने वाले (काहिन) के पास जाना।}

3904:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति किसी काहिन के पास गया जो ग़ैब की सूचनायें देता हो और फिर उस की तस्दीक़ की, या अपनी पत्नी के पास माहवारी के दिनों में गया, या उस के पीछे की राह में संभोग किया, तो वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लाये हुये दीन से बरी है।

बाब {सितारों के बारे में जानकारी का बयान।}

3905:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने सितारों का ज्ञान सीखा उस ने जादू का एक हिस्सा सीखा। चुनान्चे जो उस में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है वह बढ़ा ले।

फ़ाइदा:— सितारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का यह अर्थ है कि उन को देख कर यह मालूम करना कि दिन अच्छा है या बुरा, उस दिन काम करने से लाभ होगा या हानि। भविष्य कैसा रहेगा वग़ैरह।

3906:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुदैबिय्या के स्थान पर हमें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई, जबकि रात को वर्षा हो चुकी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों से मुख़ातब हुये और फ़रमायाः क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा है? सहाबा ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल अच्छी तरह जानते हैं। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने फ़रमायाः मेरे बन्दों में से कुछ मुझ पर ईमान लाये हैं और कुछ काफ़िर हो गये हैं। जिन्होंने यह कहा कि हमें अल्लाह के फ़ज़्ल और उस की रहमत से वर्षा मिली है तो वह मुझ पर ईमान लाये और सितारों का इन्कार किया। और जिन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ-फ़लाँ सितारे से वर्षा मिली है तो वह मेरे इन्कारी हुये और सितारों पर ईमान लाये।

बाब {लकीरें खींचना और परिन्दों को उड़ा कर फ़ाल खोलना।}

3907:— क़तन बिन क़ुबैसा अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः लकीर खींच कर और परिन्दा को उड़ा कर फ़ाल खोलना यह जादू और कहानत में से है। "तुरुक़" से मुराद परिन्दे उड़ाना और "अ़ियाफ़ह" से मुराद लकीरें खींचना।

3908:— औफ़ कहते हैं कि "इयाफ़ह" से मुराद परिन्दे उड़ाना और "तुरुक़" से मुराद ज़मीन पर लकीरें खींचना।

3909:— मुआ़विया बिन हकम सुलमी रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम में कुछ लोग हैं जो लकीरें खींचते हैं (और उन से नतीजा निकालते हैं) तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह के सन्देष्टाओं में से एक सन्देष्टा भी लकीरें खींचा करते थे। चुनान्चे जिस की लकीरें उस के मुवाफ़िक़ हों वह दुरुस्त हैं।

फ़ाइदा:— अल्लाह के हुक्म से और उस की रहनुमाई से यह ज्ञान किसी नबी को हासिल था, लेकिन बाद में यह ज्ञान ही समाप्त हो गया। अब कोई करे तो झूठा होगा।

बाब {बदशुगूनी का बयान।}

3910:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बदशुगूनी शिर्क है, बदशुगूनी शिर्क है, तीन बीर फ़रमाया। और हम में से हर एक को कोई न कोई वहम हो ही जाता है मगर अल्लाह पाक उसे समाप्त कर देता है।

3911:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई मरज़ (बीमारी) छूत नहीं, न बदशगुनी है, न सफ़र का महीना मनहूस है, न मुर्दे की खोपड़ी में से कोई उल्लू निकलता है। एक दीहाती ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन ऊँटों के बारे में क्या कहेंगे जो रेत के मैदान में हिरन की तरह होते हैं, मगर उन में कोई खुजली वाला ऊँट का मिलता है तो सब के दर्मियान खुजली फैला देता है। आप ने फ़रमायाः भला पहले को किस ने बीमारी लगाई थी?

मामर ने कहा कि ज़ोहरी ने एक आदमी के वास्ते से अबू हुरैरा से रिवायत किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः किसी बीमार को तन्दुरुस्त के साथ हर्गिज़ न मिलाओ। तो उस आदमी ने अबू हुरैरा से कहाः क्या आप ने हमें यह हदीस बयान नहीं की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः "कोई बीमारी छूत की नहीं होती, न कोई सफ़र का महीना मनहूस है, और न किसी मुर्दे की खोपड़ी से उल्लू निकलता है।" यह सुन कर अबू हुरैरा रज़ि॰ ने उत्तर दियाः मैंने तुम्हें एकसी कोई हदीस नहीं बयान की है। इमाम जुहरी ने कहा कि अबू सलमा ने कहाः हदीस तो उन्होंने बयान की थी और मैंने नहीं सुना कि अबू हुरैरा को इस हदीस के सिवा कभी कोई हदीस की भूल हुयी हो।

फ़ाइदा:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का पहली हदीस को बयान कर के उस का इन्कार करना कोई तअज्जुब की बात नहीं, क्योंकि वह भी इन्सान ही थे और इन्सान से भूल चूक की संभावना बनी रहती है।

3912:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई बीमारी छूत की नहीं होती, न किसी मुर्दे से कोई उल्लू निकलता है, न किसी सितारे की कोई तासीर है, और न सफ़र महीना मनहूस है।

फ़ाइदा:— जाहिलिय्यत के ज़माना में अ़रब वालों का ख़याल था कि अगर मार डाला जाये और उस का बदला न लिया जाये तो उस मक़तूल की खोपड़ी से एक परिन्दा उल्लू नाम का निकलता है जो उस के ऊपर मन्डलाता रहता है और आवाज़ लगाता है। कि "प्यास-प्यास। तो अगर बदला ले लिया जाये तो ख़ामोश हो जाता है, वर्ना नहीं। इसी वहम की बुनियाद पर लोग माफ़ नहीं करते थे और जैसे तैसे बन पड़े बदला लेते थे।

3913:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई जिन्न और भूत नहीं (कि जन्गलों में मुख़्तलिफ़ शक्लों से लोगों को राह से भटकाये)

3914:— इमाम अबू दावूद ने कहा कि मेरी मौजूदगी में हारिस बिन मिसकीन के सामने हदीस पढ़ी गयी, अशहब ने तुम्हें बतलाया कि इमाम मालिक से "ला स-फ़-र" का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहाः जाहिलिय्यत के ज़माना में लोग सफ़र महीना को एक साल हलाल कर लेते थे और एक साल हराम कर लेते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सफ़र में तबदीली सहीह नहीं।

3915:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई बीमारी छूत की नहीं होती, और न कोई बुरा फ़ाल है, अल्बत्ता अच्छा शगून मुझे भली लगती है। नेक शगून यह है कि आदमी कोई अच्छा कलिमा सुन ले।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौक़ा पर जब क़ुरैश की तरफ़ से समझौता करने के लिये सुहैल बिन अ़म्र आया तो आप ने फ़रमाया था, अब तुम्हारा मामला "सहल" (आसान) हो गया। (बुख़ारी-2331) सहल शब्द अच्छा कलिमा है और इस का अच्छा अर्थ निकलता है।

3916:— मुहम्मद बिन् राशिद ने "हाम" के बारे में कहा कि जाहिलिय्यत के ज़माना में लोग समझते थे कि मुर्दा दफ़न किया जाता है तो उस की क़ब्र से एक उल्लू निकलता है। "सफ़र" के बारे में पूछा तो बताया कि जाहिल लोग इस महीना "सफ़र" को मनहूस जानते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस की नफ़ी फ़रमा दी। मुहम्मद बिन राशिद ने कहा कि हम ने कई लोगों से सुना है कि सफ़र से मुराद पेट का दर्द है और वह इस को छूत की बीमारी समझते थे, तो फ़रमाया गया कि "कोई सफ़र नही"।

3917:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कोई कलिमा सुना, फिर जो आप को पसन्द आया तो फ़रमायाः हम ने तुम्हारी फ़ाल तुम्हारे मुँह (के शब्दों) से ली है।

3918:— इमाम अ़ता रह॰ ने बयान किया कि लोग कहते हैं: "सफ़र से मुराद पेट का दर्द है" इमाम जुरैज ने पूछा कि "हामा" क्या है? उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं यह परिन्दा इन्सान की रुह होता है जो चीख़ता-चिल्लाता रहता है। हालाँकि यह इन्सान की रुह नहीं होता, बल्कि ज़मीन पर रहने वाला जानवर है।

3919:— उर्वा बिन आ़मिर यह अहमद क़ुरशी से रिवायत करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में "बदफ़ाली" का ज़िक्र हुआ तो आप ने फ़रमायाः इन में बेहतर नेक शगूनी है। और यह बदफ़ाली का ख़याल किसी मुसलमान को अपने काम से मत रोकें। अगर कोई शख़्स कोई बुरी चीज़ देखे तो चाहिये कि यूँ कहें:

> "ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई किसी प्रकार की भलाई नहीं ला सकता, और तेरे सिवा कोई किसी बुराई को रोक नहीं सकता। बुराई का दूर होना और भलाई का प्राप्त होना तेरी सहायता के बिना संभव नहीं।"

3920:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी किसी चीज़ से बुरा शगून नहीं लेते थे। आप जब किसी को गवर्नर बना कर भेजते तो उस का नाम मालूम करते, अगर उस का नाम पसन्द आ जाता तो खुश हो जाते और खुशी का प्रभाव चेहरे पर ज़ाहिर होता। और अगर नाम पसन्द न आता तो उस का प्रभाव भी चेहरे पर ज़ाहिर होता। और जब किसी (नई) बस्ती में दाख़िल होते तो उस का नाम पूछते। अगर उस का नाम पसन्द आता तो खुश होते और खुशी का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता, और नाम पसन्द न आता तो नापसन्द होने का प्रभाव भी आप के चेहरे पर ज़ाहिर होता।

3921:— सअ़द बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे कि किसी मुर्दे से कोई उल्लू नहीं निकलता, न ही कोई बीमारी छूत की होती है, और न बुरा शगून होता है। अगर हो भी तो घोड़े, महिला और घर में हो सकती है।

3922:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बदशुगूनी घर, पत्नी और घोड़े में होती है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हारिस बिन मिस्कीन के सामने हदीस पढ़ी गयी जबकि मैं मौजूद था। उन से कहा गया कि आप को इब्ने क़ासिम ने ख़बर दी, जबकि इमाम मालिक से घोड़े और घर की बदशुगूनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि कितने ही घरों में लोगों ने रहना शुरु किया तो वह हलाक हो गये, फिर दूसरे लोग आ कर ठहरे तो वह भी हलाक हो गये। यही इस हदीस की वज़ाहत है जिसे हम समझ सके हैं.......और अल्लाह पाक भली भाँत जानता है।

इमाम अबू दावूद ने रिवायत किया कि उमर रज़ि॰ ने फ़रमायाः घर की चटाई उस महिला से कहीं बेहतर है जो बाँझ हो।

3923:— फ़रवा बिन्त मुसैक रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ एक ज़मीन है जिसे "अबयन्" कहा जाता है, उस में हमारे खेत हैं और यह हमारे ग़ल्ला उगाने की जगह है, मगर वह जगह वबा वाली है, या यह कहा कि "बड़ी सख़्त वबा वाली है" तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे छोड़ दो, वबा वाली जगह में रहने से आदमी हलाक हो जाता है।

3924:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम एक घर में थे, उस में हम बहुत से लोग थे और वहाँ हमारे माल मवेशी भी बहुत थे, फिर हम एक दूसरे घर में चले गये तो हमारे लोग कम हो गये और माल में भी कमी आ गयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे छोड़ दो, वह बुरा घर है।

3925:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक कोढ़ी का हाथ पकड़ा और अपने साथ खाने के प्याले में डाल दिया और फ़रमायाः अल्लाह पर भरोसा करते हुये खाओ (हम भी तुम्हारे साथ खाते हैं)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है।

❀ ❀ ❀

(28) गुलामों की आज़ादी के बारे में मसाइल

बाब **{ऐसा मुकातब जो अपनी किताबत का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो और बाक़ी न अदा कर सके, या मर जायें।}**

3926:— अम्र बिन शुऐब अपेन पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुकातब पर जब तक उस की किताबत (तैशुदा रक़म) का एक पैसा भी बाक़ी हो वह गुलाम है।

3927:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस गुलाम ने सौ ऊक़िया पर किताबत का मुआ़हिदा किया हो और सब अ़दा कर दिया हो, केवल दस ऊक़िया बाक़ी रह गया हो वह गुलाम है। और जिस गुलाम ने सौ दीनार पर किताबत की हो और सब अ़दा कर चुका हो, केवल दस दीनार बाक़ी रह गयें हों तो वह गुलाम ही है।

फ़ाइदा:— "मुकातब" उस गुलाम को कहते हैं जिस ने मालिक से मुआ़हिदा किया हो कि इतना पैसा मुझ से लेकर मुझे आज़ाद कर दो।

3928:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से फ़रमायाः तुम में जब किसी का गुलाम मुक़ातब हो जाये और उस के पास इतना माल हो कि वह अ़दा कर सकता है तो तुम्हें चाहिये कि उस से पर्दा करो।

बाब **{मुकातब को बेचने का मस्अला जबकि किताबत का मुआ़हिदा रद्द कर दिया गया हो?}**

3929:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि बरीरा रज़ि॰ मेरे पास आयीं, वह मुझ से किताबत के संबन्ध में मदद चाहतीं थीं, वह अपनी किताबत में से कुछ दे नहीं पाईं थीं। आइशा रज़ि॰ ने कहाः अपने घर वालों के पास जाओ, अगर वह पसन्द करें कि तुम्हारी किताबत मैं अ़दा कर दूँ और तुम्हारा वला मुझे हासिल हो तो मैं ऐसा करने को तय्यार हूँ। उन्होंने जा कर अपने घर वालों

(मालिकों) से बात की तो उन्होंने वला देने से इन्कार कर दिया और कहाः अगर वह तुम पर ख़र्च कर के सवाब लेना चाहें तो ले लें, मगर वला हमारे ही लिये रहेगा। आइशा रज़ि० ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप ने उन से फ़रमायाः बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला उसी का होता है जो आज़ाद करता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुत्बा देने के लिये खड़े हुये और फ़रमायाः लोगों को क्या हुआ है कि ऐसी शर्तें करते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं। जो अल्लाह की किताब में न हो उस को कोई एतिबार नहीं, अर्गचे सौ शर्तें ही क्यों न हों, अल्लाह की शर्त हक़ है और मज़बूत है (और इस के अलावा सब बातिल है)

3930:— आइशा रज़ि० से रिवायत है कि बरीरा रज़ि० अपनी किताबत को लेकर मदद लेने के लिये आयीं और कहाः मैंने अपने घर वालों से नौ (9) ऊक़िया सोने पर मुकातब (आज़ादी पर समझौता) कर ली है। हर वर्ष एक ऊक़िया अदा किया करूँगी, इस बारे में आप मेरी सहायता करें। आइशा रज़ि० ने कहाः अगर तुम्हारे घर वाले (मालिक) पसन्द करें तो तुम्हारी पूरी रक़म (9 ऊक़िया सोना) एक मुश्त उन्हें दे दूँ और तुम्हें आज़ाद कर दूँ मगर तुम्हारा वला (मरने के बाद तुम्हारा तर्का) मेरे लिये होगा। चुनान्चे बरीरा उन के पास गयीं......फिर हिशाम ने इमाम जुहरी की रिवायत की तरह रिवायत किया।

इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्मान के अन्त में यह इज़ाफ़ा है "लोगों को क्या हुआ है? एक कहता है कि ऐ फ़लाँ! तुम आज़ाद कर दो और वला मेरे पास रहेगा, हालाँकि वला उसी का होता है जो आज़ाद करता है।"

फ़ाइदाः— "वला" मरने के बाद आज़ाद होने वाले के तर्का को कहते हैं। जैसे घर-दर, माल और बाग़ आदि, और उस की निस्बत और नसब। चूँकि आइशा ने आज़ाद किया तो बरीरा का सब कुछ मरने के बाद आइशा को मिलेगा और अपनी निस्बत बरीरा आइशा से करेंगी।

3931:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० ने बयान किया कि हारिसा की बेटी जुवैरिया, साबित बिन शिमास, या उन के चचा के हिस्सा में आयी, तो उन्होंने अपने बारे में मुकाबत कर ली। यह बड़ी सुन्दर महिला थीं और सब को भली लगती थीं। आइशा रज़ि० ने बयान किया कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयीं ताकि अपनी आज़ादी के बारे में आप से कुछ माली सहायता ले सकें। जब यह दर्वाज़े पर आ कर खड़ी हुयीं तो मैंने उन को देख लिया, तो उन का खड़ा रहना मुझे पसन्द न आया। मैं जान गयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी प्रकार देखेंगे जैसे कि मैंने देखा है (कि वह बड़ी सुन्दर हैं) उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हारिस की बेटी जुवैरिया हूँ, मेरा मामला आप से पोशिदा नहीं है (कि जन्ग में मुझे क़ैदी बना कर लौंडी बना लिया गया है) चुनान्चे मैं साबित बिन शिमास के हिस्से में आई हूँ, मैंने उन से अपने बारे में मुकातब कर ली है, इसलिये मैं आप के पास आई हूँ, मेरी प्रार्थना है किआप मेरी मुकातब के संबन्ध में माली सहयोग करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम इस से भी बेहतर मामला पसन्द न करोगी? उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या? आप ने

फ़रमायाः मैं तुम्हारी तरफ़ से मुकातब (यानी आज़ादी के लिये माल) अ़दा कर देता हूँऔर तुम से निकाह कर लेता हूँ। उन्होंने कहाः मैं राज़ी हूँ।

आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब लोगों ने यह सूचना सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुवैरिया से निकाह फ़रमा लिया है तो उन लोगों ने उन सब क़ैदियों को आज़ाद कर दिया जो उन के क़ब्ज़े में थे। उन का कहना था कि यह सब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हो गये हैं। हम ने नहीं देखा कि उन से बढ़ कर कोई और महिला अपेन ख़ान्दान के लिये अधिक बर्कत वाली साबित हुयी हो, उन की वजह से क़बीला बनी मुस्तलिक़ के एक सौ घराने आज़ाद कर दिये गये थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस इस बात की दलील है कि वली अपना निकाह खुद कर सकता है।

फ़ाइदाः— 'मुकातब बनना' यानी गुलाम से यह कहना कि तुम अगर मुझे इतने पैसे कहीं से भी लाकर दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगां जुवैरिया रज़ि॰ क़बीला बनी मुस्तलिक़ के सर्दार की बेटी थीं और शादी शुदा थीं। सन 6 हि॰ में हमला कर के गिरफ़्तार किया गया था।

बाब {किसी को मशरुत तौर पर आज़ाद करना।}

3932:— सफ़ीना रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) उम्मे सलमा का गुलाम था। उन्होंने मुझ से कहा कि मैं तुम्हें इस शर्त पर आज़ाद करती हूँ कि तुम जीवन भर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा करते रहोगे। मैंने कहाः आप अगर मुझ से शर्त न भी करें तो भी मैं जीते जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जुदा न हूँगा। चुनान्चे उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और मुझ से यह शर्त कर ली।

बाब {जिस ने साझी के गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो।}

3933:— अबू मलीह (आ़मिर) अपने पिता (उसामा बिन उमैर) से रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, फिर यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताई तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इब्ने कसीर ने अपनी रिवायत में इतना और बयान किया है कि "फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की आज़ादी को सहीह क़रार दिया।

3934:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की आज़ादी को दुरुस्त क़रार देते हुये उस आज़ाद करने वाले पर बाक़ी की क़ीमत का तावान भी डाल दिया (ताकि वह मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाये)

3935:— इमाम क़तादा अपनी सनद से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस ने ऐसे गुलाम को आज़ाद कर दिया हो जोकि उस के और दूसरे के

दर्मियान साझी हो, तो उस (आज़ाद करने वाले) पर लाज़िमं है कि उसको खुलासी दिलाये। और यह इब्ने सुवैद के शब्द हैं।

3936:— इमाम क़तादा ने अपनी सनद से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस गुलाम को उसी के माल से आज़ाद किया जायेगा, अगर उस के पास माल हो।

बाब {उन लोगों का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत कराने का ज़िक्र करते हैं।}

3937:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अपेन गुलाम का कोई हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस पर लाज़िम है कि उसे पूरा का पूरा आज़ाद करे, अगर उस के पास माल हो। वर्ना गुलाम से मेहनत कराई जाये जो उस पर ज़्यादा सख़्त और बोझ न हो।

3938:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस किसी ने (साझी के) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस गुलाम की आज़ादी उस (आज़ाद करने वाले) के माल से होगी, मगर शर्त यह है कि उस के पास माल हो। अगर उस के पास माल न हो तो गुलाम की औसत क़ीमत लगाई जाये फ़िर उस से अपने मालिक के लिये क़ीमत के मुताबिक़ मेहनत कराई जाये जो अधिक सख़्त और भारी न हो।

फ़ाइदा:— इस से मालूम हुआ कि अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला ,बाक़ी बचा हुआ दूसरे का हिस्सा भी आज़ाद कर दे और सवाब का हक़ दार बने।

3939:— मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया कि हमें यहया और इब्ने अ़दी ने सओ़द बिन अबू अ़रुबा से बयान किया, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— इस से मालूम हुआ कि मालिक ने अपना आधा हिस्सा आज़ाद कर दिया और बाक़ी के आज़ाद करने के लिये पहुँच नहीं है तो गुलाम ही से मेहनत कराई जाये ताकि वह अपनी क़ीमत अ़दा कर के आज़ाद हो जाये।

बाब {उन लोगों का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत न कराने का ज़िक्र करते हैं।}

3940:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी (साझी के) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो उस (आज़ाद करने वाले) पर गुलाम की औसत क़ीमत लगाई जाये और वह अपने शरीकों के हिस्से उन्हें अ़दा कर दे और उस की तरफ़ से गुलाम को आज़ाद किया जाये, वर्ना उस से जो आज़ाद हो गया, सो हो गया।

3941:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर रज़ि० के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

3942:— अय्यूब ने इमाम नाफ़े से, उन्होंने इब्ने उमर से, उन्हेंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह हदीस रिवायत की।

3943:— इमाम नाफ़े इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया तो उस पर लाज़िम है किपूरे गुलाम को आज़ाद करे अगर उस के पास पूरे गुलाम आज़ाद करने भर का माल हो। अगर ऐसा नहीं है तो उतना ही हिस्सा आज़ाद होगा (जो आज़ाद किया)

3944:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इब्राहीम बिन मूसा की (ऊपर की) हदीस की तरह बयान किया।

3945:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर मालिक की रिवायत (3940) की तरह रिवायत किया।

3946:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी साझी के गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो उस का बाक़ी हिस्सा भी उस के माल से आज़ाद किया जायेगा जबकि उस के पास गुलाम की क़ीमत के बराबर माल मौजूद हो।

3947:— सालिम अपने पिता (इब्ने उमर) से रिवायत करते हैं और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कि जब कोई गुलाम दो आदमियों के दर्मियान साझी का हो और उन में से अपना हिस आज़ाद कर दे तो अगर उस के पास और माल हो तो गुलाम की क़ीमत आँक कर उस की तरफ़ से आज़ाद कर दे। क़ीमत आँकने (लगाने) में न कमी की जाये और न ज़्यादती।

3948:— इब्ने तल्लिब (मिलक़ाम) अपने पिता से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने (साझी के) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे बाक़ी का ज़ामिन और ज़िम्मेदार नहीं बनाया।

इमाम अहमद ने कहा कि रावी का नाम तल्लिब (ता से) है। इमाम शोबा तोलते थे, वह 'सा" और "ता" को अलग-अलग अदा नहीं कर पाते थे (ता को सा पढ़ते थे, तोतले होने के नाते)

बाब {जो कोई अपने महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये।}

3949:— समुरा बिन जुन्दुब ने बयान किया जैसे कि हम्माद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई अपने महरम रिश्तेदार का मालिक बन गया तो वह आज़ाद है।

फ़ाइदा:— "महरम" से मुराद बाप, दादा और उन की औलाद है। इन के मालिक होते ही यह आज़ाद हो जायेंगे। अल्बत्ता दूर के रिश्तेदारों के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

3950:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने फ़रमायाः जो अपने किसी क़रीबी महरम रिश्तेदार का मालिक

बन जाये तो वह आज़ाद है।

3951:— इमाम हसन बसरी ने कहा: जो कोई अपने किसी क़रीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये तो वह आज़ाद है।

3952:— इमाम क़ताद ने जाबिर बिन ज़ैद और हसन बसरी से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है। इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि सअ़ीद, हम्माद के मुक़ाबले ज़्यादा याद रखने वाले हैं।

बाब {उम्मे वलद को आज़ाद करना।}

3953:— सलामा बिन्त माक़िल ने बयान किया, और यह बनी ख़ारिजा क़ैस ऐलान की महिला थीं। इन्होंने बयान किया कि जाहिलिय्यत के ज़माना में मेरा चचा मुझे लेकर आया और हब्बाब बिन अ़म्र के हाथ मुझे बेच दिया जो अबू यसर बिन अ़म्र का भाई था। तो मैंने उस के बेटे अ़ब्दुरहमान बिन हुबाब को जन्म दिया। फिर हब्बाब मर गया तो उस की पत्नी ने कहा: अल्लाह की क़सम! अब तुझ को हुबाब के क़र्ज़े में बेंच दिया जायेगा। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बनी ख़ारिज़ा क़ैस ऐलान की महिला हूँ। जाहिलिय्यत के समय में मेरा चचा मुझे मदीना लाया और अबू यसार के भाई हब्बाब बिन अ़म्र के हाथ बेच दिया। मैंने उस के बेटे अ़ब्दुरहमान को जन्म दिया है। और अब उस की पत्नी कह रही है कि अल्लाह की क़सम! तुझे हब्बाब के क़र्ज़ की अदायगी में बेच दिया जायेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हब्बाब का वली और वारिस कौन है? बताया गया कि उस का भाई अबू यसर बिन अ़म्र है। आप ने उस को बुला भेजा और फ़रमाया: उसे आज़ाद कर दो, और जब तुम्हें मालूम हो कि मेरे पास गुलाम आये हैं तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बदले में एक गुलाम दूँगा। सलामा ने कहा कि फिर उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गुलाम आये तो बदले में मुझे एक गुलाम दिया।

3954:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के ज़माना में उम्मे वलद लौंडियों को बेचा था। फिर जब उमर रज़ि॰ का ज़माना आया तो उन्होंने हमें बेचने से मना कर दिया तो हम रुक गये।

फ़ाइदा:— "उम्मे वलद" उस लौंडी को कहते हैं जिस से मालिक का बच्चा हो जाये। तो क्या मालिक ऐसी लौंडी को बेच सकता है? इस में इख़्तिलाफ़ है। अ़ल्लामा शौकानी ने एहतियात के तौर पर बेचने को नाजाइज़ कहा है (देखें—नैलुल् औतार)

बाब {मुदब्बर गुलाम को बेचने का मस्अला।}

3955:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपने गुलाम के बारे में कह दिया कि वह उस के देहान्त पश्चात् स्वतन्त्र होगा, जबकि उस के पास उस गुलाम के अलावा कोई और माल न था, तो ऐसे गुलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसे सात सौ या नौ सौ में बेच दिया गया।

फ़ाइदा:— जब कोई मालिक अपने गुलाम या लौंडी से कहे दे कि मेरे मर जाने के बाद तुम आज़ाद हो तो उसे "मुदब्बर" कहते हैं। ऐसी वसिय्यत मालिक कर सकता है, जब कि उस के वारिस मालदार हों। अगर ग़रीब हों और गुलाम के अ़लावा उन के पास तर्का में कुछ न मिलने वाला हो तो मालिक की वसिय्यत पर अ़मल नहीं होगा और गुलाम आज़ाद नहीं होगा।

3956:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने यह हदीस बयान की और यह भी कहा कि.......नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "तू उस की क़ीमत का ज़्यादा हक़दार और (मुहताज) है, जबकि अल्लाह पाक उस को आज़ाद किये जाने से बेपर्वाह है (उसे कोई ज़रुरत नहीं)

3957:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू मज़कूर नामी एक अन्सारी ने अपने गुलाम के बारे में कह दिया कि मेरी मौत के बाद वह आज़ाद हो जायेगा......उस गुलाम का नाम याकूब था....... और उस अन्सारी को उस के अ़लावा और कोई माल न था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस गुलाम को बुला कर फ़रमायाः इसे कौन ख़रीदता है? चुनान्चे नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन नह्हाम ने उस को आठ सौ दिंहम में ख़रीद लिया, फिर यह रक़म आप ने अबू मज़कूर को देकर फ़रमायाः जब तुम में से कोई ज़रुरत मन्द हो तो चाहिये कि (ख़र्च करने की) अपने से आरंभ करे। फिर अगर कुछ बच जाये तोअपने बाल बच्चों पर ख़र्च करे। फिर अगर उन से भी बच जाये तो अपने बाल बच्चों पर ख़र्च करे। अगर फिर भी बच रहे तो इधर-उधर ख़र्च कर दे।

बाब {जिस ने मौत के समय अपने गुलाम आज़ाद कर दिये हों जबकि उन की क़ीमत उस के तिहाई माल से अधिक हो।}

3958:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपने देहान्त के समय अपने छः गुलामों को आज़ाद कर दिया। उस के पास उन के अ़लावा और कोई माल न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब इस की सूचना मिली तो बड़ी सख़्त बात फ़रमायी।फिर उन गुलामों को बुलाया और तीन हिस्सों में बाँट दिया, फिर गोटी डाल कर दो को आज़ाद कर दिया और चार को गुलाम ही रहने दिया।

फ़ाइदा:— वसिय्यत एक तिहाई की कर सकता है इसलिये एक तिहाई गुलाम को आज़ाद कर दिया गया। ग़लत वसिय्यत में सुधार करने का क़ाज़ी को अधिकार प्राप्त हैं।

3959:— इमाम अबू क़िलाबा ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, मगर इन की रिवायत में यह वाक्य नहीं है कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बड़ी सख़्त बात कही"

3960:— अबू ज़ैद से रिवायत है कि एक अन्सारी ने (अपने मरने के समय) अपने गुलाम आज़ाद कर दिये.... और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "अगर मैं इस के दफ़न किये जाने से पहले हाज़िर होता तो वह मुसलमानों के क़ब्रस्तान में न दफ़न किया जाता।" (यह सख़्त नाराज़गी थी)

3961:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अपनी मौत के समय छः गुलाम आज़ाद कर दिये, जबकि उस के पास उन के अ़लावा और कोई माल न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब सूचना मिली तो आप ने उन गुलामों के दर्मियान क़ुरा डाल कर दो को तो आज़ाद कर दिया और बाक़ी चार को गुलाम रहने दिया।

बाब {जिस ने अपने धनवान (मालदार) गुलाम को आज़ाद किया (तो उस के माल का क्या होगा?)}

3962:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने गुलाम आज़ाद किया हो और उस गुलाम के पास माल भी हो तो गुलाम का माल गुलाम ही का रहेगा, मगर यह कि मालिक ने उस की शर्त कर ली हो (कि माल उसे नहीं दिया जायेगा)

बाब {हरामी बच्चे को आज़ाद करना।}

3963:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हरामी बच्चा तीनों में सब से बुरा है। और उन्हें कहा कि मैं एक कोड़ा अल्लाह की राह में दे दूँ वह उस से बेहतर है कि किसी हरामी को आज़ाद करुँ।

फ़ाइदा:— हरामी औलाद को उसी समय बुरा कहा जायेगा जब वह भी माता-पिता की तरह बुरा काम करे, वर्ना उस के हरामी होने में उस का कोई दोष नहीं है, ग़लती तो माँ की है जिस के नतीज़ा में हरामी पैदा हुआ। इस हदीस में जो आप ने बुरा कहा है वह ख़ास एक हरामी मुनाफ़िक़ था जो आप को तक्लीफ़ें पहुँचाता था, इस कारण उसे हरामज़ादा कहा।

बाब {गुलाम आज़ाद करने का सवाब।}

3964:— ग़रीफ़ बिन दैलमी कहते हैं कि हम वासला बिन अशक़ा की ख़िदमत में हाज़िर हुये और उन से कहाः हमें ऐसी हदीस बयान कीजिये जिस में कोई कमी-बेशी न हो तो वह भड़क गये और कहने लगेः तुम में बहुत से ऐसे हैं जो क़ुरआन पढ़ते हें और उस में कमी-बेशी कर जाते हैं, हालाँकि क़ुरआ़न उन के घरों में लटका हुआ होता है? हम ने कहाः हमारा मक़्सद यह है कि ऐसी हदीस बयान करें जो आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहाः हम अपने एक आदमी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये जो क़त्ल करने की वजह से जहन्नम का हक़दार बन चुका था तो आप ने फ़रमायाः उस की तरफ़ से गुलाम आज़ाद करो, अल्लाह पाक उस के हर-हर हिस्से के बदले उस का भी एक-एक हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा।

फ़ाइदा:— गुलाम आज़ाद करना क़त्ल का कफ़्फ़ारा बिल्कुल नहीं है। बुख़ारी की रिवायत में यह

अ़ाम हुक्म है "जो शख़्स गुलाम आज़ाद करेगा.............." (2517)

बाब {कौन सी गर्दन (यानी लौंडी–गुलाम आज़ाद करना) ज़्यादा अफ़्ज़ल है।}

3965:— अबू नुजैह सुलमी (अ़म्र बिन अबसा) रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ताइफ़ के महल का घेराव डाला। मआ़ज़ ने कहा कि मैंने अपने पिता से सुना वह कहते थे कि.......एक क़िला घेराव किया.......और सब का अर्थ एक है। अबू नुजैह ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "जिस ने अल्लाह की राह में तीर चलाया उस के लिये एक दर्जा है .... और पूरी हदीस बयान की। और मैंने आप को फ़रमाते सुनाः "जिस ने किसी मुसलमान को आज़ाद किया तो अल्लाह पाक उस की एक-एक हड्डी का उस आज़ाद किये हुये की एक-एक हड्डी के बदले जहन्नम से सुरक्षा और बचाव का ज़रीअ़ा बनेगा। और जिस महिला ने किसी मुसलमान महिला को आज़ाद किया तो भी अल्लाह पाक उस की एक-एक हड्डी उस के आज़ाद किये हुये एक-एक हड्डी के बदले जहन्नम से सुरक्षा और बचाव का ज़रीअ़ा बनेगा।

3966:— शुरहबील बिन समत कहते हैं कि मैंने अ़म्र बिन अ़ब्बास से कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनायें जो आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हो, तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "जिस ने किसी मुसलमान गर्दन को आज़ाद किया तो वह उस के लिये आग से बचाव के लिये फ़िदया होगी।

3967:— शुरहबील बिन सिमत कहते हैं कि मैंने कअ़ब बिन मुर्रा या मुर्रा बिन कअ़ब से कहा कि आप हमें कोई ऐसी हदीस सुनायें जो आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हो तो उन्होंने ऊपर की हदीस (3965) की तरह हदीस बयान की और यह भी कहा कि "जिस ने दो मुसलमान महिलाओं को स्वतन्त्र किया वह उस आज़ाद करने वाले के लिये जहन्नम से आज़ादी का सबब बनेंगी। उन की हर दो हड्डियों को उस की एक हड्डी का बदला बना दिया जायेगा।"

बाब {तन्दुरुस्ती के दिनों में गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत।}

3968:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स मौत के समय आज़ाद करता है उस की मिसाल उस शख़्स की सी है जो पेट भर जाने के बाद हदिया करे।

❀ ❀ ❀

(29) कुरआन पाक के लहज्जों और क़िरातों का बयान

बाब {..............................}

3969:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (सूरः बक़रहः की आयत न॰ 125 यूँ) क़िरात फ़रमाईः "वत्तख़िज़ू" (यानी "ख़ा" के नीचे ज़ेर)

फ़ाइदाः— दूसरी किरात में "ख़ा" के ऊपर ज़बर है।

3970:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने रात को नमाज़ पढ़ी और बुलन्द आवाज़ में कुरआन की क़िरात की। सुब्ह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक फ़लाँ पर रहम फ़रमाये, उस ने आज रात मुझे कितनी ही आयतें याद दिली दीं जिन से मुझे भूल हो रही थी।

फ़ाइदाः— कुछ समय के लिये किसी चीज़ का भूल जाना दिमाग़ से ओझल हो जाना नबी की शान के ख़िलाफ़ नहीं है। आप ने फ़रमायाः जैसे तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ (बुख़ारी-401)

3971:— अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (आले इ़म्रान की आयत न॰ 161) वमा का-न लि-नबिय्यिन....." इस बारे में नाज़िल हुयी कि बद्र के दिन एक लाल रन्ग का कपड़ा गुम हो गया था तो कुछ लोगों ने कह दिया कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया हो, इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "यह असंभव है कि कोई नबी ख़ियानत करे....." (आले इ़म्रान-161)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "यगुल्ल" "या" पर ज़बर है।

फ़ाइदा:— दूसरी क़िरात में "या" पर पेश है और "ग़ैन" पर ज़बर (युग़ल)

3972:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक दुआ में) फ़रमायाः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् बुख़्लि वल् ह–रमि........ (ऐ अल्लाह! मैं बख़ीली और बुढ़ापे से तेरी पनाह माँगता हूँ)

फ़ाइदा:— अन्सार के यहाँ "ब-ख़लि" ("बा" और "ख़ा" दोनों पर ज़बर है। जबकि आप तरीक़ा यही है कि बा के पेश और ख़ा को साकिन है।

3973:— लक़ीत बिन सबिरा रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी मुन्तफ़िक़ का मन्डल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया था उस में मैं भी शरीक था.........और हदीस बयान की.....नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "ला तह्सि-बन्न" (यह मत समझना) (कि यह बकरी हम ने तुम्हारे लिये ज़ब्ह की है) ......और हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहाँ "तह्सि-बन्न" में "सीन" के ज़ेर पढ़ा है।

फ़ाइदा:— यह हदीस इसी पुस्तक में हदीस न॰ 142 में गुज़र चुकी है। यह शब्द सूरः आले अ़िम्रान-183 में "सीन" के ज़बर के साथ है। और दोनों तरह से पढ़ा गया है।

3974:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति अपनी चन्द बकरियाँ लिये जा रहा था कि मुसलमान उस पर जा पहुँचे तो उस ने कहाः "अस्सलामु अ़लैकुम" मगर लोगों ने उसे क़त्ल कर के उस की बकरियों पर क़ब्ज़ा कर लिया। इस पर यह आयत (सूरः निसा-94) नाज़िल हुयी।

फ़ाइदा:— "सलाम"अलिफ़ के साथ है और दूसरी क़िरात में बिना अलिफ़ के है।

3975:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम "ग़ैरु" पढ़ा करते थे (तर्जुमाः मोमिनों में सेजिहाद से बैठ रहने वाले इसहाल में कि उन्हें कोई मजबूरी हो और जिहाद पर जाने वाले बराबर नहीं हो सकते-सूरः ......आयत....)

फ़ाइदा:— आयत में "ग़ै-र" को ग़ैरु (यानी ज़बर और पेश दोनों पढ़ा गया है)

3976:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (सूरः माइदा की आयत न॰ 45 में) अन्नन्नफ़-स बिन्नफ़सि वल् ऐनु बिलऐनि पढ़ा है। (यानी नून को ज़ेर और ऐन का ज़म्मा)

3978:— अ़तिय्या बिन सअ़द औफ़ी ने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के सामने क़िरात की और यूँ पढ़ा

अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़कुम मिन ज़ाफ़िन् (यानी "ज़्वाद" पर ज़बर पढ़ा) तो उन्होंने कहाः ज़्वाद पर पेश पढ़ो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने यह आयत इसी तरह पढ़ी थी जैसे कि तुम ने मेरे सामने पढ़ी है, तो आप ने मुझे पकड़ा जैसे कि मैंने तुम्हें पकड़ा है।

3979:— अ़तिय्या ने अबू सअ़ीद रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़्वाद के पेश के साथ नक़ल किया है।

3980:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा से रिवायत है कि उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने कहा: **फ़बिज़ालि-क फ़ल् तफ़-रहू (ता के साथ) जबकि हमारी क़िरात में "फ़ल्-तफ़-रहू" (या के साथ) है।**

3981:— **उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰** से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़िरात फ़रमाई: "फ़ल् तफ़-रहू" और "तज्-मऊ-न"। जबकि हफ़्स की क़िरात में "फ़ल यफ़-रहू" और "यज्-मऊन" है (यानी दोनों जगह "या" के साथ)

3982:— अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को क़िरात करते हुये सुना "इन्नहू अ़मि-ल ग़ै-र सालिहिन्" (सूरः हूद)

3983:— **शहर बिन हौशब कहते हैं कि मैंने उम्मे सलमा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह आयत किस प्रकार पढ़ा करते थे: "इन्नहू अ़-म-लुन् ग़ैरु सालिहिन्" तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस प्रकार पढ़ा है: "इन्नहू अ़मि-ल ग़ै-र सालिहिन्"** (सूरः हूद-46)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को हारुन नहवी और मूसा बिन ख़ल्फ़ ने साबित (बनानी) से इसी प्रकार रिवायत किया है जैसे कि अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा है।

3984:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दुआ फ़रमाते तो पहले अपने आप से शुरु करते और कहते: "अल्लाह की रहमत हम पर हो और मूसा पर हो" अगर मूसा सब्र कर लेते तो वह अपने साहब (ख़ज़िर) से बहुत सी अ़जीब बातें देखते। लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया: "अगर इस केबाद आप से कोई एतराज़ करूँ तो आप मुझे अपने साथ मत रखें, आप मेरी तरफ़ से माज़रत को पहुँच चुके।"

हदीस के रावी हम्ज़ा ज़य्यात ने "लदुन्नी" को खींच कर (यानी "दाल" को पेश और "नून" को तशदीद के साथ खींच कर पढ़ा (सूरः कहफ़-76)

3985:— **इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने उबय्यि बिन कअ़ब से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप ने "लदुन्नी" को खींच कर पढ़ा (तशदीद के साथ)**

3986:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते थे कि उबय्यि बिन कअ़ब ने मुझे इसी प्रकार पढ़ाया जैसे किनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें पढ़ाया था, यानी "फ़ी ऐनिन् हमि-अतिन्" ("हा" पर ज़बर और "मीम" पर ज़ेर और इस के बाद हमज़ा)

फ़ाइदा:— **दूसरी** क़िरात में "हामि-यतिन्" आया है।

3987:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम **सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम**

ने फ़रमायाः जन्नत के ऊँचे दर्जों को पाने वाला इल्लीयीन का एक व्यक्ति ऊपर से जन्नत वालों को झाँक कर देखेगा तो जन्नत उस के चेहरे से दमक उठेगी, गोया कोई चमकता-दमकता सितारा हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हदीस में "दाल" के पेश के साथ ही है। और अबू बक्र व उमर इन्हीं में से हैं और बड़ी फ़ज़ीलत वाले हैं। (देखें सूरः नूर-35)

3988:— फ़रवा बिन मुसैक गुतैफ़ी रज़ि॰ रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हदीस बयान की। क़ौम में से एक व्यक्ति ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें बतायें कि "सबा" किसी क्षेत्र का नाम है या किसी महिला का। आप ने फ़रमायाः न क्षेत्र का नाम है न महिला का नाम है। मामला यह है कि अ़रब का एक आदमी था जिस के दस बेटे थे, जिन में से छः यमन चले गये थे और चार ने शाम में रिहाइश इख़्तियार कर ली थी।

3989:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से वहयि वाली हदीस बयान की और कहा कि इसी बारे में अल्लाह का यह आदेश हैः "हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़ि-अ़" (जब उन फ़रिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है)

फ़ाइदा:— एक क़िरात में "फ़-र-ग़" है ("रा" और "ग़ैन" के साथ।

3990:— उम्मे सलमा (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) से रिवायत है किनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पढ़ते थेः "बला क़द् जा-अत्कि आयाती फ़-कज़्ज़बुति" ("काफ़" और "तो" के ज़ेर के साथ)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस मुर्सल है। रबीअ़ (बिन अनस) ने उम्मे सलमा से मुलाक़ात नहीं की है।

3991:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पढ़ते हुये सुना "फ़रुहुव्व रैहान" ("रा" के पेश के साथ-सूरः वाक़िअह-89)

3992:— सफ़वान बिन याला अपने पिता याला बिन उमय्या से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप मिंबर पर पढ़ रहे थेः "वनादा" या मालिकु" (सूरः ज़ुखरुफ़-77)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि बिला तरख़ीम के पढ़ा (यानी "मालि" नहीं पढ़ा)

फ़ाइदा:— "मालिक" जहन्नम के फ़रिश्ता का नाम है, इस को मुख़्तसर कर के "मालि" भी पढ़ा जाता है।

3993:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाया है "इन्नी अ़-नर्रज़्ज़ाक़" (सूरः ज़ारियात-58)

फ़ाइदा:— जबकि यह है "इन्नहू हु-वर्रज़्ज़ाक़ु"

3994:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पढ़ा करते थेः "फ़-हल् मिन मुद्दकिरिन्"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह शब्द "मीम" के पेश, "दाल" के ज़बर और "काफ़" के ज़ेकर के साथ है। (मु-दकिरिन्)

3995:— जाबिर रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा किआप पढ़ रहे थेः "अ-यह-सबु अन्न मा-लहू"

फ़ाइदा:— यानी सवालिया जुमला के साथ, जबकि सवालिया नहीं है। देखें-

3996:— अबू क़िलाबा उस शख़्स से रिवायत करते हैं जिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ाया थाः "ला यु-अ़ज़्ज़बु अ़ज़ा-बहू अ-हदुन् वला यू-सक़ ...." (सूरः फ़ज्र-24-25)

फ़ाइदा:— यानी मजहूल सेग़ा के साथ।

3997:— अबू क़िलाबा ने बयान किया कि मुझे उस शख़्स ने बताया जिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, या यह कहा कि .....मुझे उस शख़्स ने पढ़ाया जिसको उस शख़्स ने पढ़ाया जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ाया थाः "फ़यौ-मइज़िन्" ला यु-अ़ज़्ज़बु" (ज़ाल के ज़बर के साथ)

3998:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फ़रमाई जिस में जिब्रील और मीकाल का ज़िक्र था, तो आप ने "जिबराईल और "मीकाईल" फ़रमाया।

3999:— मुहम्मद बिन ख़ज़िम ने बयान किया कि इमाम आ़मश की मज्लिस में "जिबराईल" और "मीकाईल" के पढ़ने पर बहस चल पड़ी तो आमश ने सअ़दताई-अतिय्या औफ़ी-अबू सअ़ीद खुदरी की सनद से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते (इसराफ़ील) का ज़िक्र किया और फ़रमायाः इस के दाहिनी तरफ़ "जिबराईल" और बायीं तरफ़ "मीकाईल" हैं।

इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि रावी ख़-लफ़ ने कहा कि चालीस साल होने को आये हैं मैंने लिखने से क़लम नहीं उठाया है, मगर मुझे जो उलझन "जिबरील-मीकाईल" के लिखने में हुयी किसी और कलिमे में नहीं हुयी।

फ़ाइदा:— जिबरील को नौ तरह से पढ़ा गया है (1) जिबरील (2) ज़िबरईल (3) जिबराईल (4) जिबराइल (5) जिबरीन आदि।

4000:— इमाम ज़हरी रह॰ अक्सर इब्ने मुसय्यिब से रिवायत करते थे कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र, उमर और उस्मान "मालिकि यौमिद्दीन" पढ़ा करते थे। लेकिन मर्वान पहला शख़्स है जिस ने "लिकि यौमिद्दीनि" पढ़ा है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि ज़हरी-अनस वाली सनद, ज़हरी.....सालिम.....अ़ब्दुल्लाह वाली सनद से ज़्यादा सहीह है।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़अ़ीफ़ है।

4001:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िरात का ज़िक्र किया:

"बस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम+ अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ-लमिन+अर्रहमा निर्रहीम+मालिकि यौमिद्दीन"

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी क़िरात में एक-एक शब्द अलग-अलग कर के पढ़ते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद रह॰ ने सुना वह कहते थे कि पुरानी क़िरात (यानी पहले के बुज़ुर्गों की मालिकि यौमिद्दीन ही है ("मलिकि यौमिद्दीन् नहीं है)

4002:— अबू ज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे बैठा हुआ था जबकि आप गधे पर सवार थे और सूरज डूबने वाला था। आप ने फ़रमाया: जानते हो यह कहाँ डूब जाता है? मैंने कहा: अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमाया: यह एक गर्म चश्मे में डूबता है।

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी (3199, 4802) और मुस्लिम (159) में भी है। सूरः कहफ़ की आयत न॰ 86 देखें "हमि-अतिन" के स्थान पर "हामि-यतिन्" भी पढ़ा गया है।

4003:— वासला बिन अस्क़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास आये और चबूतरे पर बैठ गये जो मुहाजिरों के लिये ख़ास था। एक व्यक्ति ने आप से पूछा: कुरआन की कौन सी आयत सब से बड़ी है? आप ने फ़रमाया: आयतुल् कुर्सी

फ़ाइदा:— आयतुल कुर्सी फ़ज़ीलत में बड़ी है, वर्ना सूरः बक़रह की आयत 282 सब से बड़ी आयत है जो लगभग 16 सतरों की एक आयत है। आयतुल् कुर्सी में "क़य्यूम" की जगह "क़य्याम" भी पढ़ा गया है।

4004:— शक़ीक़ से रिवायत है कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने पढ़ा "है-त ल-क" ("हा" के ज़बर के साथ) शक़ीक़ ने कहा कि हम इसे "हीतु ल-क" पढ़ते हैं ("हा" के ज़ेर के साथ) तो इब्ने मस्ऊद ने कहा: जैसे मुझे पढ़ाया गया उसी प्रकार पढ़ना मुझे ज़्यादा पसन्द है।

फ़ाइदा:— यह आयत सूरः यूसुफ़ आयत न॰ 23 की है।

4005:— शक़ीक़ से रिवायत है कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से कहा गया कि लोग इस आयत को "हीत ल-क" पढ़ते हैं (यानी हा की ज़ेर के साथ) तो उन्होंने कहा: मुझे तो इसी प्रकार पढ़ना पसन्द है जिस प्रकार मुझे सिखाया गया है (यानी "हा" के ज़बर के साथ है-त ल-क)

4006:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः अल्लाह पाक ने बनी इस्राईल से फ़रमायाः "तुग़-फ़र लकुम ख़तायाकुम"

फ़ाइदा:— जमहूर की क़िरात में "नग़्फ़िर लकुम्" है। देखें सूरः बक़रह आयत न॰ 58) हम तुम्हारी ग़लतियों को माफ़ कर देंगे।

4007:— जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने इब्ने इब्ने अबी फुदैक से, उन्होंने हिशाम से, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीसय की तरह रिवायत किया।

4008:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर वह्यि नाज़िल हुयी तो आप ने हमें यह आयतें पढ़ कर सुनायींः

सू-रतुन् अन्-ज़ल्नाहा व-फ़-रज़ नाहा

फ़ाइदा:— एक किरात में "फ़र्रज़नाहा" आया है

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "फ़-रज़नाहा" पढ़ा, यहाँ तक कि उन आयत पर पहुँचे (जिन में आ़इशा रज़ि॰ के बरी होने का ज़िक्र है।)

❀ ❀ ❀

(30) पब्लिक स्नान घरों का बयान

बाब {हम्माम में जाने का बयान।}

4009:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिक स्नान घरों में जाने से मना फ़रमाया, मगर बाद में मर्दों को इजाज़त दे दी कि चादर बाँध कर जा सकते हैं (ताकि दूसरों के सामने नंगे न हों)

4010:— अबू मलीह (आमिर बिन उसामा) ने बयान किया कि कुछ महिलायें आइशा रज़ि॰ के पास आयीं तो पूछाः तुम किन लोगों में से हो? उन्होंने कहाः हम शाम के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछाः शायद तुम उन क्षेत्रों की रहने वाली हो जहाँ की महिलायें पब्लिक स्नान घरों में जाती हैं? उन्होंने कहाः हाँ। यह सुन कर आइशा रज़ि॰ ने कहाः आगाह रहो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जो कोई महिला अपने घर के अलावा कहीं और अपने कपड़े उतारती है वह अपने और अल्लाह के दर्मियान जो (इज़्ज़त और शराफ़त का) पर्दा है उस को फाड़ देती है।

फ़ाइदा:— यानी महिला को हर स्थान पर पर्दे का ख़याल रखना अनिवार्य है। जब स्नान घरों में जाने की मिनाही है तो फिर ब्यूटी पालरों के पास जाना कैसा है? अनुमान लगा सकते हैं। क्या हर स्थानों पर इज़्ज़त सुरक्षित रह सकती है?

4011:— अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द तुम्हारे लिये अजम के क्षेत्र फ़त्ह होंगे और तुम वहाँ ऐसे घरोंदे पाओगे जिन्हें "हम्मामात" (पब्लिक स्नान घर) कहा जाता है, तो मर्द उन में हर्गिज़ न जायें मगर यह कि अपनी चादरें बाँध कर (पर्दे के साथ जायें) और महिलाओं को तो बिल्कुल ही मना कर दिया, मगर यह कि कोई महिला बीमारी में हो या निफ़ास की हालत में हो (इसलिये इन को मजबूरी में इजाज़त दी गयी)

बाब {नंगा (बिना कपड़े के) होना हराम है।}

4012:— याला बिन उमय्या रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वह एक खुली जगह पर बिना कुछ पहने नहा रहा है तो आप ने मिंबर पर चढ़ कर खुत्बा दिया और अल्लाह पाक की हम्द-सना बयान कि फिर फ़रमरायाः अल्लाह पाक बहुत अधिक हया वाला और पर्दा पोश है, वह हया और पर्दा पोशी को पसन्द करता है, इसलिये तुम में से जब कोई स्नान करने लगे तो पर्दा

कर ले।

4013:— सफ़वान बिन याला अपने पिता से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान करते हैं।

4014:— ज़रआ़ अपने पिता अ़ब्दुर्रहमान बिन जरहद से रिवायत करते हैं और यह जरहद रज़ि॰ सुफ़्फ़ा वालों में से थे इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास बैठे हुये थे और मेरी रान खुली हुयी थी तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान छुपाने के क़ाबिल होती है (यानी उसे छुपाना चाहिये)

4015:— अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी रान को नन्गा मत करो और किसी की रान को मत देखो, चाहे वह ज़िन्दा हो या मुर्दा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस ज़अ़ीफ़ है।

बाब {नन्गा होने का मस्अला।}

4016:— मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं (एक बार) एक भारी पत्थर उठाए चला जा रहा था कि मेरा कपड़ा नीचे गिर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने ऊपर कपड़ा डाल लो और नन्गे होकर मत चलो।

4017:— बहज़ बिन हकीम अपने पिता से और वह अपने दादा (मुआ़विया बिन हीदा) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें हमारी शर्मगाहों के बारे में क्या फ़रमाते हैं? क्या इख़्तियार करें और क्या छोड़ दें? (यानी किस से छुपायें और किस से न छुपायें?) आप ने फ़रमायाः अपनी शर्मगाह (और सतर) की सुरक्षा करो, केवल पत्नी और लौंडी से इजाज़त है। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब लोग आप में मिले जुले बैठे हों तो? आप ने फ़रमायाः जहाँ तक हो सके तेरा सतर कोई हर्गिज़ न देखे। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से जब कोई अकेला हो तो? आप ने फ़रमायाः लोगों के मुक़ाबला में अल्लाह पाक ज़्यादा हक़दार है कि उस से हया की जायें।

4018:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई मर्द किसी दूसरे की शर्मगाह को न देखे, और न ही कोई महिला किसी महिला की शर्मगाह को देखे। इसी प्रकार कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में न सोए और न कोई महिला किसी दूसरी महिला के साथ एक कपड़े में सोए।

4019:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ, या कोई महिला दूसरी महिला के साथ हर्गिज़ न लेटे, हाँ मगर बेटा या बाप हो तो जाइज़ है। रावी ने कहा कितीसरी बात भी बताई थी जो मैं भूल गया।

❀ ❀ ❀

(31) लिबास के मसाइल

बाब {नया लिबास पहनेतो कौन सी दुआ़ पढ़े?}

4020:— अबू सऔ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा हासिल करते तो उस कपड़े का नाम लेते, यानी कमीस या पगड़ी तो यह दुआ़ पढ़ते:

अल्लाहुम्म ल–कल् हम्दु अन्–त कसौ–तनीहि, अस्–अलु–क मिन् खैरिही वखैरि मा सुबिअ़ लहू, वअ़ऊजुबि–क मिन् शर्रिही व–शर्रि मा सुनि–अ़ लहू

अबू नज़रा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से जब कोई नया कपड़ा पहनता तो उसे यूँ दुआ़ दी जाती:

तुबली वयुखलिफुल्लाहु तआ़ला

तुम इसे खूब प्रयोग कर के पुराना करो और अल्लाह पाक इस के बाद और भी अ़ता करे)

4021:— मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें औ़सा बिन यूनुस ने बयान किया जुरैरी के वास्ता से, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया

4202:— मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया कि मुझ से मुहम्मद बिन दीनार ने बयान किया जुरैरी के वास्ता से, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुल वह्हाब सक़ाफ़ी ने अपनी सनद में अबू सऔ़द खुदरी रज़ि॰ का ज़िक्र नहीं किया। और हम्माद बिन सलमा ने कहा: जुरैरी–अबू अ़ला–नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम।

4023:— सहल अपने पिता मुआ़फ़ बिन अनस रज़ि॰ से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स खाना खाने के बाद यूँ दुआ़ करे:

अल्–हम्दु लिल्ला हिल्लज़ी अत्–अ़–मनी हा–ज़त्तआ–म व–र–ज़–क़नीहि मिन् ग़ैरि हौलिम्मिन्नी वला कुव्वतिन्

तो उस के अगले-पिछले तमाम गुनाह बख़्श दिये जाते हैं और यह भी फ़रमाया किजो कोई कपड़ा पहने फिर यह दुआ़ पढ़ेः

अल्-हम्दुलिल्ला हिल्लज़ी कसानी हा-ज़स्सौ-ब व-र-ज़-क़नी मिन् ग़ैरि हौलिम्मिन्नी वला कुव्वतिन्

तो उस के अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे।

बाब {नया लिबास पहनने वाले को दुआ़ देना।}

4024:— उम्मे ख़ालिद पुत्री ख़ालिद बिन सअ़ीद बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ कपड़े लाये गये, उन में एक छोटी सी धारी दार ऊनी चादर भी थी। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा क्या ख़याल है कि इस चादर का ज़्यादा हक़दार कौन है? यह सुन कर सहाबा ख़ामोश रहे। फिर आप ने फ़रमायाः उम्मे ख़ालिद को मेरे पास लाओ। उन्हें लाया गया तो आप ने उस धारी दार चादर को उन्हें उढ़ा दिया, फिर फ़रमायाः

अब्‌ली व-अख़्लिक़ी

खूब पहनो और पुराना कर दो

आप ने यह दो बार फ़रमाया। आप उस चादर की लाल धारियों को देखने लगे और फ़रमाते जातेः

सनाह-सनाह या उम्मि ख़ालिद

(बहुत सुन्दर-बहुत सुन्दर है ऐ उम्मे ख़ालिद)

फ़ाइदा:— उम्मे ख़ालिद बच्ची थीं। चुनान्चे उन्होंने खूब पहना (बुख़ारी-5823)

बाब {क़मीस पहनने का बयान।}

4025:— उम्मे सलमा (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में से क़मीस अधिक पसन्द थी।

4026:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को क़मीस से बढ़ कर और कोई कपड़ा ज़्यादा पसन्द नहीं था।

4027:— अस्मा बिन्त यज़ीद बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़मीस की आस्तीन आप के पहुँचे (गट्टे) तक हुआ करती थी।

बाब {क़बा पहनने का बयान।}

4028:— मिस्वर बिन मख़रमा रनज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़बाएँ तक़्सीम कीं लेकिन मख़रमा को कुछ न दिया। मख़रमा ने कहाः ऐ बेटे! चलो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में चलते हैं, तो मैं उन के साथचल पड़ा। फिर उन्होंने मुझ से कहाः अन्दर जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बुला लाओ। चुनान्चे मैं ने आप को बुलाया तो आप तशरीफ़ लाये और आप उन्हीं क़बाओं में से एक ओढ़े हुये

थे। आप. ने फ़रमायाः यह मैंने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी। मख़रमा ने उसे देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या मख़रमा को पसन्द है।

कुतैबा ने सनद से "इब्ने अबी मुलैका" कहा और उस का नाम नहीं लिया।

बाब {शोहरत वाला लिबास पहनना।}

4029:— अ़ब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने शोहरत वाला लिबास पहना तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उसे उसी जैसा लिबास पहनाये गा। अबू अ़वाना ने यह रिवायत किया कि "फिर उस के लिये उस में आग भड़केगी"

4030:— मुसद्दद ने अबू अ़वाना से रिवायत किया कि (अल्लाह पाक उसे क़ियामत के दिन) ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा।

4031:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी क़ौम से मुशाबहत इख़्तियार की तो वह उन्हीं में से हुआ।

बाब {ऊन और बालों का लिबास पहनना।}

4032:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाये जबकि आप बालों की बनी हुयी कजावें जैसे नक़्श वाली काले रन्ग की चादर ओढ़े हुये थे।

और हुसैन ने सनद यूँ बयान की कि यहया बिन ज़करिया—यानी इब्ने अबी ज़ाइदा के स्थान पर अस्ल नाम—नसब बयान कर दिया।

4032:— (डबल) उत्बा बिन अ़ब्द सुलमी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कपड़ा माँगा तो आप ने मुझे कतान के दो कपड़े दिए, फिर मैं ने अपने आप को देखा तो मैं अपने साथियों में अच्छे कपड़े वाला था।

4033:— अबू बुर्दा से रिवायत है कि मेरे पिताजी ने मुझ से कहाः ऐ बेटे! अगर तुम हमें देखते जबकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ होते थे और हम लोगों के ऊपर वर्षा हो जाती तो तुम समझते कि हम से भेड़ों की सी बू आती है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि ऊन के कपड़े की वजह से बू आती थी।

बाब {......क़ीमती लिबास पहनना।}

4034:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि बादशाह ज़ी यज़न (बनी हिमयर) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में कपड़ों का जोड़ा भेजा जो उस ने तैंतीस (33) ऊँटों या ऊँटनियों के बदले में ख़रीदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे क़ुबूल फ़रमा लिया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इस में बयान सब कुछ संदिग्ध है।

4035:— इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बीस (20) से कुछ अधिक ऊँटनियाँ देकर एक जोड़ा खरीदा और फिर ज़ी यज़न बादशाह को उपहार में भेज दिया।

फ़ाइदा:— यह भी रिवायत ज़ओफ़ है।

बाब {मोटा लिबास पहनना।}

4036:— अबू बूर्दा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं आइशा रज़ि॰ के यहाँ हाज़िर हुआ तो उन्होंने हमें एक मोटा तहबन्द दिखाया जैसे कि यमन में बनते हैं, और एक ऊनी चादर जिसे "मु-लब्बदा" कहते हैं। उन्होंने अल्लाह की क़सम खाई और कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त इन्ही दो कपड़ोंमें हुआ था।

फ़ाइदा:— कपड़ा मोटा होने और पैवन्द लगे होने की वजह से उस का नाम "मु-लब्बदा" पड़ा। (मुस्लिम-2080)

4037:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब हरुरिया (ख़ारिजी लोगों) ने सर उठाया और मैं अ़ली रज़ि॰ के पास आया तो उन्होंने मुझ से कहा कि मैं उन के पास जाऊँ, तो मैंने एक सुन्दर यमन का बना हुआ जोड़ा पहना। अबू जमील ने कहा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰बड़े सुन्दर और सजीले जवान थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बताया कि मैं उन लोगों के पास पहुँचा तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और बोले: ऐ इब्ने अ़ब्बास! यह जोड़ा कैसा है? (यानी इसे क्यों पहना हुआ है) उन्होंने उत्तर दिया : तुम मुझ पर क्या एतराज़ करते हो, हालाँकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भी बहुत क़ीमती हुल्ला पहने हुये देखा है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू ज़मील का नाम सिमाक बिन वलीद हनफ़ी था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि बहुमूल्य वस्त्र धारण करना बुरी बात नहीं अगर तकब्बुर और दिखावे व नाम नुमूद के लिये न पहना जाये।

बाब {ख़ज़्ज़ का लिबास पहनना।}

4038:— अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द अपेन पिता सअ़द से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बुख़ारा में एक व्यक्ति को देखा जो अपने सफ़ेद ख़च्चर पर सवार था और उस के सर पर ख़ज़्ज़ की काली पगड़ी थी। उस ने कहा: यह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहनाई थी।

फ़ाइदा:— ऊन और रेशम से मिल कर बने कपड़े को "ख़ज़्ज़" कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ख़रगोश के बालों से बने वस्त्र को कहते हैं। ख़रगोश या और हलाल जानवरों के बाल से बने कपड़े इस्तेमाल करना जाइज़ है।

4039:— अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़नम अश्अ़री ने कहा कि मुझे अबू आ़मिर या अबू मालिक रज़ि॰ ने रिवायत किया और अल्लाह की क़सम, क़सम दूसरी बार, उन्होंने मुझ से झूठ नहीं कहा, उन्होंने

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मेरी उम्मत में ऐसे लोग आयेंगे जो "ख़ज़्ज़" और रेशम को हलाल समझेंगे। फिर कुछ बयान किया इस के बाद फ़रमायाः कई उन में से क़ियामत तक के लिये बन्दर बना दिये जायंगे और कई सुअर।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से बीस (20) से अधिक के बारे में आता है कि ख़ज़्ज़ पहनते थे। उन में अनस बिन मालिक और बरा बिन आज़िब रज़ि॰ का नाम भी है।

फ़ाइदा:— ख़ज़्ज़ का अगर अर्थ रेशम की मिलावट वाला कपड़ा है तो इस से बचना बेहतर है।

बाब {रेशम पहनने का मस्अला।}

4040:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने देखा कि मस्जिद के दर्वाज़े के पास एक धारीदार रेशम का जोड़ा बेचा जा रहा है। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप मोल ले लें और जुमा के दिन और वफ़्द (मन्डल) के स्वागत के मौक़ा पर जब वह आप के पास आते हैं, पहन लिया करें (तो बड़ा भला लगेगा) आप ने फ़रमायाः इसे तो वह लोग पहनते हें जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर इस के बाद आप के पास इसी प्रकार के जोड़े कहीं से आ गये तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को भी एक जोड़ा दिया। उमर रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप इसे मुझे दे रहे हैं, हालाँकि आप ने उतारिद वाले जोड़े के बारे में इस-इस प्रकार फ़रमाया था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने इसे तुम्हें पहनने के लिये नहीं दिया था। चुनान्चे उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने उस जोड़े को अपने एक मुश्रिक भाई को दे दिया जो मक्का में था।

4041:— सालिम अपेन पिता अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से यह क़िस्सा बयान करते हैं, उन्होंने "धारीदार रेशमी जोड़ा" के स्थान पर "मोटे रेशम के जोड़े" बयान किया। इस रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को "बारीक रेशम का जोड़ा भेजवाया और फ़रमायाः इसे बेच कर अपनी ज़रुरत पूरी कर लो।

4042:— अबू उस्मान नहदी से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने उत्बा बिन फ़र्क़द को लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रेशम से मना फ़रमाया है, मगर यह के इतना-इतना हो, यानी दो, तीन, चार उंगली के बराबर।

फ़ाइदा:— मर्द के लिये केवल इतना ही इस्तेमाल करना जाइज़ है।

4043:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम् सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को धारीदार जोड़ा उपहार में दिया गया जो आप ने मुझे भेजवा दिया। मैं उसे पहन कर आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप के चेहरे पर नाराज़गी देखी। फिर आप ने फ़रमायाः मैंने इस जोड़े को तुम्हें इसलिये नहीं दिया था कि खुद ही पहन लो। फिर आप ने मुझे हुक्म दिया तो उसे अपने ख़ान्दान की महिलाओं में बाँट दिया।

बाब {रेशम पहनने की कराहत।}

4044:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि क़िस्सी, या ज़ाफ़रान (केसर) रन्ग के कपड़े पहने जायें, या सोने की अन्गूठी पहनी जाये, या रुकूअ़ की हालत में कुरआ़न की तिलावत की जाये।

4045:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की और कहा किअपने रुकूअ़ और सज्दे में कुरआ़न पढ़ने से मना फ़रमाया है।

4046:— इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह ने भी यही रिवायत बयान की है कि अ़ली रज़ि॰ ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे मना फ़रमाया है। इस में इतना और बयान किया कि मैं यह नहीं कहता कि तुम लोगों को भी मना किया है।

फ़ाइदा:— "क़िस्सी" वह रेशम का कपड़ा जो मिस्र नगर से आता था। ऊपर की हदीसों से बहुत से सहाबा ने साबित किया है कि रेशम और सोना मर्द और महिला सभी केलिये नाजाइज़ है। मगर दूसरी हदीसों की रोशनी में केवल मर्द के लिये हराम है। केसर का रन्ग और खुश्बू केवल महिलाओं के लिये जाइज़ है। हाँ, कुरआ़न की दुआ़ओं को रुकूअ़ और सज्दे में पढ़ सकता है।

4047:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि रुम के बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पतले रेशम का एक चोग़ा उपहार में भेजा तो आप ने उसे पहना, मैं गोया उस की लहराती आस्तीनों को देख रहा हूँ। फिर आप ने उसे जाफ़र रज़ि॰ के घर भेज दिया तो उन्होंने भी उसे पहना फिर आप के पास आये तो आप ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें पहनने के लिये नहीं दिया है। उन्होंने पूछाः तो फिर इस का क्या करुँ? आप ने फ़रमायाः इसे अपने भाई नज्जाशी के पास (हबश) भेज दो।

4048:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं लाल रन्ग की ज़ीन पोश पर सवार नहीं होता, न पीले रन्ग का लिबास पहनता हूँ, और न ऐसी क़मीस पहनता हूँ जिस की आस्तीन में रेशम की कढ़ाई हो। हसन बसरी ने रिवायत को बयान करने के दौरान अपनी क़मीस के दामन की तरफ़ इशारा किया और इतना और कहा कि 'होशियार! मर्दों की खुश्बू (ज़ीनत) में महक होती है, रन्ग नहीं होता है। और होशियार! महिलाओं की खुश्बू (ज़ीनत) में रन्ग होता है महक नहीं होती।

सअ़ीद बिन अ़रुबा ने कहा कि उलमा महिलाओं की खुश्बू के बारे में ऊपर के हुक्म को इस माना में लेते हैं कि जब वह घर से बाहर निकलें तो ऐसी खुश्बू का प्रयोग न करें जो महक वाली हो (कि दूसरों तक उस की बू पहुँचे) लेकिन जब अपने पति के पास होतो जैसी चाहे खुश्बू लगा ले।

4049:— अबुल हुसैन हैसम बिन शफ़ी का बयान है कि मैं और मेरा एक साथी जिस की कुन्नियत अबू आ़मिर थी और क़बीला मआ़फ़िर से संबन्ध रखता था, हम रवाना हुये कि बैतुल मुक़द्दस में

जा कर नमाज़ पढ़ें। उन दिनों उन लोगों का इमाम और ख़तीब क़बीला इज़्द का एक व्यक्ति था जिसे अबू रैहाना कहा जाता था और वह सहाबी थे। अबुल हुसैन ने कहा कि मेरा साथी मुझ से पहले मस्जिद में चला गया, मैं उस के बाद पहुँचा और उसके पास जा बैठा। उस ने मुझ से पूछाः क्या तुम ने अबू रैहाना की तक़रीर से कुछ सुना है? मैंने कहाः नहीं। उस ने कहाः मैंने उसे बयान करते हुये सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो बातों से मना किया है (1) दाँत बारीक कराने से (2) शरीर में गोदना गोदवाने से (3) बाल नोचने से (पलकों आदि के) (4) किसी का किसी मर्द के साथ लिपटने से जबकि उन्होंने कपड़े न पहने हों (5) किसी महिला का दूसरी महिला के साथ लिपटने से जबकि उन्होंने कपड़े न पहने हों (6) अ़जमी लोगों (ग़ैर मुस्लिमों) की तरह कपड़ों के नीचे रेशम का अस्तर लगान से (7) या यह कि कोई उन की तरह अपने कन्धों पर रेशम की चादर डाले (8) लूटमार करने से (9) चीतों की ख़ाल गद्दी या सीट के तौर पर प्रयोग करने से (10) अन्गूठी पहनने से, मगर यह कि पहनने वाला किसी पद पर हो (तो उस के लिये जाइज़ है)

फ़ाइदा:— अन्गूठी से मुराद वह ख़ास मोहर वाली अन्गूठी है जो पदभारी लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्ना आ़म अन्गूठी पहनना जाइज़ है। हदीस ज़ओ़फ़ है मगर तमाम मसाइल दूसरी सहीह हदीसों से साबित है।

4050:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि लाल रन्ग के ज़ीन पोशों से मना किया गया है।

फ़ाइदा:— यह ज़ीन पोश पेवर रेशम के और लाल रन्ग के होते हैं इसलिये मना है।

4051:— अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे मना फ़रमाया कि सोने की अन्गूठी पहनूँ, या क़िस्सी (रेशम का) लिबास पहनूँ, या ज़ीन पोश लाल रंग का हो।

4052:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक फूल बूटे वाली चादर में नमाज़ पढ़ी। आप की नज़र उस के फूल बूटों पर पड़ी तो जब नमाज़ से सलाम फेरा तो फ़रमायाः मेरी यह चादर अबू जहम के पास ले जाओ, इस चादर ने तो मुझे अभी नमाज़ के दौरान में मशग़ूल कर दिया था, मेरे लिये सादा चादर ले आओ।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू जोहम बिन हुज़ैफ़ा, बनू अ़दी बिन कअ़ब बिन ग़ानिम के फ़र्द थे।

4053:— उस्मान बिन अबू शैबा और उन के दूसरे साथी बयान करते हैं कि सुफ़यान ने इमाम ज़ोहरी–उर्वा–आ़इशा के वास्ता से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और ऊपर की हदीस ज़्यादा ठोस है।

बाब {कपड़े पर कोई फूल–बूटा हो या रेशम की कढ़ाई हो, तो इस की रुख़्सत है।}

4054:— अ़ब्दुल्लाह अबू उमर से रिवायत है कि और यह अबू बक्र की बेटी अ़स्मा रज़ि॰ के

गुलाम थे, उन्होंने बयान किया कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ को बाज़ार में देखा कि उन्होंने एक शामी कपड़ा मोल लेना चाहा, लेकिन फिर नज़र पड़ी कि उस में लाल रन्ग के धागे पड़े हैं तो उन्होंने वापस कर दिया। फिर मैं अस्मा रज़ि॰ के पास आ कर पूरी बात बताई तो उन्होंने लौंडी को बुलाया और कहाः मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का जुब्बा ले आओ, तो वह एक मोटा ऊननी का जुब्बा ले आयी जिस का दामन, दोनों कफ़ और दोनों तरफ़ के चाक मोटे रेशम के धागे से कढ़ाई किये हुये थे।

फ़ाइदाः— जैसा कि ऊपर गुज़रा कि मर्दों के लिये चार उन्गुल बराबर रेशम का इस्तेमाल जाइज़ है।

4055:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने केवल उसी कपड़े को पहनने से मना फ़रमाया है जो ख़ालिस रेशम का हो। लेकिन रेशम के धागे से कढ़ाई हुयी हो या उस का ताना रेशम का हो तो इस में कोई हरज नहीं।

बाब **{किसी मजबूरी के नाते रेशम पहनना।}**

4056:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, और जुबैर बिन अ़व्वाम को रेशम की क़मीस पहनने की अनुमति दी थी जबकि वह सफ़र में था और उन्हें खुजली हो गयी थी।

बाब **{महिलाओं के लिये रेशम पहनना जाइज़ है।}**

4057:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रेशम लिया और अपने दायें हाथ में पकड़ा और सोना लिया और बायें हाथ में पकड़ा फिर फ़रमायाः यह दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है।

फ़ाइदाः— उपचार के तौर पर इस्तेमाल जाइज़ है जैसे सोने का दाँत लगवाना, या नाक लगवाना जैसा कि आगे हदीस न॰ 4232 में आ रही है।

4058:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसुम को देखा कि उन्होंने सि–यरा की चादर ओढ़ रखी थी। यानी धारी दार रेशमी चादर जिस में चार खाने से बने हुये थे।

4059:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लड़कों पर से (रेशम) उतार लिया करते थे और बच्चियों के ऊपर रहने देते थे। मिस्–अ़र कहते हैं कि मैंने इस रिवायत के बरे में अम्र बिन दीनार से पूछा तो उन्हेांने अज्ञानता प्रकट की (कि मुझे नहीं मालूम)

बाब **{फूल बेटों वाले कपड़े पहनना।}**

4060:— इमाम क़तादा कहते हैं कि हम ने अनस बिन मालिक से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कौन सा लिबास सब से अधिक पसन्द था? उन्होंने कहा कि नक़्शदार (या धारीदार)

बाब {सफ़ेद कपड़ों की फ़ज़ीलत।}

4061:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सफ़ेद कपड़े पहना करो, यह कपड़े तुम्हारे कपड़ों में सब से बेहतर हैं, और इन ही कपड़ों में अपनी मय्यित को कफ़न दिया करो। और तुम्हारे सुर्मों में सब से बेहतर सुर्मा इसमिद हैं जो नज़र को तेज़ करता और पलकों के बाल उगाता है।

बाब {पुराने (मैले कुचैले और घटिया) कपड़े पहनने (की कराहत) और कपड़े धोने का बयान।}

4062:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाये। आप ने एक आदमी को देखा जिस के बाल बिखरे हुये थे तो आप ने फ़रमायाः क्या इसे कोई चीज़ नहीं मिलती कि उस से अपने बालों को दुरुस्त कर ले? और आप ने एक दूसरे आदमी को देखा जिस के कपड़े मैले हो रहे थे। आप ने फ़रमायाः क्या इसे कोई चीज़ नहीं मिलती कि उस से अपने कपड़े धो ले?

4063:— अबू अहवस (औ़फ़) अपने पिता (मालिक बिन नज़ला रज़ि॰) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उस समय घटिया कपड़े पहने हुये थे, तो आप ने पूछाः क्या तुम्हारे पास माल है? मैंने कहाः हाँ। आप ने पूछाः किस प्रकार का? मैंने कहाः अल्लाह पाक ने मुझे ऊँट, बकरियाँ, घोड़े और गुलाम, हर प्रकार का माल दे रखा है। आप ने फ़रमायाः जब अल्लह ने तुम्हें माल दिया हुआ है तो उस की नेमत और एहसान का प्रभाव तुम पर नज़र आना चाहिये।

बाब {पीले रन्ग के कपड़े पहनना।}

4064:— ज़ैद बिन अस्लम ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ अपनी दाढ़ी पीले रंग से रंगा करते थे यहाँ तक कि उन के कपड़े भी उस रंग से भर जाते थे। उन से कहा गया कि आप इस रंग को क्यों प्रयोग करते हैं? उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है वह इसी रंग से (अपने बाल या कपड़े) रंगते थे और उन्हें इस से बढ़ कर और कोई रंग ज़्यादा पसन्द न था। और अपने सब कपड़े भी इसी रंग से रंगते थे यहाँ तक कि पगड़ी भी।

फ़ाइदा:— यहाँ पीले रंग से मुराद "वर्स" है, वह पीले रंग की एक घास होती है जो केसर के रंग से मिलती-जुलती है।

बाब {हरे रंग के कपड़े पहनना।}

4065:— अबू रिमसा (रिफ़ाआ़ बिन यसरबी) रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं अपने पिता जी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया तो मैंने आप पर हरे रंग की धारी दार दो चादरें देखीं।

बाब {लाल रंग का बयान।}

4066:— अम्र बिन शुऐब अपेन पिता से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घाटी में नीचे उतरे तो आप ने मेरी तरफ़ तवज्जोह फ़रमायी तो आप ने देखा कि मैंने एक हरी चादर ली हुयी थी जो हल्के पीले रंग में रंगी हुयी थी। आप ने पूछाः तुम ने यह कैसी चादर अपने ऊपर डाली हुयी है? मैं आप की नाराज़गी की वजह समझ गया। फिर मैं अपने घर वालों के पास आया, वह अपना चूल्हा दहका रहे थे तो मैंने उस चादर को उस में झोंक दिया। फिर मैं अगले दिन आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ने पूछाः ऐ अब्दुल्लाह! उस चादर का क्या हुआ? मैंने आप को बताया तो फ़रमायाः तुम ने उस को अपने घर वालों में से किसी को क्यों न दे दिया? महिलाओं को उस के इस्तेमाल करने में कोई हरज न था।

4067:— हिशाम बिन अल् ग़ाज़ ने स्पष्ट किया कि "अल् मज़र्रजा" से मुराद यह है कि वह चादर न तो बहुत लाल रंग की थी और न ही गुलाबी रंग की।

4068:— अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। अबू अली ने कहा मेरा ख़्याल है कि मुझ पर कुसुम के रंग का गुलाबी कपड़ा था। आप ने फ़रमायाः यह क्या है? तो मैं चला गया और उसे जला डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः उस कपड़े का क्या किया? मैंने कहाः मैंने उसे जला डाला है। आप ने फ़रमायाः उसे तुम ने अपने घर वालों में से किसी को क्यों न पहना दिया।

अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को सौर ने ख़ालिद से रिवायत किया तो गुलाबी रंग कहा। और ताऊस ने कुसुम के रंग की कहा।

फ़ाइदा:— केसर और असफ़र यह दोनों रंग महिलाओं की ज़ीनत का हिस्सा हैं, इसलिये मर्दों के लिये जाइज़ नहीं।

4069:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० ने बयान किया कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा जिस पर लाल रन्ग के दो कपड़े थे, उस ने आप को सलाम किया मगर आप ने उस के सलाम का उत्तर नहीं दिया।

4070:— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि० से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये। आप ने हमारी सवारियों और ऊटों पर ज़ीन पोश देखे जिन में लाल रन्ग के ऊन के धागे थे। आप ने फ़रमायाः क्या मैं नहीं देख रहा था कि यह लाल रन्ग तुम पर ग़ालिब आ रहा है? चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़र्मान पर हम लोग इस क़दर जल्दी से उठे कि इस से हमारे कुछ ऊँट भी भाग खड़े हुये और हम ने अपनी वह चादरें (ज़ीन पोश) उन से उतार लीं।

4071:— क़बीला बनी असद की एक महिला का बयान है कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी ज़ैनब रज़ि० के यहाँ थीं और गेरु के साथ उन के कपड़े रंग रही थीं। हम यह काम कर ही रही थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आये। जब आप

ने गेरु को देखा तो लौट गये। ज़ैनब रज़ि॰ ने जब यह देखा तो जान गयीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह काम पसन्द नहीं आया है तो उन्होंने कपड़ों को धो डाला और लाली को छुपा दिया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और अन्दर झाँका, जब आप ने कुछ न पाया तब अन्दर तशरीफ़ लाये।

फ़ाइदा:— ऊपर की दानों हदीसें ज़ओ़फ़ हैं।

बाब {लाल रन्ग की रुख़्सत का बयान।}

4072:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल कान के लौ तक आते थे। और मैंने आप को देखा कि आप लाल रंग का जोड़ा पहने हुये थे। उस से अधिक सुन्दर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था।

फ़ाइदा:— जोड़ा लाल नहीं था बल्कि लाल धारियाँ थीं जिसे "बरद" कहा जाता है।

4073:— हिलाल बिन आ़मिर अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिना में देखा जबकि आप अपने ख़च्चर पर से खुत्बा दे रहे थे और आप लाल रंग की धारीदार चादर लिये हुये थे। अ़ली रज़ि॰ आप के आगे थे जो आप की बातों को लोगों तक पहुँचा रहे थे।

बाब {काले रंग के लिबास का बयान।}

4074:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये एक चादर को काले रंग से रंग दिया। आप ने उसे पहना, मगर जब उस में पसीना आया तो आप ने उस में ऊन की बदबू महसूस की तो उतार कर फेंक दिया। हदीस के रिवायत करने वाले ने बयान किया कि आप को बेहतरीन खुश्बू ही पसन्द आती थी।

बाब {कपड़े की किनारी का मस्अला।}

4075:— जाबिर बिन सलीम रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप घुटनों को उठाए कपड़ा लपेटे बैठे थे और शिमले (चादर) की किनारी आप के क़दमों पर पड़ रही थी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। ताहम कपड़े, रुमाल, पगड़ी आदि के किनारे कुछ धागे लटका दिये जायें तो कोई हरज नहीं।

बाब {पगड़ी बाँधने का बयान।}

4076:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि फ़त्ह मक्का के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में दाख़िल हुये तो आप के सर पर काली रंग की पगड़ी थी।

4077:— जाफ़र बिन अ़म्र बिन हुरैस अपने पिता से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा, आप पर काली पगड़ी थी, उस की किनारी

को आप ने अपने कन्धों के दर्मियान लकाया हुआ था।

4078:– अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अ़ली बिन रुकाना अपने पिता से रिवायत करते हैं कि रुकाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ी थी तो आप ने उसे पिछाड़ दिया था। रुकाना ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः हमारे और मुश्रिकों के दर्मियान टोपियाँ और पगड़ियाँ बाँधने का अन्तर है।

4079:– अ़ब्दुरहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे पगड़ी बाँधी और उस के कनारों को मेरे आगे की तरफ़ और पीछे की तरफ़ लटका दिया।

बाब {कपड़े में पूरे तौर पर लिपट जाना (जाइज़ नहीं)}

4080:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो प्रकार से कपड़ा लपेटने से मना फ़रमाया है (1) आदमी कपड़ा इस प्रकार लपेटे कि उस की शर्मगाह आसमान की तरफ़ खुली रहे (2) इस प्रकार लपेटे कि उस का एक किनारा बाहर निकाल कर अपने कन्धे पर डाल ले।

फ़ाइदा:– दूसरी शक्ल पर हिन्दू अ़मल करते हैं धोती–आधी पहनते हैं और किनारा कन्धे पर डाल लेते हैं। इस में तकब्बुर है इसलिये मना फ़रमाया।

4081:– जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "सम्मा" की तरह कपड़े लपेटने से मना किया है, और एक कपड़े को अपनी कमर और घुटनों पर लपेटने से भी मना किया है।

फ़ाइदा:– यानी पूरी तरह कपड़े में लिपट जाये और हाथ–पाँव कुछ भी बाहर न हों।

बाब {क़मीस के बटन खोले रखना।}

4082:– मुआ़विया बिन कुर्रा अपनेपिता से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मैं क़बीला मुज़ैना की एक जमाअ़त के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िमत में हाज़िर हुआ था। हम ने आप के साथ बैअ़त की जबकि आप की क़मीस की घुंडियाँ खुली हुयी थीं। उन्होंने बयान किया कि हम ने भी आप से बैअ़त की फिर मैंने अपना हाथ आप की क़मीस के दामन में डाल दिया और मुहरे नुबुव्वतको छुवा। उर्वा ने बयान किया कि इस के बाद मैंने मुआ़विया और उन के बेटे को जब भी देखा, सर्दी हो या गर्मी उन की क़मीस की घुंडियाँ खुली होती थीं और वह उन्हें बन्द करते थे।

फ़ाइदा:– बटन खोल कर रखना यह आ़जिज़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। लेकिन अगर गुरुर और तकब्बुर केतौर पर खुला रखते हैंइसलिये दूसरी शक्ल पर अ़मल दुरुस्त नहीं।

बाब {सर और कुछ चेहरा ढाँपने (ढाटा बाँधने) का बयान।}

4083:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि (मक्का के दिनों का ज़िक्र है कि) ठीक दूपहर के साथ हम अपने घर में बैठे हुये थे कि किसी ने अबू बक्र से कहाः यह सर और चेहरा ढाँपे (ढाटा बाँधे) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐसे समय में आ रहे हैं जो आप के आने का नहीं। इतने में आप तशरीफ़ लाये और अन्दर आने की अनुमति चाही तो आप को अनुमति दे दी गयी तो आप अन्दर आ गये।

बाब {तहबन्द, शलवार और पैंट आदि का टख़ने से नीचे लटकाना (नाजाइज़ है)}

4084:— अबू जरा जाबिर बिन सुलैम रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को देखा कि लोग उस की बात सुनते और मानते थे। वह जो भी कहता उसे स्वीकार करते थे। मैंने पूछाः यह कौन हैं? उन्होंने बतायाः यह अल्लाह के रसूल हैं तो मैं भी हाज़िर हो गया कहाः अ़लै-कस्सलामु या रसू-लल्लाहि (आप पर सलामती हो ऐ अल्लाह के रसूल) मैंने इसे दोबारा कहा तो आप ने फ़रमायाः (यह शब्द) मत कहो यह मय्यित का सलाम है बल्कि यूँ कहोः अस्सलामु अ़लै-क। मैंने कहाः क्या आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं? आप ने फ़रमायाः मैं उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ कि जब तुम्हें कोई दुख पहुँचे और तुम उसे पुकारो तो वह दुख को तुम से दूर कर दे। अगर तुम्हें सूखा काल का सामना हो तो तुम उस से दुआ करो तो वह तुम्हारी खेतियाँ उगा देगा। जब किसी जन्गल या वीरान और बन्जर ज़मीन में हो और तुम्हारी सवारी गुम हो जाये और तुम उसे पुकारो तो वह उसे तुम्हें लौटा देगा। मैंने कहाः मुझे कुछ वसिय्यत फ़रमा दें। आप ने फ़रमायाः किसी को गाली न देना। कहते हैं कि इस के बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी......न किसी आज़ाद को, न गुलाम को ऊँट को और न बकरी को।

आप ने फ़रमायाः किसी नेकी को मामूली मत समझना, अपने भाई से बात करो तो खुले चेहरे से बात किया करो, क्योंकि यह नेकी है। और अपनी चादर आधी पिंडली तक ऊँची रखा करो, और अगर न कर सको तो टख़्नों तक कर सकते हो। चादर को (टख़्नों से नीचे) लटकाने से बचना। बेशक यह तकब्बुर है और अल्लाह पाक तकब्बुर को पसन्द नहीं करता। और अगर कोई शख़्स तुम्हें बुरा भला कहे और तुम्हें तुम्हारी किसी बात पर जो वह जानता हो शर्म दिलाये तो तुम उस के ऐब पर जो उस में हो उसे शर्म मत दिलाना, बिला शुब्हा उस का बवाल उसी पर होगा।

4085:— सालिम अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रजि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाया तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उस की तरफ़ नहीं देखेगा। इस पर अबू बक्र ने कहाः मेरे तहबन्द का एक सिरा ढीला होकर लटक जाता है, हालाँकि मैं इस का बहुत ख़याल भी रखता हूँ (कि लटकने न पाये) आप ने फ़रमायाः तुम उन में से नहीं होजो तकब्बुर से ऐसा करते हैं।

4086:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था और उस का तहबन्द टख़्नों से नीचे लटक रहा था तो आप ने फ़रमायाः जाओ और वुज़ू करो। चुनान्चे उस ने जा कर वुज़ू किया और फिर आया तो आप ने फ़रमायाः जाओ और वुज़ू करो। इस पर एक आदमी ने

आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कारण था किआप ने उसे वुज़ू करने का आदेश दिया, फिर आप ख़ामोश रहे, फिर फ़रमायाः यह शख़्स तहबन्द लटका कर नमाज़ पढ़ रहा था और अल्लाह पाक (टख़्ने से नीचे कपड़ा) लटकाने वाले मर्द की नमाज़ कुबूल नहीं करता।

4087:— अूब ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन प्रकार के लोगों से क़ियामत के दिन अल्लाह पाक कलाम नहीं करेगा, न उन की तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन के लिये दुख़दाई दन्ड है। मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल वह कौन लोग हैं। वह लोग तो बड़े घाटे और टूटे में रहे। आप ने अपनी बात तीन मतर्बा दोहराई। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन लोग हैं? वह लोग तो बड़े घाटे और टूटे में रहे। आप ने फ़रमायाः कपड़ा लटकाने वाला (मर्द जो टख़्ने से नीचे कपड़ा लटकाए) एहसान कर के जतलाने वाला। और वह जो झूठी कसमें खा कर अपना माल बेचे।

4088:— अबू ज़र रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह रिवायत बयान की। और ऊपर की हदीस ज़्यादा कामिल है। कहा कि "अल् मन्नान" से मुराद ऐसा आदमी है जो जब भी कोई चीज़ दे तो एहसान जतलाए।

फ़ाइदा:— "मन्नान" के माना "एहसान जतलाने वाला" "कमी करने वाला" हक़ की अदायगी में।

4089:— क़ैस बिन बिश्र तग़लबी ने कहा कि मुझे मेरे पिता ने बयान किया और वह अबू दर्दा रज़ि॰ के पास बैठा करते थे। उन्होंने बयान किया कि दमिश्क़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी होते थे जिन्हें इब्ने हनज़लिय्या कहा जाता था, वह एकान्त पसन्द आदमी थे, लोगों के साथ बहुत कम उठते-बैठते थे। या तो नमाज़ पढ़ते होते, या जब पढ़ चुके होते तो तस्बीह में लग जाते और फिर अपने घर वालों के पास चले जाते। वह हमारे पास से गुज़रे जबकि हम अबू दर्दा के पास बैठे हुये थे। अबू दर्दा ने उन से कहाः कोई एक बात बयान कर दीजिये जिस से हमारा फ़ाइदा हो जाये और आप का कोई नुक़्सान भी न हो। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक जमाअ़त को भेजा, जब वह वापस आयी तो उन में से एक आदमी उस मज्लिस में आ गया जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। तो उस ने अपने बग़ल में बैठे हुये सेकहाः काश कि तुम हमें देखते जब हम दुश्मन से भिड़ गये थे। फ़लाँ ने नेज़ा माराऔर कहाः लो यह मुझ से, और मैं ग़िफ़ारी जवान हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? साथ वाले ने कहाः मैं तो समझता हूँ कि उस का सवाब र्बबाद हो गया। यह बात दूसरे ने सुनी तो कहाः मैं तो इस कहने में कोई हरज नहीं समझता। उन दोनों की तकरार होने लगी यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुन लिया तो फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! कोई हरज की बात नहीं कि इसे सवाब मिले और उस की प्रशंसा भी हो। तो मैं ने अबू दर्दा रज़ि॰ को देखा कि इस बयान से बहुत प्रसन्न हुये, चुनान्चे वह अपना सर उठा कर पूछतेः क्या भला आप ने यह आत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है? वह कहते हैं कि हाँ। और यह बात उन से बार-बार पूछी (उस दौरान मैं और वह उन के निकट भी होते जा रहे थे (यहाँ तक

कि समझा कि शायद यह उन के घुटनों पर बैठ जायेंगे।

वह सहाबी एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो अबू दर्दा ने उन से कहाः कोई एक बात बयान कर दीजिये जिस में हमारा फ़ाइदा हो और आप का कोई घाटा न हो। तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें फ़रमायाः घोड़े पर ख़र्च करने वाला ऐसा है जैसे उस ने अपना हाथ सदक़ा में खोल रखा हो और बन्द न करता हो। वह सहाबी फिर एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो अबू दर्दा रज़ि॰ ने फिर (तीसरी बार) उन से कहाः कोई भली बात सुना दीजिये, उस में हमारा लाभ होगा और आप का कोई हानि नहीं हो। उन्हेंाने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खुरैम असदी बेहतरीन आदमी है अगर उस के पट्टे (सर के बाल) लंबे न हों और अपने तहबन्द को न लटकाए। यह बात खुरैम तक पहुँची तो उन्होंने जल्दी से छुरी पकड़ी और अपने बालों को कानों तक काट लिया, और अपने तहबन्द को आधी पिंडली तक ऊंचा कर लिया।

वह सहाबी एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो अबू दर्दा रज़ि॰ ने उन से कहाः कोई एक बात फ़रमायें जो हमोर लिये फ़ाइदा वाली हो और इस में आप का कोई नुक़्सान न हो, तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तुम लोग अपने भाइयों के पास पहुँचने वाले हो, चुनान्चे अपनी सवारियों को दुरुस्त कर लो, अपने कपड़ों में सुधार कर लो यहाँ तक कि ऐसे हो जाओ गोया कि तुम उन में बहुत नुमायाँ फ़र्द हो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बेहयाई की बात या काम और जान बूझ कर ऐसा करने को पसन्द नहीं फ़रमाता है।

बाब {तकब्बुर और बड़ाई की बुराई का बयान।}

4090:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक फ़रमाता हैः बड़ाई मेरी (ऊपर की) चादर है और बुर्जुगी मेरी (नीचे की) चादर है चुनान्चे जो कोई इन में से किसी एक को भी खींचने की कोशिश करेगा (मेरी शरीक होने की कोशिश करेगा) मैं उसे जहन्न्म में झोंक दूँगा।

फ़ाइदाः— "रिदा" ऊर की चादर को और "इज़ार" नीचे की चादर को जो पहनने के काम आती है कहते हैं।

4091:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वह जन्नत में नहीं जायेगा। और जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जायेगा।

4092:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और वह एक सुन्दर आदमी था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे खुबसूरती पसन्द है और मुझे सुन्दरता भी हासिल है जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि मैं नहीं चाहता कि कोई जूते के तस्मे में भी मुझ से बढ़ जाये। तो क्या यह ख़याल तकब्बुर और बड़ाई में से है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं, तकब्बुर तो यह है कि जो हक़ को ठोकराए

और लोगों को ज़लील समझे।

बाब {मर्द की चादर, शिलवार कहाँ तक होनी चाहिये।}

4093:— अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: कि मैंने अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से तहबन्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: इल्म और जानकारी रखने वाले से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है "मुसलमान का तहबन्द आधी पिंडली तक होता है। आधी पिंडली से टख़नों तक के बीच में (कहीं तक भी हो) कोई हरज नहीं। और जो टख़नों से नीचे है वह आग में है। जिस ने तकब्बुर से अपना तहबन्द घसीटा अल्लाह पाक उस की तरफ़ नहीं देखेगा।

4094:— सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "इसबाल" यानी (हद से अधिक) कपड़ा लटकाना तहबन्द, क़मीस और पगड़ी सभी में (मना) है। जिस ने तकब्बुर से उन में से कुछ भी लटकाया तो क़ियामत के दिन अल्लाह पाक उस की तरफ़ नज़र नहीं करेगा।

4095:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो कुछ तहबन्द के बारे में फ़रमाया है, क़मीस के बारे में भी इस का यही हुक्म है।

4096:— इक्रमा रह॰ ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को तहबन्द बाँधे देखा कि उन के तहबन्द का अगला किनारा उन के पाँव की पुश्त को छू रहा होता, और पीछे की तरफ़ से ऊपर को उठा होता था। मैंने कहा कि आप तहबन्द इस प्रकार क्यों बाँधते हैं? उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमको इसी प्रकार बाँधते देखा है।

बाब {महिलाओं के लिबास का बयान।}

4097:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लानत फ़रमाई है उन महिलाओं पर जो मर्दों की मुशाबहत इख़्तियार करें, और उन मर्दों पर जो महिलाओं की मुशाबहत इख़्तियार करें, और उन मर्दों पर जो महिलाओं की मुशाबहत इख़्तियार करें।

4098:— अबू हुरैर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लानत फ़रमाई है ऐसे मर्द पर जो महिला जैसा लिबास पहने, और ऐसी महिला पर जो मर्दों जैसा लिबास पहने।

4099:— इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से कहा गया कि जो महिला (मर्दों के लिये ख़ास) जूता पहनती है (उस के बारे में क्या राय है?) उन्होंने कहा: नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मर्दों की तरह बनने वाली महिलाओं पर लानत भेजी है।

फ़ाइदा:— इस में जूतों के साथ बाल, बात-चीत और कपड़ा-लत्ता सब शामिल है।

बाब {युदनी-न........(सूरः अहज़ाब-59)की तफ़सीर।}

4100:— आइशा रज़ि॰ ने अन्सार की महिलाओं का ज़िक्र किया, उन की प्रशंसा की और उन के अच्छे कामों को बयान किया और कहा: जब सूर नाज़िल हुयी तो उन्होंने मर्दों के कपड़े या मर्दों की चादरें लीं और उन्हें फाड़ कर अपने लिये पर्दे की चादरें बना लीं।

अबू कामिल को शब्द "हुजूज़" या "हुजूर" में शक हुआ है।

4101:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब महिलाओं के बारे में यह हुक्म नाज़िल हुआ कि "वह अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें" (अहज़ाब-59) तो अन्सारी महिलायें जब बाहर निकलतीं तो ऐसा लगता कि उन के सरों पर कौए बैठे हों। उन काली चादरों की वजह से जो वह अपने सरों पर लेने लगी थीं।

बाब {वल्-यज्रिब्-न बिखुमुरिहिन्न............की तफ़सीर।}

4102:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि अल्लाह पाक पहले की मुहाजिर महिलाओं पर रहम फ़रमाये, जब अल्लाह पाक का यह आदेश नाज़िल हुआ: "उन महिलाओं को चाहियें कि अपने गरीबानों पर अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मारे रहें (सूरः नूर-31) तो उन्होंने ऊन की मोटी-मोटी चादरें फाड़ की अपनी ओढ़निया बना लीं।

4103:— इब्ने शिहाब ने यह रिवायत अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान की।

बाब {महिला अपनी ज़ीनत (बनाव-सिंगार) से क्या कुछ खुला रख सकती है?}

4104:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि (मेरी बहन) अस्मा बिन्त अबू बक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं, उस समय वह बारीक कपड़े पहने हुयी थी। उन्हें देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना मुँह मोड़ लिया और फ़रमाया: ऐ अस्मा! बच्ची जब जवान हो जाये तो जाइज़ नहीं कि उस से कुछ नज़र आये सिवाए इस के और इसे के। फिर आप ने अपने चेहरे और हाथों की तरफ़ इशारा फ़रमाया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस मुर्सल है। ख़ालिद बिन दुरैक ने आइशा रज़ि॰को नहीं पाया और सअ़ीद बिन बशीर क़वी भी नहीं है।

फ़ाइदा:— इस हदीस में हाथ-मुँह खुला रखने केलिये दलील पेश करना दुरुस्त नहीं। और न ही इन दोनों को खुला रखना दुरुस्त है। "इस्लाम में हलाल और हराम" नामी पुस्तक में अ़ल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी ने भी खुला रखने का फ़तवा दिया है जो दुरुस्त नहीं है।

बाब {गुलाम के लिये जाइज़ है कि वह अपनी मालिक के बालों को देख सकता है।}

4105:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि उम्मे सलमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सेंगी लगवाने की इजाज़त चाही तो आप ने अबू तय्यिबा से कहा कि उन को सेंगी लगा दे। रावी ने कहा: मेरा ख़याल है कि जाबिर रज़ि॰ ने बताया कि वह मेरा दूध शरीक भाई था, या नाबालिग़ लड़का था।

4106:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ातिमा के लिये

एक गुलाम लाये जो आप ने उन को उपहार में दिया था। अनस ने कहा कि फ़ातिमा पर ऐसा कपड़ा था कि वह अगर उस कपड़े को सर पर लपेटतीं तो उन के पाँव तक न पहुँचता था और अगर पाँव को छुपातीं तो सर पर न रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की उल्झन को महसूस किया तो फ़रमायाः तुम्हारे लिये कोई हरज की बात नहीं, तुम्हारे सामने केवल तुम्हारे पिता और तुम्हारा गुलाम।

बाब **{गैरि उलिल् इर-बति (सूरः नूर-31) की तफ़सीर।}**

4107:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक हिजड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों के घरों में आता-जाता था और लोग उस के बारे में जानते थे कि उस के अन्दर महिलाओं को लेकर कोई रुचि नहीं है और यह "ग़ारि उलिल् इस-बति में से है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाये और वह आप की किसी पत्नी के पास बैठा एक महिला की प्रशंसा यूँ कर रहा था कि जब वह सामने से आती है तो उस के पेट पर चार बल पड़ते हैं और जब कमर फेर कर जाती है तो आठ से वापस होती है (यानी पहलू पर चार बल नज़र आते हैं जो उस के मोटे, तन्दुरुस्त और गदराए बदन होने की पहचान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं नहीं समझता था कि यह भी महिलाओं की पोशिदा (छुपी) बातों को जानता है, आइन्दा यह तुम्हारे यहाँ हर्गिज़ न आया करे चुनान्चे उसे रोक दिया गया।

फ़ाइदा:— इन हिजड़ों की तरह नामर्द (निपुसंक) लिंग कटे हुये या बालिग़ होने के निकट बच्चे आदि का भी यही हुक्म है कि इन्हें भी घरों से दूर रखना चाहिये और इन से घुलने-मिलने से प्रहेज़ करना चाहिये। यह बुराइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन ख़ाहिश को उभार और भड़का तो सकते ही हैं।

4108:— इमाम ज़हरी ने उर्वा से, उन्होंने आ़इशा से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है।

4109:— इब्ने शिहाब ज़ोहरी उर्वा से और उन्होंने आ़इशा रज़ि॰ से यह हदीस बयान की, इस में इतना और इज़ाफ़ा है कि उस हिजड़े को (मदीना से) निकाल दिया। फिर वह बैदा के स्थान पर रहता था, जुमा को आता था और खाने-पीने की चीज़ें माँग कर ले जाया करता था।

4110:— इमाम औज़ाअ़ी ने इस क़िस्से में बयान किया कि कहा गयाः ऐ अल्लाहक` रसूल! (अगर उसे घरों से रोक दिया गया तो) यह भूख से मर जोयगा तो आप ने उसे इजाज़त दी कि हर सप्ताह दो बार आ जाया करे, लोगों से माँग कर लौट जाया करे।

बाब **{सूरः नूर की आयत 31 की तफ़सीर।}**

4111:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने आयत कुल् लिल् मोमिनति......... की तफ़सीर में फ़रमाया कि (यह आ़म हुक्म था, फिर बड़ी आयु की बूढ़ी महिलाओं के हक़ में) इसे मन्सूख़ कर के उन्हें इस हुक्म से अलग करते हुये फ़रमायाः "बड़ी उम्र की बूढ़ी महिलाएँ जिन्हें अब निकाह की ख़ाहिश न हो.....(सूरः नूर-60) (उन पर्दे की अहकाम की पाबन्दी नहीं है)

4112:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में मौजूद थी जबकि मैमूना रज़ि॰ भी नहीं थीं कि इतने में इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि॰ भी आ गये। और यह उन दिनों की बात हैं जबकि हमें पर्दे के आदेश दे दिये गये थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन से पर्दा करो। हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह नाबीना (नेत्रहीन) नहीं हैं? यह तो हमें देख नहीं सकते हैं और ना हीं पहचान सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः तुम तो अन्धी नहीं हो, तुम तो उन्हें देखती हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों के लिये ख़ास थाः जबकि फ़ातिमा बिन्त क़ैस को इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत बिताने के लिये कहा गया था और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया थाः इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ारा, वह नाबीना आदमी हैं, तुम उन के यहाँ कपड़े उतार सकोगी।

फ़ाइदा:— यह रिवायज ज़ओ़फ़ है। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों और आ़म महिलाओं के दर्मियान फ़र्क़ करना दुरुस्त नहीं।

4113:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जब कोई अपने गुलाम की अपनी बाँदी से निकाह कर दे तो अब उस बाँदी के सतर की तरफ़ न देखे।

4114:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जब कोई अपनी नौकरानी की अपने गुलाम या नौकर से निकाह कर दे तो अब उस नौकरानी की नाफ़ से लेकर घुटने के ऊपर तक के हिस्सा को मत देखे।

फ़ाइदा:— मालिक को अधिकार है कि अपनी लौंडी से संभोग करे, लेकिन जब वह अपने हक़ से अलग होगा और उस की शादी कर दी तो फ़िर अब उस के सतर को देखना जाइज़ नहीं।

बाब {ओढ़नी कैसे ले?}

4115:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर आये उस समय में अपने सर पर ओढ़नी लपेट रही थी तो आप ने फ़रमायाः एक बल दो, दो बल नहीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस का यह अर्थ है कि ओढ़नी को इस प्रकार मत लपेटे कि मर्दों की पगड़ी लगने लगे, इसलिये दो बल न दो।

बाब {महिलाओं के लिये बारीक लिबास का बयान।}

4116:— दहया बिन ख़लीफ़ा कलबी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मिस्र के सफ़ेद, बारीब, कपड़े लाये गये तो आप ने उन में से एक कपड़ा मुझे भी दिया और कहाः इस के दो टुकड़े कर लो, एक की तुम क़मीस बना लो और दूसरा अपनी बीवी

को दे दो, वह उस की ओढ़नी बना लेगी। फिर जब मैंने (जाने के लिये) पीठ फेरी तो आप ने फ़रमायाः अपनी पत्नी से कहना कि उस के नीचे कोई और कपड़ा लगा ले जो उस के शरीर को ज़ाहिर न होने दे।

बाब {महिला अपनी चादर का पल्लू कितना लंबा रखे?}

4117:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब तहबन्द का ज़िक्र कियातो उम्मे सलमा रज़ि॰ ने महिला के बारे में पूछा कि वह वह उसे कितना लंबा करे? आप ने फ़रमायाः एक बीता लटका ले। उम्मे सलमा ने कहाः इस से तो उस के पाँव नंगे रहेंगे। आप ने फ़रमायाः एक हाथ लटका ले और इस से ज़्यादा न करे।

4118:— इमाम नाफ़े ने सुलैमान बिन यसार से, उन्होंने उम्मे सलमा रज़ि॰, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत इब्ने इस्हाक़ और अय्यूब बिन मूसा ने नाफ़े के वास्ते से सफ़िय्या रज़ि॰ से बयान की है।

4119:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मोमिनों की माओं को इजाज़त दी कि अपनी चादरों के पल्लू एक बीता लंबा रखा करें, फिर उन्होंने और अधिक लंबा बढ़ाने की इजाज़त चाही तो आप ने एक बीता और बढ़ाने को कहा। चुनान्चे वह हमें इस बारे में कहतीं तो हम उनके लिये उन चादरों के पल्लू एक-एक हाथ लंबे रखते।

फ़ाइदा:— औ़रतों के लिये उन की चादर की यह लंबाई मर्दों की क़मीस के मुक़ाबला में है, न कि ज़मीन के मुक़ाबले में (औनुल् माबूद)

बाब {मुर्दा जानवरों की खाल का बयान।}

4120:— मैमूना रज़ि॰ ने बयान किया कि हमारी एक लड़ांडी को सदक़ा की एक बकरी हदिया की गयी, फिर वह मर गयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के पास से गुज़रे तो फ़रमायाः तुम ने इस के चमड़े को रन्ग क्यों न लिया ताकि इस से फ़ाइदा उठा लेते? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल यह तो मुर्दार है। आप ने फ़रमायाः हराम तो इस का खाना है।

4121:— मामर ने कहा कि इब्ने शिहाब ज़हरी (हलाल जानवर के मुर्दार चमड़े को) रंगने का इन्कार करते थे। उन का कहना था कि हर हाल में फ़ाइदा उठाना जाइज़ है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि ज़हरी ने इस रिवायत में औज़ाई़, यूनुस और अ़क़ील ने रंगने का ज़िक्र नहीं किया। जबकि जुबैदी ने इस का ज़िक्र किया है। ऐसे ही सई़द बिन अ़ब्दुल अज़ीज़ और हफ़्स बिन वलीद ने रंगने का जिक्र किया है।

फ़ाइदा:— इमाम ज़हरी का यह कहना है कि हलाल जानवर के मुर्दार चमड़ा करे बिना रंगे और पकाए भी बेचना जाइज़ है।

4123:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को

फ़रमाते सुनाः चमड़े को जब रंग लिया जाये तो वह पाक हो जाता है।

4124:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुर्दार के चमड़े से फ़ाइदा उठाया जाये...... (यानी) उसे जब रंग लिया जाये।

4125:— सलमा बिन मुहब्बिक़ रज़ि॰ से रिवायत है कि तबूक की जन्ग के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक घर में आये तो वहाँ एक चमड़े की मशक को लटका देखा, आप ने पानी माँगी तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह मशक मुर्दार (जानवर के चमड़े का) है। आप ने फ़रमायाः उस का रंग देना उस की पाकी है।

4126:— सुबैअ़ की पुत्री आ़लिया ने बयान किया कि उहुद पर्वत की तरफ़ मेरी बकरियाँ होती थीं। हुआ यह कि वह सब मरने लगीं तो मैं मैमूना रज़ि॰ के पास आयी और उन से इस बारे में ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझ से कहाः अगर तुम उन के चमड़े उतार लिया करो और उन से फ़ाइदा उठाओ। उन्होंने कहा कि मैंने पूछाः क्या इस प्रकारन वह चमड़ा हलाल है? उन्होंन कहाः हाँ। कुरैश के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रे और वह लोग एक बकरी घसीटे जा रहे थे जैसे कि गधे को घसीटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः तुम इस बकरी का चमड़ा ही उतार लेते। उन्होंने कहाः यह तो मुंदार है। आप ने फ़रमायाः इसे पानी और क़रज़ पाक कर देता है।

फ़ाइदा:— "क़रज़" बबूल की तरह का एक पेड़ होता है जिस की छाल को डाल कर चमड़ा को पकाते हैं, इस से चमड़ा साफ़ हो जाता है। याद रहे कि इस प्रकार केवल हलाल जानवर जो मर गया हो उस का चमड़ा पाक होता है। वह जानवर जो हराम है जैसे कुत्ता, शेर, सिंयार, लोमड़ी आदि इन का चमड़ा पकाने से भी नहीं पाक होगा।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुर्दार के चमड़े से फ़ाइदा हासिल न किया जाये।}

4127:— अ़ब्दुल्लाह बिन उकैम से रिवायत है उन्होंने कहा कि क़बीला जुहैना के क्षेत्र में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एक पत्र पढ़ का सुनाया गया, उस समय मैं नव आयु जवान लड़का था (उस में लिखा था कि) मुर्दार के चमड़े या उस के पट्ठों से लाभ मत उठाओ।

4128:— हकम बिन उतैबा ने बयान किया कि मैं और कई लोग अ़ब्दुल्लाह बिन उकैम के पास गये, वह क़बीला जुहैना के रहने वाले थे। हकम ने कहाः दूसरे लोग अन्दर चले गये जबकि मैं दर्वाज़े पर बैठा रहा। फिर जब वह मेरे पास आये तो उन्होंने मुझ से बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उकैम ने उन्हें बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने देहान्त से एक महीना पहले क़बीला जुहैना की तरफ़ पत्र लिखा था कि "मुर्दार के चमड़े या उस के पट्ठों से फ़ाइदा मत उठाओ।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नज़्र बिन शुमैल ने कहा कि बिना रंगे और पकाए चमड़े को "इहाब" कहते हैं और रंग दिये जाने के बाद "शन्त" और "क़िरबा" कहते हैं।

बाब {चीज़ों और दरिन्दों के चमड़ों का बयान।}

4129:— मुआ़विया रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़ज़्ज़ (रेशम) के कपड़े और चीते की ख़ाल को अपनी गद्दी मत बनाओ (यानी उन का ज़ीन पोश बना कर न इस्तेमाल करो) इब्ने सीरीन ने कहाः मुआ़विया रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जो हदीस रिवायत करते थे उस में शुब्हा नहीं होता था (यानी उन के सियासी मामलात में इख़्तिलाफ़ हो तो यह अलग बात है, वर्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान नक़ल करने में भरोसेमन्द थे।

फ़ाइदा:— तमाम दरिन्दे जानवरों का यही हुक्म है कि रंगने और पकाने के बाद भी वह चमड़ा पाक नहीं होगा, तो उन का प्रयोग भी जाइज़ नहीं।

4130:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस जमाअ़त में चीते की खाल हो उस के साथ (रहमत के) फ़रिश्ते नहीं चलते।

4131:— ख़ालिद बिन मादान से रिवायत है कि मिक़दाम बिन मादीकर्ब, अ़म्र बिन अस्वद और क़बीला बनी असद का एक व्यक्ति जो क़िन्नसरीन (क़बीला) के लोगों में से था, मुआ़विया बिन सुफ़यान रज़ि॰ के पास आये। मुआ़विया ने मिक़दाम से कहाः क्या तुम्हें मालूम है कि हसन बिन अ़ली रज़ि॰ का देहान्त हो गया है यह सुन कर मिक़दाम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। इस पर एक आदमी ने उन से कहाः क्या तुम इस को मुसीबत समझते हो? उन्होंने कहाः मैं उन के देहान्त को मुसीबत क्यों न समझूँ जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को अपनी गोद में बैठा कर कहा थाः "हसन मुझ से है और हुसैन अ़ली से।" बनी असद क़बीला के आदमी ने कहाः वह तो दहकता कोयला था जिसे अल्लाह पाक ने बुझा दिया। यह सुन कर मिक़दाम ने कहाः मगर (मैं तो ऐसी बात नहीं कहता जो इस ने कही है) मैं आज तुम्हें गुस्सा दिला के रहूँगा और वह कुछ सुनाऊँगा जो तुम्हें बुरा लगे। फिर कहाः ऐ मुआ़विया! अगर मैं सच कहूँ तो मेरी तस्दीक़ करना और अगर ग़लत कहूँ तो झुठला देना। मुआ़विया ने कहाः ऐसा ही करुँगा। मिक़दाम ने कहाः मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है? उन्होंने कहाः जी हाँ। मिक़दाम ने फिर कहाः मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना किया है? उन्होंने कहाः जी हाँ! मिक़दाम ने कहाः मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दरिन्दों की खालें पहनने और उन पर बैठने से रोका है? उन्होंने कहाः हाँ। मिक़दाम ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं ने यह सब कुछ तुम्हारे घर में देखा है ऐ मुआ़विया! इस पर उन्होंने कहाः ऐ मिक़दाम! मुझे मालूम था कि मैं तुम से हर्गिज़ न बच सकूँगा। ख़ालिद बिन मादान ने बयान किया कि फिर मुआ़विया ने मिक़दाम के लिये इतना अधिक इनाम देने का हुक्म दिया जो उन के दूसरे साथियों के लिये नहीं था और उन के बेटे के लिये दो सौ वालों में हिस्सा मुक़र्रर कर दिया। चुनान्चे मिक़दाम ने उसे अपने साथियों में

बाँट दिया, मगर क़बीला असद के आदमी ने जो वसूल किया उस में से किसी को कुछ न दिया। मुआविया को यह ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहाः मिक़दाम खुले हाथ के सखी हैं और असद क़बीला का आदमी अपने माल की खूब सुरक्षा करने वाला है।

***4132*:–** अबू मलीह बिन उसामा ने अपने पिता से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दरिन्दों की खालें इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है।

***फ़ाइदा*:–** चाहे दिबाग़त दी हुयी हों, या न सब का यही हुक्म है।

बाब {जूते पहनने का बयान।}

***4133*:–** जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे। आप ने फ़रमायाः जूते खूब पहना करो, बिला शुब्हा आदमी जब तक जूता पहने हो तो (गोया) वह सवार होता है।

***4134*:–** अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के जूते में दो पट्टियाँ होती थीं।

***फ़ाइदा*:–** एक पट्टी अन्गूठे के साथ से और दूसरी बीच और साथ वाली उंगली के दर्मियान से होती हुयी पाँव की पीठ पर चोड़ाई में लगी पट्टी से जा मिलती थी, जिसे "शिराक" कहा जाता है।

***4135*:–** जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया कि आदमी खड़े होकर जूता पहने।

***4136*:–** अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई शख़्स एक जुते में न चले। या तो दोनों पहने, या फिर दोनों उतार दे (तब चले)

***4137*:–** जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो जब तक उसे ठीक न कर ले एक जूते में न चले, न एक मोज़े में चले और न बायें हाथ से खाये।

***4138*:–** इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि सुन्नत यह है कि आदमी जब बैठे तो अपने जूते उतार ले और अपने बग़ल में रख ले।

***4139*:–** अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई जूता पहने तो दायें तरफ़ से आरंभ करे और जब उतारे तो बायें से शुरु करे। दायाँ पाँव पहनने में पहले और उतारने में आख़िरी होना चाहिये।

***4140*:–** आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में जहाँ तक हो सकता दायें तरफ़ को पसन्द फ़रमाते थे। वुज़ू करने, कन्घी करने और जूता पहनने में। मुस्लिम बिन इब्राहीम ने दातून का भी ज़िक्र किया। मगर "तमाम कामों" का ज़िक्र नहीं किया।

4141:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम लिबास पहनो या वुज़ू करो तो अपने दायें तरफ़ से शुरु किया करो।

बाब {बिस्तरों का बयान।}

4142:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बिस्तरों का ज़िक्र किया तो फ़रमायाः एक बिस्तर आदमी का, दूसरा बीवी का और तीसरा मेहमान का है और चौथा शैतान के लिये है।

4143:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर गया तो मैंने आप को देखा किआप एक तकिया का सहारा लिये हुये हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन जर्राह ने कहा कि आप अपने बायें पहलू से सहारा लिये हुये थे।

इमाम अबू दावूद ने कहाः इस रिवायत को इस्हाक़ बिन मन्सूर ने भी इस्राईल से रिवायत किया (तो कहा कि) आप बायें पहले से सहारा लिये हुसे थे।

4144:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने यमन से आये हुये कुछ लोगों को देखा कि उन की सवारी के पालान चमड़े के हैं, तो उन्होंने कहाः जो शख़्स चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सफ़र के साथियों से बहुत अधिक मिलते जुलते हों तो वह इन्हें देख ले।

4145:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः क्या तुम्हारे पास अनमात (यानी धारी दार बिस्तर या उन की चादरें) हैं? मैंने कहाः हमारे पास अनमात कहाँ? आप ने फ़रमायाः बहुत जल्द तुम अनमात हासिल करोगे।

4146:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक तकिया था। इब्ने मनीअ़ ने कहा......तकिया चमड़े का था जिस पर आप सर रख कर सोते थे। फिर रिवायत के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं.......उस में खजूर की छाल भरी हुयी थी।

4147:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का गद्दा चमड़े का था जिस में खजूर की छाल भरी हुयी थी।

4148:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरा बिछौना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने के स्थान (जाए-नमाज़) के सामने होता था।

फ़ाइदा:— गोया अगर नमाज़ी के आगे कोई सोया हुआ हो तो कोई हरज नहीं।

4149:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ि॰ के घर तशरीफ़ ले गये तो उन के दर्वाज़े पर पर्दा देखा तो आप अन्दर नहीं दाख़िल हुये। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने कहाः ऐसा बहुत कम होता कि आप घर जायें (और उन के पास न जायें) और फिर उन के यहाँ से आरंभ करते। अ़ली रज़ि॰ आये और फ़ातिमा को देखा कि वह मायूस

और ग़मगीन हैं। पूछाः क्या बात है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर आये थे मगर अन्दर नहीं दाख़िल हुये। अ़ली रज़ि॰ यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुये और कहाः ऐ अल्लाह के रसल! फ़ातिमा को यह बात बड़ी भारी लगी कि आप उन के घर गये मगर अन्दर दाख़िल नहीं हुये। आप ने फ़रमायाः मैं क्या और दुनिया क्या? (यानी मुझे दुनिया से क्या लेना-देना) मैं क्या और फूल बूटे वाले पर्दे क्या? (यानी मुझे उन से क्या मतलब) फिर वह फ़ातिमा के पास गये और उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछ लें कि मेरे लिये क्या हुक्म है? आप ने फ़रमायाः उन से कहो कि उस पर्दे को बनी फ़लाँ के पास भेज दें।

4150:— इब्ने फुज़ैल ने अपने पिता से यह हदीस़ बयान की तो उन्होंने कहाः पर्दा फूल बूटों वाला था।

बाब **{कपड़े पर सलीब का निशान हो तो (उसे मिटाना वाजिब है)}**

4151:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर में कोई भी चीज़ देखते जिस पर सलीब का निशान होता तो उसे काट डालते थे।

फ़ाइदा:— कपड़ों पर अगर जीवधारी की तस्वीरें न हों तो कोई हरज नहीं। लेकिन ऐसे पेड़ -पौधे या पहाड़ जिन की लोग पूजा करते हों उन की तस्वीरें भी लटकाना दुरुस्त नहीं।

बाब **{तस्वीरों से संबन्धित अहकाम व मसाइल।}**

4152:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस घर में कुत्ता, तस्वीर, जुनुबी हो उस घर में फ़रिश्ते नहीं दाख़िल होते।

फ़ाइदा:— यह हदीस पीछे न॰ 227 में गुज़र चुकी है वहाँ का फ़ाइदा देखें।

4153:— अबू तल्हा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उनहोंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जिस घर में कुत्ता या बुत हो वहाँ फ़रिश्ते नहीं दाख़िल होते। ज़ैद बिन ख़ालिद ने अबू तल्हा से कहाः चलो आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से इस बारे में पूछते हैं, चुनान्चे हम चल पड़े। हम ने कहाः ऐ मोमिनों की माँ! अबू तल्हा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यूँ-यूँ बयान करते हैं, क्या आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह बयान करने सुना है? उन्हेांने कहाः नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वह बताती हूँ जो मैंने उन्हें करते हुये देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने एक सफ़र में तशरीफ़ ले गये मुझे आप की वापसी का इन्तिज़ार था मैंने एक धारीदार हाशिया वाला पर्दा लिया और उसे शहतीर के साथ लटका दिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैं ने आप का स्वागत करते हुये कहाः

अस्सलामु अ़लै-क या रसू-लल्लाहि व-रह्-मतुल्लाहि व-ब-रकातुहू

आप ने घर पर नज़र डाली तो हाशिया वाले पर्दे को देखा लेकिन मुझ से कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे आप के चेहरे पर नागवारी महसूस हुयी। फिर आप उस पर्दे के पास खुद आये और

उसे उतार फेंका। फिर फ़रमायाः बेशक अल्लाह ने हमें हमारी रोज़ी (आजीविका) में यह हुक्म नहीं दिया कि ईंटों और पत्थरों को कपड़े पहनाए जायें। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उस पर्दे को फाड़ कर दो तकिया बना लिया और उन में खजूर की छाल भर दी। यह देख कर आपने मुझ से कुछ न कहा।

4154:— जरीर ने भी सुहैल से अपनी सनद से पर की हदीस की तरह रिवायत की। इस हदीस में है कि ज़ैद बिन ख़ालिद ने कहाः ऐ मेरी माता जी! अबू तल्हा ने मुझ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की है। इस रिवायत की सनद में सअद बिन यसार के बारे में यह है कि यह क़बीला बनी नज्जार के गुलाम थे।

4155:— अबू तल्हा नेबयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फ़रिश्ते उस घर में नहीं दाख़िल होते जिस में चित्र हों। बुसर बिन सअ़ीद नेकहाः फिर ऐसा हुआ कि इस हदीस के रावी यानी हमारे शैख़) ज़ैद बिन ख़ालिद बीमार पड़ गये और हम उन्हें देखने गयेतो देखा कि उन के दर्वाज़े पर पर्दा लटक रहा है और उस में तस्वीर बनी हुयी है।

इस पर मैंने उबैदुल्लाह ख़ौलानी से जो कि मैमूना रज़ि॰ के पाले पोसे हुये थे कहा, भला ज़ैद ने कल के दिन तस्वीरों के बारे में हदीस बयान नहीं की थी? यह सुन कर उबैदुल्लाह ने कहाः तो क्या तुम ने सुना नहीं था जबकि उन्होंने कहा थाः मगर यह कि किसी कपड़े पर कोई फूल बूटा हो।

4156:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन ख़त्ताब को फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर हुक्म दिया जबकि आप खुद बतहा की वादी में ठहरे हुये थे कि काबा में जाकर उस में मौजूद तमाम तस्वीरों को मिटा डालें। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चित्रों के मिटा दिये जाने तक उस में दाख़िल नहीं हुये थे।

फ़ाइदा:— कुछ लोग केमरे की तस्वीरों को जाइज़ कहते हैं। और जिन का शरीर ठोस और सायादार हो उन्हें नाजाइज़ कहते हैं। तो यह मालूम हो कि दीवारों पर बनी तस्वीरों का कोई शरीर न था लेकिन उन्हें मिटाने का हुक्म दिया। शीशे में आने वाला फ़ोकस तस्वीर नहीं कहलाता मगर उसे केमरे में कर लेने के बाद तस्वीर कहलायेगी। यही हुक्म वीडियो फ़िल्म का भी है।

4157:— मैमूना रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील ने आज रात मुझ से मिलने का वादा किया था मगर नहीं आये। मुझे ख़याल आया कि हमारी चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला मौजूद है (तो कहीं इसी नाते तो वह नहीं आये) चुनान्चे उसे निकालने का हुक्म दिया, फिर आप ने पानी लेकर उस स्थान पर छिड़क दिया। फिर जिब्रील से मुलाक़ात हुयी तो उन्होंने कहाः हम उस घर में नहीं दाख़िल होते जहाँ कुत्ता या तस्वीर हो। फिर सुब्ह हुयी तो आप ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया यहाँ तक कि आप छोटे बाग़ों के कुत्तों को भी मारने का आदेश देते थे अल्बत्ता बड़े बाग़ों के कुत्तों को छोड़ देते थे।

4158:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील मेरे पास आये और कहाः मैं गुज़री रात आप के पास आया था मगर अन्दर आने

में मेरे लिये यह रुकावट थी कि (आप के घर के) दर्वाज़े पर तस्वीरें थीं और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और कुत्ता भी था। चुनान्चे आप घर में तस्वीर के बारे में आदेश दीजिये कि उस का सिर काट दिया जाये और पेड़ के समान हो जाये। और पर्दे के बारे में निर्देश दे कि उसे फाड़ कर दो तकिये बना लिये जायें जो फेंके जायें और पाँव से रौंदे जायें। और कुत्ते के बारे में फ़रमाइये कि उसे निकाल बाहर किया जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया। यह पिल्ला हसन या हुसैन का था जो उनके तख़्त के नीचे था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसे निकाल बाहर किया गया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "न-ज़द" से मुराद वह चीज़ है जिस पर कपड़े रखे जाते हैं और वह चारपाई की तरह होती है।

❀ ❀ ❀

(32) बालों में चोटी-कन्घी करने के मसाइल

बाब {बहुत अधिक चोटी कन्घी (और बनाव-सिंगार की मिनाही) का बयान।}

4159:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कन्घी करने से मना फ़रमाया है मगर यह कि एक दिन छोड़ कर।

4160:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी फुज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ के पास गये जबकि वह मिस्र के गवर्नर थे। वहाँ पहुँच कर उन से कहाः मैं आप से बिला वजह मिलने नहीं आया हूँ बल्कि मैंने और आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी मुझे आशा है कि वह आप को भी याद होगी। उन्होंने पूछाः कौन सी हदीस! उन्होंने कहाः फ़लाँ-फ़लाँ। फिर पूछा कि क्या वजह है कि मैं तुम्हें बिखरे सर के बाल वाला देख रहा हूँ हालाँकि आप इस क्षेत्र के अमीर (गवर्नर) हैं। फुज़ाला नेकहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें बहुत अधिक मौज-मस्ती का सामान जमा करने और बहुत अधिक बनाव-सिंगार करने से मना फ़रमाया करते थे। फिर पूछाः क्या वजह है कि तुम्हारे जूते नहीं हैं? फुज़ाला ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि कभी-कभी नन्गे पाँव भी रहा करें।

4161:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि सहाबा ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने दुनिया (की दौलत) का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम सुनते नहीं हो? बिला शुब्हा सादगी ईमान का हिस्सा है, बिला शुब्हा सादगी ईमान का हिस्सा है। यानी बनाव-सिंगार और ऐश परस्ती को छोड़ देना।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हदीस के रावी अबू उमामा बिन सालबा अन्सारी हैं।

बाब {खुश्बू इस्तेमाल न करना मुस्तहब है।}

4162:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

पास एक ख़ास मुरक्कब (विशेष मिक्चर) खुश्बू थी आप उस से खुश्बू लगाया करते थे।

फ़ाइदा:— "सुक्का" का एक तर्जुमा "शीशी" का होगा जिस में खुश्बू रखते हैं।

बाब **{बालों को बना संवार कर रखने का बयान।}**

4163:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बाल रखें हों तो चाहिये कि उन्हें बना संवार कर रखे।

फ़ाइदा:— लेकिन एक दिन के अन्तराल से करे। देखें ऊपर हदीस न॰ 4159।

बाब {महिलाओं के लिये मेंहदी लगाना।}

4164:— करीमा बिन्त हुमाम बयान करती हैं कि एक स्त्री ने आइशा रज़ि॰ से मेंहदी केबारे में पूछा तो उन्होंने कहा। इस में कोई हरज नहीं, लेकिन मैं इसे पसन्द नहीं करती, क्योंकि मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस की बू पसन्द नहीं थी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस महिला का मक़सद सर के बालों में मेंहदी लगाना था।

4165:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि उत्बा की बेटी हिन्द ने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! मुझ से बैअ़त ले लीजिये। आप ने फ़रमायाः मैं उस समय तक तुम से बैअ़त नहीं लूँगा जब तक कि तुम अपनी हथेलियों को (मेंहदी से) रंग न लो। यह तो गोया दरिन्दे की हथेलियाँ हैं।

फ़ाइदा:— हिन्द, अबू सुफ़यान रज़ि॰ की पत्नी है। यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। मेंहदी लगाना बेशक मुस्तहब है, लेकिन आजकल की तरह हथेली से कलाई और कलाई से बाज़ू और बाज़ू से शाने तक मेंहीदी के रन्ग के फूल बूटों से सजाना यह किसी तरह दुरुस्त नहीं। यह हाल है कि जिस को न देखना हो वह भी देखे।

4166:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने पर्दे के पीछे से अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ इशारा किया। उस के पास आप के लिये एक पत्र था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया और फ़रमायाः मुझे नहीं मालूम कि यह हाथ मर्द का है या औ़रत का। उस ने कहाः औ़रत का। आप ने फ़रमायाःअगर तू औ़रत होती तो अपने नाखून को रन्ग लेती, यानी मेंहदी लगाती।

फ़ाइदा:— यह रिवायत भी ज़ओ़फ़ है, मुस्तहब कहा जा सकता है। मेंहदी के स्थान पर पालिश का प्रयोग दुरुस्त नहीं, क्योंकि पालिश पानी को जिस्म (नाखून) तक नहीं पहुँचने देती।

बाब {बालों को और दीगर बाल जोड़ कर लंबा करना।}

4167:— हुमेद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अमीर मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान से सुना, जिस साल कि उन्होंने हज्ज किया। उन्होंने मिंबर परअपने सुरक्षा कर्मी (हिफ़ाज़त करने वाले) के हाथ से बालों का एक गुच्छा पकड़ा और कहाः ऐ मदीना वालों! तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस प्रकार की चीज़ों से मना

फ़रमाते थे। आप ने फ़रमायाः बनी इस्राईल तभी हलाक हुये जब उन की औरतों ने इन चीज़ों का प्रयोग शुरु कर दिया।

फ़ाइदा:— बालों को दूसरे लंबा जोड़ कर लंबा करना हराम है जैसा कि आज कल विग का चलन है।

4168:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लानत फ़रमाई है उस महिला पर जो किसी के बालों में बाल जोड़े। और उस महिला पर जो यह काम करवाए। और उस महिला पर जो शरीर को गोदे। और उस महिला पर जो अपना शरीर गोदवाए।

4169:— (इमाम अबू दावूद ने मुहम्मद बिन अ़ीसा और उस्मान बिन अबू शैबा के वास्ते से रिवायत किया) अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा कि अल्लाह पाक ने उन महिलाओं पर लानत की है जो जिस्म को गोदे और गोदवाएँ। मुहम्मद बिन अ़ीसा ने कहाः और जो बाल जोड़ कर लंबे करें। उस्मान ने कहाः और जो चेहरे के बाल भी उखाड़े (उन पर भी लानत भेजी है) फिर दोनों शैख़ रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं.......और जो सुन्दर लगने के लिये दाँतों के दर्मियान ख़ला (Space) करायें, अल्लाह पाक की बनाई हुयी में तबदीली करें।

यह बात बनी असद क़बीला की एक महिला को पहुँची जिसे उम्मे याक़ूब कहा जाता था। उस्मान ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि "उस ने पूरा क़ुरआन पढ़ रखा था" ......फिर दोनों शैख का आगे की हदीस पर इत्तिफ़ाक़ है.......वह महिला अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के पास आयी और कहाः मुझे आप से यह बात पहुँची है कि आप ने उन औरतों पर लानत की है जो अपना शरीर गोदें और गोदवायें। मुहम्मद ने कहाः और बाल जोड़ कर लंबे करें। उस्मान ने कहाः और जो चेहरे के बाल उखाड़े। फिर दोनों का इत्तिफ़ाक़ है कि और जो दाँतों के दर्मियान जगह करायें। उस्मान ने कहाः सुन्दर लगने के लिये। अल्लाह की बनाई हुसी चीज़ में तबदीली करने वालियाँ हैं।

यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ नेकहाः मुझे क्या हुआ है कि मैं उन पर लानत न करुँ जिन पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है, और यह अल्लाह की किताब में तो आया है। यह सुन कर वह महिला बोलीः मैंने भी उस पूरे क़ुरआन को जो दो गत्तों के दर्मियान है पढ़ा है, लेकिन उस के अन्दर मुझे इस प्रकार का हुक्म नहीं मिला। इब्ने मस्ऊद ने कहाः अल्लाह की क़सम! अगर तुम ने पढ़ा होता तो निःसंदेह पा लेती। फिर उन्होंने यह आयत पढ़ीः

"रसूल जो कुछ तुम्हें दे दें वह ले लो और जिस से रोक दें उस से रुक जाओ" (सूरः हश्र-7)

उस महिला ने कहाः मैं उन में से बहुत सी चीज़ें तुम्हारी बीवी पर भी देखती हूँ (कि वह भी उन पर अ़मल करती हैं) उन्होंने कहाः अन्दर जा कर देख लो। तो उन्होंने अन्दर जा कर देखा और फिर बाहर आ गयी। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने पूछाः क्या देखा? उस्मान रज़ि॰ ने कहाः उस महिला ने कहाः मैंने कुछ नहीं देखा। इस पर इब्ने मस्ऊद ने कहाः अगर यह होता (कि लानत वाली चीज़ों पर अ़मल करती) तो हमारे साथ (निकाह में) न होती।

4170:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि उस महिला पर लानत की गयी है जो बाल को

जोड़े और जोड़वाए, जो चेहरे के बाल उखेड़े और उखड़वाए, जो शरीर पर गोदना गोदे और जो गोदवाए बिना किसी बीमारी के।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "वासिला" से मुराद वह महिला है जो दूसरी महिलाओं के बाल जोड़ती हो। और "मुस्तौसिल" उस को कहते हैं जो यह काम करवाए। "नामिसा" वह है जो भौं के बालों को नोच कर बारीक बनाती है। "मुतनम्मिसा" वह है जो यह काम करवाए। "वाशिमा" वह है जो चेहरे की चमड़ी पर सुर्मे या कालक आदि से तिल बनाए। और "मुस्तौशिया" जो यह काम करवाए।

4171:— सअ़ीद बिन जुबैर रह॰ ने कहा कि धागों से बनी चोटी (मूबाफ़) लगाने में कोई हरज नहीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि गोया सअ़ीद रह॰ की राय यह थी कि ख़ास कर महिलाओं के बाल (और बाल लगा कर) जोड़ना ही मना है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि ऐसे ही इमाम अहमद का भी कहना था कि धागों की चोटी लगाने में कोई हरज नहीं।

बाब {खुश्बू को वापस करना दुरुस्त नहीं।}

4172:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिसे खुश्बू पेश की जाये तो वह उसे वापस न करे। उस की महक अच्छी होती है और उस में कोई बोझ भी नहीं होता।

बाब {महिला (घर से) बाहर निकलते समय खुश्बू न लगाए।}

4173:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब कोई औ़रत खुश्बू लगा कर किसी क़ौम पर से गुज़रती है ताकि वह उस की ख़ुश्बू पा लें तो वह ऐसी और ऐसी है। आप ने बड़ी सख़्त बात कही।

फ़ाइदा:— नसई और तिर्मिज़ी में है कि आप ने उसे बदकार और ज़िनाकार कहा।

4174:— अबू हुरैरा रज़ि॰ को एक महिला मिली, उन्होंने उस से खुश्बू महसूस की और उस की चादर का कनारा धूल भी उड़ाता आ रहा था। उन्होंने उस से कहा: ऐ जब्बारकी बन्दी! क्या तू मस्जिद से आ रही है? उस ने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: तो क्या इसी के लिये तू ने खुश्बू लगाई थी। उस ने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: मैंने अपने महबूब अबुल क़ासिम (नबी करीम) सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है: जो महिला इस मस्जिद के लिये खुश्बू लगा कर आये उस की नमाज़ कुबूल नहीं होती यहाँ तक कि वापस आ जाये और इस प्रकार स्नान करे जैसे जनाबत का स्नान करती है।

4175:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस औ़रत ने खुश्बू की धूनी ली हो वह हमारे साथ इशा की नमाज़ में शरीक न हो।

फ़ाइदा:— ऊद लकड़ी और लोबान जो जला कर उस की धूनी लेते हैं इस प्रकार ख़ुश्बू कपड़ों

में बस और भिन जाती है जो कई दिनों तक रहती है, यह बड़ी हल्की खुश्बू होती है। जब यह हराम है तो तेज़ खुश्बू और भी हराम होगी।

बाब {मर्दों के लिये ज़ाफ़रान (केसर) का प्रयोग।}

4176:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं (सफ़र से वापस आया और) रात को अपने घर वालों के यहाँ पहुँचा जबकि मेरे हाथ कट चुके थे, तो उन्होंने मुझे ज़ाफ़रान लगा दी। मैं सुब्ह के समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सलाम किया तो आप ने न तो उत्तर दिया और न ही स्वागत किया, बल्कि फ़रमायाः जाओ और इसे अपने ऊपर से धो कर आओ। चुनान्चे मैं गया और उसे (दोबारा) धोकर हाज़िर हुआ और सलाम किया तो आप ने सलाम का जवाब दिया और स्वागत भी किया और फ़रमायाः फ़रिश्ते काफ़िर के जनाज़े पर ख़ैर के साथ हाज़िर नहीं होते और न ऐसे आदमी के पास आते हैं जिस ने ज़ाफ़रान लगाई हो, और न ही जुनुबी के पास आते हैं। अल्बत्ता जुनुबी के लिये छूट दी कि जब वह सोना चाहे या खाना-पीना चाहे तो वुज़ू कर ले।

4177:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने ज़ाफ़रान (केसर) लगाई......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, और पहली हदीस ज़्यादा कामिल है, उस रिवायत में धोने का ज़िक्र है। इब्ने जुरैज नेक हा कि मैंने उमर बिन अ़ता से पूछाः क्या वह उस समय एहराम की हालत में थे? उन्होंने कहाः नहीं, मुक़ीम थे।

4178:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः अल्लाह पाक उस आदमी की नमाज़ कुबूल नहीं फ़रमाता जिस के शरीर पर मामूली सी ख़लूक़ भी लगी हो।

4179:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है।

4180:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन प्रकार के लोगों के पास फ़रिश्ते नहीं आते हैं। काफ़िर के शव के पास, और जिस ने ख़लूक़ (ज़ाफ़रान मिला हुआ खुश्बू) लगाई हो, और जुनुबी आदमी, मगर यह कि जुनुबी वुज़ू कर ले।

4181:— वलीद बिन उक़्बा (बिन अबी मुअ़ीत) ने कहाः जब अल्लाह के नबी ने मक्का फ़त्ह कर लिया, तो मक्का वाले अपने बच्चों को आप के पास लाने लगे, आप उन के लिये बर्कत की दुआ़ फ़रमाते और उन के सरों पर हाथ फेरते। मुझे भी आप के पास लाया गया और उस समय मेरे ऊपर ख़लूक़ लगी थी तो आप ने इस वजह से मेरे सर पर हाथ न फेरा।

4182:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया जबकि उस के ऊपर पीले रन्ग का निशान था। और बहुत कम ऐसा होता

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी पर कोई नापसन्द आने वाली चीज़ें देखें और सीधे तौर पर एसे कुछ कहें। जब वह चला गया तो आप ने फ़रमायाः अगर तुम उस से कह दो कि अपने ऊपर से उसे धो डाले (तो बहुत बेहतर है)

बाब {बालों का बयान।}

4183:— बरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने जुल्फ़ें रखी हों, लाल जोड़ा पहना हुआ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बढ़ कर सुन्दर और खूबसूरत लग रहा हो। मुहम्मद बिन सुलैमान ने यह भी कहा कि आप की जुल्फ़ें कन्धों तक आती थीं। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस्राईल ने अबू इस्हाक़ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल आप के कन्धों को छूते थे। और शोबा ने कहा कि कानों की लौ तक आते थे।

4184:— बरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाल रखे हुये थे जो आप के कानों की लौ तक आते थे।

4185:— अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल आप के कानों की लौ तक आते थे।

4186:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल आप के कानों के दर्मियान तक आते थे।

4187:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल "वफ़रा" और "जुम्मा" से कम होते थे।

फ़ाइदा:— सर के बाल जब कान की लौ तक आयें तो "वफ़रा और जब कन्धों तक पहुँचें तो "जुम्मा" कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच को "लिम्मा" कहते हैं।

बाब {माँग निकालने का बयान।}

4188:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अहले किताब अपने बालों को ऐसे ही सीधा (पीछे की तरफ़) छोड़ दिया करते थे। जबकि मुश्रिकलोग माँग निकाला करतेथे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जिन कामों में कोई हुक्म न दिया गया होता, तो आप उन कामों में अहले किताब की तरह करना पसन्द फ़रमाते थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने बाल सीधे रखने शुरु किये, मगर बाद में माँग निकालने लगे।

4189:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान कियाकि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बालों में माँग निकालने लगती तो आप के सर के बीच से निकालती और आप की पेशानी के बालों की आप की आँखों के सामने लटकाती (यानी फिर उन्हें आधों आध कर देती)

फ़ाइदा:— टेढ़ी माँग कुफ़्फ़ार और मुश्रिकों की मुशाबहत है इसलिये इन से बचना चाहिये, क्योंकि वह उन ही में से शुमार किया जायेगा।

बाब {बालों को बहुत अधिक लंबा करना।}

4190:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ ने बयान कियाकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उस समय मेरे बाल बहुत लंबे थे, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फ़रमाने लगेः नहूसत है, नहूसत है। चुनान्चे मैं वापस गया और उन्हें काट डाला, फिर अगले दिन ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें कोई बुरी बात नहीं कही थी और अब यह बेहतर है।

फ़ाइदा:— जैसा कि ऊपर गुज़रा कि मर्दों के बाल उन के कन्धों के नीचे होना जाइज़ नहीं।

बाब {मर्द अपने लंबे बालों को गूँध ले तो जाइज़ है।}

4191:— उम्मे हानी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाये तो उन के बालों की चार लटें थीं जो गूँधी हुयी थीं।

बाब {सिर मुँड़ा देना जाइज़ है।}

4192:— अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ से रिवायत है कि (जाफ़र बिन अबू तालिब की शहादत के मौक़ा पर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जाफ़र के बच्चों को तीन दिन तक कुछ न कहा, फिर उन के पास आये और फ़रमायाः आज के बाद मेरे भाई पर मत रोना। फिर फ़रमायाः मेरे भतीजों को मेरे पास बुलाओ। चुनान्चे हमें लाया गया तो उस समय गोया हम चिड़या के बच्चे थे (यानी हमारे सरों के बाल बिखरे हुये थे) तो आप ने फ़रमायाः मेरे पास नाई को बुला लाओ। फिर आप ने उस से कहा तो उस ने हमोर सिर मूँड दिये।

फ़ाइदा:— मर्द और बच्चे सभी के बाल मूँड देने में कोई हाज नहीं।

बाब {बच्चों की जुल्फ़ों का बयान।}

4193:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "क़ज़ा" से मना फ़रमाया है। क़ज़ा से मुराद यह है कि बच्चे के सिर से कुछ बाल मूँड दिये जायें और कुछ छोड़ दिये जायें।

4194:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फ़रमाया है। और वह यह है कि बच्चे का पूरा सिर मूँड दिया जाये और कोई एक लट बाक़ी छोड़ दी जाये।

4195:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उस के कुछ बाल मूँड दिये गये हैं और कुछ छोड़ दिये गये हैं तो आप ने इस प्रकार करने से उन्हें मना फ़रमा दिया और कहाः इस के सारे बाल मूँड दो, या सारे रखो।

बाब {जुल्फ़ें बढ़ा लेने की रुख़्सत।}

4196:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरी लंबी-लंबी जुल्फ़ें थीं। मेरी

माता जी ने मुझ से कहाः इन्हें मत काटो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें (प्यार से) खींचते थे और पकड़ लिया करते थे।

4197:— हज्जाज बिन हस्सान ने बयान किया कि हम अनस बिन मालिक रज़ि॰ के यहाँ गये। मेरी बहन मुग़ीरा ने बयान किया कि तुम उन दिनों नव-आयु बच्चे थे और तुम्हारे बालों की दो लटें थीं, तो उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और तुम्हारे लिये बर्कत की दुआ़ की और फ़रमायाः इन्हें मूँड डालो या कतरवा लो, क्योंकि यह यहूद की पहचान है।

बाब {मूँछे कतरवाने का बयान।}

4198:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बयान किया पाँच चीज़ें फ़िरत हैं (1) ख़तना करना (2) नाफ़ के नीचे की सफ़ाई करना (3) बग़ल के बाल उखाड़ना (4) नाखून काटना (5) मूँछें कतरवाना।

फ़ाइदा:— मुस्लिम की रिवायत में 10 कामों का ज़िक्र है (1) दाढ़ी बढ़ाना (2) नाक में पानी डालना (3) जोड़ों का धोना (4) इस्तिन्जा करना (5) कुल्ली करना। इन पाँच को मिला कर 10 हुये। बग़ल के बाल नोचना ही सुन्नत है। अगर्चे दूसरे तरीक़ों से भी साफ़ करते हैं।

4199:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मूँछें मुँड़वाने और डाढ़ियाँ बढ़ाने का हुक्म दिया है।

4200:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया किनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारे लिये हद मुक़र्रर कर दी थी कि नाफ़ के नीचे की सफ़ाई, नाखून काटने, मूँछें काटने और बग़ल के बाल उखाड़ने का काम चालीस दिन में एक मर्तबा (ज़रुर) कर लिया जाये। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को जाफ़र बिन सुलैमान ने अबू इम्रान के वास्ते से अनस रज़ि॰ से रिवायत किया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं किया, और कहाः "हमारे लिये यह हद मुक़र्रर की गयी थी" और यह ज़्यादा सही है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, ताहम चालीस दिन की मुद्दत मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत में भी है (258) या यह सीमा ज़्यादा से ज़्यादा है, इस से अधिक दिन छोड़ना ठीक नहीं।

4201:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम लोग हज्ज और उम्रा के अ़लावा दाढ़ियों को छोड़ रखते थे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ है, इसलिये किसी मौक़ा पर भी काटना दुरुस्त नहीं।

बाब {सफ़ेद बाल नोचने का मस्अला।}

4202:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता सेऔर वह अपने दादा से रिवायत करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सफ़ेद बाल मत नोचा करो। जिस किसी मुसलमान के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हो जायें तो क़ियामत के दिन उस के लिये नूर होंगे। और यहया की रिवायत में है.......अल्लाह पाक एक-एक बाल के बदले उस की नेकी लिखता है और एक गुनाह दूर करता है।

बाब {ख़िज़ाब लगाने का बयान।}

4203:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहूदी और अ़ीसाई अपने बालों को नहीं रंगते, पस तुम उन की मुख़ालिफ़त किया करो (यानी रंगा करो)

फ़ाइदा:— रंगना ठीक है, लेकिन सफ़ेद ही रहने देना यह भी जाइज़ है।

4204:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़त्ह मक्का के दिन (अबू बक्र रज़ि॰ के पिता) अबू क़हाफ़ा को लाया गया तो उन के सर और दाढ़ी के बाल सग़ामा घास की तरह सफ़ेद थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्हें किसी रन्ग से बदल दो लेकिन काले रंग से बचो।

4205:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से बेहतर चीज़ जिस से यह सफ़ेद बाल रंगे जाते हैं मेंहदी और कतम है।

फ़ाइदा:— "कतम" एक पहाड़ी बूटी है उस के पत्ते ख़िज़ाब के तौर पर प्रयोग किये जाते हैं, उस का रंग काला छू कर होता है (सियाही मायल)

4206:— अबू रमसा रज़ि॰ का बयान है कि मैं अपने पिता के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि आप के बाल कानों तक थे। उन में मेंहदी के रंग की झलक थी और आप दो हरे रंग की चादरें ओढ़े हुये थे।

4207:— अयाद बिन लक़ीत ने भी अबू रमसा से यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने आप से कहाः यह जो आप की कमर पर है मुझे दिखायें, मैं डाक्टर हूँ। आप ने फ़रमायाः डाक्टर तो अल्लाह है, तुम रफ़ीक़ (यानी तसल्ली देने वाले और नर्मी करने वाले) हो। डाक्टर तो वह है जिस ने उसे पैदा किया।

फ़ाइदा:— उन का इशारा मुहरे नबुव्वत की तरफ़ था जिसे वह बीमारी समझते थे, उन्हें शुरु में पता नहीं था।

4208:— अबू रमसा रज़ि से रिवायत है कि मैं और मेरे पिता जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। आप ने किसी से या मेरे पिता जी से (मेरे बारे में) पूछाः यह कौन है? उन्हेांने कहाः यह मेरा बेटा है। आप ने फ़रमायाः यह तेरे गुनाह नहीं उठायेगा (यानी हर शख़्स अपने किये का जवाब देगा) और आप ने अपनी डाढ़ी मेंहदी से रंगी हुयी थी।

4209:— अनस रज़ि से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़िज़ाब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया किआप ने अपने नहीं रेंगे। लेकिन अबू बक्र और उमर ने रंगे है।

बाब {पीले रंग से बाल रंगना।}

4210:— इब्ने उमर रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सिबती (यानी रंगी हुयी खाल से बने हुये) जूते इस्तेमाल किया करते थे और अपनी दाढ़ी को वरस और ज़ाफ़रान भी लगाते थे। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि का भी यही हाल था।

4211:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से एक आदमी गुज़रा जिस ने अपने बाल मेंहदी से रंगे हुये थे तो आप ने फ़रमायाः यह क्या ही अच्छा है। फिर दूसरा आदमी गुज़रा जिस ने मेंहदी और कतम की बूटी से बाल रंगे हुयेथे तो आप ने फ़रमायाः यह पहले वाले से बेहतर और अच्छा है। फिर एक और गुज़रा जिस ने पीले रंग से रंगे हुये थे, आप ने फ़रमायाः उन सब से अच्छा और बेहतर है।

बाब {काले ख़िज़ाब का हुक्म।}

4212:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अन्तिम ज़माना में ऐसे लोग होंगे जो काले रंग से अपने बाल रंगेगे जैसे कबूतरों के सीने होते है यह लोग जन्नत की खुश्बू नहीं पायेंगे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि बालों की सफ़ेदी को सियाही में बदलना हराम है। यह अल्लाह की बनावट में तबदीली और अ़वाम को धोखा देना है। मर्द और महिला सब के लिये यह हुक्म है। हाँ, मेंहदी और कतम आदि लगाना जाइज़ है।

बाब {हाथी के दाँत से फ़ाइदा उठाना।}

4213:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आज़ाद किये हुये गुलाम सौबान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र के लिये रवाना होते तो अपने घर के जिस व्यक्ति से सब से अन्त में मुलाक़ात करते वह फ़ातिमा होतीं। और जब वापस आते तो सब से पहले फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाते। आप अपने एक जन्ग से वापस आये, जबकि फ़ातिमा ने अपने घर के दर्वाजे पर टाट का पर्दा लटका रखा था और हसन-हुसैन को चाँदी के कन्गन पहना रखा था। आप आये लेकिन घर के अन्दर नहीं गये, तो फ़ातिमा ने भाँप लिया कि आप के अन्दर न जाने का सबब यही है जो उन्हेंाने देखा है। चुनान्चे उन्होंने पर्दा फाड़ डाला, कन्गन उतार लिया और उन के सामने ही तोड़-ताड़ डाला, तो वह रोते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास चले गये। आप ने उन दोनों से उसे ले लिया और फ़रमायाः ऐ सौबान! इन्हें फलाँ घर वालों के पास लेकर जाओ, वह मदीना के रहने वालों में से थे। आप ने फ़रमायाः यह लोग (फ़ातिमा, अ़ली, हसन, हुसैन) मेंरे अहले बैत हैं, मुझे यह बात पसन्द नहीं कि यह लोग अपनी नेकियों का बदला इसी दुनिया में खा लें। ऐ सौबान! फ़ातिमा के लिये अ़सब (मनकों) का एक हार और हाथी दाँत के दो कन्गन ख़रीद लाना।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। लेकिन इमाम बुख़ारी ने ज़िक्र किया है हाथी दाँत से बनी कन्घी को इस्तेमाल करते थे (बुख़ारी-235) इब्ने सीरीन और इमाम नख़ई नेकहा कि हाथी दाँत की तिजारत में कोई हरज नहीं।

❀ ❀ ❀

(33) अन्गूठियों के बारे में अहकाम

बाब {अन्गूठी बनवाना जाइज़ है।}

4214:— अनस बिन मालिक रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अ़जम के बादशाहों को पत्र लिखें तो आप को बताया गया कि वह लोग मोहर के बिना ख़त नहीं पढ़ते, तो आप ने चाँदी की अन्गूठी बनवाई जिस में यह शब्द खुदे हुये थे।

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

4215:— इमाम क़तादा ने भी अनस रज़ि० से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है, लेकिन इस में इतना और इज़ाफ़ा है कि "फिर यह अन्गूठी आप के हाथ में रही यहाँ तक कि आप का देहान्त हो गया। फिर अबू बक्र के हाथ में रही यहाँ तक कि उन का देहानत हो गया। फिर उमर के हाथ में रही यहाँ तक कि उन का भी देहान्त होगया। फिर उस्मान रज़ि० के हाथ में आयी। वह एक मर्तबा एक कुँए के कनारे बैठे थे कि वह अन्गूठी उस में गिर गयी। उन्होंने हुक्म दिया तो सारा पानी निकाला गया, मगर उसे लोग न पा सके।

4216:— अनस रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अन्गूठी चाँदी की थी और उस का नगीना हबशी (पत्थर) का था।

4217:— अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अन्गूठी सारी की सारी चाँदी की थी, उस का नगीना भी उसी ही का था।

4218:— इब्ने उमर रज़ि० ने बयान किया कि (पहले पहल) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने की अन्गूठी बनवाई और उस का नगीना हथेली की तरफ़ रखना शुरु किया। और उस में "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के शब्द खुदवाए, तो सहाबा ने भी सोने की अन्गूठियाँ बनवा लीं। जब

आप ने यह देखा कि लोगों ने भी (वैसी ही अन्गूठियाँ) बनवा ली हैं तो आप ने अपनी अन्गूठी उतार फेंकी और फ़रमायाः मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा। फिर आप ने चाँदी की अन्गूठी बनवाई, उस में भी "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के शब्द खोदवाए। आप के बाद इस अन्गूठी को अबू बक्र ने पहनी, फिर उमर ने, फिर उस्मान ने पहनी, यहाँ तक कि अ़रीस नामक कुँए में गिर गयी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उस्मान रज़ि॰ से उस समय तक लोगों ने कोई इख़्तिलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि अन्गूठी उन के हाथ से गिर गयी (इस के बाद इख़्तिलाफ़ ने भी सर उठा लिया)

4219:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने इस ख़बर में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी अन्गूठी में "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के शब्द खोदवाए और फ़रमायाः कोई शख़्स मेरी इस अन्गूठी के नक़्श की तरह अपनी अन्गूठी का नक़्श न बनवाए........फिर हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— इस नक़्श (शब्द) की हैसियत चूँकि सरकारी थी इसलिये इस प्रकार की बनवाने से रोक दिया गया।

4220:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की (इब्ने उमर रज़ि॰ ने) कहाः (फिर वह अन्गूठी गुम हो गयी) तो लोगों ने उसे तलाश किया मगर न पा सके, तो उस्मान रजि॰ ने एक (नई) अन्गूठी बनवाई जिस में भी "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के शब्द खोदे हुये थे। चुनान्चे उस्मान रज़ि॰ उसी से मोहर किया करते थे, या उसे पहना करते थे।

बाब {अन्गूठी न पहनने का बयान।}

4221:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ में केवल एक दिन चाँदी की अन्गूठी देखी, तो लोगों ने भी बनवा कर पहन लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे उतार फेंका तो सहाबा ने भी उतार फेंका।

अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को इमाम ज़हरी से ज़ियाद बिन सअ़द, शुऐब और इब्ने मुसाफ़िर ने रिवायत किया। उन सब का बयान है कि अन्गूठी चाँदी की थी।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो अन्गूठी फेंकी थी वह सोने की थी। यहाँ इमाम ज़हरी को शुब्हा हुआ है।

बाब {सोने की अन्गूठी का बयान।}

4222:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दस बातें नापसन्द थी (यानी हराम समझते थे) (1) पीले रंग की ख़ुश्बू (ख़लूक़) (2) सफ़ेद बालों को (काले रंग में) बदल देना (3) चादर घसीटना (4) सोने की अन्गूठी पहनना (5) बिना किसी उचित समय के ज़ीनत का इज़हार करना (6) गोटियों से खेलना (7) शरीअ़त के मुताबिक़ झाड़-फूँक को छोड़ कर दूसरे दम-झाड़ करना (8) कौड़ियाँ लटकाना (9) ग़ैर हलाल में मनी डालना (10) छोटे बच्चे में ख़राबी डालना (यानी बच्चे के दूध पीते समय उस की माँ से हमबिस्तरी करना) मगर आप इसे हराम न कहते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को रिवायत करने में बसरा वाले मुनफ़रिद हैं।

बाब {लोहे की अन्गूठी का बयान।}

4223:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और उस ने पीतल की अन्गूठी पहनी हुयी थी। आप ने उस से फ़रमायाः मुझे क्या है कि मैं तुझ से बुतों की बू पाता हूँ। यह सुन कर उस ने अन्गूठी उतार फेंकी। वह दोबारा आया तो लोहे की अन्गूठी पहने हुये थाः आप ने फ़रमायाः क्या बात है कि मैं तुझ पर जहन्नम वालों का ज़ेवर देखता हूँ? यह सुन कर उस ने वह भी उतार फेंकी। फिर उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! किस चीज़ की अन्गूठी बनवाऊँ? आप नेफ़रमायाः चाँदी की, मगर एक मिसक़ाल से कम रखना।

फ़ाइदा:— 4 / 25 ग्राम भार बराबर चाँदी मर्द के लिये जाइज़ है।

4224:— इयास बिन हारिस बिन मुऐक़ीब ने अपने दादा मुऐक़ीब से रिवातय किया......उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अन्गूठी लोहे की थी जिस पर चाँदी का वरक़ चढ़ाया हुआ था। उन्होंने कहा कि अक्सर वह अन्गूठी मेरे हाथ में होती थी। रावी ने कहा कि मुऐक़िब रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अन्गूठी के निग्रान थे।

फ़ाइदा:— लोहे की अन्गूठी पर जिस का वरक़ चढ़ा होगा वही मना जायेगा। सोना हो या चाँदी।

4225:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः यह दुआ़ किया करोः अल्लाहुम्मह् दिनी व–सद्दिदनी (ऐ मेरे मौला! मुझे हिदायत दे और सीधा रख।" और "सिदाद" में तीर का निशाने पर लगना के माना (अर्थ) सामने रखा करो। फिर शहादत वाली उंगली की तरफ़ इशारा करते हुये कहा कि आप ने मुझे इस में या उस में अन्गूठी पहनने से मना फ़रमाया। यह शक आ़सिम को हुआ........और आप नेमुझे क़िस्सी कपड़ा और मीसरा से मना फ़रमाया।

अबू बुर्दा रज़ि॰ ने कहा कि हम ने अ़ली रज़ि॰ से पूछाः "क़िस्सी" से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः इस से मुराद नारन्गी की तरह के फूल–बूटे बने कपड़े हैं जो हमारे पास शाम या मिस्र से आते थे। और "मीसरा" से मुराद वह गद्दी है जो महिलायें अपने पतियों के लिये बनाती थीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि शहादत या बीच वाली उंगली मेंअन्गूठी पहनना दुरुस्त नहीं है। "क़िस्सी" में रेशम की मिलावट होती है। और "मीसरा" लाल रंग होने और अ़जमी लोगों की मुशाबहत की वजह से उस का इस्तेमाल मना है।

बाब {अन्गूठी दायें हाथ में या बायें में पहनी जाये?}

4226:— अ़ली रज़ि॰ से यह हदीस मर्फ़ूअ़ रिवायत है और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने मुसल रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अन्गूठी दायें हाथ में पहना करते थे।

फ़ाइदा:— दाँयें हाथ में और छँगुली या साथ वाली उंगली में पहनी जाये।

4227:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायें हाथ में अन्गूठी पहना करते थे और उस का नगीना अन्दर हथेली की तरफ़ हुआ करता था।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने इस्हाक़ और उसामा बिन ज़ैद ने नाफ़े से ऊपर ही की सनद से यह रिवायत किया कि "दायें हाथ में पहना करते थे।"

फ़ाइदा:— बायें हाथ वाली रिवायत ज़ओफ़ है, सही दायें हाथ है।

4228:— इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ अपनी अन्गूठी बायें हाथ में पहना करते थी।

फ़ाइदा:— यह सहाबी का अमल है। संभव है इन्हें मालूम न हुआ हो वर्ना यह भी दायें हाथ में पहनते।

4229:— मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने रिवायत किया और कहा कि मैंने सल्त बिन अब्दुल्लाह बिन नौफ़ल बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि उन्होंने अपने दायें हाथ की छंगुली में अन्गूठी पहन रखी है। मैंनें कहाः यह क्या? उन्होंने कहाः मैंने इब्ने अब्बास को देखा कि वह अपनी अन्गूठी को इसी प्रकार पहना करते थे और उस का नगीना बाहर की तरफ़ रखते थे। और इब्ने अब्बास के बारे में ख़याल किया जाता है कि वह कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अन्गूठी ऐसे ही पहना करते थे।

फ़ाइदा:— सहीह है, दायें हाथ की छंगुली में पहनी जाये।

बाब {घुंघरु वाले पाज़ेब पहनना।}

4230:— आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर का बयान है कि हमारी एक लौंडी जुबैर की एक लड़की को उमर बिन खत्ताब के घर ले गयी। उस के पाँव में घुँघरु थे, तो उमर ने उसे काट डाला और फ़रमायाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "हर घन्टी के साथ शैतान होता है"

4231:— बुनाना, यह अब्दुर्रहमान बिन हय्यान अन्सारी कीं लौंडी हैं जो बयान करती है कि मैं आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ के पास बैठी हुयी थी कि उन के पास एक लड़की भेजी गयी जो घुघंरु पहने हुये थी जिस में आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहाः इसे मेरे पास मत आओ या फिर इस के घुंघरु काट डालो। उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है "जिस घर में घन्टी हो उस में फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।"

फ़ाइदा:— ऊपर की दो रिवायतें ज़ओफ़ हैं, मगर मस्अला अपनी जगह पर दुरुस्त है कि घुघँरु पहनना मना है। चुनान्चे जानवरों की गर्दनों और पाँव में भी घन्टी नहीं होनी चाहिये।

बाब {दाँतों को सोने से बँधवाना जाइज़ है।}

4232:— अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा ने बयान किया कि कुलाब की लड़ाई में पर दादा अरफ़जा बिन

अस्अद की नाक कट गयी थी जो उन्होंने चाँदी की बनवाई मगर बदबू आने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुकम दिया तो सोने की बनवाई।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि महिला–पुरुष कोई भी ज़रुरत पड़ने पर सोने का इस्तेमाल उपचार के तौर पर कर सकता है।

4233:— यज़ीद बिन हारुन और अबू आ़सिम दोनों ने कहा कि हमें अबुल् अशहब ने अ़ब्दुरहमान बिन तुरफ़ा के वास्ता से, उन्होंने अ़रफ़जा बिन अस्अ़द से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। यज़ीद ने कहा कि मैंने अबुल अशहब से पूछाः क्या अ़ब्दुरहमान बिन तुरफ़ा ने अपने दादा अ़रफ़जा को पाया था? उन्होंने कहाः हाँ।

4234:— अ़ब्दुरहमान बिन तुरफ़ा ने अ़रफ़जा बिन अस्अ़द से, उन्होंने अपने पिता जी से बयान किया कि अ़रफ़जा (की नाक कट गयी थी) ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {महिलाओं का सोना पहनना कैसा है?}

4235:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास नजाशी के यहाँ के कुछ ज़ेवर आये जो उन्होंने आप को उपहार में भेजा था। उन में सोने की अन्गूठी भी थी जिसका नगीना हब्शी माडल था। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को लकड़ी से थामा, और आप उस से बचते थे , या आप ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा, फिर (अपनी नवासी) ज़ैनब की बेटी उमामा जो अबुल आ़स की बेटी थी उन्हें बुलाया और फ़रमायाः बेटी! इसे तुम पहन लो।

4236:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः जो शख़्स अपने महबूब (बेटे, बेटी, या बीवी आदि) को आग का छल्ला पहनाना पसन्द करता हो तो वह उसे सोने का छल्ला पहना दे। और जिसे पसन्द हो कि वह अपने महबूब के गले में आग का तौक़ डाले तो वह उसे सोने की हँसुली पहनाये। और जिसे पसन्द हो कि वह अपने महबूब को आग का कन्गन पहनाये तो वह उसे सोने का कन्गन पहना दे। लेकिन तुम लोग चाँदी को लो और उसे से दिल बहलाओ।

4237:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ की बहन (फ़ातिमा या ख़ौला) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ महिलाओं! क्या तुम्हें ज़ेवर बनाने के लिये चाँदी काफ़ी नहीं है? ख़बर्दार! जिस महिला ने सोने का ज़ेवर पहना और उस को दिखाया तो उस ज़ेवर से उस को दन्ड दिया जायेगा।

4238:— अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस महिला ने अपने गले में सोना पहना क़ियामत के दिन उसे उसी तरह की आग पहनाई जायेगी। और जिस महिला ने अपने कान में सोने की बाली पहनी तो क़ियामत के दिन उसे उसी तरह की आग की बाली पहनाई जायेगी।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें ज़ओफ़ हैं। लेकिन सहीह हदीसों से भी साबित है कि महिला सोना पहन सकती है, जाइज़ हैं। जहाँ नाजाइज़ कहा गया है वह हदीस या तो ज़ओफ़ है या फिर मन्सूख़।

4239:— मुआविया बिन अबू सुफ़यान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीतों के चमड़ों की गद्दी या ज़ीन पोश पर बैठने से मना फ़रमाया है। और सोना पहनने से भी मना किया है मगर यह कि मामूली हो।

फ़ाइदा:— सोने के बारे में तमाम रिवायतों को सामने रखें तो चन्द बातें सामने आती हैं (1) सोने का प्रयोग बेशक जाइज़ है लेकिन समाज में इस्तेमाल की जो सूरतें हैं उस पर ध्यान देने की ज़रुरत है। ज़ेवर बनाने का शौक़ तो है मगर उस की ज़कात निकालने की चिन्ता किसी को नहीं। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रह॰ ने छल्लेदार सोना पहनना महिलाओं के लिये नाजाइज़ कहा है, लेकिन उन का फ़तवा दुरुस्त नहीं।

❀ ❀ ❀

(34) फ़ितनों और जन्गों का बयान

बाब {फ़ितनों का बयान और उन के दलाइल।}

4240:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान (खुत्बा देने के लिये) खड़े हुये। आप ने अपने उस स्थान पर क़ियामत तक जो होने वाला था सब बयान किया और उस में से कुछ भी न छोड़ा। याद रखने वाले ने उन्हें याद रखा और भूलने वाले ने उन्हें भुला दिया। बिला शुब्हा मेरे उन साथियों (यानी सहाबा) को याद होगा और उन घटनाओं में से जब कोई पेश आती हैतो मुझे वह सब याद आ जाता है जैसे किसी को किसी के चले जने के बाद उस का चेहरा याद रहता है, फिर ज़माना के बाद जब उसे देखता है तो उसे पहचान लेता है।

4241:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस उम्मत में चार फ़ितने होंगे और इन के आने के बाद दुनिया फ़ना हो जायेगी।

4242:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में बैठे हुये थे कि आप ने फ़ितनों और आज़माइशों का ज़िक्र फ़रमाया, और विस्तार से बयान फ़रमाया यहाँ तक कि आप ने अहलास के फ़ितने का भी ज़िक्र किया तो कहने वाले ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अहलास का फ़ितना क्या है आप ने फ़रमायाः भागम भाग और लूट मार। फिर माल दौलत की रेल पेल का ज़माना आयेगा जो मेरे अहले बैत के एक व्यक्ति के पाँव तले से ज़ाहिर होगा। उस का दावा होगा कि वह मुझ से है हालाँकि वह मुझ से नहीं होगा। बिला शुब्हा मेरे वली और दोस्त केवल प्रहेज़गार लोग हैं। फिर लोग एक आदमी पर सुलह कर लेंगे जैसे कि सुरी हो पिसुली पर (यानी वह नामाकूल और अपात्र होगा जिस प्रकार कि सुरीन एक पिसुली पर नहीं टिक सकती) फिर एक फ़ितना उठेगा घटा टोप अँधेरा। हम उम्मत में से कोई नहीं बचेगा मगर उस से प्रभावित होकर रहेगा। पस जब समझा जायेगा कि यह फ़ितना समाप्त हो

गया, तो वह और बढ़ जायेगा। आदमी सुबह करेगा तो मोमिन होगा और शाम होगी तो काफ़िर हो जायेगा यहाँ तक कि लोग दो गुरुप में बट जायेंगे। एक गुरुप ईमान का जिस में कोई निफ़ाक़ न होगा। और दूसरा गुरुप निफ़ाक़ का, जिस में कोई ईमान न होगा.........और जब यह हालात पैदा हो जायें तो दज्जाल का इन्तिज़ार करो, आज आया कि कल।

4243:— हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि॰ ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जानता कि मेरे साथी वास्तव में भूल गये हैं या भूले बने हुये हैं। अल्लाह की क़सम! दुनिया समाप्त होने तक आने वाले फ़ितनों के लीडर जिन के साथ 300 या इस से ज़्यादा लोग होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप ने उन के नाम, उन के बापों के नाम, और उन के गोत्रों के नाम तक बता दिये हैं।

4244:— सुबैअ़ा बिन ख़ालिद ने बयान किया कि जिस ज़माना में (ख़ोज़िस्तान में) तुस्तर का क्षेत्र फ़त्ह हुआ तो मैं कूफ़ा आया। मैं यहाँ से ख़च्चर हासिल करना चाहता था। मैं मस्जिद में चला गया तो मैं ने वहाँ चन्द लोगों को देखा जिन का डील-डौल दर्मियाना था और (साथ ही) एक और आदमी भी बैठा हुआ था जिसे देख कर आप कह सकते थे कि यह हिजाज़ का आदमी है। मैंने पूछाः यह कौन है? इस पर लोगों ने मुझे बुरी नज़र से देखा और कहाः क्या तुम इन्हें नहीं जानते? यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं.......फिर हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान कियाकि दूसरे सहाबा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ख़ैर के बारे में पूछा करते थे, लेकिन मैं आप से बुराइयों के बारे में पूछा करता था (ताकि उन से बचने की कोशिश करूँ) तो उन लोगों ने उन्हें ग़ौर से देखा। हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहाः मैं अच्छी तरह समझता हूँ जो तुम्हें बुरा लगता है। मैंने कहा थाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह भलाई जो अल्लाह ने हमें अ़ता की है, क्या इस के बाद बुराई आयेगी? जैसा कि इस से पहले थाः आप ने फ़रमायाः हाँ। मैंने कहाः तो इस से कैसे बचा जाये? आप ने फ़रमायाः तलवार।

कुतैबा ने अपनी रिवायत में कहाः हुज़ैफ़ा ने कहाः क्या तलवार से कोई फ़ाइदा होगा? आप ने फ़रमायाः हाँ। मैंने पूछाः कैसे? आप ने फ़रमायाः सुलह होगी जिस में (अन्दर से) बुराई होगी, धोखा होगा। मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस के बाद क्या होगा? आप ने फ़रमायाः अगर ज़मीन में अल्लाह का कोई ख़लीफ़ा हो और वह तुम्हारी कमर पर मारे और तुम्हारा माल छीन ले तब भी उस की इताअ़त करना, वर्ना इस हाल में मर जाना कि तुम (जन्गल में) किसी पेड़ की जड़ चबा कर गुज़ारा करने वाले हो। मैंने कहाः फिर क्या होगा? आप ने फ़रमायाः दज्जाल ओयगा, उस के पास नहर होगी और आग। जो उस की आग में पड़ा उस का अज्र साबित हुआ और इस के गुनाह समाप्त हुये। और जो उस नहर में पड़ा उस के गुनाह साबित हुये और नेकी अकारत गयी। मैंने पूछाः फिर क्या होगा? आप ने फ़रमायाः फिर क़ियामत आ जायेगी।

4245:— ख़ालिद बिन ख़ालिद यशुकुरी ने भी इस हदीस को रिवायत किया इन की हदीस में यह भी है कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहाः ....तलवार के बाद (क्या होगा?) आप ने फ़रमायाः कुछ लोग बाक़ी बचेंगे जिन के दिलों में फ़साद होगा। ज़ाहिर में सुलह करेंगे मगर बातिन में धोखा होगा....फिर

पूरी हदीस बयान की।

उन्होंने कहा कि इमाम क़तादा रह॰ इस हदीस को अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में पेश आने वाले मुर्तद हो जाने के फ़ितना पर महमूल करते थे।

4246:— नस्र बिन आसिम लैसी ने बयान किया कि क़बीला बनी लैस के चन्द लोग ख़ालिद बिन ख़ालिद यशकुरी के यहाँ गये। उन्होंने पूछा: आप कौन लोग हैं? हम ने बताया कि क़बीला बनी लैस से हैं। हम लोग आप के पास आये हैं हुज़ैफ़ा रज़ि॰ की हदीस मालूम करने के लिये। तो उन्होंने वह हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हम (यानी बनी लैस क़बीला के लोग) अबू मूसा के साथ वापस लौटे जबकि कूफ़ा में जानवर मँहगे थे तो मैं और मेरे साथी ने अबू मूसा से इजाज़त चाही तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, तो मैं ने अपने साथी (यानी नस्र बिन आसिम) से कहा कि मैं मस्जिद जाता हूँ और जब मन्डी खुलेगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जब मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो देखा कि वहाँ एक हल्क़ा लगा हुआ है, गोया उन के सर कटे हुये हैं (यानी ख़ामोश हैं) एक आदमी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं भी उन में जा कर खड़ा हो गया तो एक आदमी ने मेरे बग़ल में आ कर पूछा: यह कौन है? उस ने कहा: क्या तुम बसरा के हो? मैंने कहा: हाँ। उस ने कहा: मैं जान गया हूँ, अगर तुम कूफ़ा के होते तो उस शख़्स के बारे में न पूछते.. ......

4247:— सुबैअ़ बिन ख़ालिद ने हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की। आप ने फ़रमाया: अगर तुम उन दिनों में कोई ख़लीफ़ा न पाओ तो भाग जाना यहाँ तक कि मर जाना। और अगर तुम्हारी मौत इस हाल में आये कि तुम किसी पेड़ की जड़ चबाने वाले हुये (तो यह बेहतर होगा) कहते है कि मैंने कहा: इस के बाद क्या होगा? आप ने फ़रमाया: अगर किसी ने चाहाकि उस की घोड़ी बच्चा जने तो वह बच्चा नहीं जन पायेगी कि क़ियामत आ जायेगी (यानी बहुत जल्द ऐसा होगा)

4248:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस शख़्स ने किसी इमाम से बैअ़त की हो और अपने हाथ का माल और दिल का फल (क़ौल-क़रार) उस को दे दिया हो तो फिर हिम्मत भर उस की इताअ़त करे। और अगर कोई दूसरा (अ़मीर बन कर) आये और उस से झगड़ा करे तो उस की गर्दन मार दो (अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं) मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से पूछा: क्या भला यह हदीस आप ने स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है? उन्होंने कहा: इस हदीस को मेरे कानों ने सुना और दिल ने याद रखा है। मैंने कहा: यह आप के चचा का लड़का मुआविया हमें हुक्म देता है कि यूँ करें? कहा: अल्लाह की इताअ़त में उस की इताअ़त करो और अल्लाह की नाफ़र्मानी में उस की नाफ़र्मानी करो।

4249:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हलाकत है अ़रबों के लिये, उस बुराई से जो क़रीब आयी चाहती है। कामियाब है वह जिस ने अपना हाथ रोके रखा।

4250:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द मुसलमानों को मदीना में घेर लिया जायेगा और उन की अ़मलदारी (हुकूमत) ज़्यादा से ज़्यादा (ख़ैबर के निकट) "सुलह" के स्थान तक होगी।

4251:— इमाम ज़हरी ने बयान किया कि "सुलह" ख़ैबर के निकट एक स्थान का नाम है।

4252:— सौबान रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने मेरे लिये ज़मीन को लपेटा और मैंने उस के पूरब और पश्चिम को देखा। और मेरी उम्मत का शासन वहाँ तक होगा जहाँ तक उसे मेरे लिये लपेट दिया गया है। और मुझे लाल और सफ़ेद (सोना-चाँदी) दो खज़ाने दिये गये हैं। और मैंने अपने रब से सवाल किया है कि मेरी उम्मत को सूखा काल से न हलाक करे और उन के ऊपर उन के अपने अन्दर के अ़लावा बाहर से कोई दुश्मन मुसल्लत न हो जो उन्हें हलाक कर के रख दे। तो मेरे रब ने मुझे फ़रमायाः ऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) मैं जब कोई फ़ैसला करता हूँ तो उसे रद्द नहीं किया जाता। मैं (तुम्हारी उम्मत के) उन लोगों को आ़म क़हत से हलाक़ नहीं करूँगा और उन के अपने अन्दर के अ़लावा बाहर से कोई दुश्मन नहीं मुसल्लत करूँगा जो उन्हें हलाक कर के रख दे अगर्चे तमाम मुल्क के लोग उन पर चढ़ दौड़े।

4253:— अबू मालिक अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाहपाक ने तुम्हें तीन बातों से अमान (सुरक्षा) दी है : (1) तुम्हारा नबी तुम्हारे हक़ में बद्दुआ़ नहीं करेगा (2) अहले बातिल, अहले हक़ पर ग़ालिब नहीं आ सकेंगे (किसी भी तौर पर) (3) तुम लोग गुमराही पर जमा नहीं होगे।

4254:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम की चक्की 35 या 36 या 37 तक चलेगी। फिर अगर हलाक हुये तो हलाक होने वालों की यही राह होगी। और अगर उन का दीन बाक़ी रहा तो सत्तर वर्ष तक बाक़ी रहेगा। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा कि मैंने पूछाः यह सत्तर साल और होंगे या पहले की मुद्दत भी इस में शामिल है? आप ने फ़रमायाः पहले की मुद्दत के साथ।

फ़ाइदाः— 35 वर्ष तो उस्मान रज़ि॰ की ख़िलाफ़त और उन की शहादत तक पूरी होती है। 37 वें वर्ष में सिफ़्फ़ीन की जन्ग होती है। इस के बाद बनी उमय्या का शासन 70 वर्ष तक क़ाइम रहा फिर बनी अ़ब्बास में शासन चला गया।

4225:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः समय निकट आ जायेगा (या सिकुड़ जायेगा) अ़िल्म कम हो जायेगा, फ़ितने उठ खड़े होंगे, बख़ीली डाल दी जायेगी और "हरज" बढ़ जायेगा। पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! हरज क्या चीज़ है? आप ने फ़रमायाः क़त्ल ही क़त्ल (मार-पीट, क़त्ल, लूट-मार, डकैती)

बाब {फ़ितने में सरगरम होना हराम है।}

4256:— मुस्लिम बिन अबू बकरा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द फ़ितना होगा, उस में लेटा हआ आदमी बैठने वाले से बेहतर होगा। बैठा हुआ खड़े हुये से बेहतर होगा। खड़ा हुआ चलने वाने से बेहतर होगा। चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। कहते हैं कि मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमायाः जिस के पास ऊँट हों वह अपने ऊँटों में चला जाये। और जिस के पास बकरियाँ हों वह अपनी बकरियों में चला जाये। और जिस के पास खेती हो वह अपनी ज़मीन में चला जाये। रावी ने कहा कि जिस के पास इन में से कुछ न हो? आप ने फ़रमायाः वह अपनी तलवार ले और उस की धार को पत्थर पर मार दे (यानी धार तोड़ दे) और जहाँ तक हो सके (फ़ितने में शरीक होने से) बचने की संभव कोशिश करे।

4257:— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस हदीस में बयान करते हैं, उन्होंने कहाः मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर कोई फ़ितना फैलाने वाला मेरे घर में दाख़िल हो जाये और मुझे क़त्ल करने के लिये अपना हाथ बढ़ाये तो? आप ने फ़रमायाः आदम के उस बेटे की तरह हो जाना......यज़ीद बिन ख़ालिद (हदीस के रावी) ने यह आयत पढ़ीः "अगर तू मेरे क़त्ल के लिये हाथ बढ़ाता है (तो ठीक है तू बढ़ा, लेकिन) मैं तो तेरी हत्या करने के लिये हाथ नहीं बढ़ाने का" (सूरः माइदा–28)

4258:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना.....फिर अबू बक्र वाली हदीस (ऊपर की हदीस न॰ 4256) का कुछ हिस्सा बयान किया, फिर कहाः उस में क़त्ल होने वाले सभी जहन्नम में जायेंगे.......इस रिवायत में है कि वाबिस ने पूछाः ऐ इब्ने मस्ऊद! यह कब होगा? उन्होंने फ़रमायाः यह हरज (यानी क़त्ल और फ़साद) के दिन होंगे, जब कोई आदमी अपने साथ बैठने वाले से भी अमन में न होगा। मैंने कहाः आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, अगर मेरी ज़िन्दगी ही में यह दिन आ गये तो? उन्होंने कहाः अपनी ज़बान को बन्द और अपने हाथ को रोके रखना, और अपने घर की कोई चटाई बन जाना।

फिर जब उस्मान रज़ि॰ की हत्या की गयी तो मेरे दिल में अचानक ख़याल आया (कि यह कही फ़ित्ना न हो) तो मैं सवार हुआ और सीधा दमिश्क़ पहुँचा और खुरैम बिन फ़ातिक़ रज़ि॰ से मिला। मैंने उन को सब कुछ बताया तो उन्होंने अल्लाह की क़सम खाई कि जिस के अ़लावा और कोई माबूद नहीं कि मैं ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही सुना है जैसे कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने मुझ से बयान किया था।

4259:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत आने से पहले फ़ितने फैलेंगे, वह इतने काले–सियाल होंगे जैसे अँधेरी रात (यानी हक़ और बातिल गड़मड़ हो जायेगा) आदमी सुब्ह को मोमिन होगा और शाम को काफ़िर, और शाम को मोमिन होगा, सुब्ह को काफ़िर। इन हालात में बैठा हुआ शख़्स खड़े होने वाले की निस्बत बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। इसलिसे अपनी कमानों को तोड़ देना, ताँतों को काट कर फेंक देना, अपनी तलवारों को पत्थरों पर मार देना (ताकि उस की धार

टूट जाये) और अगर कोई तुम पर चढ़ आये तो आदम (अ़लै०) के नेक बेटे की तरह हो जाना (जिस ने कहा था कि तू मेरी तरह क़त्ल के इरादे से हाथ बढ़ाता है, लेकिन मैं तो तेरी तरफ़ इस निंयत से हाथ नहीं बढ़ाने का–सूरः माइदा–28)

4260:— अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा ने बयान किया कि मैं इब्ने उमर का हाथ पकड़े मदीना शरीफ के एक रास्ते पर चल रहा था कि अचानक एक सर देखा जो किसी चीज़ पर लटकाया गया था। इब्ने उमर कहने लगेः इस की हत्या करने वाला बड़ा अभागा है। जब आगे बढ़ गये तो बोले......मेरा ख़्याल है कि यह बड़ा अभागा है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः जो आदमी मेरी उम्मत के किसी आदमी की हत्या करने के लिये चले तो उसे इसी प्रकार करना चाहिये यानी अपनी गर्दन बढ़ा दे। हत्या करने वाला जहन्न्म मैं है और मक़तूल जन्नत में।

4261:— अबू ज़र रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! मैंने कहाः मैं हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल! ......और हदीस बयान की। उस हदीस में बयान किया कि .... तेरा क्या हाल होगा जब लोग मरेंगे और घर एक गुलाम की क़ीमत में मिलेगा? इस से मुराद क़ब्र की जगह है। मैंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा बेहतर जानते हैं, या यह कहा कि जो अल्लाह और उस का रसूल मेरे लिये पसन्द फ़रमायें। आप ने फ़रमायाः सब्र करना। फिर मुझ से फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! मैंने कहाः मैं हाज़िर हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा क्या हाल होगा जब यह स्थान "अहजारे-ज़ैत" ख़ून में लत-पत हो जायेगा मैंने कहाः अल्लाह और उस का रसूल मेरे लिये जो पसन्द फ़रमायें। आप ने फ़रमायाः वहीं चले जाना जहाँ के तुम हो। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी तलवार लेकर अपने कन्धे पर न रख लूँ? आप ने फ़रमायाः तब तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे। मैंने कहाः आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फ़रमायाः अपने घर में पड़े रहना। मैंने कहाः अगर कोई मेरे घर में घुस आये तो? आप ने फ़रमायाः अगर तुम्हें शंका हो कि तलवार की चमक से तुम डर जाओगे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेना, वह तुम्हारे और अपने गुनाह को समेट लेगा।

4262:— अबू मूसा रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे आगे घटा टोप अँधेरी रात की तरह फ़ितने हैं। आदमी उन में सुब्ह को मोमिन, शाम को काफ़िर और शाम को मोमिन, सुब्ह को काफ़िर होगा। बैठा हुआ उन में खड़े होने वाले की निस्बत बेहतर होगा, और खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर होगा। और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। सहाबा ने कहाः तो आप हमें क्या फ़रमाते हैं? आप ने फ़रमायाः तुम अपने घरों के टाट बन जाना (यानी उन में किसी प्रकार से कोई हिस्सा न लेना)

4263:— मिक़दाद बिन अस्वद ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है किः बड़ा नसीबे का है वह इन्सान जो फ़ितनों से बचा रहा। और जो उन में फंस गया और फिर सब्र किया तो उस के क्या कहने।

बाब {ज़बान को (फ़ितनों में) क़ाबू में रखने का बयान।?

4264:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बहुत जल्द फ़ितना खड़ा होगा जो बहरा, अन्धा और गूँगा होगा। तो जिस ने उस में झाँका फ़ितना उस की तरफ़ पलट जायेगा और उस में ज़बान चलाना ऐसे होगा जैसे कि तलवार चलाना।

4265:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बहुत जल्द फ़ितना बरपा होगा जो समस्त अ़रब वालों को हलाक कर डालेगा, उस में क़त्ल होने वाले जहन्नम में जायेंगे। उस में ज़बान से बोलना तलवार चलाने से भी सख़्त होगा।

4266:— मुहम्मद बिन अ़ीसा ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल क़ुद्दूस ने ज़ियाद के तआ़रुफ़ (परिचय) में उन्हें "चाँदी के कानों वाला" कहा (उन के कान सफ़ेद थे)

बाब {फ़ितनों के ज़माना में जन्गल में निकल जाने की अनुमति।}

4267:— अ़ूब सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:बहुत जल्द ऐसे होगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल उस की बकरियाँ होंगी जिन का पीछा करते हुये वह पहाड़ों की चोटियों और बारिश की जगहों में फिरता रहेगा, अपने दीन की हिफ़ाज़त में फ़ितनों से भागना चाहता होगा।

बाब {फ़ितने में लड़ाई–झगड़ा–क़त्ल मना है।}

4268:— अहनफ़ बिन क़ैस कहते हैं कि (जुमल की जन्ग में) में निकलना चाहता था कि लड़ाई में हिस्सा लूँ कि इसी दर्मियान मुझे अबू बकरा रज़ि॰ मिले गये। उन्होंने कहा: वापस लौट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक–दूसरे के आमने–सामने होते हैं तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नमी बन जाते हैं। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो क़ातिल हुआ (इसलिये जहन्नमी ठहरा) मगर मक़्तूल का क्या दोष हुआ? आप ने फ़रमाया: उस ने भी अपने साथी को क़त्ल करने का इरादा कर रखा था।

4269:— अय्यूब ने हसन से अपनी सनद से संक्षिप्त में ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {किसी मोमिन को क़त्ल कर देना बहुत बड़ा पाप है।}

4270:— ख़ालिद बिन दहक़ान ने बयान किया कि हम लोग क़ुस्तुनतुनिया की लड़ाई में "जुलुक़या" के स्थान पर थे कि फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा आदमी आया जिसे लोग पहचानते थे, उस का नाम हानी बिन कुलसूम बिन शरीक कनानी था, उस ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबू ज़करिया को सलाम कहा और वह उन का पद और स्थान पहचानता था। ख़ालिद ने बयान किया कि फिर हमें अ़ब्दुल्लाह बिन अबू ज़करिया ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मैंने उम्मे दर्दा से सुना वह कहती थीं कि मैंने अबू दर्दा रज़ि॰ से सुना वह कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थे: हर गुनाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक माफ़ फ़रमा देगा, मगर जो शिर्क की हालत में मर गया, या जिस ने जान बूझ कर किसी मोमिन की हत्या की हो। यह सुन कर

हानी से उम्मे कुलसूम ने कहाः मैंने महमूद बिन रबीअ़ से सुना और वह उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत करते थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमायाः जिस ने किसी मोमिन की हत्या की और अकारण ज़ुल्म से क़त्ल किया तो अल्लाह पाक उस का नफ़ल और फ़र्ज़ कोई भी अ़मल क़ुबूल नहीं करेगा।

ख़ालिद ने मुझ से कहाः फिर इब्ने ज़करिया ने मुझे उम्मे दर्दा के वास्ता से अबू दर्दा रज़ि॰ से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन हमेशा बड़ा हल्का-फुल्का और अच्छे आमाल की तौफ़ीक़ में रहता है जब तक कि किसी हराम ख़ून को न करे। जब वह हराम ख़ून कर डालता है तो उस तौफ़ीक़ से महरुम हो जाता है। और हानी बिन कुलसूम ने महमूद बिन रबीअ़ के वास्ते से वह उबादा बिन सामित से- वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बिल्कुल इसी प्रकार रिवायत करते थे।

4271:— ख़ालिद बिन दहक़ान ने कहा कि मैंने यहया बिन यहया से "ए-त-ब-त बि-क़तलिही" का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि जो लोग फ़ितने में लड़ाई करते हैं और एक उन में का दूसरे को क़त्ल कर देता है और फिर समझता है कि वह हक़ और हिदायत पर था, और इस अ़मल पर अल्लाह पाक से माफ़ी भी नहीं माँगता।

इमाम अबू दावूद ने कहा.....उन्होंने और यह भी कहा कि इस का अर्थ है ख़ून बहाना और खूब बहाना।

4272:— ख़ारिजा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से इस जगह सुना था, वह कहते थे कि कि सूरः निसा की यह आयत (93) सूरः फ़ुर्क़ान की आयत (68) से छः माह बाद नाज़िल हुयी।

4273:— सअ़ीद बिन जुबैर ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से प्रश्न किया तो उन्होंने कहाः जब सूर फ़ुर्क़ान की आयत (न॰ 68) नाज़िल हुयी तो मक्का के मुश्रिकों ने कहा (अब हमारे ईमान लाने से क्या लाभ) हम ने नाहक़ जानें क़त्ल की हैं, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को पुकारा है, और बुराइयाँ की हैं.......तब अल्लाह पाक ने यह आयतः इल्ला मन् ता-ब वआ-म-न...... नाजिल किया। यह आयतें इन्हीं मुश्रिकों के हक़ में हैं।

(इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने) कहाः लेकिन सूरः निसा की आयत (93) ऐसे मुसलमान के लिये हैं जो इस्लाम के अहकाम जानता है, फिर भी किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल कर देता है, तो ऐसे की सज़ा जहन्नम है और इस की तौबा भी क़ुबूल नहीं होती.....सअ़ीद ने कहा कि मैंने (इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की) इस बात का ज़िक्र मुजाहिद से किया तो उन्होंने कहाः मगर जो शख़्स शर्मिन्दा हो जाये (तो उस की तौबा क़ुबूल होगी)

4274:— सअ़ीद बिन जुबैर ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से सूरः फ़ुर्क़ान की आयत (न॰68) की तफ़सीर में बयान किया कि यह आयत मुश्रिकों के बारे में है, और यह भी नाज़िल हुआः 'ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है तुम अल्लाह पाक की रहमत से निराश न हो (ज़ु-मर-53)

4275:— सअ़ीद बिन जुबैर, इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि सूरः निसा की आयत (न॰ 93) को किसी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया है।

4276:— अबू मिजलज़ ने बयान किया कि सूरः निसा की आयत 93 (में जो है) अगर अल्लाह पाक उसे माफ़ करना चाहे तो कर सकता है।

बाब **{फ़ितने में क़त्ल हो जाने पर मग़्फ़िरत की उम्मीद।}**

4277:— सअ़ीद बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आप ने फ़ितने के खड़े होने का ज़िक्र फ़रमाया उस की तबाही बयान की। हम ने कहा या लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर यह हमें पहुँच गया तो हलाक कर डालेगा? आप ने फ़रमायाः हर्गिज़ नहीं। इस में तुम्हें क़त्ल हो जाना ही काफ़ी होगा। सअ़ीद ने कहाः फिर मैंने अपने भाइयों को देखा कि वह क़त्लन हो गये।

4278:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत है, आख़िरत में उस पर दन्ड नहीं, उस का अ़ज़ाब दुनिया में फ़ितनों, ज़लज़लों और क़त्ल की सूरत में है।

(35) इमाम महदी का बयान

4279:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः यह दीन क़ाइम रहेगा यहाँ तक कि इस पर बारह (12) ख़लीफ़ा आयेंगे और उन सब पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ होगा। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कोई बात नहीं सुनी मगर मैं इस का मतलब समझ न सका तो अपने पिता से पूछा कि आप ने क्या फ़रमाया है? उन्होंने बतायाः वह सब कुरैश में से होंगे।

4280:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः यह दीन बारह ख़लीफ़ों तक ग़ालिब रहेगा। यह सुन कर लोगों ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। फिर आप ने आहिस्ता से एक बात कही। तो मैंने अपने वालिद से पूछाः पिता जी! आप ने क्या फ़रमाया है? उन्होंने बतायाः वह सब कुरैश में से होंगे।

4281:— अस्वद बिन सईद हमदानी ने जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से भी ऊपर की हदीस की तरह बयान किया....लेकिन इस में इतना इज़ाफ़ा है कि जब आप अपने घर वापस आये तो कुरैश के लोग आप के पास आये और पूछाः फिर क्या होगा? आप ने फ़रमायाः क़त्ल, तबाही, बर्बादी, लूट मार।

4282:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर दुनिया (के समाप्त होने में) एक दिन भी बाक़ी हुआ........ज़ाइदा बिन कुदामा ने अपनी रिवायत में कहा....अल्लाह पाक उस दिन को लंबा कर देगा......फिर सभी रिवायत करने वाले मुत्तफ़िक़ हैं.....यहाँ तक कि अल्लाह पाक उस में से एक आदमी उठाएगा जो मुझ से होगा, या मेरे अहले बैत में से होगा। उस का नाम मेरे नाम जैसा और उस केपिता का नाम मेरे पिता के नाम जैसा होगा।

फ़ित्र बिन ख़लीफ़ा की रिवायत में है कि वह जमीन को इन्साफ़ से भर देगा जैसे कि जुल्म और ज़्यादती से भरी हुयी होगी।

सुफ़यान सौरी की रिवायत में है कि यह दुनिया उस समय तक फ़ना नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक व्यक्ति अरब का हाकिम न बन जाये। उस का नाम मेरे नाम के मुताबिक़ होगा।

4283:— अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर उस ज़माना से एक दिन भी बाक़ी बचा तो अल्लाह पाक मेरे अहले बैत में से एक आदमी को उठाएगा जो उसे न्याय से भर देगा जैसे कि जुल्म से भरी होगी।

4284:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया किमैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि महदी मेरी इतरत, यानी फ़ातिमा की औलाद से होगा।

4285:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवाय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महदी मुझ से होगा (यानी मेरी नस्ल से) उस की पेशानी कुशादा और नाक ऊँची होगी, ज़मीन को न्याय से भर देगा जैसे कि जुल्म आर ज़्यादती से भरी होगी। वह सात वर्ष तक शासन करेगा।

4286:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक ख़लीफ़ा की मौत पर इख़्तिलाफ़ होगा। फिर मदीना वालों में से उस आदमी भागता हुआ मक्का पहुँचेगा। मक्का वाले उसके पास आयेंगे और उसे इमामत के लिये खड़ा करेंगे, हालाँकि वह इस काम को नापसन्द करता होगा, और वह उस के साथ हजरे-अस्वद और मुक़ामे-इब्राहीम के दर्मियान बैअ़त करेंगे। फिर शाम वालों की तरफ़ से उसके ख़िलाफ़ एक लश्कर भेजा जायेगा जो मक्का और मदीना के दर्मियान बैदा के स्थान पर ज़मीन में धँसा दिया जायेगा। लोग जब यह हाल देखेंगे तो शाम के अबदाल (नेक लोग) और इराक़ वालों की जमाअ़तें उस के पास आयेंगी और बैअ़त करेंगी। फिर कुरैश से एक व्यक्ति उठेगा जिस का ननिहाल बनी कल्ब क़बीला में होगा, फिर वह (कुरैशी-कल्बी) महदी के हाथ पर बैअ़त करने वालों के मुक़ाबला में एक लश्कर भेजेगा तो वह महदी वाले उन पर ग़ालिब आ जायेंगे। चुनान्चे बनी कल्ब का यही लश्कर होगा (जो मग़लूब होगा) और ख़सारा (घाटा) होगा उस के लिये जो कल्ब की ग़नीमत में हाज़िर न होगा। महदी माल तक़्सीम करेगा और लोगों में उन के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत को जारी करेगा और इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर टिका देगा। और फिर वह सात साल तक रहेगा। इस के बाद उस का देहान्त हो जायेगा और मुसलमान उस का ज़माना पढ़ेंगे।

इमाम अबू दावूद ने कहा (कि कुछ रिवायत करने वालों ने हिशाम से "नौ वर्ष" और कुछ ने "सात वर्ष" बयान किया है।

4287:— इमाम क़तादा ने यह हदीस रिवायत की और नौ वर्ष मुद्दत बताई। इमाम अबू दावूद ने

कहा कि मआज़ के अलावा दूसरे रावी हिशाम से नौ साल रिवायत करते हैं।

4288:— अब्दुल्लाह बिन हारिस ने उम्मे सलमा (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी) से यह हदीस रिवायत की है.........और मुआज़ की हदीस (4286) कामिल है।

4289:— उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मीन में धंसा दिये जाने वाले लश्कर का किस्स बयान किया........इस में है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस आदमी का क्या हाल होगा जिसे मजबूरन उन के साथ निकलना पड़ा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: वह ज़मीन में धंसा तो दिया जायेगा, मगर क़ियामत के दिन अपनी निय्यत के मुताबिक उठाया जायेगा।

4290:— अली रज़ि॰ ने बयान किया.......और इस दौरान उन्होंने अपने बेटे हसन की तरफ़ देखा.. ...फ़रमाया कि मेरा यह बेटा सय्यद (सर्दार) है जैसे कि इस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है ....और इस की नस्ल से एक व्यक्ति होगा जो तुम्हारे नबी का हमनाम होगा, वह अख़लाक़ में उन ही के मुशाबह होगा, मगर शक्ल में नहीं। फिर क़िस्सा बयान किया........ वह इन्साफ़ से ज़मीन को भर देगा।

अली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मा वरा उन्नहर से एक आदमी निकलेगा जिसे हारिस बिन हिरास कहा जाता होगा। उस के आगे एक शख़्स होगा जिसे मन्सूर बोलते होंगे, वह मुहम्मद की आल को स्थान देगा जैसे कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्थान दिया था। हर मुसलमान पर उस की सहायता या फ़रमाया उस की बात को कुबूल करना वाजिब होगा

❀ ❀ ❀

(36) उन अहम जन्गों का बयान जो उम्मत में होने वाली हैं

बाब {सदी (शताब्दी) के बारे मेंफ़रमान।}

4291:— अबू अल्क़मा ने कहा कि मेरे यक़ीन के मुताबिक़ अबू हुरैरा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक हर सौ साल के शुरु में या अन्त में इस उम्मत के अन्दर एक आदमी पैदा करता रहेगा जो उस के दीन को नए सिरे से क़ाइम कर के मज़बूत करता रहेगा।

बाब {रुमी लोगों से जन्ग करने का बयान।}

4292:— हस्सान बिन अतिय्या ने बयान किया कि इमाम मकहूल और इब्ने अबू ज़करिया, ख़ालिद बिन मादान की तरफ़ रवाना हुये और मैं भी उन के साथ चल पड़ा, तो ख़ालिद ने जुबैर बिन नुफ़ैर से एक हदीस रिवायत की जो हुदना (सुलह–समझौता) के बारे में थी। फिर जुबैर ने कहाः चलें ज़ी मुख़बिर रज़ि॰ के पास चलते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। हम उन के पास पहुँचे तो जुबैर ने उन से हुदना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "तुम लोग रुम वालों से समझौता करोगे, और फिर उन के साथ मिल कर अपने पीछे एक दुश्मन से जन्ग करोगे, उन पर ग़ालिब रहोगे, माल ग़नीमत पाओगे और सलामत रहोगे। फिर वहाँ से वापस लौटोगे। और एक मैदान में उतरोगे जिस में टीले भी होंगे तो ओसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलन्द करेगा और कहेगाः सलीब की जीत हो गयी। तो मुसलमानों में से एक आदमी को गुस्सा आयेगा और वह उस की

हत्या कर देगा। तो उस मौक़ा पर रुमी लोग धोखा करेंगे और जन्ग के लिये जमा हो जोयंगे।

4293:— हस्सान बिन अ़तिय्या ने यह हदीस बयान की और यह भी कहा "मुसलमान जल्दी से अपने हथियार की तरफ़ उठेंगे और उन से जन्ग करेंगे, और अल्लाह पाक उन को शहादत नसीब करेगा।"

बाब {उन जन्गों की अहम पहचान।}

4294:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी का पेश ख़ेमा होगी। और मदीना की बेआबादी (उजाड़) के नतीजा में बड़ी जन्ग होगी और उस जन्ग का नतीजा कुस्तुनतुनिया की फ़त्ह होगी। फिर इस की फ़त्ह के बाद दज्जाल आयेगा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस हदीस के बयान करने वाले (मआ़ज़ रज़ि॰) की रान या कन्धे पर मारा, फिर फ़रमायाः यह घटना इस तरह हक़ है जैसे कि तुम यहाँ हो या बैठे हुये हो। मुराद मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ थे।

बाब {जन्गों के मुसलसल जारी रहने का बयान।}

4295:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्गे–अ़ज़ीम, फ़त्ह कुस्तुनतुनिया और दज्जाल का आना सात महीनों के भीतर ही सब कुछ होगा।

4296:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ि॰ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्गे अ़ज़ीम, और शहर (कुस्तुनतुनिया) की फ़त्ह छः साल के दर्मियान होगी और मसीह दज्जाल का निकलना सातवें वर्ष में होगा।

बाब {इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों के यकजुट होने का बयान।}

4297:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐसा समय आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे ख़िलाफ़ एक–दूसरे को बुलायेंगी जैसा कि खाने वाले अपने दस्तर ख़ान पर एक–दूसरे को बुलाते हैं। तो कहने वाले ने कहाः क्या हमारी उन दिनों संख्या की कमी की वजह से होगा? आप ने फ़रमायाः (नहीं) बल्कि तुम उन दिनों बहुत अधिक संख्या में होंगे, लेकिन आग की तरह होगे जिस प्रकार सैलाब का झाग होता है। अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा डर और ख़ौफ़ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में "वहन" डाल देगा। पूछने वाले ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! वहन से क्या मुराद है? आप ने फ़रमायाः दुनिया की मुहब्बत और मौत से नफ़रत।

बाब {उन जन्गों में मुसलमानों का केन्द्र।}

4298:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्ग के मौक़ा पर मुसलमानों का ख़ेमा (केन्द्र) दमिश्क़ नामक शहर की जानिब में स्थित स्थान

"गूता" होगा। और दमिश्क शाम के बेहतरीन नगरों में से होगा।

4299:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द मुसलमान मदीने में घेर लिये जायेंगे यहाँ तक कि उन की सब से दूर की छावनी उस समय सलाह मुक़ाम पर होगी।

4300:— इमाम ज़हरी रह॰ से रिवायत है कि "सलाह" का स्थान ख़ैबर के निकट है।

बाब {फ़ितनों को समाप्त करने की एक तदबीर।}

4301:— यहया बिन जाबिर ताई से रिवायत है जबकि हारुन बिन अब्दुल्लाह की सनद में..... यहया, औफ़ बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक इस उम्मत में दो तलवारें हर्गिज़ जमा नहीं फ़रमायेगा कि एक तलवार तो उन के आपस में चले और दूसरी उन का दुश्मन चलाए।

बाब {तुर्कों और हब्शा के काफ़िरों से बिला वजह छेड़—छाड़ करना मना है।}

4302:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हबशियों से छेड़छाड़ न करो जब तक कि वह तुम्हारे पीछे न पड़े। और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब तक कि वह तुम्हें छोड़े रहे।

बाब {तुर्क काफ़िरों के साथ जन्ग का बयान।}

4303:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफ़रमायाः क़ियामत उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि तुम (यानी मुसलमान) एक कौम से जन्ग न कर लो जिन के जूते बालों के होंगे। और उस समय तक क़ियामत नहीं आयेगी जब तक कि तुम एक कौम से जन्ग न कर लो जिन की आँखें छोटी और नाक चपटी होंगी, उन के चेहरे ढाल की तरह होंगे जिन पर चमड़ा आदि लगा होता है।

4305:— अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मेंफ़रमायाः एक कौम तुम से जन्ग करेगी जिन की आँखें छोटी-छोटी होंगी, यानी तुर्क। फ़रमायाः तुम उन्हें तीन बार ढकेलोगे यहाँ तक कि अरब जज़ीरा के कनारे पर पहुँचा दोगे.........।

4306:— मुस्लिम बिन अबू बकरा ने बयान किया कि मैं ने अपने वालिद से सुना वह बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी उम्मत के कुछ लोग निचले क्षेत्र की ज़मीन में उतरेंगे जिसे बसरा कहते होंगे, जो दजला नदी के कनारे आबाद होगा और उस पर एक पुल होगा। उस की आबादी बहुत अधिक होगी और यह मुहाजिरों का शहर होगा।

इब्ने यहया ने बयान किया कि अबू मामर ने कहाः यह मुसलमानों का नगर होगा। जब अन्तिम ज़माना होगा तोबर्ना कन्तूरा (तुर्क लोग यह उन के दादा का नाम है) आयेंगे, उन के चेहरे चौड़े और आँखें छोटी-छोटी होंगी, यहाँ तक कि यह उस दरिया के कनारे उतरेंगे तो उस नगर के

लोग तीन जमाअ़तों में बट जायेंगे एक गरोह बैलों की दुम पकड़ लेगा और जन्गलों में निकल जायेगा और इस तरह हलाक होंगे। दूसरा गरोह अपने लिये अमान चाहेगा और वह काफ़िर हो जायेगा। तीसरा गरोह वह होगा जो अपनी औलाद (की पर्वा न करते हुये उन्हें) अपनी पीठों के पीछे छोड़ कर उन के साथ लड़ाई करेगा, और यही लोग शहीदे-आज़म होंगे।

फ़ाइदा:— सन 656 हि॰ में ख़लीफ़ा मोतसिम बिल्लाह के ज़माना में यह घटना घट चुकी है।

4307:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया था: ऐ अनस! लोग कई शहर आबाद करेंगे, उन में से एक शहर का नाम बसरा या बुसैरा होगा। अगर तुम उस के पास से गुज़रो, या उस में दाख़िल हो तो वहाँ की सिबाख़ (रन्गीन ज़मीन) और "कल्ला" से दूर रहना, उस के बाज़ारों, उस के मालदारों के दर्वाज़ों से भी बचना, उस के आस-पास को इख़्तियार करना। उस ज़मीन में पत्थरों की वर्षा होगी और ज़लज़ले आयेंगे, धंसा दी जायेगी। ऐसे लोग भी होंगे जो (शाम को सलामत होंगे मगर) सुब्ह करेंगे तो बन्दर और सुअर बन चुके होंगे।

4308:— इब्राहीम बिन स्वालेह बिन दिरहम कहते हैं कि मैंने अपने पिता से सुना वह कहते थे कि हम लोग हज्ज के लिये रवाना हुये तो एक आदमी ने पूछा: तुम्हारे बग़ल में उबुल्ला ना की कोई बस्ती है? हम ने कहा: हाँ। उस ने कहा: तुम में से कौन मेरा ज़ामिन बनता है कि वह मेरे लिये अ़श्शार की मस्जिद में दो या चार रक्अ़तें पढ़े और कहे: यह अबू हुरैरा रज़ि॰ के लिये हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "अल्लाह पाक क़ियामत के दिन अ़श्शार की मस्जिद से शहीदों को उठाएगा। बद्र के शहीदों के साथ उन लोगों के अ़लावा और कोई नहीं उठेगा। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह मस्जिद दरिया के कनारे पर है।

4309:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हबशा के काफ़िर जब तक तुम से छेड़छाड़ न करें तुम भी उन्हें छोड़े रहो। बिला शुब्हा काबा का ख़ज़ाना निकालने वाला एक हब्शी ही होगा जिस की पिंडलियाँ छोटी-छोटी होंगी।

बाब {क़ियामत की निशानियाँ}

4310:— इमाम अबू ज़ुरआ़ ने बयान किया कि एक जमाअ़त मदीना शरीफ़ मर्वान (बिन हकम) के पास गयी। उन्होंने उन से क़ियामत की निशानियों के बारे में सुना कि सब से पहले दज्जाल निकलेगा। कहते हैं कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ के पास हाज़िर हुआ और उन्हें यह बताया तो अ़ब्दुल्लाह ने कहा: उस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना है आप फ़रमाते थे: उन निशानियों में सब से पहले यह है कि सूरज पश्चिम की ओर से निकलेगा, या चाश्त के समय "जानवर" प्रकट होगा। जो भी पहले हुआ, दूसरा उस के बाद हो जायेगा।

अ़ब्दुल्लाह ने कहा: और उन के मुताला में पुरानी किताबें रहती थीं, (उन्होंने कहा) मेरा ख़्याल है कि उन में पहली निशानी सूरज का पश्चिम की तरफ़ से निकलना है।

4311:— हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कमरे के साये में बैठे बातें कर रहे थे कि हम ने क़ियामत का ज़िक्र किया और हमारी आवाज़ें बुलन्द हुयीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत उस समय तक हर्गिज़ नहीं आयेगी जब तक कि उस से पहले यह निशानियाँ प्रकट न हों (1) सूरज का पश्चिम से निकलना (2) जानवर का निकलना (3) याजूज-माजूज का ज़ाहिर होना (4) दज्जाल का निकलना (5) अ़ीसा बिन म्रयम का आना (6) धुवाँ (7) तीन तरफ़ ज़मीन का धँसाया जाना। एक पश्चिम में, दूसरे पूरब में, तीसरे अ़रब दीप में। (8) और इन के अन्त में यमन से, यानी अ़दन के बीच से एक आग निकलेगी जो लोगों को महशर में चला ले जायेगा (और शाम के किसी क्षेत्र में जमा कर देगी)

4312:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि सूरज पश्चित की तरफ़ से न निकले।चुनान्चे जब यह निकलेगा और लोग उसे देखेंगे तो ज़मीन पर बसने वाले सब ईमान ले आयेंगे। और यह वही समय होगा (जिस का सूरः अन्आ़म आयत 158 में ज़िक्र है) "किसी जान को उस का ईमान, अगर उस ने इस से पहले ईमान न कुबूल किया हो, या ईमान के साथ अच्छे कार्य न किये हुये....."

बाब {फ़ुरात नदी से ख़ज़ाना ज़ाहिर होने का बयान।}

4313:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द फ़ुरात नदी सोने का एक ख़ज़ाना ज़ाहिर करेगा। तो जो वहाँ मौजूद हो उस में से कुछ न ले।

4314:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, मगर इस रिवायत में इतना और है कि : "सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर करेगा।"

बाब {दज्जाल का ज़ाहिर होना।}

4315:— रिबअ़ीबिन हिराश ने बयान किया कि हुज़ैफ़ा और अबू मस्ऊद रज़ि॰ दोनों इकट्ठा हुये तो हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया किः मैं दज्जाल और उस के साथ जो कुछ होगा उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उस के साथ पानी का समुन्दर और आग का दरिया होगा। जिसे तुम आग समझते होगे वह पानी होगा, और जिसे तुम पानी समझते होगे वह आग होगा। चुनान्चे तुम में से जो यह पाये और पानी पीना चाहे तो उस से पिये जिसे वह आग समझता होगा, क्योंकि वह उस आग को पानी ही पायेगा।

4316:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो भी कोई नबी भेजा गया है उस ने अपनी उम्मत को काने, झूठे दज्जाल से डराया है। आगाह! वह काना होगा और तुम्हारा रब वैसा नहीं है। बेशक दज्जाल की आँखों के दर्मियान "काफ़िर" लिखा होगा।

4317:— मुहम्मद बिन मुसन्ना ने मुहम्मद बिन जाफ़र के वास्ते से रिवायत किया कि (यूँ लिखा होगा) काफ़, फ़ा, रा।

4318:— अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस हदीस में बयान किया कि ....उसे हर मुस्लिम पढ़ सकेगा।

4319:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स दज्जाल के बोर में सुने तो उस से दूर रहे। अल्लाह की क़सम! आदमी उस के पास आयेगा जबकि वह समझता होगा कि वह ईमान वाला है, मगर इस शक व शुब्हे की बिना पर जो उस की तरफ़ से उठाये जायेंगे उस की आज्ञा कर बैठेगा।

4320:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बिला शुब्हा मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में (बहुत कुछ) बताया है (इस के बावजूद) मुझे डर है कहीं तुम ने उसे न समझा हो (याद रखना) मसीह दज्जाल ठेंगने क़द वाला, बाहर को निकली टेढ़ी पिंडली वाला, बहुत घुंघराले बालों वाला होगा, एक आँख का काना होगा जो कि मिटी हुयी होगी, न उभरी हुयी होगी और न ही गहरी होगी, फिर भी तुम्हें कोई शुब्हा हो तो याद रखना कि तुम्हारा रब......... नहीं है।

4321:— नवास बिन समआ़न किलाबी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़रमायाः अगर वह मेरी मौजूदगी में तुम में ज़ाहिर हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ़ से उस का मुक़ाबला करूँगा। अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो फिर हर शख़्स अपना बचाव करेगा। हर मुसलमान के लिये अल्लाह पाक ही मेरा ख़लीफ़ा है। चुनान्चे तुम में से जो कोई उसे पाये तो उस पर सूरः कहफ़ की शुरु की आयतें पढ़ें, यही तुम्हारे लिये उस के फ़ितने से बचाने का ज़रीआ़ होगा। हम ने पूछाः वह ज़मीन पर कितने समय तक रहेगा? आप ने फ़रमायाः चालीस दिन। (उन में से) एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर, और एक दिन सप्ताह के बराबर, और बाक़ी दिन तुम्हारे दिनों के बराबर होंगे। हम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह दिन जो एक साल के बराबर होगा क्या हमें उस में एक दिन-रात की नमाज़ें काफ़ी होंगी? आप ने फ़रमायाः नहीं, उस के लिये तुम लोग अन्दाज़ा कर लेना। फिर दमिश्क के पूरब में सफ़ेद मनारे के पास ईसा अ़लै॰ उतरेंगे, पस वह उसे लुद्द दर्वाज़े के पास पायेंगे और उस का काम तमाम कर देंगे।

4322:— अबू उमामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और नमाज़ों का भी ज़िक्र ऊपर की हदीस की तरह किया।

4323:— अबू दर्दा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस ने सूरः कहफ़ की शुरु की दस आयतें याद कर लीं वह दज्जाल केफ़ितने से सुरक्षित रहेगा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हिशाम ने भी क़तादा से इसी प्रकार रिवायत किया है, मगर

उन्होंने कहा कि "जिस ने सूरः कहफ़ की अन्तिम आयतें याद कीं।" इमाम शोबा ने भी क़तादा के वास्ते से "सूरः कहफ़ की अन्तिम आयतों" का ज़िक्र किया है।

4324:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे और ओ़सा के दर्मियान कोई नबी नहीं है, और वह उतरने वाले हैं। जब तुम उन्हें देखोगे तो पहचान जाओगे, क्योंकि बीच के क़द काठी वाले हैं, उन का रन्ग लाल और सफ़ेद होगा, हल्के पीले रन्ग के कपड़ों में होंगे, ऐसा महसूस होगा जैसे उन के सर से पानी टपक रहा हो, हालाँकि नमी (पानी) लगा नहीं होगा। वह लोगों से इस्लाम के लिये लड़ाई लड़ेंगे, सलीब तोड़ देंगे, सुअर को क़त्ल करेंगे, टेक्स समाप्त कर देंगे। अल्लाह पाक उन के ज़मानी में इस्लाम के अ़लावा दूसरे समस्त धर्मों को समाप्त कर देगा। वह मसीह दज्जाल को हलाक करेंगे। ओ़सा अलै॰ ज़मीन में चालीस साल रहेंगे। फिर उन का देहान्त हो जायेगा और मुसलमान उन की जनाज़ा पढ़ेंगे।

बाब {जस्सासा का बयान।}

4325:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ने में देर कर दी, फिर आये और फ़रमायाः मुझे तमीम दारी की बातों ने रोक लिया था। वह बयान कर रहे थे कि समुन्दर के जज़ीरों में से एक जज़ीरा में एक आदमी था, और एक महिला को देखा जो अपने बाल खींच रही थी। पूछा कि तू कौन है? उस ने कहाः मैं जस्सासा हूँ, इस महल में चले आओ। मैं वहाँ गया तो उस में एक आदमी को देखा/जो अपने बाल खींच रहा था, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऊपर-नीचे उछल रहा था। मैंने कहाः तुम कौन हो? उस ने कहाः मैं दज्जाल हूँ, क्या अ़रब वालों का नबी आ गया है? मैंने कहाः हाँ। उस ने कहाः क्या अ़रब वालों ने उस की आज्ञा की या अवज्ञा? मैंने कहाः आज्ञा की है। उस ने कहाः यह उन के लिये बेहतर है।

4326:— फ़ातिमा बिन क़ैस ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से एलान करने वाले को एलान करते सुना कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। यह सुन कर मैं भी चली आयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो मिंबर पर तशरीफ़ लाये उस समय आप हँस रहे थे। आप ने फ़रमायाः हर आदमी अपने स्थान पर बैठा रहे। फिर फ़रमायाः क्या जानते हो कि मैं ने तुम्हें क्यों जमा किया है? उन्होंने कहाः अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप नेफ़रमायाः मैंने तुम्हें डराने या खुशख़बरी सुनाने के लिये जमा नहीं किया है। मैंने तुम्हें इस लिये जमा किया है कि तमीम दारी ओ़साई था, मेरे पास आ कर बैअ़त की और इस्लाम ले आया, फिर उस ने एक बात बयान की जो मेरी बात की ताईद में है जो मैंने दज्जाल के बारे में तुम्हें बताया है।

उस ने मुझसे बयान किया कि यह एक जहाज़ में सवार हुआ, उस के साथ कर्बाला लख्म और जुज़ाम के तीस आदमी थे। जहाज़ को तूफ़ान ने घेर लिया और महीना भर परेशान किये रहा.. ....फिर सूरज डूबने के समय एक जज़ीरा के पास पहुँचे और एक छोटी कश्ती में सवार होकर

जज़ीरे में आ उतरे।वहाँ एक जानवर मिला जिस की दुम लंबी थी और शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। उन्होंने कहा: कमबख़्त! तू कौन है? उस ने कहा: मैं जस्सासा हूँ। इस गिरजे में एक आदमी है उस के पास जाओ, वह तुम लोगों से मिलने को बेताब है। जब उस ने हमारे सामने आदमी का नाम लिया तो हम डर गये कि यह कहीं शैतान न हो। चुनान्चे हम जल्दी से चले और उस के गिरजे में दाख़िल हुये तो वहाँ एक बहुत बड़ा इन्सान देखा, उतना बड़ा इन्सान हम ने कभी नहीं देखा था। जिसे बड़ी सख़्ती से बाँधा गया था और उस के हाथ गर्दन के साथ बँधे हुये थे.......फिर पूरी हदीस बयान की...... उस ने तमीम दारी से (शाम के) खजूर के बाग़ों, बैसान, ज़ुग़र के चश्मे और उम्मी नबी के बारे में पूछा......और कहा कि मैं ही मसीह (दज्जाल) हूँ। बहुत जल्द मुझे निकलने की अनुमति मिल जायेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: दज्जाल, शाम या यमन के समुन्दर में है। नहीं, बल्कि पूरब के क्षेत्र में है, दो बार फ़रमाया: .... आप ने अपने हाथ से पूरब की तरफ़ इशारा फ़रमाया। फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने कहा कि मैंने यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से याद की है......और बाक़ी हदीस बयान की।

4327:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फिर मिंबर पर तशरीफ़ लाये और आप जुमा के अ़लावा मिंबर पर न आते थे, मगर उस दिन मिंबर पर आये.......फिर यह क़िस्सा बयान किया। अबू दावूद ने कहा कि इब्ने सुदरान बसरा के रहने वाले हैं, जो इब्ने मिस्वर के साथ समुन्दर में डूब गये थे और उन के अ़लावा और कोई सुरक्षित नहीं रहा था।

4328:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन मिंबर पर खड़े होकर फ़रमाया: कुछ लोग समुन्दर में जा रहे थे कि उन का खाना समाप्त हो गया तो उन्हें एक टापू दिखाई दिया। वह रोटी की तलाश में उस में चले गये तो जस्सासा से उन की भेंटे हो गयी।

वलीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने अबू सलमा से पूछा: जस्सासा क्या है? उन्होंने कहा: एक महिला है जो अपने सर के बाल खींच रही थी। उस ने कहा.......उस महल में......और हदीस बयान की। और उस महल वाले आदमी ने उन से बैसान के खजूरों के बाग़ों और ज़ुग़र के पानी के चश्मों के बारे में मालूम किया। उन्होंने कहा: वही मसीह (दज्जाल) है। इब्ने अबू सलमा ने मुझ से कहा कि इस हदीस में एक बात है जो मुझे याद नहीं। कहते हैं कि जाबिर रज़ि॰ ने गवाही दी कि यही इब्ने साइद है। मैंने कहा: वह तो मर चुका है। उन्होंने कहा: अगर्चे मर गया है। मैंने कहा: उस ने इस्लाम स्वीकार किया था। कहा: अगर्चे कुबूल किया था। मैंने कहा: वह तो मदीना में दाख़िल हुआ था। कहा: अगर्चे मदीना में दाख़िल हुआ था।

बाब {इब्ने साइद का बयान।}

4329:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने चन्द सहाबा के साथ इब्ने साइद के पास से गुज़रे उन में उमर बिन ख़त्ताब भी था और (वह

इब्ने साइद मदीना में) बनी मग़ाला के टीलों के पास लड़कों के साथ खेल रहा था, और नौ उम्र का लड़का था। उसे पता न चला कि इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की कमर पर हाथ मारा और उस से कहाः क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का सन्देष्टा हूँ? उस ने आप की तरफ़ देखा और उत्तर दियाः मैं गवाही दूता हूँ कि आप उम्मी लोगों (अ़रब) के रसूल हैं। फिर उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इस पर आप ने फ़रमायाः मैं अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान रखता हूँ। फिर आप ने उस से पूछाः तेरे पास क्या आता है? उस ने कहाः मेरे पास सच्चा आता है और झूठा भी। आप ने फ़रमायाः तुझ पर मामला गडमड कर दिया गया है। फिर आप ने फ़रमायाः मैंने तेरे लिये एक बात दिल में छुपाई है। आप ने अपने दिल में ये आयत छुपाई थी "यौ–म तातिस्समाउ बिदुख़ा निम्मुबीन्। इब्ने सय्याद ने कहाः वह "अद्दुख़" है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दफ़ा हो जा, तू अपनी हैसियत से हर्गिज़ आगे नहीं बढ़ सकता। उमर रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दें तो मैं इस की गर्दन मार दूँ। आप ने फ़रमायाः अगर यह वही हुआ तो तुम इस पर क़ाबू नहीं पा सकते, यानी दज्जाल.......और अगर यह दज्जाल नहीं है तो फिर इस को मार डालने में कोई फ़ाइदा नहीं।

4330:— इब्ने उमर रज़ि॰ कहा करते थे कि अल्लाह की क़सम! इस में कोई शक नहीं कि मसीह दज्जाल यही इब्ने सय्याद ही है।

4331:— मुहम्मद बिन मुनकदीर ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ को देखा कि वह अल्लाह की क़सम उठा कर कहते थे कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल है। मैंने कहाः आप अल्लाह की क़सम खा कर कहते हैं? उन्होंने कहाः मैंने उमर रज़ि॰ से सुना है कि वह इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने क़सम खाते थे मगर आप ने इस का इन्कार नहीं फ़रमाया।

4332:— जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने हर्रा वाले दिन इब्ने सय्याद को गुम पाया।

फ़ाइदा:— सन 63 हि॰ में यज़ीद बिन मुआ़विया ने मदीना पर चढ़ाई की थी, उसी को "हर्रा का दिन" के नाम से जाना जाता है।

4333:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस समय तक क़ियामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस (30) दज्जाल न आ जायें। उन में से हर एक का दावा होगा कि मैं अल्लाह का रसूल है।

फ़ाइदा:— नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ भोपाली रह॰ ने अपनी किताब "इक़तिराबु स्साअ़त" में इन तीस झूठों पर तफ़सील से लिखा है और सब के नाम गिनाए हैं।

4334:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस समय तक क़ियामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस बड़े झूठे धोखे बाज़ (दज्जाल) न आ जायें। उन में से हर एक अल्लाह और उस के रसूल पर झूठ बोलता होगा।

4335:— उबैदा सलमानी ने यह रिवायत बयान की और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इब्राहीम बिन यज़ीद नख़ई ने कहा कि मैंने अबीदा से कहाः क्या भला आप मुख़्तार (बिन अबीद सक़फ़ी) को भी उन्ही में से समझते हैं? उन्होंन कहाः यह तो उस के सदारों में से है।

बाब **{नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का बयान।}**

4336:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पहला-पहला ऐब जो बनी इस्राईल में दाख़िल हुआ, वहयह था कि उन में से कोई दूसरे से मिलता तो उस से कहता थाः अरे, अल्लाह से डरो और जो कर रहे हो उस से बाज़ आ जाओं। उन में से हर एक अल्लाह और उस के रसूल पर झूठ बोलता होगा।

4335:— उबैदा सलमानी ने यह रिवायत बयान की और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इब्राहीम बिन यज़ीद नख़ई ने कहा कि मैंने अबीदा से कहाः क्या भला आप मुख़्तार (बिन अबीद सक़फ़ी) को भी उन्हीं में से समझते हैं? उन्होंने कहाः यह तो उस के सदारों में से है।

बाब **{नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का बयान।}**

4336:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पहला-पहला ऐब जो बनी इस्राईल में दाख़िल हुआ, वह यह था कि उन में से कोई दूसरे से मिलता तो उस से कहता थाः अरे, अल्लह से डरो और जो कर रहे हो उस से बाज़ आ जाओ, यह तुम्हारे लिये हलाल नहीं। फिर अगले दिन मिलता तो उस के साथ हो जाता और कोई रुकावट न होती। जब उन का यह हाल हो गया तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों को एक-दूसरों पर दे मारा (यानी उनके अन्दर इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया) फिर आप ने यह आयत पढ़ीः "बनी इस्राईल के काफ़िरों पर दावूद और ईसा बिन म्रयम की ज़बानी लानत की गयी ......(सूरः माइदा 78 ता 81)

फिर आप ने फ़रमायाः होशियार! अल्लाह की क़सम! तुम्हें ज़रुर-ज़रुर नेकी का हुक्म करना होगा और बुराई से रोकना होगा, ज़ालिम का हाथ पकड़ना होगा और उसे हक़ पर लौटाना और हक़ का पाबन्द करना होगा।

4337:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस हदीस की तरह रिवायत किया और मज़ीद कहा...... "वर्ना अल्लाह पाक तुम्हारे दिल एक-दूसरे पर दे मारेगा (तुम्हारे अन्दर इख़्तिलाफ़ पैदा करेगा) और फिर उसी तरह लानत करेगा जैसे कि उन को की थी"

4338:— क़ैस बिन हाज़िम ने बयान किया कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने (अपने खुत्बे में)अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद फ़रमायाः ऐ लोगों! तुम यह आयत पढ़ते तो हो "ऐ ईमान वालों! अपनी फ़िक्र करो, जब तुम सीधी राह पर चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह हो उस से तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं........" (माइदा-105) मगर इस आयत का अर्थ ग़लत समझते हो। ख़ालिद ने रिवायत किया.....हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है : "बिला शुब्हा लोग जब किसी को अत्याचार करता देंखे और फिर उस का हाथ न पकड़ें तो क़रीब होता है

कि अल्लाह पाक उस को अज़ाब की लपेट में ले ले। ....

4339:— जरीर बिन अब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जो कोई ऐसी कौम में हो जिस ने अल्लाह की नाफ़रमानी की जा रही हों और वह लोग उन के अन्दर सुधार की ताकत भी रखते हों, इस के बावजूद भी सुधार न करें और न बदलें तो अल्लाह पाक उन सब को उन के मरने से पहले अज़ाब देगा।

4340:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तुम में से जो कोई किसी बुराई को देखे और उसे अपने हाथ से बदल देने और उस को सुधारने की ताकत रखता होतो उसे चाहिये कि हाथ से उस की इस्लाह करे......हन्नाद ने यह हदीस यहीं तक बयान की जबकि इब्ने अला ने बाकी हदीस को यूँ पूरा किया......"अगर हाथ से इस्लाह की हिम्मत न हो तो ज़बान से रोके, अगर ज़बान से रोकने की हिम्मत न हो तो फिर अपने दिल से बुरा जाने और यह ईमान की सब से कमज़ोर हालत है।

4341:— अबू उमय्या कहते हैं कि मैंने सालबा खुश्नी रज़ि॰ से कहाः ऐ अबू सालबा! आप इस आयत "अलैकुम् अनफ़ु-सकुम" के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहाः अल्लाह की कसम! तुम ने इस के बारे में वास्तव में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया था तो आप ने फ़रमाया था "बल्कि तुम्हें चाहिये कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और जब देखो कि लालच और बखीली के पीछे पड़ गये हैं और दुनियां ही को तर्जीह देने लग गये हैं (आख़िरत को भूल गये हैं) और हर राय वाला आदमी अपनी राय और बात ही को तर्जीह देता है, तो फिर अपने ऊपर लाज़िम पकड़ लो और अवाम की फ़िक्र छोड़ दो (दूसरों की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं देगी) बिला शुब्हा तुम्हारे बाद सब्र के दिन आने वाले हैं, उन में (दीन और शरीअत पर) सब्र करने (उस पर साबितक दम रहना) ऐसे होगा जैसे आग का अन्गारा पकड़ना। उन लोगों में (दीन के तकाज़ों पर) अमल करने वाले को उस जैसे पचास अमल करने वालों का सवाब मिलेगा। (अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि उत्बा के अलावा) मुझे दूसरे ने बताया कि अबू सालबा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन लोगों में से पचास अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा? आप ने फ़रमायाः तुम्हारे पचास आमिलों के बराबर।

4342:— अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारा उस ज़माने में क्या हाल होगा......या फ़रमायाः बहुत जल्द ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोगों को खूब छान लिया जायेगा (अहले ईमान और अच्छे आदमी उठा लिये जायेंगे) और छिलका और पाई-भूसी बाकी रह जायेगा (बेदीन और नापाक लोग रह जायेंगे) जिन के वादों में बेवफ़ाई और अमानत में ख़ियानत होगी, और उन में इस प्रकार से इख़्तिलाफ़ हो जायेगा....." फिर आप ने अपनी उंगलियों को एक दूसरी के अन्दर डाल कर दिखाया......सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! तो हम क्या करें? आप ने फ़रमायाः जो नेकी हो उस को करना और जो बुराई हो उस से दूर रहना और ख़ास अपनी इस्लाह व सुधार की चिन्ता करना और आम लोगों को छोड़ देना।

4343:— अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि आप ने फ़ितनों का ज़िक्र किया। आप ने फ़रमाया: जब तुम देखो कि लोग अपने वादों से मुकर रहे हैं, अमानतों का मामला बहुत कमज़ोर और लिचर हो गया है (लोग ख़ियानत करने लगे हैं) और उन की आपस की हालत इस प्रकार हो गयी है......और आप ने अपनी उंगलियों को एक-दूसरे केअन्दर डाल कर दिखाया (यानी इख़्तिलाफ़ बहुत बढ़ गये हैं) अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं उठ कर आप के निकट हो गया और कहा: अल्लाह पाक मुझे आप पर कुर्बान होने वाला बनाये, मैं इन हालात में क्या करुँ? आप ने फ़रमाया: अपने घर को लाज़िम पकड़ना, अपनी ज़बान का मालिक बन जाना (यानी ख़ामोश रहना) नेकी पर अ़मल करना, बुराई से बचना और अपनी ज़ात की चिन्ता करना और आम लोगों की फ़िक्र छोड़ देना।

4344:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सब से अफ़ज़ल जिहाद यह है कि इन्सान जुल्म करने वाले हाकिम या जुल्म करने वाले अमीर के सामने हक़ व इन्साफ़ का कलिमा कह गुज़रे।

4345:— उर्स बिन उमैर कन्दी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब ज़मीन में कोई ग़लती और नाफ़र्मानी की जाये तो उस में मौजूद शख़्स ने उस को बुरा जाना.....और एक बार फ़रमाया.......और उस का इन्कार किया.....तो वह ऐसे होगा जैसे उस बुराई में मौजूद था।

4346:— अ़दी बिन अ़दी रह॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। और बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) "जो उस में हाज़िर था मगर उस ने नापसन्द किया तो वह ऐसे हुआ जैसे कि उस से दूर रहा हो।"

4347:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लोग उस समय तक हलाक न होंगे जब तक कि उन के गुनाहों और ऐबों की कसरत (ज़्यादती) न हो जाये, या उन का कोई उज़्र बाक़ी न रहे।

बाब {क़ियामत के आने का बयान।}

4348:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने अन्तिम दिनों में हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो खड़े हो गये और फ़रमाया: देखो कि तुम्हारी इस रात में अब जो कोई ज़मीन में मौजूद है, सौ साल के बाद उन में से कोई बाक़ी न रहेगा। इब्ने उमर ने बयान किया कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस फ़र्मान के बारे में वहम में पड़ गये......यानी यह हदीसें जो सहाबा सौ साल के बारे में रिवायत करते हैं (कि शायद सौ साल के बाद क़ियामत ही आ जायेगी, उन्होंने कहा) हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तो केवल यह फ़रमाया था कि आप जो ज़मीन पर मौजूद है वह बाक़ी नहीं रहेगा। मक़सद यह था कि यह सदी समाप्त हो जायेगी।

4349:— अबू सालबा ख़श्नी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत से आ़जिज़ नहीं रखेगा।

4350:— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवाय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे आशा है कि मेरी उम्मत अपने रब के पास इस बात से आ़जिज़ न होगी कि वह उसे आधे दिन तक टाल दे। सअ़द रज़ि॰ से पूछा गया किआधे दिन की मुद्दत कितनी है, उन्होंने कहाः पाँच सौ वर्ष।

❀ ❀ ❀

(37) हद और सज़ाओं का बयान

बाब {मुर्तद, (यानी दीन इस्लाम से फिर जाने वाले) का हुक्म।}

4351:— इकरमा से रिवायत है कि अली रज़ि॰ ने कुछ लोगों को जो दीन इस्लाम से मुर्तद हो गये थे आग में जलवाया। जब इब्ने अब्बास रज़ि॰ को इस की सूचना मिली तसे उन्होंने कहाः कि मैं उन्हें आग में न जलवाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के अज़ाब से अज़ाब न दो। मैं तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश के अनुसार क़त्ल करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो अपना धर्म बदल ले उसे क़त्ल कर दो। अली रज़ि॰ को यह बात पहुँची तो उन्होंने कहाः क्या खुब हैं इब्ने अब्बास या (इब्ने अब्बास की माँ)

4352:— अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मुसलमान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उस का खून हलाल नहीं, सिवाए इस के कि तीन बातों में से कोई एक काम कर डाले (1) शादी शुदा होकर ज़िना करे (2) जान के बदले जान (3) जो दीन इस्लाम को छोड़ दे और जमाअत (इस्लामी मिल्लत) से अलग हो जाये।

4353:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मुसलमान गवाही देता हो कि अल्लाह को छोड़ कर और कोई माबूद नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उस का खून हलाल नहीं, मगर यह कि तीन कामों में से कोई एक काम किया हो (1) शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे, तो उसे पत्थरों से मार कर हलाक किया जायेगा (2) कोई अल्लाह और उस के रसूल के खिलाफ़ हथियार उठा कर निकले तो उसे क़त्ल किया जायेगा, या सूली पर लटकाया जायेगा, या मुल्क बदर किया जायेगा (3) या कोई किसी की जान ले ले तो उसे भी उस के बदले में क़त्ल किया जायेगा।

4354:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ जबकि मेरे साथ क़बीला अश्अ़र के दो आदमी और भी थे। उन में से एक मेरे दाहिनी तरफ़ और दूसरा बायीं तरफ़ था। उन दोनों ने काम (यानी पद) का सवाल किया,तो आप ख़ामोश रहे। फिर फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! तुम्हारा क्या ख़याल है? मैंने कहाः उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है उन्होंने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यह लोग पद और ओहदा चाहते हैं.....और इस समय गोया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मिस्वाक की तरफ़ देख रहा हूँ जो आप के होंट के नीचे थी जिस से वह ऊपर को उठ सा गया था.......आप ने फ़रमायाः हम किसी को अपना काम हर्गिज़ न सौंपेंगे, या यह फ़रमाया कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को अपना काम नहीं देते हैं जो खुद से मुतालबा करे। लेकिन ऐ अबू मूसा! या फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! तुम जाओ, और उन्हें यमन की तरफ़ भेज दिया, फिर उन के पीछे मआ़ज़ बिन जबल को भी भेज दिया। जब मआ़ज़ उन के पास पहुँचे तो अबू मूसा ने कहा तश्रीफ़ लाइये, उतरिये और उनके लिये तकिया पेश किया। लेकिन मआ़ज़ ने अचानक देखा कि उन के यहाँ एक आदमी ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने पूछाः इस का क्या मामला है? कहा कि यह यहूदी था मुसलमान हो गया, लेकिन फिर दोबारा अपने बातिल दीन की तरफ़ फिर गया (मुर्तद हो गय) है। मआ़ज़ रज़ि॰ ने कहाः जब तक उस की गर्दन मार न दी जाये मैं नहीं बैठूँगा। यह फ़ैसला है अल्लाह और उस के सन्देष्टा का। अबू मूसा ने कहाः बैठ जाइये। उन्होंने कहाः जब तक उस की गर्दन न मर दी जाये मैं नही बैठूँगा, यह फ़ैसला अल्लाह और उसके सन्देष्टा का है। उन्होंने तीन बार कहा। चुनान्चे अबू मूसा ने हुक्म दिया और उस की गर्दन मार दी गयी। फिर वह दोनों रात की नमाज़ (तहज्जुद) के बारे में बात-चीत करने लगे। उन में से एक यानी मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ ने कहाः मैं सोता भी हूँ और नमाज़ भी पढ़ता हूँ। या कहा कि नमाज़ पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और अपनी नीद में उसी चीज़ का आशावान होता हूँ जिस की मुझे अपनी नमाज़ में उम्मीद होती है (यानी अज्र और सवाब की)

4355:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं जब यमन में गवर्नर था तो मआ़ज़ रज़ि॰ मेरे पास तश्रीफ़ लाये। एक आदमी यहूदी था उस ने इस्लाम कुबूल कर लिया फिर इस्लाम से मुर्तद हो गया। जब मआ़ज़ रज़ि॰ तश्रीफ़ लाये तो उन्होंने कहाः में अपनी सवारी से उस समय तक नहीं उतरूँगा जब तक कि उसे क़त्ल न कर दिया जाये। दोनों में से (यानी तल्हा और बुरैदा में से) एक ने कहाः और उस शख़्स को इस से पहते तौबा कर लेने को कहा गया था।

4356:— अबू बुर्दा ने यह क़िस्सा बयान किया, उन्होंने कहा कि अबू मूसा के यहाँ एक आदमी को पेश किया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो चुका था, तो आप उसे लगभग 20 रात दावत देते रहे। फिर मआ़ज़ तश्रीफ़ लाये तो उन्होंने भी उसे दावत दी मगर उस ने इन्कार कर दिया तो उस की गर्दन मार दी गयी।

4357:— क़ासिम (बिन अ़ब्दुर्रहमान) ने भी इस घटना को बयान किया। इस में है कि मआ़ज़

रज़ि॰ अपनी सवारी से उस समय तक न उतरे जब तक कि उस की गर्दन न मार दी गयी, और उस से तौबा न करवाई गयी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। तौबा कराने का बयान ऊपर सहीह हदीसों से साबित है।

4358:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबू सरह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कातिब थे तो शैतान ने उसे बहका दिया और वह काफ़िरों से जा मिला। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन उस के बारे में फ़रमाया कि उस की गर्दन मार दी जाये, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ ने उस के बारे में अमान माँग ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे अमान दे दी।

4359:— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब फ़त्ह मक्का का दिन आया तो अ़ब्दुल्लह बिन सअ़द बिन अबू सरह,उस्मान रज़ि॰ के यहाँ छुप गया, फिर उस्मान ने उसे ला कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया और गुज़ारिश कीः ऐ अल्लाह के रसूल! इस से बैअ़त ले लीजिये। आप ने अपना सर उठाया और उस की तरफ़ देखा। तीन बार ऐसे ही किया और हर बार इन्कार किया। तीसरी बार केबाद आप ने उस से बैअ़त ले ली, फिर अपने सहाबा की तरफ़ तवजोह फ़रमायी और कहाः क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं था कि जब मैं ने उसे बैअ़त लेने से अपना हाथ रोक रखा था तो वह उस की तरफ़ उठता और उसे क़त्ल कर डालता? सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम नहीं जानतेथे कि आप के जी में क्या है? आप हमें अपनी आँख से अगर इशारा फ़रमा देते। आप ने फ़रमायाः किसी नबी के लिये जाइज़ नहीं कि उस की आँख ख़ियानत वाली हो।

4360:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जब कोई गुलाम शिर्क की तरफ़ भाग जाये तो उस का ख़ून हलाल है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गाली देने वाले का हुक्म।}

4361:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्धा था उस की एक उम्मे वलद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गालियाँ बकती और बुरा-भला कहती थी। वह उसे मना करता मगर न मानती, वह उसे डाँटता मगर कुछ पर्वा न करती। एक रात वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बुरा भला कहने और गालियाँ देने लगी तो उस अन्धे ने एक बछा लिया और उस को लौंडी के पेट के ऊपर रख कर उस पर चढ़ गया और इस प्रकार उसे मार डाला। जब सुब्ह हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के क़त्ल के बारे में बताया गया तो आप ने फ़रमायाः मैं उस आदमी को अल्लाह की क़सम देता हूँ जिस ने यह काम किया है और मेरा उस पर हक़ है कि वह खड़ा हो जाये। यह सुन कर वह अन्धा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दने फाँदता हुआ आया, उस के पैर काँप रहे थे, वह आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठ गया और बोलाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने इसे क़त्ल किया है, यह

आप को गालियाँ बकती थी और बुरा-भला कहती थी। मैं इस को मना करता था मगर न मानती थी, मैं इसे डाँटता मगर कुछ न समझती थी। मेरे इस से दो बच्चे भी हैं जैसे कि मोती हों, और वह मेरा बड़ा अच्छा साथ देने वाली थी। बीती रात जब वह आप को गालियाँ देने और बुरा भला कहने लगी तो मैंने बर्छा लिया, उस के पेट पर रख कर दबा दिया और उस की हत्या कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़बरदार! गवाह हो जाओ, इस लौंडी का खून बर्बाद है।

फ़ाइदा:— यानी कोई दियत और हर्जाना नहीं। और कोई क़सम नहीं।

4362:— अली रज़ि॰ से रिवायत है कि एक यहूदी महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करती थी और आप के बारे में ग़लत शब्द बोलती थी, तो एक व्यक्ति ने उस का गला घोंट दिया और वह मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस का खून बर्बाद क़रार दे दिया।

4363:— अबू बर्ज़ा कहते हैं कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पास में बैठा हुआ था वह किसी पर नाराज़ हुये और बहुत नाराज़ हुये। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल के ख़लीफ़ा! मुझे इजाज़त दें तो मैं उस की गर्दन मार दूँ। यह सुन कर उन का गुस्सा ठन्डा हो गया और उठ कर अपने घर चले गये। फिर मुझे बुलवा भेजा और कहाः तुम ने अभी-अभी क्या कहा था? मैंने कहाः कहा था कि मुझे इजाज़त दें तो मैं उस की गर्दन मार दूँ। उन्होंने कहाः अगर मैं तुम्हें कह देता तो क्या तुम उस की गर्दन मार देते? मैंने कहाः हाँ। फ़रमायाः नहीं, अल्लाह की क़सम! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को यह मर्तबा हासिल नहीं है।

इमाम अहमद बिन हंबल ने कहाः अबू बक्र को कोई हक़ नहीं कि वह किसी को क़त्ल करें मगर यह कि तीन बातों में से एक बात हो (1) ईमान लाने के बाद कोई मुर्तद हो जाये (2) शादी होजाने के बाद ज़िना करे (3) किसी जान को किसी ने नाहक़ क़त्ल कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ था कि वह किसी को क़त्ल कर डालें।

बाब {डाका, चोरी, लूटमार का बयान।}

4364:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला उक्ल या उरैना के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये, उन्हें मदीना की हवा रास न आयी (तो बीमार पड़ गये) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चन्द ऊँटनियाँ दीं और हुक्म दिया कि उन का पेशाब और दूध पियें। चुनान्चे वह (चारागाह में) चले गये, जब स्वस्थ हो गये तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे की हत्या कर दी और जानवर हँका ले गये। दिन के पहले पहर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन की सूचना मिल गयी तो आप ने उन को पकड़ने के लिये अपने आदमी भेजे। जब दिन चढ़ आया तो उन्हें पकड़ कर लाया गया। आप ने हुक्म दिया तो उन के हाथ-पैर काट डाले, उन की आँखों में गर्म लोहे की सलाखें फेरी गयीं और पत्थरीली ज़मीन में फेंक दिये गये, वह पानी माँगते थे मगर न दिया गया।

अबू क़िलाबा ने कहा कि उन लोगों ने चोरी की, हत्या किया, ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया और अल्लाह और रसूल से जंग की (यानी उन के साथ जो सख़्त बर्ताव किया गया तो उन का यह दोष था)

4365:— अय्यूब रह० ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की, इस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो लोहे की सलाखों को गर्म किया गया और फिर उन की आँखों में फेर दिया और उन के हाथ–पाँव काट डाले और उन्हें दाग़ा नहीं गया (कि खून बन्द हो जाये)

4366:— अबू क़िलाबा ने अनस बिन मालिक से यह हदीस बयान की, इस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के पीछे खोजियों को भेजा तो उन्हें पकड़ कर लाया गया। चुनान्चे अल्लाह पाक ने इसी सिलसिले में यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "जो लोग अल्लाह और उस के रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद फैलायें (उन की सज़ा यह है कि) उन की हत्या कर दी जाये, या सूली पर लटका दिया जाये, या उल्टे हाथ–पैर काट दिये जायें,या मुल्क बदर कर दिया जाये.....(सूरः माइदा–33)

4367:— साबित, क़तादा और हुमैद ने अनस रज़ि० से यह हदीस रिवायत की और कहाः उल्टे तरफ़ से उन के हाथ–पाँव काटे (हदीस के) शुरु में कहाः वह ऊँटों को हाँक ले गये, इस्लाम से मुर्तद होगये। अनस रज़ि० फ़रमाते हैं: मैंने उन में से एक को देखा कि वह प्यास के मारे अपने मुँह से ज़मीन को काट रहा था, यहाँ तक कि वह (इसी हालत में) मर गये।

4368:— इमाम क़तादा ने अनस रज़ि० से ऊपर की हदीस की तरह यह हदीस बयान की। और इतना और बयान किया कि फिर मुसला करने से मना कर दिया गया। आख़ैर इस रिवायत में "उल्टी तरफ़ से" का ज़िक्र नहीं है।

फ़ाइदा:— मुसला करना, यह क़त्ल कर देने के बाद होता है। सूरः माइदा की आयत 33 में मौजूद है इसलिये इस को मुसला नहीं कहेंगे, बल्कि सज़ा का हिस्सा है। उन्होंने भी चरवाहों के साथ यही किया था। फिर ऐसे जुर्म की सज़ा ही उल्टे हाथ–पाँव काटना है इसलिये इसे चेहरा बिगाड़ना नहीं कहेंगे।

4369:— इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों पर डाका डाला और उन्हें हाँक ले गये, इस्लाम से मुर्तद हो गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को क़त्ल कर दिया जो मुसलमान था। तो आप ने उन का पीछा कराया और उन्हें पकड़ लिया गया, फिर उन के हाथ –पाँव काटे गये और उन की आँखों में गर्म सलाखें फेरीं। कहा कि इन ही लोगों के बारे में यह लड़ाई वाली आयत उतरी (सूरः माइदा–33) और यही वह लोग थे जिन के बारे में अनस रज़ि० ने हज्जाज बिन यूसुफ़ को बताया था जबकि उस ने उस से यह पूछा था।

फ़ाइदा:— हज्जाज ने पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब से सख़्त और

कठोर दन्ड कौन सी दी? अनस रज़ि॰ ने इसी को बताया।

4370:— अबू ज़नाद से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊँटनियाँ चोरी करने वालों के हाथ पाँव काटे और उन की आँखों में गर्म सलाखें फेरीं तो अल्लाह पक ने आप पर नाराज़गी जताई और यह आयत नाज़िल की (आयत न॰ 33 सूरः माइदा)

4371:— मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि यह काम (जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन डाकुओं के साथ किया था) हद के अहकाम नाज़िल होने से पहले का है यानी जो ऊपर अनस रज़ि॰की हदीस में बयान हुआ है।

4372:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (सूरः माइदा की आयत 33, 34) मुश्रिकों के बारे में नाज़िल हुयी है। तो जो उन में से क़ाबू पाये जाने से पहले तौबा कर ले यह आयत उस के हक़ में इस बात से रुकावट नहीं है जो जुर्म उस ने किया है उस की सज़ा उस पर लागू न हो।

फ़ाइदा:— दीगर सहीह हदीसों से यह साबित है कि सूरः माइदा वाली आयत क़बीला उक्ल और उरैना वालों ही के बारे में नाज़िल हुयी है।

बाब {अल्लाह के हद (सज़ा) में सिफ़ारिश करना।}

4373:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि क़ुरैश के लोगों को क़बीला बनी मख़ज़ूम की उस महिला के बारे में बहुत चिन्ता हुयी जिस ने चोरी की थी। उन्होंने कहा: इस सिलसिले में कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बात कर सकता है? कहने लगे कि उसामा बिन ज़ैद के अ़लावा और कोई यह हिम्मत नहीं कर सकता, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चहेते हैं। चुनान्चे उसामा ने आप से बात की तो आप ने फ़रमाया: ऐ उसामा! क्या तुम अल्लाह पाक के हद में सिफ़ारिश करते हो? फिर आप ने खड़े होकर खुत्बा दिया और फ़रमाया: तुम से पहले लोग केवल इसी नाते हलाक हुये थे कि उन में से जब कोई मालदार आदमी चोरी कर लेता वह उसे छोड़ देते और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद लागू कर देते थे। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद की (यानी हमारी) बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उस का भी हाथ काट डालता।

4374:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी मख़ज़ूम की एक महिला थी जो चीज़ें माँग कर ले जाती और फिर उन से मुकर जाती थी, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का हाथ काटने का हुक्म दिया और उमर कैस रावी की बयान की हुयी हदीसकी तरह बयान किया। कहा: चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का हाथ काट डाला। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने वहब ने यह हदीस यूनुस के वास्ते से इमाम ज़हरी से रिवायत की और उसी प्रकार रिवायत की जिस प्रकार लैस ने रिवायत किया कि एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में फ़त्ह मक्का के दिनों में चोरी कर ली थी।

और लैस ने यूनुस ....इब्ने शिहाब से अपनी सनद से रिवायत किया तो कहा कि एक महिला कोई चीज़ माँ कर ले गयी। मस्ऊद बिन अस्वद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

से रिवायत किया और कहा कि उस महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर से एक चादर चोरी की थी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जुबैर ने जाबिर रज़ि॰ से रिवायत किया कि एक महिला ने चोरी की फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब के घर में जा कर पनाह ले ली थी।

फ़ाइदा:— माँग कर चीज़ ले जाये और फिर इन्कार कर दे तो इस को "चोरी" तो नहीं कहा जायेगा, मगर सहीह हदीस से साबित है कि ऐसे का भी हाथ काटा जायेगा। यह भी हो सकता है कि उस महिला ने माँगी चीज़ का इन्कार किया हो और फिर चोरी भी की होतंभी उस का हाथ काटा गया।

4375:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इज़्ज़त दार लोगों की ग़लतियाँ माफ़ कर दिया करो, मगर शरीअ़त के हद में नहीं।

बाब **{हद का मुक़दमा अगर क़ाज़ी तक न पहुँचा हो तो माफ़ किया जा सकता है।}**

4376:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हद के मामलात को आपस ही में एक-दूसरे को माफ़ कर दिया करो, लेकिन जो मुक़दमा हद का मेरे पास पहुँच गया तो फिर सज़ा लागू होना वाजिब है।

बाब **{ऐसा मुजरिम जिस पर हद लागू हो सके उस के जुर्म को छुपाना।}**

4377:— यज़ीद बिन नुऐम अपने पिता से रिवायत करते हैं कि माइज़ बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और आप के सामने चार मर्तबा (ज़िना करने का)इक़रार किया तो आप ने उन्हें रज्म करने का हुक्म दिया। और हज़्ज़ाल अस्लमी ने फ़रमायाः अगर तुम उन पर अपने कपड़े से पर्दा डाल देते तो तुम्हारे लिये बेहतर होगा।

4378:— इब्ने मुनकदिर रह॰ से रिवायत है कि हज़्ज़ाल रज़ि॰ ने माइज़ ही को कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जा कर अपने किये की सूचना दे।

बाब **{हद जारी होने वाला जुर्म करने वाला अगर खुद ही हाज़िर होकर जुर्म का इक़रार कर ले।}**

4379:— अल्क़मा बिन वाइल अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक महिला नमाज़ के इरादे से निकली तो रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो उस पर चढ़ बैठा और अपनी ख़ाहिश पूरी की, वह चीख़ी-चिल्लाई लेकिन वह चला गया। फिर उसी महिला के पास से एक और आदमी गुज़रा तो उस ने कहाः यही वह है जिसने मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया है। मुहाजिर लोगों की एक जमाअ़त वहाँ से गुज़री तो उस महिला नेक हाः देखो इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया है। चुनान्चे वह लोग गये और उस (दूसरे) को पकड़ लाये जिस के बारे में उस ने कहा था किइस ने हमारे साथ बदकारी की है। जब उस महला के पास उसे

लाये तो उस ने कहाः हाँ, यही वह है। फिर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गये। आप ने उसके बारे में हद जारी का हुकम दिया तो अस्ल मुजरिम जिस ने ज़िना किया था (उस मज्लिस में था) खड़ा हो गया और बोलाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस का मुजरिम मैं हूँ। आप ने उस महिला से फ़रमायाः तुम जाओ, अल्लाह पाक ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और उस आदमी के भी बारे में अच्छे जुम्ले कहे।

इमाम अबू दावूद ने कहाः यानी उस के बारे में जो शुब्हे में पकड़ा गया था (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे जुम्ले कहे) और जिस ने ज़िना किया था उस के बारे में फ़रमायाः उसे रज्म कर दो। फिर फ़रमायाः उस ने ऐसी तौबा की है कि अगर यह तौबा मदीना वाले करते तो भी स्वीकार कर ली जाती।

बाब {काज़ी अपना जुर्म इक़रार करने वाले मुजरिम को उस के इक़रार से मना करे।}

4380:— अबू उमय्या मख़्ज़ूमी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर को लाया गया जिस ने खुद ही चोरी का इक़रार किया मगर माल उस के पास से बरामद नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस से कहाः मैं नहीं समझता कि तुम ने चोरी की होगी। उस ने कहाः क्यों नहीं (यानी की है) आप ने दो मर्तबा कहा। फिर उस का हाथ काटने का हुक्म दिया। फिर उसे आप के सामने लाया गया तो उस से फ़रमायाः अल्लाह से माफ़ी माँगो और तौबा करो। उस ने कहाः मैं माफ़ी माँगता और तौबा करता हूँ। आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! इसकी तौबा कुबूल फ़रमा ले, तीन बार फ़रमाया।

फ़ाइदा:— अगर मुजरिम खुद ही इक़रार कर रहा है तो उसे हद से बचना मुस्तहब है।

बाब {अगर कोई जुर्म का इक़रार कर ले जिस पर हद लागू हो और जुर्म को स्पष्ट न करे (कि कौन सा जुर्म किया है)}

4381:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने हद लगने वाला जुर्म किया है, मुझ पर हद जारी फ़रमायें। आप ने फ़रमायाः क्या भला तुम ने आते समय वुज़ू किया था? उस ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः क्या तू ने हमारे साथ मिल कर नमाज़ पढ़ी है? उस ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः जाओ, अल्लाह पाक ने तुम्हें माफ़ कर दिया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जुर्म के बतलाये बिना और स्पष्ट किये बिना, केवल इतना कह देने से कि हद जारी होने वाला गुनाह किया है, हद नहीं जारी किया जायेगा।

बाब {मुलज़िम को तहक़ीक़ के उद्देश्य से मारना।}

4382:— अज़हर बिन अब्दुल्लाह हराज़ी से रिवायत है कि कलाअ क़बीला के लोगों का कुछ माल चोरी हो गया, तो उन्होंने चन्द जुलाहों पर आरोप लगाया। फिर उन्हें नोमान बिन बशीर रज़ि॰ के पास लाया गया तो उन को कई दिन तक बन्दी बना कर रखा फिर छोड़ दिया। माल वाले

नोमान के पास आयेऔर कहाः आप ने उन्हें बिना मारे-पीटे और तहकीक के ही छोड़ दिया? नोमान ने कहाः तुम क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं उन्हें पीटता हूँ। अगर तुम्हारा माल मिल गया तो बेहतर वर्ना इस का बदला तुम्हारी पीठों से लूँगा। जितना उन्हें मारा होगा उतना तुम्हें भी मारुँगा। उन्होंने कहाः क्या यह आप का फ़ैसला है? उन्होंने कहाः यह अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह के रसूल का फ़ैसला है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि नोमान रज़ि॰ ने कलाअी लोगों को अपनी इस बात से डराया था, और यह बतलाना था कि मुलज़िम को जुर्म इक़रार कर लेने के बाद ही मारना दुरुस्त है।

फ़ाइदा:– यह इख़्तिलाफ़ी मस्अला है। फिर भी क़ाज़ी और हाकिम को चाहिये कि हालात को देख कर कोई क़दम उठायें, जैसा कि बद्र के मौक़े पर सहाबा ने क़ुरैश के गुलाम को मारा-पीटा और उस से सूचना मालूम करने की कोशिश की (मुस्लिम-1779)

बाब {कितने माल की चोरी में हाथ काटा जाये?}

4383:– आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथाई दीनार या इस से अधिक की चोरी में चोर का हाथ काटा करते थे।

फ़ाइदा:– सामान किसी की मिल्किय्यत हो और वह सुरक्षित स्थान पर हो और वहाँ से चोरी किया जये तो इसे "चोरी" कहा जायेगा। डाका डालना, झपट लेना, धोख-धड़ी से मार लेना, यह चोरी में नही आते इन की सज़ा दूसरी है दीनार का वज़न 4525 ग्राम है और इस का चौथाई 1506 ग्राम हुआ।

4384:– आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चोर का हाथ चौथाई दीनार या इस से अधिक में काटा जायेगा।

अहमद बिन स्वालेह नेकहा कि "हाथ का काटना चौथाई दीनार और इस से ज़्यादा में है।"

4385:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल की चोरी में हाथ काटा था जिस की क़ीमत तीन दिर्हम थी।

4386:– अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल की चोरी में एक आदमी का हाथ काटा। उस ने ढाल महिलाओं के नमाज़ पढ़ने के स्थान से चुराई थी। उस की क़ीमत तीन दिर्हम थी।

4387:– इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल के बदले एक आदमी का हाथ काटा जिस की क़ीमत एक दीनार या दस दिर्हम थी।

बाब {ऐसी चोरी जिस में हाथ नहीं कटता।}

4388:– मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने बयान किया कि एक गुलाम ने किसी के बाग़ से खूजर का एक पौधा चोरी कर के अपने मालिक के बाग़ में लगा दिया। पौधे वाला अपना पौधा ढूँढने निकला तो उस ने पा लिया। फिर उस गुलाम का मुक़दमा मर्वान बिन हकम के पास पेश कर

दिया जो उन दिनों मदीना के गर्वनर थे। मर्वान ने गुलाम को क़ैद कर लिया और चाहा कि उस का हाथ काट दे कि इतने में गुलाम का मालिक राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ के पास गया और उन से यह मस्अला पूछाः तो उन्होंने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था आप फ़रमाते थे (पेड़ों पर लगे) फल में खजूर की गिरी में हाथ नहीं कटता। उस आदमी ने कहाः मर्वान ने मेरे गुलाम को पकड़ रखा है और उसका हाथ काटना चाहते हैं, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस के पास चलें और जो हदीस आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है उन्हें भी सुना दें। चुनान्चे राफ़े बिन ख़दीज उन के पास गये और बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "फल में खजूर की गिरी में हाथ नहीं कटता" चुनान्चे मर्वान के हुक्म से गुलाम को छोड़ दिया गया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "अल-कसुर" से मुराद खजूर की वह नर्म गिरी है जो उस के तने के ऊपर कनारे में होती है।

फ़ाइदा:— पेड़ पर लगे फल या खजूर की गिरी और इस प्रकार बाग़ में लगे दरख़्त सुरक्षित नहीं होते हैं इसलिये उन के लेने पर "चोरी" का हुक्म नहीं लगेगा। हाँ गुनाह होने में शुब्हा नहीं।

4389:— मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने भी ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहाः मर्वान ने उस गुलाम को चन्द कोड़े मारे और छोड़ दिया।

4390:— अ़ब्दुल्लह बिल अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि पेड़ों पर लगी खजूरों का क्या हुक्म है? आप ने फ़रमायाः जो ज़रुरत वाला अपने मुँह से खा ले, लेकिन रुमाल में न बाँधे तो उस पर कुछ नहीं। और अगर कोई कुछ ले कर निकले तो उस पर उस का दोगुना जुर्माना और दन्ड है। और अगर कोई ख़लियान में सुरक्षित कर देने के बाद चुराए और उस की क़ीमत एक ढाल को पहुँचे तो उस में हाथ का काटना है। और जो कोई उस से कम में चुराए तो उस पर चुराए हुए माल का दोगुना जुर्माना और दन्ड है।

फ़ाइदा:— मुँह से खा लेने की इजाज़त केवल भूखे और मुसाफ़िर आदि को है। जिन की आ़दत दूसरों के पेड़ का फल खाने की है उन के लिये बिल्कुल इजाज़त नहीं है।

बाब {उचक लेने और ख़ियानत में हाथ काटना।}

4391:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लुटेरे का हाथ नहीं कटता। और जो खुल्लम खुल्ला माल लूटे वह हम में से नहीं।

4392:— ऊपर ही की सनद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़ियानत करने वाले का हाथ नहीं कटता।

4393:— जाबिर रज़ि॰ ने ऊपर की हदीस ही की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया और यह भी रिवायत किया कि "उचक्के का हाथ नहीं कटता।"

फ़ाइदा:— हाथ तो उस का कटता है जो छुपा कर सुरक्षित रखे माल को चुराये। डाकू, लुटेरे,

उचक्के इन को दूसरा दन्ड दिया जायेगा, हाथ नहीं काटा जायेगा।

बाब {जो कोई सुरक्षित स्थान से चोरी करे।}

4394:— सफ़वान बिन उमय्या ने बयान किया कि मैं मस्जिद में सोया हुआ था, मेरे ऊपर एकधारी दार ऊनी चादर थी, जिस की क़ीमत तीस दिंहम थी। एक आदमी आया और उस ने चुपके से चादर को मेरे ऊपर से उतार लिया, फिर उसे पकड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप ने हुक्म दिया कि उस का हाथ काट दिया जाये। सफ़वान ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि क्या भला केवल 30 दिंहम के बदले में आप उस का हाथ काटेंगे? मैं उस चादर को उस चोर के हाथ बेच देता हूँ और क़ीमत उधार कर देता हूँ। आप ने फ़रमाया: तुम ने यह सब मामला मेरे पास लाने से पहले क्यों न किया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सफ़वान बिन अ़ब्दुल्लाह से इमाम ज़हरी ने रिवायत करते हुये कहा कि सफ़वान बिन उमय्या रज़ि॰ मस्जिद में सो गये और अपनी चादर को अपने सर के नीचे तकिया की तरह बना कर रख लिया। एक चोर आया और उस ने चादर उड़ा ली तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाये।

फ़ाइदा:— हर चीज़ का अपने महफ़ूज़ स्थान पर होना ज़रुरी है। कपड़ा-चादर सर के नीचे है तो वह महफ़ूज़ और सुरक्षित स्थान माना जायेगा और वहाँ से चोरी करने पर हाथ काटा जायेगा।

बाब {माँगे की चीज़ लेकर इन्कारी हो जाने में हाथ काटना।}

4395:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी मख़ज़ूम की एक महिला लोगों से चीज़ें माँग कर ले जाती और फिर मुकर जाया करती थी। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उस का हाथ काट दिया गया।

4396:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने कई मारुफ़ (जाने-माने) और मशहूर लोगों के नाम से कुछ ज़ेवर उधार लिये जबकि वह ख़ुद जानी-पहचानी न थी। फिर वह ज़ेवर उस ने बेच डाला तो पकड़ी गयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लायी गयी तो आप ने उस का हाथ काट देने का हुक्म दिया। यह वही महिला है जिस के बारे में उसामा बिन ज़ैद ने सिफ़ारिश की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो कुछ कहना था कहा।

4397:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि क़बीला बनी मख़ज़ूम की एक महिला माल माँग कर लेजाती और फिर मुकर जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म से उस का हाथ काट दिया गया, और फिर वह क़िस्सा बयान किया जो ऊपर की रिवायत (4373) में बयान हुआ। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का हाथ काट डाला।

बाब {अगर कोई पागल, दीवाना, चोरी करे या ऐसा जुर्म करे जिस पर हद जारी हो सके।}

4398:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है (1) सोया हुआ, यहाँ तक कि जाग जाये (2) दीवाना, यहाँ तक कि दुरुस्त हो जाये (3) बच्चा, यहाँ तक कि बड़ा (बालिग़) हो जाये।

4399:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ के पास एक पागल महिला लायी गयी जिस ने ज़िना किया था। उमर रज़ि॰ ने इस बारे में सहाबा से मश्वरा किया फिर उसे रज्म करने का हुक्म दिया। अली रज़ि॰ उस महिला के पास से गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है? लोगों ने बताया कि बनी फ़लाँ की पागल महिला ने ज़िना किया और उमर ने उसे रज्म करने का आदेश दिया है। यह सुन कर अली रज़ि॰ नेकहाः इसे वापस ले चलो और खुद भी उमर के पास चले और कहाः ऐ ख़लीफ़ा! क्या आप नहीं जानते कि तीन प्रकार के लोगों पर से क़लम उठा लिया गया है (1) पागल, मजनून से, यहाँ तक कि दुरुस्त हो जाये (2) सोए हुये से यहाँ तक कि जाग जाये (3) बच्चे से, यहाँ तक कि बुद्धिमान हो जाये।

उन्होंने कहाः क्यों नहीं (हम भी जानते हैं) अली ने कहाः फिर क्या कारण है इस पागल को रज्म किया जाने का इरादा है? उमर ने कहाः (अब) इस पर कोई हद नहीं जारी होगा। अली ने कहाः कि अब इसे छोड़ दें, चुनान्चे उन्होंने उस महिला को छोड़ दिया। हदीस के रावी ने बयान किया कि फिर उमर रज़ि॰ अल्लाहु अक्बर-अल्लाहु अक्बर कहने लगे।

4400:— इमाम वकीअ ने भी आमश से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हुये कहा कि (बच्चे से क़लम उठा लिया गया है) यहाँ तक कि अक़लमन्द हो जाये। और पागल से भी यहाँ तक कि उसे फ़ाइदा हो जाये (नार्मल हो जाये) बयान कियाकि फिर इस के बाद उमर रज़ि॰ तक्बीर कहने लगे।

4401:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग उस महिला को लेकर अली रज़ि॰ के पास से गुज़रे। और उस्मान (बिन अबी शैबा) की रिवायत (4399) की तरह बयान किया। उन्होंने कहाः क्या आप को याद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि तीन लोगों से क़लम उठा लिया गया है (1) मजनून से यहाँ तक कि वह ठीक हो जाये (2) सोया हुआ से यहाँ तक कि जाग जाये (3) बच्चा से, यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये। उमर रज़ि॰ ने कहा कि आप ने दुरुस्त फ़रमायाः और फिर उस औरत को छोड़ दिया।

4402:— अबू जुबयान ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ के पास एक महिला लायी गयी जिस ने ज़िना किया था। तो उन्होंने उसे रज्म करने का हुक्म दिया। अली रज़ि॰ उस के पास से गुज़रे तो उन्होंने उसे पकड़ कर छोड़ दिया (और रज्म न करने दिया) उमर रज़ि॰ को इस की सूचना मिली तो उन्होंने कहाः अली को मेरे पास बुला लाओ। उन्होंने आकर कहा कि ऐ ख़लीफ़ा! आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है (1) बच्चे से, यहाँ तक कि बालिग़ होजाये (2) सोए हुये से, यहाँ तक कि जाग जाये (3) मजनून से यहाँ तक कि ठीक हो जाये। और यह महिला जो क़बीला बनी फ़लाँ की है पागल है,

और जिस ने भी इस के साथ ज़िना किया है तो वह पागल होने ही की हालत में थी। उमर रज़ि॰ ने कहाः मैं यह तो नहीं जानता (कि पागल पने ही की हालत में ज़िना किया है) अ़ली रज़ि॰ ने कहाः जानता तो मैं भी नहीं हूँ।

4403:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन प्रकार के लोगों से क़लम उठा लिया गया है (1) सोए हुये से, यहाँ तक कि जाग जाये (2) बच्चे से, यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये (3) मजनून से, यहाँ तक कि अक़्ल मन्द (बुद्धिमान) हो जाये।

इमाम अबू दावूद नेकहा कि इब्ने जुरैज ने......क़ासिम बिन यज़ीद.......अ़ली रज़ि.......नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया है और इसमें इतना इज़ाफ़ा है कि (उस आदमी पर से भी क़लम उठा लिया गया है) जो सठिया गया हो (यानी अधिक आयु हो जाने के नाते बुद्धि मारी गयी हो और होश ठिकाने न रहता हो।

बाब {नाबालिग़ अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो उस पर हद नहीं है।}

4404:— अ़तिय्या रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं क़बीला बनी कुरैज़ा के क़ैदियों में से था। चुनान्चे मुसलमानों ने देखना शुरु किया, यानी जिस-जिस के (नाफ़ के नीचे) बाल जम गये थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिस के नहीं उगे थे उसे नहीं क़त्ल किया गया। चुनान्चे मैं उन में से था जिन के बाल नहीं उगे थे।

4405:— अ़ब्दुल मलिक बिन उमैर ने यह रिवायत बयान की (अ़तिय्या ने) कहाः उन्होंने मेरे नाफ़ के नीचे से कपड़ा हटाया तो पाया कि मेरे बाल नहीं उगे हैं इसलिये मुझे क़ैदियों में शामिल कर दिया गया।

4406:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उहुद की जन्ग के दिन मुझे जाँचा तो आप ने मुझे जन्ग में शामिल होने की इजाज़त न दी, उस समय मेरी आयु चौदह (14) वर्ष की थी। और फिर ख़न्दक की जन्ग के मौका पर जाँचा तो आप ने इजाज़त दे दी, उस समय मैं पन्दरह (15) वर्ष का था।

4407:— इमाम नाफ़े ने कहा कि मैंने इस हदीस को उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के सामने बयान की तो उन्होंने कहाः बच्चे और बड़े कि दर्मियान यही आयु सीमा है।

बाब {जो कोई जिहाद के सफ़र में चोरी कर ले तो क्या उस का हाथ काटा जायेगा?}

4408:— जनादा बिन उमय्या कहते हैं कि हम बिस्र बिन अरतात रज़ि॰ के साथ एक समुद्री मोहिम पर जा रहे थे कि एक चोर को लाया गया जिस का नाम मिसदार था। उस ने एक बुख़्ती ऊँटनी चुराई थी तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है "सफ़र में हाथ न काटे जायें" अगर यह बात न होती तो मैं उस का हाथ काट डालता।

बाब {कफ़न चोर का हाथ काटना।}

4409:— अबू ज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से

फ़रमायाः ऐ अबू ज़र मैंने कहाः हाज़िर हूँ मैं ऐ अल्लाह के रसूल, और हुक्म बजा लाने को तय्यार हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा क्या हाल होगा जब लोगों को मौत आयेगी और उन हालात में घर एक गुलाम के बदले में मिलेगा? इस से उन की मुराद "क़ब्र" थी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं, या कहा कि जो अल्लाह और उस के रसूल मेरे लिये पसन्द फ़रमा दें, आप ने फ़रमायाः सब्र करना।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन सुलैमान ने कहा कि कफ़न चोर का हाथ काटा जायेगा, क्योंकि वह मुर्दा के घर में दाख़िल होता है।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र के लिये घर का शब्द कहा है और घर से चोरी करे उसका हाथ काटा जायेगा इसलिये कफ़न चोर का भी हाथ काटा जायेगा।

बाब **{चोर जो बार–बार चोरी करे।}**

4410:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया। आप ने फ़रमायाः उसे क़त्ल कर दो। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने तो केवल चोरी की है। आप ने फ़रमायाः उस का हाथ काट दो, चुनान्चे उस का हाथ काट दिया गया। फिर उसे दोबारा लाया गया तो आप ने फ़रमायाः उसे क़त्ल कर दो। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल उस ने तो चोरी की है। आप ने फ़रमायाः उस का (बायाँ पाँव) काट दो। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने चोरी की है। आप ने फ़रमायाः इस का (दायाँ हाथ) काट दो। फिर चौथी बार पकड़ कर लाया गया तो आप नेफ़रमायाः उसे क़त्ल कर दो। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने चोरी की है। आप ने फ़रमायाः इस का (दायाँ पाँव) काट दो। उसे पाँचवीं बार लाया गया तो आप ने फ़रमायाः इस की गर्दन मार दो। जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि हम ने उसे ले जाकर क़त्ल कर दिया और घसीट कर उस के शव को एक कुँए में डाल कर ऊपर से पत्थर मारे।

फ़ाइदाः— आप को शायद पहले ही से बता दिया गया था कि यह ज़मीन पर फ़साद फैलाने वाला है इसीलिये आप क़त्ल करने का सुझाव देते रहे। ऐसे आदमी की सज़ा क़त्ल ही है (माइदा–33)

बाब **{चोर का कटा हुआ हाथ उस की गर्दन में लटकाने का बयान।}**

4411:— अ़ब्दुर्रहमान बिन मुहैरिज़ से रिवायत है कि हम ने फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ से पूछा कि क्या चोर का हाथ उस की गर्दन में लटका देना सुन्नत है? उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक चोर को लाया गया तो उस का हाथ काट दिया, फिर आप ने उस के हाथ के बारे में हुक्म दिया तो उस की गर्दन में लटका दिया गया।

फ़ाइदाः— लोगों की नसीहत के लिये ऐसा किया जा सकता है जैसा कि अ़ली रज़ि॰ से भी साबित है।

बाब **{......कोई गुलाम अगर चोरी करे तो उसे बेच देने का बयान।}**

***4412:*—** अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब गुलाम चोरी करे तो उसे बेच डालो, चाहे आधे ऊक़िया में (यानी औने-पौने में) बेचो।

बाब **{ज़िना कार को पत्थर से मार कर हलाक करने का बयान।}**

***4413:*—** अ़िक्रमा से रिवायत है कि सूरः निसा की आयत15 के बारे में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने फ़रमायाः कि इस आयत में मर्द का बयान महिला केबाद है। फिर दोनों को जमा कर के फ़रमायाः "उन दोनों में से जो यह काम करें उन्हें दन्ड दो....."। फिर यह हुक्म (सूरः निसा की) उस आयत से मन्सूख़ कर दिया गया जिस में सौ कोड़े मारने का बयान है (यानी आयत 2 से)

***4414:*—** इब्ने अबी नजीह ने इमाम मुजाहिद से रिवायत किया कि "सबील" (रास्ता) से मुराद हद का नाज़िल करना है (सूरः निसा की आयत 15 में "सबील" का शब्द आया है) सुफ़यान ने कहा "उन दोनों को सज़ा दो" से मुराद अविवाहित महिला और पुरुष हैं। और "उन को घर में रोके रखो" मुराद विवाहित महिलायें हैं।

***4415:*—** उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझ से ले लो, मुझ से ले लो। अल्लाह पाक ने उन औरतों के लिये एक राह निकाल दी है। अगर शादी शुदा, शादीशुदा के साथ ज़िना करे तो सौ कोड़े हैं और पत्थर मारना है। और कुँवारा, कुँवारी के साथ जिना करे तो सौ कोड़े हैं और एक साल के लिये जिला वतनी है।

***4416:*—** हसन बसरी ने यहया की सनद से ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया और कहा कि "सौ कोड़े" हैं (अविवाहित के लिये) और रज्म करना है (विवाहित के लिये)

***4417:*—** उबादा बिन सामित रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की तो लोगों ने सअ़द बिन उबादा से कहाः ऐ अबू साबित! हद की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं अगर तुम अपनी पत्नी के साथ किसी को पाओ तो क्या करोगे? उन्होंने कहाः मैं तल्वार से उन दोनों का कामतमाम कर दूँगा और दोनों ठन्ड़े होजायेंगे, मैं चार गवाह थोड़े ही ढूँड़ने जाऊँगा, तब तक तो वह अपना काम कर जायेगा (ज़िना कर के भाग जायेगा) चुनान्चे वह चले और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँच कर कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप ने अबू साबित के बारे में देखा कि वह तो ऐसे-ऐसे कहते हैं। तो आप ने फ़रमायाः (ऐसे मौक़ा पर) तल्वार की गवाही काफ़ी है। फिर फ़रमायाः नहीं, नहीं, मुझे डर है कि कोई (वैसे ही) नशा की हालत में या ग़ैरत की वजह से उस के दर पै न हो जाये।

***फ़ाइदा:*—** यह हदीस, सहीह हदीस के ख़िलाफ़ है। सहीह यह है कि पत्थर से मार कर हलाक किया जायेगा न कि तल्वार से। फिर दूसरे यह कि बिना गवाहों की गवाही के कुछ नहीं हो सकता। तीसरे यह कि अपने तौर पर खुद से कुछ नहीं कर सकते, यह सब फ़ैसला क़ाज़ी और अ़दालत करेगा।

4418:— अब्दुल्लह बिन अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब रज़ि॰ ने खुत्बा दियाऔर कहाः अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक् के साथ नबी बना कर भेजा है और उन पर किताब नाज़िल की है। उस किताब में रज्म की भी आयत थी। हम ने उस आयत को पढ़ा और याद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्म किया है हम ने भी किया है, मुझे डर है कि समय बीतने के साथ-साथ कोई यह न कहने लगे कि रज्म वाली आयत हम अल्लाह की किताब में नहीं पाते हैं, इस प्रकार वह अल्लाह के नाज़िल किये हुये एक फ़र्ज़ को छोड़ कर गुमराह न होजायें। पस जिस किसी मर्द या औरत ने ज़िना किया और वह शादीशुदा हो, और गवाही से साबित होजाये, या हमल हो, या खुद ही तस्लीम करे तो उस के लिये रज्म है। अल्लाह की क़सम! अगर यह बात न होती कि लोग कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की किताब में इज़ाफ़ा कर दिया है तो मैं इस आयत को अल्लाह की किताब में दर्ज कर देता।

फ़ाइदा:— यह मन्सूख़ की एक शक्ल है कि आयत का हुक्म बाक़ी रहे लेकिन आयत की तिलावत मन्सूख़ हो जाये। आयत के शब्द यह थेः "अश्शैखु वश्शै-ख़तु इज़ा ज़-नया फ़र्जुमू हुमा अल्-बत्त-त बिमा क़-ज़या- मि-नल्लज़्ज़ति (अहमद, तबरानी, इब्ने हिब्बान)

बाब {...मालिक के बेटे माइज़ के रज्म का बयान।}

4419:— यज़ीद बिन नुऐम बिन हज़्ज़ाल कहते हैं माइज़ बिन मालिक यतीम लड़का था और मेरे पिता की निग्रानी में था, फिर वह क़बीला की एक लड़कीके साथ ज़िना कर बैठा तो मेरे पिता जी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा कर जो कुछ तुम ने किया है उस की सूचना दे दो, शायद वह तुम्हारे लिये दुआ कर दें। और इस से उन का मक़सद सिर्फ़ यही था कि उसे कोई राह मिल जाये। चुनान्चे उस ने जाकर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है इसलिये अल्लाह की किताब का हुक्म मुझ पर लागू कीजिये। आप ने उस से अपना मुँह फेर लिया। उस ने फिर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म लागू कीजिये। आप ने उस से अपना मुँह फेर लिया, तो उस ने (तीसरी बार) फिर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म लागू कीजिये, इस प्रकार उस ने चार मर्तबा कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तू ने चार बार यह बात कही है, तू ने किस के साथ किया है? उस ने कहाः फ़लाँ लड़की के साथ। आप ने पूछाः तू उस के साथ इकट्ठे लेटा था? कहाः हाँ। आप ने फिर पूछाः तू उस के साथ चिमटा था? उस ने कहाः हाँ। आप ने पूछाः तू ने उस के साथ ज़िना किया है? कहाः हाँ। चुनान्चे आप ने उस को रज्म करने का आदेश दिया। फिर उस को हर्रा की तरफ़ ले जाया गया, जब उसे पत्थर मारे गये तो वह पत्थरों की चोट को न सहन कर सका और भाग खड़ा हुआ तो अब्दुल्लाह बिन उनैस ने उस को पकड़ लिया जबकि और दूसरे साथी थक गये थे। अब्दुल्लाह ने उस को ऊँट का पाँव निकाल कर दे मारा और उसे क़त्ल कर दिया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ कर सब कुछ बयान किया तो आप ने फ़रमायाः तुम ने उस को छोड़ क्यों न दिया शायद वह तौबा कर लेता और अल्लाह पाक उस की तौबा कुबूल फ़रमा लेता।

4420:— हसन बिन मुहम्मद बिन अ़ली बिन अबू तालिब नेकहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का (ऊपर की हदीस न॰ 4419 में) यह कहना कि "तुम ने उस को छोड़ क्यों न दिया" (इस काअर्थ) मुझ को क़बीला अस्लम के कई लोगों ने बयान किया जिन्हें में झूठा नहीं कह सकता, उन्होंने कहा कि मेरे लिये यह हदीस स्पष्ट नहीं थी तो मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह के पास जा कर उन से कहा कि क़बीला अस्लम के लोग यह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (माइज़ को रज्म करने वाले) लोगों से कहा "तुम ने उस को छोड़ क्यों न दिया" तो मैं इस का अर्थ समझ न सका। जाबिर रज़ि॰ ने कहाः ऐ भतीजे! मैं इस हदीस के बारे में लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उस को रज्म किया था (जब हम उस को लेकर निकले और पत्थरों से मारने लगे और उसे चोट लगने लगी तो चीख़ उठाः ऐ क़ौम के लोगों! मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले चलो, मेरी क़ौम ने मुझे मरवा डाला है, उन्होंने मुझे मेरी जान के बारे में धोखा दिया है। उन्होंने मुझ से कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हें क़त्ल नहीं करेंगे, मगर हम पीछे नहीं हटे और उसे मार डाला। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुये और आप को बताया तो फ़रमायाः तुम ने उसे छोड़ क्यों न दिया और उस को मेरे पास क्यों न ले आये (मतलब यह था कि) अल्लाह के रसूल उस को साबित क़दम रहने के लिये कहते (कि इस सज़ा को झेल लो) लेकिन यह अर्थ निकालना कि आप ने हद (यानी रज़्म की सज़ा) छोड़ देने की ग़रज़ से यह कहा (कि उसे छोड़ क्यों न दिया) ऐसा नहीं है। चुनान्चे तब मैं (हसन बिन मुहम्मद) हदीस का मतलब समझ सका।

4421:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि माइज़ अस्लमी रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये और कहाः मैंने ज़िना किया है। आप ने उन की तरफ़ से मुँह फेर लिया। उन्होंने कई मर्तबा ऐसे कहा और आप उन से अपना मुँह फेरते रहे। फिर आप ने उन की क़ौम से पूछाः क्या यह पागल और दीवाना है? उन्होंने कहाः नहीं, उन के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है। आप ने उन से पूछाः क्या तुम ने वास्तव में ज़िना किया है? उन्होंने कहाः हाँ। फिर आपने हुक्म दिया कि उन्हें रज्म कर दिया जाये। चुनान्चे उन्हें ले जाकर रज्म कर दिया गया और उन पर जनाज़ा की नमाज़ नहीं पढ़ी।

फ़ाइदा:— फ़ौरी तौर पर नहीं पढ़ा गया, लेकिन बाद में पढ़ा गया (बुख़ारी–6820)

4422:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब माइज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया तो मैंने उन्हें देखा कि छोटे क़द काठी के मोटे आदमी थे, उन के ऊपर चादर तक न थी, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा गवाही दी कि मैंने ज़िना किया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शायद तुम ने उस महिला का बोसा लिया होगा? उन्होंने कहाः नहीं। अल्लाह की क़सम! हम नालाइक़ ने तो ज़िना किया है। फिर आप ने उसे रज्म कर दिया (यानी हुक्म दे दिया रज्म का) फिर आप ने ख़ुत्बा दिया और फ़रमायाः

ख़बरदार! हम जब अल्लाह की राह (जिहाद) में निकलते हैं तो कोई उन में पीछे रह जाता है और इस प्रकार आवाज़ निकालता है जैसे कि बकरा निकालता है, फिर किसी महिला को थोड़ी सी कोई चीज़ दे देता है। ख़बरदार! अगर अल्लाह पाक ने मुझे उन में से किसी पर क़ाबू दे दिया तो मैं उस की ख़ैरियत ढन्ग से पूछूँगा।

4423:— इमाम शोबा ने सिमाक सेरिवायत किया, और कहा कि जब मैंने जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से यह हदीस सुनी, जबकि पहली वाली हदीस ज़्यादा कामिल है। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को दोबारा वापस किया। सिमाक कहते हैं कि मैंने सअ़ीद बिन जुबैर को यह रिवायत बयान की तो उन्होंने कहा कि आप ने उनको चार बार लौटाया था।

4424:— शोबा ने बयान किया कि मैंने सिमाक से पूछा कि "कुस्बा" का क्या अर्थ है तो उन्हेांने कहा कि "थोड़ा सा दूध"

4425:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक से कहाः जो बात तुम्हारे बारे में मुझ तक पहुँची है क्या वह सच है? उन्होंने पूछाः मेरे बारे में आप तक क्या बात पहुँची है? आप ने फ़रमायाः मुझे मालूम हुआ कि तुम ने फ़लाँ की लड़की के साथ ज़िना किया हैं उन्होंने कहाः हाँ, फिर उन्होंने स्वँय ही चार बार गवाही दी, तो आप ने उन्हें रज्म करने का हुक्म दिया और वह रज्म कर दिये गये।

4426:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि माइज़ बिन मालिक रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और ज़िना का जुर्म स्वीकार किया दो बार। तो आप ने उन्हें वापस भगा दिया। लेकिन उन्होंने दोबारा आ कर ज़िना करने का जुर्म स्वीकार किया तब आप ने फ़रमायाः तुम ने अपने ख़िलाफ़ चार बार गवाही दी है, इसे ले जाओ और रज्म कर दो।

4427:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ से कहाः शायद तुम ने बोसा ले लिया होगा, या चुटकी भरी होगी, या (वैसे ही) देखा होगा। उन्हेांने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या वास्तव में तुम ने उस से ज़िना किया है? कहाः हाँ। तब आप ने उन को रज्म करने का हुक्म दिया। मूसा बिन इस्माअ़ील की रिवायत में इब्ने अ़ब्बास के वास्ता का ज़िक्र नहीं है। और यह शब्द वहब के हैं।

4428:— अूब हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि माइज़ अस्लमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और अपने बारे में गवाही दी कि एक महिला से ज़िना कर बैठे हैं। यह गवाही उन्हेांने अपने ख़िलाफ़ चार मतर्बा दी। हर बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उनकी तरफ़ से अपना मुँह फेर लेते थे। फिर वह पाँचवीं मतर्बा आप के सामने आये तो आप ने पूछाः क्या तुम ने वास्तव में उस के साथ ज़िना किया है? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने पूछाः क्या तुम्हारी शर्मगाह ग़ायब हो गयी थी? उन्होंने कहाः जी हाँ। आप ने पूछाः जिस प्रकार सलाई सुर्मा दानी में गुम हो जाती है? और डोल की रस्सी कुँए में चली जाती है? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फिर पूछाः क्या तुम जानते हो ज़िना किसे कहते हैं? उन्होंने कहाः हाँ। मैं उस के साथ हराम काम

कर बैठा हूँ जिस प्रकार पति अपनी पत्नी से हलाल तरीक़े से करता है।आप ने पूछाः तुम अपनी इस बात से क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि चाहता हूँ कि आप मुझे पाक कर दें। तब आप ने हुक्म दिया और उन्हें रज्म कर दिया गया। फिर आप ने अपने सहाबा में से दो आदमियों को सुना जो एक दूसरे से कह रहे थे: उस को देखो कि अल्लाह पाक ने उस पर पर्दा डाल दिया था मगर उस के नफ़्स ने उसे नहीं छोड़ा और पत्थरों से मारा गया जैसे कि कुत्ते को मारा जाता है। यह सुन कर आप ख़ामोश रहे और चलते रहे, जब एक मुर्दा गधे के पास से गुज़रे जिस की टाँगे ऊपर को उठी हुयी थीं। आप ने फ़रमायाः फ़लाँ और फ़लाँ कहाँ हैं? उन्होंने कहाः हम यहाँ हैं ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः उतर कर इस मुर्दा गधे का माँस खाओ। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! भला इसे भी कोई खाता है? आप ने फ़रमायाः अभी जो तुम ने अपने भाई की इज़्ज़त को पामाल किया है वह इस के खाने से भी बुरा है। क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है, वह अब जन्नत की नहरों में डुबकियाँ लगा रहा है।

4429:— अबू जुबैर ने अबू हुरैरा रज़ि॰ के चचा के बेटे से रिवायत किया और उन्होंने अबू हुरैरा से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और यह भी कहा कि रिवायत करने वालों से इख़्तिलाफ़ किया है। कुछ ने कहा कि उन्हें पेड़ से बाँधा गया था और कुछ ने कहा कि उन्हें खड़ा किया गया था। (अगली रिवायत में है कि वह खुद ही खड़े हो गये थे)

4430:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि अस्लम क़बीला का एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और अपने ज़िना करने को स्वीकार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की तरफ़ से अपना मुँह मोड़ लिया। उस ने फिर स्वीकार किया तो आप ने मुँह मोड़ लिया, लेकिनउस ने अपने ख़िलाफ़ चार गवाहियाँ दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछाः क्या तू पागल तो नहीं है? उस ने कहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या तू विवाहित है? कहा कि हाँ, तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के बारे में हुक्म फ़रमाया तो उसे ओ़दगाह में रज्म कर दिया गया फिर जब उसे पत्थर पड़ने लगे तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इतने पत्थर मारे गये कि वह मर गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के बारे में अच्छी बात कही, मगर उस का जनाज़ा नहीं पढ़ा।

फ़ाइदा:— जनाज़ा बाद में पढ़ा गया (बुख़ारी–6820)

4431:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक के रज्म करने का हुक्म फ़रमाया तो हम लोग बक़ीअ़ की तरफ़ ले चले। अल्लाह की क़सम! न हम ने उस को बाँधा और न उस के लिये गड्ढा खोदा, वह हमारे सामने खुद ही खड़ा होगया। अबू कामिल ने कहाः हम ने उसे हड्डी, ढेले और पत्थर मारे तो वह भाग खड़ा हुआ तो हम लोग भी उस के पीछे दौड़े। जब वह हर्रा के स्थान पर पहुँचा और हमारे सामने आ गया तो हम ने उसी जगह के पत्थर उठा कर उस को मारे यहाँ तक

कि वह ठन्डा हो गया। रावी ने बयान किया कि फिर आप ने उस के लिये न तो दुआ की और न ही किसी प्रकार का बुरा भला कहा।

फ़ाइदा:— जब उन को रज्म किया तो उस समय जनाज़ा नहीं पढ़ा गया, फिर दूसरे दिन पढ़ा गया (बुख़ारी–6820)

4432:— जुरैरी ने अबू नज़रा से रिवायत करते हुये बयान किया कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया.....और फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की। लेकिन यह हदीस मुकम्मल नहीं है। रावी ने कहा: कि लोग उसे गालियाँ देने लगेतो आप ने मना फ़रमाया। फिर उस के लिये वह लोग दुआ करने लगे तो आप ने उन को मना कर दिया और कहा: यह ऐसा आदमी है जिस ने गुनाह किया है और अल्लाह पाक ही इस का हिसाब लेने वाला है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। एक मुसलमान ने चाहे जितना बड़ा गुनाह किया हो उस के लिये दुआ माँगना जाइज़ है।

4433:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक का मुँह सूँघा था (कि कहीं शराब के नशा में तो नहीं बक रहे हैं)

4434:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा कहा करते थे: ऐ काश क़बीला ग़ामिद की महिला और माइज़ बिन मालिक अपने जुर्म को स्वीकार कर लेने के बाद अपनी बात को वापस ले लेते.....या यूँ कहा: अगर वह दोनों जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद आप के पास न हाज़िर होते.....तो आप उन को तलब न करते। आप ने उन को चौथी मतर्बा अपना जुर्म स्वीकार करने पर रज्म किया।

4435:— लजलाज रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि वह बैठे हुये बाज़ार में काम कर रहे थे कि एक महिला गोद में बच्चा लिये हुये गुज़री तो लोग जोश में उठ खड़े हुये और उठने वालों में मैं भी उठ खड़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचा। आप उस महिला से पूछ रहे थे कि यह जो बच्चा तुम्हारे साथ है इस का पिता कौन है? इस पर वह ख़ामोश रही। इतने में एक जवान जो उस के साथ था बोला: मैं उस का पिता हूँ ऐ अल्लाह के रसूल! आप फिर उस महिला की तरफ़ मुतवज्जह हुये और पूछा: यह बच्चा जो तेरे साथ है उस का बाप कौन है? उस जवान ने कहा: मैं उस का बाप हूँ ऐ अल्लाह के रसूल। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के आस–पास के लोगों की तरफ़ देखा और उस जवान के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा: हम उस जवान के बारे में अच्छी राय रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछा: क्या तुम शादी शुदा हो? उस ने कहा: हाँ। तब आप ने उस के बारे में हुक्म दिया और उसे रज्म कर दिया गया। रावी ने कहा: हम उसे लेकर निकले और उस केलिये गढ़ा खोदा फिर उस में उसे गाड़ दिया, फिर पत्थरों से मार कर ठन्डा कर दिया फिर एक आदमी आया और उस के बारे में पूछने लगा तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम के पास ले गये और आप से कहा कि यह आदमी आया है और उस ख़बीस के बारे में पूछता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह तो अल्लाह पाक के यहाँ कस्तूरी की खुश्बू से बढ़ कर पाकिज़ा है। तब मालूम हुआ कि वह आदमी उस का पिता (मालिक) था। फिर हम ने उस रज्म किये गये आदमी के स्नान और कफ़न-दफ़न में सहायता की। रावी ने कहाः मुझे याद नहीं कि नमाज़ का भी कहा या नहीं? और यह रिवायत अ़ब्दा की है जो कामिल है।

4436:— ख़ालिद बिन लजलाज ने अपने पिता से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया।

4437:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और आप के सामने इक़रार किया कि उस ने एक महिला के साथ ज़िना किया है, उस ने उस महिला का नाम भी लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस महिला को बुला भेजा और उस से ज़िना के बारे में पूछा तो उस ने इन्कार किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस आदमी को हद के (सौ) कोड़े लगाए और उस महिला को छोड़ दिया।

फ़ाइदा:— अगली रिवायत में है कि वह शादीशुदा था। और रज्म की सज़ा दी गयी।

4438:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक औरत के साथ ज़िना किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के बारे में हुक्म दिया तो उसे हद के कोड़े मारे गये। फिर जब बताया गया कि वह विवाहित है तो आपने हुक्म दिया और उसे रज्म कर दिया गया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को मुहम्मद बिन बक्र ने इब्ने जुरैज से हज़रत जाबिर रज़ि॰ पर मौक़ूफ़ रिवायत किया है। और अबू आ़सिम ने इब्ने जुरैज से, इब्ने वहब की तरह रिवायत किया, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं किया। और कहा कि एक आदमी ने ज़िना किया तो उस के शादी शुदा होने के बारे में पता न चला तो उसे कोड़े मारे गये, फिर जब मालूम हुआ कि वह शादी शुदा है तो उसे रज्म किया गया।

4439:— अबू जुबैर ने जाबिर रज़ि॰ से रिवायत किया कि एक आदमी ने एक महिला से ज़िना किया और मालूम न हुआ कि वह शादी शुदा है तो उस को कोड़े मारे गये। फिर जब मालूम हुआ कि वह शादीशुदा है तो उस को रज्म किया गया।

बाब {जुहैना क़बीला की महिला का ज़िक्र जिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रज्म करने का हुक्म दिया था।}

4440:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी......इबान की रिवायत में है कि वह जुहैना क़बीला से थी......उस ने कहा कि मैंने ज़िना किया है और मैं हमल से (गर्भवती) हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के वली को तलब किया और उस से फ़रमायाः इस महिला के साथ अच्छा बर्ताव करो और

जब बच्चा पैदा हो जाये तो उस को मेरे पास ल आना। चुनान्चे जब बच्चा पैदा हो गया तो वह उस महिला को लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहिं वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस के ऊपर उस के कपड़े कस कर के बाँध दिया जायें और उसे रज्म कर दिया गया। फिर आप ने हुक्म दिया तो लोगों ने उस की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी। उमर रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ रहे हैं हालाँकि इस ने ज़िना किया है। आप ने फ़रमायाः क़सम उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है। उस ने ऐसी तौबा की है कि अगर उसे मदीना के सत्तर आदमियों के दर्मियान तक़्सीम कर दें तो उन्हें भी काफ़ी होजाये। और क्या भला तुम ने इस से बढ़ कर भी किसी को देखा है कि उस ने अपनी जान क़ुर्बान कर दी है।

इबान से "कपड़े को कस कर बाँधने" की बात मवी नहीं हे।

4441:— **इमाम औज़ाअी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि उस के ऊपर उस के कपड़े कस कर बाँध दिये गये।**

4442:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता बुरैदा से रिवायत करते हैं कि क़बीला ग़ामिद की एक हिमला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहने लगी कि मैं ने ज़िना किया है। आप ने फ़रमायाः वापस चली जा। चुनान्चे वापस चली गयी। फिर जब दूसरा दिन आया तो वह दोबारा आप के पास आयी और बोलीः शायद आप मुझे भी उसी प्रकार लौटा देना चाहते हैं जिस प्रकार माइज़ बिन मालिक को लौटा दिया था। अल्लाह की क़सम! मैं हमल से हूँ। आप ने उस से फिर फ़रमायाः जा वापस चली जा। चुनान्चे वह लौट गयी। फिर जब अगला दिन हुआ तो वह फिर तीसरी बार आप के पास आयी तो आप ने फिर उस से कहा कि वापस चली जा यहाँ तक कि तेरा बच्चा पैदा हो जाये। चुनान्चे वह फिर वापस चली गयी। फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो वह उस को लेकर आयी और कहने लगीः यह रहा वह बच्चा जिस को मैंने जन्म दिया है। आप ने उस से फ़रमायाः वापस जा और उस को दूध पिला यहाँ तक कि उस का दूध छुड़ा दे। चुनान्चे वह फिर उसे लेकर वापस आ गयी और जब उस का दूध छुड़ा दिया और बच्चे के हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वह खा रहा था। आप ने बच्चे को किसी के हवाले कर दिया और उस महिला के बारे में गढ़ा खोदने का हुक्म दिया फिर (उस में गाड़ कर) उसे रज्म कर दिया गया। ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ भी उन लोगों में थे जो उसे पत्थर मार रहे थे। उन्होंने उस को एक पत्थर मारा तो उस से खूनकी एक बूँद उन के गाल पर जा पड़ा तो उन्होंने उस महिला को बुरा-भला कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ ख़ालिद! ठहरो, (और उस को बुरा न कहो) उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है उस ने इतनी तौबा की है कि अगर कोई ज़ालिम भत्ता लेने वाला भी इतनी तौबा करता तो बख़्श दिया जाता। फिर आप ने उस के बारे में हुक्म दिया तो उस पर नमाज़ (जनाज़ा) पढ़ी गयी और फिर उस को दफ़न कर दिया गया।

4443:— इब्ने अबी बकरा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक महिला को रज्म किया तो उस के लिये सीने तक गढ़ा खोदा गया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जुहैना, ग़ामिद और बारिक़ तीनों एक ही क़बीले (के नाम) हैं।

4444:— ज़करिया बिन सुलैम ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और मज़ीद कहाः फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे एक कन्करी मारी जैसे कि चना हो, और फ़रमायाः "मारो, लेकिन चेहरा बचाओ" फिर जब वह ठन्डी हो गयी तो उस को गढ़े से निकाला और उस पर ज़नाज़ा की नमाज़ पढ़ी, और उसकी तौबा में इस प्रकार बयान किया जैसे कि बुरैदा रज़ि॰ की हदीस (न॰ 4442) में है।

4445:— अबू हुरैरा और ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ ने बयान किया कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास अपन झगड़ा लेकर आये। एक ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे दर्मियान अल्लाह की किताब के अनुसार फ़ैसला फ़रमा दें। दूसरे ने कहाः और वह उस से अधिक समझदार था.....हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे दर्मियान अल्लाह की किताब के अनुसार फ़ैसला फ़रमा दें। और मुझे इजाज़त दें कि मैं बात करुँ। आप ने फ़रमायाः कहो। उस ने कहाः मेरा बेटा इस के घर नौकर था...."असीफ़ के माना है नौकर, मज़दूर। उस ने उस की बीवी से ज़िना किया। लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे के लिये रज्म है। मैंने उस की तरफ़ से सौ बकरियाँ और अपनी एक लौंडी जुर्माना के तौर पर दे दी। फिर मैंने उलमा से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के ऊपर सौ कोड़े हैं और एक साल के लिये शहर बदरी है और रज्म उस की बीवी के लिये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दर्मियान अल्लाह की किताब के अनुसार ही फ़ैसला करुँगा। तुम्हारी बकरियाँ और लौंडी तुम्हें वापस होंगी और उस के लड़के को सौ कोड़े लगाए और एक साल के लिये जिला वतन कर दिया। और उनैस अस्लमी से कहा कि इस दूसरे की बीवी के पास जाये, अगर वह ज़िना को स्वीकार कर ले तो उस को रज्म कर दो। उस ने स्वीकर कर लिया तो उस को रज्म कर दिया।

बाब {दो यहूदियों के रज्म किये जाने की घटना।}

4446:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि कुछ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और आप को बताया कि हमारे एक मर्द और औरत ने ज़िना किया है। आप ने उन से पूछाः तुम लोग ज़िना केबारे में तौरात में क्या पाते हो? उन्होंने कहाः हम उन्हें बेइज़्ज़त करते हैं और उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ ने कहाः तुम झूठ कहते हो, इस जुर्म में सज़ा रज्म है। चुनान्चे तौरात ला कर खोला तो उन में से एक ने रज्म वाली आयत पर अपना हाथ रख लिया और उस से आगे-पीछे पढ़ने लगा, तो अ़ब्दुललाह बिन सलाम ने उस से कहाः अपना हाथ उठा। उस ने उठाया तो उस में रज्म वाली आयत मौजूद थी। इस पर यहूदियों ने कहाः ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) सच है, इस में रज्म वाली आयत मौजूद है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के बारे में हुक्म दिया और उन्हें रज्म कर दिया गया। इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने उस ज़िनाकार यहूदी को देखा कि वह उस महिला को पत्थरों से बचाने के लिये उस पर झुका पड़ता था।

4447:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी को लेकर गुज़रे, उस का मुँह काला किया हुआ था और उसे घुमा-फिरा रहे थे। आप ने उन से क़सम देकर पूछाः तुम्हारी किताब में ज़िना करने वाले की सज़ा क्या है? उन्होंने इस प्रश्न को अपने एक आदमी के हवाले कर दिया (कि वह उत्तर देगा) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को क़सम देकर पूछाः तुम्हारी किताब में ज़िना करने वाले के लिये क्या हद (सज़ा) है? उस ने कहाः पत्थर मार कर हलाक करना। लेकिन जब हमारे शरीफ़ और इज़्ज़तदार लोगों में ज़िना की बीमारी फेल गयी तो यह बात उचित नहीं लगी कि शरीफ़ (और मालदार) लोगों पर हद न जारी कियाजाये और घटिया (निर्दल, दुर्बल) लोगों पर हद को जारी किया, इसलिये रज्म को समाप्त ही कर दिया गया। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह पाक! मैं वह पहला व्यक्ति हूँ तो तेरी किताब के इस आदेश को ज़िन्दा कर रहा हूँ जिसे उन्होंने मुर्दा छोड़ दिया था।

4448:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी गुज़रा जिस का मुँह काला किया हुआ था और उस को मारा भी जा रहा था। आप ने उन सब को बुला कर पूछाः क्या तुम ज़िना करने वाले के लिये यह हद (सज़ा) पाते हो? उन्होंने कहाः हाँ। इस पर आप ने उन के एक मौलवी को बुलाया और उस से पूछाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिस ने मूसा पर तौरात नाज़िल की, क्या तुम अपनी किताब में ज़िना करने वाले की सज़ा ऐसे ही पाते हो? उस ने कहाः या अल्लाह! नहीं। अगर आप ने मुझे यह क़सम न दी होती तो मैं आप को न बताता। हम अपनी किताब में ज़िना करने वाले की सज़ा रज्म ही पाते हैं, लेकिन हमारे शरीफ़ लोगों में यह ज़िना की बीमारी बहुत बढ़ गयी है तो हम जब किसी शरीफ़ (प्रभारी) व्यक्ति को (ज़िना के जुर्म में) पकड़ते तो छोड़ देते थे और अगर कमज़ोर को पकड़ते तो उस पर हद जारी कर देते थे। फिर हम ने कहा कि आओ, किसी ऐसी बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लें जिसे हम शरीफ़ और कमज़ोर सभी पर लागू कर सकें। चुनान्चे हम ने मुँह काला करने और धूल-धप्पा करेन पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया और रज्म करना छोड़ दिया। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! में वह पहला आदमी हूँ जोतेरे आदेश कोजीवित कर रहा हूँ, जबकि इन लोगों ने इस को मुर्दा छोड़ दिया था। फिर आप ने उस ज़िनाकार (बलात्कारी) के बारे में हुक्मदिया और उसे रज्म कर दिया गया। पस अल्लाह पाक ने (सूरः माइदा की) आयतें (41 ता 47 तक) नाज़िल फ़रमायीं। "ऐ रसूल! जो लोग कुफ़्र में जल्दी करते हैं आप उन के बारे में चिन्ता न करें......."

4449:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदियों की एक जमाअ़त आयी और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कुफ़्फ़ की वादी में बुला ले गये, तो आप उन के पास एकघर में गये जो उन का स्कूल था। उन्होंने कहाः ऐ अबुल क़ासिम! हम में से एक आदमी ने एक महिला से ज़िना किया है तो आप उन में फ़ैसला फ़रमा दें। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये एक तकिया रख दिया। आप उस पर बैठ गये और फ़रमायाः तोरात ले आओ। तो उसे लाया

गया। आप ने तकिया अपने नीचे से निकाला और तौरात को उस के ऊपर रखा, फिर फ़रमायाः मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ और उस ज़ात पर भी जिस ने तुझे नाज़िल किया है फिर फ़रमायाः अपने बड़े आ़लिम (ज्ञानी) को ले आओ। तो एक जवान को ले आया गया, फिर रज्म का क़िस्सा बयान किया जैसे कि मालिक ने इमाम नाफ़े की हदीस (4446) में बयान किया है।

4450:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है और यह मामर से रिवायत है और ज़्यादा मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि यहूदियों में एक मर्द और औ़रत ने ज़िना किया तो उन में से बाज़ ने बाज़ से कहाः चलो उस नबी के पास चलते हैं, क्योंकि वह नबी नर्मी और रहमदिली के साथ भेजे गये हैं, तो अगर उन्होंने रज्म के अ़लावा और कोई फ़तवा दिया तो हम उसे मान लेंगे और उस को अल्लाह के यहाँ दलील बना लेंगे। हम कहेंगे कि यह तेरे एक नबी का फ़तवा था। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये, आप उस समय सहाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुये थे। उन लोगों ने कहाः ऐ अबुल क़ासिम! आप की ऐसे मर्द और औ़रत के बारे में क्या राय है जिन्होंने ज़िना किया हो? आप ने उन से कोई बात न की और उठ कर उन के उस घर में आये जिन में उन का मदरसा था। आप ने दर्वाज़े पर खड़े होकर फ़रमायाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम दे देता हूँ जिस ने मूसा पर तोरात नाज़िल की है, तुम लोग शादीशुदा ज़िना करने वाले के बारे में तौरात में क्या हुक्म पाते हो? उन्होंने कहा कि मुँह काला किया जाये, गधे पर उल्टा कर के बैठाया जाये और मारा-पीटा जाये....तजबिया.....का यह अर्थ है कि दोनों को गधे पर यूँ बैठाया जाये कि उन की पीठ एक दूसरे की तरफ़ हो और उन्हें फिराया जाये....यह सुन कर एक नौजवान उन में ख़ामोश रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को ख़ामोश देखा तो आप ने उस को बड़ी सख़्त क़सम दी तो उस ने कहाः ऐ अल्लाह! .... जब आप ने हमें क़सम दे दी है तो (मामला यह है कि) हम तौरात में रज्म ही पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस बात का आरंभ किस प्रकार हुआ कि तुम लोगों ने अल्लाह के हुक्म में रुख़सत को अपना लिया? उस ने बताया कि हमारे एक बादशाह के क़रीबी ने ज़िना किया तो उस ने रज्म की सज़ा को उस पर से टाल दिया। फिर एक दूसरे क़बीले में किसी ने ज़िना कियातो उस ने उस को रज्म करना चाहा, तो उस की क़ौम उस के आड़े आ गयी और कहने लगीः कि जब तक तुम अपना आदमी न लाओ और उसे रज्म न कर दो, हमारे आदमी को रज्म नहीं कर सकते। चुनान्चे उन्होंने आपस में इस सज़ा पर इख़्तिलाफ़ कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मै तौरात के मुताबिक़ फ़ैसला करता हूँ। चुनान्चे आप ने उन दोनों को रज्म करने का हुक्म दिया तो उन्हें रज्म कर दिया गया।

4451:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदियों के एक मर्द और महिला ने ज़िना किया जो शादी शुदा थे.....और यह उन दिनों की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आये थे.....और उन यहूदियों में तौरात के मुताबिक़ (ज़िना करने वालों पर) रज्म फ़र्ज़ था, मगर उन्होंने उसे छोड़ कर उन्हें ज़लाल और रुस्वा करना इख़्तियार कर लिया था कि उसे तारकूल लगी रस्सी से सौ बार मारा जाये और गधे पर पिछली तरफ़ मुँहकर के बैठाया जाये तो उन

के कई उलमा इकट्ठे हुये और उन्होंने दूसरे कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा कि आप से ज़िना करने वाले की हद के बारे में पूछें......और हदीस बयान की उस में कहा कि ....चूँकि वह यहूदी लोग आप के दीन पर थे कि अप उन के दर्मियान फैसला करते, इसलिये आप को इस मामले में इख़्तियार दिया गया और फ़रमाया "अगर वह आप के पास जायें तो उन के मामले में फ़ैसला फ़रमायें या एराज़ कर जायें।

4452:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी लोग अपने एक मर्द और महिला को लेकर आये जिन्होंने ज़िना किया था तो आप ने फ़रमायाः अपने दो बड़े आ़लिमों (ज्ञानी लोगों) को ले आओ। चुनान्चे वह सूरया के दो बेटों को ले आये। आप ने उन्हें क़सम देकर पूछाः तुम उन के बारे में तौरात में क्या पाते हो? उन्होंने कहाः तौरात में यह पाते हैं कि जब चार आदमी गवाही दे दें कि उन्होंने मर्द के शर्मगाह को महिला के शर्मगाह में देखा है जैसे सुर्मादानी में सलाई होती है तो उन्हें रज्म कर दिया जाये। आप ने फ़रमायाः तो तुम्हें उन को रज्म करने में क्या रुकावट है? उन्होंने कहाः हमारी अपनी हुकूमत तो नहीं है इसलिये क़त्ल करना हमें बुरा लगता है। तब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गवाह तलब किये तो चार गवाह ले आये, उन्होंने गवाही दी कि मर्द के शर्मगाह को महिला के शर्मगाह में ऐसे देखा है जैसे सुर्मादानी में सलाई हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें रज्म करने का आदेश दिया।

4453:— इब्राहीम और शोबी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है इस में गवाहों को तलब करने और उन के गवाही देने का बयान नहीं है।

4454:— इब्ने शिरमा ने भी इमाम शोबी से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

4455:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक पुरुष और महिला को जिन्होंने ज़िना किया था, रज्म कराया था।

बाब **{जो कोई किसी महरम (यानी जिस से निकाह हराम हो उस) से ज़िना करे?}**

4456:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मतर्बा मैं अपने खोए हुये ऊँट को ढूँड़ रहा था कि इसी बीच ऊँट सवारों या घोड़ सवारों का एक क़ाफ़िला आया, उन के साथ झन्डा भी था। चूँकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ एक स्थान हासिल था इस कारण देहाती लोग मेरे आस-पास फिरने लगे। फिर वह एक क़ुब्बा पर आये, वहाँ से उन्होंने एक मर्द को निकाला और उसकी गर्दन मार दी। मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस ने अपने पिता की पत्नी से निकाह किया है (तौबा-तौबा अपनी माँ के साथ)

4457:— यज़ीद बिन बरा अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने चचा से मिला जबकि उन के पास झन्ड़ा था। मैंने उन से पूछाः कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे एक आदमी की तरफ भेजा है जिस ने अपने पिता की पत्नी से निकाह किया है उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उस की गर्दन मार दूँ और उस का माल ले लूँ।

फ़ाइदा:— माँ, चाहे हक़ीक़ी हो, या सौतेली किसी भी हाल में उस से निकाह जाइज़ नहीं। उस की सज़ा गर्दन मार देना है।

बाब {जो शख़्स अपनी पत्नी की लौंडी से ज़िना करे?}

4458:— हबीब बिन सालिम से रिवायत है कि एक व्यक्ति जिस का नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन हुनैन था उस ने अपनी बीवी की लौंडी सेज़िना कर डाला। यह मामला नोमान बिन बशीर रज़ि॰ के सामने पेश किया गया जबकि वह कूफ़ा के अमीर थे। उन्होंने कहाः मैं तुम्हारे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाला फ़ैसला करुँगा। अगर 'तुम्हारी बीवी ने अपनी लौंडी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया था तो मैं तुम्हें सौ कोड़े मारुँगा। अगर उस ने हलाल नहीं किया था तो मैं पत्थर मार कर तुम्हें हलाक कर दूँगा। चुनान्चे उस महिला ने (यानी उस की पत्नी ने) अपनी लौंडी को अपने पति के लिये हलाल कर दिया था तो इस प्रकार नोमान रज़ि॰ ने उस को सौ कोड़े मारे।

इमाम क़तादा ने कहा कि मैंने हबीब बिन सालिम को लिखा तो उन्होंने मुझे यह रिवायत लिख भेजी।

4459:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि जो शख़्स अपनी पत्नी की लौंडी से ज़िना कर डाले तो अगर उस की पत्नी ने उस के लिये हलाल कर दिया हो तो उस के पति को सौ कोड़े मारे जायें, और अगर हलाल न करे तो मैं उसे रज्म कर दूँगा।

4460:— सलमा बिन मुहब्बिक़ रज़ि॰ से रिवायत है कि जो शख़्स अपनी पत्नी की लौंडी से ज़िना कर बैठा हो उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया था कि अगर उस शौहर ने लौंडी को मजबूर किया हो तो वह लौंडी आज़ाद होगी और शौहर पर लाज़िम होगा कि उस की मालिक को उसी जैसी लौंडी ला कर दे। और अगर लौंडी खुद से राज़ी थी तो यह शौहर की हुयी, और शौहर पर लाज़िम होगा कि उस की मालिक को उस जैसी लौंडी ला कर दे।

4461:— सलमा बिन मुहब्बिक़ रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, मगर इन्होंने अपनी रिवायत में इस प्रकार बयान किया कि अगर लौंडी राज़ी थी तो यह उस शौहर की हुयी और उस लौंडी की क़ीमत मालिक को वापस करेगा।

फ़ाइदा:— पत्नी की लौंडी के बारे में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। अ़ल्लामा शौकानी ने नोमान बिन बशीर रज़ि॰ के फ़ैसले को तर्जीह दी है कि रज्म न किया जाये।

बाब {लौंडे बाज़ी करने वाले की सज़ा।}

4462:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे तुम पाओ कि वह लूत की क़ौम का सा काम कर रहा है तो करने-कराने वाले दोनों ही को क़त्ल कर दो।

4463:— सओद बिन जुबैर और मजाहिद ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत किया कि अगर लूत

की क़ौम का सा बुरा काम करे तो उसे रज्म कर दिया जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि आ़सिम की हदीस (न॰ 4465 जो आगे आ रही है) अ़म्र बिन अबी अ़म्र की हदीस (न॰ 4464) को ज़ओ़फ़ करती है।

बाब {जो कोई जानवर से कुकर्म करे?}

4464:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई किसी जानवर से बुरा काम करे उस की हत्या कर दो और उस के साथ उस जानवर को भी मार दो। इक्रमा ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से कहाः जानवर को मार डालने की क्या वजह है उन्होंने कहा कि मेरे ख़याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक्रूह जाना कि उस का माँस खाया जाये जबकि उस के साथ ऐसा काम किया गया है।

4465:— अबू रज़ीन, इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि जो शख़्स जानवर से बुरा काम करे उस पर हद नहीं है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ता ने भी ऐसे ही कहा है। हकम कहते हैं कि उस को कोड़े मारे जायेंगे मगर इतने कि वह हद को (यानी 80 संख्या को) न पहुँचे। इमाम हसन बसरी ने कहा कि ऐसा आदमी ज़िना करने वाले की तरह है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि आ़सिम की हदीस अ़म्र बिन अबी अ़म्र की हदीस (न॰ 4464) को ज़ओ़फ़ करती है।

फ़ाइदा:— जानवर के साथ बुरा काम करना हराम हैं इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। इख़्तिलाफ़ केवल सज़ा में है। आ़म सज़ा जो हाकिम मुनासिब समझे वह दे, या हद जारी करे (यानी या तो 80 कोड़े, या रज्म) और जानवर को क़त्ल कर दिया जाये।

बाब {मर्द ज़िना का इक़रार करे, लेकिन महिला इन्कार करे।}

4466:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और एक महिला के साथ ज़िना का इक़रार किया और आप के सामने उस महिला का नाम भी लिया। आप ने उस महिला को बुलवाया और उस से ज़िना के बारे में पूछा तो महिला ने इन्कार कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस शख़्स को हद के (80) कोड़े लगाए और महिला को छोड़ दिया।

फ़ाइदा:— इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि कोड़े आरोप लगाने के जुर्म में मर्द को लगेंगे। और इमाम मालिक व शाफ़ओ़ी ने कहा कि इक़रार करने की वजह से ज़िना के कोड़े लगेंगे।

4467:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बक्र बिन लैस का एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और इक़रार किया कि उस ने एक महिला के साथ ज़िना किया है। उस ने चार बार इक़रार किया। इस पर आप ने उस को सौ कोड़े लगाए इसलिये कि वह कुँवारा था। फिर महिला से पूछा तो उस ने कहाः अल्लाह की कसम! ऐ अल्लाह के रसूल! यह झूठ बोलता है, तो फिर आप ने उस को आरोप लगाने के बदले कोड़े लगाए 80 कोड़े।

बाब {एक शख़्स ने एक महिला से ज़िना के अलावा सब कुछ कर डाला, मगर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ली।}

4468:— अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगाः मैंने मदीना के बाहर एक महिला से चुम्मा चाटी की है, मगर संभोग नहीं किया है, अब मैं आप के सामने हाज़िर हूँ जो चाहे सज़ा दें। उमर रज़ि॰ ने कहाः अल्लाह पाक ने तेरे गुनाह को छुपाया था अगर तू भी उन पर पर्दा डाले रहता (तो बेहतर था) फिर आप ने उसे कोई जवाब न दिया और वह वापस चला गया। फिर आप ने उस के पीछे एक आदमी को भेज कर उसे बुलाया और उस के सामने यह आयत तिलावत फ़रमायीः "दिन के दोनों कनारों में नमाज़ पढ़ो और रात के समय में भी......." ((सूरः माइदा-114) फिर क़ौम में से एक आदमी बोलाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह इसी के लिये ख़ास है या सभी लोगों के लिये? आप ने फ़रमायाः सभी लोगों के लिय।

बाब {ग़ैर शादी शुदा लौंडी ज़िना करे तो........?}

4469:— अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वह लौंडी जिस की शादी न हुयी हो अगर ज़िना करे तो (क्या हुक्म है?) आप ने फ़रमायाः अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ। अगर दोबारा ज़िना करे तो कोड़े लगाओ। फिर अगर तीसरी बार भी ज़िना करे तो कोड़े लगाओ। और फिर भी करे तो उसे बेच दो चाहे एक रस्सी ही के बदले में बचो।

इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरी बार कहा, या चौथी बार यह कहा (कि इसे बेच डालो)

फ़ाइदा:— लौडी और गुलाम की हद, आज़ाद की हद से आधी है, यानी 100 का आधा 50 कोड़े और दुरे। (देखें सूरः निसा-25)

4470:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी की लौंडी से ज़िना करे तो चाहिये कि उसे हद लगाए और शर्म न दिलाए। और तीन बार तक ऐसा करे। अगर चौथी बार भी करे तो उसे हद लगाए और एक रस्सी के बेदले बेच डाले या फ़रमायाः "बालों की रस्सी केबदले बेच दे।"

फ़ाइदा:— आर और शर्म व ग़ैरत ने दिलाने का यह मक़्सद है कि कभी यह होता है कि आर दिलाने से आदमी बेहया और ढीट हो जाता है और फिर और अधिक बुराई करने लगता है। इस प्रकार फ़ाइदा के बजाए और नुक़्सान होता है।

4471:— अूब हुरैरा रज़ि॰ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह रिवायत की। इस पर हर बार यूँ कहाः उसे मारे (हद लगाए) यह अल्लाह की किताब का हुक्म है। और आर मत दिलाए (यानी आर दिलाने पर किफ़ायत न करे) और चौथी बार फ़रमायाः अगर फिर भी ऐसा करे

तो उसे मारे, यह अल्लाह की किताब का हुक्म है। फिर उसे बेच डाले चाहे बालों की रस्सी के बदले ही हो।

बाब {बीमार आदमी को हद लगाना।}

4472:— अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ कहते हैं कि उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाज़ सहाबा ने बयान किया कि उन का एक आदमी बीमार हो गया और इतना कमज़ोर हो गया कि बस हड्डियों पर चमड़ा रह या। उस के पास किसी की लौंडी आयी तो उस को देख कर उसे जोश आ गया और फिर उस से ज़िना कर बैठा। जब उस की क़ौम के लोग उस का हाल चाल मालूम करने के लिये गये तो उन से उस ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अ़ला मालूम करो। मेरे पास एक लौंडी आयी थी और मैं उस से ज़िना कर बैठा हूँ। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उस का ज़िक्र किया और बताया कि हम ने उस जैसा बीमार कोई नहीं देखा। अगर हम उसे आप के पास उठा कर भी लायें तो उस की हड्डियाँ जुदा हो जायेंगी, वह तो बस हड्डियों पर चमड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस के लिये खजूर की ऐसी डाली हासिल करो जिस में बारीक सौ शाखें हों, फिर उस से उस आदमी को एक ही बार मारो।

4473:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ान्दान के किसी आदमी की लौंडी ने ज़िना किया तो आप ने फ़रमायाः ऐ अ़ली! ले जाओ उसे हद लगाओ। अ़ली रज़ि॰ ने कहा कि मैं चला तो मालूम हुआ कि उस से खून बह रहा है जो रुकता ही नहीं है। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया तो आप ने पूछाः ऐ अ़ली! क्या हद लगा चुके? क्या हद लगा चुके? मैंने कहाः उस के पास गया था मगर उस से खून बह रहा है। आप ने फ़रमायाः उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उस का खून रुक जाये, इस केबाद उस को हद लगाना और अपने गुलामों को भी हद लगाया करो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस अबुल अहवस ने अ़ब्दुल आला से रिवायत की तो उस रिवायत में है कि "जब तक बच्चा पैदा न हो जाये उसे हद न लगाना" और ऊपर वाली रिवायत ज़्यादा सहीह है।

बाब {आरेप की हद का बयान।}

4474:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब मेरे बरी होने के बारे में आयत नाज़िल हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुये और इस घटना का ज़िक्र किया और कुरआ़न की आयतें तिलावत फ़रमायीं। फिर जब मिंबर से नीचे उतरे तो आप ने दो मर्दों और एक महिला के बारे में हुक्म दिया और उन्हें हद लगायी गयी।

फ़ाइदा:— आ़इशा रज़ि॰ के बरी होने के तअ़ल्लुक़ से आयतें सूरः नूर में नाज़िल हुयी हैं।

4475:— मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने यह रिवायत की लेकिन इस रिवायत में आ़इशा रज़ि॰ का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो मर्दों और एक

महिला को जो उस आरोप में शरीक थे के बारे में (हद लगाने का) हुक्म दिया। यानी हस्सान बिन साबित और मिस्तह बिन उसासा। नुफ़ैली नेकहा कि महिलाओं में हमना बिन्त जहश का ज़िक्र करते हैं।

***फ़ाइदा*:**— आरोप की हद 80 कोड़े हैं।

बाब {शराब पीने की हद का बयान।}

***4476*:**— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शराब पीने की हद सुनिश्चित नहीं की थी।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि एक आदमी ने शराब पी ली जिस से नशा हो गया और गली में लहराने लगा। फिर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ले चले। जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रज़ि॰ के घर के सामने लाया गया तो उन के घर में घुस गया और उन से जा कर चिमट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब बताया गया तो आप हँस पड़े और पूछाः क्या वास्तव में उस ने ऐसे ही किया है? और फिर उस के बारे में कुछ नहीं हुक्म दिया।

***4477*:**— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया जिस ने शराब पी ली थी तो आप ने फ़रमायाः उसे मारो। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम में से किसी ने उसे हाथ से मारा, किसी ने जूते से और किसी ने कपड़े से मारा। जब वह आदमी वहाँ से चला तो क़ौम में से किसी ने कह दियाः अल्लाह पाक तुम्हें ज़लील करे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस प्रकार मत कहो। उस के ख़िलाफ़ शैतान की मदद मत करो।

***4478*:**— यहया बिन अय्यूब, हैवा बिन शुरैह और इब्ने लुहैआ़ ने इब्ने हाद से अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इस रिवायत में मारने के ज़िक्र के बाद यूँ है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमायाः उसे शर्म दिलाओ, तंबीह करो (चेतावनी दो) चुनान्चे वह उस को इसी प्रकार कहने लगेः तुझे अल्लाह का डर न आया, तू अल्लाह से डरा नहीं, तुझे अललह के रसूल से हया न आयी, फिर उस को छोड़ दिया। और रिवायत के अन्त में है .... "लेकिन यूँ कहोः ऐ अललह! उस को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह! उस पर रहम फ़रमा।" और बाज़ रिवायत करने वालों ने इसी प्रकार के शब्द ज़्यादा रिवायत किये हैं।

***4479*:**— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शराब पीने के हद में खजूर की छड़ियों और जूतों से मारा है। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने चालीस कोड़े लगाए। जब उमर ख़लीफ़ा हुये तो उन्होंने सहाबा को बुलाया और उन से मश्वरा चाहा कि लोग अपने खेतों और ज़मीनों में चले गये हैं (यानी जहाँ खजूरें और अन्गूर आदि काफ़ी संख्या में है और वह शराब पीने लगे हैं) मुसद्दद के शब्दों में है कि लोग बस्तियों और ज़मीनों में चले गये हैं.....तो तुम लोग शराब की हद के बारे में क्या कहते हो? तो अ़ब्दुरहमान बिन औफ़ रज़ि॰नेकहाः

हम समझते हैं कि आप इसे सब से हल्की हद की तरह कर दें। चुनान्चे उन्होंने इस में अस्सी (८0) कोड़े लगाए।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने अबी अ़रुबा ने क़तादा के वास्ते सक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह हदीस बयान की कि आप ने खजूर की छड़ियों और जूतों से चालीस बार मारा। जबकि शोबान ने क़तादा से अनस के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूर की दो शाख़ों से चालीस बार मारा।

फ़ाइदा:— उलमा का कहना है कि उमर रज़ि॰ ने चालीस मर्तबा मारा तो यह हद है और फिर चालीस बार मारा तो यह सज़ा के तौर पर मारा है।

4480:— हुज़ैन बिन मुन्जिज़र रक़ाशी अबू सामान कहते हैं कि मैं उस्मान रज़ि॰ के पास मौजूद था कि वलीद बिन उक़्बा को लाया गया, तो हुमरान और एक दूसरे आदमनी ने उन पर गवाही दी। एक ने कहा कि मैंने उन्हें शराब पीते देखा है और दूसरे ने कहाः मैंने उन्हें कै़ करते देखा है। उस्मान रज़ि॰ ने कहाः उस ने शराब पी है तभी कै़ की है। फिर अ़ली रज़ि॰ से कहाः इस पर हद लगाओ। अ़ली ने कहा से हसन रज़ि॰ कि वलीद को हद लगाओ। इस पर हसन ने कहाः उस की गर्मी उसी के हवाले करें जो उस की ठन्डक से मज़ा लेता है (यानी उस्मान रज़ि॰ को खुद कोड़े मारना चाहिये) फिर अ़ली रज़ि॰ ने अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कहा कि उस को हद लगाओ तो उन्होंने कोड़ा लिया और उसे मारने लगे और अ़ली गिनते जाते थे। जब चालीस तक पहुँचे तो कहा कि बस काफ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चालीस बार मारा है (हुज़ैन ने) कहा कि मेरे ख़याल से यूँ कहाः अबू बक्र ने चालीस और उमर ने अस्सी बार मारा और सब ही सुन्नत है और यह मुझे ज़्यादा पसन्द है।

4481:— हुज़ैन बिन मुन्ज़िर ने अ़ली रज़ि॰ से बयान किया कि शराब की हद में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अबू बक्र ने चालीस मतर्बा मारा और उमर ने (चालीस मतर्बा और मार कर) उस्सी कर दिया, और सब ही सन्नत है।

बाब {जो शख़्स बार–बार शराब पिये।}

4482:— मुआविया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (शराबी) जब शराब पियें तो उन्हें कोड़े मारो, फिर अगर पिये तो कोड़े मारो, फिर अगर पिये तो कोड़े मारो, फिर अगर पिये तो क़त्ल कर दो।

फ़ाइदा:— यह हदीस मन्सूख़ है हदीस न॰ 4485 से। क़त्ल कर देने का अर्थ यह है कि कड़ी मार मारा जाये। या यह अर्थ है कि क़त्ल उस को किया जाये जो शराब को हलाल जाने और उसे हराम मानने को तय्यार न हो।

4483:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः.......... और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। उन्होंने कहाः मेरा

ख़याल है कि पाँचवी बार आप ने फ़रमायाः अगर फिर पिये तो उसे क़त्ल कर दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू ग़तीफ़ की रिवायत में पाँचवीं बार का ज़िक्र है।

4484:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब वह नशा में मस्त हो तो उसे कोड़े मारो अगर चौथी बार भी पिये तो उस को क़त्ल कर दो।

फ़ाइदा:— हदीस में "मस्त होना" अया है। इस का अर्थ भी पीला ही है जैसा कि दूसरी रिवायतों में आया है। वर्ना जो ज़्यादा पीने के आ़दी हैं वह थोड़ी पीने पर मस्त नहीं होंगे। क़त्ल करने से मुराद वही है जो ऊपर बयान हुआ।

4485:— कुबैरा बिन जुवैब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शराब पिये उसे कोड़े मारो, फिर पिये तो कोड़े मारो, फिर तीसरी या चौथी बार पिये तो उसे क़त्ल कर दो। फिर आप के पास एक आदमी लाया गया जिस ने शराब पी थी तो आप ने उसे कोड़े मारे। फिर वही शख़्स दोबारा लाया गया तो फिर उसे कोड़े मारे गये। फिर लाया गया तो कोड़े मारे गये, फिर लाया गया तो कोड़े मारे गये और क़त्ल नहीं किया। इस प्रकार क़त्ल से छूट मिल गयीं।

4486:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि किसी पर हद लगाऊँ (और वह मर जाये) तो किसी की दियत न दूँ सिवाए शराबी के। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (शराबी के मामले में) कोई हद नहीं तै की थी, यह हद हम ने (मश्वरे से) तै की है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि हद जारी करने में स्वास्थ और क्षमता आदि का ख़याल रखना चाहिये।

4487:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अज़हर रज़ि॰ से रिवायत किया, वह कहते हैं कि गोया कि में अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप पालानों में खड़े ख़ालिद बिन वलीद का पालान तलाश कर रहे थे कि आप के पास एक आदमी को लाया गया जिस ने शराब पी रखी थी। आप ने लोगों से कहाः इस को मारो। चुनान्चे कुछ लोगों ने उसे जूते से मारा, कुछ ने लाठी से और कुछ ने खजूर की ताज़ा छड़ी से मारा। इब्ने वहाब ने कहा कि "मी-तख़ह" से मुराद खजूर की हरी और ताज़ा छड़ी मुराद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी ली और उस के मुँह पर मारी।

4488:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अहज़र अपने पिता सेरिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक शराबी लाया गया उस समय आप हुनैन में थे, तो आप ने उस के मुँह पर मिट्टी मारी, फिर सहाबा से फ़रमाया तो उन्होंने भी उस को जूतों सेऔर जो उन केहाथों में था उस से मारा, फिर आप ने फ़रमायाः अब बस करो, तो वह लोग रुक गये। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त हो गया तो अबू बक्र रज़ि॰ ने शराब पीने के जुर्म में चालीस बार मारा। फिर उमर रज़ि॰ ने भी अपनी ख़िलाफ़त के शुरु के ज़माना में चालीस बार मारा,

और अन्तिम ज़माना में अस्सी (80) बार मारा। फिर उस्मान रज़ि॰ ने दोनों तरह मारा, यानी चालीस बार भी और अस्सी बार भी। फिर मुआविया रज़ि॰ ने हद को अस्सी (80) कोड़े कर दिया।

4489:— अब्दुर्रहमान बिन अज़हर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़त्ह मक्का की सुब्ह को देखा, और मैं उस समय अच्छी तरह जवान था, आप लोगों के दर्मियान में से जा रहे थे और ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ का पड़ाव पूछ रहे थे। इसी बीच एक शराबी आप के पास लाया गया तो आप ने लोगों को हुक्म दिया तो उन केहाथों में जो कुछ था उस से उस को मारा। कुछ ने कोड़ा मारा, कुछ ने लाठी मारी, कुछ ने अपना जूता मारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के ऊपर मिट्टी फेंकी। फिर जब अबू बक्र रज़ि॰ का ज़माना आया तो आप के पास एक शराबी लाया गया तो उन्होंने सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अ़मल मालूम किया कि आप ने कितना मरा था? सहाबा ने इस का अन्दाज़ा चालीस बार लगाया, चुनान्चे अबू बक्र ने भी चालीस बार मारा। फिर जब उमर रज़ि॰ का ज़माना आया तो ख़ालिद बिन वलीद ने उन को लिखा कि लोग शराब पीने में लग गये हैं और इस हद और सजा को मामूली समझने लगे हैं। ख़ालिद ने कहा कि सहाबा आप के पास मौजूद हैं उन से मालूम कर लीजिये। आप के पास शुरु के मुहाजिर सहाबा मौजूद थे, तो उमर रज़ि॰ ने मश्वरा किया तो उन्होंने इस बात से इत्तिफ़ाक़ किया कि ऐसे लोगों को 80 कोड़े मारे जाये। अ़ली रज़ि॰ ने कहाः शराबी जब पीता है तो वह झूठ बोलता है और आरोप लगाता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस हद को तोहमत की हद की तरह कर दिया जाये।

फ़ाइदा:— आरोपी और तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाते हैं।

बाब {मस्जिद में हद लगाना।}

4490:— हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िसास लेने शेर (पद्य) पढ़ने और हदें लगाने से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— मस्जिद में हद लगाने से उस का अदब और आदर सम्मान बाक़ी नहीं रहता है।हाँ, हम्द, नात और दीनी नज़्में पढ़ सकते हैं जैसा कि हस्सान रज़ि॰ मस्जिद में पढ़ते थे।

बाब {हद में चेहरे पर मारना।}

0000:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई शख़्स किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से बचे।

बाब {दन्ड और सज़ा देने का बयान।}

4491:— अबू बुर्दा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: “अल्लाह पाक के तै किये हुये हद के अ़लावा किसी जुर्म में दस कोड़ों से अधिक न मारे जायें।

4492:— अबू बुर्दा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना.....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

4493:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई शख़्स मारे तो चेहरे पर न मारे।

फ़ाइदा:— इन्सान ही नहीं जानवर के चेहरे पर भी मारना दुरुस्त नहीं।

फ़ाइदा:— हद में सज़ा तै है जैसे ज़िना की सज़ा रज्म या 100 कोड़े। तोहमत और झूठा आरोप की हद 80 कोड़े। शराब की हद 40 और 80 कोड़े। चोरी में हाथ काटना। लेकिन आ़म जुर्म और शरारत में शरीअ़त ने निश्चित हद और सज़ा नहीं तै की है, इसलिये क़ाज़ी के ऊपर है कि उसे कितनी सज़ा दी जाये। अब यह दन्ड और सज़ा हद की सीमा से आगे भी जा सकती है और 40 और 80 कोड़े से अधिक भी दन्ड दी जा सकती है। सज़ा तै करने में मुजरिम के स्वास्थ और क्षमता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। सज़ा तै करने में भी तरफ़दारी से काम न लेना चाहिये।

❀ ❀ ❀

(38) दियतों का बयान

फ़ाइदा:— दियत (हर्जाना) खूँबँहा से मुराद वह माल है जिस की अदायगी किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को क़त्ल करने या घायल करने की सूरत में वाजिब है। और उस की मात्रा शरीअ़त ने पहले ही तै कर दी है जिस में कमी-बेशी नहीं हो सकती।

बाब {जान के बदले जान लेने का बयान।}

4494:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला कुरैज़ा और नज़ीर (यहूद के दो क़बीले थे) और क़बीला नज़ीर, कुरैज़ा क़बीला के मुक़ाबला में अधिक श्रेष्ठ था। तो जब कुरैज़ा का कोई आदमी नज़ीर के किसी आदमी की हत्या कर देता तो बदले में उसे भी क़त्ल कर दिया जाता। जब नज़ीर के कोई आदमी ने कुरैज़ा के किसी आदमी को क़त्ल कर दिया, तो कुरैज़ा ने कहा: क़ातिल को हमारे हवाले करो हम उसे क़त्ल करेंगे। नज़ीर ने कहा: हमारे तुम्हारे दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़ाज़ी और हकम हैं। तो वह लोग आप के पास आये तब यह आयतें नाज़िल हुयीं: "आप अगर फ़ैसला करें तो उन में इन्साफ़ से फ़ैसला करें (सूर माइदा-42) इस में "क़िस्त" (इन्साफ़) का अर्थ "जान के बदले जान" है। फिर दूसरी आयत नाज़िल हुयी: "क्या भला यह लोग जाहिलिय्यत का फ़ैसला चाहते हैं" (सूर: माइदा-50)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि कुरैज़ा और नज़ीर दोनों क़बीले हारुन अ़लै॰ की नस्ल से हैं।

फ़ाइदा:— इन्सानी जनें सब बराबर हैं। इस्लाम में क़बीला, ज़ात-पात की वजह में दियत में कोई अन्तर नहीं होगा।

बाब {कोई शख़्स अपने बाप या भाई आदि के जुर्म में नहीं पकड़ा जा सकता।}

4495:— अबू रमसा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं अपने पिता जी के साथ नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। आप ने मेरे पिता जी से पूछाः यह तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहाः हाँ, काबा के रब की क़सम। आप नेफ़रमायाः सच? मेरे पिता जी ने कहाः मैं इस की गवाही देता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हँसते हुये मुस्कुराया, क्योंकि में अपने बाप से बहुत मुशाबह था और आप ने मेरे बारे में क़सम भी खाई थी। फिर आप ने फ़रमायाः ख़र्बदार! न यह तुम्हारे किसी जुर्म में पकड़ा जायेगा और न तुम उस के जुर्म में पकड़े जाओगे। फिर आप ने यह आयत पढ़ीः "कोई जान किसी जान का बोझ न उठाएगी" (सूरः अनआ़म-164)

बाब {हाकिम या क़ाज़ी खूब माफ़ करने को कहे तो कैसा?}

4496:— अबू शुरैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी का कोई क़त्ल होगया हो, या उस का कोई हिस्सा कट गया हो तो उसे तीन में से एक का इख़्तियार है। या तो बदला ले, या तो माफ़ कर दे, या तो दियत (हर्जाना) ले। और जो कोई चौथी बात चाहे तो उस का हाथ पकड़ लो। और जो कोई इस के बाद ज़्यादती करे तो उस के लिये दर्द देने वाला अ़ज़ाब है।

4497:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जब भी कोई मामला लाया जाता जिस में क़िसास होता तो आप माफ़ करने को कहते।

फ़ाइदा:— अगर माफ़ कर दे तो ठीक, वर्ना दबाव नहीं डाला जोयगा और न मजबूर किया जायेगा और न ही ज़र्बदस्ती दियत दिया जायेगा।

4498:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक आदमी का क़त्ल हो गया और उस का मुक़दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप ने क़ातिल कोमक़्तूल के हवाले कर दिया। क़ातिल नेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की क़सम! मैंने उस के क़त्ल का इरादा नहीं किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के वारिस से फ़रमायाः ख़र्बदार! अगर यह सच्चा हुआ फिर तू ने उसे क़त्ल कर दिया तो तू जहन्नम में जायेगा, चुनान्चे उस ने उसे छोड़ दिया। रावी ने बताया कि वह क़ातिल चमड़े की एक लंबी पट्टी से बँधा हुआ था। चुनान्चे वह अपनी पट्टी को घसीटता हुआ चला गया और फिर उस का नाम ही "ज़ुन्निस्-अ़ह" (पट्टी वाला) पड़ गया।

4499:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ का बयान है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था कि एक क़ातिल लाया गया, उस की गर्दन में चमड़े की एक पट्टी (बँधी हुयी) थी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक़्तूल के वली को बुलाया और उस से कहाः क्या तुम माफ़ करते हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या तुम दियत (हर्जाना) लेना कुबूल करते हो? उस नेकहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या क़त्ल करोगे? उस ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः जाओ उसे जाओ। तो जब उस ने पीठ फेरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फिर

पूछाः क्या माफ़ करते हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या दियत लोगे? उस ने कहाः नहीं। आप ने कहाः क्या क़त्ल करोगे? उस ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः जाओ, इसे ले जाओ। फ़िर चौथी मतर्बा फ़रमायाः अगर तुम उसे माफ़ कर दो तो यह अपने और अपने मक़्तूल दोनों के गुनाह को अपने सर लेगा। रावी ने कहाः चुनान्चे उस ने उस को माफ़ कर दिया। वाइल कहते हैं कि मैंने क़ातिल को देखा कि वह अपनी पट्टी घसीटे जा रहा था।

4500:— अल्क़मा बिन वाइल ने इस रिवायत को अपनी सनद से ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया।

4501:— अल्क़मा बिन वाइल अपने पिता से रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति एक हब्शी को पकड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया और कहाः इस ने मेरे भतीजे को क़त्ल कर डाला है। आप ने पूछाः क्या तुम ने उस को क़त्ल किया है? उस ने बताया किमैंने उस के सर पर कुल्हाड़ा मारा था, लेकिन मेरा उस के क़त्ल करने का इरादा नहीं था। आप ने पूछाः क्या तुम्हारे पास माल है कि उसे दियत दे सके? उस ने कहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या अगर मैं तुझे छोड़ दूँ और तू लोगों से माँगे और उस की दियत जमा कर ले (तो क्या ऐसे कर सकता है?) उस ने कहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या तेरे मालिक (या तेरी क़ौम के लोग) तुझे उस की दियत दे सकते हैं? उस ने कहाः नहीं। आप ने मक़्तूल के वली से पूछाः उस को पकड़ लो। चुनान्चे वह उसे क़त्ल करने के लिये चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़बर्दार! अगर उस ने उस को क़त्ल कर दिया तो उसी की तरह हो जायेगा। तो वह (मक़्तूल का वली) क़ातिल को लेकर उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ से उस ने आप की बात सुनी थी और बोला! लीजिये, यह रहा, आप जो चाहें उस के बोर में हुक्म फ़रमायें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस को छोड़ दो, यह अपने और अपने मक़्तूल के गुनाह अपने सर लेकर जहन्नमी लोगों में से होगा। वाइल ने कहाः चुनान्चे उस ने उसको छोड़ दिया।

फ़ाइदा:— चूँकि उस ने क़त्ल के इरादा से नहीं मारा था इसलिये जान केबदले जान नहीं ली जायेगी, बल्कि हर्जाना लिया जायेगा। इस को "ग़लती से क़त्लकरना" (क़तले ख़ता) कहा जायेगा।

4502:— उमामा बिन सहल बयान करते हैं कि हम उस्मान रज़ि॰ के यहाँ गये जबकि वह अपने घर में घिरे हुये थे। घर में एक ऐसी जगह थी कि जो वहाँ दाख़िल होता बलात के स्थान पर बैठे लोगों की बातें सुन सकता था। चुनान्चे उस्मान रज़ि॰ उस जगह गये और फिर हमारे पास वापस आयेतो उन का रन्ग उड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि यह (बलवाई, फ़सादी) अब मुझे क़त्ल कर देने की धमकियाँ देने लगे हैं। हम ने कहाः ऐ ख़लीफ़ा! अल्लाह पाक उन की तरफ़ से आप के लिये काफ़ी होगा। उन्होंने कहाः यह मुझे क्यों क़त्ल करना चाहते हैं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "किसी मुसलमान का ख़ून हलाल नहीं, मगर यह कि उस ने तीन कामों में से एक काम किया हो। (1) इस्लाम के बाद कुफ़्र इख़्तियार किया हो (2) या शादी होने के बाद ज़िना किया हो(3) या क़िसास न बनता हो फिर भी क़िसास लेकर क़त्ल कर दिया हो"

अल्लाह की क़सम! मैंने कभी ज़िना नहीं किया, न जाहिलिय्यत के ज़माना में और न इस्लाम लाने के बाद। और जब से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा इस इस्लाम के बदले कोई और दीन होता। और मैंने किसी को क़त्ल भी नहीं किया है, तो फिर यह मेरे क़त्ल करने पर आख़िर क्यों उतारु हैं?

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उस्मान और अबू बक्र दोनों ही ने जाहिलिय्यत के समय ही से शराब छोड़ दी थी।

4503:— वहब बिन बयान ने रिवायत किया कि मुहल्लम बिन जस्सामा लैसी ने इस्लाम लाने के बाद क़बीला अशजा के एक आदमी को क़त्ल कर दिया और यह दियत का पहला मुक़दमा था जिस का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया। चुनान्चे उयैना ने मक़्तूल के बारे में बात शुरु की, क्योंकि उस का संबन्ध ग़ितफ़ान क़बीला से था। और अक़रा बिन हाबिस ने मुहल्लम की तरफ़ से बात शुरु की क्योंकि उस का संबन्ध क़बीला ख़न्दक़ से था। उन लोगों की आवाज़ ऊँची हो गयी और बहुत शोर और हल्ला और झगड़ा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ उयैना! क्या तुम दियत नहीं लोगे? उन्होंने कहाः नहीं। अल्लाह की क़सम! जब तक मैं उस की महिलाओं को भी वह तक्लीफ़ और दुःख न दे दूँ जो उस ने मेरी महिलाओं को पुहँचाया है। इस के बाद फिर ऊँची आवाज़ें हो गयीं और शोर और हल्ला होने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ उयैना! क्या तुम दियत नहीं क़ुबूल करोगे? इस पर उयैना ने पहले ही की तरह जवाब दिया। इस पर क़बीला बनी कैस का एक आदमी खड़ा हुआ जिस का नाम मुकतकीला था, वह हथियारसौंते हुये था और उस के हाथ में ढाल भी थीं। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस घटना में जो इस्लाम के शुरु में पेश आया है और कोई मिसाल नहीं मिलती कि घाट पर आती बकरियों में पहली को पतर मार दिया जाये तो आख़िरी वाली भी भाग जाती है। और (दूसरी मिसाल) आज एक तरीक़ा इख़्तियार करो तो कल उसे बदल दो। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पचास ऊँट तो फ़ौरी तौर पर अभी दिये जायें और पचास जब हम मदीना लौटें (तब देंगे) और यह घटना आप के सफ़र की है। मुहल्लम एक लंबे क़द काठी का साँवले रन्ग का आदमी था, वह लोंगों की एक जानिब बैठा हुआ था। लोग उसी हालत पर थे कि वह जगह बनाता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने आ बैठा, जबकि उस की आँखों से आँसू बह रहे थे। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से यह काम हो गया जिस की आप को ख़बर मिली है। मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरे लिये अल्लाह पाक से दुआ फ़रमायें कि अल्लाह माफ़ फ़रमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तू ने इस्लाम लाते ही अपने हथियार से क़त्ल कर डाला। ऐ अल्लाह! मुहल्लम को न माफ़ फ़रमा। यह आप ने बुलन्द आवाज़ से कहा। अबू सलमा ने यह भी कहा कि फिर वह उठ खड़ा हुआ और अपनी चादर के कनारे से अपने आँसू पोंछ रहा था।

इबने इसहाक़ ने कहा कि उस की क़ौम का ख़याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने बाद में उस के लिये माफ़ी की दुआ फ़रमायी थी।

फ़ाइदा:— हदीस में दो उदाहरण दिये हैं उन में अपने मुख़ातब को अपने मतलब की बात पर लाने के लिये उभारना उद्देश्य था। पहली मिसाल में है कि अगर आज इस पहले क़ातिल से क़िसास ले लिया जाये तो दूसरों के लिये नसीहत हो जायेगी और कोई क़त्ल करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी मिसाल में यह है कि "आज एक नियम बनायें और कल उसे बदल दें" यह हिक्मत के ख़िलाफ़ है। एक अटल स्टैन्ड लें........।

बाब {जानबूझ कर क़त्ल में मक़्तूल का वारिस अगर दियत लेने पर राज़ी हो (तो दुरुस्त है)}

4504:— अबू शुरैह काबी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ बनी ख़ज़ाआ के लोगों! तुम ने हुज़ैल का यह आदमी क़त्ल किया है, मैं इस की दियत (हर्जाना) अ़दा कर रहा हूँ। मेरी इस बात के बाद जिस किसी का कोई आदमी क़त्ल किया गया तो उस के वारिसों को दो बातों में से एक का इख़्तियार होगा कि या तो दियत ले लें या (क़िसास में) क़त्ल कर दें।

फ़ाइदा:— एक तीसरा इख़्तियार भी है कि "माफ़" कर दें।

4505:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का बयान है कि जब मक्का फ़त्ह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े हो कर खुत्बा दिया किः " जिस किसी का कोई आदमी क़त्ल किया गया हो तो उसे दो बातों में से एक का इख़्तियार है कि या तो दियत दिया जाये या क़िसास। तब यमन नगर के एक आदमी जिस का नाम अबू शाह था ने खड़े होकर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस बात को मुझे लिख कर दे दीजिये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अबू शाह को लिख दो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खुत्बा का लिखना है।

4506:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मोमिन को काफ़िर के बदले न क़त्ल किया जाये। और जिस किसी ने किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल किया तो क़ातिल को, मक़्तूल के वारिसों के हवाला किया जाये, वह चाहें तो उसे (क़िसास में) क़त्ल कर दें और अगर चाहें तो दियत ले लें।

फ़ाइदा:— मोमिन को काफ़िर केबदले क़त्ल न किया जाये.....यह मस्अला हदीस न॰ 4530 में आ रहा है।

बाब {अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल करे तो?}

4507:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने दियत लेने के बाद भी (क़िसास में) क़त्ल कर दिया, मैं उसे नहीं छोडूँगा।

फ़ाइदा:— यानी ऐसे शख़्स से भी क़िसास लिया जायेगा।

बाब {अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर पिला दे या खिला दे और वह मर जाये तो क्या उस से क़िसास लिया जायेगा?}

4508:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक यहूदी महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमके पास ज़हर मिला हुआ बकरी का माँस लायी तो आप ने उस में से कुछ खा लिया। फिर उस महिला को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप ने उस से पूछा तो उस ने बताया कि मैंने आप को क़त्ल करना चाहा था। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तुझे यह काम न करने देगा, या यह फ़रमाया कि "अल्लाह पाक तुझे मुझ पर मुसल्लत न होने देगा। सहाबा ने कहाः क्या हम उसे क़त्ल न कर दें? आप ने फ़रमायाः नहीं। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उस ज़हर का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के गले में कौए पर देखता हूँ।

4509:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक यहूदी महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ज़हर मिला हुआ बकरी (का माँस) हदिया में दिया। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को कुछ न कहा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह यहूदी महिला मरहब की बहन थी जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ज़हर देने की कोशिश की थी।

4510:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते थे कि ख़ैबर वालों की एक मिहला ने एक बकरी को आग पर भून कर ज़हर मिला दिया और फिर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उपहार में दे दिया तो आप ने उस के दस्त का हिस्सा ले लिया और खाने लगे और आप के साथ सहाबा की एक जमाअ़त भी उसे खाने लगी। फिर आप ने फ़रमायाः अपेन हाथ खींच लो। फिर उस महिला को बुलवा कर पूछाः तेरा इस से क्या इरादा था? उस ने कहाः मेरा ख़याल था कि अगर यह नबी हुआ तो उसे यह हर्गिज़ नुक़सान न पहुँचायेगा, और अगर नबी न हुआ तो हम उस से नजात पा जायेंगे। इस पर आप ने फ़रमायाः मैने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। और आप के वह सहाबा जिन्होंने उस बकरी में से खाया था उन में से एक (बशीर बिन बरा) देहान्त कर गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खाने की वजह से अपने कन्धों के दर्मियान में पोछना लगवाया। यह पोंछना आप को अबू हिन्द ने गाय के सींग और छुरी के साथ लगाए। और अबू हिन्द अन्सार क़बीला का गुलाम था।

4511:— अबू सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ैबर में एक यहूदी महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक भुनी हुयी बकरी हदिया की......और जाबिर रज़ि॰ की ऊपर वाली रिवायत की तरह बयान किया....और कहा कि बिश्र बिन बरा बिन मारुर अन्सारी (उस के खाने की वजह से) देहान्त कर गये तो आप ने उस महिला को बुलवाया (और उस से पूछा) तुझे इस काम पर किस चीज़ ने आमादा किया था?.......और जाबिर रज़ि॰ की हदीस की तरह रिवायत किया.......तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के बारे में हुक्म दिया तो उस को

क़त्ल कर दिया गया। और पोछना लगवाने का मामला इस हदीस में ज़िक्र नहीं किया।

फ़ाइदा:— अगर कोई किसी को ज़हर देकर मार डाले तो क़िसास में उसे भी क़त्ल किया जायेगा।

4512:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उपहार कुबूल फ़रमा लेते थेऔर सदक़ा नहीं खाते थे। अबू सलमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहे वसल्लम उपहार कुबूल फ़रमा लेते थे और सदक़ा नहीं खाते थे। अबू सलमा से रिवायत है.....और अबू हुरैरा का वास्ता ज़िक्र नहीं किया.....कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हदिया कुबूल फ़रमाते और सदक़ा नहीं खाते थे। और यह भी कहा कि एक यहूदी महिला ने ख़ैबर में आप को एक बकरी हदिया की जो भुनी हुयी थी और उस ने उसे ज़हरीला कर दिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के साथ (सहाबा) लोगों ने भी उस में से खाया। आप ने फ़रमायाः अपने हाथ खींच लो, उस ने मुझे बताया है कि उस में ज़हर मिला हुआ है। फिर (उस के खाने से) बिश्र बिन बरा अन्सारी का देहान्त होगया तो आप ने उस यहूदी महिला को बुलवाया (और पूछा) तुझे इस काम के करने पर किस ने उकसाया था? उस ने कहाः अगर आप नबी हैं तो मेरे इस काम से आप को कोई हानि नहीं पहुँचेगा। और अगर आप बादशाह हैं तो मैं लोगों को आप से नजात दिला सकूँगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस महिला के बारे में हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर आप ने अपने उस तक्लीफ़ के बारे में बताया जिस में आप का देहान्त हुआ था "मैं उन लुक़्मों की वजह से जो मैंने ख़ैबर में खाये थे हमेशा तक्लीफ़ में रहा हूँ, और अब यह समय आ गया है कि उस ज़हर ने मेरी शाह रग काट दी है।"

फ़ाइदा:— उस महिला के बारे में दो तरह की रिवायत आयी है (1) आप ने माफ़ कर दिया (2) आप ने क़िसास में उसे क़त्ल कर दिया। तो दोनों ही रिवायतें अपने स्थान पर सहीह हैं। पहले तो आप ने अपने बारे में माफ़ कर दिया, लेकिन जब सहाबी का देहान्त हुआ तो बदले में उसे क़त्ल कर दिया। इस हदीस से एक बहुत ही अहम बात यह मालूम हुयी कि आप ग़ैब की बातें नहीं जानते थे वर्ना ज़हर मिला हुआ माँस क्यों खाते।

4513:— अ़ब्दुर्रहमान अपेन पिता कअ़ब बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि जिस बीमारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त हुआ उन दिनों उम्मे मुबश्शिर (ज़ैद बिन हारिसा की पत्नी) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या ख़याल करते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में यही समझती हूँ कि वह ज़हर मिली हुयी बकरी जो उन्होंने आप के साथ ख़ैबर में खाई थी वह उसी खाने की वजह से प्रभावित हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे भी अपने बारे में यही गुमान है और यह समय आ गया है कि मेरी शाहरगें कट रही हैं।

4514:— उम्मे मुबश्शिर रज़ि॰ से रिवायत है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की

ख़िदमत में हाज़िर हुयीं........और फिर ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया जैसे कि जाबिर की रिवायत में आया है......उन्होंने कहा कि फिर बिश्र बिन बरा बिन मारुर रज़ि॰ का देहान्त हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस यहूदी को बुलवाया और उस से पूछा कि तुम्हें इस काम के करने पर किस ने उकसाया था?.....और फिर जाबिर की हदीस की तरह बयान किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के बारे में हुक्म दिया और उसे क़त्ल कर दिया गया, और पोछना लगवाने का ज़िक्र नहीं किया।

बाब {अगर कोई अपने गुलाम को क़त्ल कर दे, या उस का कान, नाक आदि काट डाले तो क्या उस से भी क़िसास लिया जोयगा?}

4515:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम उसे क़त्ल कर देंगे (बदला में) और जो अपने गुलाम की नाक काटेगा हम भी उस की नाक काटेंगे।

4516:— इमाम क़तादा ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अपेन गुलाम को ख़स्सी किया हम भी उसे ख़स्सी कर देंगे। और फिर शोबा और हम्माद की हदीस की तरह बयान किया (हदीस न॰ 4514, 4515)

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। सही मस्अला नीचे की हदीस न॰ 4517 में आ रहा है कि नहीं काटा जोयगा। जिन के नज़दीक हदीस न॰ 4516 सहीह है उन के नज़दीक यह हदीस मन्सूख़ है।

4517:— इमाम क़तादा ने भी इमाम शोबा की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है। और यह भी बयान किया है कि हसन यह हदीस भूल गये। और कहा करते थे कि किसी आज़ाद को किसी गुलाम के बदले में क़त्ल नहीं किया जायेगा।

4518:— हिशाम ने भी क़तादा के वास्ते से हसन से रिवायत किया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद से गुलाम का क़िसास नहीं लिया जाता।

4519:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी चिल्लाता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयाऔर कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस की लौंडी थीं। आप ने फ़रमायाः तुझ पर अफ़सोस है, तुझे क्या हुआ है? उस ने कहाः बहुत बुरा हुआ है। मैंने अपने मालिक की लौंडी को देख लिया तो उस को ग़ैरत आ गयी और फिर उस ने मेरी शर्मगाह को काट डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस आदमी को मेरे पास लाओ। उसे तलाश किया मगर न ला सके तो आप ने गुलाम से फ़रमायाः जाओ तुम आज़ाद हो। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर वह मुझे दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश करे तो?) मेरी मदद कौन करेगा? आप ने फ़रमायाः हर मुसलमान, या हर मोमिन।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि आज़ाद किये जाने वाले का नाम रौह बिन दीनार था। और

जिस ने उस का ज़कर (शर्मगाह) काटी थी उस का नाम ज़िन्बाअ़ था। इमाम अबू दावूद ने कहा कि ज़िन्बाअ़ का नाम अबू रौह था जो रौह बिन दीनार का मालिक था।

फ़ाइदा:— मालिक अगर अपने नौकर गुलाम का कोई हिस्सा काट दे तो गुलाम आज़ाद हो जोयगा। और मालिक से बदला नहीं लिया जोयगा (हदीस न॰ 4517)·

बाब {क़सामत का बयान।}

4520:— सहल बिन अबू हसमा और राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से रिवायत है कि मुहय्यिसा बिन मस्ऊद और अ़ब्दुल्लाह बिन सहल ख़ैबर की तरफ़ रवाना हुये और खजूरों के बाग़ में अलग-अलग हो गये। पस अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल कर दिया गया। सो उन्होंने वहाँ के यहूदियों पर आरोप लगाया। फिर मक़्तूल के भाई अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल और उन के चचा के भाई हुवय्यिसा और मुहय्यिसा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुये। अ़ब्दुर्रहमान जो भाइयों में सब से छोटे थे अपने भाई के मामले में बात करने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बड़े को बात करने दो, या यह फ़रमायाः पहले बड़ा बात शुरु करे। फिर उन दोनों ने अपने मक़्तूल भाई के बारे में बात की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से पचास आदमी उन के ख़िलाफ़ पचास क़समें खायें तो मुलज़िम की रस्सी तुम्हारे हवाले कर दी जायेगी। उन्होंने कहाः यह ऐसा मामला है जो हम ने अपनी आँखों से नहीं देखा तो हम कैसे क़सम खायें? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फिर यहूदी लोग पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह काफ़िर लोग हैं (उन की क़सम का क्या एतबार?) बहर हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी तरफ़ से उस मक़्तूल की दियत अदा फ़रमायी। सहल कहते हैं कि मैं एक दिन उन के बाड़े में चला गया तो ऊँटों में से एक ने मुझे लात मारी थी। हम्माद बिन ज़ैद ने भी इसी प्रकार या ऐसे ही बयान किया।

4521:— सहल बिन अबू हसमा रज़ि॰ और उन की क़ौम के बड़ों ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा इन लोगों को माली कठिनाई का सामना था, तो वह दोनों (मेहनत-मज़दूरी की तलाश में) ख़ैबर की तरफ़ निकल गये। फिर मुहय्यिसा को ख़बर दी गयी कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल कर के एक कुँए या चश्मे में फेंक दिया गया है। तो वह यहूदियों के पास गये और कहाः अल्लाह की क़सम! तुम लोगों ही ने उस की हत्या की है। उन लोगों ने उत्तर दियाः अल्लाह की क़सम! हम ने उन को क़त्ल नहीं किया। फिर वह चले आये और अपनी क़ौम के पास पहुँचे और उन सब को बताया तो वह और उन के बड़े भाई हुवय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास) हाज़िर हुये तो मुहय्यिसा बात करने लगे..... और ख़ैबर में होने वाली घटना बयान की.....तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बड़े का ख़याल करो, यानी जो उमर में बड़ा है। फिर हुवय्यिसा ने बात की और इन के बाद मुहय्यिसा ने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह लोग तुम्हारे

आदमी की दियत दें या फिर जन्ग के लिये तय्यार हो जायें......इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें तफ़सील लिख भेजी। तो उन्होंने जवाब में लिखाः अल्लाह की क़सम! हम लोगों ने उसकी हत्या नहीं की है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान से फ़रमायाः क्या तुम क़समें खाओगे कि अपने आदमी के खून के हक़दार बन सको। उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः तो फिर अब यहूदी लोगं क़सम खायेंगे। उन्होंने कहाः वह तो मुसलमान हैं नहीं (उन की कसम का क्या भरोसा?) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी तरफ़ से उस की तरफ़ सो दियत अ़दा फ़रमायी और सौ ऊँटनियाँ उन की तरफ़ भेज दीं और वह सब उन के बाड़े में दाख़िल कर दी गयीं। सहल कहते हैं कि उन में से एक लाल ऊँटनी ने मुझे लात मार दी थी।

फ़ाइदाः— इस हदीस से बहुत अहम मस्अले मालूम हुये (1) मामले दारी में काफ़िर से भी क़सम ली जायेगी। केवल अल्लाह की क़सम ली जायेगी। (2) मामला साफ़ न हो तो बैतुल माल से अ़दा किया जायेगा (3) काफ़िरों के यहाँ मज़दूरी करनी दुरुस्त है (4) मज्लिस में पहले बड़ा बात करे.... आदि।

4522:— अ़म्र बिन शुऐब रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी नज़ीर बिन मालिक के एक आदमी को क़सामत के फ़ैसले में (क़िसास में) क़त्ल किया गया था। यह क़बीला (ताइफ़ के आस-पास में) लिय्यह शहर के कनारे "बह्-रर्तिरुग़ात" के स्थान पर रहता था। रावी ने कहा कि क़ातिल और मक़्तूल दोनों ही उसी क़बीला में से थे।

बाब {क़सामत की वजह से क़िसास न लेने का बयान।}

4523:— सहल बिन अबू हसमा रज़ि॰ ने बयान किया कि उन की क़ौम के कुछ लोग ख़ैबर गये और वहाँ जा कर अलग-अलग हो गये। फिर उन्होंने अपने में से एक को पाया कि उसे क़त्ल कर दिया गया। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा जहाँ क़त्ल हुआ था कि तुम ने हमारे साथी को क़त्ल किया है। उन्होंने कहाः हम ने उसे क़त्ल नहीं किया है और न ही हम उस के क़ातिल को जानते हैं। चुनान्चे हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये तो आप ने फ़रमायाः तुम लोग उस के क़ातिल के बोर में गवाह पेश करो। उन्होंने कहाः हमारे पास गवाह नहीं है। आप ने फ़रमायाः तब वह तुम्हारे जवाब में क़सम खायेंगे। उन्होंने कहाः हम यहूद की क़सम पर राज़ी नहीं हैं, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नापसन्द किया कि उस मक़्तूल का खून बर्बाद जाये तो सदक़ा के ऊँटों में से उस की दियत सौ ऊँटनियाँ अ़दा फ़रमा दीं।

4524:— राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ ने बयान किया कि अन्सारी लोगों का ऐ आदमी ख़ैबर में क़त्ल हो गया तो उस के वारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये और मक़्तूल के बारे में ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे पास दो गवाह हैं? जो तुम्हारे साथी के बारे में गवाही दें (कि फ़लाँ ने उसे क़त्ल किया है) उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वहाँ मुसलमानों में से कोई तो था नहीं और वह लोग यहूदी हैं, वह क़त्ल से भी बड़ा कान्ड कर सकते हैं। आप ने

फ़रमायाः उन यहूदियों में से पचास आदमियों को चुन लो फिर उन से क़सम लो। मगर उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी तरफ़ से उस की दियत अ़दा फ़रमाई।

फ़ाइदा:— पहले मुद्दअ़ी लोगों में से पचास आदी क़सम खा कर अपना दावा साबित करेंगे, वर्ना मुद्दआ़ अ़लैह से क़सम ली जायेगी।

4525:— अ़ब्दुर्रहमान बिन बुजैद रज़ि॰ ने कहाः अल्लाह की क़सम! सहल को इस हदीस (के बयान करने) में वहम हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों को लिखा था कि तुम्होर क्षेत्र में मक़्तूल मरा पाया गया है इसलिये उस की दियत (हर्जाना) अ़दा करो। उन यहूदियों ने लिखा और (अपने ख़त में) अल्लाह के नाम की पचास क़समें खायीं कि हम ने उस को नहीं क़त्लकिया है और न ही हम लोग क़त्ल करने वाले (हत्यारे) को जानते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की दियत एक सौ ऊँटनियाँ अपनी तरफ़ से अ़दा कर दी।

4526:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और सुलैमान बिन यसार, अन्सार के कई लोगों से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा.......और उन ही से आरंभ किया.......तुम में से पचास आदमी- क़समें खायें। मगर उन्होंने इन्कार कर दिया तो आप ने अन्सारी लोगों से कहाः पहले तुम अपना हक़ साबित करो (यानी क़समें खाओ) उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम अनदेखी बात पर कैसे क़सम खायें? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की दियत यहूदियों पर डाल दी, क्योंकि मक़्तूल उन ही के क्षेत्र में पाया गया था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। यहूदियों पर दियत नहीं डाली थी, बल्कि आप ने खुद बैतुल माल से दिलाया था।

बाब **{क़ातिल से क़िसास लेने का बयान।}**

4527:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक लड़की पाई गयी जिस का सिर दो पत्थरों से कुचल दिया गया था (और अभी जान बाक़ी थी) उस से पूछा गयाः तेरे साथ यह हर्कत किस ने की। क्या फ़लाँ ने की? क्या फ़लाँ ने की? यहाँ तक कि उस यहूदी का नाम लिया गया (जिस ने सर कुचला था) तो उस ने अपने सिर से इशारा किया (कि हाँ उस ने कुचला है) चुनान्चे उस यहूदी को पकड़ा गया, और उस ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस का भी सिर पत्थरों से कुचल दिया जाये।

4528:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक अन्सारी लड़की को क़त्ल कर दिया जो कुछ ज़ेवर पहने हुये थी उस की लालच में, और फिर कुँए में फेंक दिया और उस का सर पत्थर से कुचल दिया। उसे पकड़ लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप ने उस के बारे में हुक्म दिया कि उस को पत्थर से मार कर हलाक कर दिया जाये यहाँ तक कि मर जाये चुनान्चे उसे रज्म कर दिया गया और वह मर गया।

फ़ाइदा:— इस हदीस में रज्म करने का ज़िक्र है और दूसरी रिवायतों में क़िसास में पत्थर से उस का भी सर कुचलने का ज़िक्र है।

4529:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक लड़की अपने चाँदी के ज़ेवर पहने हुये थी कि एक यहूदी ने उस का सर पत्थर से कुचल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस लड़की के पास आये जब कि अभी उसके अन्दर जान बाक़ी थी। आप ने उस से पूछाः तुझे किस ने क़त्ल किया है? क्या फ़लाँ ने क़त्ल किया है? उस ने अपने सर से इशारा कियाः नहीं। आप ने फिर पूछाः तुझे किस ने क़त्ल किया है, क्या फ़लाँ ने किया है? उस ने अपने सर से इशारा कियाः नहीं। आप ने पूछाः क्या फ़ला ने क़त्ल किया है? उस ने अपने सिर से इशारा कियाः हाँ। इस पर आप के हुक्म से उस को दो पत्थरों के बीच रख कर क़त्ल कर दिया गया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि महिला के बदले में मर्द को भी क़त्ल किया जायेगा। और यह कि जिस प्रकार मार कर जान ली है उसी प्रकार उस की भी जान ले ली जायेगी। क़िसास में मर्द और औरत में कोई फ़र्क़ नहीं है।

बाब {क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले में क़त्ल किया जायेगा?}

4530:— क़ैस बिन अ़ब्बाद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं और अश्तर अ़ली रज़ि॰ के पास गये और उन से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आप को कोई ख़ास वसिय्यत फ़रमायी है जो आ़म लोगों से न कही हो? उन्होंने कहाः नहीं, मगर यह कि जो मेरे पास इस किताब में है........... मुसद्दद ने कहा कि फिर उन्होंने वह तहरीर निकाली। अहमद बिन हंबल ने कहाः उन्होंने अपनी तलवार के मियान में से यह तहरीर निकाली......... उस में लिखा था कि "तमाम ईमान वालों का खून बराबर है। वह अपने अ़लावा के मुक़ाबले में एक हाथ है (यानी एक-दूसरे की सहायता करने के पाबन्द हैं) उन के ज़िम्मे और अमान का उन में का छोटा आदमी भी पाबन्द है। ख़बर्दार! किसी मोमिन को किसी काफ़िर के बदले में और किसी अमान वाले को उस के अमान दिये जाने के ज़माने में क़त्ल न किया जाये। जिस ने दीन में कोई नया काम किया (यानी बिद्अ़त ईज़ाद की) तो उस का बवाल उस की अपनी जान पर है। जिस ने कोई बिदअ़त ईजाद की, या किसी बिद्अ़ती को जगह दी तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो"

मुसद्ददद ने इब्ने अ़रुबा के वास्ते से यूँ रिवायत किया फिर अ़ली रज़ि॰ ने वह तहरीर निकाली।

फ़ाइदा:— काफ़िर के बदले में क़िसास में किसी मुसलमान को क़त्ल नहीं किया जायेगा, अल्बत्ता दियत (हर्जाना) दिया जायेगा। इस हदीस की रोशनी में शिया फ़िर्क़ा का दावा झूठा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़लीफ़ा बनने की वसिय्यत की थी।

4531:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। और इतना

इज़ाफ़ा किया कि "उन मुसलमानों का सब से दूर का भी फ़र्द अमान दे सकता है। और उन में का ताक़त वाला और तेज़ी से चलने वाला अपने साथ कमज़ोर और धीमी चाल वाले मुसलमान को भी साथ लेकर चले (और माल ग़नीमत में उस को शरीक करे) और छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे।

फ़ाइदा:— अन्तिम वाक्य का यह अर्थ है कि जिहाद में एक छोटा दस्ता, बड़े लश्कर से अलग होकर हमला करे और वह माले ग़नीमत हासिल करे तो उस माल में बड़ा लश्कर भी शामिल होगा।

बाब {अगर कोई शख़्स किसी ग़ैर को अपनी बीवी के पास पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे?}

4532:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई शख़्स अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे मर्द को देखे तो क्या उसे मार डाले? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं। सअ़द रज़ि॰ बोलेः क्यों नहीं, उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ इज़्ज़त दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने सर्दार की बात सुनो, क्या कह रहा है।

अब्दुल वह्हाब की रिवायत में है "सुनो, सअ़द क्या कह रहा है" (यानी बहुत ही ग़ैरत मन्द हैं)

4533:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः फ़रमाइये कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ किसी ग़ैर आदमी को पाऊँ तो क्या उसे छोड़ दूँ और जाकर चार गवाह लाऊँ? आप ने फ़रमायाः हाँ।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि इस हालत में भी क़त्ल करने की इजाज़त नहीं है। और यह कि ग़ैरत अपनी जगह पर और शरीअ़त का हुक्म अपनी जगह पर जिस पर अ़मल करना अनिवार्य है।

बाब {अनजाने तौर पर अगर किसी अधिकारी से कोई व्यक्ति घायल हो जाये तो?}

4534:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू जोहम बिन हुज़ैफ़ा रज़ि॰ को ज़कात वसूली करने का अधिकारी बना कर भेजा। सदक़ा के हिसाब में उन का एक आदमी से झगड़ा हो गया तो अबू जोहम ने उस को मार कर घायल कर दिया। इस पर वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! हम बदला लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम तुम्हें इतना-इतना माल देते हैं। मगर वह राज़ी न हुये। आप ने फ़रमायाः चलो इतना-इतना और माल ले लो। मगर वह इस पर भी राज़ी न हुयेतो आप ने फ़रमायाः अच्छा इतना-इतना ले लो। इस पर वह राज़ी हो गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आज रात को में खुत्बा दूँगा और लोगों को बताऊँगा कि तुम लोग राज़ी हो गये हो। उन्होंने कहाः ठीक है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुत्बा दिया और उस में फ़रमायाः क़बीला बनी लैस के यह लोग मेरे पास क़िसास का मुतालबा लेकर आये थे तोमैंने उन्हें इतना-इतना माल देने की पेशकश की तो वह लोग राज़ी

होगये। (फिर क़बीला बनी लैस को मुख़ातब कर के पूछा) क्या तुम राज़ी हो? उन्होंने कहाः नहीं। यह सुन कर मुहाजिर लोग भन्ना उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया तो वह लोग रुक गये। आप ने उन लोगों को फिर बुलाया और अधिक माल देने का वादा किया फिर पूछाः क्या तुम राज़ी हो? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः मैं लोगों को ख़ुत्बा दूँगा और उन्हें तुम्हारे राज़ी होने के बारे में बताऊँगा। उन्होंने कहाः ठीक है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुत्बा दिया और उन से पूछाः क्या तुम लोग राज़ी हो? उन्होंने कहाः हाँ (हम राज़ी हैं)

बाब {लोहे के हथियार के अ़लावा दूसरी तरह से क़िसास लेना।}

4535:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक लड़की पायी गयी जिस का सिर दो पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था। उस लड़की से पूछा गयाः तेरे साथ यह किस ने किया है? क्या फ़लाँ ने किया है? क्या फ़लाँ ने किया है? इस प्रकार उस यहूदी का नाम लिया गया तो उस ने अपने सिर से इशारा किया (कि हाँ) चुनान्चे वह यहूदी पकड़ लिया गया और उस ने इक़रार भी कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस का भी सिर पत्थर से कुचला जाये।

फ़ाइदाः— यहाँ हथियार से क़िसास नहीं लिया गया बल्कि जिस से मुजरिम ने हत्या की थी उसी से उस का भी सिर कुचला गया। ऐसे ही क़बीला उरैना और उक्ल के लोगों को भी हलाक किया गया।

बाब {......मार पीट से क़िसास और हाकिम का अपने से क़िसास दिलवाना।}

4536:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कुछ माल बाँट रहे थे कि एक आदमी आया और आप के ऊपर झुक गया तो आप ने अपनी खजूर की लाठी से जो आप के पास थी, उस को कचोका लगाया जिस से उस का चेहरा घायल हो गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आओ, और अपना बदला ले लो। उस ने उत्तर दियाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैंने क्षमा कर दिया।

4537:— अबू फ़रास से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमायाः मैं अपने हाकिमों को इसलिये नहीं भेजता कि तुम्हारे शरीर पर मारें, या तुम्हारा माल तुम से छीन लें। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसे चाहिये कि अपना मामला मेरे पास लाये ताकि मैं उस से क़िसास लूँ। इस पर अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ ने कहाः अगर किसी ने अपनी प्रजा में से किसी को सज़ा दी हो तो क्या आप उस का बदला लेंगे? उन्होंने कहाः हाँ, उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, मैं उस से बदला लूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि वह अपनी ज़ात से बदला दिलवाते थे।

बाब {महिला भी क़िसास माफ़ कर सकती है।}

4538:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः लड़ाई करने (यानी क़िसास का मुतालबा करने) वाले बदला लेने में हौसले से काम लें (जल्दी न करें) वारिसों में से माफ़ करने का हक़ दर्जा ब दर्जा है, चाहे कोई महिला ही हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि क़त्ल के मामले में वारिसों में अगर कोई महिला भी हो तो वह भी माफ़ कर सकती है।

बाब {.......जो किसी बलवे (फ़साद) में क़त्ल हो जाये।}

4539:— इमाम ताऊस से रिवायत है किजो कोई बलवे में मारा गया हो। और इब्ने उबैद की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स किसी बलवे में मारा गया हो (कि उस को क़त्ल करने वाला देख न पाया हो) पत्थर से, या डन्डे से, या किसी लाठी से मारा हो तो "क़त्ले ख़ता" है। इस की दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी। अल्बत्ता जो शख़्स जान बूझ कर क़त्ल किया गया हो तो उस में क़िसास है। इब्ने उबैद की रिवायत में इतना और भी है कि "क़ातिल की जान से क़िसास लिया जायेगा और जो क़िसास लेने में रुकावट बने तो उस पर अल्लाह की लानत और नाराज़गी हो, उस की कोई भी फ़र्ज़ या नफ़ली इबादत क़ुबूल नही होगी। और सुफ़यान की हदीस अधिक मुकम्मल है।

4540:— इमाम ताऊस ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः और ऊपर सुफ़यान की रिवायत की तरह रिवायत किया।

बाब {दियत (हर्जाना) की मात्रा का बयान।}

4541:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि जो शख़्स ग़लती से क़त्ल किया गया हो तो उस की दियत एक सौ ऊँट है। तीस ऊँटनियाँ (मादा) तीन साला और दस ऊँट (नर) दो साला।

4542:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में दियत की क़ीमत आठ सौ दीनार (सोने के) या आठ हज़ार दिंहम (चाँदी के) थी। और उन दिनों अहले किताब की दियत मुसलमानों की दियत के मुक़ाबले में आधी होती थी। चुनान्चे मामला ऐसे ही रहा यहाँ तक कि उमर रज़ि॰ ख़लीफ़ा बने, तो उन्होंने ख़ुत्बा दिया और कहाः ऊँट महँगे हो गये हैं, फ़िर आप ने यह दियत सोने वालों पर एक हज़ार दीनार और चाँदी वालों पर बारह हज़ार दीनार कर दी। गाय वालों के लिये दो सौ गायें, और बकरी वालेां के लिये दो हज़ार बकरियाँ, हुल्ले (कपड़े) तय्यार करने वालों के लिये दो सौ हुल्ले मुक़र्रर की, और ज़िम्मी लोगों की दियत वैसे ही रहने दी और उन्हें नहीं बढ़ाया।

4543:— अ़ता बिन अबू रिबाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दियत की शरह यूँ मुक़र्रर फ़रमाई थी कि ऊँट वालों पर एक सौ ऊँट, गाय वालों पर दो सौ गायें, बकरी पालने वालों पर दो हज़ार बकरियाँ, कपड़े बुनने वालों पर दो सौ जोड़े, और गन्दुम का

कारोबार करने वालों पर भी कुछ मुक़र्रर किया था, जो मुहम्द बिन इस्हाक़ को याद नहीं रहा।

4544:— अ़ता बिन रिबाह ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमने (दियत की शरह) मुक़र्रर की.....और फिर मूसा बिन इस्माअ़ील की ऊपर की रिवायत की तरह रिवायत किया.......और कहा कि ग़ल्ले वालों पर भी कुछ मुक़र्रर किया था जो मुझे याद नहीं।

4545:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़त्ले-ख़ता दियत (हर्जाना) बीस ऊँटनियाँ तीन साल की, बीस ऊँटनियाँ चार वर्ष की, बीस ऊँटनियाँ एक वर्ष की, बीस ऊँटनियाँ दो वर्ष की, बीस ऊँट (नर) एक वर्ष के। और अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ का क़ौल भी यही है।

बाब **{क़त्ले–ख़ता जो क़त्ले अ़मद की तरह हो, उस की दियत।}**

फ़ाइदा:— **क़त्ल की तीन क़िस्में हैं (1) "क़त्ले अ़मद"** (क़त्ल करेन की ग़रज़ से ही हमला किया हो। (2) "क़त्ले ख़ता" (क़त्ल करने की ग़रज़ से हमला न किया जाये लेकिन इत्तिफ़ाक़ से ऐसी जगह लग जाये कि वह मर जाये) (3) "क़त्ले ख़ता शिबहे-अ़मद" (ऐसी चीज़ से मारा जाये जिस से कोई नहीं मरता केवल चोट लगी है जैसे थप्पड़, कोड़ा, छड़ी आदि से मारना। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से मर जाये।

4546:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी अ़दी का एक आदमी क़त्ल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की दियत बारह हज़ार (दिर्हम) तै फ़रमायी।

4547:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन खुत्बा दियाऔर तीन बार अल्लाहु अक्बर कहा। फिर

> **"लाइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू, स–द–क़ वा–दहू, व–ज–स–र अ़ब्–दहू व–ह–ज़–मल् अह्–ज़ा–ब वह्–दहू** (एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उस ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बन्दे की मदद की) और उस एक अकेले ही ने तमाम गरोहों को पसपा कर दिया)

यहाँ तक की रिवायत मुझे मुसद्दद से याद है। फिर सुलैमान बिन हर्ब और मुसद्दद दोनों रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं..... फ़रमायाः ख़बरदार! जाहिलिय्यत के समय में बयान किये जाने वाले फ़ख्र के काम, या खून और माल का मुतालबा मेरे पांव तले रौंदे जा रहे हैं (उन की कोई हैसियत नहीं और कोई मुतालबा नहीं होगा) सिवाए इस के जो हाजियों को पानी पिलाने की ख़िदमत थी, या बैतुल्लाह की ख़िदमत का शर्फ़ था (वह बाक़ी रहेगा) फिर फ़रमायाः ख़बरदार! क़त्ले ख़त जो क़त्ले अ़मद के मुशाबह हो, जो लाठी और डन्डे की मार से हुआ हो उस की दियत सौ ऊँट हैं। उन में चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिन के पेट में बच्चे हों (यानी गाभिन हों) और मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल है।

4548:— मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया कि हमें वहैब ने ख़ालिद के हवाले से अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

4549:— क़ासिम बिन रबीआ़ ने इब्ने उमर के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, इस में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की सीढ़ी पर खड़े होकर खुत्बा दिया था।

4550:— इमाम मुजाहिद ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ ने शिबहे अ़मद में फ़ैसला किया था कितीन ऊँटनियाँ तीन साल वाली, तीस ऊँटनियाँ चार साल वाली, और चालीस ऊँटनियाँ हमल वाली और उन में दो दाँता यानी छठे से लेकर नवीं साल में शुरु होने वाली के दर्मियान हों।

4551:— अ़ली रज़ि॰ से रिवयत है उन्होंने बयान किया कि शिबहे अ़मद की दियत में ऊँट तीन प्रकार के हों (1) तैंतीस ऊँटनियाँ तीन साला, तैंतीस ऊँटनियाँ चार साला और चौंतीस ऊँटनियाँ छः से नौ वर्ष के दर्मियान की हों, और (यह आख़िरी) सब गर्भवती हों।

4552:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि क़त्ले ख़ता में दियत के ऊँट चार प्रकार के हों (1) पचीस ऊँटनियाँ तीन साला (2) पचीस ऊँटनियाँ चार साला (3) पचीस ऊँटनियाँ दो साला (4) और पचीस ऊँटनियाँ एक साला हों।

4553:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि शिबहे अ़मद की दियत में ऊँटों की तफ़सील यह है कि पचीस ऊँटनियाँ तीन साला, पचीस ऊँटनियाँ चार साला, पचीस ऊँटनिया दो साला और पचीस ऊँटनियाँ एक साला हों।

4554:— उस्मान. बिन अ़फ़्फ़ान और ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है कि "मुग़ल्लज़" दियत की तफ़सील यह है कि चालीस ऊँटनियाँ चार साला और हामिला, तीस ऊँटनियाँ तीन साला, तीस ऊँटनियाँ दो साला, बीस ऊँट नर दो साला और बीस ऊँटनियाँ एक साला।

4555:— सओ़द बिन मुसय्यिब ने ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से दियत मुग़ल्लज़ा में ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब **{ऊँटों की आयु की तफ़सील।}**

इमाम अबू उबैद वग़ैरह ने कहा कि ऊँट जब चौथे साल में जा रहा हो तो उसे "हिक़्क़" और ऊँटनी को "हिक़्क़ह" कहते हैं। और जब पाँचवीं में दाख़िल हो जाये तो "जज़ा" और मादा को "जज़आ" कहते हैं। और जब छठे साल में दाख़िल हो जाये और अपने दो दाँत गिरा दें तो उसे "सनिय्य" और मादा को "सनिय्यह" कहते हैं। और जब सातवें साल में दाख़िल हो जाये तो उसे "रबाअ़" और मादा को "रबाइयह" कहते हैं। और जब आठवें वर्ष में दाख़िल हो जाये और अगले चार दाँतों के बाद वाले दाँत गिरा दे तो उसे "सदीस" और मादा को "सदस" कहते हैं। और जब नवें साल में दाख़िल हो जाये और उस के नाब (यानी नोकदार दाँत) निकल आयें तो उसे "बाज़िल"

कहते हैं। और जब दस्वीं में दाख़िल हो जाये तो उसे "मुख़लिफ़" का नाम दिया जाता है। इस के बाद उन का कोई ख़ास नाम नहीं है। बस यूँ कह देते हैं कि "मुख़लिफ़ आ़म" "मुख़लिफ़ आ़मैन" (यानी एक साल का बाज़िल, दो साल का बाज़िल, एक साल का मुख़लिफ़, दो साल का मुख़लिफ़) जहाँ तक भी जाये।

बाब {आज़ा (अंगों) की दियत का बयान।}

4556:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उँगलियाँ सब बराबर हैं (हर एक की दियत) दस-दस ऊँट हैं।

4557:— अबू मूसा अ़श्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उँगलियाँ सब बराबर है। (इमाम मस्रुक़ ने कहा) मैं कहता हूँ: दस-दस ऊँट? उन्होंने कहाः हाँ।

4558:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहऔर यह बराबर हैं। यानी अन्गूठा और छँगुलियाँ।

4559:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उँगलियाँ सब बराबर हैं, दाँत सब बराबर हैं, आगे के दो दाँत और दाढ़ें, यह और यह सब बराबर हैं।

4560:— इब्नेअ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दोनों हाथ और दोनों पाँव की उँगलियाँ, सब को बराबर क़रार दिया है।

4561:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने दोनों हाथ और दोनों पाँव की उंगलियाँ, सब बराबर क़रार दी हैं।

4562:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने खुत्बे में फ़रमाया, जबकि आप अपनी कमर काबा से लगाए हुये थेः उंगलियों में दस-दस ऊँट हैं।

4563:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दाँतों में पाँच-पाँच ऊँट हैं।

4564:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़त्ले ख़ता में दीहात वालों पर ऊँटों की क़ीमत के एतबार से दियत लागू करते थे, चार सौ दीनार या इस के बराबर चाँदी। जब ऊँट मँहगे हो जाते तो आप दियत की क़ीमत बढ़ा देते और जब सस्ते हो जाते तो दियत की क़ीमत कम कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में यह क़ीमत चार सौ दीनार से आठ सौ दीनार तक, या इस के बराबर आठ हज़ार दिंहम रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गाय वालों पर दो सौ गायें लागू कीं और जिस की दियत में बकरियाँआती थीं तो उन पर दो हज़ार बकरियाँ मुक़र्रर कीं। नबी

करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दियत मक़्तूल के वारिसों में नज़दीकी के एतबार से तर्के में तक़्सीम होगी और जो बाक़ी बच रहे वह असबह के लिये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि जब पूरी तरह काट दी गयी हो उस में पूरी दियत है, और जब उस का सिरा (पाँसा) काटा गया हो तो उस में आधी दियत पचास ऊँट या इस के बराबर सोना या चाँदी, या एक सौ गाय, या एक हज़ार बकरी है। और एक हाथ में जब वह काट दिया गया हो तो उस में आधी दियत है। और एक पाँव में भी आधी दियत है। खोपड़ी का घाव जो दिमाग़ तक पहुँचे उस में तिहाई दियत है। 33 ऊँट और एक ऊँट का तिहाई, या उस की क़ीमत सोना, या चाँदी, या गायें या बकरियाँ। और जो घाव पेट में लगे तो इस में भी इसी प्रकार है (यानी तिहाई दियत) और उँगलियों में हर उंगली के बदले दस ऊँट हैं। और दाँतों में हर दाँत में पाँच ऊँट हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि महिला (अगर कोई जुर्म करे तो उस) की दियत उस के अस्बा के ज़िम्मा है, यानी जो उस हिस्सा के वारिस बनते हैं जो मुक़र्रर हिस्सों के बाद बाक़ी बचा रहे (यानी बाप, बेटा, भाई और चचा आदि) और अगर महिला क़त्ल हो जाये तो उस की दियत उस के वारिसों में तक़्सीम होगी और यही लोग क़ातिल से क़िसास लेने के हक़दार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ातिल के लिये कुछ नहीं। और अगर मक़्तूल का और कोई वारिस न हो तो सब से क़रीबी आदमी उस का वारिस होगा और क़ातिल को वरासत में सब कुछ नहीं मिलेगा।

4565:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "क़त्ले शिबह अमद" की दियत सक़ील (भारी) और सख़्त होती है, जैसे कि "क़त्ले अमद" की। मगर ऐसा करने वाला क़त्ल नहीं किया जा सकता।

4566:— अम्र बिन शुऐब से रिवायत है कि उनके पिता ने उन के दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि॰ से ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐसा घाव जो हड्डी खोल दे इस में पाँच-पाँच ऊँट हैं।

4567:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख की चोट में फ़ैसला फ़रमाया कि आँख अगर अपने स्थान पर बाक़ी रहे (और रोशनी समाप्त हो जाये) तो इस में तिहाई दियत है।

बाब {पेट के बच्चे की दियत।}

4568:— मुग़ीरा बिन शौबा रज़ि॰ से रिवायत है कि दो महिलाएँ क़बीला बनी हुज़ैल के एक आदमी के निकाह में थीं। उन में एक ने दूसरी को खेमे का बाँस दे मारा और उस के पेट के बच्चे को मार डाला। वह लोग अपना झगड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गये तो दोनों तरफ़ के लोगों में से किसी एक ने कहाः हम ऐसे का दियत(हर्जाना) किस प्रकार दें जो न रोया, न खाया-पिया, न चिल्लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या दीहातियों की सी सज़ा है। फिर आप ने फ़रमायाः (पेट में मरे हुये बच्चे की दियत) एक ग़ुलाम है और इस दियत

की अदायगी क़त्ल करने वाली महिला के वारिसों के ज़िम्मा लगाया कि वह अदा करें।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर कोई महिला जुर्म करे तो उस की दियत (हर्जाना) उस के वारिसों के ज़िम्मा है। और अगर पेट का बच्चा मार दिया गया हो तो उस की दियत एक गुलाम है। "सजा" कहते हैं कि जब बात करे तो जुम्लों को एक वज़न पर रखना जिस प्रकार ग़ज़ल में रदीफ़ और क़ाफ़िया एक तरह होता है।

4569:— मन्सूर ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है। अल्बत्ता इतना इज़ाफ़ा भी किया है कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़त्ल की हुयी महिला की दियत, क़त्ल करने वाली के वारिसों के ज़िम्मा डाली, और उस के पेट के बच्चे के बदले में एक गुलाम दियत में रखा।

4570:— मिस्वर बिन मख़रमा रज़ि॰ ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ ने लोगों से मश्वरा किया कि अगर किसी महिला के पेट का बच्चा गिर जाये (तो उस में क्या दियत हो?) मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे मामले में एक गुलाम या लौंडी देने का फ़ैसला सुनाया था। उमर रज़ि॰ ने कहा कि काई गवाह लाइये जो आप की ताईद में गवाही दे। चुनान्चे उन्होंने मुहम्मद बिन मस्लमा को गवाह में पेश किया। हारुन ने यह भी कहा कि: मुहम्मद बिन मस्लमा ने गवाही दी कि अगर कोई हमल वाली महिला को तक्लीफ़ पहुँचाये भी और उस का हमल गिर जाये तो गुलाम दियत है)

4571:— मुग़ीरा बिन शोबा ने भी उमर रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

4572:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उस फ़ैसले के बारे में मालूम किया (जो पेट के बच्चे के बारे में हुआ था) तो हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ा उठा और कहा कि मैं दो महिलाओं के दर्मियान था (यानी मेरी दो पत्नियाँ थीं) एक ने दूसरी को ख़ेमे का बाँस दे मारा और उस को और उस के पेट के बच्चे को मार डाला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के पेट के बच्चे के बारे में एक गुलाम आज़ाद करने का फ़ैसला सुनाया और उस महिला को (जिस ने ख़ेमे के बाँस से क़त्ल किया था) क़िसास में क़त्ल करने का फ़ैसला किया।

4573:— इमाम ताऊस ने कहा कि उमर रज़ि॰ मिंबर पर खड़े हुये......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, मगर इस में "उस क़त्ल करने वाली महिला के क़त्ल कियेजाने का ज़िक्र नहीं किया" अल्बत्ता (पेट के बच्चे के बदले में) एक गुलाम या लौंडी दिये जाने का बयान किया। इमाम ताऊस ने कहा: अल्लाहु अक्बर! अगर मैं यह न सुनता तो इस के अ़लावा कोई और फ़ैसला कर बैठता।

4574:— अ़िक्रमा ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से हमल बिन मालिक के वाक़िआ में बयान किया कि उस ने औ़रत का बच्चा गिरा दिया जो मुर्दा था और उस के बाल जम चुके थे और औ़रत भी मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की दियत उस के वारिसों पर डाल दी तो

उस के चचा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस बच्चे का गर्भपात हुआ है जिस के बाल जम चुके थे। तो क़त्ल करने वाली महिला के पिता ने कहाः अल्लाह की क़सम! यह झूठा है, बच्चा न तो चीखा, न चिल्लाया, न खाया, न पिया, ऐसा खून तो बातिल है (इस में क़िसास और दियत नहीं है) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह क्या जाहिलों और काहिनों की सी सजा है। बच्चे की दियत एक गुलाम या लौंडी अ़दा करो।

इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने कहा कि उन महिलाओं में एक का नाम "मुलैका" और दूसरी का "ग़ुतैफ़" था।

4575:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला हुज़ैल की दो औ़रतों में से एक ने दूसरी की हत्या कर दी, और उन दोनों में से हर एक के शौहर भी था और बच्चा भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़त्ल की हुयी महिला की दियत क़त्ल करने वाली के वारिसों पर डाली। और क़त्ल करने वाली के शौहर और उस के बेटे को दियत के अदा करने से अलग रखा। तो क़त्ल की हुयी के वारिस लोग कहने लगे कि उस की मीरास में हमारा हक़ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं, उस की वरासत में उस के शौहर और बेटे का हक़ है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

4576:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला हुज़ैल की दो औ़रतें आपस में लड़ पड़ीं तो उन में से एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उस क़त्ल कर दिया। फिर वह अपना मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लायेतो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि पेट के बच्चा की दियत एक गुलाम या लौंडी अ़दा की जाये और क़त्ल की हुयी की दियत क़त्ल करने वाली के वारिसों के ज़िम्मा डाली और मक़्तूला (यानी क़त्ल की हुयी) की वरासत उस के बेटे और उस के साथ दूसरे वारिसों को दिलवाई। तो हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भला उस का जुर्माना क्यों कर भरूँ जिस ने न पिया और न खाया, न बोला, न चिल्लाया, ऐसा खून तो बातिल होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह तो काहिनों का भाई लगता है। आप ने यह बात उस की मुसज्जा बात-चीत करने की वजह से फ़रमायी।

4577:— इब्ने मुसय्यिब ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से इस घटना में रिवायत किया कि फिर वह महिला जिस को आप ने गुलाम या लौंडी दिलवाई। मर गयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस की वरासत इस के बेटे को मिले और क़त्ल करने वाली महिला की तरफ़ से दियत इस के अस्बा (वारिसों) पर डाली।

4578:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि एक महिला ने एक दूसरी महिला को पत्थर मार दिया जिस से उस का बच्चा गिर गया। यह मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप ने उस के बच्चे के बारे में पाँच सौ बकरियाँ

उन के ऊपर डालीं और उस दिन से पत्थर मारने से मना फ़रमाया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हदीस में तो 500 बकरियों का ज़िक्र है, लेकिन सहीह 100 बकरियाँ हैं। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह अ़ब्बास (बिन अ़ब्दुल अज़ीम) का वहम है।

4579:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने माँ के पेट के बच्चे के (गिर जाने पर) एक गुलाम या लौंडी, या एक घोड़ा या ख़च्चर अ़दा करने का फ़ैसला फ़रमाया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन सलमा और ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने मुहम्मद बिन अ़म्र सेभी यह रिवायत नक़ल की है मगर उन दोनों ने घोड़े या ख़च्चर का ज़िक्र नहीं किया।

4580:— इमाम शोबी रह॰ से रिवायत है कि लौंडी-गुलाम की क़ीमत 500 दिर्हम है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि लौंडी-गुलाम की क़ीमत 50 दीनार है।

बाब **{मुकातब की दियत का बयान।}**

4581:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुकातब, जो क़त्ल कर दिया जाये, की दियत के सिलसिले में यह फ़ैसला फ़रमाया कि वह जिस क़दर हिस्सा अपनी किताबत का अ़दा कर चुका हो, उस निस्बत से आज़ाद आदमी की दियत दी जाये, और जिस क़दर बाक़ी हो उस में गुलाम की दियत दी जाये।

4582:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुकातब पर जब कोई हद लाज़िम आ रही हो, या किसी का वारिस बन रहा हो, तो जिस की निस्बत से आज़ाद हो चुका हो उसी हिसाब से हद लागू होगी, या वरासत का हिस्सा पायेगा।

फ़ाइदा:— गुलाम अगर आधा आज़ाद है और आधा गुलाम है तो आधी दियत आज़ाद की और आधी गुलाम की अ़दा की जायेगी।

बाब **{ज़िम्मी की दियत का बयान।}**

4583:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वहअपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़िम्मी की दियत आज़ाद की आधी है।

बाब **{अपना बचाव करते हुये अगर हमला करने वाले को कोई नुक़्सान पहुँच जाये या उसे चोट लग जाये तो......।}**

4584:— सफ़वान अपने पिता याला रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे नौकर की एक शख़्स से लड़ाई हो गयी तो दूसरे ने उस के हाथ पर दाँतों से काट लिया तो उस ने अपना हाथ खींच लिया जिस से उस के अगले दोनों दाँत टूट गये। इस पर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास चला गया तो आप ने उस (के इस नुक़्सान) को रद्द कर दिया और फ़रमायाः **क्या तू चाहता था कि वह अपना हाथ तेरे मुँह में दिये रहता और तू उसे ऊँट की तरह चबा डालता?**

फ़ाइदा:— हमला करने वाले के मुक़ाबले में अपना बचाव करना वाजिब है, और इस सूरत में अगर हमलावार को कोई नुक़्सान पहुँचे तो इस का कोई मुआवज़ा नहीं।

4585:— याला बिन उमय्या ने भी इसी प्रकार रिवायत की और इतना और भी बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दाँत काटने वाले से कहा: अगर चाहो तो अपना हाथ उस के मुँह में दे दो, वह भी उसी तरह काटे जैसे कि तुम ने काटा था और तुम भी अपना हाथ खेंच लेते। मतलब यह कि आप ने उस के दाँतों की दियत का रद्द कर दिया (कि कोई दियत नहीं)

बाब {जो कोई बिना जानकारी के डाक्टर बन कर लोगों का उपचार करे और नुक़्सान पहुँचाये तो.......?}

4586:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो यूँ ही (बिना पढ़े-लिखे) डाक्टर बन कर इलाज करे, और इलाज के बारे में कोई जानकारी न हो तो वह ज़िम्मेदार है।

फ़ाइदा:— **यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन कुछ लोगों के निकट हसन है और जाली डाक्टर को नुक़्सान का ज़िम्मेदार ठहराया है।**

4587:— अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से रिवायत है कि एक गरोह के लोग जो मेरे पिता जी के पास आये थे उन में से एक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो डाक्टर किसी क़ौम में डाक्टरी करता फिरे जबकि उसे इलाज के बारे में जानकारी न हो, फिर वह किसी को नुक़्सान पहुँचा दे तो वह ज़िम्मेदार है। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ नेकहा: यह ज़मानत दवा बनाने में नहीं, बल्कि यह रग काटने, चीरा देने, या दाग़ देने की सूरत में है।

बाब {क़त्ले ख़ता जो अ़मद के मुशाबह हो कि दियत।}

4588:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुसद्दद की रिवायत के अनुसार फ़त्ह मक्का के दिन ख़ुत्बा में फ़रमाया: फिर सुलैमान बिन हर्ब और मुसद्दद दोनों का बयान एक है.....कि आप ने फ़रमाया: ख़बरदार! जाहिलिय्यत के ज़माने का फ़ख़ और गुरुर, ख़ून से संबन्धित हो या माल से, जिस का ज़िक्र किया जाता हो, या दावा किया जाता हो वह सब मेरे क़दमों के नीचे है, सिवाए हाजियों का पानी पिलाने और बैतुल्लाह की ख़िदमत के काम के (वह आज भी बाहाल है) फिर फ़रमाया: ख़बरदार! क़त्ल ख़ता जो अ़मद के मुशाबह हो लाठी-डन्डे आदि से जैसे भी हो, उस की दियत सौ ऊँट है, उन में चालीस ऊँनियाँ ऐसी हों जिन के पेट में बच्चे हों।

4589:— वहैब ने ख़ालिद से ऊपर की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

बाब {फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी ऐसे जुर्म को करे जिस पर दियत लागू हो तो.....?}

4590:— अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों का एक गुलाम था, उस ने अमीर लोगों के एक गुलाम का कान काट लिया। चुनान्चे अमीर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मुक़दमा लेकर गये तोफ़क़ीर लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग फ़क़ीर हैं, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन पर कोई दियत नहीं लागू किया।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। "गुलाम" का दूसरा तर्जुमा "नव आयु लड़का" हैं। यानी फ़क़ीर के आज़ाद नौजवान लड़के थे और ग़लती कर डाली तो उन के वली के फ़क़ीर होने के नाते आप ने कुछ बोझ न डाला।

बाब {जो शख़्स किसी आ़म बलवे में क़त्ल हो जाये..........?}

4591:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स किसी बलवे में मारा गया हो (और क़ातिल देखा न गया हो) कि उन की आपस में पत्थर बाजी हुयी है, या लाठी-डन्डा चला है, तो इस की दियत क़त्ल ख़ता वाली होगी। और जो जानबूझ कर क़त्ल किया हो तो इस में क़ातिल की जान से क़िसास है। और जो कोई उस (क़िसास लेने) में आड़े आयेतो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो।

बाब {किसी को अगर जानवर लात मार दे तो...........?}

4592:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जानवर का लात मार देना रद्द है और खनिज (कान) (का नुक़सान) रद्द है (यानी इस पर कोई हर्जाना है)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जानवर का मालिक उस पर सवार हो और वह लात मार दे (तो कोई हर्जाना नहीं)

बाब {जानवर लात मारे या कान में कोई घटना घट जाये तो.......}

4593:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जानवर का घायल कर देना, खनिज कान में दुर्घटना हो जाना, या कुँए में गिर जाना, या कुँए में गिर पड़ना सब रद्द है (यानी कोई दियत नहीं है) और अगर किसी को कोई गड़ा हुआ ख़ज़ाना मिले तो उस में पाँचवाँ है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जानवर जब भाग गया हो और उसके साथ कोई न हो और भागने की घटना दिन में हुई हो रात में न हुई हो।

फ़ाइदा:— अगर जानवर लात मार दे तो उस के मालिक पर कोई दियत नहीं, क्योंकि वह निर्दोष है। एक आदमी जानता है कि कान में काम करना ख़तरनाक है, फिर भी वह उस में काम कर रहा है, और अगर किसी घटना में कान के अन्दर मर जाये तो कान के मालिक पर कोई हर्जाना नहीं देना है।

बाब {आग जो फैल जाये।}

4594:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः आग (से होने वाला नुक़्सान) रद्द है।

बाब {दाँतों के क़िसास का बयान।}

4595:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि अनस बिन नज़्र की बहन रुबैअ़ ने एक महिला का दाँत तोड़ दिया तो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये तो आप ने अल्लाह की किताब के अनुसार क़िसास का फ़ैसला फ़रमाया। अनस बिन नज़्र कहने लगेः उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ नबी बना कर भेजा है, आज के दिन उस का दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। आप ने फ़रमायाःअनस! अल्लाह की किताब का फ़ैसला क़िसास (बदला) है। चुनान्चे दूसरे लोग दियत कुबूल करने पर राज़ी हो गये (और बदला नहीं लिया) इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बड़ा आश्चर्य हुआ और फ़रमायाः अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह पर क़सम डाल दें तो वह पूरी कर देता है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ से पूछा गयाः दाँत का क़िसास कैसे लिया जाये? तो उन्होंने कहाः उसे रगड़ दियाजाये।

फ़ाइदा:— अनस बिन नज़्र अल्लाह के महबूब बन्दे थे। महबूब बन्दे की क़सम का अल्लाह पाक ने लिहाज़ कियाऔर मुद्दअ़ी के दिल में बात डाल दी और वह दियत (हर्जाना) पर राज़ी हो गये (और बदला नहीं लिया) इमाम अहमद के फ़तवे पर उस समय अ़मल होगा जब दाँत आधा टूटा हो।

❀ ❀ ❀

(39) सुन्नत की फ़ज़ीलत और अहमियत

बाब {सुन्त की तश्रीह और वज़ाहत।}

4596:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहूदी इकहत्तर (71) या बहत्तर (72) गुटों में तक़्सीम हुये और अ़ीसाई भी इकहत्तर (71) या बहत्तर (72) फ़िर्क़ों में बँटे और मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िर्कों में तक़्सीम होगी।

फ़ाइदा:— इस हदीस की रोशनी में इमामों का मस्लकी इख़्तिलाफ़ फ़िर्क़ा में नहीं शुमार होगा। फ़िर्क़ा का शुमार तौहीद, तक़्दीर, नबुव्वत आदि में इख़्तिलाफ़ से होगा।

4597:— अबू आ़मिर हौज़नी का बयान है कि मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ हमारे दर्मियान खुत्बा देने के लिये खड़े हुये और कहाः ख़बरदार! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान खड़े हुये और फ़रमायाः ख़बरदार! तुम से पहले अहले किताब बहत्तर (72) फ़िर्क़ों में तक़्सीम हुये थे और मिल्लत तिहत्तर (73) फ़िर्क़ों में तक़्सीम होगी।बहत्तर (72) आग में जायेंगे और एक फ़िर्क़ा जन्नत में जायेगा और यही "अल् जमाअ़त" होगा। इब्ने यहया और अ़म्र ने अपनी रिवायतों में यह भी बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) मेरी उम्मत में से कुछ क़ौमें निकलेंगी जिन के मन पसन्द ख़ाहिश और मन पसन्द काम ऐसे शामिल होजायेंगे जैसे कि बावले पन की बीमारी अपने बीमार में घुस जाती है। अ़म्र ने कहाः बावले पन के बीमार का कोई रग और कोई जोड़ बाक़ी नहीं रहता जिस में उस बीमारी का असर न हो।

फ़ाइदा:— "अल् जमाअ़त" से मुरद वह लोग हैं जो आपस में हर प्रकार से इकट्ठे हों और जमा हों। "अह्लुस्सुन्नह वल जमाअ़त" का नाम भी इसी माना में है कि यह लोग किताब और सुन्नत पर

जमा हैं।

बाब **{आपस में झगड़ना या कुरआन करीम के मुतशाबह के पीछे पड़ना मना है।}**

4598:— **आइशा सिद्दीका रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमायीः अल्लाह वह ज़ात है जिस ने आप पर किताब नाज़िल की जिस में बाज़ आयतें मोहकम हैं जो इस किताब की अस्ल बुनियाद हैं और कुछ दूसरी आतयें मुशाबह (गैर वाज़ेह) हैं........"** (सूरः आले अिम्रान)

आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः **जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबह आयतों के पीछे पड़ते हैं तो यही वह लोग हैं जिन के बारे में अल्लाह पाक ने फ़रमाया है "ऐसे लोगों से डरते और बचते रहो"**

बाब **{....बिदअ़ती लोगों से दूर रहने और उन से दुश्मनी रखने का बयान।}**

4599:— **अबू ज़र रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफ़रमायाः आमाल में सब से अफ़ज़ल अमल अल्लाह के लिये मुहब्बत करना और उसी के लिये दुश्मनी रखना है।**

4600:— अब्दुल्लाह अपने पिता कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ के अन्धे होजाने के बाद उन को (उन का हाथ पकड़ कर) रासता बताते थे, वह बयान करते हैं कि मैंने (अपने पिता) कअ़ब बिन मालिक से सुना........और इब्ने सरह ने भी उन के तबूक की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाने का क़िस्सा बयान किया.... उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हम तीनों से बात-चीत करने से मना फ़रमा दिया। और जब यह हालत मुझपर बहुत लंबी (और भारी) हो गयी तो मैं अबू क़तादा के बाग़ की दीवार पर चढ़ कर उन से बात करने की कोशिश की और उन को सलाम किया, वह मेरे चचा के बेटे थे। तो अल्लाह की क़सम! उन्होंने मेरे सलाम का उत्तर न दिया, फिर (इब्ने सरह हदीस के रावी ने) उन के बारे में तौबा कुबूल होन की ख़बर बयान की।

फ़ाइदाः— **किसी मुसलमान से तीन दिन से अधिक बात-चीत छोड़ देना जाइज़ नहीं, लेकिन दीन और शरीअ़त को लेकर बात-चीत और अधिक दिन तक तर्क की जा सकती है। कअ़ब बिन मालिक, मुरारा बिन रबीअ़ और हलाल बिन उमय्या इन तीनों का दीन की ख़ातिर पचास दिनों तक** इबकाट किया गया था। (बुख़ारी-4418, मुस्लिम-2769)

बाब {बिदअ़ती लोगों से सलाम छोड़ देने का बयान।}

4601:— अम्मार बिन यासिर रज़ि॰बयान करते हैं कि मैं अपने घर वालों के पास पहुँचा और हालत यह थी कि मेरे हाथ फट गये थे, तो उन्हांने मुझे (यानी मेरे हाथों पर) ज़ाफ़रान लगा दिया। सुब्ह के समय मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैं ने सलाम किया तो आप ने मुझे जवाब न दिया और फ़रमायाः जाओ, उसे धो डालो।

4602:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी सफ़िय्या बिन्त हुय्यि रज़ि॰ का ऊँट बीमार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी ज़ैनब रज़ि॰ के पास एक सवारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ि॰ से कहाः ऊँट उन्हें दे दो। उन्होंने कहाः भला मैं उस यहूदन को दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (यह सुन कर) नाराज़ हो गये और ज़िल हिज्जा, मुहर्रम और सफ़र माह के कुछ दिनों तक उन से बात-चीत न की।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ज़रुरत पड़ने पर तीन दिन से अधिक समय तक भी बात-चीत बन्द की जा सकती है। किसी को उस के पुराने दीन का हवाला देकर यहूदी या काफ़िर कहना हराम है।

बाब {कुरआन में झगड़ा करना मना है।}

4603:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुरआन पाक में झगड़ा करना कुफ़्र है।

फ़ाइदा:— यानी शक व शुब्हा करना, ग़लत तावील करना, अपने मतलब का अर्थ निकालना इन्हीं बातों का नाम झगड़ा करना है।

बाब {सुन्नत की पैरवी वाजिब है।}

4604:— मिक़दाम बिन मादी कर्ब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़बर्दार! मुझे कुरआन के साथ उसी जैसी एक और चीज़ भी दी गयी है। बहुत जल्द एक समय ऐसा आने वाला है कि एक पेट भरा आदमी अपने तख़्त या दीवान पर बैठा कहेगा कि इसी कुरआन को इख़्तियार कर लो, जो इस में हलाल है उस हलाल जानो, और जो इस में हराम है उस को हराम जानो। ख़बर्दार! तुम्हारे लिये पालतू गधे, नोकदार दाँतों वाले दरिन्दे और किसी ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा-पड़ा माल उठा लेना हलाल नहीं, मगर यह कि उस का मालिक उस से बेर्पवाह हो। और जो कोई किसी क़ौम के पास जायें तो उन पर वाजिब है कि उस की मेहमानी करें। अगर वह मेहमानी न करें तो उसे हक़ हासिल है कि अपनी परेशानी जितना (माल) उन सेहासिल कर ले।

4605:— उबैदुल्लाह अपने पिता अबू राफ़े से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर्गिज़ ऐसा न हो कि मैं तुम में से किसी को पाऊँ कि वह अपने तख़्त या दीवान पर बैठा हो और उस के पास मेरे अहकाम में से कोई हुक्म पहुँचे जिस का मैंने हुक्म दियाहो, या उस से मना किया हो तो वह कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम तो अल्लाह की किताब मेंजो पायेंगे उसी पर अ़मल करेंगे।

4606:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने हमारे इस मामले (दीन) में कोई नई चीज़ पैदा की जो दीन में नहीं है तो वह मर्दूद और बातिल है।

इब्ने ई़सा ने यूँ रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जिस ने हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो वह मर्दूद और बातिल है।

4607:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र सुलमी और हुज्र बिन हुज्र दोनों ने बयान किया कि हम इरबाज़ बिन सारिया रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुये जिन के बारे में यह आयत नाज़िल हुयी थीः "उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं कि जब वह आप के पास आये.......(सूरः तौबा–92) (हम ने उन के पास पहुँच कर) उन्हें सलाम किया और कहाः हम आप से मिलने के लिये आये हैं और यह कि आप की बीमार पुर्सी भी हो जाये और दीनी फ़ाइदा भी हासिल कर लें। इस पर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुँह कर के खुत्बा दिया, बहुत ही उसरदार और ठोस नसीहत फ़रमायी कि उसे सुन कर हमारी आँखें बह पड़ीं और दिल दहल गये। किसी कहने वाले ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस प्रकार की नसीहत तो जुदाई की होती है, तो आप हमें क्या नसीहत फ़रमातें हैं? आप ने फ़रमायाः मैं तुम्हें इस बात की वसिय्यत करता हूँ कि अल्लाह का तक़वा इख़्तियार किये रहना और अपने हाकिमों की बात सुनना और मानना, चाहे वह हाकिम हब्शी गुलाम ही क्यों न हो। तुम में से जो मेरे बाद जीवित रहेगा वह बहुत इख़्तिलाफ़ देखेगा, चुनान्चे इन हालात में मेरी सुन्नत और मेरे ख़लीफ़ों की सुन्नत को अपनाए रखना जो कि हिदायत पर हैं। सुन्नत को खूब मज़बूती से थामना, बल्कि दाढ़ों से पकड़े रहना, नई–नई बिदअ़तों और खुराफ़ातों से अपने आप को बचाए रखना, बिला शुब्हा हर नई बात बिदअ़त है और हर बिदअ़त गुमराही है।

4608:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़बरदार! गुलू करने वाले, हद से बढ़ने वाले हलाक हुये, आप ने यह बात तीन बार फ़रमायी।

बाब {सुन्त की पैरवी करने की दावत देने (की अहमिय्यत) का बयान।}

4609:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया+ जो किसी कि हिदायत की तरफ़ रहनुमाई करे तो उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना कि उस पर अ़मल करने वाले को मिलता है, और उन अ़मल करने वालों में से किसी के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और जिस ने किसी को गुमराही की तरफ़ दावत दी तो उस को भी उतना गुनाह मिलेगा जितना कि उस पर अ़मल करने वाले को होगा और अ़मल करने वाले में गुनाह में कोई कमी नहीं होगी।

4610:— आ़मिर बिन सअ़द अपने पिता (सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रायाः मुसलमानों में जुर्म के एतबार से सब से बड़ा मुजजरिम वह मुसलमान है जिस ने किसी ऐसी बात के बोर में सवाल किया तो पहले हराम न थी, मगर उस के प्रश्न करने की वजह से हराम कर दी गयी।

4611:— यज़ीद बिन उमैरा मआ़ज़ बिन जबल के साथियों में से थे उन्होंने बताया कि मआ़ज़ रज़ि॰ जब भी किसी मज्लिस में बैठते तो उन की ज़बान से यह अल्फ़ाज़ निकलतेः "अल्लाह पाक हक़

और इन्साफ़ के साथ फ़ैसला करने वाला है, शक करने वाले हलाक हो गये" मआज़ रज़ि॰ ने एक दिन कहाः तुम्हारे बाद बड़े फ़ितने होंगे, माल बहुत बढ़ जायेगा, और कुरआन खोल दिया जायेगा (आम कर दिया जायेगा) यहाँ तक कि मोमिन, मुनाफ़िक़, मर्द, औरतें, छोटा, बड़ा, गुलाम और आज़ाद सभी उसे हासिल करेंगे और ऐसा होगा कि कहने वाला कहगा, लोगों को क्या हुआ कि मेरी पैरवी नहीं करते, हालाँकि मैंने कुरआन पढ़ा है? (वह कहेगा) यह लोग उस समय तक मेरी पैरवी नहीं करेंगे यहाँ तक कि मैं उन के लिये इस के अलावा कोई नई चीज़ ईजाद करूँ। चुनान्चे तुम अपने आप को उस बिदअत से बचाए रखना, उस की बिदअत गुमराही होगी। और मैं तुम्हें दाना बन्दे की ठोकर से भी डरता हूँ। शैतान कभी दाना बन्दे की ज़बान से गुमराही का कोई कलिमा निकलवा देता है और कभी मुनाफ़िक़ भी हक़ बात कह देता है। (यज़ीद कहते हैं कि) मैंने मआज़ रज़ि॰ से कहाः अल्लाह आप पर रहम फ़रमाए। मुझे कैसे मालूम हो कि दाना आदमी गुमराही का कलिमा कह जाता है और मुनाफ़िक़ हक़ की बात कह देता है। उन्होंने कहाः हाँ, दाना की ऐसी बातों से बचना जो मशहूर हो जाती हैं, जिन के बारे में कहा जाता है कि यह क्या है? मगर यह बात तुम्हारा उस से मुँह मोड़ लेने का सबब न बने, ऐसा (भी तो) हो सकता है कि वह उस से रुजूअ़ कर ले, और हक़ जिस किसी से भी सुनो कुबूल कर लो, बिला शुब्हा हक़ रोशन होता है।

4613:— इमाम नाफ़े नबयान करते हैं कि शाम में अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ का एक दोस्त था जिस का उन से पत्र व्यवहार रहता था, अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने उस को लिखाः मुझे यह सूचना मिली है कि तुम ने तक़्दीर के बारे में कुछ बातें की हैं (यानी तू तक़्दीर को झुठलाता है) इसलिये कल को मुझे कोई पत्र न लिखना। बिला शुब्हा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तक़्दीर को झुठलायेंगे।

4614:— ख़ालिद हज़्ज़ा रह॰ कहते हैं कि मैंने हसन बसरी रह॰ से कहाः ऐ अबू सओ़द! मुझे यह बतायें कि आदम अ़लै॰ आसमान (में रहने) केलिये पैदा किये गये थे या ज़मीन के लिये? उन्हेांने कहाः ज़मीन के लिये। मैंने कहाः क्या ख़याल है, अगर वह गुनाह से बच जाते और पेड़ का फल न खाते तो......उन्हेांने कहाः यह उन के लिये संभव ही नहीं था (क्योंकि खाना उन की तक़्दीर में लिखा हुआ था) मैंने कहाः अल्लाह पाक के इस फ़र्मान का क्या अर्थ है (जो जिन्नात और शैतान के बारे में फ़रमाया है) "तुम किसी को अल्लाह की तरफ़ से नहीं फेर (बहका) सकते हो, मगर उसे ही जो जहन्नम में पड़ने वाला हो" (सूरः साफ़्फ़ात–162, 163)

उन्होंने कहा कि शैतान अपनी गुमराही से सिर्फ़ उन्हीं को गुमराह करते हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम में गिरना वाजिब किया हो।

फ़ाइदा:— तक़्दीर के इन्कार का फ़ितना सब से पहले बसरा नगर से शुरु हुआ था। हसन बसरी रह॰ भी बसरा के रहने वाले थे इसलिये लोगों को उन के बारे में भी शुब्हा हुआ कि वह तक़्दीर के इन्कारी हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। इमाम अबू दावूद रह॰ ने अगली रिवायत में उन पर से इसी तोहमत का रद्द किया है।

4615:— हसन बसरी रह॰ से बयान है उन्हेांने अल्लाह पाक के इस फ़र्मान : "अल्लाह पाक ने उन

को इसीलिये पैदा किया" (कि हक़ से इख़्तिलाफ़ करते रहें) की तफ़सीर में फ़रमायाः कि उन लोगों को जहन्नम के लिये पैदा किया और दूसरों को जन्नत के लिये।

4616:— ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं कि मैंने हसन बसरी से सूरः साफ़्फ़ात–162, 163 की तफ़सीर के बोर में मालूम किया तो उन्होंने फ़रमायाः यह अल्लाह पाक ने उसी के लिये लाज़िम किया है जो जहन्म में जलने वाला हुआ (यह तफ़सीर हदीस न॰ 4614 की तरह है)

4617:— हुमैद से नक़ल है कि हसन बसरी रह॰ कहा करते थे कि आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ना मुझे इस से अधिक पसन्द है कि मैं यूँ कहूँ कि मामला मेरे हाथ में है (मक़सद यह है कि तक़्दीर का इन्कार मुझे हर्गिज़-हर्गिज़ गवारा नहीं)

4618:— हुमैद ने बयान किया कि हसन बसरी रह॰ मक्का आये तो वहाँ के उलमा ने मुझ से कहा कि मैं उस से यूँ कहूँ कि वह एक दिन हमें वाज़ सुनाएँ, तो उन्होंने क़ुबूल कर लिया, चुनान्चे वह जमा हो गये और हसन बसरी रह॰ ने दर्स दिया तो मैंने उन से बढ़ कर किसी को खुत्बा देने वाला नहीं पाया। एक आदमी ने पूछाः ऐ अबू सईद! शैतान को किस ने पैदा किया? उन्हेंाने कहाः सुब्हानल्लाह! भला अल्लाह के सिवा भी कोई पैदा करने वाला है? अल्लाह ही ने शैतान को पैदा किया है, बुराई और भलाई का पैदा करने वाला वही है। इस पर वह शख़्स कहने लगाः अल्लाह पाक उन को हलाक करे (पता नहीं) किस वजह से इमाम बसरी रह॰ पर झूठ बोला (कि उन का कहना है कि शैतान कोअल्लाह ने नहीं पैदा किया)

4619:— हुमैद तवील ने हसन बसरी रह॰ से रिवायत किया कि उन्होंने आयतः "ऐसे ही हम यह बात मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं" (सूरः हिज्र–12) की तफ़सीर में कहाः इस से मुराद शिर्क है।

4620:— उबैद सीद हसन बसरी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने (सूरः सबा–54) की तफ़सीर में कहा कि उन के और उन के ईमान लाने की ख़ाहिश में रुकावट डाल दी जायेगी।

4621:— इब्ने औन ने बयान किया कि मैं मुल्क शाम में था कि पीछे से किसी ने मुझ को आवाज़ दी, मैंने उधर रुख़ किया तो देखा कि वह रजा बिन है वह हैं। उन्होंने कहाः ऐ अबू औन! यह क्या बातें हैं जो हसन बसरी के बारे में लोग कह रहे हैं? मैंने कहाः वह लोग हसर बसरी पर बहुत अधिक झूठ बोल रहे हैं।

4622:— अय्यूब ने बयान किया कि हसन बसरी रह॰ पर झूठ बोलने वाले दो प्रकार के लोग हैं (1) जो तक़्दीर के इन्कारी हैं। इन की ख़ाहिश है कि इस प्रकार से अपनी बात और राय को मशहूर कर लेंगे और आम कर देंगे (2) जिन के दिलों में दुश्मनी और नफ़रत है (और इस प्रकार बातें करते हैं) क्या यह उन का क़ौल नहीं, क्या उन्होंने इस प्रकार नहीं कहा है? आदि।

4623:— क़ुर्रा बिन ख़ालिद हम से कहा करते थे कि नौजवानों! हसन बसरी रह॰ के बारे में नफ़रत न करना (क्योंकि) उन की राय सुन्नत के मुताबिक़ और हक़ व सच्चाई थीं।

4624:— इब्ने औन ने कहाः अगर हमें मालूम होता कि हसन बसरी की कही हुयी बात इस हद

तक पहुँच जायेगी जहाँ तक कि पहुँची है तो हम उन के रुजूअ़ कर लेने के मुतअ़ल्लिक़ एक किताब लिखते और उस पर गवाही कर लेते, लेकिन हम ने यह समझा था कि एक बात थी जो हो गयी सो हो गयी, मशहूर न होगी।

4625:— अय्यूब कहते हैं हसन बसरी रह॰ ने मुझ से कहाः मैं भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा (जिस में तक़्दीर के इन्कार का तनिक भर भी शुब्हा हो)

4626:— उस्मान अल्-बत्ती बयान करते हैं हसन बसरी रह॰ ने जब भी (क़ुरआन पाक की) किसी आयत की तफ़सीर की तो उस में तक़्दीर के साबित होने (और उस पर ईमान लाने) ही का ज़िक्र किया।

फ़ाइदा:— हसन बसरी रह॰ का परिचय यह है कि आप हसन बिन अबुल हसन (यसार) अन्सार के अज़ाद किये हुये गुलाम थे, चूँकि इन की वला अन्सार को हासिल था इसलिये "अन्सारी" कहलाते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तीसरे दर्जा के ताबअ़ी में शुमार होता था। 90 वर्ष की उम्र पा कर 110 हि॰ में देहान्त किया। जीवन भर लोग इन को बदनाम करने की कोशिश में झूठे इल्ज़ाम इन पर लगाते रहे। ख़ास कर तक़्दीर को लेकर कि यह तक़्दीर पर यक़ीन नहीं रखते हैं।

बाब {सहाबा की फ़ज़ीलत का बयान।}

4627:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम अबू बक्र के बराबर किसी को नहीं करते थे। फिर उन के बाद उमर और उन के बाद उस्मान (का दर्जा समझते थे) फिर इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में कोई तफ़ज़ील (बराबरी) नहीं समझते थे (बल्कि सब को बराबर समझते थे)

4628:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे तो हम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत में आप के बाद सब से अफ़ज़ल अबू बक्र हैं, फिर उमर और फिर उस्मान है......अल्लाह पाक उन सब से राज़ी हो।

4629:— मुहम्मद बिन हनफ़िय्या (अ़ली रज़ि॰ के बेटे) रिवायत करते हैं कि मैंने अपने पिता जी से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद सब से अफ़ज़ल कौन है? उन्होंने कहाः अबू बक्र। मैंने पूछाः फिर कौन? उन्होंने कहाः उमर। फिर मुझे शक हुआ कि अगर मैंने पूछ लिया कि इन के बाद कौन है तो वह कहेंगेः उस्मान, तो मैंने खुद ही कह दिया फिर इन के बाद आप होंगे? इस पर पिता जी ने कहाः मैं तो मुसलमानों में से एक आ़म आदमी हूँ

4630:— सुफ़यान सौरी रह॰ कहा करते थे कि जिस शख़्स को यह गुमान हो कि अ़ली रज़ि॰, अबू बक्र और उमर के मुक़ाबले में ख़िलाफ़त के ज़्यादा हक़दार थे तो उस ने अबू बक्र, उमर, मुहाजिर और अन्सारी सहाबा को ग़लती पर समझा। और मैं नहीं समझता कि इसअ़कीदा के होते हुये उस का कोई अ़मल आसमान की तरफ़ उठता हो।

4631:— सुफ़यान सौरी रह॰ कहा करते थे कि ख़लीफ़ा पाँच हैं। अबू बक्र, उमर, उस्मान, अ़ली, उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़।

बाब {ख़लीफ़ों का बयान।{

4632:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि अबू हुरैरा कहा करते थे कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहने लगाः मैंने आज रात सपने में देखा है कि एक बादल से घी और शहद टपक रहा है। मैंने लोगों को देखा कि वह अपने हाथों को फैलाए हुये थे तो कुछ ने उन से खूब-खूब लिया और कुछ ने कंम लिया। अैर मैंने एक रस्सी देखी जो आकश से ज़मीन तक लटकी हुयी है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अप को देखा कि आप ने उस को पकड़ लिया है और ऊपर चढ़ गये हैं। फिर एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ा और वह भी ऊपर चढ़ गया। फिर एक और आदमी ने उसे पकड़ा तो वह रस्सी टूट गयी, फिर जोड़ दी गयी, तो वह ऊपर चढ़ गया। इस पर अबू बक्र ने कहाः मेरे माता-पिता आप पर क़ुर्बान। मुझे इजाज़त दें तो मैं इस सपने की ताबीर बयान करुँ। आप ने फ़रमायः बयान करो। उन्होंने कहा कि बादल, इस्लाम का साया है और उस से टपकने वाला घे और शहद, कुरआन की नंमी और मिठास है। ज़्यादा या कम लेने वाले वह लोग हैं जो कुरआ़न से अपना हिस्सा कम या ज़्यादा लेते हैं। आकाश से लटकने वाली रस्सी हक़ है जिस पर आप हैं। आप ने उसे पकड़ा है तो अल्लाह आप को बुलन्द फ़रमायेगा। फिर आप के बाद एक आदमी पकड़ेगा अैर उस के सहारे से ऊपर चढ़ जायेगा। उस के बाद दूसरा आदमी पकड़ेगा तो वह भी ऊपर चढ़ जायेगा। फिर तीसरा आदमी पकड़ेगा तो वह टूट जायेगी, फिर उसे उस के लिये जोड़ दिया जायेगा तो वह फिर ऊपर चढ़ जायेगा। ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आप बतायें कि मैंने दुरुस्त बताया या ग़लत? आप ने फ़रमायाः कुछ दुरुस्त बताया है और कुछ में ग़लती हुयी है। अबू बक्र ने कहाः ऐ अल्लाह॰ के रसूल! मैं आप को क़सम देकर कहता हूँ कि मुझे ज़रुर बतायें कि मैंने क्या ग़लती की है। आप ने फ़रमायाः क़सम मत दो।

फ़ाइदा:— देखें मुस्लिम शरीफ़ - 2269+बुख़ारी शरीफ़-7046।

4633:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर क़ा क़िस्सा बयान किया और कहा कि आप ने (ग़लती की वज़ाहत करने से) इन्कार कर दिया।

4634:— अबू बक्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा कि तुम में से किस ने सपना देखा है? एक व्यक्ति ने कहाः मैंने। मैंने यह देखा कि गोया आकाश से एक तराजू उतरी है तो आप का और अबू बक्र का वज़न किया गया तो आप अबू बक्र पर भारी हो गये। फिर अबू बक्र और उमर का वज़न किया गया तो अबू बक्र भारी हो गये। उमर और उस्मान का वज़न किया गया तो उमर भारी पड़ गये, फिर तराज़ू उठा ली गयी तो (इस बात पर) हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चेहरे पर नापसंदीदगी के निशान देखे।

4635:— अ़ब्दुरहमान अपने पिता अबू बक्र रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने एक दिन पूछाः तुम में से किसी ने सपना देखा है? फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की। मगर इस रिवायत में "नापसन्दीदगी के निशान देखें" का ज़िक्र नहीं। बल्कि यह है कि "आप को यह (कैफ़ियत) पसन्द न आयी" फिर फ़रमायाः यह नबुव्वत की ख़िलाफ़त है। फिर इस के बाद अल्लाह पाक जिसे चाहेगा अपना मुल्क अ़ता करेगा।

4636:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह रज़ि॰ बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आज रात एक नेक बन्दे को सपना दिखाया गया है कि अबू बक्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ लटकाया गया है, और उमर को अबू बक्र के साथ। जाबिर रज़ि॰ ने कहाः फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ से उठे तो हम ने कहाः नेक आदमी तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं और उन का एक दूसरे के साथ लटकाना, इस से यही मुराद है कि यही लोग उस मामले के ज़िम्मेदार हैं जिस के साथ अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भेजा है।

4637:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने देखा है कि जैसे एक डोल आसमान से लटकया गया, तो अबू बक्र आये हैं और उस को उस के दोनों तरफ़ के कनारों से पकड़ लिया और उस से पानी पिया मगर कमज़ोरी के साथ। फिर उमर आये तो उन्होंने उस के दोनों कनारों से कस कर पकड़ा और खूब पेट भर कर पिया। फिर उस्मान आये, उन्होंने भी उस के दोनों कनारों को पकड़ा और पेट भर पिया। फिर अ़ली आये और उन्होंने भी उस के दोनों कनारों को पकड़ा तो वह डगमगाया और उस में कुछ पानी उन के ऊपर गिर गया।

4638:— इमाम मकहूल रह॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि ज़रुर ऐसा होगा कि रुम के लोग चालीस दिन तक शाम वालों के घरों में घुसे रहेंगे। उस फ़ितने से सिवाए दमिश्क़ और अ़म्मान के कोई नगर न बचेगा।

4639:— अबू आयस अ़ब्दुर्रहमान बिन सलमान रह॰ बयान करते थे कि एक अ़जमी बादशाह सारे शहरें पर ग़ालिब आ जायेगा और सिर्फ़ दमिश्क़ सुरक्षित रहेगा।

4640:— इमाम मकहूल रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जन्गों (और फ़ितनों) के दिनों में मुसलमान एक ऐसी जगह ख़ेमों में होंगे जिसे गूतह कहते हैं।

फ़ाइदाः— दमिशक़ नगर के आस-पास के बाग़ों का नाम "गूतह" है, देखें हदीस न॰ 4298।

4641:— औ़फ़ (बिन अबी जमीला आराबी) ने बयान किया, उन्हेंने कहः मैंने हज्जाज बिन यूसुफ़ को खुत्बा देते हुये सुना वह कह रहा था कि उस्मान रज़ि॰ की मिसाल अल्लाह पाक के यहाँ मरियम की तरह है, फिर यह आयत पढ़ीः "जब अल्लाह पाक ने कहाः ऐ अ़ीसा! मैं तुम्हें (इस दुनियाँ से) पूरा-पूरा ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ़ उठा लेने वाला हूँ....." (आ़ले

(अ़म्रान-55) हज्जाज इस आयत को पढ़ता जाता था और इस की तश्रीह करते हुये अपने हाथों से हमारी तरफ़ और शाम वालों की तरफ़ इशारा करता जाता था।

फ़ाइदा:— यानी जिस प्रकार ईसा और उन के मानने वालों को अल्लाह पाक ने काफ़िरों पर ग़लबा दिया, **इसी प्रकार उस्मान रज़ि॰ के मानने वाले हैं जो पूरे शाम पर होकूमत कर रहे हैं और उन के मुख़ालिफ़ प्रजा की हैसियत से हैं।**

4642:— रबीअ़ बिन ख़ालिद ज़ब्बी ने बयान किया कि मैंने हज्जाज बिन यूसुफ़ को खुत्बा देते सुना, वह अपने खुत्बा में कह रहा था: हम में से किसी का हंकारा जो उसके किसी काम में लगा है वह उस के लिये ज़्यादा मोहतरम होता है या उस का वह नाइब जो उस के अहल में ठहरा हुआ हो? **सो मैं ने अपने दिल में कहा: मुझ पर अल्लाह के लिये यह नज़र है कि अब तेरे पीछे कभी नमाज़ नहीं पढूँगा, और अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गये जो तेरे ख़िलाफ़ जिहाद करने को तय्यार हों तो मैं उन के साथ मिल कर ज़रुर जिहाद करुँगा।**

इस्हाक़ ने अपनी रिवायत में यह भी कहा कि चुनान्चे रबीअ़ बिन ख़ालिद ने (हज्जाज के ख़िलाफ़) जमाजिम की जन्ग में हिस्सा लिया और क़त्ल कर दिये गये।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। हज्जाज बिन यूसुफ़ यह कहना चाहता था कि जिस प्रकार किसी का नाइब और वह जो उस के साथ रह कर उस की ख़िदमत कर रहा हो उस के हर्कारा के मुक़ाबले में ज़्यादा अफ़ज़ल है। **इसी प्रकर नबी, जो केवल अल्लाह का सन्देश पहुँचाने वाले थे, उन के मुक़ाबला में बनी उमय्या के ख़लीफ़ा लोग उन से बेहतर हैं। (अल्लाह की पनाह) और यह कि ख़लीफ़ा, हर्कारा से अफ़ज़ल हुआ करता है। यह कलाम और मफ़हूम कुफ़्र है, मगर यह** रिवायत ज़अ़ीफ़ है।

4643:— आसिम से रिवायत है कि मैंने हज्जाज से सुना वह मिंबर पर खड़े होकर कह रहा था: "अल्लाह से डरो जहाँ तक डर सको, इस से कोई अलग नहीं। अ़ब्दुल मलिक बिन मर्वान की बात सुनो और उस की इताअ़त करो, इस से कोई अलग नहीं। अल्लाह की क़सम! अगर मैं लोगों को हुक्म दूँ कि मस्जिद के क़लाँ दर्वाज़े से बाहर जाओ, और वह दूसरे किसी दर्वाज़े से बाहर निकलें तो हमारे लिये उन का खून और माल सब हलाल है (अल्लाह की क़सम) अगर मैं क़बीला मुज़र के बदले क़बीला रबीआ़ को पकड़ूँ तो यह मेरे लिये अल्लाह की तरफ़ से हलाल है। **और कौन है जो मुझे हुज़ैल के गुलाम (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰) की तरफ़ से माजूर जाने।** उस का ख़याल है कि उस की क़िरात अल्लाह पाक की तरफ़ से है। अल्लाह की क़सम! उस की क़िरात तो बद्दू लोगों के रजज़ (छोटे-छोटे पद्य) की तरह है, अल्लाह ने उसे अपने नबी पर नाज़िल नहीं किया है। और कौन है जो मुझे उन अ़जमी लोगों से माजूर जाने, उन में से कोई पत्थर फेंक देता है **(यानी फ़ितने की बात कर देत है) फ़िर कहता है कि देखो! यह कहाँ तक जाता है। अल्लाह की क़सम! मैं उन्हें कल माज़ी में बदल दूँगा (यानी उन्हें मिटा कर रख दूँगा)**

रावी ने कहा कि मैंने इस को इमाम आमश से बयान किया तो उन्होंने कहा: मैंने भी अल्लाह की क़सम! इस वाक़िआ़ को उस से सुना है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। अबू बक्र बिन आमश ज़ओ़फ़ है।

4644:— इब्ने इदरीस ने आमश से रिवायत किया और कहा कि मैंने हज्ज से सुना वह मिंबर पर खड़ा होकर कह रहा थाः यह अ़ज़मी लोग काट दिये जाने के लाइक़ हैं। अल्लाह की क़सम! मैंने अगर लाठी को लाठी पर मारा तो उन लोगों को माज़ी कीतरह कर के छोड़ूँगा (यानी मिटा दूँगा) उस का इशारा ग़ैर अ़रब लोगों की तरफ़ था।

4645:— शरीक ने सुलैमान आमश से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि मैंने हज्जाज के साथ जुमा पढ़ा तो उस ने खुत्बा दिया......और अबू बक्र बिन अ़याश वाली (ऊपर की) हदीस न॰ 4643 की तरह बयान किया। उस ने कहाः अल्लाह के ख़लीफ़ा और उस के चुने हुये अ़ब्दुल मलिक बिन मर्वान की सुनो और उस की आज्ञा पालन करो......और हदीस बयान की। यह भी कहा कि अगर में मुज़र के बदले रबीआ़ को सज़ा दूँ........और अजमी लोगों का ज़िक्र नहीं किया।

4646:— सफ़ीना रज़ि॰ (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के गुलाम) ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नबुव्वत की ख़िलाफ़त तीन साल रहेगी, फिर अल्लाह पाक अपना मुल्क जिसे चाहेगा उस के हवाले करेगा।

सओ़द बिन जमहान ने कहा कि सफ़ीना रज़ि॰ ने मुझ से कहाः हिसाब लगा लो, अबू बक्र के दो साल, उमर के दस साल, उस्मान के बारह साल, और इसी प्रकार कुछ अ़ली के। सओ़द ने कहा कि मैंने सफ़ीना रज़ि॰ से कहाः यह बनू मर्वान वाले समझते हैं कि अ़ली रज़ि॰ ख़लीफ़ा न थे तो उन्होंने कहाः बनी ज़रक़ा के पिछले हिस्सों ने झूठ बोला है।

फ़ाइदा:— ख़लीफ़ों के शासन की तफ़सील कुछ यूँ है (1) अबू बक्रः दो वर्ष, तीन माह, दस दिन (2) उमरः दस वर्ष, छः माह, आठ दिन (3) उस्मानः 11 वर्ष, 11 माह, नौ दिन (4) अ़लीः चार वर्ष, नौ माह, सात दिन (5) हसनः लगभग छः माह। टोटलः 30 वर्ष–चार दिन।

हदीस में जो ख़िलाफ़त का समय तीस वर्ष बताया गया है, इस का यह अर्थ है कि 30 साल तक अस्ल ख़िलाफ़त होगी। बाद में ख़लीफ़ों के अन्दर दुनिया दारी आ जायेगी, लेकिन सिरे के ख़िलाफ़त की समाप्ति न होगी। इस प्रकार गिरते–पड़ते ख़िलाफ़त का समय 1924 ई॰ तक चला। फिर तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़िलाफ़त को समाप्त कर दिया। और अब कहीं टूटी–फूटी, गिरी–पड़ी, लूली–लंगड़ी ख़िलाफ़त का नामों–निशान तक बाकी नहीं है। सऊदी अ़रब अस्लामी मुल्क है लेकिन वहाँ बादशाहत है न कि ख़िलाफ़त। अर्गचे वहाँ की बादशाहत, ख़िलाफ़त से कहीं अच्छी है, फिर भी ख़िलाफ़त नहीं कहा जा सकता। वहाँ के दीनी ममलात किताब व सुन्नत के मुताबिक़ हैं, लेकिन सियासी मामलात यहूदियों, यानी अमरीका ब्रटानिया के आक़ाओं बराक उबामा और टोनी बिलेयर के मातहत हैं। उन्हीं के इशरे पर तमाम सियासी काम होते हैं..... मुख़्तसर यह है कि सऊदी अ़रब में भी ख़िलाफ़त नहीं है (19 जनवरी 2010–बेतनार)

4747:— सफ़ीना रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नबुव्वत की ख़िलाफ़त तीस वर्ष तक रहेगी। फिर अल्लाह पाक अपना मुल्क जिसे चाहेगा दे देगा।

4648:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ालिम माज़नी से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैंने सअ़ीद बिन ज़ैद बिन अ़म्र बिन नुफ़ैल रज़ि॰ से सुना, उन्होंने कहा कि जब अ़फलाँ आदमी कूफ़ा में आया और उस ने फ़लाँ आदमी को खुत्बा के लिये खड़ा किया (अ़ब्दुल्लाह ने कहा) तो सअ़ीद बिन ज़ैद ने मेरे हाथ को दबाया और कहाः क्या तुम उस ज़ालिम (खुत्बा देने वाले) को नहीं देखते हो (शायद वह अ़ली रज़ि॰ के बारे में कुछ कह रहा था) मैं नौ लोगों के बारे में गवाही देता हूँ कि वह जन्नती हैं। अगर दस्वें के बारे में कहूँ तो गुनाहगार नहीं हूँगा.....इब्ने इदरीस ने कहाः अ़रब के लोग "आसम" का शब्द बोलते हैं (जबकि सअ़ीद ने "लम् ऐसम" कहा) अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने पूछाः वह नौ लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायः जबकि आप हिरा पर्वत पर खड़े थेः ऐ हिरा! ठहर जा! तेरे ऊपर नबी, या सिद्दीक़, या शहीद के अ़लावाओर कोई नहीं। मैंने कहाः और वह नौ कौन-कौन हैं? उन्हेंाने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अ़ली, तल्हा, जुबैर, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (मालिक) अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰। मैंने पूछाः और दस्वाँ कौन है? तो वह कुछ क्षण भर के लिये रुके फिर कहाः मैं।

फ़ाइदा:— खुत्बा देने वाला अ़ली रज़ि॰ के बारे में कुछ कह रहा था, इस पर उन्होंने साबित किया कि वह तो उन दस में से हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने दुनिया ही में जन्नत की शुभ सूचनादी है।

4649:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अख़नस से रिवायत है कि वह मस्जिद में बैठे हुये थे कि एक व्यक्ति ने अ़ली रज़ि॰ का ज़िक्र (बुरे शब्दों में) किया तो सअ़ीद बिन ज़ैद रज़ि॰ खड़े हो गये और कहाः मैं गवही देता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना हैः दस जन जन्नती हैं। नबी जन्नत में हैं, अबू बक्र जन्नत में हैं, उमर जन्नत में हैं, उस्मान जन्नत में हैं, अ़ली जन्नत में हैं, तल्हा जन्नत में हैं, जुबैर बिन अ़ब्बाम जन्नत में, सअ़द बिन मालिक जन्नत में हैं, अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ जन्नत में है। और अगर मैं चाहूँ तो दस्वें का भी नाम ले सकता हूँ। लोगों ने पूछाः वह कौन हैं? यह सुन कर चुप हो गये। लोगों ने पूछाः वह कौन हैं? उन्हेंाने कहः सअ़ीद बिन ज़ैद।

4650:— रियाह बिन हारिस ने बयान किया कि मैं कूफ़ा की मस्जिद में फ़लाँ के पास बैठा हुआ था (यानी मुग़ीरा बिन शोबा के पास) और उन के पस कूफ़ा के कुछ लोग बैठे हुये थे, इतने में सअ़द बिन ज़ैद बिन अ़म्र बिन नुफ़ैल रज़ि॰ तशरीफ़ लाये तो मुग़ीरा रज़ि॰ ने उनका स्वागत किया और फिर उन्हें अपनी चारपाई की पाइतनी की तरफ़ बैठा लिया। फिर कूफ़ा के लोगों में से एक और व्यक्ति आया जिस का नाम क़ैस बिन अ़ल्क़मा था। तो मुग़ीरा ने उस का भी स्वागत किया। फिर वह लगा गालियों पर गालियाँ देने। सअ़ीद ने पूछाः यह किस को गालियाँ दे रहा है? कहाः अ़ली को। उन्होंने कहाः (तअ़ज्जुब है) मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा-भला कहा जा रहा है और आप हैं कि उसे नहीं टोक रहे हैं और न ही समझा रहे हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है .... और (यह भी जान लीजिये कि) मुझे कोई ऐसी नहीं पड़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर

कोई ऐसी बात कह दूँ जो आप ने कही हो, फिर जब कल आप से भेंट हो और वह मुझ से पूछ लें. ....(बहर हाल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमा रहे थे) अबू बक्र जन्नत में हैं, उमर जन्नत में है.........ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। फिर फ़रमायाः उन में से किसी एक का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (जिहाद में) हाज़िर रहना और उस के चेहरे पर धूल-मिट्टी लगना तुम्हारी सारी ज़िन्दगी के नेक कामों से बेहतर है, चाहे तुम्हें (नेक काम करने के लिये) नूह अ़लै॰ की ज़िन्दगी ही क्यों न मिल जाये।

4651:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऊहुद पर्वत पर चढ़े तो अबू बक्र, उमर और उस्मान भी आप के पीछे चढ़ गये। इतने में पहाड़ ने हर्कत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस पर अपना पाँव मारा और फ़रमायाः ठहर जा! (तेरे ऊपर) एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद हैं।

4652:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे पास जिबरील आये और मेरा हाथ पकड़ कर जन्नत का वह दर्वाज़ा दिखलाया जिस में से मेरी उम्मत दाख़िल होगी। तो अबू बक्र ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं पसन्द करता हूँ कि काश मैं भी आप के साथ होता और उसे देख लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः ऐ अबू बक्र! तुम मेरी उम्मत के वह व्यक्ति हो जो सब से पहले जन्नत में दाख़िल होगे।

4653:— जबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिन्होंने पेड़ के नीचे बैअ़त की है उन में से कोई भी आग में दाख़िल नहीं होगा।

फ़ाइदा:— सन 6 हि॰ में हुदैबिय्या के स्थान पर लगभग 1500 सहाबा ने बबूल के पेड़ के नीचे आप से बैअ़त की थी। (बुख़ारी-4153)

4654:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः शायद कि अल्लाह पाक ने बद्र (की लड़ाई में शरीक होने) वालों पर नज़र फ़रमाई है और कहा है कि जो चाहे अ़मल करो, मैं ने तुम्हें बख़्श दिया है।

4655:— मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हुदैबिय्या के दिनों में रवाना हुये.....और पूरी हदीस बयान की......फिर (मुश्रिकों की तरफ़ से उर्वा बिन मस्ऊद सक़फी आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बातें करने लगाः और बात-चीत के दर्मियान वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ भी लगाता था, जबकि मुग़ीरा निब शोबा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सर पर खड़े थे, उन के हाथ में तलवार और सर पर (लोहे की) ख़ोद थी, उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते से उर्वा के हाथ को ठोकर दिया और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दाढ़ी से अपना हाथ दूर रख। उर्वा ने अपना सर ऊपर उठा कर पूछाः यह कौन है? सहाबा ने कहाः यह मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ हैं।

4656:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के मुअज़्ज़िन अक़रा रह॰ ने बश्सन किया कि उमर ने मुझ को

अ़ीसाइयों के मज़हबी सर्दार के पास भेजा, तो मैं उसे बुला लाया। उमर ने उस से पूछाः क्या तुम अपनी किताब में मेरा ज़िक्र पाते हो? उस ने कहाः हाँ। उन्होंने पूछाः कैसे? उस ने बताया कि मैं पाता हूँ कि आप एक क़र्न हैं। उमर रज़ि॰ ने अपना कोड़ा उस के ऊपर लाना और पूछाः क़र्न से क्या मुराद है? उस ने कहाः बहुत सख़्त फ़ौलादी क़िला, बहुत अधिक अमानतदार। उमर ने फिर पूछाः जो मेरे बाद आयेगा उस के बारे में क्या पते हो? उस ने कहाः एक नेक ख़लीफ़ा होगा, सिर्फ़ इतना होगा कि वह अपने रिश्तेदारों को तर्जीह देगा। उमर ने कहाः अल्लाह पाक उस्मान पर रहम फ़रमाये, तीन मर्तबा कहा। फिर पूछाः उन के बाद जो आयेगा उस के बारे में क्या पाते हो? उस ने कहाः मैं पाता हूँ कि वह लोहे का मूर्चा (ज़न्ग) होगा। इस पर उमर ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और कहाः ऐ बदबूदार! (यह क्या बक रहा है?) उस ने कहाः ऐ मुसलमानों के सर्दार! वह नेक ख़लीफ़ा हेगा, मगर जब उसे यह पदभार मिलेगा तो तलवारें निकली हुयी होंगी और ख़ून बहाए जा रहे होंगे।

फ़ाइदाः— यह रिवायत अगर्चे सहीह है, लेकिन सहाबा के बारे में इस प्रकार की बातों की न तस्दीक़ करेंगे और न झुठलायेंगे। केवल रिवायत करने की इजाज़त है।

बाब **{नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा की फ़ज़ीलत का बयान।}**

4657:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना यही है जिस में मैं नबी बना कर भेजा गया हूँ, फिर वह जो इस से क़रीब होंगे फिर वह जो उस ज़माना से क़रीब होंगे, अल्लाह बेहतर जाने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह बात तीसरी बार फ़रमायी कि नहीं......फिर उन के बाद ऐसे लोग आयेंगे जो गवाहियाँ देंगे हालाँकि उन से गवाही न माँगी गयी होगी। वह अलग नज़र मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे ख़ियानतें करेंगे और उन पर भरोसा नहीं किया जयेगा, और उन में मोटापा भी आ़म होगा।

बाब **{नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहना हराम है।}**

4658:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है अगर तुम में से कोई उहुद पर्वत जितना सोना भी ख़र्च कर डाले तो वह उन सहाबा के एक या आधे मुद को भी नहीं पहुँच सकता।

4659:— अ़म्र बिन अबू क़ुर्रा ने बयान किया कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ मदाइन में थे और ऐसी बातें कर दिया करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा से नाराज़ी की हालत में कहीं थीं। चुनन्चे जिन लोगों ने हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से यह बातेंसुनी होतीं वह सलमान रज़ि॰ को आकर बताते तो सलमान कहतेः हुज़ैफ़ा जो कुछ कहते हैं उन्हें ही उस बारे में ज़्यादा जानकारी है। लोग हुज़ैफ़ा के पास आ कर कहते कि हम ने आप की बात सलमान रज़ि॰ के सामने बयान की तो उन्होंने आप की बातों की न तो तस्दीक़ की और न झुठलाया। चुनान्चे हुज़ैफ़ा रज़ि॰ सलमान के

पास आये जबकि वह सब्ज़ी के खेत में थे, उन्होंने कहाः ऐ सलमान! आप को कौन सी चीज़ मना करती है कि जो बातें मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हैं आप उन में मेरी तस्दीक़ नहीं करते हैं? सलमान ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नाराज़ भी हो जाया करते थे और उस हालत में अपने सहाबा के बारे में कुछ कह दिया करते थे, और खुश होते तब भी कह देते थे, तो क्या आप अपने इस अन्दाज़ से बाज़ नहीं आ सकते? क्या आप लोगों के दिलों में कुछ की मुहब्बत पैदा करना चाहते हैं और कुछ के बारे में नफ़रत डाल देना चाहते हैं? इस प्रकार तो आप उन लोगों में इख़्तिलाफ़ पैदा कर देंगे, हालाँकि में अच्छी तरह जानता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया और उस में फ़रमाया थाः (ऐ अल्लाह!) अपनी उम्मत के जिस किसी को मैंने कभी बुरा-भला कह दिया हो, या नाराज़ी की हालात में लानत की हो, तो मैं भी आदम की औलाद हूँ, जिस प्रकार वह गुस्सा में आ जाते हैं मैं भी आ जाता हूँ। और मुझे दुनिया वालों के लिये रहमत बना कर भेजा गया है (ऐ अल्लाह मेरी इन बातों को) उन के लिये क़ियामत के दिन रहमत बना दे। (ऐ हुज़ैफ़ा!) अल्लाह की क़सम! तुम बाज़ आ जाओ, या मैं उमर को लिख भेजूँगा। फिर कुछ लोगों ने उन के बारे में सिफ़ारिश की तो उन्होंने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अ़दा कर दिया और उमर को न लिखा और कफ़्फ़ारा भी क़सम तोड़ने से पहले अ़दा कर दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि क़सम का कफ़्फ़ारा, पहले अ़दा करना, या बाद में करना सब दुरुस्त है।

बाब **{अबू बक्र रज़ि॰ की ख़िलाफ़त का बयान।}**

4660:— अ़ब्दुल्लाह बिल ज़मआ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तक्लीफ़ बहुत बढ़ गयी और मैं मुसलमानों की एक जमाअ़त के साथ आप की ख़िदमत में मौजूद था कि बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ के लिये बुलाया। आप ने फ़रमायाः किसी को कह दो कि वह नमाज़ पढ़ा दे। अ़ब्दुल्लाह बिन ज़मआ़ कहते हैं कि मैं निकला तो उमर मौजूद थे जबकि अबू बक्र नहीं थे। मैंने कहाः ऐ उमर! उठें और लोगों को नमाज़ पढ़ा दीजिये। चुनान्चे वह आगे बढ़े और तक्बीर कही (उधर) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की आवाज़ सुनी.......और उमर बुलन्द आवाज़ वाले आदमी थें........तो फ़रमायाः अबू बक्र कहाँ हैं? अल्लाह इस का इन्कार करता है और मुसलमान भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र को बुला भेजा तो वह आ गये, जबकि उमर नमाज़ पढ़ा चुके थे, फिर अबू बक्र ने लोगों को वही नमाज़ पढ़ाई।

4661:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़मआ़ रज़ि॰ ने यह रिवायत बयान की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उमर की आवाज़ सुनी तो आप तशरीफ़ लाये और अपना सर हुजरे से निकाला और फ़रमायाः नहीं, नहीं, इब्ने अबी क़हाफ़ा (यानी अबू बक्र) लोगों को नमाज़ पढ़ायें। आप ने यह बात नाराज़ होकर फ़रमायीं।

फ़ाइदा:— केवल एक नमाज़ और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीमारी की पहली नमाज़ उमर ने पढ़ाई, बाक़ी अबू बक्र ने पढ़ाई। अबू बक्र ने कुल सत्तरह (17) नमाज़ें पढ़ाईं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अूब बक्र के बारे में बार-बार ताकीद करना उन के ख़लीफ़ा होने की तरफ़ इशारा है।

बाब **{फ़ितने के दिनों में उन बातों को आ़म बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिये।**

4662:— अबू बक्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हसन बिन अ़ली रज़ि॰ के बारे में फ़रमायाः मेरा यह बेटा सर्दार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक उस के द्वारा से मेरी उम्मत के दो गरोहों में सुलह-समझौता करा देगा।" हम्माद की रिवायत के शब्द यह हैं कि " और उम्मीद है कि अल्लाह पाक हसन द्वारा मुसलमानों के दो बड़े गरोहों में सुलह करा देगा।"

4663:— मुहम्मद बिन सीरीन रह॰ ने बयान किया कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहाः लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे कोई फ़ितने से सामना न हो (और वह उस से सुरक्षित रहे) मुझे डर लगा रहता है कि वह उस से दो-चार हो जायेगा, सिवाए मुहम्मद बिन मसलमा के, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप फ़रमा रहे थेः (ऐ मसलमा! तुम्हें फ़ितना नुक़सान नहीं देगा।

4664:— सालबा ने बयान किया कि हम हुज़ैफ़ा रज़ि॰ पास गये तो उन्होंने कहाः मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे फ़ितने नुक़सान न पहुँचा सकेंगे। सालबा ने कहा कि फिर हम उन के पास से निकले तो हमें एक ख़ेमा नज़र आया, हम उस के अन्दर गये तो देखा कि उस में मुहम्मद बिन मसलमा बैठे हैं। हम ने उन से उस (तन्हाई और एकान्त में बैठने) के बार में पूछा तो उन्हेंाने कहाः मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शहरों को कोई फ़ितना अपनी लपेट में ले ले यहाँ तक कि मामला साफ़ हो जाये(यानी फ़ितने समाप्त हो जायें)।

4665:— अबू बुर्दा ने बयान किया कि जुबैअ़ा बिन हुसैन सालबी ने भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

4666:— क़ैस बिन उबाद ने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ से पूछाः आप का (मुआ़विया के मुक़ाबले में) निकलना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़र्मान की वजह से था या आप की अपनी ज़ाती राय थी? उन्होंने कहाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फ़रमाया था, बल्कि यह मेरी अपनी ज़ाती राय थी।

4667:— अबू सअ़ीद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमानों में इख़्तिलाफ़ के समय एक फ़ितना फैलाने वाली जमाअ़त निकलेगी जिसे मुसलमानों का वह गरोह क़त्ल करेगा जो हक़ से ज़्यादा क़रीब होगा।

बाब **{संदेष्टाओं में एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत देने का मस्अ़ला।}**

4668:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः संदेष्टाओं को एक-दूसरे पर फ़ज़ीलत व तर्जीह मत दिया करो।

फ़ाइदा:— क्योंकि इस से इख़्तिलाफ़ पैदा होगा और एक-दूसरे को बुरा भला कहा जायेगा जो फ़ितना का कारण बनेगा। वैसे एक-दूसरे पर फ़ज़ीलत कुरआ़न से साबित है (सूरः बक़रह-353)

4669:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी बन्दे के लिये उचित नहीं कि वह यूँ कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ।

4670:— अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: किसी नबी के लिये उचित नहीं कि वह यूँ कहें: मैं यूनुस बिन मत्ता अ़लै॰ से बेहतर हूँ।

4671:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक यहूदी ने कहाः उस ज़ात की क़सम जिस ने मूसा अ़लै॰ को चुन लिया। इस पर एक मुसलमान ने अपने हाथ को उठाया और उस यहूदी के मुँह पर थप्पड़ मार दिया। वह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और बताया तो आप ने फ़रमायाः मुझे मूसा पर फ़ज़ीलत न दो, जब लोग (क़ियामत के दिन) बेहोश किये जायेंगे तो मैं सब से पहले होश में आऊँगा, तो क्या देखूँगा कि मूसा अ़लै॰ अ़र्श का पाया पकड़ कर खड़े हैं। अब मुझे यह नहीं मालूम कि वह बेहोश होकर मुझ से पहले होश में आयेंगे, या उन लोगों में से होंगे जिन्हें अल्लाह पाक ने बेहोशी से बचा लिया होगा।

4672:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यूँ कह कर मुख़ातब कियाः ऐ मख़्लूक़ में सब से अफ़ज़ल शख़्स! यह सुन कर आप ने फ़रमायाः "यह हज़रत इब्राहीम अ़लै॰ थे।"

4673:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं आदम की औलाद का सर्दार हूँ, और प्रथम व्यक्ति हूँगा। जिस से ज़मीन फटेगी, मैं सब से पहले सिफ़ारिश करूँगा और मेरी सिफ़ारिश ही सर्वप्रथम स्वीकार होगी।

4674:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुब्बा के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वह लानती था या नहीं। और उज़ैर के बारे में ख़बर नहीं कि वह नबी थे या नहीं।

फ़ाइदा:— सबा क़ौम का क़बीला "हिमयर" के लोग अपने बादशाह को "तुब्बा" कहते थे (सूर दुख़ान-37) (सूरः क़ाफ़-14) उज़ैर, यहूदियों के व्यक्ति थे, जिन्हें वह अल्लाह का बेटा कहते थे।

4675:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे: मैं इब्ने मर्यम के सब से ज़्यादा क़रीब हूँ, और तमाम ही नबी गोया एक बाप की औलाद हैं (जिन

की माताएँ अलग-अलग हों) मेरे और इब्ने मर्यम (ओसा) के दर्मियान कोई नबी नहीं।

बाब {मुरजिया के रद्द में हदीसें।}

4676:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमान की सत्तर के क़रीब शाखें है। सब से अफ़्ज़ल लाइला-ह- इल्लल्लाहु कहना है और सब से नीचे यह है कि कोई रास्ते में पड़ी हड्डी दूर कर दे। और हया भी ईमान की एक शाख़ा है।

फ़ाइदा:— "मुरजिया" वह लोग हैं जिन के नज़दीक अमल ईमान में दाख़िल नहीं। और कलिमा पढ़ लेने के बाद किसी गुनाह के करने से कोई नुक़सान नहीं।

4677:— अबू जमरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से सुना उन्होंने फ़रमायाः जब अब्दुल क़ैस का वफ़्द (मन्डल) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। आप ने उन से पूछाः क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं? उन्होंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः केवल एक अल्लाह के माबूद होने और मुहम्मद के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना, नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और यह कि तुम माले ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा अदा करो।

फ़ाइदा:— इस में हज्ज का ज़िक्र नहीं है, क्योंकि उस समय तक हज्ज फ़र्ज़ नहीं हुआ था। मालूम हुआ कि "ईमान" ज़बानी इक़रार का नाम नहीं, और न ही केवल दिल से तस्दीक़ का नाम है, बल्कि ज़बान से इक़रार, दिल से तस्दीक़ और फिर अमल करने का नाम है।

4678:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बन्दे और कुफ़्र के दर्मियान फ़र्क़ नमाज़ को छोड़ देना है।

4679:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (महिलाओं को ख़िताब करते हुये) फ़रमायाः मैंने किसी कम अक़्ल और कम दीन वाली को नहीं पाया जो तुम से बढ़ कर अक़्ल मन्द बन्दे को बेअक़्ल बना देने वाली हो। इस पर एक महिला बोल पड़ीः अक़्ल और दीन में नक़्स और कमी कैसे है? आप ने फ़रमायाः अक़्ल की कमी यह है कि दो महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। और दीन में कमी यूँ है कि महिला रमज़ान के दौरान में (माहवारी आने पर) रोज़े छोड़ देती है और कई-कई दिन नमाज़ नहीं पढ़ती।

बाब {ईमान के कम और ज़्यादा होने के दलाइल।}

4680:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (क़िब्ला तबदील होने के मौक़ा पर) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ़ रुख़ कियातो सहाबा नेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन लोगों का क्या होगा जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ते रहे? तब अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "अल्लाह पाक ऐसा नहीं है कि तुम्हारें ईमानों को बर्बाद कर दें" (सूरः बक़रह-143)

फ़ाइदा:— अल्लाह पाक ने एक अ़मल, नमाज़ को ईमान से ताबीर फ़रमाय है। मालूम हुआ कि आमाल, ईमान का हिस्सा हैं। और अ़मल घटता-बढ़ता है तो ईमान भी घटता-बढ़ता है।

4681:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने अल्लाह की ख़ातिर मुहब्बत की, अल्लाह की ख़ातिर गुस्सा किया, अल्लाह ही के लिये दिया और अल्लाह ही के लिये न दिया तो उस ने ईमान को कामिल कर लिया।

फ़ाइदा:— मुहब्बत करना, गुस्सा करना दिल के अ़मल हैं, और किसी को न देना, हाथ के अ़मल हैं। इन के घटने-बढ़ने से ईमान भी घटेगा और बढ़ेगा।

4682:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमान वालों से सब से बढ़ कर कामिल ईमान वाला वहीं है जो अख़्लाक़ में बढ़ कर हो।

फ़ाइदा:— अख़्लाक़ को ईमान का हिस्सा बताया है। अख़्लाक़ घटता-बढ़ता है इसलिये ईमान भी घटता-बढ़ता है।

4683:— आ़मिर बिन सअ़द अपने पिता (सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को दिया और कुछ लोगों को नहीं दिया। तो सअ़द ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़लाँ-फ़लाँ को दिया और फ़लाँ-फ़लाँ को नहीं दिया, हालाँकि वह भी मोमिन हैं। तो आपने फ़रमायाः "या मुस्लिम है"। सअ़द ने यह बात तीन बार कही और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी "या मुस्लिम" "या मुस्लिम" फ़रमाते रहे और फिर कहाः मैं कुछ को देता हूँ और कुछ को छोड़ देता हूँ हालाँकि वह मुझे उन की निस्बत ज़्यादा महबूब होते हैं, इस डर से कि कहीं वह अपने मुँह के बल आग में न डाल दिये जायें।

4684:— इब्ने शिहाब जुहरी रह॰ ने आयत "कुल् लम् तूमिनू........ (कह दीजिये! तुम ईमान नहीं लाये बल्कि यूँ कहो कि हम ने इस्लाम क़ुबूल किया है (हुजुरात-14) की तफ़सीर में बयान किया कि हम समझते हैं इस्लाम से मुराद ज़बानी इक़रार है और ईमान से मुराद अ़मल है।

फ़ाइदा:— केवल ज़बान से इक़रार करने का नाम इस्लाम है।

4685:— आ़मिर अपने पिता सअ़द से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ माल तक़सीम किया तो मैंने कहः फ़लाँ को भी दीजिये क्योंकि वह मोमिन है। आप ने फ़रमायाः "वह मुस्लिम है" मैं किसी शख़्स को कोई माल देता हूँ हालाँकि उस के बजाए कोई दूसरा मुझे ज़्यादा महबूब होता है (उसे कुछ नहीं देता) मैं इस डर से उसे देता हूँ कि कहीं औंधे मुँह न गिरा दिया जाये।

4686:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कहीं मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक-दूसरे की गर्दनें मारने लगो।

4687:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः जिस किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को काफ़िर कहा, तो अगर वह (वास्तव में) काफ़िर हुआ तो ठीक, वर्ना कहने वाला ही काफ़िर है।

4688:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चार आ़दतें जिस शख़्स में पाई जायें वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होता है और जिस में उन में से कोई एक आ़दत होतो उस में निफ़ाक़ की एक आ़दत होती है यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। यानी जब बात करे तो झूठ बेले, वादा करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे, मुआ़हिदा करे तो धोखा दे, अगर झगड़ा होजाये तो गाली गुलूच पर उतर आये।

4689:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़िना करने वाला जिस वक़्त ज़िना कर रहा हो ईमानदार नहीं होता। चोर जिस समय चोरी कर रहा हो ईमान वाला नहीं होता, और शराबी जब शराब पी रहा हो मोमिन नहीं होता, उस के बाद तौबा उस के सामने है।

4690:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदमी जब ज़िना करता है तो ईमान उस से निकल जाता है और उस के ऊपर छतरी की तरह होजाता है। पस जब वह अपनी बुराई से निकल आता है तो ईमान उस की तरफ़ वापस आ जाता है।

बाब {तक़्दीर का बयान।}

4691:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़दरिया (तक़्दीर का इन्कार करने वाले) इस उम्मत के मजूसी हैं। अगर बीमार हो जायें तो उस की बीमार पुर्सी को मत जाओ और अगर मर जायें तो उन के जनाज़े में मत शरीक हो।

फ़ाइदा:— जो लोग यह समझते हैं कि इन्सान मुकम्मल तौर पर अपने अ़मल में आज़ाद है, तक़्दीर का पाबन्द नहीं है, तक़्दीर का लिखा कोई चीज़ नहीं, इन्हें "क़दरिया" कहा जाता है। वह गुमराह फ़िर्क़ा है। मजूसी, दो खुदा के काईल हैं (1) नेकी के ख़ुदा को "यज़दाँ" और बुराई के खुदा को "अहरमन" कहते हैं। इस प्रकार तक़्दीर का इन्कार करने वाले बुराई को अल्लाह की तरफ़ मन्सूब नहीं करते हैं कि बुराई का ख़ालिक़ अल्लाह है। हालाँकि बुराई का पैदा करने वाला अल्लाह है, उस को पैदा कर के बन्दे का इम्तिहान लेता है।

4692:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर उम्मत के मजूसी होते हैं और इस उम्मत के मजूसी वह हैं जो तक़्दीर का इन्कार करते हैं। उन में से जो मर जाये उस के जनाज़े में मत जाओ, और जो बीमार हो उस की बीमार पुर्सी में मत जाओ। यही लोग दज्जाल के सहयोगी होंगे, और अल्लाह का हक़ है कि उन्हें दज्जाल के साथ मिलाए।

4693:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः अल्लाह पाक ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जिसे उस ने तमाम दुनिया से जमा किया था। चुनान्चे आदम की औलाद उस मिट्टी के लिहाज़ से हुयी है। कई लाल हैं तो कई सफ़ेद, कई काले हैं तो कई उन के बीच-बीच, कई नर्म मिज़ाज हैं तो कई सख़्त मिज़ाज, कई बुरी तबीअ़त के हैं तो कई अच्छी और उम्दा तबीअ़त के मालिक हैं।

4694:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि हम बक़ीअ़ ग़रक़द के क़ब्रस्तिान में एक जनाज़े में शरीक थे जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ कर बैठ गये, आप के हाथ में खूँटी थी, आप उस से ज़मीन कुरेदने लगे, फिर अपना सर उठाया और फ़रमायाः अल्लाह पाक ने तुम में से हर जान का ठिकाना जन्नत या जहन्नम लिख दिया है उस के बारे में लिखा जा चुका है कि वह नेक बख़्त है या बदबख़्त। यह सुन कर कौम के एक आदमी ने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! तो क्या फिर हम अपने इस किये हुये पर न रुक जायें और अ़मल करना छोड़ दें? जो नेक बख़्तों में से होगा वह अपनी नेक बख़्ती को पालेगा और जो बदबख़्त होगा वह अपनी बदबख़्ती को पा लेगा। आप ने फ़रमायाः अ़मल किये जाओ, हर एक तौफ़ीक़ दिया गया है। नेक बख़्त को नेकी के काम की तौफ़ीक़ दी जाती है और बदबख़्त को बुरे आमाल की तौफ़ीक़ मिलती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी (तर्जुमा) "जिस नेक (अल्लाह के लिये) माल दिया और तक़्वा इख़्तियार किया और नेकी की तस्दीक़ की, हम उसे आसान मन्ज़िल की तौफ़ीक़ देते हैं.........." (सूरः लैल-5-10)

4695:— यहया बिन यामर रह॰ ने बयान किया कि (मुसलमानों में) सब से पहले जिस ने तक़्दीर का इन्कार किया वह बसरा नगर का व्यक्ति माबद जोहनी था। चुनान्चे मैं और हुमैद बिन अ़ब्दुरहमान हिमयरी हज्ज या उम्रा के लिये रवाना हुये तो हम ने कहाः काश नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी से भेंट हो जाये जिस से हम उन लोगों के बारे में पूछ सकें जो तक़्दीर में कलाम करते हैं (इन्कार करते हैं) तो अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ हमें मस्जिद में दाख़िल होते हुये मिल गये, चुनान्चे मेरे साथी और मैंने उन को अपने बग़ल में ले लिया और मुझे ख़्याल हुआ कि मेरा साथी बात करने देगा। चुनान्चे, मैंने कहाः ऐ अबू अ़ब्दुरहमान! (इब्ने उमर रज़ि॰) हमारे आस-पास कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुये हैं जो क़ुरआन पढ़ कर अ़िल्म की बारीकी निकालते हैं। उन का कहना है कि तक़्दीर कुछ नहीं है और मामलात वैसे ही होजाते हैं। उन्होंने कहाः तुम जब उन से मिलो तो उन्हें बता देना कि मैं (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) उन से बरी हूँ और वह मुझ से बरी हैं। उस ज़ात की क़सम जिस की इब्ने उमर क़सम खाता है (यानी अल्लाह पाक की) उन में से कोई अगर पहाड़ जितना सोना ख़र्च कर डाले तो अल्लाह पाक उसे स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह तक़्दीर पर ईमान न ले आये। फिर कहाः मुझ से उमर बिन ख़त्ताब ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि अचानक एक आदमी आ गया जिस के कपड़े यकदम सफ़ेद और बाल बहुत काले थे, उस के ऊपर सफ़र के निशान भी नहीं दिख रहे थे और हम में से कोई उसे पहचानता भी न था, वह आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने बैठ गया,

उस ने अपने घुटने आप के घुअनें के साथ मिला लिये और अपनी हथेलियाँ भी आप की रानों पर रख दीं और कहने लगाः ऐ मुहम्मद! मुझे इस्लाम के बारे में बताइये। आप ने फ़रमायाः इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि एक अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ाइम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और बैतुल्लाह का हज्ज करो अगर वहाँ तक पहुँचने की ताक़त हो। उस ने कहाः आप ने सच फ़रमायाः हमें इस पर बहुत तअज्जुब हुआ कि आप से सवाल भी करता है और तस्दीक़ भी करता है। फिर पूछाः आप मुझे ईमान के बारे में बतायें? आप ने फ़रमायाः (ईमान यह है कि) कि तुम अल्लाह पर उस के फ़रिश्तों पर उस कि किताबों पर, उस के रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर ईमान लाओ, और तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर भी ईमान लाओ। उस ने कहाः आप ने सच फ़रमाया। फिर पूछाः मुझे एहसान के बारे में बतायें? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर यह हालत हासिल न हो तो यह हो कि वह तो तुम्हें देख रहा है। उस ने पूछाः मुझे क़ियामत के बारे में बताइये? आप ने फ़रमायाः उस के बारे में जिस से पूछ रहे हो, वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। तब उस ने कहाः अच्छा मुझे उस की कुछ निशानियाँ ही बता दें? आप ने फ़रमायाः यह कि लौंडी अपनी मालिका को जनेगी और तुम देखोगे कि पाँव और शरीर के नन्गे फ़क़ीर और बकरियों के चरवाहे ऊँची-ऊँची इमारतें बनाने में एक-दूसरे से बढ़ने लग जायें। फिर वह चला गया। मैं(यानी उमर बिन ख़त्ताब) तीन दिन तक रुका रहा तो आप ने फ़रमायाः ऐ उमर! क्या तुम जानते हो वह सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहाः अल्लाह और उस के रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः वह जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे।

4696:— यहया बिन यामर और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से मिले और उन से तक़दीर और दूसरे मसाइल जो वह लोग बोलते थे मालूम किये..... तो ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और इतना और इज़ाफ़ा किया कि मुज़ैना या जुहैना के आदमी ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम अमल किस बिना पर करें? क्या यह जान कर कि सब कुछ तै हो चुका है, या यह समझ कर कि मामला नया है? आप ने फ़रमायाः यह समझ कर कि सब कुछ तै हो चुका है। तो क़ौम में से एक ने कहाः तो फिर अमल करने से क्या फ़ाइदा? आप ने फ़रमायाः जन्नती को जन्न्त वाले के अमल की तौफ़ीक़ दी जाती है।

4697:— सुलैमान बिन बुरैदा ने इब्ने यामर से भी यही रिवायत नक़ल की है जिस में कुछ कमी-बेशी भी है (अल्फ़ाज़ में कमी-बेशी) पूछाः इस्लाम क्या है? फ़रमायाः नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज्ज करना, रमज़ान के रोज़े रखना और जुनुबी होने के बाद स्नान करना।

4698:— अबू ज़र और अबू हुरैरा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दर्मियान बैठा करते थे। चुनान्चे जब कोई नया आदमी आता तो वह आप को पहचान न पाता तो वह आप के बारे में पूछता (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन

हैं?) तो हम ने आप से अनुरोध किया कि आप के लिये ख़ास स्थान बना दें ताकि नया-नया आने वाला आप को पहचान लिया करे। चुनान्चे आप के लिये मिट्टी का चबूतरा सा बना दिया और आप उस पर बैठने लगे। और हम उस के चारों तरफ़ बैठ जाया करते थे....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। चुनान्चे एक आदमी आया और उस की शक्ल-सूरत बयान की, यहाँ तक कि उस ने जमाअ़त की एक जानिब से सलाम किया और कहाः अस्सलामु अ़लै-क या मुहम्मद। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के सलाम का जवाब दिया।

4699:— इब्ने दैलमी (अ़ब्दुल्लाह बिन फ़ीरोज़) ने कहा कि उबय्यि बिन कअ़ब के पास मैं गया और कहा कि मेरे दिल में तक़्दीर के बारे में कुछ शुब्हा है, इसलिये आप मुझे कोई हदीस सुनाइये कि अल्लाह पाक मेरे दिल से शुब्हा को दूर कर दे। उन्होंने कहाः अगर अल्लाह पाक अपने तमाम आसमान वालों और अपने तमाम ज़मीन वालों को अ़ज़ाब देना चाहे तो उन पर ज़ुल्म नहीं करेगा। और अगर वह उन पर रहमत करे तो उन की रहमत उन के लिये उन के आमाल से बहुत बेहतर है। और अगर तुम उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह पाक की राह में ख़र्च कर डालो तो जब तक तक़्दीर पर ईमान नहीं लाओगे अल्लाह पाकउसे कुबूल नहीं करेगा। और (जब तक) यह न जान लो किजो कुछ तुम्हें पहुँचा है वह किसी सूरत में फ़ौत नहीं हो सकता था। और हासिल नहीं हुआ वह किसी सूरत में हासिल नहीं हो सकता था। अगर तुम इस अ़क़ीदे के अ़लावा किसी और पर मर गये तो जहन्नम में जाओगे। इब्ने दैलमी ने कहा कि फिर मैं इब्ने मस्ऊद के पास गया तो उन्होंने भी इसी प्रकार कहा। उन्होंने कहा कि फिर मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि॰ के पास गया तो उन्होंने भी इसी तरह कहा। फिर मैं ज़ैद बिन साबित के पास गया तो उन्होंने भी मुझ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार बयान किया।

4700:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ ने अपने बेटे से कहाः ऐ मेरे बेटे! तू उस समय तक ईमान की हक़ीक़त नहीं पा सकता जब तक यह यक़ीन न कर ले कि जो कुछ तुम्हें हासिल हो चुका है यह तुम से रह नहीं सकता था, और जो हासिल नहीं हुआ है। वह मिल नहीं सकता था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप फ़रमाते थेः सब से पहली चीज़ जो अल्लाह पाक ने पैदा की वह क़लम थी, फिर उस ने कहाः लिखो, उस ने कहाः ऐ मेरे मौला! क्या लिखूँ? अल्लाह पाक ने फ़रमायाः क़ियामत आने तक हर चीज़ की तक़्दीर लिख। ऐ मेरे बेटे! मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना हैः जो शख़्स इस के अ़लावा किसी और अ़क़ीदे) पर मर गया वह मुझ से नहीं।

4701:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदम अ़लै॰ और मूसा अ़लै॰ में बहस हो गयी। मूसा ने कहाः ऐ आदम! आप हमारे पिता जी हैं, आप ने हमें बहुत घाटा दिया और जन्नत से निकाल दिया। आदम ने कहाः आप मूसा हैं, अल्लाह ने आपको अपने साथ बात-चीत करने का शर्फ़ बख़्शा, और आप के लिये अपने हाथ से तौरात लिखी। आप मुझे ऐसी बात पर मलामत कर रहे हो जो उस ने मेरे पैदा होने से चालीस वर्ष पहले ही मेरे लिये मुक़द्दर कर दी थी। चुनान्चे आदम अ़लै॰ मूसा अ़लै॰ पर ग़ालिब आ गये।

फ़ाइदा:— देखें बुख़ारी-6614, मुस्लिम-2652।

4702:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मूसा ने अल्लाह पाक से दुआ कीः ऐ मेरे मौला! हमें आदम को दिखा दे, जिन्होंने हमें और अपने आप को भी जन्त्त से निकलवा दिया। अल्लाह पाक ने उन्हें आदम को दिखला दिया। मूसा ने कहाः आप हमोर पिता आदम हैं? उन्होंने कहाः हाँ। मूस ने कहाः अप ही वह हैं जिस में अल्लाह ने अपनी रुँह फूँकी थीं और तमाम चीज़ों के नाम बतला दिये थे, अल्लाह तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आप को सज्दा किया था? आदम ने कहाः जी हाँ। मूसा ने कहाः आप को किस चीज़ ने आमादा किया कि हमें और अपने आप को जन्नत से निकाल बाहर किया? आदम ने उन से कहाः आप कौन हैं? उन्होंने कहाः आई ऐम मूसा। उन्होंने कहाः आप ही बनी इसराईल के वह नबी हैं जिन से अल्लाह पाक ने पर्दे के पीछे से बात-चीत की थी और अपने और आप के दर्मियान अपनी मख़्लूक़ में से किसी को वास्ता नहीं बनाया था? मूसा ने कहाः जी हाँ। आदम ने कहाः क्या आपने नहीं पाया कि यह सब कुछ मेरे पैदा किये जाने से पहले ही अल्लाह की किताब में (ऐसे ही) था? मूसा ने कहाः हाँ। आदम ने कहाः तो फिर तुम मुझे किस चीज़ पर मलामत करते हो, हालाँकि वह मुझ से पहले ही अल्लाह के फ़ैसले में थी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदम मूसा पर दलील में ग़ालिब आ गये।

फ़ाइदा:— "तक़दीर" यानी अल्लाह पाक का लिखा हुआ हक़ और सच हैं, कहीं भी उस से ज़र्रा बराबर कुछ मुख़्तलिफ़ नहीं हो सकता। मगर यह इल्म बन्दों को मजबूर नहीं करता। इन्सानों के लिये जाइज़ नहीं कि अपने आइन्दा के कामों और मामलात में तक़दीर को उज़्र और बहाना बना कर के पेश करें, क्योंकि हर एक को सहीह राह इख़्तियार करने और उस के अनुसार करने का मुकल्लफ़ बनाया है।

4703:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से "जब तेरे रब ने बनी आदम की पीठों से उन की औलाद निकाली......" (आराफ़-172) की तफ़सीर पूछी गयी तो उमर रज़ि॰ ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना, आप से इस बारे में पूछा गया था तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने आदम को पैदा किया, फिर अपना दायाँ हाथ उन की पीठ पर फेरा और पीठ से उन की औलाद निकाली और फ़रमायाः इन को मैंने जन्नत के लिये पैदा किया है और यह जन्नती लोगों के से नेक काम करेंगे। फिर उन की पीठ पर (दोबारा) हाथ फेरा और उस से उन की औलाद निकाली और फ़रमायाः इन को मैंने दोज़ख़ के लिये पैदा किया है और यह जहन्नमी लोगों के से काम करेंगे।

एक आदमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर अ़मल करने से क्या फ़ाइदा? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने जब बन्दे को जन्नत के लिये पैदा किया है तो उसे जन्नती लोगों के से काम कराता है यहाँ तक कि वह जन्नती लोगों के से काम करता हुआ मर जायेगा तो अल्लाह पाक उन्हीं नेक कामों के करने के कारण उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। और जब जिस बन्दे को

आग के लिये पैदा किया गया है तो उस से जहन्न्मी लोगों के से काम करवाता है, यहाँ तक कि वह जहन्नमी लोगों के से अ़मल करता हुआ मर जायेगा तो अल्लाह उसी के सबब से उसे आग में डाल देगा।

फ़ाइदाः— अल्लाह पाक ने एक शख़्स को जन्नत के लिये और दूसरे को जहन्नम के लिये पैदा किया है। इस का यह अर्थ है कि अल्लाह के ज्ञान के मुताबिक़ एक शख़्स नेक अ़मल करते-करते जन्नत में जायेगा और एक व्यक्ति बुरा-अ़मल करते-करते जहन्नम में चला जायेगा। चूँकि अल्लाह ग़ैब की बातों को जानता है इसलिये उस ने पहले ही बता दिया है, तो उसके बताने से उस के नेक या बुरे अ़मल करने में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसलिये इन्सान अच्छा या बुरा अ़मल करने पर मजबूर नहीं है। उसे पूरी आज़ादी है।

4704:— नुऐम बिन रबीआ़ कहते हैं कि में उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के पास था........और ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की। लेकिन मालिक की ऊपर की हदीस ज़्यादा मुकम्मल है।

4705:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह लड़का जिसे ख़ज़िर ने क़त्ल किया था वह काफ़िर पैदा किया गया था। अगर जीवित रहता तो अपने माता-पिता को नाफ़र्मानी और कुफ़्र पर मजबूर कर देता।

4706:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक के फ़र्मानः "और उस लड़के के माता-पिता मोमिन थे" (कहफ़-80)

फ़ाइदाः— "काफ़िर पैदा किया गया था" (जैस कि ऊपर की हदीस में है) इस का अर्थ है कि उस लड़के को बड़ा होकर अपनी मर्ज़ी और इच्छा से कुफ़्र के ही काम करने थे। चूँकि अल्लाह पाक ग़ैब की बात जानने वला है इसलिये उसे मालूम था कि भविष्य में बड़ा होकर कुफ़्र करेगा, इसलिये पहले ही बता दिया कि वह काफ़िर था। अल्लाह पाक के लिख देने से वह कुफ़्र नहीं करता, बल्कि उस के कुफ़्र करने की जानकारी होने के नाते अल्लाह ने लिख दिया है। ख़ज़िर अ़लै॰ कौन हैं? (देखें सूरः कहफ़ 60-82)

4707:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ख़ज़िर अ़लै॰ ने लड़के को देखा जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने पकड़ कर मरोड़ दिया, इस पर मूसा बोलेः "आप ने एक पाक जान को क़त्ल कर डाला है। उस पर टोक देना उन के लिये वाजिब था। लेकिन मामला कुछ और था जिस की जनकरी उन को न थी, उस का ज्ञान ख़ज़िर के पास था, अल्लाह पाक ने ख़ज़िर को बता रखा था, उस को मूसा नहीं जानते थे।

4708:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से बयान फ़रमाया........और आप सादिक़ और मसदूक़ हैं.......तुम्हारी पैदाइश में नुत्फ़ा (वीर्य) माँ के पेट में चालीस दिन तक जमा रहता है, फिर उतने ही दिन जमा हुआ खून (लोथड़ा) बन जाता है, फिर उतने ही दिनों के लिये माँस की बोटी बन जाता है। फिर अल्लाह पाक उस की

तरफ़ फ़रिश्ता भेजता है और उसे चार बातें लिखने का हुक्म होता है। वह उस की रोज़ी, अजल (उम्र या मौत) अ़मल और यह कि वह नेक भाग्य का होगा या बुरे भाग्य का होगा, यह सब लिख देता है, फिर उस में रुह फूँक दी जाती है। फिर तुम में से कोई जन्ती लोगों के से नेक काम करता है यहाँ तक कि उस के और जन्नत के दर्मियान केवल एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, मगर इस से पहले जिस प्रकार लिखा हुआ है उस के अनुसार जहन्नमी लोगों वाले बुरा अ़मल करना शुरु कर देता है और जहन्नम में जा पड़ता है। इसी प्रकार तुम में से कोई जहन्नम वालों का सा बुरा काम करता रहता है यहाँ तक कि उस के और जहन्नम के दर्मियान केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है, लेकिन इस से पहले जो लिखा है उस के अनुसार वह जन्नती लोगों के से नेक काम करने लगता है और जन्नत में चला जाता है।

फ़ाइदा:— ज़ाहिर में इन्सान नेकी की राह पर चलता है लेकिन उसे यह नहीं समझना चाहिये कि वह उसी नेकी की राह पर चलता रहेगा। चूँकि अल्लाह पाक ग़ैब की बातें जानने वाला है। वह जानता है कि अन्त में कौन किस राह को अपनाता है उसी हिसाब से अल्लाह पाक ने उस के लिये जन्नत-जहन्नम लिख दिया है। अल्लाह के लिखने से वह जन्नती या जहन्नमी लोगों के काम नहीं करेगा, बल्कि उस बन्दे के करने की वजह से अल्लाह पाक .....

4709:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जहन्नमी लोगों के मुक़ाबले में जन्नती लोगों को जाना जा चुका है? आप ने फ़रमायः हाँ। तो फिर अ़मल करने वालों के अ़मल करने से क्या फ़ाइदा? आप ने फ़रमायाः हर एक को उसी की तौफ़ीक़ मिलती है जिस के लिये उसे पैदा किया गया है।

4710:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तक़दीर का इन्कार करने वालों के साथ मत बैठा करो और न उन से बात-चीत (या मुनाज़रा और बहस) का आरंभ किया करो।

बाब {मुश्रिकों की औलाद का बयान।}

4711:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुश्रिकों की औलाद के बारे में पूछा गया (जो बचपने में मर जाते हैं) तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि वह (बड़े होकर) क्या अ़मल करने वाले थे।

4712:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मोमिनों की औलाद का अन्जाम क्या होगा? आप ने फ़रमायाः वह अपने बाप-दादा के साथ हैं? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल!-अ़मल के बिना ही? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक को भली भाँत जानकारी है कि वह क्या अ़मल करने वाले थे? मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुश्रिकों की औलाद का क्या अन्जाम हेग? आप ने फ़रमायः वह अपने बप-दादाओं के साथ हैं। मैंने पूछाः क्या अ़मल के बिना ही? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक को बेहतर ज्ञान है जो वह अ़मल करने वाले थे।

फ़ाइदा:— छोटे और नानमून बच्चे जो बचपन में मर जाते हैं उन का अन्जाम क्या होगा? यह बड़ा गंभीर मस्अला है। बुख़ारी शरीफ़ (4775) में है "वह इस्लामी फ़ितरत पर पैदा होते हैं, चाहे मुसलमान के घर पैदा हूँ या काफ़िर के घर। बुख़ारी की एक दूसरी हदीस (6579) में है कि "अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वह क्या अ़मल करने वाले थे" सहीह हदीसों से साबित है कि जिन के पास संदेष्टाओं की दावत-तबलीग़ नहीं पहुँची होगी, उन लोगों का क़ियामत के दिन परिक्षा (इम्तिहान) होगा। अगर उस में पास हो जायेंगे तो जन्नत में जायेंगे, वर्ना जहन्नम में। इसी प्रकार इन बच्चों का भी इम्तिहान क़ियामत के दिन होगा। अगर पास हो जायेंगे तो जन्नत में, वर्ना जहन्नम में जायंगे। इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, इब्ने बाज़, आदि का यही फ़तवा है। क्योंकि अल्लाह पाक ने फ़रमा दिया है "जब तक हम पैगंबर न भेजें हम अ़ज़ाब नहीं दिया करते" (बनी इस्राईल-15)

4713:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास अन्सारी लोगों का एक बच्चा जनाज़ा पढ़ाने के लिये लाया या। आइशा रज़ि॰ ने कहा: मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस बच्चे को मुबारक हो, इस ने न तो कोई बुरा काम किया और न ही इसे किसी बुरे काम की ख़बर ही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ आइशा! या फिर इस से मुख़्तलिफ़ बेशक अल्लाह पाक ने जन्नत पैदा फ़रमाई तो उस के लिये मख़्लूक़ भी पैदा कर दी और उस जन्नत को उन्हीं के लिये बनाया जबकि वह अभी अपने बापों की पुश्तों में होते हैं। और अगर (जहन्नम) पैदा किया तो उस के लिये मख़्लूक़ भी पैद कर दी, और यह जहन्नम को उन ही लोगों के लिये बनाया जबकि वह अभी अपने बापों की पीठ में होते हैं।

4714:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत (दीनइस्लाम) पर पैदा होता है। फिर उस के माता-पिता उसे यहूदी और ईसाई बना देते हैं। जैसे ऊँट का बच्चा सही-सालिम जन्म लेता है। क्या तुम किसी को कान कटा हुआ पाते हो? लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस बच्चे के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जो छोटी उम्र ही में मर जाता है? आप ने फ़रमाया: अल्लाह पाक को बेहतर ज्ञान हैं जो वह अ़मल करते।

4715:— इमाम मालिक रह॰ से कहा गया कि अपने नफ़्स और ख़ाहिश की पूजा करने वाले (बिदअ़ती लोग) इस हदीस को हमारे ख़िलाफ़ पेश करते हैं (तक़्दीर और ज़बर्दस्ती जहन्नम में डाले जाने के बाब में) इस पर इमाम मालिक ने कहा: तुम इस हदीस के अन्तिम हिस्से को उन पर उल्टा दिया करो (जिस में है कि) लोगों ने कहा: उस बच्चे के बारे में फरमायें जो छोटी उम्र में मर जाता है? आप ने फरमाया: "अल्लाह को बेहतर ज्ञान है जो वह अमल करते"

फ़ाइदा:— फ़िर्क़ा जबरिय्या, यानी जिन का अक़ीदा है कि अल्लाह ज़बर्दस्ती हम से बुरा काम करवा कर जहन्नम में डालता है, उन के अक़ीदे का रद्द है कि अल्लाह इस बुनियाद पर उन्हें डालेगा कि वह जानता है कि वह बड़े होकर नेक काम करते या बुरा काम करते।

4716:— हम्माद बिन सलमा ने हदीस "हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है" की तशरीह में कहा: इस का अर्थ हमारे नज़दीक यह है कि यह उस समय की बात है जब अल्लाह पाक ने रुहों से वादा लिया था जबकि वह अभी अपने बापों की पीठ में थे। उस समय कहा था: "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा: क्यों नहीं।

4717:— अमिर शोबी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बच्चे को ज़िन्दा दफ़न करने वाली और ज़िन्दा दफ़न होने वाली (दोनों) आग में हैं।

फ़ाइदा:— जैसा कि ऊपर की हदीस में मुश्रिकों के छोटे-मोटे बच्चे और ज़िन्दा दफ़न की गयी बच्चियाँ जहन्नम में नहीं जायेंगीं (देखें- 4712 का फ़ाइदा)

4718:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आप ने फ़रमाया: तेरा बाप आग में है। फिर जब उस ने गर्दन फेरी (और जने लगा) तो आप ने फ़रमाया: मेरा बाप और तेरा बाप (दोनों) जहन्नम में है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत मुस्लिम (203) में भी है। कुछ रिवायतों में है कि आप के पिता दोबारा ज़िन्दा किये गये और कलमा पढ़ा, इस्लाम लाये फिर वफ़ात पाई। यह सब रिवायतें मनघड़त और मौज़ू हैं। बेहतर है कि इस बारे में ख़ामोशी इख़्तियार की जाये।

4719:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: शैतान आदमी की औलाद के शरीर में इस प्रकार दौड़ता है जैसे कि खून (दौड़ता है)

4720:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमया: तक़्दीर का इन्कार करने वालों के पास उठने-बैठने से बचो और उन से बात-चीत (और मुनाज़रा) में पहल न किया करो।

बाब {जहमिय्या (फ़िर्क़ा) का बयान।}

नोट:— यह फ़िर्क़ा, जहम बिन सफ़वान नाम के शख़्स की तरफ़ मन्सूब है। यह समरक़न्द का रहने वाला था। इस फ़िर्क़ा का अक़ीदा है कि कुरआन पाक मख़्लूक़ है, बन्दा नेकी या बदी करने पर मजबूर है, अल्लाह पाक को ग़ैब का ज्ञान नहीं, ईमान में कमी-बेशी नहीं होती......वग़ैरह खुराफ़त।

4721:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लोग सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि कहा जायेगा: इस मख़्लूक़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह को किस ने पैदा किया? इसलिये अगर कोई इस प्रकार की बात करे तो उसे चाहिये कि यूँ कहे: आ-मन्तु बिल्लाहि (मैं अल्लाह पर ईमान लाया)

4722:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: ....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, और कहा:

जब वह लोग यह कहें तो तुम कहो: अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, न उस से जना और न वो जना गया, और कोई नहीं जो उस की बराबरी कर सके।" फिर चाहिये कि बायें तरफ़ कुछ थूक दे और शैतान के शर्र से अल्लाह की पनाह माँगे।

4723:— अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं बतहा की वादी में एक जमाअत में बैठा हुआ था जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ रखते थे, इतने में वहाँ से बादल का एक टुक्ड़ा गुज़रा, आप ने उस की तरफ़ देखा और पूछा: तुम लोग उसे क्या कहते हो? उन्होंने कहा: सहाब (बादल) आप ने फ़रमाया: मुज़्न भी (कहो) उन्होंने कहा: हाँ मुज़्न भी। आप ने फ़रमाया: अनान भी, उन्होंने कहा: अनान भी कहते हैं।

.... इमाम अबू दावूद ने कहा: आप ने फ़रमाया: क्या जानते हो कि आकाश और पृथ्वी के दर्मियान कितनी दूरी है? उन्होंने कहा: हमें नहीं मालूम। आप ने फ़रमाया: उन दोनों के दर्मियान 71 या 72, या 73 साल का फ़ासला है। फिर इस के बाद दूसरे आकाश का भी इतना ही फ़ासला है, यहाँ तक कि आप ने सात आसमान शुमार किये। फिर फ़रमाया: सातवें आसमान के ऊपर समुन्दर है जिस की गहराई और ऊँचाई इतनी है, जैसे एक आकाश से दूसरे आकाश तक। फिर उस के ऊपर आठ बकरे हैं जिन के खुरों और घुटनों के दर्मियान इतना फ़ासला है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान तक। फिर उन बकरों की पीठ के ऊपर अर्श है, जिस की तह और ऊँचाई में इतना ही फ़ासला है जैसे कि एक आसमन से दूसरे आसमान तक फ़ासला है, फिर उस के ऊपर अल्लाह पाक है।

4724:— अम्र बिन अबू क़ैस ने भी सिमाक के वास्ते से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— यह तमाम हदीसें ज़ओफ़ हैं।

4725:— इब्राहीम बिन तहमान ने सिमाक की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

4726:— जुबैर बिन मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम अपने पिता मुहम्मद से और मुहम्मद अपने दादा जुबैर बिन मुतइम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जानों पर बन आई है, बाल-बच्चे हलाक हो रहे हैं, माल समाप्त हो रहे हैं और जानवर मर रहे हैं, अल्लाह पाक से हमारे लिये पानी तलब कीजिये, हम अल्लाह के दर्बार में आप की सिफ़ारिश पेश करते हैं और अल्लाह पाक को आप के सामने सिफ़ारिशी लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अफ़सोस तुम पर। क्या जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहते रहे, इस पर सहाबा घबरा गये यहाँ तक कि ख़ौफ़ और डर का प्रभाव उन के चेहरों पर महसूस किया गया। फिर आप ने फ़रमाया: अफ़सोस तुम पर! अल्लाह पाक को उस की मख़्लूक़ में किसी के यहाँ सिफ़ारिश पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक की शान उस से

कहीं ज़्यादा अज़मत वाली है। अफ़सोस तुम पर! क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की क्या शान है? उस का अ़र्श आसमानों पर इस प्रकार है, और आप ने अपनी उंगलियों से कुब्बे की सी शक्ल बनाई और फ़रमायाः वह अ़र्श इस प्रकार से चरचरा रहा है जैसे पालान अपने सवार के साथ चरचराता है।

इब्ने बश्शार ने अपनी रिवायत में कहा है किः अल्लाह पाक अपने अ़र्श के ऊपर है, और उस का अ़र्श उस के आसमानों से ऊपर है........"

4727:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में बताऊँ। उस फ़रिश्ता के कान की लौ से उस के कन्धे तक का फ़ासला सात सौ वर्ष के सफ़र के बराबर है।

4728:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने यह आयत पढ़ीः "अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उन के हक़दारों को पहुँचा दो......" (सूरःनिसा 58) उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप अपना अन्गूठा अपने कान पर और साथ वाली उंगली अपनी आँख पर रख रहे थे। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप इस आयत को पढ़ते हुये अपनी उंगलियाँ (कान और आँख पर) रख रहे थे।

फ़ाइदाः— इस आयत में अल्लाह पाक का सुनना और देखना साबित है, जबकि जहमिय्या इन्कार करते हैं। इस में जहमिय्या के अक़ीदा का रद्द है।

बाब {अल्लाह पाक को देखने का बयान।}

4729:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बैठे हुये थे कि आप ने चाँद की तरफ़ देखा जबकि रात चौदहवीं की थी और चाँद खूब चमक रहा था। आप ने फ़रमायाः तुम अपने रब को देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो और अल्लाह पाक को देखने में कोई रुकावट नहीं होगी। चुनान्चे अगर कर सकते है तो यह करो कि सूरज के निकलने और डूबने से पहले की नमाज़ों से ग़ाफ़िल न हो जाओ। फिर आप ने यह आयत तिलावत फ़रमायीः " अपने रब की हमद बयान करो सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले।" (सूरः ताहा–130)

4730:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या क़ियामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे? आप ने फ़रमायाः क्या ठीक दोपहर के समय जब आसमान में बादल न होतो तुम्हें सूरज को देखने में कोई कठिनायी होती है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें चौदहवीं की रात में जब कोई बादल आदि न हो तो क्या चाँद को देखने में कोइ कठिनाई होती है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें उस के देखने में कोई मुश्किल और कठिनाई नहीं होगी मगर उतनी ही जितनी चाँद या सूरज के देखने में होती है (यानी कोई कठिनाई नहीं होगी)

4731:— अबू रज़ीन (लक़ीत बिन आमिर रज़ि॰) ने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम सब अपने रब को देखेंगे? उबैदुल्लाह बिन मआज़ के शब्द हैं कि "क्या हम सब क़ियामत के दिन उसे अलग-अलग देखेंगे? तो मख़्लूक़ में उस की क्या पहचान है? आप ने फ़रमायाः ऐं अबू रज़ीन! क्या तुम में से हर कोई चाँद को नहीं देखता है? इब्ने मआज़ के शब्द हैं कि "क्या चौदहवीं की रात को हर कोई उसे अकेले-अकेले नहीं देखता है" .... फिर दोनों राविंयों का इत्तिफ़ाक़ है.....मैंने कहाः क्यों नहीं। आप ने फ़रमायाः तो अल्लाह की शान तो बहुत बुलन्द है। इब्ने मआज़ के अल्फ़ाज़ हैं कि आप ने फ़रमायाः यह तो अल्लाह की एक मख़्लूक़ का हाल है और अल्लाह की शान बहुत बुलन्द है।

बाब {.......जहमिय्या की तर्दीद।}

4732:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत के दिन अल्लाह पाक आसमानों को लपेट लेगा और उन्हें अपने दाहिने हाथ में लेगा और कहेगाः मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ हैं जाबिर (ज़ालिम) कहाँ हैं तकब्बुर करने वले? फिर ज़मीनों को लपेट लेगा और उन्हें पकड़ेगा। इब्ने उला ने कहाः उन्हें दूसरे हाथ में पकड़ेगा और फ़रमायेगाः मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ हैं जाबिर? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले?

फ़ाइदा:— इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन जहमिय्यह नहीं मानते।

4733:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफ़रमायाः हर रात को जब उसका अन्तिम तिहाई हिस्सा बाक़ी रहता है तो हमारा रब पहले आसमान की तरफ़ उतरता है और पुकारता हैः कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उस की सुनूँ और कुबूल करुँ? कौन है जो मुझ से माँगे और मैं उस को दूँ? कौन है जो मुझ से माफ़ी तलब करे और मैं उसे बख़्श दूँ?

फ़ाइदा:— इस हदीस में अल्लाह पाक का उतरना, पुकारना साबित है, जिस का जहमिय्या इन्कार करते हैं।

बाब {......क़ुरआन पाक का बयान।}

4734:— जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात के मैदान में अपने आप को लोगों के सामने पेश करते थेः और कहते थे कि सुनो! कोई मुझे अपनी क़ौम की तरफ़ ले जाये, क़ुरैश ने मुझे अपने रब का कलाम पहुँचाने से रोक दिया है।

फ़ाइदा:— क़ुरआन पाक अल्लाह का कलाम है इसलिये मख़्लूक़ नहीं है। इसी को लेकर इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ को सज़ायें दी गयीं, उन्हें कोड़े मारे गये और बन्दी बनाया गया। मोतज़िला फ़िर्क़ा इस का इन्कार करते हैं।

4735:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ का बयान है कि मैं अपने आप को इस बात से बहुत मामूली समझती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे आरोप से बरी करने के लिये कोई ऐसा कलाम नाज़िल फ़रमाएगा जिस की तिलावत की जायेगी।

फ़ाइदा:— देखें सूरः नूर आयत 11 से 26 तक।

4736:— आमिर बिन शहर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नजाशी के दर्बार में था कि उस के बेटे ने इन्जील की एक आयत पढ़ी, मैं हँस पड़ा, तो उस ने कहाः क्या तुम अल्लाह पाक के कलाम से हँसते हो?

4737:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन रज़ि॰ इन शब्दों से दम किया करते थेः

उईजुकुमा बि-कलिमातिल्ला हित्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन् व हाम्मातिन् वमिन् कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन् (मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में देता हूँ कि हर शैतान, हर मूज़ी और हर बुरी नज़र की बुराई से महफ़ूज़ रहो)

फिर फ़रमातेः "तुम्हारे बाप (इब्राहीम अलै॰) इस्माईल और इस्हाक़ को उन के ज़रीआ से पनाह दिया करते थे।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह दलील है कि कुरआन पाक मख़्लूक़ नहीं है।

4738:— अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब अल्लाह पाक किसी वह्यि का कलाम फ़रमाता है तो आसमान वाले आसमान में एक अवाज़ सुनते हैं जैसे पत्थर पर ज़न्जीर घसीटी जा रही हो, उस आवाज़ से वह बेहोश हो जाते हैं, और फिर उसी हालत में रहते हैं यहाँ तक कि उन के पास जिब्रील आते हैं, उन के आने से उन के दिलों से यह हालत समाप्त हो जाती है और वह जिब्रील से पूछते हैंः तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया है? वह कहते हैंः हक़ फ़रमाया है। तो वह भी कहते हैंः हक़ फ़रमाया है, हक़ फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि वह्यि अल्लाह का कलाम है, उस के कलाम में आवाज़ है जिसे फ़रिश्ते सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह के कलाम में आवाज़ नहीं, इस से उनका रद्द होता है।

बाब {शरीअत का बयान।}

4739:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी सिफ़ारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये होगी जो कबीरा गुनाह (महापाप) नहीं किये होंगे।

फ़ाइदा:— ....

4740:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक गरोह जहन्नम में से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से निकलेगा और वह जन्नत में दाख़िल होंगे, और उन का नाम "जहन्नमिय्यीन" होगा। (यानी जहन्नम से आज़ाद किये हुये लोग)

4741:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुनाः जन्नती लोग जन्नत में खायेंगे पियेंगे।

बाब {......मरने के बाद जी उठने और सूर फूँके जाने का बयान।}

4742:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सूर एक सींग है जिस में फूँक मारी जायेंगी।

4743:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायः इब्ने आदम के तमाम शरीर को मिट्टी खा जायेगी मगर दुम की जड़ का अन्तिम हिस्सा बचा रहेगा। उसी से पैदाइश आरंभ होती है और उसी से दोबारा जिस्म बन कर तय्यार होता है।

फ़ाइदा:— लेकिन नबियों और पैगंबरों के शव को मिट्टी नहीं खायेगी (अहमद, अबू दावूद)

4744:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब अल्लाह पाक ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्रील से कहाः जाओ और उसे देखो। चुनान्चे वह गये और उसे देखा, फिर आयेऔर कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! उस के बारे में जो कोई भी सुनेगा उस में दाख़िल होना चाहेगा। फिर अल्लाह पाक ने उस को मकरुहात के घेरे में दे दिया (यानी उस में आने वालों को नेक काम करने होंगे और शरीअत की पाबन्दियों को सहन करना होगा, और उस राह में तरह-तरह की कठिनाइयाँ सहनी पड़ेंगी) फिर फ़रमायाः ऐ जिब्रील! जाओ और उसे देख कर आओ। वह गये और उस को देखा, फिर आये और कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! मुझे डर है कि उस में कोई दाख़िल न हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फिर जब दोज़ख़ को पैदा किया तो जिब्रील से कहाः जाओ और उसे देख आओ। चुनान्चे वह गये और उसे देख कर आये और कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! कोई नहीं जो उस के बारे में सुनना गवारा करे और उस में दाख़िल हो। फिर अल्लाह पाक ने उस के नफ़्स की ख़ाहिशों और पसंदीदा चीज़ों के घेरे में दे दिया। फिर फ़रमायाः ऐ जिब्रील! जओ और उसे देख कर आओ। चुनन्चे वह गये और उसे देखा, फिर आये और कहाः ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की क़सम! मुझे अन्देशा है कि उस में दाख़िल होने से कोई भी नहीं बच सकेगा।

बाब {हौज़ का बयान।}

4745:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे आगे (महशर में) एक हौज़ है। उस के कनारे इतने लंबे हैं जैसे जरबा और अज़रेह के दर्मियान का फ़ासला है (इन दोनों स्थानों के दर्मियान तीन रात के सफ़र का फ़ासला था)

4746:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम ने एक स्थान पर पड़ाव किया तो आप ने फ़रमायाः तुम लोग मेरे पास हौज़ पर आने वालों का लाखवाँ हिस्सा भी नहीं हो। अबू हमज़ा ने बयान किया कि मैंने पूछाः उस दिन आप लोगों

की संख्या कितनी थी? कहाः सात–आठ सौ।

4747:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयन किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ऊँघ (झपकी) आ गयी, फिर आप ने मुस्कुराते हुये अपना सर उठाया। आप ने सहाबा से कहा, या आप से सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों मुस्कुराए हैं? फ़रमायाः मुझ पर अभी–अभी एक सूरत नाज़िल हुयी है, फिर आपने पढ़ाः बिस्मिल्ला हिंरहमा निरहीम......इन्ना आतैना कल कौसर.....अन्त तक। जब आप उसे पढ़ चुके तो फ़रमायाः क्या जानते हो कौसर क्या है? सहाबा ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः यह एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में देने का वादा फ़रमाया है और उस पर बहुत बड़ी भलाई होगी। उस पर एक हौज़ होगा जिस पर क़ियामत के दिन मेरी उम्मत के लोग आयेंगे, उस के पीने के बर्तन (प्याले) सितारों की संख्या के बराबर होंगे।

फ़ाइदा:— ....

4748:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मेराज के मौक़ा पर जन्नत में ले जाया गया तो आप को एक नहर दिखलाई गयी जिस के कनारे ऐसे याक़ूत के थे जो ख़ोलदार थे। तो वह फ़रिश्ता जो आप के साथ था उस ने (उस की तह में) हाथ मारा और कस्तूरी निकाली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस फ़रिश्ते से पूछाः यह क्या है? उस ने कहाः यह वह कौसर है जो अल्लाह पाक ने आप को दिया है।

4749:— मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया कि हमें अ़ब्दुस्सलाम बिन अबू हाज़िम अबू तालूत ने बयान किया और कहा कि मैंने अबू बरज़ा को देखा कि वह (यज़ीद बिन मुआविया की तरफ़ से कूफ़ा के अमीर) उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गये। अ़ब्दुस्सलाम ने कहाः मुझ से एक व्यक्ति ने बयान किया जो उस सभा में मौजूद था। (अबू दावूद ने कहा) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने उस का नाम भी लिया था। उबैदुल्लाह ने जब अबू बरज़ा रज़ि॰ को देखा तो बोलाः अपने इस मोटे और नाटे क़द के मुहम्मदी को देखो। शैख़ उस की बात समझ गये (कि उस ने ताना दिया है) तो उन्होंने कहाः मुझे उममीद नहीं थी कि मैं उस क़ौम में बाक़ी रहूँगा जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सहाबियत पर ताना देगी। तो उबैदुल्लाह ने उन से कहाः मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का साथ तुम्हारे लिये इज़्ज़त का कारण है, इस में कोई ऐब की बात नहीं है। फिर कहाः मैंने आप को इसलिये भेजा है कि आप से हौज़ के बारे में पूछूँ। क्या आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस बारे में कुछ कहते सुना हैं? अबू बरज़ा ने कहाः जी हाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, बार नहीं, (बल्कि दर्जनों बार सुना है) तो जो इस को झुठलाये अल्लाह पाक उस व्यक्ति को उस हौज़ से न पिलवाए, फिर गुस्से से बाहर निकल आये।

फ़ाइदा:— हशर के मैदान में हौज़ कौसर का वजूद सहीह हदीसों से साबित है। देखें बुख़ारी (6852, 6853) मुस्लिम (2303, 2304)

बाब {क़ब्र में सवाल–जवाब और अ़ज़ाब का बयान।}

4750:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान से जब क़ब्र में प्रश्न किया जाता है तो वह शहादत देता है कि एक अल्लाह के अ़लावा और कोई माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और यही अल्लाह पाक के उस फ़र्मान की तश्रीह है जिस में अल्लाह ने फ़रमाया है किः "अल्लाह पाक ईमान वालों को पक्की बात के साथ दुनिया में साबित क़दम रखता है और आख़िदत में भी साबित क़दम रखेगा" (सूरः इब्राहीम–27)

फ़ाइदा:— क़ब्र में सवाल–जवाब का मस्अ़ला ऊपर क़ुरआन की आयत से साबित है इसलिये उस का इन्कार कुफ़्र है (बुख़ारी–4699)

4751:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बनी नज्जार के एक खजूर के बाग़ में दाख़िल हुये, तो आप ने एक आवाज़ सुनी और घबरा गये फिर पूछाः यह क़ब्र वाले कौन हैं? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ लोग थे जो जाहिलिय्यत में मर गये थे। आप ने फ़रमायाः अ़ल्लाह से आग के अ़ज़ाब और दज्जाल के फ़ितने से पनाह माँगो। उन्होंने कहाः और यह कैसे हैं ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः मोमिन आदमी को जब क़ब्र में रखा जाता है तो उस के पास फ़रिश्ता आता है और उस से पूछता है तू किस की इबादत करता था? तो अगर अल्लाह पाक उसे तौफ़ीक़ देता है तो वह कहता हैः मैं अल्लाह पाक की इबादत करता था। फिर उस से पूछा जाता हैः तू उस आदमी के बारे में क्या कहा करता था? वह कहता हैः यह अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं। फिर उस से और कुछ नहीं पूछा जाता। फिर उसे एक घर की तरफ़ ले जाया जाता है जो उस के लिये दोज़ख़ में मुक़र्रर था और उसे कहा जाता है वह दोज़ख़ में तुम्हारा घर था, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम का बचा लिया और तुम पर रहम किया है और उस के बदले में तुम्हें जन्नत में घर दिया है। तो वह कहता हैः मुझे छोड़ दो कि मैं जाऊँ और अपने घर वालों को शुभ सूचना दे दूँ, ते उस से कहा जाता हैः आराम करो।

और काफ़िर आदमी को जब क़ब्र में रखा जता है तो उस के पास फ़रिश्ता आता है और उस को डाँट कर पूछता हैः तू किस की इबादत करता था? तो वह कहता हैः मुझे नहीं मालूम। फ़िर उस से कहा जाता हैः न तू ने जाना और न पढ़ा। फिर उस से पूछा जाता हैः तू उस आदमी के बारे में क्या कहा करता था? वह उत्तर देता हैः मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। इस पर लोहे के एक भारी हथोड़े से उस के कानों के दर्मियान मारता है तो वह इतनी ज़ोर से चीख़ता–चिल्लाता है कि जिन्नों और इन्सानों के अ़लवा तमाम मख़्लूक़ उस की आवाज़ सुनती है।

4752:— मुहम्मद बिन सुलैमान ने भी अ़ब्दुल वह्हाब से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है और बयान किया कि जब बन्दे को उस की क़ब्र में रखा जता है उस के साथी वापस आने लगते हैं तो वह उन के क़दमों की आहट सुनता है, उस के पास दो फ़रिश्ते आते हैं और उस से कहते हैं. ...." और ऊपर की हदीस से मिलती–जुलती बयान किया। उस में बयान किया " काफ़िर और

मुनाफ़िक़ कहते हैं.........." इस में "मुनाफ़िक़" का शब्द ज़यादा है। और यह भी बयान किया कि "उस की चीख़ पुकर को जिन्नों और इन्सानों के अलावा क़रीब-क़रीब की तमाम मख़्लूक़ सुनती है।

फ़ाइदा:— मोमिन के पास एक फ़रिश्ता और काफ़िर के पास दो फ़रिश्ते आते हैं।

4753:— बरा बिन आज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अन्सारी के जनाज़े में गये, जब क़ब्र के पास पहुँचे ते अभी लहद तय्यार नहीं हुयी थी। चुनान्चे आप बैठ गये और हम भी बैठ गये गेया कि हमारे सरों के ऊपर परिन्दे बैठे हों। आप के हाथ में एक छड़ी थी जिस से ज़मीन कुरेद रहे थे, कि आप ने अपना सर उठाया और फ़रमायाः अल्लाह पाक से क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगो। आप ने इसे दो या तीन बार फ़रमाया। जरीर की रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि "जो लोग वापस जाते हैं तो मुर्दा उन के क़दमों की आहट को सुनता है। फिर उस से पूछा जाता है: ऐ फ़लाँ! तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? हन्नाद ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस के पास दो फ़रिश्ते आते हैं और उसे बैठाते हैं और कहते हैं और उस से पूछते हैं: तेरा रब कौन है? तो वह कहता है: मेरा रब अल्लाह है। फिर वह पूछते हैं: तेरा दीन क्या है? वह कहता है: मेरा दीन इस्लाम है। फिर वह पूछते हैं: यह आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था? वह उत्तर देता है: वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वह पूछते हैं: तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उस की तस्दीक़ की। जरीर की रिवायत में इतना और है कि : "यही (सवाल-जवाब ही) अल्लाह पाक के इस फ़र्मान का मिसदाक़ है "अल्लाह पाक ईमान वालों की पक्की बात के साथ दुनिया में साबित क़दम रखता है......" (सूरः इब्राहीम-27) फिर वह दोनों रावी आगे की रिवायत बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि "फिर आसमान से एलान करने वाला एलान करता है: मेरे बन्दे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उस को जन्नत का कपड़ा पहना दो और उस के लिये जन्त की तरफ़ से दर्वाज़ा खोल दो। फ़रमायाः "जन्नत की तरफ़ से वहाँ की हवायें, ऐश आराम और ख़ुश्बू आने लगती हैं, और उस की क़ब्र को जहाँ तक निगाह जाती है कुशादाकर दिया जाता है।

फिर काफ़िर और उस की मौत का ज़िक्र किया और फ़रमायाः उस की जान उस के शरीर में लौटा दी जाती है और वह उस के पास आते हैं और उसे बैठाते हैं और उस से पूछते हैं: तेरा रब कौन है? वह कहता है: हाये-हाये, मुझे ख़बर नहीं। फिर उसे पूछते है: तेरा दीन क्या है? वह कहता है: हाये-हाये मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उस से पूछते हैं: यह आदमी कौन है जो तुम में नबी बना कर भेजा गया है? वह कहता है: हाय-हाय, मुझे ख़बर नहीं। फिर एक एलान करने वाला एलान करता है कि उस ने झूठ कहा, उस के लिये आग का बिछौना बिछा दो, आग का कपड़ा पहना दो और दोज़ख़ की तरफ़ से दर्वाज़ा खोल दो। फ़रमायाः फिर जहन्नम की तरफ़ से उस की गर्मी और तेज हवा आने लगती है, उस पर क़ब्र को तन्ग कर दिया जाता है कि उस की पिसुलियाँ एक-दूसरी के अन्दर घुस जाती हैं। जरीर की रिवायत में इतना और है कि "फिर उस पर एक

अन्धा और गूँगा फ़रिश्ता मुक़र्रर कर दिया जाता है जिस के पास भारी गुर्ज़ होता है। अगर उसे पहाड़ पर मारा जाये तो वह पहाड़ मिट्टी-मिट्टी होजाये। फिर वह फ़रिश्ता उस को ऐसी मार मारता है कि जिस की आवाज़ जिन्नों और इन्सानों के अ़लावा पूरब और पश्चिम के दर्मियान की सारी मख़्लूक़ सुनती है। फिर वह मिट्टी हो जाता है। फ़रमायाः फिर उस में रुह लौटाई जाती है।

4754:— अबू उमर ज़ाज़ान ने कहा कि मैंने बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से सुना, उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {तराजू का बयान।}

4755:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने जहन्नम का ज़िक्र किया और रोने लगीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया है? उन्होंने कहाः जहन्नम को याद कर के रोने लगी। आप क्या क़ियामत के दिन अपने घर वालों को याद रखेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। तराजू के पास, यहाँ तक कि उसे पता चल जाये कि उस का तौल हल्का है या भारी। आमाल नामा मिलने के समय, जब कहा जायेगाः आओ, अपना आमाल नामा पढ़ो, यहाँ तक कि जान ले कि उस का आमाल नामा उस के दायें हाथ में अता है, या बाँये हाथ में, या कमर के पीछे से। और (तीसरा स्थान) पुल सिरात है जब उसे जहन्नम के ऊपर ठीक बीच में टिकाया जायेगा।

बाब {दज्जाल का बयान।}

4756:— उबैदा बिन जराह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः नूह अ़लै के बाद जो भी नबी आया उस ने अपनी क़ौम को दज्जाल से डराया है, और मैं भी तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की कुछ निशानियाँ बयान फ़रमायीं और कहाः संभव है कि उसे वह आदमी पा ले जिस ने मुझे देखा है और मेरी बातें सुनी हैं। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन दिनों हमारे दिल कैसे होंगे? क्या भला ऐसे ही होंगे जैसे कि आज हैं? फ़रमायाः या इस से बेहतर।

4757:— सालिम अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों को खुत्बा देने के लिये खड़े हुये, आप ने अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की जो उस अल्लाह के लिये उचित है। फिर दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़रमायाः मैं तुम्हें उस से डरा रहा हूँ और जो भी नबी आया है उस ने अपनी क़ौम को उस से डराया। नूह ने भी अपनी क़ौम को उस से डराया था, लेकिन मैं तुम्हें उस के बारे में ऐसी बात कह रहा हूँ जो किसी नबी ने अपनी क़ौम को नहीं बताई। तुम जान लो कि वह काना है और अल्लाह पाक वैसा नहीं।

बाब {ख़वारिज का बयान।}

4758:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जिस ने जमाअ़त से एक बीता भर भी दूरी इख़्तियार की उस ने इस्लाम की रस्सी को अपने गले से उतार फेंका।

फ़ाइदा:— ख़वारिज, यह ख़ारिज का बहुवचन (जमा) है, यह उस गरोह का नाम है जो अ़ली रज़ि॰ के ज़माना में पैदा हुआ था और उन से बग़ावत की थी।

4759:— अबू ज़र रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि इमाम (ख़लीफ़ा) फ़ै और ग़नीमत के माल को अपना ज़ाती माल समझेंगे (यानी शरीअ़त के फ़र्मान के मुताबिक़ खर्च और तक़सीम नहीं करेंगे) मैंने कहा: उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है, तब तो मैं अपनी तलवार अपने कन्धे पर रख लूँगा और उस से मारुँगा, यहाँ तक कि आप से आ मिलूँ। आप ने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें इस से बेहतर बात न बता दूँ? सब्र करना, यहाँ तक कि मुझ से आ मिलो।

4760:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम पर ऐसे इमाम मुकर्रर होंगे जिन की कुछबातें तुम्हें भली लगेंगी और कुछ बुरी भी जानोगे तो जिस ने इन्कार किया.......इब्ने हिशाम के शब्दों में ...."जिस ने अपनी ज़बान से इन्कार किया तो वह बरी हुआ, और जिस ने दिल से इन्कार किया वह सुरक्षित रहा। लेकिन जो राज़ी रहा और उन का पैरोकार बना।" कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! तो क्या हम उस को क़त्ल न कर दें। आप ने फ़रमाया: नहीं, जब तक कि वह नमाज़ पढ़ते रहें। इमाम अबू दावूद ने कहा: क्या हम उन से लड़ाई न करें? (सहाबा ने पूछा)

4761:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। इस हदीस में आप ने फ़रमाया: जिस ने दिल से नापसन्द जाना और मक्रुह समझा वह बरी हुआ, और जिस ने इन्कार किया वह सुरक्षित रहा। इमाम क़तादा रह॰ ने कहा: मक़्सद यह है कि दिल से इन्कार किया और दिल से बुरा जाना।

4762:— अ़रफ़जा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: "मेरी उम्मत में फ़ितने होंगे, फ़ितने होंगे, फ़ितने होंगे। चुनान्चे जिस ने चाहा कि मुसलमानों के मामले में इख़्तिलाफ़ पैदा कर दे जबकि वह एक जुट हैं, तो ऐसे को तलवार से क़त्ल कर देना, चाहे कोई भी हो।

फ़ाइदा:— यह फ़ितना सब से पहले उन्होंने डाला जिन्होंने उस्मान रज़ि॰ के ख़िलाफ़ बग़ावत की फिर बाद में उन्हीं लोगों ने अ़ली रज़ि॰ के ख़िलाफ़ बग़ावत किया।

बाब {ख़वारिज से क़िताल करना।}

4763:— उबैदा सलमानी ने रिवायत किया कि अ़ली रज़ि॰ ने नहरवान वालों का ज़िक्र किया और बताया कि उन में एक आदमी होगा जिस का एक हाथ छोटा होगा, या उस में ऐब होगा, या ऐसे

होगा जैसे औरत की छाती। अगर मुझ को इस बात का डर न हो कि तुम लोग खुशी में आकर बहुत आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें वह ज़रुर बता देता जो अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उन से लड़ाई करने वालों के बारे में वादा फ़रमाया है। अबीदा कहते हैं कि मैंने अली रज़ि॰ से पूछाः क्या यह फ़र्मान आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था? उन्होंने कहाः हाँ, काबा के रब की क़सम!।

4764:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि अली रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी साफ़ नहीं किया गया था। आप ने उसे अक़रा बिन हाबिस, उयैना बिन बद्र, बनी नबहान के ज़ैद खैल ताई और बनी किलाब के अल्क़मा बिन उलासा (चार आदमियों) को दिया तो क़ुरैश और अन्सार के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कहाः नज्द के बड़े लोगों को तो दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं उन का दिल जीतना चाहता हूँ (उन्हें देकर) इसी दर्मियान एक और आदमी आ पहुँचा जिस की आँखें अन्दर को धँसी हुयी थीं, गाल उभरे, पेशानी ऊपर को उठी हुयी, दाढ़ी घनी और सिर मुँड़ा हुआ था, वह आकर कहने लगाः ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डरो। आप ने फ़रमायाः अगर मैं ही अल्लाह की नाफ़र्मानी करने लगूँ तो कौन उस की इताअत करेगा। अल्लाह पाक ने तो मुझे ज़मीन वालों के लिये अमीन बनाया है और तुम हो कि मुझे अमीन ही नहीं समझते हो, हदीस के रावी ने कहाः इस पर एक व्यक्ति ने पूछाः क्या मैं उस की गर्दन मार दूँ, मेरा ख़याल है कि वह ख़ालिद बिन वलीद थे, मगर आप से उन को मना कर दिया। फिर जब वह कमर फेर कर चला तो आप ने फ़रमायाः इस शख़्स की नस्ल में ऐसे लोग होंगे जो क़ुरआन पढेंगे, मगर वह उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, इस्लाम से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर अपने शिकार से निकल जाता है, यह लोग मुसलमानों को क़त्ल करेंगे और बुतों की पूजा करने वालों को छोड़ेंगे। अल्लाह की क़सम! अगर मैंने उन को पाया तो उन्हें क़ौमे आद की तरह क़त्ल करुँगा।

4765:— अबू सअीद खुदरी और अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरी उम्मत में इख़्तिलाफ़ और फ़िर्क़ा बन्दी आ जायेगी। एक क़ौम बातें बहुत अच्छी-अच्छी करगी, मगर काम उन के बहुत बुरे होंगे। क़ुरआन पढ़ते होंगे मगर वह उन की हँसुलियों (गलों) से नीचे नहीं उतरेगा। वह दीन से ऐसे निकल जायेंगे जैसे तीर अपने निशाने (शिकार) से निकल जाता है। उन का हक़ की तरफ़ लौटना ऐसे ही महाल होगा जैसे तीर का अपने कमान पर वापस आना (महाल और असंभव) है। वह इन्सानों में और मख़्लूक़ में सब से बुरे होंगे। मुबारक हो ऐसे शख़्स को जो उन की गर्दन मार दे और वह उन की गर्दन मार दें (यानी शहादत पा जाये) वह ज़ाहिर में अल्लाह की किताब की तरफ़ बुलोयंगे, मगर उन का किताब से तनिक भर भी संबन्ध न होगा। जो उन से लड़ाई करेगा वह उन की निस्बत अल्लाह पाक से बहुत क़रीब होगा। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन की निशानी क्या होगी? आप ने फ़रमायाः सर मुँड़ाना (यानी वह हमेशा सिर मुँड़ाए हुये रहेंगे)

4766:— इमाम क़तादा ने अनस रज़ि॰ से और उनहेांने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से

ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है। लेकिन इस रिवायत में इस प्रकार है कि "उन की निशानी और पहचान सिर मुँड़ाना और बाल दूर करना है, जब तुम उन्हें पाओ तो उन्हें क़त्ल कर दो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि "तस्बीद के माना" बालों को जड़ से उखाड़ देना और जड़ से मूँड़ देना।

4767:— अ़ली रज़ि॰ ने कहा कि जब मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ (तो उस में कोई लगी-लिपटी नहीं होती, यक दम साफ़-सुथरी होती है) मुझे आसमान से गिरना, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर झूठ बोलने के मुक़ाबले में ज़्यादा पसंद है, और जब मैं तुम से आपस की कोई बात करता हूँ तो (याद रखो) लड़ाई चाल का नाम है (बहुत सी बातों का लिहाज़ रखना होता है, इसलिये उन बातों को ओपेन नहीं करना चाहिये; मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः आख़िरी ज़माना में लोग ओयंगे जो उम्र के लिहाज़ से नौजवान होंगे, मगर अक़ल से कोरे होंगे। मख़्लूक़ में सब से अफ़ज़ल तरीन ज़ात (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की बातें करते होंगे। मगर दीन से ऐसे गुज़र जायेंगे जैसे कितीर अपेन शिकार से निकल जाता है। उन का ईमान उन के गले के नीचे से नहीं उतरेगा, तुम उन से जहाँ भी मिलो उन की गर्दन मार देना। उन के क़त्ल में उन के क़ातिल के लिये क़ियामत के दिन बहुत बड़ा अज्र होगा।

4768:— ज़ैद बिन वहब जोहनी ने बयान किया कि मैं अ़ली रज़ि॰ के साथ उस लश्कर में शामिल था जो ख़ारिजी लोगों की तरफ़ भेजा गया था। अ़ली रज़ि॰ ने फ़रमायाः लोगों! मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः "मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो क़ुरआन पढ़ते होंगे। तुम्हारी क़िरात उन की क़िरत के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं होगी , तुम्हारी नमाज़ें उन की नमाज़ों के मुक़ाबले में कुछ न होंगी, न तुम्हारे रोज़े उन के रोज़ों के हक़ में दलील और ताईद है, हालाँकि वह उन के ख़िलाफ़ होगा। उन की नमाज़ें उन के गले में आगे नहीं बढ़ेगी, इस्लाम से ऐसे गुज़र जायेंगे जैसे तीर अपने शिकार से निकल जाता है। अगर उस लश्कर को जो उन (ख़ाारिजी लोगों) को क़त्ल करेगा, उन फ़ज़ीलतों का ज्ञान हो जाये जो उन (ख़रिजी लोगों) को क़त्ल करेगा, उन फ़ज़ीलतों का ज्ञान हो जायेगा जो अल्लाह ने उन के नबी की ज़बानी उन के लिये मुक़द्दर फ़रमाए हैं तो वह उसी पर तकिया कर लें। और उन ख़ारिजी लोगें की निशानी यह है कि उनमें एक ऐसा आदमी होगा जिस की कोहनी से ऊपर का बाजू तो होगा, कोहनी से नीचे कलाई नहीं होगी। ऊपर के बाजू का आख़िर महिलाओं की छाती की भटनी की तरह होगा, उन पर सफ़ेद बाल होंगे। क्या भला तुम लोग मुआ़विया और शाम वालों की तरफ़ जाना चाहते हो, और उन (ख़ारिज़ी लोग) को अपनी औलादों और धन माल में पीछे छोड़ देना चाहते हो? अल्लाह की क़सम! मुझे आशा है कि यही वह लोग हैं (जिन की सूचना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दी) उन्होंने हराम खून बहाया और लोगों के सुरक्षित क्षेत्र को लूटा (यानी उन के जान-माल इज़्ज़त को) चुनान्चे अल्लाह पाक का नाम लेकर (उन के मुक़ाबले में) चलो। सलमा बिन कुहैल ने कहा कि ज़ैद बिन वहब मुझे एक मन्ज़िल से दूसरी मन्ज़िल की तरफ़ लेकर चलते

गये यहाँ तक कि हम एक पुल पर से गुज़रे, फिर बताया कि जब हम उन के मुक़ाबिल हुये और ख़ारिजी लोगों का सर्दार अ़ब्दुल्लाह बिन वहब रास्बी था तो उस ने अपने लेगों से कहाः नेज़े फेंक दो और तल्वारें अपनी मियान से निकाल लो। मुझे डर है कि यह तुम से इसी प्रकार मुक़ाबला करेंगे जैसे हरोरा वाले दिन किया था। कहाः चुनान्चे उन लोगों ने अपने नेज़े फेंक दिये और तलवारें खींच लीं तो लोगों ने उन को अपने नेज़ों से छलनी करना शुरु कर दिया और उन को एक-दूसरे के ऊपर क़त्ल किया। जबकि अ़ली रज़ि॰ के लश्कर में से केवल दो आदमी शहीद हुये। तो अ़ली रज़ि॰ ने कहाः तलाश करो, उन में से एक लुन्जा होगा, मगर उन्हें न मिला। तो अ़ली रज़ि॰ स्वय उठे यहाँ तक कि उन मुर्दों के पास आये जो एक-दूसरे पर क़त्ल हुये थे। उन्होंने कहाः उन्हें निकालों, चुनान्चे उन्होंने उसे पा लिया जो कि सब से नीचे ज़मीन पर पड़ा था। अ़ली रज़ि॰ ने अल्लाहु अक्बर पुकरा और कहाः अल्लाह ने सच फ़रमाया और उस के रसूल ने पहुँचा दिया। पस अ़बीदा सलमानी उन की तरफ़ खड़े हुये और कहाः ऐ मुसलमानों के ख़लीफ़ा! उस ज़ात की क़सम जिस के अ़लावा और कोई माबूद नहीं! क्या यह बयान आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था? उन्होंने फ़रमायाः हाँ, अल्लाह की क़सम! जिस के अ़लावा कोई माबूद नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने तीन बार क़सम खाई औ अ़ली रज़ि॰ ने भी तीन बार क़सम से जवाब दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक ने फ़रमाया थाः यह इल्म की तौहीन है कि आ़लिम (ज्ञानी) हर पूछने वाले का जवाब देने लगे।

4769:— अबू वज़ी ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने फ़रमायाः उस लुन्जे को तलाश करो..... और हदीस बयान की। चुनान्चे उसे मरे हुये लोगों के नीचे से निकाल लिया गया जो कीचड़ में लतपत पड़ा था। अबू वज़ी ने कहाः मैं गोया उसे देख रहा हूँ, हब्शी आदमी था उस के ऊपर कुबा थी, उस का एक हाथ ऐसे था जैसे महिला को छाती की भुन्डी। उस पर चन्द बाल थे जैसे जन्गली चूहे की दुम पर होते हैं।

4770:— अबू मर्यम ने कहाः यह लुन्जा आदमी उन दिनों हमारे साथ मस्जिद में होता था। दिन-रात हम उस के साथ बैठते थे, फ़क़ीर आदमी था, मैंने उसे फ़क़ीरों के साथ देखा जो अ़ली रज़ि॰ के खाने में शरीक होता था जो वह लोगों साथ खाते थे, और मैंने उस को अपना ओवर कोट भी दिया था। अबू म्रयम ने कहा उस लुन्जे को छाती वाला कहा जाता था। उस के बाज़ू पर औरतों की छाती की तरह छाती थी और उस के सिरे पर भुन्डी भी थी, और उस पर बिल्ली की मूँछों की तरह कुछ बाल थे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि लोगों में उस का नाम "हरकूस" मश्हूर है।

बाब {चोरों और उचक्कों से लड़ाई करने का बयान।}

4771:— अ़दुल्लाह बिन अ़म्र (बिन आ़स) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस किसी का माल नाहक़ तौर पर छीनने की कोशिश की गयी और फिर उस ने लड़ाई की और उस में क़त्ल हो गया तो वह शहीद है।

4772:— सओ़द बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में क़त्ल हो जाये वह शहीद है, जो अपने घर वालों की हिफ़ाज़त या ख़ून या दीन की सुरक्षा में क़त्ल हो जाये वह शहीद है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन क़ुरैश बुख़ारी ने बयान किया, उन्हेंने कहा कि मैंने नुऐम बिन हम्माद से सुना वह कहते थे कि फ़िर्क़ा मोतज़िला के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तक़रीबन दो हज़ार हदीसें रद्द करते थे।

फ़ाइदा:– मोतज़िला फ़िर्क़ा के लोग अल्लाह पाक की सिफ़तों का इन्कार करते हैं, और जहमिय्या फ़िर्क़ा के लोग अल्लाह पाक के नामों का इन्कार करते हैं

❀ ❀ ❀

(40) अख़्लाक़ व आदाब का बयान

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अख़्लाक़ और बुर्दबारी का बयान।}

4773:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों में सब से बढ़ कर अच्छे अख़्लाक़ के मालिक थे। आप ने एक दिन मुझे किसी काम के लिये भेजा, मैंने कहा:अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जाऊँगा, हालाँकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो भी फ़रमाया है, मैं उस काम को करने के लिये जाऊँगा। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं निकला और चन्द बच्चों के पास से गुज़रा जो बाज़ार में खेल रहे थे। तो अचानक क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझे मेरे पीछे से मेरी गुद्दी पकड़े हुये थे। मैंने आप की तरफ़ देखा तो आप हँस रहे थे। आप ने फ़रमाया: उनैस! जाओ जहाँ जाने को मैंने कहा है। मैंने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जा रहा हूँ। अनस रज़ि॰ ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने सात साल तक आप की सेवा की है या नौ वर्ष तक। मगर मुझे नहीं मालूम कि आप ने मुझे किसी काम पर जो मैंने किया हो, कभी यूँ कहा हो "तुम ने इस प्रकार क्यों किया?" या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो तो उसे कहा हो कि "इस-इस प्रकार क्यों नहीं किया"

4774:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मदीना में दस साल तक सेवा की जबकि मैं एक नौउम्र का बच्चा था। मेरे तमाम काम क्वालिटी के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़ाहिश होती थी (इस के बावजूद) आप ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं किया और न यूँ कहा: तुम ने यह क्यों किया?

4775:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने हम से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे साथ मस्जिद में बैठा करते थे और बातें करते रहते थे। जब आप उठते तो हम भी खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हम देखते कि आप अपनी किसी पत्नी के घर में दाख़िल हो गये हैं। चुनान्चे आप एक दिन हमारे साथ बातें करते रहे, जब आप उठे तो हम भी उठ खड़े हुये, फिर हम ने देखा

कि एक दीहाती ने आप को जान लिया और आप की चादर पकड़ कर खींचने लगा यहाँ तक कि आप की गर्दन लाल हो गयी। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि चादर भी बहुत खुरदुरी थी आप ने उस की तरफ़ मुँह फेरा ते उस दीहाती ने आप से कहाः मुझे मेरे यह दो ऊँट ला दें। आप मुझे न तो अपने ज़ाती माल से देंगे और न अपने बाप के माल में से देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं, मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ। नहीं, मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ। नहीं, मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ। और मैं तुम्हें उस समय तक नहीं दे सकता जब तक मुझे छोड़ न दो जो यह तुम ने मुझे पकड़ा हुआ है। और वह दीहाती हर बार आप से यही कहता थाः अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगाँ ....और रावी ने पूरी हदीस बयान की। फिर आप ने एक शख़्स को बुलाया और उस से कहाः इस दीहाती को इस के देनों ऊँट ला दो, एक पर जौ और एक पर खजूर। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुये और फ़रमायाः तुम लोग जाओ, तुम पर अल्लाह की बर्कतें हों।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। अनस रज़ि॰ ने इसी प्रकार का दूसरा वाक़िआ़ बयान किया है (बुख़ारी–6088)

बाब {इज़्ज़त की ज़िन्दगी गुज़ारने का बयान।}

4776:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नेक चलन, अच्छा किरदार और दर्मियान की चाल नबुव्वत का पच्चीसवाँ हिस्सा है।

बाब {गुस्सा पी जाने का बयान।}

4777:— सहल बिन मआ़ज़ अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स गुस्सा पी जाये जबकि वह उस पर अ़मल करने (बदला लेने) की क़ुदरत रख़ता हो तो अल्लाह पाक उसे क़ियामत के दिन मख़्लूक़ के सामने बुलाएगा और उसे इख़्तियार देगा कि जन्नत की बड़ी–बड़ी आँखों वाली हूर में से जिसे चाहे पसन्द कर ले।

4778:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में किसी के बेटे ने अपने पिता जी से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः......... और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। कहाः "अल्लाह उसे अमन और ईमान से भर देगा" मगर इस में यह नहीं है कि "अल्लाह उसे बुलायेगा"। फिर और कहाः जिस शख़्स ने ज़ीनत और जमाल वाला लिबास छोड़ दिया हालाँकि वह उस तरह का कपड़ा पहनने की ताक़त रखता हो........" बिश्र बिन मन्सूर ने कहा कि मेरा ख़याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "......... उस लिबास को उस ने ख़ाक सारी की वजह से छोड़ा हो तो अल्लाह पाक उसे इज़्ज़त और करामत का जोड़ा पहनाएगा। और जिस ने अल्लाह को खुश रखने के लिये निकाह कर दिया हो तो अल्लाह पाक उसे शादी का ताज पहनायेगा।

4779:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम लोग बहुत बड़ा पहलवान किसे कहते हे? सहाबा ने कहाः जिसे कोई पछाड़ न सके। आप ने फ़रमायाः नहीं, पहलवान वह है जो गुस्से की हालत में अपने आप को क़ाबू में रखे।

बाब **{गुस्सा आये तो क्या कहा जाये?}**

4780:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ का बयान है कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने एक-दूसरे को गालियाँ देने लगे। उन में एक इतना गुस्सा हो गया कि मैंने समझा कि बहुत अधिक गुस्सा होने (नाक फूलने) की वजह से उस की नाक ही चिर जायेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे एक कलिमा मालूम है अगर उस को कह ले तो उस का गुस्सा दूर हो जयेगा। मआ़ज़ रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्य है? आप ने फ़रमायाः यूँ कह ले।

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नश्शैता निर्रजीम

(ऐ अल्लाह! मैं शैतान मर्दूद की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ)

इस पर मआ़ज़ रज़ि॰ उस व्यक्ति से कहने लगे कि यह कलिमा पढ़ लो, मगर उस ने इन्कार कर दिया, बल्कि और लड़ने लगा और गुस्सा होने लगा।

4781:— सुलैमान बिन सुरद रज़ि॰ से रिवायत है कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने एक-दूसरे को बुरा-भला कहने लगे, यहाँ तक कि उन में से एक की आँखें लाल तूल हो गयीं और गले की रगें फूल गयीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे एक कलिमा मालूम है, अगर यह शख़्स उस कलिमा को पढ़ ले तो उस की गुस्से की हालत दूर हो जायेगी (वह कलिमा यह है)

अऊज़ु बिल्लाहि मि–नश्शैता निर्रजीम

मगर वह आदमी कहने लगाः क्या तुम समझते हो कि मैं मजनून (दीवाना, पागल) हूँ।

4782:— अबू ज़र गिफ़ारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से फ़रमायाः जब तुम में से किसी को गुस्सा आये और वह उस समय खड़ा हो, ते बैठ जाये। इस प्रकार अगर उस का गुस्सा थम जाये (तो ठीक) वर्ना लेट जाये।

4783:— बक्र (बिन अ़ब्दुल्लाह) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ि॰ को (किसी काम से) भेजा......और फिर यह हदीस बयान की।

4784:— अबू वाइल क़ास कहते हैं कि हम उर्वा बिन मुहम्मद सादी रह॰ के पास गये तो एक आदमी ने उन से बात की, इस पर उन्हें गुस्सा आ गया, तो वह उठे, वज़ू किया और वापस आ कर कहने लगे कि मुझे मेरे पिता जी ने मेरे दादा अ़तिय्या के वास्ते से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः "गुस्सा शैतान की तरफ़ से होता है और शैतान को आग से पैदा किया गया है, और आगको पनी से बुझाया जाता है। इसलिये जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाये तो उसे चाहिये कि वुज़ू कर ले।

बाब {माफ़ कर देने का बयान।}

4785:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब भी दो कर्मों में से किसी का इख़्तियार दिया गया तो आप ने हमेशा आसानी को इख़्तियार फ़रमया मगर शर्त यह है कि वह गुनाह न होता। अगर उस में गुनाह होता तो आप सब से बढ़ कर उस से दूर होने वाले होते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिये बदला नहीं लिया, मगर यह कि उस ने अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया हो तो उस में अल्लाह के लिये बदला लेते थे।

4786:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी किसी नौकर या महिला को नहीं मारा।

4787:— अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह के फ़र्मान "माफ़ करना अपनाइये" की तफ़सीर में उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि लोगों की आ़दत व मामले में उन के साथ माफ़ी का रवय्या इख़्तियार करें।

बाब {आपसी मामलात में अच्छे बर्ताव का बयान।}

4788:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब किसी के बारे में कोई (नामुनासिब) ख़बर मिलती तो यूँ न कहतेः फ़लाँ को क्या हुआ है कि वह यूँ कहता है, या यूँ करता है? बल्कि यूँ फ़रमातेः लोगों को क्या हुआ है कि ऐसे कहते हैं, या करते हैं।

4789:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया उस के ऊपर पीले रन्ग का निशान था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी शख़्स को उस के मुँह पर बहुत कम ऐसी बात कहते थे जो उसे नागवार हो (यानी उस की ग़लती पर उस को न टोकते थे) जब वह चला गया तो आप ने फ़रमायाः अगर तुम ही उस को कह दो कि उस रन्ग को धो डाले (तो बेहतर हो)

4790:— नस्र बिन अ़ली और मुहम्मद बिन मुतवक्किल अ़सक़लानी दोनों ही अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन भोला-भाला और सखी होता है और काफ़िर आदमी धोखे बाज़ और बख़ील होता है।

4791:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त तलब की तो आप ने फ़रमायाः उसे आने की इजाज़त दे दो (बुला लो) जब वह अन्दर आ गया तो आपने उस के साथ बड़ी नर्मी के साथ बातें कीं। आ़इशा रज़ि॰ (कहती हैं कि मैं) ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने उस के साथ बड़ी नर्मी के साथ बातें की हैं, हालाँकि आप ने उस के बारे में ऐसे-ऐसे फ़रमाया था। आप ने फ़रमायाः क़ियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सब से बुरा वह आदमी होगा जिसे लोगों ने उस की बदज़बानी की वजह से छोड़ दिया हो।

4792:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त चाही तो आप ने फ़रमायाः "अपने खान्दान का बहुत बुरा आदमी है।" फिर जब वह आप के पास आ गया तो आप ने उस के साथ बड़ी नर्मी के साथ बातें कीं। जब वह चला गया तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब उस ने इजाज़त माँगी तो आप ने फ़रमायाः खान्दान का बुरा आदमी है। और जब वह आदमी आ गय तो आप ने उस के साथ हँसी खुशी से बातें की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः ऐ आइशा! अल्लाह पाक किसी बदज़बान और तकल्लुफ़ से बदगोई करने वाले से मुहब्बत नहीं करता।

4793:— आइशा रज़ि॰ ने इस क़िस्से में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ आइशा! सब से बुरे हैं वह लोग जिन की ज़बान की बुराई से बचने केलिये उस की इ़ज़्ज़त की जाये।

4794:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नहीं देखा कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कान में कोई बात कहनी चाही और आप ने उस से अपना सिर दूर कर लिया हो। यहाँ तक कि वह आदमी खुद ही आप से अपना सर दूर कर लेता था। और मैंने नहीं देखा कि किसी ने आप का हाथ पकड़ा होतो आप ने उस का हाथ झटक दिया हो यहाँ तक कि वह खुद ही आप का हाथ छोड़ देता था।

बाब {हया (लज्जा) का बयान।}

4795:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक अन्सारी के पास से गुज़रे जबकि वह अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे छोड़ दो। बिला शुब्हा हया ईमान में से है।

4796:— अबू क़तादा रह॰ बयान करते हैं कि हम इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ के साथ थे जबकि वहाँ बुशैर बिन क़लबा भी थे। इम्रान ने हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हया सरापा ख़ैर है। बुशैर बिन कअ़ब ने कहाः हमें कई पुस्तकों में मिलता है कि बाज़ हया इत्मिनान और वक़ार की वजह से होती है, तो इम्रान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस को दोबारा पेश किया और फिर बुशैर ने भी अपनी बात दोहरा दी। रावी ने बयान किया कि इस पर इम्रान इतने गुस्से में हुये कि उन की आँखें लाल तूल हो गयीं और बोले कि मैं तो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ और तुम मुझे अपनी किताबों से बताये जा रहे हो। हम ने कहाः ऐ अबू नुज़ैद! बस कीजिये, बस कीजिये (उसे इतनी फटकार काफ़ी है)

4797:— अबू मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः गुज़रे हुये सन्देष्टाओं की शिक्षा में से जो बात लोगों के पास सुरक्षित रही है वह यही है कि जब हया न रहे तो जो जी में चाहे कर (बेहया बाश हर चे ख़ाही कुन)

बाब {अच्छे अख़्लाक़ का बयान।}

4798:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मोमिन अपने अच्छे अख़्लाक़ (अच्छी आ़दतों) की वजह से रोज़ा रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले का दर्जा प्राप्त कर लेता है।

4799:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है किं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तराजू में अच्छे अख़्लाक़ से बढ़ कर और कोई चीज़ भारी नहीं होगी।

4800:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः मैं ज़िम्मेदार हूँ जन्नत में एक महल का उस शख़्स के लिये जो झगड़ा छोड़ दे अर्गचे हक़ पर ही क्यों न हो। और उस शख़्स के लिये जन्नत के बीच में एक महल का ज़िम्मेदार हूँजो झूठ को छोड़ दे अर्गचे मज़ाक़ में ही झूठ बोले। और मैं ज़िम्मेदार होता हूँ जन्नत में सब से ऊँचे दर्जे में महल का उस शख़्स के लिये जो अपने अख़्लाक़ (अचारण) को अच्छा बना ले।

4801:— वहब के बेटे हारिसा रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बदमिज़ाज और बुरे स्वभाव वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा और न ही तकब्बुर की चाल चलने वाला।

बाब {डींगें मारने और बड़ी हाँकने की मिनाही।}

4802:— अनस रजि॰ से रिवायत है कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी) अ़ज़बा हमेशा सब से आगे रहती थी, कोई उस से आगे न बढ़ता था। एक दीहाती ने अपने एक जवान ऊँट पर आया और उस ऊँटनी से मुक़ाबला किया और उस से आगे बढ़ गया। इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहबा को कुछ नागवार महसूस हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पर यह हक़ है किजो कोई भी दुनिया में ऊँचा होता है तो अल्लाह पाक उसे नीचा दिखा देता है।

4803:— अनस रज़ि॰ से यह क़िस्सा रिवायत है उस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाःअल्लाह पाक पर हक़ है कि दुनियाँ में जो चीज़ भी सर ऊँचा उठाती है तो वह उसे नीचा दिखा देता है।

बाब {एक–दूसरे की प्रशंसा मक्रुह है (मन तुरा हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो)

4804:— हम्माम (बिन हारिस रह॰) कहते हैं कि एक व्यक्ति आया और उस ने उस्मान रज़ि॰ के मुँह पर उन की प्रशंसा आरंभ कर दी। तो मिक़दाद बिन असवद रज़ि॰ ने मिट्टी उठाई और उस के मुँह पर दे मारा और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है "जब तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो जो तारीफ़ और खुशामद करने वाले हों तो उन के मुँह में मिट्टी भर दो।

4805:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मौजूदगी में दूसरे की प्रशंसा की तो आप ने उस से फ़रमायाः तुम ने अपने साथी की गर्दन काट दी। आप ने यह तीन बार फ़रमाया। फिर फ़रमायाः अगर कोई अपने किसी साथी की प्रशंसा करना ही चाहता हो तो उसे चाहिये कि यूँ कहें: "मैं उसे यूँसमझता हूँ.....कि वह ऐसे-ऐसे है........और अल्लाह के ज्ञान के मुक़ाबले में, मैं उस की सफ़ाई नहीं देता।

4806:— मुतर्रिफ़ रह॰ ने बयान किया कि मेरे वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ि॰) ने कहा कि मैं बनी आ़मिर के वफ़्द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमतमें हाज़िर हुआ, तो हम ने कहाः आप हमारे (सय्यद) सर्दार हैं। आप ने फ़रमायाः सय्यद (और हक़ीक़ी सर्दार) अल्लाह पाक है। हम ने कहाः आप हमारे फ़ज़्ल व फ़ज़ीलत और जूद व सख़ा के मालिक हैं। तो आप ने फ़रमायाः तुम इस प्रकार की बात कह सकते हो, मगर कहीं शैतान तुम्हें अपना वकील न बना लें (कि कोई ऐसी बात कह दो जो मेरी शान के मुताबिक़ न हो)

बाब {नर्म आ़दत का बयान।}

4807:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक नर्म है और नर्मी को पसन्द करता है। वह नर्मी को अपनाने पर वह कुछ देता है जो सख़्ती और बदमिज़ाजी पर नहीं देता।

4808:— मिक़दाम बिन शुरैह अपने पिता से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आ़इशा रज़ि से पूछा कि जन्गल में जाना कैसा है? तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन टीलों की तरफ़ निकल जाया करते थे। आप ने एक बार इरादा किया कि जन्गल में जायें तो आप ने मेरे पास सदक़ा के ऊँटों में से एक ऊँटनी भेजी जिस पर अभी सवारी नहीं हुयी थी। आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! नर्मी इख़्तियार करो, नर्मी जिस चीज़ में भी हो वह उसे ज़ीनत बख़्शती और ख़ूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से निकाल ली जाये उसे बदसूरत और भद्दा बना देती है।

4809:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स नर्म आ़दत से महरुम (वन्चित) हुआ वह सब भलाइयों से महरुम हुआ।

4810:— मुसअ़ब अपने पिता (सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰) से रिवायत करते हैं आमश कहते हैं और मुझे ऐसे ही मालूम है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप ने फ़रमायाः किसी काम में जल्दबाज़ी नहीं चाहिये सिवाए इस के कि आख़िरत का काम हो।

बाब {एहसान और नेक काम पर शुक्र अ़दा करने का बयान।}

4811:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स लोगों का शुक्र अ़दा नहीं करता, वह अल्लाह का भी शुक्र गुज़ार नहीं होता।

4812:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि मुहाजिर लोग कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! सारा अज्र

तो अन्सार ले गये। आप ने फ़रमायाः नहीं, जब तक तुम अल्लाह से उन के लिये दुआयें करते रहोगे, और उन से एहसान मन्दी का इज़हार करोगे (इस प्रकार उन को अज्र मिलने के साथ-साथ तुम्हें भी मिलेगा)

4813:— अम्मारा ने बयान किया कि मेरी क़ौम के एक आदमी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत किया, उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे कोई उपहार और हदिया दिया जाये तो अगर हिम्मत हो और मौजूद हो तो उस का बदला दे। और अगर न पाये तो उस की प्रशंसा करे। जिसने अपने एहसान करने वाले की तारीफ़ की उस ने उस का शुक्र अदा किया। और जिस ने उस (के एहसान) को छुपाया उस ने उस की नाशुक्री की।

4814:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी पर कोई एहसान किया फिर उस दूसरे ने उस का ज़िक्र किया तो यह उस का शुक्र अदा करना है और अगर उस (दूसरे) ने उसे छुपाया तो उस ने उस की नाशुक्री और नाक़दरी की।

बाब {रास्तों पर बैठना (नापसन्दीदा है)}

4815:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रास्तों पर बैठने से बचो। लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें तो इस से चारा नहीं है, हम को आपस में बात-चीत करनी होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर इस से इन्कार करते हो तो फिर रास्ते के हक़ का ख़याल करो। उन्हेंाने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते का क्या हक़ है? आप ने फ़रमायाः नज़र नीची रखना, तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना, सलाम का उत्तर देना, भली बात कहना और बुराई से रोकना।

4816:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस क़िस्से (हदीस) में बयान किया किआप ने फ़रमायाः राह चलने वाले की रहनुमाई करना (भी रास्ते के हक़ में शामिल है)

4817:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने इस क़िस्से (हदीस) में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः परेशान हाल की सहायता करो, और रास्ता भूल जाने वाले की रहनुमाई करो।

4818:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयी और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आप से एक काम है। आप ने उस से फ़रमायाः ऐ उम्मे फ़लाँ! किसी गली के कोने पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। (यानी तुम्हारी बात सुन सकता हूँ) चुनान्चे वह बैठ गयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस के साथ बैठ गये, यहाँ तक कि उस ने अपना मक़सद पा लिया।

4819:— अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि उस महिला की अक़्ल (बुद्धि) में कुछ कमी थी, और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {......मज्लिस को कुशादा बना लेने का बयान।}

4820:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः बेहतरीन मज्लिस वह है जो कुशादा और खुली हो।

बाब {धूप और छाँव में बैठने का बयान।}

4821:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमायाः जब कोई धूप में बैठा हो......मख़लद के शब्द है कि अगर कोई छाँव में बैठा हो......और फिर उस से साया टल जाये और वह कुछ धूप और छाँव में आ जाये तो वहाँ से उठ जाये।

4822:— क़ैस बिन अबू हाज़िम अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैं आया उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बा दे रहे थे, तो मैं धूप में खड़ा हो गया तो आप ने मुझे हुक्म दिया तो मैं साया में चला गया।

फ़ाइदा:— डाक्टरों का भी यही कहना है कि या तो सारा शरीर धूप में हो या साया में। आधा धूप में और आधा छाँव में यह हानिकारक है।

बाब {मुख़्तलिफ़ घेरा बना कर बैठने का बयान।}

4823:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये जबकि सहाबा टोलियाँ बना कर बैठे हुये थे तो आप ने फ़रमायाः क्या बात है कि आप लोग अलग-अलग बैठे हैं?

4824:— आमश रह॰ ने इस रिवायत को बयान किया और कहाः गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यक जुटता को पसन्द फ़रमाया।

4825:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में आते थे तो जहाँ मज्लिस पहुँची नहीं (अन्त में) बैठ जाया करते थे।

बाब {मज्लिस के बीच में बैठने का बयान।}

4826:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसे आदमी पर जो हलक़े (मज्लिस) के दर्मियान में बैठता है।

बाब {अगर कोई किसी दूसरे के लिये अपने स्थान से उठ जायेतो?}

4827:— सअ़ीद बिन अबुल हसन ने बयान किया कि अबू बकरा रज़ि॰ एक गवाही के सिलसिले में हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मज्लिस में से एक आदमी उन केलिये अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, तो उन्होंने उस स्थान पर बैठने से मना कर दिया और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से मना फ़रमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से भी

रोका है कि कोई शख़्स किसी दूसरे के कपड़े से जो उस ने उसे न पहनाया हो, अपना हाथ पोंछे।

4828:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया तो एक आदमी उस के लिये अपने स्थान से खड़ा हो गया। इस पर आने वाला उस स्थान पर बैठने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को वहाँ बैठने से मना फ़रमा दिया।

बाब {कैसे लोगों के पास उठा बैठा जाये?}

4829:— अनस रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन जो क़ुरआ़न पाक की तिलावत करता है उस की मिसाल तरन्ज की सी है कि उस की ख़ुश्बू अच्छी होती है और उस का स्वाद भी अच्छा होता है। और मोमिन जो क़ुरआ़न की तिलावत नहीं करता उस की मिसाल खजूर की सी है कि उसका स्वाद अच्छा है मगर उस में ख़ुश्बू नही होता। और बुरा आदमी जो क़ुरआ़न पढ़ता है उस की मिसाल रैहान फूल की सी है कि उस की ख़ुश्बू तो अच्छी होती है मगर उस का स्वाद कड़वा होता है। और बुरा आदमी जो क़ुरआ़न नहीं पढ़ता, उस की मिसाल हन्ज़ल (इन्दराइन) की सी है कि उस का स्वाद कड़वा और उस में ख़ुश्बू भी नहीं होती। और नेक आदमी साथी की मिसाल कस्तूरी वाले की तरह है कि अगर तुम्हें उस से कुछ भी न मिले तो कम से कम उस की ख़ुश्बू तो पहुँचेगी ही। और बुरे साथी की मिसाल भट्ठी वाले की सी है अगर तुम्हें उस की कालक न लगी तो धुवाँ तो ज़रुर पहुँचेगा।

4830:— अनस रज़ि॰ ने अबू मूसा रज़ि॰ से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस का पहला हिस्सा "उस का स्वाद कड़ुवा होता है" तक बयान किया। और इब्ने मआज़ ने यह भी कहा कि अनस रज़ि॰ ने कहाः हम कहा करते थे कि नेक साथी कि मिसाल..... और बाक़ी हदीस बयान की।

4831:— शुबैल बिन अ़ज़रा ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नेक साथी की मिसाल......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

4832:— अबू सऔ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सिर्फ़ मोमिन आदमी की सोहबत इख़्तियार करो और तुम्हारा खाना भी कोई प्रहेज़गार ही खाए।

4833:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्सान अपने महबूब साथी के दीन पर होता है, तो तुम्हें चाहिये कि ग़ौर करो किस से दोस्ती कर रहे हो।

4834:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जानें (अज़ल से) इकट्ठा लश्कर थीं, जिन का (वहाँ) आपस में परिचय हो गया (दुनिया में) उनके

अन्दर मुहब्बत हो जाती है और जिन की वहाँ आपस में नाजनकारी रही हो वह (इस दुनियाँ में भी) एक-दूसरे से जुदा-जुदा रहती हैं।

बाब {झगड़े-फ़साद की कराहत का बयान।}

4835:— अबू मूसा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब अपने किसी काम के लिये भेजा करते थे तो उन्हें फ़रमातेः "शुभ सूचना देने वाला बनना, नफ़रत न दिलाना, आसानी करना और तन्गी और परेशानी में न डालना।

4836:— साइब रज़ि॰ से रिवाय है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िरहुआ तो लोग मेरी प्रशंसा करने और मेरे नेक कामों का ज़िक्र करने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं इस के बारे में तुम से ज़्यादा जानता हूँ। मैंने कहाः आप ने दुरुस्त फ़रमाया है, मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान! आप मेरे साझीदार थे और बड़े अच्छे साझीदार थे। आप में मुख़ालिफ़त करने या लड़ने-झगड़ने वाली कोई बात नहीं थी।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बात-चीत करने का तरीक़ा।}

4837:— यूसुफ़ रह॰ अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि उन्हेांने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बैठे बातें कर रहे होते तो आप की नज़र अक्सर आसमान की तरफ़ होती थी।

4838:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात-चीत में ठहराव होता था।

4839:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बातचीत इस क़दर स्पष्ट हुआ करती थी कि हर सुनने वाला उसे समझ लेता था।

4840:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः' हर वह बात चीत जिस का आरंभ अल्लाह की हम्द व सना से न हो तो वह बेबर्कत वाली है।

बाब {ख़ुत्बा देने का बयान।}

4841:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर वह खुत्बा जिस में तशह्हुद (अल्लाह की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रिसालत का ज़िक्र) न हो ऐसे है जैसे कोढ़ी का हाथ (यानी ऐबदार)

बाब {हर आदमी के पद और मंतबे का ख़याल रखने का बयान।}

4842:— मैमून से रिवायत है कि आइशा रज़ि॰ के पास एक सवाली आया तो उसे रोटी का एक टुक्ड़ा दिया। फिर दूसरा आदमी आया जिस ने अच्छे कपड़े पहने हुये थे और उस की हालत अच्छी थी तो उसे बैठा कर खिलाया। जब उन से फ़र्क़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः "हर शख़्स को उस के पद और मंतबे पर रखो।

4843:– अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बूढ़े मुसलमान और कुरआ़न के आ़लिम की इज़्ज़त करना जो उस में इफ़रात– तफ़रीत से बचता हो, और इसी प्रकार न्याय करने वाले हाकिम की इज़्ज़त करना, अल्लाह पाक की इज़्ज़त करने का हिस्सा है।

बाब {बिला पूछे दो आदमियों के दर्मियान बैठने का बयान।}

4844:– अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दो आदमियों के दर्मियान घुस कर मत बैठा जाये, मगर यह कि वह इस की इजाज़त दे दें।

4845:– अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी के लिये जाइज़ नहीं कि दो आदमियों को अलग–अलग कर दे (उन के दर्मियान घुस कर) मगर यह कि उन दोनों की इजाज़त हो।

बाब {आदमी के बैठने के बारे में अहकाम व मसाइल।}

4846:– अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बैठते तो अपने घुटनों को सीने से मिला कर अपने हाथ उन के आस–पास लपेट लिया करते थे।

4847:– मख़रमा रज़ि॰ की बेटी क़ैला ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप "कुरफुसा" की सूरत में बैठे हुये थे (यानी आप के घुटने सीने से मिले हुये थे और हाथ उन के आस–पास लिपटे हुये थे) मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो डर के मारे काँप उठी।

बाब {......बैठने का एक बुरा और मक्रुह अन्दाज़।}

4848:– शरीद बिन सुबैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे जबकि मैं अपना बायाँ हाथ कमर के पीछे कर के अन्गूठे की जगह पर दबाव डाल कर बैठा हुआ था तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन पर अल्लाह पाक का ग़ज़ब हुआ है।

बाब {इशा के बाद बिला वजह बातों में लगे रहना।}

4849:– अबू बरज़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मना फ़रमाया करते थे कि इशा की नमाज़ से पहले सोया जाये, या इस के बाद गप में लग जाया जाये।

बाब {आदमी का आल्ती–पाल्ती मार बैठने का बयान।}

4850:– जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा लेते तो अपने स्थान पर आल्ती–पाल्ती मार कर बैठे रहते,यहाँ तक कि सूरज खुब चढ़ आता।

बाब {सरगोशी करने का बयान।}

4851:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़ कर सरगोशी न करें, इस से वह परेशान होगा।

4852:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः .... और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। अबू सालेह ने बयान किया कि मैंने इब्ने उमर से पूछाः अगर चार हों तो? उन्होंने कहाः फिर कोई हरज नहीं।

बाब {जो शख़्स अपने स्थान से उठ कर चला जाये और फिर वापस आ जाये..........तो?}

4853:— सुहैल बिन सालेह कहते हैं कि मैं अपने पित के पास बैठा हुआ था, उन के पास एक गुलाम भी था, तो वह उठ कर चला गया और फिर वापस आ गया तो मेरे पिता जी ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपने स्थान से उठ कर जाये और फिर वापस लौटे तो वही स्थान का ज़्यादा हक़दार है।

4854:— कअ़ब अयादी रह॰ कहते हैं कि मैं अबू दर्दा रज़ि॰ के पास आया जाया करता था, तो अबू दर्दा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (किसी जगह) तश्रीफ़ रखते और हम भी आप के पास बैठ जाते, तो अगर आप उठ कर जाते और वापस आने का इरादा रखते तो अपना जूता या जो कुछ आप के पास (कपड़ा) आदि होता, वहाँ छोड़ जाते, इस से सहाबा आप के वापस आने के बारे में जान जाते और बैठे रहते।

बाब {.....मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र किये बिना उठ जाने की कराहत का बयान।}

4855:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः जो लोग किसी मज्लिस से उठें और उन्होंने उस मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र न किया हो तो वह ऐसे हैं गोया किसी मुर्दार गधे पर से उठे हों और (आख़िरत में) यह मज्लिस उन के हसरत का कारण होगी (तमन्ना करेंगे कि काश हम ने उस में अल्लाह का ज़िक्र कर लिया होता)

4856:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स किसी जगह या मज्लिस में बैठा हो और उस में उसने अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो यह उस के लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत हानि का कारण होगी। और जो कोई किसी जगह लेटा हो और उस दर्मियान उस ने अल्लाह का ज़िक्र न किया हो तो यह उस के लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत नुक़सान का सबब होगा।

बाब {मज्लिस के कफ़्फ़ारा की दुआ़।}

4857:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ ने फ़रमायाः कुछ शब्द हैं जिन्हें कोई अपनी मज्लिस से उठते हुये तीन बार पढ़ ले तो यह उस के लिये कफ़्फ़ारा बन जायेंगे। और जो कोई उन्हें अपनी मज्लिस में पढ़ ले, वह मज्लिस ख़ैर की हो या ज़िक्र की, तो यह उस के लिये ऐसे होंगे जैसे

किसी तहरीर को मोहर बन्द कर दिया गया हो (उस के लिये उस का सवाब महफ़ूज़ होगा, कलिमात यह हैं)

सुब्हा–न–कल्ला हुम्म वबि–हम्दि–क, ला–इला–ह अन्–त अस्–तग्फ़िरु–क व–अ–तूबु इलै–क

फ़ाइदा:— इस में तीन बार पढ़ने की शर्त सहीह नहीं है, एक बार ही पढ़ना काफ़ी होगा।

4858:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू अ़म्र ने मुक़बिरी के वस्ते से अबू हुरैरा रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है।

4859:— अबू बरज़ा असलमी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने अन्तिम दिनों में जब किसी मज्लिस से उठते तो यह दुआ पढ़ते:

सुब्हा–न–कल्ला हुक्म वबि–हम्दि–क अश्–हदु अल्ला इल्ला–ह–इल्ला अन्–त अस्–तग्फ़िरु–क व–अतूबु इलै–क

एक व्यक्ति ने आप से पूछा: ऐ अल्लह के रसूल! आप इन कलिमों को पहले नहीं पढ़ते थे (इस की क्या वजह है?) आप ने फ़रमाया: यह उस चीज़ के कफ़्फ़ारे केलिये है जो मज्लिस में हो जाती है।

बाब {शिकायतें करना बुरा काम है।}

4860:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई शख़्स मुझे मेरे सहाबा की बाबत कोई बात न पहुँचाये। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा सीना साफ़ हो (किसी के बारे में कदूरत और नफ़रत न हो)

बाब **{लोगों से होशियार रहने का बयान।}**

4861:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया.......जबकि आप मुझे कुछ माल देकर मक्का में अबू सुफ़यान के पास भेजना चाह रहे थे ताकि वह कुरैश के लोगों में तक़सीम कर देते। और यह फ़त्ह मक्का के बाद की घटना है........चुनान्चे आप ने मुझ से फ़रमाया: कोई अपना रास्ते का साथी तलाश करो। इसी बीच अ़म्र बिन उमय्या मेरे पास आया और कहने लगा: सुना है कि तुम मक्का जाना चाहते हो और साथी तलाश कर रहे हो? मैंने कहा: हाँ। उस ने कहा: मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। चुनान्चे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर कहा कि मैंने सफ़र का साथी तलाश कर लिया है। आप ने पूछा: वह कौन है? मैंने बताया: अ़म्र बिन उमय्या। आप ने फ़रमाया: जब तुम उस की क़ौम के क्षेत्र में उतरना तो होशियार रहना। कहने वाले ने कहा कि बिकरी तुम्हरा भाई है मगर उस पर भी भरोसा न करना। चुनान्चे हम रवाना हुये यहाँ तक कि अबवा के स्थान पर पहुँचे तो उस ने मुझ से कहा: मुझे अपनी क़ौम से एक काम है इसलिये मैं वद्दान जा रहा हूँ तुम यहीं रुक कर मेरा इन्तिज़ार करना। मैंने कहा: ठीक है, आराम से जाओ। जब वह जाने लगा तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वह फ़र्मान याद आया और अपने ऊँट पर सवार

होकर उसे दौड़ाता हुआ साफ़िर के स्थान तक जा पहुँचा, तो अचानक देखता हूँ कि उमय्या अपनी क़ौम के कुछ लोगों के साथ मेरे आड़े आ गया है। चुनान्चे मैंने अपना ऊँट और तेज़ भगाया और उस से आगे निकल गया तो वह लोग वापस लौट गये। फिर वह अकेला मेरे पास आया और कहने लगाः मुझे अपनी क़ौम के पास एक काम था। मैंने कहाः होगा। फिर हम मक्का आ गये और मैंने वह माल अबू सुफ़यान रज़ि॰ के हवाले कर दिया।

4862:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन एक ही बिल से दोबारा नहीं डसा जाता।

बाब **{पैदल आदमी की चाल का बयान।}**

4863:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब चलते तो ऐसे लगता कि आप आगे को झुके जाते हैं।

4864:— अबू तुफ़ैल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था। सअ़ीद जरीरी ने उन से पूछा कि आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को किस प्रकार देखा? उन्होंने कहाः आप का रंग सफ़ेद था और आप बड़े सुन्दर लग रहे थे, जब चलते थेतो लगता था कि ऊपर से नीचे को उतर रहे हैं।

बाब **{लेटे हुये टाँग पर टाँग रख लेने का बयान।}**

4865:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि आदमी अपनी टाँग पर टाँग रखे। कुतैबा की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि जब वह चित लेटा हो।

4866:— अ़ब्बाद बिन तमीम अपने चचा (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम अन्सारी रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा जबकि आप चित लेटे हुये थे। क़ानबी ने कहाः आप मस्जिद में लेटे हुये थे आप एक टाँग को दूसरी पर रखे हुये थे।

4867:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ भी ऐसे ही कर लिया करते थे (यानी लेटने की हालत में एक टाँग पर दूसरी टाँग रख लिया करते थे)

फ़ाइदाः— अगर नीचे कुछ पहने है और बेपर्दगी का अन्देशा न हो तो इस में कोई हरज नहीं। वर्ना बेहतर है कि ऐसा न करे।

बाब **{बात उड़ा देना (बहुत बुरा है)}**

4868:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब कोई तुम से बात करते हुये इधर–उधर से चौकन्ना हो रहा हो (कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है) तो यह बात अमानत है।

4869:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मज्लिसें अमानत के साथ हैं, सिवाए तीन मज्लिसों के जिन में नाहक़ खून बहाने, या नाहक़ फ़हश बातें हों, या नाहक़ माल मारने की बात हो।

4870:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह के नज़दीक क़ियामत के दिन अमानत में यह बात बहुत बड़ी ख़ियानत मानी जायेगी कि मर्द अपनी पत्नी के और पत्नी अपने मर्द के क़रीब हो और फिर उस के राज़ को खोल दे।

फ़ाइदा:— हाँ, मगर यह कि किसी दीनी मामले में क़ाज़ी के सामने कोई बात कहनी पड़े तो मजबूरी में जाइज़ है।

बाब {चुग़ली खाने वाले का बयान।}

4871:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: चुगल ख़ोर जन्नत में नहीं जायेगा।

फ़ाइदा:— ....

बाब {दो मुँह वाले आदमी का बयान।}

4872:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: दो मुँह वाला आदमी सब से बुरा है कि उन के पास जाये तो एक मुँह हो, और उन के पास जाये तो दूसरा मुँह हो।

4873:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस के दुनिया में दो मुँह हुये (या दो रुख़ वाला हुआ) क़ियामत के दिन उस के पास दो ज़बानें होंगी जो आग की होंगी।

फ़ाइदा:— ऐसा आदमी अवसर वादी और मुनाफ़िक़ होता है। ऐसे को थाली का बैगन कहा जाता है।

बाब {ग़ीबत के बारे में अहकाम।}

4874:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! ग़ीबत क्या है? आप ने फ़रमाय: तुम्हारा अपने भाई का ऐसे अन्दाज़ में ज़िक्र करना जिसे वह नापसन्द करता हो। कहा गया: जो बात मैं कह रहा हूँ अगर वह मेरेभाई के अन्दर (वास्तव में) हो तो? (क्या यह भी ग़ीबत है?) आप ने फ़रमाया: अगर उस के अन्दर वह बात मौजूद हो और तुम कहो, तब ही तो ग़ीबत है। और अगर उस के अन्दर वह बात नहीं है तो तुम ने उस पर आरोप (बहुतान) लगाया।

4875:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम से कह दियाः आप को सफ़िय्या रज़ि॰ से यह काफ़ी है कि वह ऐसे-ऐसे.....मुसद्दद केअलावा दूसरे रावी ने कहा कि इस से मुराद सफ़िय्या का नाटे क़द का होना था .... तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम ने ऐसा कलिमा कह दिया है कि अगर उसे समुन्दर में मिला दिया जाये तो वह कड़ुवा हो जाये। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंनें आप के सामने किसी की नक़ल उतारी तो आप ने फ़रमायाः मैं किसी की नक़ल उतारना पसन्द नहीं करता चाहे मुझे इतना-इतना माल भी क्यों न मिले।

4876:— सईद बिन ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से बड़ा सूद (यानी सब से बड़ी ज़्यादती) यह है कि इन्सन किसी की इज़्ज़त से नाहक़ खेले।

फ़ाइदा:— जिस प्रकार सूद हराम है उसी प्रकार किसी की इज़्ज़त से खेलना हराम है।

4877:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इन्सान अपने मुसलमान भाई की नाहक़ तौहीन करे। कबीरा गुनाहों में से यह भी है कि कोई एक के बदले दो गालियाँ दे।

4878:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब मुझे मेराज कराई गयी तो मेरा जाना ऐसी क़ौम के पास से हुआ जिन के नाख़ून ताँबे के थे जो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने पूछाः ऐ जिब्रील! यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहाः यह वह लोग हैं जो दूसरे लोगें का गोश्त खाते और उन की इज़्ज़तों से खेलते हैं।

4879:— ईसा बिन अबी ईसा ने भी अबू मुग़ीरा से इसी प्रकार रिवायत किया है जैसे कि (ऊपर की हदीस में) इब्ने मुसफ़्फ़ा ने रिवायत किया है।

4880:— अबू बरज़ा अस्लमी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ वह लोगों! जो अपनी ज़बानों से ईमान लाये हो मगर ईमान दिलों में नहीं उतरा है, मुसलमानों की ग़ीबत न किया करो और न उन के ऐब के पीछे पड़ा करो,जो उन के ऐब के पीछे पड़ेगा, अल्लाह पाक भी उस के ऐबों के पीछे पड़ेगा। और अल्लाह जिस के ऐब के पीछे पड़ गया, तो उस को उस के घर के अन्दर ही ज़लील कर देगा।

4881:— मुस्तौरिद (बिन शद्दाद) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी मुसलमान की वजह से एक लुक़्मा भी खाया होगा (यानी उस की ग़ीबत या बेइज़्ज़ती कर के किसी से रक़म हासिल की होगी) तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम से उसी प्रकार का लुक़्मा खिलायेगा। और जिसेकिसी मुसलमान की वजह से कोई कपड़ा पहनाया गया तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम में उसी प्रकार का कपड़ा पहनायेगा। और जिस ने किसी को मश्हूर किया और उसे दिखलावे के स्थान पर पहुँचाया हो (उस का चर्चा किया हो) तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उस की चर्चा करेगा और मश्हूर करेगा और दिखलावे के स्थान पर खड़ा करेगा (और ऐसा दन्ड देगा और ऐसे स्थान पर देगा कि सब लोगों में चर्चा होगा)

4882:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान का माल, इज़्ज़त, और ख़ून हराम है। बन्दे के लिये यही बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने।

बाब {किसी मुसलमान की इज़्ज़त को बचाना (जबकि वह मौजूद न हो)}

4833:— सहल बिन मआ़ज़ अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी मोमिन का किसी मुनाफ़िक़ से बचाव किया....रावी का कहना है कि मेरे ख़याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यूँ कहाः अल्लाह पाक क़ियामत के दिन एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उस के गोश्त को जहन्नम की आग से बचायेगा। और जिस ने किसी मुसलमान पर किसी चीज़ की तोहमत लगायी कि उस के ज़रीआ़ से उस ने उस पर ऐब लगाना चाहा, तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम के पुल सिरात पर रोके रखेगा यहाँ तक कि उस के कहे की सज़ा पूरी हो जाये।

4884:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और अबू तल्हा बिन सहल अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी मुसलमान को कहीं बेसहारा छोड़ा जहाँ वह बेइज़्ज़त किया जा रहा था तो अल्लाह पाक उस को भी ऐसे स्थान पर बेसहारा छोड़ेगा जहाँ वह चाहेगा कि (काश) उस की सहायता की जाये। और जिस ने किसी मुसलमान की सहायता की (और उस का बचाव किया।)जहाँ उस को बेइज़्ज़त और ज़लील किया जा रहा था, तो अल्लाह पाक भी उस की ऐसी जगह मदद फ़रमायेगा जहाँ वह चाहेगा कि उस की मदद की जाये।

बाब {.......ऐसे लोग जिन की बुराई करना ग़ीबत शुमार नहीं होता।}

4885:— जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दीहाती आया, उस ने अपनी सवारी बैठाई, उस का घुटना बाँधा, फिर मस्जिद के अन्दर आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब आप ने सलाम फेरा तो वह अपनी सवारी के पास आया, उसे खोला, उस पर सवार हुआ, फिर ऊँची आवाज़ में बोलाः ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम कर, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर भी रहम कर, और हमारी इस रहमत में किसी और को शरीक न कर। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम क्या समझते हो, यह ज़्यादा जाहिल है या इस का ऊँट? क्या तुम ने सुना नहीं जो वह कह रहा है? सहाबा ने कहाः क्यों नहीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नसीहत के लिये जाहीलों की जिहालत का ज़िक्र जाइज़ है।

बाब {......जो कोई अपनी ग़ीबत करने वलों को माफ़ कर दे।}

4886:— इमाम क़तादा रह॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान कियाः क्या तुम से यह नहीं हो सकता कि अबू ज़ैग़म या अबू ज़मज़म की तरह हो जाओ.......नाम में मुहम्मद बिन उबैद को शुब्हा हुआ है......जब सुब्ह होती तो वह कहा करता थाः ऐ अल्लाह! मैं ने अपनी इज़्ज़त तेरे बन्दों के लिये

सदक़ा कर दी है (यानी जिन्होंने मेरी बेइज़्ज़ती की हो, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है)

4887:— अब्दुर्रहमान बिन अ़जलान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम में से कोई आ़जिज़ है कि अबू ज़मज़म की तरह हो जाये? सहाबा ने कहाः अबू ज़मजम् कौन है? आप ने फ़रमायाः तुम से पहले एक आदमी गुज़रा है.......और ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहाः जिस ने मुझे बुरा-भला कहा हो, मेरी इज़्ज़त उस के लिये (सदक़ा) है।

बाब {टोह लगाने का बयान।}

4888:— मुआ़विया रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः अगर तुम लोगों के ऐब के पीछे पड़ गये तो तुम उन्हें बिगाड़ दोगे.....या....क़रीब है कि तुम उन्हें बिगाड़ दो। इस पर अबू दर्दा रज़ि॰ ने कहाः यह बात जो मुआ़विया रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनो, अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत फ़ाइदा दिया।

फ़ाइदाः— यह फ़ाइदा दिया कि उन्होंने हदीस पर अ़मल किया और कामियाब अमीर रहे।

4889:— जुबैर बिन नुफ़ैर, कसीर बिन मुर्रा, अ़म्र बिन उस्वद, मिक़दाम बिन मादीकर्ब, और अबू उमामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अमीर अगर आरोप और शुब्हे की बुनियाद पर लोगों के पीछे पड़ेगा तो उन को बिगाड़ देगा।

4890:— ज़ैद बिन वहब ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के पास एक आदमी लाया गयाऔर बताया गया कि यह फ़लाँ आदमी है और उस की दाढ़ी से शराब की बूँदे टपक रही हैं। यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने कहाः हमें टोह लगाने से मना किया गया है। हाँ, अगर कोई बात खुद से ज़ाहिर है तो हम उस पर उस की गिरफ़्त करेंगे।

बाब {मुसलमान की पर्दापोशी करने का बयान।}

4891:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायः जिस ने किसी की कोई बुराई देखी और फिर उस पर पर्द डाल दिया तो उस ने गोया क़ब्र में गाड़ी गयी लड़की को ज़िन्दा कर दिया।

4892:— दुख़ैन, जो उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ के सिकरेट्री थे ने बयान किया कि हमारे पड़ोसी शराब पीते थे, मैंने मना किया लेकिन न माने, तो मैंने उक़्बा रज़ि॰ से कहाः हमारे पड़ोसी शराब पीते हैं, मैंने मना किया मगर यह नहीं मानते, मैं जा कर पुलिस को बुलाता हूँ। इस पर उक़्बा ने कहाः छोड़ों उन्हें। फिर मैं दोबारा उक़्बा रज़ि॰ के पास आया और उन्हें बताया कि हमारे पड़ोसी लोगों ने शराब छोड़ने से इन्कार कर दिया है इसलिये मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहाः तुम पर अफ़सोस है, उन्हें छोड़ दो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है.........और (ऊपर की मुस्लिम बिन इब्राहीम की हदीस की तरह हदीस बयान की।

बाब {......भाई चारे का बयान।}

4893:— सालिम अपने पिता (इब्ने उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान, मुसलमान का भाई है, न उस पर अत्याचार करता है और न उसे उस के हालात पर छोड़ देता है (कि उस की कोई देखभाल न करे) जो शख़्स अपने भाई के काम में होगा (यानी उस की कोई ज़रुरत पूरी करेगा) तो अल्लाह पाक भी उस के काम में होगा (उस की ज़रुरत को पूरी फ़रमायेगा) और जिस ने किसी मुसलमान का एक दुख दूर किया तो अल्लाह पाक भी क़ियामत के दिन उस का एक दुख दूर फ़रमायेगा। और जिस ने किसी मुसलमान का ऐब छुपाया अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उस के ऐब को छुपायेगा।

बाब {गाली–गुप्ता करने वाले..............।}

4894:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आपस में गालीगुलूच करने वाले जो भी कहें, उस का गुनाह शुरु करने वाले ही पर है जब तक कि मज़लूम ज़्यादती न करे।

बाब {नम्रता और खाकसारी का बयान।}

4895:— अ़याज़ बिन हिमार रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने मुझे वह्यि फ़रमायी है कि नम्रता और ख़ाकसारी इख़्तियार करो, यहाँ तक कि कोई किसी पर जुल्म ज़्यादती न करे और न कोई किसी पर फ़ख़र करे।

बाब {बदला लेने का बयान।}

4896:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से रिवातय है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे हुये थे और आप के साथ आप के सहाबा भी थे कि एक आदमी ने अबू बक्र रज़ि॰ को बुरा–भला कहा और उन्हें तक्लीफ़ दी तो अबू बक्र चुप रहे। उस ने फिर दूसरी बार तक्लीफ़ दी तो भी वह ख़ामोश रहे। उस ने फिर तीसरी बार तक्लीफ़ दी तो उन्होंने भी जवाब में उस को कुछ कहा। जब अबू बक्र रज़ि॰ ने उस से बदला ले लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उठ खड़े हुये, तो अबू बक्र ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! क्या आप नराज़ हो गये? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आकश से एक फ़रिश्ता उतरा था जो आदमी को उस के कहे पर झुठला रहा था। जब तुम ने उस से बदला लिया तो शैतान आ गया, और जब शैतान आ गया तो मैं नहीं बैठ सकता।

4897:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी अबू बक्र रज़ि॰ को बुरा भला कहता था. ...और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— ग़लत बातों का उत्तर देने के लिये अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं। जब इन्सान खुद ही बदला लेने पर आ जाता है तो अल्लाह पाक की सहायता समाप्त हो जाती है।

4898:— अ़ब्दुल्लाह बिन औ़न रह॰ कहते हैं कि मैं (सूरः शूरा, आयत 41 मेंशब्द) "इन्तिसार" का अर्थ पूछता था कि मुझे अ़ली बिन ज़ैद बिन जुदआ़न ने अपनी सौतेली माँ उम्मे मुहम्मद से रिवायत किया, और इब्ने औ़न ने कहाः उन लोगों का ख़याल था कि उम्मे मुहम्मद, आ़इशा रज़ि॰ के पास आया-जाया करती थीं। उम्मे मुहम्मद ने कहा कि आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये जबकि (आप की पत्नी) ज़ैनब बिन्त जहश रज़ि॰ भी हमारे पास मौजूद थीं, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे अपने हाथ से छेड़ा (जैसे पति-पत्नी में होता है) तो मैं ने आप का हाथ पकड़ लिया और आप को इशारे से समझाया कि ज़ैनब भी मौजूद हैं तो आप रुक गये। फिर ज़ैनब रज़ि॰, आ़इशा रज़ि॰ पर बोलने लगीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ैनब के बोलने से मना किया मगर वह न मानी तो आ़इशा से कहाः उन्हें तुम भी जवाब दो। तो आ़इशा ने भी ज़ैनब को उसी प्रकार जवाब दिया और ज़ैनब पर ग़ालिब आ गयीं, तो ज़ैनब अ़ली रज़ि॰ के पास चली गयीं और उन से कहा कि आ़इशा ने तुम लोगों के बारे में इस-इस प्रकार की बातें कहीं हैं और ऐसा-ऐसा किया है। इस पर फ़ातिमा रज़ि॰ आप के पास आयीं तो आप ने उन से कहाः काबा के रब की क़सम! यह तुम्हारे अब्बा की चहेती है। फिर फ़ातिमा वापस चली गयीं और जा कर अ़ली रज़ि॰ और ज़ैनब को बताया कि मैंने आप को ऐसे-ऐसे कहा है इस पर आप ने मुझे भी ऐसे-ऐसे कहा है। चुनान्चे अ़ली रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और आप से इस बारे में बात की।

बाब {मरे हुये को बुरा-भला कहना मना है।}

4899:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारा कोई मर जाये तो उसे छोड़ दो और उस के ऐब को न बयान करो।

4900:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने मरने वाले की अच्छाइयाँ बयान करो और उन की बुराइयों से बाज़ रहो।

फ़ाइदा:— लेकिन अगर किसी कुफ़्र, शिर्क और बिदअ़त को स्पष्ट करना ज़रुरी हो तो बयान किया जाये ताकि लोग आगाह हो जायें।

बाब {हद से आगे बढ़ना मना है।}

4901:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः बनी इस्राईल में दो आदमी आपस में भाई बने हुये थे। एक गुनाहों में डूबा रहता था जबकि दूसरा इबादत में लगा रहता था। इबादत में लगे रहने वाला आदमी जब भी किसी को गुनाह में देखता तो उसे कहता कि गुनाहों से बाज़ आ जा। आख़िर एक दिन उस ने दूसरे को गुनाह में पायातो उस से कहाः बाज़ आ जा। उस ने कहाः मुझे रहने दो,मेरा मामला मेरे रब के साथ है, क्या तू मुझ पर चौकीदार बना कर भेजा गया है? उस ने कहाः अल्लाह कीक़सम! अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ नहीं करगा, या तुम्हें जन्नत में दाख़िल नहीं करेगा। चुनान्चे वह दोनों मर गये और अल्लाह पाक के पास जमा हुये तो अल्लाह ने इबादत में लगे रहने वाले से फ़रमायाः

क्या तुम मेरे बारे में अधिक जानने वाले थे, या जो मेरे हाथ में है तुम्हें उस पर कुदरत हासिल थी? और फिर गुनाहगार से फ़रमायाः जाओ, मेरी रहमत से जन्नत में दाख़िल होजाओ। और दूसरे के बारे में फ़रमायाः इसे जहन्नम में ले जाओ। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहा कि उस ज़ात की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है, उस ने ऐसी बात कह दी जिसने उस की दुनिया और आख़िरत बर्बाद कर के रख दी।

4902:— अबू बक्र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः कोई गुनाह इस लाइक़ नहीं कि अल्लाह पाक उस की सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दे अैर उस के साथ-साथ आख़िरत में भी उस की सज़ा को जमा रखे, जैसे कि ज़ुल्म-ज्यदती और रिश्ता-नाता काटना।

फ़ाइदा:— यानी अत्याचार और रिश्ता-नाता काटना यह दो ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह पाक आख़िरत में इस जुर्म की सज़ा तो देगा ही, इस के अ़लावा दुनिया में भी जल्दी ही इन की सज़ा दे देता है। इसलिये इन दो चीज़ों से बचना चाहिये।

बाब {हसद के बारे में मसाइल।}

4903:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हसद से अपने आप को बचाओ, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग ईंधन को .... ..या फ़रमाया.....घास-फूस को खा जाती है।

4904:— सहल बिन उमामा रह॰ ने बयान किया कि वह और उन के पिता मदीना में अनस बिन मालिक रज़ि॰ के यहाँ गये। यह उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ के ज़माना की बात है जबकि वह मदीना के गवर्नर थे। हम अनस रज़ि॰ के पास पहुँचे तो देखा कि वह बड़ी हल्की-फुल्की नमाज़ पढ़ रहे हैं, गोया कि मुसाफिर की नमाज़ हो, या उस के क़रीब। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मेरे पिता से पूछाः अल्लाह पाक आप पर रहम फ़रमाये, यह बतायें कि यह फ़र्ज़ नमाज़ थी, या कोई नफ़ल पढ़ रहे थे? उन्होंने कहाः यह फ़र्ज़ नमाज़ थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ इसी प्रकार की होती थी। मैंने उस में से कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए इस के जो कुछ मैं भूल गया हूँ (तो अलग बात है) उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी जानों पर सख़्ती मत करो, वर्ना तुम पर सख़्ती की जायेगी, कई क़ौमों ने अपनी जानों पर सख़्ती की तो अल्लाह पाक ने भी उन पर सख़्ती की। जन्गलों में मन्दिरों और गिरजाघरों में इन्हीं लोगों में से बचे लोग मौजूद है (जिन के बारे में सूरः हदीद-27 में अल्लाह पाक ने फ़रमायाः) "इन लोगों ने (अपनी मर्ज़ी से) "रहबानियत इख़्तियार कर ली, उन्होंने बिदअ़त निकाली, हम ने फ़र्ज़ उन पर नहीं किया था।"

फिर हम अगले दिन सुब्ह के समय उन के पास गये तो उन्होंने कहाः क्या तुम सवार नहीं हो जाते कि कुछ देखो और नसीहत हासिल करो। पिता जी ने कहाः हाँ चलते हैं। चुनान्चे हम सब सवार हो गये, तो उन्होंने कुछ आबादियाँ दिखायीं जिस के लोग हलाक हो चुके थे, मर खप गये थे

और उन्हें बर्बाद कर दिया गया था, और उन की बस्तियाँ अपनी छतों पर गिरी पड़ी थीं। उन्हेंाने कहाः क्या तुम इन को पहचानते हो? पिता जी ने कहाः नहीं, मुझे इन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि यह वह बस्तियाँ हैं जिन को बग़ावत और हसद ने हलाक कर के रख दिया था। हसद से नेकियों का नूर बुझ जाता है और बग़ावत इस की तस्दीक़ करती है या उसे झुठलाती है, आँख ज़िना करती है और फिर हाथ, पाँव, शरीर, ज़बान और शर्मगाह इस की तस्दीक़ कर देते हैं या झुठला देते हैं।

बाब {लानत करने का बयान।}

4905:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः बन्दा जब किसी चीज़ को लानत करता है तो वह लानत आसमान की तरफ़ बढ़ती है तो उस के आगे आसमान के दर्वाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। फिर वह लानत ज़मीन की तरफ़ लौटती है तो उसके आगे उस के दर्वाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। फिर वह दायें और बाँयें जाती है। अगर कोई जगह नहीं पाती है तो जिस पर लानत की गयी है उस पर पड़ जाती है मगर शर्त यह है कि वह उस लानत की हक़दार हो, वर्ना उस के कहने वाले की तरफ़ लौट जाती है।

4906:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की लानत से लानत मत किया करो, और अल्लाह की नाराज़गी और दोज़ख़ की बददुआ़ मत दिया करो।

4907:— अबू दर्दा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बयान करते हुये सुनाः जो बहुत ज़्यादा लानत करने वाले होते हैं वह किसी के सिफ़ारिशी या गवाह नहीं बन सकेंगे।

4908:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने हवा को लानत की। और मुस्लिम बिन इब्राहीम के शब्द इस प्रकार हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख़्स की चादर उड़ गयी तो उस ने हवा को लानत कर दी तो आप ने फ़रमायाः उसे लानत मत करो, क्योंकि यह अल्लाह के हुक्म की पाबन्द है। और जिस ने किसी चीज़ को लानत की जबकि वह लानत की हक़दार न हो तो यह लानत करने वाले पर लौट आती है।

बाब {जो कोई अपने ज़ालिम को बददुआ़ करे।}

4909:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उन की कोई चीज़ चोरी हो गयी तो वह चोर को बददुआ़ देने लगीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस चोर की सज़ा को उस से हल्का मत करो।

बाब {मुसलमान भाई से मेल–जोल छोड़ देने का बयान।}

4910:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः गुस्सा मत किया करो, एक–दूसरे से हसद मत किया करो, एक–दूसरे को पीठ मत दिया

करो (कि मेल–जोल छोड़ दो) बल्कि अल्लाहके बन्दे भाई–भाई बन कर रहो। किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि वह अपने भाई से तीन रात से ज़्यादा मेल–जोल छोड़े रहे।

फ़ाइदा:— अल्बत्ता अल्लाह के लिये उस के दीन की राह में तो यह जाइज़ है।

4911:— अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमन के लिये जाइज़ नहीं कि अपने भाई के साथ तीन दिन से ज़्यादा मेल–जोल छोड़े रहे कि जब दोनों की मुलाक़ात हो तो यह भी मुँह फेर ले और वह भी। और उन में सब से बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे।

4912:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि किसी ईमान वाले आदमी से तीन दिन से ज़्यादा बात–चीत बन्द रखे। अगर तीन दिन गुज़र जायें तो चाहिये कि उस से मिले और उस को सलाम कहे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो सवाब में दोनों शरीक होगये। अगर वह जवाब न दे तो उस का गुनाह उस दूसरे के ज़िम्मा है। अहमद बिन सओ़द ने कहा कि सलाम करने वाला बाईकाट करने के गुनाह से निकल गया।

4913:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं कि वह किसी मुसलमान से तीन दिन से ज़्यादा संबन्ध समाप्त रखे। बल्कि उसे चाहिये कि जब उस से मिले तो उसे सलाम कहे तीन बार। अगर किसी बार भी उत्तर न दे ते वही गुनहगार होगा।

4914:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि वह अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा मेल–जेल छोड़े रहे जिस ने तीन दिन से अधिक तअ़ल्लुक़ को तोड़ा और मर गया तो वह आग में जायेगा।

4915:— अबू ख़िराश सलमी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जिस ने एक वर्ष तक अपने भाई से संबन्ध को तोड़े रखा तो वह ऐसे है जैसे उस का खून बहाया हो।

4916:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दर्वाज़े खोले जाते हैं, तो हर वह बन्दा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता हो उसे बख़्श दिया जाता है, मगर उस के उस के भाई के दर्मियान नाराज़ी और दुश्मनी हो, तो कहा जाता हैः उसे मोहलत दो कि दोनों सुलह–समझौता कर लें।

बाब {वहम और गुमान का बयान।}

4917:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने आप को गुमान से बचाओ, गुमान सब से झूठी बात है और टोह न लगाओ और न जासूसी करो।

बाब {(अपने मुसलमन भाई की) ख़ैरख़ाही और हिफ़ाज़त का बयान।}

4918:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई के लिये दर्पण (आईना) के समान है, और एक मोमिन, दूसरे मोमिन का भाई है। उस के माल का (नुक़सान हो तो) बचाव करता है और उकसे मौजूद न रहने की सूरत में उस की (इज़्ज़त की) हिफ़ाज़त करता है।

बाब {आपस के संबन्ध बेहतर बनाने की फ़ज़ीलत का बयान।}

4919:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें रोज़ा, नमाज़ और सदक़ा से बढ़ कर अफ़ज़ल दर्जे के काम न बताऊँ? सहाबा ने कहाः जरुर बताइये ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः आपस के संबन्ध और मेल-जोल को बेहतर बनाना (और इस के उलट) आपस के मेल-जोल और संबन्ध में फूट डालना (दीन को) मूँड़ देने वाली चीज़ है।

4920:— हुमैद बिन अ़ब्दिरहमान अपनी माता (उम्मे कुलसूम बिन्त उक़्बा बिन अबू मुअ़ीत) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने दो आदमियों के दर्मियान सुलह करने की ख़ातिर बात बना कर कही तो उस ने झूठ नहीं बोला। अहमद बिन मुहम्मद और मुसद्दद की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं कि "जिस ने लोगों में सुलह करने के लिये भली बात कहीं या पहुँचाई वह झूठा नहीं है।

4921:— उक़्बा की बेटी उम्मे कुलसूम से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहीं झूठ बोलने की इजाज़त दी हो मगर तीन मौक़ों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे "मैं ऐसे आदमी को झूठा नहीं शुमार करता जो लोगों में सुलह कराने की ग़रज़ से कोइं बात बनाता हो, और उस क मक़सद इस्लाह और सुलह समझौते के अ़लावा कुछ न हो। और जो लड़ाई में कोई बात बनाये। और शौहर जो अपनी बीवी से, या बीवी अपने पति के सामने कोई बात बनाए।

बाब {गाने-बजाने का बयान।}

4922:— रुबय्यिअ़ बिन्त मुअ़व्वज़ बिन अ़फ़रा रज़ि॰ मे बयान किया कि जब मेरी रुख़्सती हुयी तो उस की सुब्ह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये और मेरे बिस्तर पर उसी प्रकार बैठे थे जैसे तुम (ख़ालिद बिन ज़कवान) मेरे पास बैठे हुये हो। इतने में (अन्सार की) छोटी बच्चियाँ अपने-अपने दफ़ बजाने लगीं और मेरे उन बापों का ज़िक्र करने लगीं जो बद्र की लड़ाई में शहीद हो गये थे। तो उन में से एक बच्ची ने कहाः ***वफ़ीना नबिय्युन यालमु मा फ़ी ग़दिन्*** (हम में ऐसा नबी है जो भविष्य की बात जानता है) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस को छोड़ दो (मत कहो) और वही कहो जो पहले कह रहीं थीं।

4923:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना

तशरीफ़ लाये तो हब्शी लोगों ने आप के आने की खुशी में अपने नेज़ें के साथ खेल कर लड़ाई के फ़न का मुज़ाहरा किया।

बाब {गाने और गाने के सामानों के मक्रुह होने का बयान।}

4924:— इमाम नाफ़े ने बयान किय कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने बाँसुरी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने कानों पर रख लीं और रास्ते से दूर चले गये, फिर मुझ से पूछाः ऐ नाफ़े! क्या कुछ सुन रहे हो? मैंने कहाः नहीं। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों को कानों से निकाल लिया और कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था तो आप ने इसी प्रकार की आवाज़ सुनी तो इसी प्रकार कनों में उंगलियाँ दे ली थी।

4925:— (ऊपर की रिवायत के बारे में) इमाम नाफ़े ने बयान किया कि मैं इब्ने उमर के साथ सवारी पर उन के पीछे बैठा हुआ था कि वह एक चरवाहे के पास से गुज़रे जो बाँसुरी बजा रहा था. ....और फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

4926:— मैमून बिन महरान, इमाम नाफ़े से रिवयत करते हैं कि हम इब्ने उमर के साथ थे कि उन्होंने एक बाँसुरी वाले की आवाज़ सुनी..........और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

4927:— सल्लाम बिन मिसकीन एक शैख़ से रिवायत करते हैं जो इमाम अबू वाइल रह॰ के साथ एक वलीमे में हाज़िर थे, इतने में लोग आपस में खाने-खिलाने और गाने लगे तो वाइल ने अपने कमर से अपना कपड़ा खोला और कहाः मैंने इब्ने मस्ऊद रजि॰ से सुना है वह कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "गाना दिल में निफ़ाक़ पैदा करता है" (जैसे पानी खेती को उगाता है)

बाब **{हिजड़ों के बारे में मसाइल।}**

4928:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक हिजड़ा लाया गया जिस ने अपने पाँव में मेंहदी लगा रखा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के बारे में पूछाः इसे क्या है? कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह महिलाओं से मुशाबहत इख़्तियार करता है, तो आप ने हुक्म दिया और वह नक़ीअ़ के स्थान पर निकाल बाहर कर दिया गया। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उसे क़त्ल कर दें? आप ने फ़रमायाः मुझे नमाज़ पढ़ने वालों को क़त्ल करने से मना किया गया है।

अबू उसामा ने कहा कि नक़ीअ़ एक स्थान का नाम है जो बक़ीअ़ स्थान से अलग जगह है।

4929:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास तशरीफ़ लाये तो देखा कि उन के यहाँ एक हिजड़ा है और वह उम्मे सलमा रज़ि॰ के भाई अ़ब्दुल्लाह से कह रहा है कि अगर कल अल्लाह पाक ने तुम्हें ताइफ़ पर विजय दिला दिया तो मैं तुम्हें एक महिला के बारे में बताऊँगा जो चार के साथ आती है और आठ के साथ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्हें अपने घरों से निकाल दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस का अर्थ यह है कि महिला के पेट पर (उस के मोटी होने की वजह से) चार बल पड़ते हैं (उस के पेट पर सामने की तरफ़ से चार बल। और जब पीठ फेरे तो पीछे की तरफ़ से यही बल चार-चार होकर आठ बन जाते। तो अ़रब में महिला का मोटी होना उस के सुन्दर होने की पहचान थी।

4930:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हिजड़ा बनने वाले मर्दों और मर्दाना अन्दाज़ इख़्तियार करने वाली महिलाओं पर लानत फ़रमायी है और फ़रमाया हैः उन्हें अपने घरों से निकाल बाहर करो, और फ़लाँ-फ़लाँ हिजड़े को बाहर निकाल दो।

बाब {गुड़ीयों से खेलने का बयान।}

4931:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं गुड़ियों के साथ खेला करती थी तो अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और मेरे साथ (मुहल्ले की) बच्चियाँ होतीं। जब आप तशरीफ़ लाते तो वह चली जातीं और जब आप चले जाते तो वह फिर आ जातीं थीं।

4932:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबूक या ख़ैबर की जन्ग से वापस तशरीफ़ लाये तो मेरे ताक़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो पर्दा एक तरफ़ उठ गया और मेरे खिलौने और गुडियाँ दिखाई पड़ने लगे। आप ने पूछाः ऐ आ़इशा! यह क्या है? मैंने कहाः यह मेरी गुड़ियाँ है। आप ने उन में कपड़े का एक घोड़ा भी देखा जिस के दो पर थे। आप ने पूछाः मैं उन के दर्मियान यह क्या देख रहा हूँ? मैंने कहाः यह घोड़ा है। आप ने पूछाः और उस के ऊपर क्या है? मैंने कहाः उस के ऊपर दो पर हैं। आप ने पूछाः क्या घोड़े के भी पर होते हैं? मैंने कहाः आप ने नहीं सुना कि सुलैमान अ़लै॰ के घोड़े के पर थे? उन्होंने कहा कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इतना हँसे कि मैंने आप के दाढ़ के दाँत देख लिये।

बाब {झूले का बयान।}

4933:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से शादी की तो मेरी आयु सात या छः वर्ष की थी। जब हम मदीना आये तो चन्द महिलायें आयीं.... .बिश्र बिन ख़ालिद के अल्फ़ाज़ हैः (मेरी माता जी) उम्मे रुमान आयीं ....जबकि मैं एक झूले पर थी और वह मुझे ले गयीं, मुझे तय्यार किया, बनाव-सिंगार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ भेज दिया, मेरी रुख़्सती हुयी तो मेरी आयु नौ वर्ष की थी। मेरी माता जी ने मुझे दरवाज़े पर खड़ा कर दिया तो मैंने कहाः हीह-हीह (यानी इन्कार करने की आवाज़ निकाली)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यानी उन्होंने लंबा (ठन्ड़ा) साँस लिया और मुझे एक घर में दाख़िल कर दिया गया तो वहाँ अन्सार की कुछ महिलायें थीं, उन्होंने ख़ैर-बर्क़त की दुआ़ओं के साथ मेरा स्वागत किया। हम्माद और उसामा की रिवायत एक दूसरे में मिल गयी है।

4934:— अबू उसामा ने ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः अल्लाह करे कि

तुम्हारी क़िस्मत अच्छी हो और फिर मुझे उन महिलाओं के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा सर धोया और मुझे सजाया-संवारा। और मैं उस समय डर सी गयी जब दिन चढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे सामने हुये तो उन्होंने मुझे आप के हवाले कर दिया।

4935:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब हम मदीने आयेतो मेरे पास कुछ महिलायें आयीं जबकि मैं एक झूले पर खेल रही थीं और मेरे बाल कानों से नीचे उतर रहे थे, तो वह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ले आयीं। मेरी (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर) रुख़्सती हुयी तो मेरी आयु नौ वर्ष थी।

4936:— हिशाम बिन उर्वा ने अपनी सनद से इस रिवायत में बयान किया कि आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले पर थी तो उन्होंने मुझे एक घर में दाख़िल कर दिया, वहाँ अन्सार की कुछ महिलायें थी, तो उन्होंने ख़ैर-बर्कत की दुआ़ के साथ मेरा स्वागत किया।

4937:— यहया बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः हम मदीना आये और बनी हारिस के यहाँ ठहरे। उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं खजूर की दो लकड़ियों में लगे एक झूले पर थीं कि मेरी माता जी आयीं और उन्होंने मुझे उस से उतारा, उस समय मेरे बाल छोटे-छोटे थे.....और पूरी हदीस बयान की।

बाब {चौसर खेलना नाजाइज़ है।}

4938:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने चौसर खेला उस ने अल्लाह और उस के रसूल की नाफ़र्मानी की।

4939:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स चौसर खेला, गोया उस ने अपना हाथ सुअर के माँस और ख़ून में लतपत कर लिया।

बाब {कबूतर बाज़ी का बयान।}

4940:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वह एक कबूतरी के पीछे लगा हुआ था तो आप ने फ़रमायाः शैतान, शैताननी के पीछे लगा हुआ है।

बाब {रहमत और शफ़क़त करने का बयान।}

4941:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान क़िया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रहम करने वालों पर रहमान रहम फ़रमायेगा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।

4942:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने इस हुजरे वाले यानी अबुल् क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे कि किसी अभागे ही से रहमत छीनी जाती है।

4943:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे और हमारे बड़ों का हक़ न पहचाने वह हम में से नहीं।

बाब {ख़ैर ख़ाही का बयान।}

4944:— तमीम दारी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दीन, नसीहत (ख़ैर खाही) का नाम है। दीन, नसीहत का नाम है। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! किस के लिये? आप ने फ़रमायाः अल्लाह के लिये, उस की किताब के लिये, उस के रसूल के लिये, ईमान वालों, हाकिमों, उलमा और अ़ाम मुसलमानों के लिये। या यह कहा कि मुसलमानों के इमामों और हाकिमों और अ़ाम जनता के लिये।

4945:— जरीर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनने, इताअ़त करने और हर मुसलमान के लिये ख़ैरख़ाही करने पर बैअ़त कर रखी है। हदीस के रिवायत करने वाले ने बयान किया कि चुनान्चे जरीर रज़ि॰ जब कोई चीज़ बेचते या खरीदते तो कहते कि जो चीज़ हम ने तुम से ली है वह हमें अपनी चीज़ से जो हम ने तुम्हें दी है ज़्यादा प्यारी है। चुनान्चे तुम्हें इख़्तियार है (कि अपना माल वापस लेना चाहो तो ले सकते हो)

बाब {मुसलमान की सहायता करने का बयान।}

4946:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने किसी मुसलमान से दुनिया का एक दुःख दूर किया तो अल्लाह पाक उस से क़ियामत के दिन का एक दुःख दूर फ़रमायेगा। और जिस ने क़िसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति के लिये आसानी की तो अल्लाह पाक भी उस के लिये दुनिया और आख़िरत में आसानी फ़रमाऐगा। और जिस ने किसी मुसलमान के राज़ को छुपाया तो अल्लाह पाक भी दुनिया और आख़िरत में उस के ऐब को छुपाएगा। और अल्लाह पाक उस समय तक बन्दे की मदद में रहता है जब तक कि बन्दा अपने भाई की मदद में रहे।

4947:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः हर नेकी सदक़ा है।

बाब {नाम बदल देने का बयान।}

4948:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम लोग क़ियामत के दिन अपने और अपने बापों के नामों से पुकारे जाओगे। चुनान्चे अपने नाम अच्छे-अच्छे रखा करो।

4949:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब नामों में "अ़ब्दुल्लाह" और "अ़ब्दुर्रहमान" अल्लाह पाक को बहुत पसन्द हैं।

4950:— अबू वहब जशमी रज़ि॰ .... जिन्हें सहाबी होने का गर्व है....वह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नबिय्यों के नाम रखा करो। और अल्लाह पाक को सब नामों में ज़्यादा महबूब नाम "अ़ब्दुल्लाह" और "अ़ब्दुर्रहमान" हैं। सब से बढ़ कर हक़ीक़त से क़रीब यह नाम हैं "हारिस" (खेती-किसानी करने वाला) "हम्माम" (रन्ज में डूबा हुआ)और यह नाम सब से बुरे हैं "हर्ब" (लड़ाका) "मुर्रा" (कड़वा)

4951:— अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि जब (मेरे सौतेले भाई) अ़ब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा पैदा हुये तोमैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लेकर गया, उस समय आप एक कुर्ता पहने अपने एक ऊँट को गन्धक लगा रहे थे। आप ने पूछाः क्या तुम्हारे पास खजूर है? मैंने कहाः जी हाँ। फिर मैंने आप को कई खजूरें दीं। आप ने उन्हें अपने मुँह में डाल का चबाया, फिर बच्चे का मुँह खोल कर उन्हें उस के मुँह में डाल दिया और वह ज़बान को चुलबुलाने लगा। इस पर आप ने फ़रमायाः अन्सारी लोगों को खजूर से मुहब्बत होती हे। और आप ने उस का नाम अ़ब्दुल्लाह रखा।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सातवें दिन से पहले भी नाम रखा जा सकता है। किसी बुज़ुर्ग आदमी से घुट्टी दिलवाना अच्छा अ़मल है।

बाब **{ग़लत और बुरे नाम बदल देने का बयान।}**

4952:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "आ़सिया" (नार्फ़मान) नाम बदल दिया और फ़रमायाः तू "जमीला" (सुन्दर) है।

4953:— मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता रह॰ ने बयान किया कि अबू सलमा रज़ि॰ की बेटी ज़ैनब ने मुझे से पूछाः तुम ने अपनी बच्ची का क्या नाम रखा है? मैंने कहा कि "बर्रा" (नेक) उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस नाम से मना फ़रमाया है। मेरा नाम "बर्रा" रखा गया था तो फ़रमाया कि अपने आप को अपने मुँह से नेक और अच्छा न कहलवाओ। अल्लाह पाक तुम में से नेक और अच्छे लोगों को खूब जानता है। पूछा गयाः हम उन का क्या नाम रख दें? आप ने फ़रमायाः "ज़ैनब" रख दो।

4954:— उसामा बिन अख़दरी से रिवायत है कि "असरम" नाम का एक शख़्स उस वफ़द में शामिल था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ आया। आप ने उस से पूछाः तुम्हारा क्या नाम है? उस ने कहाः मैं "असरम्" (काटने वाला) हूँ। आप ने फ़रमायाः नहीं, तुम "ज़ुरआ़" (बोने-जोतने वाले) हो।

4955:— हानी बिन यज़ीद रज़ि॰ से रिवायत है कि जब वह अपनी क़ौम का वफ़द लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुना कि लोग उसे "अबुल हकम" की कुन्नियत से पुकारते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और फ़रमायाः "हकम" (फ़ैसला करने वाला) अल्लाह पाक है (यह अल्लाह का नाम

है) और तमाम फ़ैसला उसी की तरफ़ हैं। तुम्हें यह कुन्नियत "अबुल हकम" क्यों दी गयी है? उस ने कहाः जब मेरी क़ौम के लोग किसी बारे में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो मेरे पीछे आ जाते हैं और मैं उन में फ़ैसला कर देता हूँ और फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह तो बहुत अच्छी है। तुम्हारे लड़के कौन हैं? मैंने कहाः शुरैह, मुस्लिम, अ़ब्दुल्लाह। आप ने पूछाः इन में बड़ा कौन है? मैंने कहाः शुरैह। आप ने फ़रमायाः तो फिर तुम "अबू शुरैह" हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह शुरैह वही हैं जिन्होंने तुस्तर क़िला की ज़न्जीर को तोड़ कर उस के अन्दर दाख़िल हुये थे। मुझे यह बात भी पहुँची है कि उन्होंने तुस्तर क़िला का दवाज़ा तोड़ा था और सुरन्ग की राह से उस क़िला के अन्दर घुसे थे।

फ़ाइदा:— "तुस्तर" ईरान के ख़ोज़िस्तान क्षेत्र में एक शहर का नाम है, उसे "शस्तर" भी कहते है।

4956:— सओ़द बिन मुसय्यिब अपने पिता से और वह अपने दादा (हुज़्न) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से पूछाः क्या नाम है? उन्होंने कहाः "हुज़्न" (सख़्त और पथरीली ज़मीन) आप ने फ़रमायाः तुम "सह्ल" हो। उन्होंने कहाः नहीं, "सहल" को तो रौंदा और ज़लील जाना जाता है। सओ़द ने कहा कि मुझे यक़ीन रहा कि हमें इन के बाद कोई सख़्ती और रन्ज आने वाली है।

फ़ाइदा:— बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़्न ने कहाः मेरे बाप-दादा ने जो नाम रख दिया है वह नहीं बदलता। इब्ने मुसय्यिब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात न मानने की वजह से हम पर रन्ज और ग़म के प्रभाव और असर स्पष्ट रहे (बुख़ारी-6190)

4957:— इमाम मस्रुक़ ने बयान किया कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से मिला तो उन्होंने पूछाः तुम कौन हो? मैंने बतायाः मस्रुक़ बिन अजदा। उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है आप ने फ़रमाया अज्दा शैतान है।

4958:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने बच्चे या गुलाम का नाम "यसार" (आसान) "रिबाह" (लाभदायक) नजीह (कामियाब) अफ़लह (कामियाब) हर्गिज़ न रखना। तुम पूछोगे कि क्या वह यहाँ है? तो उत्तर मिलेगा 'नहीं। (मक़्सद यह है कि इस से बदफ़ाली होगी) समुरा रज़ि॰ ने कहा कि बस यह चार नाम हैं, इन के अ़लावा और मेरे ज़िम्मे न लगा देना।

4959:— समुरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि हम गुलामों के नाम यह रखें, अफ़लह, यसार, नाफ़े, रिबाह।

4960:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर अल्लाह पाक ने चाहा और मैं ज़िन्दा रहा तो मैं अपनी उम्मत को इस से मना कर दूँगा कि वह नाफ़े, अफ़लह और बर्कत नाम रखें।

इमाम आमश ने कहा कि मुझे नहीं मालूम अबू सुफ़यान रावी ने "नाफ़े" शब्द का नाम

लिया या नहीं। दरअस्ल आदमी जब आता है और पूछता है: क्या बर्कत हैं? तो जवाब मिलता है: नहीं।

4961:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क़ियामत के दिन सब से बुरा नाम उस शख़्स का होगा जिस ने अपना नाम "मलिकुल अमलाक" (बादशाहों का बादशाह) रखा।

बाब {बुरे लक़ब से पुकारने का बयान।}

4962:— अबू जुबैरा बिन ज़ह्हाक बयान करते हैं कि (सूर: हुजरात की आयत न॰11) "बुरे नामों और लक़बों से मत पुकारो........." यह आयत हम बनी सलमा के बारे में नाज़िल हुयी थी। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान तश्रीफ़ लायेतो हम में से कोई ऐसा न था कि उस के दो या तीन नाम न हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी को बुलाते "अरे फ़लाँ" तो लोग कहते: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रा ठहरये, यह आदमी इस नाम से नाराज़ होता है। चुनान्चे इसी मौक़ा पर आयत नाज़िल हुयी।

बाब {"अबू ईसा" कुन्नियत रखना कैसा है?}

4963:— ज़ैद बिन अस्लम अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने अपने बेटे को जिस ने अपनी कुन्नियत "अबू ईसा" रख ली थी, सज़ा दी। मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ ने अपनी कुन्नियत "अबू ईसा" रखी तो उमर रज़ि॰ ने उन से कहा: क्या तुम्हारे लिये यह काफ़ी नहीं कि अपनी कुन्नियत "अबू अ़ब्दुल्लाह" रख लो। उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ही मेरी यह कुन्नियत रखी थी। तो उमर रज़ि॰ ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अगले-पिछले तमाम गुनाह अल्लाह पाक ने बख़्श दिये हुये हैं और हम लोग तो एक-दूसरे जैसे हैं (यानी हम में से कोई अफ़ज़ल नहीं है) चुनान्चे मुग़ीरा रज़ि॰ अपने देहान्त तक "अबू अ़ब्दुल्लाह" ही कहलाते रहे।

फ़ाइदा:— अबू ईसा भी कुन्नियत रख सकते हैं, लेकिन न रखना बेहतर है।

बाब {किसी दूसरे के बच्चे को "मेरे बेटे"कह कर पुकारना।}

4964:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को पुकरा तो फ़रमाया: "ऐ मेरे बेटे"

बाब {"अबुल क़ासिम" कुन्नियत रखना कैसा है?}

4965:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरा नाम रख सकते हो, मगर मेरी कुन्नियत पर अपनी कुन्नियत न रखो।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के देहान्त के बाद उलमा ने जाइज़ कहा है कि आप का नाम और कुन्नियत रख सकते हैं।

बाब {उन लोगों की दलील जो (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के) नाम और कुन्नियत को जमा करना जाइज़ नहीं जानते।}

4966:— अबू जुबैर, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मेरा नाम रखे वह मेरी कुन्नियत न इख़्तियार करे। और जिस ने मेरी कुन्नियत रखी हो वह मेरा नाम न रखे।

बाब {नाम और कुन्नियत जमा कर लेने की छूट का बयान।}

4967:— मुहम्मद बिन हनफ़िय्या रह॰ ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप के बाद मेरे घर बच्चा पैदा हो तो क्या मैं उस का नाम और कुन्नियत आप के नाम और कुन्नियत पर रख सकता हूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। हदीस के रावी अबू बक्र बिन अबू शैबा में "कुलतु" (मैंने कहा) का शब्द नहीं है, बल्कि यूँ है कि "अ़ली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा"

4968:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे घर बच्चा हुआ है और मैंने उस का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल क़ासिम रखी है और मुझे बताया गया है कि आप इसे पसन्द नहीं फ़रमाते हैं। आप ने फ़रमायाः क्या वजह है कि मेरा नाम तो जाइज़ हो और कुन्नियत हराम या फ़रमायाः "किस चीज़ ने मेरी कुन्नियत हराम ठहरा दी और नाम जाइज़ कर दिया?"

बाब {औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत रखना।}

4969:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ नेबयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर आया करते थे और मेरे छोटे भाई ने जिस की कुन्नियत "अबू उमैर" थी, उस ने एक जिड़िया रखी हुयी थी जिस से वह खेला करता था, वह चिड़िया मर गयी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के पास गये और उसे रन्जीदा पाया तो पूछाः इसे क्या हो गया है? हम ने बताया कि उस की चिड़िया नुग़ैर (नाम की) मर गयी है, तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू उमैर कहाँ गयी तुम्हारी नुग़ैर।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि चिड़िया पालना और उसे पिंजड़े आदि में बन्द कर के रखना दुरुस्त है। और औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत रखना दरुस्त है।

बाब {महिला कुन्नियत रखे तो जाइज़ है।}

4970:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी सब सखियों के लिये कुन्नियत है। आप ने फ़रमायाः तुम भी अपने बेटे अ़ब्दुल्लाह के नाम से कुन्नियत रख लो, यानी अपने भान्जे की निस्बत से। मुसद्दद ने बताया कि इस से मुराद अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर हैं। चुनान्चे उन्होंने "उम्मे अ़ब्दुल्लह" कुन्निय रख ली।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि महिला भी कुन्नियत रख सकती है, चाहे औलाद हो या न हो।

बाब **{इशारे–कनाए से (दो अर्थी) बात करना।}**

4971:— सुफ़यान बिन उसैद हज़रमी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थे: बहुत बड़ी ख़ियानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात करो, वह तुम्हें सच्चा समझ रहा हो और तुम उस से झूठ बोल रहे हो।

बाब **{"लोगों का ख़याल है, समझा जाता है और कहा जाता है" जैसे अन्दाज़ से बात करना।}**

4972:— अबू क़िलबा ने बयान किय कि अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने अबू अ़ब्दुल्लाह (यानी हुज़ैफ़ा रज़ि॰) से या अबू अ़ब्दुल्लाह (हुज़ैफ़ा रज़ि॰) ने अबू मस्ऊद से पूछा किआप ने इस बारे में क्या सुना है जो लोग "ज़अ़मू" (लोगों का ख़याल है) के अन्दाज़ से बात करते हैं। उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे "लोगों का कहना है, लोगों का ख़याल है" यह आदमी की बहुत बुरी सवारी है।

फ़ाइदा:— यानी लोगों की सुनी सुनाई, बेअस्ल और बे–सर–पैर की बात जिस की कोई हक़ीक़त न हो, कहना बहुत बुरा है।

बाब **{ख़ुत्बे में "अम्मा बाद" का इस्तेमाल।}**

4973:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: "अम्मा बाद" (हम्द व सलात के बाद)

बाब **{अन्गूर के लिये शब्द "कर्म" इस्तेमाल करना और अपनी ज़बान और बात–चीत में मुहतात रहने का बयान।}**

4974:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई शख़्स (अन्गूर के लिये) "कर्म" का शब्द न प्रयोग करे। बेशक "कर्म" मुसलमान आदमी है। बल्कि यूँ कहा करो "अन्गूरों के बाग़ात"

बाब **{लौंडी गुलाम अपने मालिक को "मेरा रब" न कहे।}**

4975:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई शख़्स अपने गुलाम और लौंडी को "मेरा बन्दा" या "मेरी बन्दी" के लफ़ज़ से न पुकारे, और न कोई गुलाम अपने मलिक को "मेरे रब" कहे। मालिक को चाहिये कि कहे "ऐ मेरे नौजवान" "ऐ मेरी लड़की" और गुलाम को चाहिये कि वह अपने मालिक को कहे "ऐ मेरे सर्दार। इस में कोई शक नहीं कि तुम सब लोग गुलाम हो और "रब" केवल अल्लाह पाक ही है।

4976:— अबू युनूस (सुलैमान बिन जुबैर) ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से बयान किया और इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं किया (यानी हदीस "मौक़ूफ़" बयान की

और "सय्यदी" "सय्यिदती" के स्थान पर) "सय्यिदी" और "मौलाई" (ऐ मेरे सर्दार) कहा।

4977:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुनाफ़िक़ को "सय्यिद" (सर्दार, आक़ा) कह कर मत पुकारे, इसलिये कि अगर वह सर्दार हुआ तो तुम ने अपने रब को नाराज़ कर दिया।

बाब {कोई शख़्स इस प्रकार न कहे कि "मेरा नफ़्स नापाक हो गया है"}

4978:— अबू उमामा अपने पिता (सहल बिन हनीफ़ रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स हर्गिज़ यूँ न कहे "मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया है" अगर कहना ही है तो यूँ कहो : "मेरी तबीअ़त परेशान है, मेरी तबीअ़त ख़राब है"

4979:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स हर्गिज़ यूँ न कहेः मेरा जी जोश मारता है" बल्कि यूँ कहेः "मेरा जी परेशान है"

बाब {.............}

4980:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यूँ मत कहो "जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे" बल्कि यूँ कहोः "जो अल्लाह चाहे फिर फ़ला चाहे"

बाब {.............}

4981:— अ़दी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समने खुत्बा दिया तो उस ने कहाः जिस ने अल्लाह और उस के रसूल की इताअ़त की वह हिदायत पर है, और जिस ने उन दोनों की नाफ़र्मानी की......" आप ने फ़रमायाः चल खड़ा हो, या इस प्रकार फ़रमयाः "चला जा, तू तो बहुत बुरा ख़तीब है"

फ़ाइदा:— अल्लाह और रसूल को एक ही साथ, एक ही ज़मीर में जमा करना दुरुस्त नहीं "जिस ने दोनों की नाफ़र्मानी की" इस में "दोनों" शब्द में अल्लाह और रसूल मुराद है, यह ग़लत है। यूँ कहो "जिस ने अल्लाह और रसूल" इस में अल्लाह अलग हो गया और रसूल अलग। पहले में अल्लाह और रसूल एक ही में शामिल है, यह ग़लत है। ख़ालिक़ और मख़्लूक़ को अलग-अलग बयान करो। क़ुर्बान जाइये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की शिक्षा पर।

4982:— अबू मलीह एक शख़्स से रिवायत करते हैं उस ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सवारी पर उन के पीछे बैठा हुआ था कि आप की सवारी को ठोकर सी लगी तो मेरी ज़बान से निकला' हलाक हो शैतान। तो आप ने फ़रमायाः यह मत कहो, तुम जब यह कहते हो तो वह फूल जाता है यहाँ तक कि एक घर के बराबर हो जाता है और वह समझता है कि मेरी ताक़त से ऐसे हुआ, लेकिन कहोः "बिसमिल्लाहि" (अल्लाह के नाम से) तुम जब इस प्रकार कहते हो तो वह सिकुड़ जाता है, यहाँ तक कि मक्खी की तरह हो जाता है।

4983:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम सुनो ....और मूसा (बिन इस्माअ़ील) के शब्द में जब कहें .... बन्दा कि लोग तबाह हो गये, तो कहने वाला ही सब से अधिक तबाह व बर्बाद है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक ने कहाः जब लोगों की दीनी हालत में कमी और ख़राबी की वजह से कहे "लोग तबाह हो गये" तो इस में कोई हरज नहीं समझता। लेकिन जब कोई अपने आप को बड़ा और लोगों को नीचा और ज़लील समझते हुये ऐसा कहे तो यह नाजाइज़ है और इसी की मिनाही है।

बाब {नमाज़े इतमा (अंधेरे की नमाज़) का बयान।}

4984:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर्गिज़ ऐसा न हो कि यह दीहाती लोग तुम्हारी नमाज़ के नाम पर ग़ालिब आ जायें। ख़र्बदार! इस का नाम "इशा" है। लेकिन चूँकि वह लोग ऊँटनियों का दूध दूहने में अँधेरा कर देते हैं (ता उसी मुनासिबत से इस नमाज़ को "इतमा" यानी अंधेरे वाली नमाज़ कह देते हैं)

फ़ाइदा:— इस प्रकार रोक लगाने का मक़सद केवल यह है कि दीन में जो शरीअ़त ने लफ़्ज़ इस्तेमाल किये हैं केवल उन्हीं को प्रयोग किया जाये। एक चीज़ का हज़ार नाम न दिया जाये।

4985:— सालिम बिन अबू जअ़द से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा.....मिस्अ़र का ख़याल है कि वह क़बीला बनी ख़ज़ाआ़ से था .... काश मैं नमाज़ पढ़ लेता तो सुकून पाता, तो दूसरे लोगों ने गोया उस के इस अन्दाज़ पर ऐब लगाया तो उस ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि आप ने फ़रमायाः बिलाल! नमाज़की इक़ामत कहो, हमें इस से राहत (आराम) पहुँचाओ।

4986:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन हनफ़िय्या रह॰ ने बयान किया कि मैं और मेरे पिता जी अन्सारी लोगों में हमारे ससुराल वालों के यहाँ किसी मरीज़ की बीमार पुर्सी के लिये गये तो नमाज़ का समय हो गया तो उस ने अपने घर वालों में से किसी से कहाः ऐ लड़की! वुज़ू के लिये पानी लाओ, शायद मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो राहत और सुकून पाऊँ, तो हम ने उन का यह जुम्ला पसन्द न किया, तो उन्होंने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना अप ने फ़रमायाः ऐ बिलाल! उठो और हमें नमाज़ के साथ राहत (आराम) पहुँचाओ।

4987:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सुना कि आप हर एक चीज़ मैं दीन ही की निस्बत का ख़्याल फ़रमाते थे।

बाब {कभी—कभार इशारा और कनाया का भी प्रयोग जाइज़ है।}

4988:— अनस रज़ि॰ का बयान है कि मदीना में कोई अफ़वाह फैल गयी (कि दुश्मन हमला करने वाला है) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अबू तल्हा के घोड़े पर सवार हुये (और इधर—उधर देख भाल कर लौट आये) और फ़रमायाः हम ने कुछ नहीं देखा है। या यह फ़रमायाः

हम ने डर की कोई बात नहीं देखी, और यह घोड़ा तो गोया समुन्दर है (दौड़ने में)।

फ़ाइदा:— आप ने घोड़े की रफ़्तर को समुन्दर से तश्बीह दी।

बाब {झूठ बोलने की आलोचना।}

4989:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः झूठ से बचो, क्योंकि यह गुनाह की तरफ़ ले जात है और गुनाह जहन्नम में पहुँचता है। जो इन्सान झूठ बोलता हो और झूठ ही उस का ओढ़ना-बिछौना हो तो वह अल्लाह पाक के यहाँ "कज़्ज़ाब" (बहुत बड़ा झूठा) लिख दिया जाता है। हमेशा सच बोलो, सच नेकी की तरफ़ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत में पहुँचाती है। और जो सच बोलता और सच को ओढ़ना-बिछौना बना लेता है तो वह अल्लाह पाक के यहाँ "सिद्दीक़" (बहुत बड़ा सच्चा) लिख दिया जाता है।

4990:— बहज़ बिन हकीम रह॰ ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद ने अपने पिता (मुआ़विया बिन हीदा) से रिवायत किया, कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थेः बर्बादी है उस के लिये जो इस उद्देश्य से झूठ बोले कि लोग हँसें। ऐसे शख़्स के लिये तबाही है, तबाही है, तबाही है।

4991:— अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दिन मेरी माता जी ने मुझे बुलायाः इधर आओ, एक चीज़ दूँगी। उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर में तश्रीफ़ रखते थे। आप ने मेरी माता जी से पूछाः तुम क्या देना चाहती हो? उन्होंने बतायाः मैं उन्हें खजूर देना चाहती हूँ। आप ने उन से कहाः अगर तुम उन्हें कुछ न देती ते तुम्हारे खाते में एक झूठ लिख दिया जाता।

4992:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी के गुनाहगार होने के लिये यही काफ़ी है कि वह हर सुनी-सुनाई बात बयान करता फिरे।

बाब {अच्छा गुमान रखने का बयान।}

4993:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है और नस्र बिन अ़ली के मुताबिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अच्छा गुमान रखना अच्छी इबादत में से है।

4994:— सफ़िय्या रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एतिक़ाफ़ में थे और मैं रात के समय आप से मिलने के लिये आयी, मैं आप से बातें करती रही, फिर उठ जाने लगी तो आप भी मेरे ही साथ उठे ताकि मुझे वापस पहुँचा आयें.....उस समय मैं उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ के अहाता में रहती थी....इसी बीच दो अन्सारी गुज़रे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से चलने लगे, तो आप ने फ़रमायः ठहर जाओ, यह (मेरे साथ मेरी पत्नी) सफ़िय्या बिन्त हुय्यि हैं। उन दोनों ने कहाः सुब्हानल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः शैतान इन्सान के शरीर के अन्दर इस प्रकर घूमता है जैसे खून, इसलिये मुझे डर लगा कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे। या यह फ़रमायाः कोई बुरी बात न डाल दे।

बाब {वादा निभाने की ताकीद।}

4995:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बन्दा जब अपने भाई से कोई वादा कर ले और उस की निय्यत यह हो कि वह वादा को पूरा करेगा, मगर न कर सके और वादा पर न पहुँच सका हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।

4996:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू हम्‌स रज़ि॰ से रिवातय है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले की बात है कि मैंने आप॰ से एक सौदा किया और कुछ क़ीमत बाक़ी रह गयी तो मैंने आप से वादा कर लिया कि मैं यहीं आप के पास ले आता हूँ, मगर मुझे अपनी यह बात तीन दिन बाद याद आयी तो मैं आया तो क्या देखा के आप वहीं खड़े हैं। आपने (केवल) इतना फ़रमायाः ऐ जवान! तुम ने मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया है, मैं तीन दिन से यहाँ इन्तिज़र कर रहा हूँ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। इस में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल करीम है जो मजहूल है, इस के अ़लावा और दूसरी कमियाँ भी इस रिवायत में हैं।

बाब {धोखा देने के लिये ऐसा ज़ाहिर करना कि यह चीज़ मेरी है, हालाँकि उस की न हो।}

4997:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक सौतन है, अगर मैं उस के सामने ऐसे ज़ाहिर करुँ कि चीज़ मुझे मेरे पति ने दी है, हालाँकि न दी हो तो क्या मुझ पर गुनाह है? आप ने फ़रमायाः जो कोइ ऐसे ज़ाहिर करे कि यह चीज़ मेरी है, हालाँकि उसे न दी गयी हो तो उस की मिसाल उस शख़्स की सी है जो मक्कारी के दो कपड़े पहने हुये हो।

बाब {हँसी–मज़ाक़ और दिल बहलाने का बयान।}

4998:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई सवारी दीजिये। आप ने फ़रमायाः हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देते हैं। उस ने कहाः मैं ऊँटनी का बच्चा क्या करुँगा? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायः ऊँट को भी तो ऊँटनी ही जन्म देती है।

4999:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू बक्र रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास अन्दर आने की इज़ाज़त चाही तो उन्होंने आ़इशा की आवाज़ सुनी जो कुछ ऊँची थी। चुनान्चे जब वह अन्दर आये तो उन्हें तमाचा मारने के लिये पकड़ा और बोलेः मैं तुम्हें देखाता हूँ कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ बुलन्द करती हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़इशा को बचाने लगे, इस पर अबू बक्र रज़ि॰ गुस्सा से बाहर चले गये। जब वह चले गये तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः देखा, मैंने तुम्हें उन से कैसे बचाया? अबू बक्र रज़ि॰ चन्द दिन रुके रहे और फिर आप से मिलने के लिये इजाज़त माँगी तो पया कि उन के दर्मियान सुलह हो चुकी है तो उन से कहाः मुझे भी

अपनी सुलह में शामिल कर लो जैसे तुम ने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल किया था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम ने कर लिया, हम ने कर लिया।

5000:— औ़फ़ बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि तबूक के सफ़र में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उस समय आप चमड़े के एक ख़ेमे में ठहरे हुये थे। मैंने सलाम किया तो अप ने जवाब दिया और फ़रमाया कि अन्दर आ जाओ। मैंने कहाः क्या मैं सारा ही आ जाऊँ? ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः सारा ही आ जाओ, और मैं अन्दर चला गया।

5001:— उस्मान ने बयान किया कि (ऊपर के क़िससे में) औ़फ़ बिन मालिक ने जो कहाः "मैं सारा ही अन्दर आ जाऊँ" यह इस वजह से था कि वह ख़ेमा छोटा सा था।

5002:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे यूँ पुकाराः ऐ दो कान वाले।

बाब {हँसी–हँसी में किसी की चीज़ ले लेना।}

5003:— अ़ब्दुल्लह बिन साइब बिन यज़ीद अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः तुम में से कोई शख़्स अपने भाई की कोई चीज़ हर्गिज़ न ले, न हँसी मज़ाक में और न हक़ीक़त में सच्चे तौर पर। सुलैमान बिन अ़र्ब्दुरहमान के शब्द थेः "न हँसी मज़ाक में और न ही वास्तव में" और जिस ने अपने भाई से कोई लाठी भी ली हो तो उसे वापस कर दे।

5004:— अ़र्ब्दुरहमान बिन अबू लैला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें बयान किया कि वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जा रहे थे तो उन में से एक शख़्स सो गया तो दूसरा उस से एक रस्सी लेने लगा जो उस के पास थी, तो वह डर गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि वह दूसरे मुसलमान को डराए।

बाब {मुँह बना कर तकल्लुफ़ से बातें करना।}

5005:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ऐसे आदमी से नाराज़ होता है जो (नाहक़) तेज़ ज़बान हो (यानी बहुत बातें बनाने वाला हो) अपनी ज़बान को ऐसे चलाए जैसे गाय चलाती है (और लपेट-लपेट कर घास खाती है)

5006:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बातें बनाने का ढन्ग सीखा कि वह इस के द्वारा लोगों के दिल मोह ले, तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उस का कोई नफ़्ल और फ़र्ज़ स्वीकार नहीं करेगा।

5007:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि पूरब की और से दो आदमी आये और

उन्होंने भाषण दिया तो लोगों को उन के अन्दाज़ पर बड़ा तअ़ज्जुब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बिला शुब्हा बयान जादू होते हैं।

5008:— अबू ज़बया से रिवायत है कि एक दिन एक आदमी ने ख़िताब किया(तक़रीर की, भाषण दिया) और बहुत बातें कीं, तो अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ ने कहा कि अगर यह अपनी तक़रीर में बीच की शैली अपनाता तो उस के लिये बेहतर होता। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थेः मैं ने समझा है, या (यह फ़रमाया कि) मुझे हुक्म दिया गया है कि बात-चीत में बीच की शैली इख़्तियार करुँ, क्योंकि बीच की चाल में सरासर भलाई ही भलाई है।

बाब {शेर–शायरी ;कविताद्ध का बयान।}

5009:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में किसी का पेट पीप से भर जाये यह उस के लिये बेहतर है कि कविताओं से भरे।

फ़ाइदा:— कविता को ओढ़ना-बिछैना बना लेना, सोते-जागते, उठते-बैठते छन्द और मिस्रे गढ़ना, हर समय इसी में डूबे रहना, यह तरीक़ा बुरा है और इस प्रकार की कविताओं से मना किया है।

5010:— उबिय्य बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बिला शुब्हा कई शेर (कवितायें) हिक्मत भरी होती हैं।

5011:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दीहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और अपने विशेष अन्दाज़ से बातें करने लगा तो आप ने फ़रमायाः बिला शुब्हा कई बयान जादू होते हैं और बिला शुब्हा कई शेर हिक्मत होते हैं।

5012:— सख़र बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने अपने पिता से उन्होंने दादा से रिवायत किया, वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "बिला शुब्हा बाज़ बयान जादू होते हैं और कई इल्म जिहालत। बेशक कई शेर हिक्मत होते हैं और कुछ क़ौल केवल बोझ।

इस पर सासअ़ा बिन सौहान ने कहाः सच फ़रमाया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने। आप का फ़र्मान कि "बाज़ बयान जादू होते हैं" इस की तफ़सील इस प्रकार है कि एक आदमी के ज़िम्मा कोई हक़ होता है (जिस का अ़दा करना ज़रुरी है) मगर वह चर्ब ज़बान है इसलिये लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता है और इस प्रकार हक़ मार लेता है (और अ़दा नहीं करता है) और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़र्मानः "बाज़ इल्म जिहालत होते हैं" यह इस प्रकार है कि कोई ज्ञानी उन कामों में जिन की उसे कोई ख़बर नहीं होती, तकल्लुफ़ से बात करता है तो जिहालत की बातें करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़र्मान "कई शेर हिक्मत होते हैं" तो इस से मुराद वह कवितायें हैं जिन में वाज़-नसीहत और अच्छे उदाहरण बयान होते हैं जिन से लोग नसीहत पाते हैं। और आप का कहनाः "कई बातें केवल

बोझ होती हैं" तो इस प्रकार कि आप अपनी बात ऐसे शख़्स के सामने पेश करने लगें जो उस के मिज़ाज और पसन्द के मुताबिक न हो, और न ही वह उस का चाहने वाला हो।

5013:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰, हस्सान रज़ि॰ के पास से गुज़रे जबकि वह मस्जिदे-नबवी में कविता पढ़ रहे थे तो उन्हें तेज़ नज़रों से देखा तो हस्सान ने कहाः मैं इस मस्जिद में शेर पढ़ा करता था और मस्जिदद में वह ज़ात भी मौजूद होती थी जो आप से कहीं अधिक अफ़ज़ल थी (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)

5014:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और इस में इतना और है कि फिर उमर रज़ि॰ को ख़याल पैदा हुआ कि यह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इजाज़त पेश कर देंगे, चुनान्चे उन्होंने उन को इजाज़त दे दी (कि वह मस्जिद में शेर पढ़ सकते हैं)

5015:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, हस्सान के लिये मस्जिद में मिंबर रखवा दिया करते थे, तो वह उस पर खड़े होकर नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बुराई बयान करने वालों की आलोचना किया करते थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हस्सान जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से बचव करें, जिब्रील उस के साथ हैं।

5016:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने "कवियों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं" (सूरः शुअ़रा-224) की तफ़सीर में फ़रमाया कि इस के आ़म अर्थ को मन्सूख़ कर के ईमान वालों को इस से अलग कर दिया है और फ़रमाया है "मगर वह लोग जो ईमान लाये, नेक कार्य किये और अल्लाह को बहुत याद किया"

बाब {सपनों का बयान।}

5017:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब फ़ज्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो पूछतेः क्या आज रात तुम में से किसी ने कोई सपना देखा है? और फ़रमाया करते थेः मेरे बाद नबुव्वत का कोई हिस्सा बाक़ी नहीं, सिवाए इस के कि किसी को नेक सपना आ जाये।

5018:— उबादा बिन समित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोमिन का सपना नबुव्वत का 46वाँ हिस्सा है।

5019:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब ज़माना क़रीब आ जायेगा तो मुसलमान का सपना झूठा नहीं होगा, और सब से सच्चा सपना उसी का होगा जो बात-चीत में सब से सच्चा होगा। सपने तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा सपना अल्लाह पाक की तरफ़ से बेशारत होता है। और एक सपना शैतान की तरफ़ से रन्जीदा करने वाला होता है। और एक सपना बन्दे के अपने ख़याल और वहम होते हैं। तो जब कोई सपने में

कोई बुरी चीज़ देखे तो चाहिये कि उठ खड़ा हो, नमाज़ पढ़े और लोगों से बयान न करे। और अबू हुरैरा रज़ि॰ ने फ़रमायाः मैं सपने में पाँव में बेड़ियाँ देखना पसन्द करता हूँ, जबकि गले में तौक़ देखना बुरा जानता हूँ। पाँव में बेड़िया देखना दीन में जमे रहने की पहचान है।

5020:— अबू रज़ीन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सपना गोया कि परिन्दे के पाँव पर है जब तक कि उस की ताबीर न बयान कर दी जाये। चुनान्चे जब ताबीर बयान कर दी जाती है तो (वह उसी प्रकार) हो जाती है। और मेरा ख़याल है कि आप ने फ़रमायाः उसे अपने किसी मुहब्बत करने वाले (मुख़्लिस) या अ़ालिम के अ़लावा किसी से हर्गिज़ न बयान करो।

5021:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः अच्छा सपना अल्लाह पाक की तरफ़ से और बुरा सपना शैतान की तरफ़ से होता है। चुनान्चे जब कोई शख़्स कोई नापसन्द चीज़ देखे तो चाहिये कि अपने बायें तरफ़ तीन बार थूके, फिर उस की बुराई से अल्लाह की पनाह माँगे, तो वह सपना उसे कोई हानि नहीं पहुँचायेगा।

5022:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई ऐसा सपना देखे जो उसे बुरा लगे, तो उसे चाहिये कि अपने बायें तरफ़ थूक दे और तीन बार शैतान की बुरई से अल्लाह की पनाह तलब करे, और कर्वट बदल ले।

5023:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने मुझे सपने में देखा वह बहुत जल्द मुझे जगाते में भी देखेगा। या यह फ़रमायाः उस ने गोया मुझे जागते में देखा। और शैतान मेरी सूरत नहीं इख़्तियार कर सकता (मेरा रुप नहीं धारण कर सकता)

5024:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कोई चित्र बनाया तो अल्लाह पाक उस के बनाने की वजह से क़ियामत के दिन दन्ड देगा, यहाँतक कि उस में रुह फूँके, मगर वह फूँक न सकेगा। और जिस ने झूठा यह दावा किया है कि उस ने यह सपना देखा है तो उसे मजबूर किया जायेगा कि जौ के दाने में गाँठ बाँधे (और यह असंभव है) और जिस ने किसी क़ौम की बात सुनने की कोशिश की जबकि वह अपनी बात करने के लिये उस से दूर हो रहे हों तो क़ियामत के दिन उस के कान में सीसा डाला जायेगा।

5025:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने आज रात देखा कि गोया हम उक़्बा बिन राफ़े रज़ि॰ के घर में हैं और हमें (मदीना की सब से अच्छी) ताज़ा ख़जूर इब्ने ताब दिया गया है। मैंने इस सपने की यह ताबीर ली है कि हमें दुनिया में बुलन्दी हासिल होगी और आख़िरत में भी अन्त अच्छा होगा, और हमारा दीन भी खूब (फल-फूल गया) है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम राफ़े से बुलन्दी, उक़्बा से अच्छा अन्जाम

और इब्ने ताब से अच्छा और बेहतरी मुराद लेकर ताबीर बयान की।

बाब {जुमाई का बयान।}

5026:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी को जुमाई आये तो वह अपना मुँह बन्द रखे, क्योंकि उस में शैतान दाख़िल हो जाता है।

5027:— सहल रह॰ से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है (मगर इस में इतना और है कि) जुमाई अगर नमाज़ में आये तो जहाँ तक हो सके मुँह बन्द रखने की कोशिश करे।

5028:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाय: अल्लाह पाक छींक के पसन्द और जुमाई को नासपसन्द करता है। चुनान्चे जब किसी को जुमई आये तो जहाँ तक हो सके उसे रोकेऔर हा-हा की आवाज़ न निकाले। जुमाई शैतान की तरफ़ से होती है और वह उस से हँसता है।

बाब {छींक का बयान।}

5029:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आप अपने मुँह पर अपना हाथ, या कोई कपड़ा रख लेते, और अपनी आवाज़ को कम रखते।

5030:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान भाई के लिये पाँच बातें वाजिब हैं। सलाम का जवाब देना, छींक आने पर दुआ़ देना, दावत कुबूल करना, बीमार पुर्सी करना, जनाज़े में शरीक होना।

बाब {छींक क जवाब किस प्रकर दिया जाये।}

5031:— हिलाल बिन यसाफ़ कहते हैं कि हम लोग सालिम बिन उबैद रज़ि॰ के पास बैठे थे कि मज्लिस में से किसी को छींक आयी तो उस ने कहा: अस्सलामु अलैकुम (तुम पर सलामती हो) तो सालिम ने कहा: तुम पर और तुम्हारी माँ पर भी (सलामती हो) फिर इस के बाद फ़रमया: शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? उन्होंने कहा: आप मेरी माँ का किसी तौर पर .... अच्छाई या बुराई के साथ......ज़िक्र न करते तो अच्छा था। उन्होंने कहा: मैंने तो तुम से वही बात कही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कही थीं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि किसी को छींक आ गयी तो उस ने कहा: अस्सलामु अ़लैकुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जवाब दिया: तुम पर और तुम्हारी माँ पर भी। आप ने फिर फ़रमाया: जब तुम में से किसी को छींक आये तो चाहिये कि अल्हम्दु लिल्लाह कहे। और जो दूसरा उस के पास हो उसे चाहिये कि यूँ कहे: यर-हमुकल्लाहु। और फिर छींक मारने वाला उन लोगों को उत्तर दे यगफ़िरुल्लाहु लना व-लकुम् (अल्लाह हमें और आप सब को माफ़ फ़रमा दे)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ हैं, सहीह मस्अला हदीस न॰ 5033 में आ रहा है।

5032:— ख़ालिद बिन उरफुत ने सालिम बिन उबैद से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (ऊपर की हदीस की तरह) रिवायत बयान की।

5033:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को छींक आये तो चाहिये कि कहेः

अल्–हम्दु लिल्लाहि अ़ला कुल्लि हालिन्

और उस के भाई या साथी को चाहिये कि कहेः

यर्–हमु–कल्लाहु

और फिर वह जिसे छींक आयी है कहेः

यह्दि–यकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बा–लकुम्

बाब {कितनी बार छींक का जवाब दे।}

5034:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयन किया कि अपने भाई को उस की छींक आने पर तीन बार जवाब दे और जो उस से ज़्यादा होतो फिर उस को र्सदी हो गयी है।

5035:— सअ़ीद बिन अबू सअ़ीद ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत किया और कहा कि मुझे यही मालूम है कि उन्होंने इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब किया और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

5036:— हुमैदा या उबैदा बिन्त उबैद बिन रिफ़आ़ अपने पिता से रिवायत करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया, आप ने फ़रमायाः छींक मारने वाले को तीन बार जवाब दो, फिर इस के बाद (उस को छींक आये तो) जवाब देना चाहो तो दो, और अगर चाहो तो छोड़ दो।

5037:— अयास बिन सलमा बिन अकवा से रिवायत है कि वह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में छींका तो आप ने उसे दुआ़ दी और फ़रमायाः यर्–हमु–कल्लाहु। उस ने फिर छींक मारी तो आप ने फ़रमायाः इसे सर्दी हो गयी है।

फ़ाइदा:— एक ही बार का उत्तर देने का सबूत है, इस के बाद नहीं (मुस्लिम–2993)

बाब **{कोई ग़ैर मुस्लिम छींक मारे तो किस प्रकर उत्तर दे।}**

5038:— अबू बुर्दा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में जान–बूझ कर छींकते थे और उम्मीद करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें उत्तर देते हुसे "यर्–हमु–कल्लाहु" कहेंगे। मगर आप उन्हें यूँ उत्तर देतेः

यह्दि–यकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बा–लकुम"

फ़ाइदा:— ग़ैर मुस्लिम को छींक के उत्तर में यही कहना चाहिये।

बाब **{जो शख़्स छींक आने पर अल्हम्दु लिल्लाह न कहे।}**

5039:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में दो आदमियें को छींक आयी तो आप ने एक को जवाब दिया और दूसरे को न दिय। आप से कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! दो आदमियों ने छींक मारी मगर आप ने केवल एक को जवाब दिया है......और दूसरे को छोड़ दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ने अल्लाह की हम्द की है (जिस को मैंने जवाब दिया है) और उस ने अल्लह की हम्द नहीं की है (जिस को मैंने जवाब नहीं दिया है।)

❀ ❀ ❀

(00) सोने से संबन्धित अहकाम व मसाइल

बाब {.......औंधे मुँह पेट के बल सोना (मक्रुह है)}

5040:— यअ़ीश बिन तिख़फ़ा का बयान है कि मेरे पिता जी (तिख़फ़ा) सुफ़्फ़ा वालों में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः हमारे साथ आ़इशा के घर चलो। हम लोग चले। आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! हमें कुछ खिलाओ। चुनान्चे वह जशीशा खाना ले आयीं जिसे हम लोगों ने खाय। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशाः हमें और खिलाओ। तो वह हैस खाना ले आयीं जो बहुत थोड़ा सा था जैसे चिड़िया हो। हम ने उसे भी खाया। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! हमें कुछ पिलाओ। चुनान्चे वह दूध का प्याला लायीं और हम ने पिया। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! हमें और पिलाओ। इस पर वह एक छोटा प्याला ले आयी जिस में से हम ने पिया। फिर आप ने फ़रमायाः अगर चाहो तो सो जाओ और चाहो तो मस्जिद चले जाओ। तिख़फ़ा ने बयान किया कि मैं मज्सिद में औंधे मुँह अपने पेट के बल लेटा हुआ था कि फेफड़े में तक्लीफ़ थी तो अचानक मैंने पाया कि किसी ने मुझे अपने पँव से हर्कत दी है और कह रहा है "इस प्रकार सोना अल्लाह पाक को नापसन्द है।" उन्होंने कहा कि फिर मैंने देखा तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे।

फ़ाइदा:— "जशीश" गेहूँ पीस कर हँडिया में डाल दें, जब वह पकने लगे तो उस में गोश्त या खजूर अदि डाल कर खूब पकाए, जिस प्रकार हलीम पकाया जाता है, जो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। मालूम हुआ कि पेट के बल सोना दुरुस्त नहीं। अफ़ज़ल यह है कि दायें कर्वट सोया जाये।

बाब {ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई मुँडेर न हो।}

5041:— अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता अ़ली बिन शैबान रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स किसी ऐसी छत पर सोए जिस पर कोई मुँडेर न हो तो उस से ज़िम्मा उठ गया।

फ़ाइदा:— यानी गिरने, पड़ने और मरने का ज़िम्मेदार वह खुद होगा। इस प्रकार की नन्गी छत पर सोना जाइज़ नहीं।

बाब {वुजू कर के सोने (की फ़ज़ीलत) का बयान।}

5042:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया: जो शख़्स वुजू कर के अल्लाह का ज़िक्र करते हुये सो जाये और फिर रात को किसी समय उस की आँख खुले (और बिस्तर पर अपना पहलू बदले) और अल्लाह पाक से दुनिया और आख़िरत की कोई भलाई माँग ले तो अल्लाह पाक उसे दे देगा।

साबित बुनानी कहते हैं कि हदीस के रावी अबू ज़बया हमारे यहाँ आये और उन्होंने हमें यह हदीस मआज़ बिन जबल रज़ि॰ के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान की। साबित ने कहा कि एक शख़्स ने बताया कि मैंने बड़ी मेहनत की है कि रात को उठूँ और ऐसी कोई दुआ़ कर लूँ, मगर मैं इस में कामियाब नहीं हो सका।

फ़ाइदा:— कौन सी दुआ़ पढ़ी जाये? देखें हदीस न॰ 5060।

5043:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को उठ कर पाख़ाना-पेशाब के लिये गये, फिर अपना चेहरा और हाथ धोया और सोगये। (यानी वुजू कर के सो गये;

बाब {......(सोते हुये) अपना रुख़ किधर करे?}

5044:— अबू क़िलाबा ने उम्मे सलमा रज़ि॰ के खान्दान में से किसी व्यक्ति से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिछौना ऐसे बिछाया जाता था जैसे कि इन्सान क़ब्र में रखा जाता है और मस्जिद आप के सर की तरफ़ होती थी।

बाब {सोते हुये कौन सी दुआ़ पढ़े?}

5045:— हफ़सा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमजब सोने का इरादा करते तो अपना दायाँ हाथ अपने गाल के नीचे रख लेते, फिर यह दुआ़ पढ़ते:

अल्लाहुम्म क़िनी अ़ज़ा—ब—क यौ—म तब्—अ़सु इबा—द—क

(ऐ अल्लाह! जिस दिन तू अपने बन्दों को उठाए मुझे अपने दन्ड से सुरक्षित रखना)

यह कलिमे तीरन बर दोहराते।

5046:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया: जब अपने बिस्तर पर जाने लगो तो वुजू कर लिया करो जैसे नमाज़के लिये करते हो, फिर अपने दायें कर्वट पर लेट जाओ और कहो:

अल्लाहुम्म अस्—लमतु वज्ही इलै—क व—फ़व्वतु अम्री इलै—क, व—अल् जातु ज़हरी इलै—क, रह्—ब—तन व—रग्—ब—तन् इलै—क,

ला–मल्–ज–अ वला मन्–ज–अ मिन् इल्ला इलै–क, आ–मन्तु बिकिता बि–कल्लज़ी अन्–ज़ल–त ब–नबिय्यि–कल्लज़ी अर्–सल्–त

आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया: अगर तू इस रात मर गया तो दीन इस्लम पर मरेगा और चाहिये कि यह तेरी आख़िरी बात हो (इस के बाद कोई और बातचीत न हो) बरा रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने इस दुआ़ को याद करते हुये दोहराया तो यह पढ़ लिया: व्बि–ससूलि–कल्लज़ी अर्–सल्–त" तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया: नहीं, (बिरसूलि–क नहीं, बल्कि) नबिय्यि–क.....पढ़ो।

5047:— बर बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया: जब तुम अपने बिस्तर पर आने लगो और वुज़ू से हे तो अपनी दाहिनी तरफ़ पर लेटो. .....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

5048:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की। सुफ़यान ने (अपने उस्ताद आमश और मन्सूर के बरे में) कहा कि उन में से एक के अल्फ़ाज़ यह थे: "जब तुम वुज़ू कर के अपने बिस्तर पर आओ" और दूसरे उस्ताद ने कहा: "जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इराद करो ते वुज़ू कर लो जैसे कि नमाज़ के लिये करते हो" और मोतमर (की हदीस न॰ 5046) की तरह रिवायत किया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सोने से पहले नमाज़ वाला वुज़ू करन, दायें कर्वट लेटना, मस्नून दुआयें पढ़ना सुन्नत है, दुआ़ के बाद बात–चीत न की जाये। दुआ़ के शब्दों में अपनी तरफ़ से कोई तबदीली न की जये, अगर दुआ़ में "नबी" है तो उसे "रसूल" न पढ़ा जाये। माता–पिता ख़ास कर इस तरफ़ तवज्जोह दें और बच्चों को याद करायें।

5049:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किय कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सोने लगते तो यह दुआ़ पढ़ते:

अल्लाहुम्म बिस्मि–क अमूतु व–अह्या (ऐ अल्लाह! तेरे ही नाम से मैं ज़िन्दा होता और मरता हूँ) यानी सोता और जागता हूँ।

और जब जागते तो यह दुआ़ पढ़ते।

अल्–हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बा–द मा अमा–तना वइलैहिन्नुशूरु (तमाम तरीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें मारने के बाद ज़िन्दा किया (यानी नींद के बाद जगाया) और उसी की तरफ़ उठना है।

5050:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आने लगे तो चाहिये कि अपने बिस्तर को अपनी चादर के पल्लू से झाड़ ले। क्या ख़बर कि इस के बाद उस पर कोई चीज़ आ गयी हो, फिर अपने दायें कर्वट लेट कर यह दुआ़ पढ़े:

बिस्मि–क रब्बी व–ज़ातु जन्बी वबि–क अर्–फउहू इन् अम्–सक्–त नफ़्सी फ़र्–हम्हा, वइन्–अर्–सल्–तहा फ़ह्–फ़ज़्हा बिमा तह्–फ़ज़ु बिहिस्सा लिही–न मिन् इबादि–क (तेरे ही नाम से ऐ मेरे मौला! मैंने अपना पहलू रखा है और तेरे ही नाम से इसे उठाऊँगा। अगर तू मेरी जान को रोक ले (मौत दे दे) तो उस पर रहम फ़रमा और अगर छोड़ दे तो उस की हिफ़ाज़त फ़रमा, जिस प्रकार तू अपने नेक बन्दों की सुरक्षा फ़रमाता है)

5051:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते तो यह दुआ पढ़ते थे:

अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति व–रब्बल् अर्ज़ि व–रब्ब कुल्लि शैइन् .... फ़ालि–क़ल् हब्बि वन्नवा, मुन्ज़ि–लत्तौरति वल् इन्जीलि वल् कुरआनि, अऊज़ुबि–क मिन् शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन अन्–त आख़िज़ुन् बिनासि–यतिही, अन्–तल् अव्वलु फ़लै–स क़ब्–ल–क शैउन्, व–अन्–तल् आख़िरु फ़लै–स बा–द–क शैउन्, व–अन्–तज़्ज़ाहिरु फ़लैस फ़ौ–क़–क शैउन्, व–अन्–तल् बाति–नु फ़लै–स दू–न–क शैउन्

5052:— अली रज़ि॰ से रिवयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते समय यह कलिमे पढ़ा करते थे:

अल्लहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–वजहि–कल् करीमि, व–कलि माति–कत्ताम्मति मिन् शर्रि मा अन्–त आख़िज़ुन् बिनासि–यतिही, अल्लाहुम्म अन्–त तक्शिफ़ुल् मग़–र–म वल्मासि–म, अल्लाहुम्म ला युह्–ज़मु तुन्दु–क वला युख़्–लफ़ु वादु–क वला यन्–फ़ऊज़ल्–जद्दि मिन्–कल् जद्दु, सुब्हा–न–क वबि–हम्दि–क

5053:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आते तो यह दुआ पढ़ते थे:

अल्–हम्दु लिल्ला हिल्लज़ी अत्–अ–मना व–सक़ाना व–कफ़ाना वआवाना, फ़–कम् मिम्मन् ला कफ़ि–य लहू वलामुवि–य

5054:— अबू अज़हर अनमारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सेने लगते तो यह दुआ पढ़ते:

बिस्मिल्लाहि व–ज़ातु जन्बी अल्लाहुम्म इग़फ़िरली ज़न्बी वख़्सा शैतानी व–फ़ुक्क रिहानी वज्–अल्नी फ़िन्न दिय्यिल् आला

5055:— फ़रवा बिन नौफ़ल अपने पिता नौफ़ल से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौफ़ल से फ़रमाया था: सूरः काफ़िरुन पढ़ो और इसी पर अपनी बात–चीत समाप्त

कर के सो जाओ, बेशक इस में शिर्क से बेज़ारी का इज़हार है।

5056:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर रात जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को इकट्ठा कर के उन में सूरः अहद, सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़ कर दम करते और फूँक मारते, फिर उन्हें जहाँ तक हो सकता पूरे शरीर पर फेरते। पहले अपने सर, चेहरे और अगले हिस्से से आरंभ करते और तीन बार ऐसा करते।

5057:— इरबाज़ बिन सारिय रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोने से पहले "मुसब्बिहात" की तिलावत फ़रमाया करते थे। और आप ने फ़रमायाः उन में एक आयत है जो हज़ार आयतों से अफ़ज़ल है।

फ़ाइदा:— "मुसब्बिहात" से मुराद वह सूरतें जिन के शुरु में सुब्हान, सब्बह, युसब्बिहु हो, जैसे बनी इस्राईल, सूरः हदीद, हश्र, सफ़्फ़, जुमा, तग़ाबुन् और आला। यह कुल सात सुरतें हैं।

5058:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने इब्ने बुरैदा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते तो यह दुआ़ पढ़ते थेः

अल्–हम्दु लिल्ला हिल्ल्ज़ी कफ़ानी वआ़वानी व–अत–अ़–मनी व–सक़ानी.

....

5059:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स कहीं लेटा हो और वहाँ अल्लाह का ज़िक्र न किया हो तो क़ियामत के दिन उसे हसरत और अफ़सोस होगा। और जो शख़्स कहीं बैठा हो और वहाँ अल्लाह पाक का ज़िक्र न किया हो तो क़ियामत के दिन उसे हसरत और अफ़सोस होगा।

बाब {रात को जब आँख खुले तो कौन सी दुआ़ पढ़े?}

5060:— उबाद बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रात के समय जिस की आँख खुल जाये और वह जाग कर यह कलिमे पढ़ेः

लाइला–ह इल्लल्लाहु वह–दहू ला शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–हुल् हमदु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+ सुबहा–नल्लाहि, वल–हम्दु लिल्लाहि, वला इला–ह इल्लल्लाहु, वल्लाहु अक्–बरु वला हौ–ल वला कुव्व–त इल्ला बिल्लाहि

फिर पढ़ेः

रब्बिग़ फ़िर्ली

इमाम अबू दावूद ने कहा कि वलीद ने कहा कि कोई सी दुआ़ पढ़ ले तो क़ुबूल होगी। और अगर उठ कर खड़ा हो, वुज़ू करेऔर नमाज़ पढ़े तो उस की नमाज़ क़ुबूल होगी।

5061:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को

जागते तो यह दुआ़ पढ़ते थेः

लाइला–ह इल्ला अन्–त सुब्हा–न–क अल्लाहुम्म अस्–तग़फ़िरु–क लि–ज़म्बी, व–अस्–अलु–क रह्–म–त–क, अल्लाहुम्म ज़िद्नी इल्–मन्.

....

बाब {सोते समय तस्बीह पढ़ने का बयान।}

5062:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़ातिमा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से चक्की की वजह से हाथों में तकलीफ़ का जिक्र किया। फिर आप के पास कुछ गुलम आये तो फ़ातिमा रज़ि॰ आप के पास आयीं कि आप से कोई सेवक माँग लें मगर आप न मिले तो आ़इशा रज़ि॰ को बताया। जब आप तशरीफ़ लाये तो आ़इशा ने आप से ज़िक्र किया तो आप हमारे घर तशरीफ़ लाये उस समय हम लोग अपने बिस्तरों में जा चुके थे, आप आये तो हम लेग उठने लगे, लेकिन आप ने फ़रमायाः अपनी–अपनी जगह पर ही रहो। फिर आप आकर हमारे बीच बैठ गये यहाँ तक कि मैंने आप के पैरों की ठन्डक अपने सीने में महसूस की। आप ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊँ जो तुम्हरे लिये उस चीज़ से बहुत बेहतर हो जिस का तुम ने मुतालबा किया है? जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, यह तुम्हारे लिये नौकर से कहीं बेहतर है।

5063:— अ़ली रज़ि॰ ने इब्ने आबद से कहाः मैं तुम्हें अपनी और फ़ातिमा की बात बताता हूँ। फ़ातिमा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सब से बढ़ कर महबूब (प्यारी) थीं और मेरे निकाह में थीं, वह अपनी चक्की चलाती थीं जिस से उन के हाथों में काले निशान पड़ गये थे, घर में झाड़ू देने से कपड़े खराब हो जाते थे, हाँड़ी के नीचे आग जलाती थी तो इस से कपड़े गन्दे हो जाते थे और इस से उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी। हम ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आये हैं तो मैंने फ़तिमा से कहाः तुम अपने पिता जी के पास जाओ और उन से किसी नौकर के बारे में कहो जो तुम्हारे काम कर दिया करे। चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गयीं तो मालूम हुआ कि आप के पास कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं तो उन्हें भी बात करने में शर्म आयी और वापस लौट आयीं। अगली सुब्ह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुद ही हमारे घर तशरीफ़ लाये उस समय हम चादर ओढ़े हुये थे, चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ातिमा के सर के पास बैठ गये तो उन्होंने अपने पिता से शर्म के कारण सर चादर में डाल लिया। आप ने पूछाः कल तुम्हारा आले मुहम्मद के यहाँ क्या काम था? यह सुन कर वह ख़ामोश रहीं। आप ने दोबरा पूछाः तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बतला देता हूँ। बात यह है कि मेरे घर में यह चक्की पीसती हैं जिस से उन के हाथों में काले दाग़ पड़ गये हैं, मश्क उठा कर पानी भर कर लाती हैं जिस से सीने पर निशान पड़ गये हैं, घर में झाड़ू देती हैं जिस से कपड़े गन्दे हो जाते हैं। हमें मालूम हुआ है कि आप के पास गुलाम या नौकर आये हैं, तो मैंने उन से कहा कि आप से किसी नौकर के बारे में मालूम कर लें... ...ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। और ऊपर की हदीस ज़्यादा क़ामिल है।

5064:— अ़ली रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले से यह ख़बर बयान की, इस में है कि अ़ली रज़ि॰ ने कहाः जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (तबीह वाला अ़मल) सुना है, उन्हें कभी नहीं छोड़ा। केवल सिफ़्फ़ीन की रात को यह मुझे रात के अन्तिम पहर याद आयीं तो मैंने उन्हें उस समय पढ़ा।

5065:— अ़ब्दुल्लह बिन अ़म्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दो अ़मल ऐसे हैं कि अगर कोई मुसलमान बन्दा उन की पाबन्दी कर ले तो जन्नत में दाख़िल होगा। और वह बहुत आसान हैं मगर उन पर अ़मल करने वाले बहुत कम हैं (एक यह है कि) हर नमाज़ के बाद दस बार सुब्हानल्लाह, दस बार अल्हम्दुलिल्लाह, दस बार अल्लाहु बकबर कहे तो ज़बान से अ़दा करने के एतबार से एक सौ पचस (150) बार है (मज़मूअ़ी तौर पर पाँचों नमाज़ों के बाद (तराजू में एक हज़र पाँच सौ होंगे) जब सोने लगें तो 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हमदुलिल्लाह, और 33 बार सुब्हानल्लाह कहे। ज़बानी तौर पर यह एक सौ बार है, मगर तराजू में यह 100 होंगी। मैंने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से गिनते थे। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह कैसे है कि यह अ़मल आसान है मगर करने वाले थोड़े हैं? आप ने फरमायाः सोते समय में किसी के पास शैतान आ जाता है और पहले इस से कि वह यह तस्बीह पूरी कर ले तो वह उसे सुला देता है और इसी तरह नमाज़ में शैतान आ जाता है और उसे कोई काम याद दिला देता है तो वह उन्हें पढ़े बग़ैर ही उठ जाता है।

5066:— उम्मे हकम के बेटे या जुबैर की बेटी जुबाअ़ा से रिवायत है (उम्मे हकम और जुबाअ़ा यह देनों जुबैर बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेटियाँ हैं) कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ बन्दी आये तो मैं, मेरी बहन और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुयीं। हम ने आप के सामने अपनी परेशानियों को बयान किया और हम ने कहाः कि उन बन्दियों में से नौकर हमें भी दिये जाने का हुक्म दें तो आप ने फ़रमायाः बद्र के यतीम लोगा तुम से पहले ले चुके हैं। फिर तस्बीह वाला क़िस्सा बयान किया। और इस रिवायत में हर नमाज़ के बाद का बयान है, सोते समय का ज़िक्र नहीं है।

फ़ाइदाः— यह हदीस पीछे गुज़र चुकी है देखें हदीस न॰ 2987।

बाब {सुब्ह के समय की दुआ़यें।}

5067:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! मुझे कोई दुआ़ बतायें जिसे मैं सुब्ह-शम पढ़ा करुँ। आप ने फ़रमायाः यह पढ़ा करोः

अल्लहुम्म फ़ातिरिस्समा वाति वल् अर्ज़ि आ़लि–मल् गैबि वश्शहा–दति
रब्ब कुल्लि शैइन् वमली–कहू, अश्–हदु अल्ल इला–ह इल्ला अन्–त
अऊज़ुबि–क मिन्–शर्रि नफ़्सी वशर्रिश्शैतानि व शिर्किही

5068:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सुब्ह

होती तो यह दुआ पढ़ते थेः

अल्लाहुम्म बि–क अस्–बह्ना वबि–क अम्सैना वबि–क नह्या वबि–क नमूतु वइलै–कन्नुशुरु

और शाम के समय यह दुआ पढ़तेः

अल्लाहुम्म बि–क अम्सैना वबि–क नह्या वबि–क नमूतु वइलै–कन्नुशुरु

5069:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह या शम के समय यह दुआ पढ़ ले तो अल्लाह पाक उस का चौथाई हिस्सा आग से आज़ाद फ़रमा देगा। और जो शख़्स इसे दो बर पढ़े अल्लह पाक उस का आधा हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा। और जो शख़्स इसे तीन बार पढ़ेगा अल्लाह पाक उस का चौथाई हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा। और जो शख़्स चार बार पढ़ेगा तो अल्लाह पाक मुकम्मल तौर पर आग से आज़ाद कर देगा (दुआ यह है)

अल्लाहुम्म इन्नी अस्–बह्तु उश्हिदु–क वउश्हिदु ह–म–ल–त अ़र्शि–क वमलाइ–क–त–क वजमी–अ़ ख़ल्कि–क इन्न–क अन्–तल्लाहु ला–इला–हइल्ला अन्–त व–अन्न मु–हम्म–दन् अ़ब्दु–क व–रसूलु–क

5070:— अ़ब्दुल्लाह अपने पित बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह या शाम के समय यह दुआ पढ़ ले और फिर अपने उस दिन या रात में मर जाये तो जन्नत में दाख़िल होगा (शब्द यह हैं)

अल्लाहुम्म अन्–त रब्बी लाइला–ह इल्ला अन्–त ख़–लक्–तनी वअना अ़ब्दु–क व–अना अ़ला अ़ह्दि–क ववादि–क मस्–त–तातु अऊज़ुबि–क मिन शर्रि मा सनातु अबूउ ल–क बिने–मति–क व–अबूऊ बि–ज़म्बी फ़ग्फ़िर् ली इन्नहू ल यग्फ़िरुज़्ज़ुनू–ब इल्ला अन्–त

5071:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शाम के समय यह दुआयें पढ़ा करते थेः

अम्सैना व–अम्–सल् मुल्–क लिल्लाहि वल्–हम्दु लिल्लाहि, लाइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ल श–क लहू........

जरीर की रिवायत में इज़ाफ़ा है। लेकिन ज़बीद ने कहा कि इब्राहीम बिन सुवैद कहा करते थे

लाइला–ह इल्ल्ल्लाहु वह्–दहू ला शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+ रब्बि अस्–अलु–क ख़ै–र मा फ़ी हाज़िहिल्लैलति वख़ै–र मा बादहा+ व–अऊज़ुबि–क मिन् शर्रि मा फ़ी हाज़िहिल्लै–लति व–शर्रि मा ब–दहा+रब्बि अऊज़ुबि–क मि–नल् कस्लि वमिन् सूइल किब्रि, अविल् कुफ़रि+ रब्बि अऊज़ुबि–क मिन् अ़ज़ाबिन् फ़िन्नारि वअ़ज़ाबिन् फ़िल् क़ब्रि+

और जब सुब्ह होती तो भी इसी प्रकार कहा करते थे:

अस्–बह्ना व–अस्–ब–हल् मुल्कु लिल्लाहि..

5072:– अबू सलाम हिम्स की मस्जिद में बैठे हुये थे कि उन के पास से एक शख़्स गुज़रा, तो लोगों ने बताया कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ख़ादिम (सेवक) रहा है इस पर अबू सलाम उस के पस उठ कर गये और कहा: मुझे ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमाया: जो शख़्स सुब्ह या शम को यह दुआ़ पढ़ लिया करे:

रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् वबिल् इस्लामि दी–नन् वबिमु–हम्मदिन् रसू–लन्

तो अल्लाह पाक को यह हक़ होगा कि वह उसे राज़ी कर दे।

5073:– अ़ब्दुल्लाह बिन ग़न्नाम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने सुब्ह के समय यह कह लिया:

अल्लाहुम्म मा अस्–ब–ह बी मिन् ने–मतिन् फ़मिन्–क वह्–द–क ला शरी–क– ल–क, फ़–ल–कल् हम्दु व–ल–कश्शुक्रु

तो उस बन्दे ने अपने उस दिन का शुक्र अ़दा कर लिया। और जिस ने शाम के समय इसी प्रकार पढ़ लिया तो उस ने अपनी उस रात का शुक्र अ़दा कर लिया। और जिस ने शाम के समय इसी प्रकार पढ़ लिया तो उस ने अपनी उस रात का शुक्र अ़दा कर दिया।

5074:– इब्ने उमर रज़ि० फ़रमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शाम को और सुब्ह के समय यह दुआ़यें पढ़नी न छोड़ा करते थे (हमेशा पढ़ा करते थे)

अल्लाहुम्म इन्नी अस्–अलु–कल् आ़फ़ि–य–त फ़िद्दुनिया वल् आख़ि–रति अल्लाहुम्म इन्नी अस्–अलु–कल् अफ़–व वल् आ़फ़ि–य–त फ़ी दीनी व दुन्या–य व–अह्ली वमाली, अल्लाहुम्मस्तुर औ़–रती......

उस्मान बिन शैबा के अल्फ़ाज़ यह हैं:

अल्लाहुम्मस्तुर औ़राती वआमिन् रौआ़ती अल्लाहुम्मह् फ़िज़नी मिन् बैनि य–दय्य वमिन ख़ल्फ़ी, वअ़न यमीनी व–अ़न शिमाली वमिन फ़ौक़ी व–अऊज़ु बि–अ़ज़–मति–क अन् उग़ता–ल मिन् तह्ती+

5075– अ़ब्दुल हमीद मौला बनी हाशिम से रिवायत है कि उन की माता जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की किसी बेटी की सेवा किया करती थीं चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उन बेटी ने उन से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें सिखाया करते थे और फ़रमाते थे कि जब तुम सुब्ह करो तो यह कहा करो:

सब्हा–नल्लाहि वबि–हम्दिही, ला कुव्व–त इल्ला बिल्लाहि, माशा–अल्लाहु

का–न वमा–लम् यश–अ लम् यकुन्, आ–लमु अन्नाल्ला–ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+ व–अन्नल्ला–ह क़द अहा–त विकुल्लि शैइन् इल्मा

5076:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह के समय (सूरः रुम की) यह आयतें पढ़ लें तो वह अपने उस दिन की खोई हुयी नेकियाँ हासिल कर लेगा (वह आयतें यह हैं)

फ़सुब्हा–नल्लाहि ही–न.......(सूरः रुम–17, 18, 19)

5077:– इब्ने अबू आ़इश से रिवायत है, जबकि हम्माद की रिवयत में है कि अबू अ़याश ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह के समय यह कह लेः

लाइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ला–शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+

तो उसे इस्माअ़ील अ़लै॰ की औलाद में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उस के लिये दस नेकियाँ लिखी जयेंगी, दस ग़लतियाँ मिटा दी जायेंगी, दस दर्जे बुलन्द किये जायेंगे, और शम तक शैतान से सुरक्षित रहेगा। और अगर शाम को यह पढ़ ले तो सुब्ह तक के लिये यही सब कुछ होगा।

हम्माद की रिवायत में है कि एक आदमी ने सपने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अबू अ़याश आप से इस प्रकार रिवायत करते हैं, तो आप ने फ़रमायाः अबू अ़याश ने सच कहा।

5078:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह के समय यह पढ़ लेः

अल्लाहुम्म इन्नी अस्–बह्तु उश्हिदु वउशहिदु ह–म–ल–त अ़र्शि–क वमलाइ–क–त–क व–जमी–अ़ ख़ल्क़ि–क इन्न–क अन्–तल्लाहु लाइला–ह इल्ला अन्–त–वह्–द–क ला शरी–क ल–क व–अन्न मु–हम्म–दन् अ़ब्दु–क व–रसूलु–क

तो अल्लाह पाक उस दिन में बन्दा जो गुनाह करेगा माफ़ फ़रमा देगा। और अगर शम को इसे पढ़ ले तो उस रात में जो भी गुनाह उस से होंगे, वह माफ़ कर दिये जायेंगे।

5079:– मुस्लिम बिन हारिस तमीमी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से राज़दारी के अन्दाज़ में फ़रमायाः जब तुम मग़्रिब की नमाज़ से फेरो और सात बार

अल्लाहुम्म अजिरनी मि–नन्नारि

कह लिया करो, और उसी रात मर जाओ तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा। और जब सुब्ह की नमाज़ पढ़ चुको तो इसी प्रकार कह लिया करो तो अगर तुम उस दिन मर गये

तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा।

5080:— अ़ब्दुर्रहमान बिन हस्सान कनानी ने रिवायत किया कि मुझे मुस्लिम बिन हारिस तमीमी ने अपने पिता से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया......मगर इस में अल्लाहुम्म अजिरनी मि–न्नारि...... (सलाम के बाद) किसी से बात करने से पहले पढ़ने का ज़िक्र है।

5081:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जिस ने सुब्ह और शाम के समय सात बार कह लिया

हस्बि–यल्लाहु लाइला–ह इल्ला हु–व अ़लैहि त–वक्कल्तु वहु–व रब्बुल अर्शिल अ़ज़ीमि

तो अल्लाह पाक उस की परेशानियों में उस की सहायता करेगा, चाहे उस ने दिल से यह कलिमा कहा हो या झूठे दिल से।

5082:— मआ़ज़ बिन अ़ब्दुल्लाह अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि हम एक वर्षा वाली और सख़्त अन्धेरी रात में निकले जबकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ढूँढ़ रहे थे ताकि हमें नमाज़ पढ़ायें। चुनान्चे हम ने आप को पा लिया तो आप ने फ़रमायाः कहो। लेकिन मैं कुछ न बोला, तो आप ने फिर फ़रमायाः कहो। फिर भी मैं कुछ न बोला तो आप ने फिर फ़रमायाः कहो। तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या कहूँ? आप ने फ़रमायाः कहोः सूर इख़्लास, सूरः फ़लक और नास (इन तीनों सूरतों को) सुब्ह और शाम तीन–तीन बार पढ़ लो तो हर चीज़ से तुम्हारे लिये यह काफ़ी हो जायेगी।

5083:— अबू मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें कोई कलिमा बता दें जिसे सुब्ह–शाम और सोते समय पढ़ा करें। तो आप ने फ़रमायाः यह पढ़ा करो।

अल्लाहुम्म फ़ाति–रस्समावाति वल् अर्ज़ि, आ़लि–मलग़ैबि वश्शहा–दति, अन्–त रब्बु कुल्लि शैइन् वल् मलाइ–कतु यश्–हदू–न, अन्न–क लाइला–ह इल्ला अन्–त, फ़इन्ना नऊज़ुबि–क मिन शर्रि अनफ़ुसिना वमिन् शर्रिश्शैता निर्रजीमि

5084:— इमाम अबू दावूद रह॰ ने उसी सनद से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई सुब्ह करे तो चाहिये कि कहा करेः

अस्–बह्ना व–अस्–ब–हल् मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल् आ़–लमी–न+ अल्लाहुम्म इन्नी अस्–अलु–क ख़ै–र हा–ज़ल् यौमि फ़त्–हहू व–नस्–रहू वनू–रहू व–ब–र–क–तहू वहुदाहु व–अऊज़ुबि–क मिन् शर्रि मा फ़ीहि व–शर्रि मा बा–दहू

5085:— शुरैक़ हौज़नी कहते हैं कि मैं आ़इशा रज़ि॰ के पास गया और उन से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को उठते तो किस चीज़ से शुरु करते थे? उन्होंने

कहाः तुम ने तो मुझ से ऐसा सवाल किया है जिस के बारे में मुझ से किसी ने नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को उठते थे तो दस बार अल्लाहु अक्बर, दस बार अल्हम्दु लिल्लाह, दस बार सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही, दस बार सुब्हानल् मालिकिल कुद्दूसि, दस बार अस्-तग़फ़िरुल्लाह, दस बार लाइला-ह इल्लाहु, दस बार अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन् ज़ीकिद्दुनिया वज़ीक़ि यौमिल् क़ियामति पढ़ते थे, फिर नमाज़ शुरु फ़रमाते थे।

***5086*:**— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और सुब्ह होती तो फ़रमाया करतेः

समि-अ़ सामिउन् बि-हम्दिल्लाहि वनेमतिही वहुस्नि बलाइही अ़लैना+अल्लाहुम्म साहिब्ना फ़-अफ़ज़िल् अ़लैना आ़इ-ज़न् बिल्लाहि मि-नन्नारि+

***5087*:**— अबू ज़र रज़ि॰ कहा करते थे कि जिस ने सुब्ह के समय यह दुआ पढ़ीः

अल्लाहुम्म मा-हलफ़्तु मिन् हिल्फ़िन औ कुल्तु मिन् क़ौलिन् औ नज़रतु फ़-मशी-अतु-क बै-न यदै ज़ालि-क कुल्लिही......

इन कलिमों को पढ़ने वाला उसदिन की ग़लतियों से सुरक्षित रहेगा।

***5088*:**— उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जिस ने (शाम को) तीन बार यह दुआ पढ़ ली, उसे सुब्ह तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आयेगीः

बिस्मिल्ला हिल्लज़ी ला यर्जुरु म-अ़ इस्मिही शैउन् फ़िल् अर्ज़ि वला फ़िस्समाई वहु-वस्समी उन् अ़लीमु

और जिस ने सुब्ह के समय तीन बार पढ़ ली उसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आयेगी।

रावी ने बयान किया कि इस हदीस के बयान करने वाले इबान बिन उस्मान को फ़ालिज़ हो गया तो उन से हदीस सुनने वाला उन को तअ़ज्जुब से देखने लगा (कि फिर यह फ़ालीज़ क्योंकर हुआ?) तो उन्होंने कहाः क्या बात है, मुझे क्यों देख रहे हो? अल्लाह की क़सम! मैं ने उस्मान पर झूठ नहीं बोला है और ना ही उस्मान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। लेकिन जिस दिन मुझे फ़ालिज का हमला हुआ उस दिन मैं गुस्से में था और यह दुआयें पढ़ना भूल गया था।

***5089*:**— मुहम्मद बिन कअ़ब ने इबान बिन उस्मान से, उन्होंने उस्मान रज़ि॰से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया मगर फ़ज़ीलत वाला क़िस्सा नहीं बयान किया।

***5090*:**— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा से रिवायत है उन्होंने अपने पिता जी से कहाः अब्बा जान! में आप को सुनता हूँ कि हर सुब्ह को यह दुआ पढ़ते हैं:

अल्लाहुम्म आफ़िनी फ़ी ब-दनी, अल्लाहुम्म आफ़िनी फ़ी सम्ई,

अल्लाहुम्म आफ़िनी फ़ी बसरी, लाइला–ह इल्ला अन्–त

आप इस दुआ को सुब्ह को तीन बार पढ़ते हैं और शाम होती है तो तीन बार पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वस्ल्लम को यह दुआ पढ़ते सुना है, तो मैं भी पसन्द करता हूँ कि आप की सुन्नत पर अ़मल करुँ।

(दूसरे रावी) अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अपनी रिवायत में कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह दुआ भी पढ़ते थेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् कुफ़रि वल्–फ़क़रि अल्लाहुम्म
इन्नी अऊज़ुबि–क मिन अज़ाबिल् क़बरि लाइला–ह इल्ला अन्–त

आप यह दुआ सुब्ह को तीन बार और शाम को तीन बार दोहराते हैं (तो उन्होंने कहा) मैं पसन्द करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर अ़मल करुँ। और यह भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः परेशान हाल के लिये यह दुआ़ हैः

अल्लाहुम्म रह्–म–त–क अर्जू फ़ला तकिल्नी इला नफ़्सी तर्–फ़–त
ऐनिन् व–अस्लिह ली शानी कुल्लहू, लाइला–ह इल्ला अन्–त

5091:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स सुब्ह के समय 100 बार "सुब्हा–नल्लाहिल् अ़ज़ीमि वबि–हम्दिही" पढ़ ले, और इसी तरह शाम को भी पढ़ ले तो मख़्लूक़ में कोई ऐसा न होगा जिस ने इतना सवब पाया होगां (देखें मुस्लिम–2692;

बाब {नया चाँद देखने की दुआ।}

5092:— इमाम क़तादा रह॰ को यह रिवायत पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नया चाँद देखते तो कहतेः
हिलालु ख़ैरिन्........

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, इसलिये मुकम्मल दुआ नहीं लिखा गया (ख़ालिद)

5093:— इमाम क़तादा रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो अपना चेहरा उस से फेर लेते (इस के बाद दुआ पढ़ते)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

बाब {घर से निकलने की दुआ।}

5094:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब भी मेरे घर से निकलते तो अपनी नज़र आकाश की तरफ़ उठाते और यह दुआ पढ़तेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क अन् अज़िल्ल औ उ–ज़ल्ल औ अज़िल्ल औ उ–ज़ल्ल, औ अज़लि–म औ उज़्–ल–म औ अज्–ह–ल और युज्–ह–ल अ़–लय्या

5095:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब बन्दा अपने घर से निकले और यह कलिमे कह लेः

बिस्मिल्लाहि त—वक्कलतु अ—लल्लाहि, लाहौ—ल वला कुव्व—त इल्ला बिल्लाहि

तो उस समय उस से यह कहा जता है कि तुझे हिदायत मिल गयी, तुम्हारी किफ़ालत की गयी और तुम्हें (हर बला से) बचा लिया गया। चुनान्चे शैतान उस से दूर हो जाते हैं और दूसरा शैतान उस से कहता है कि तेरा दाँव ऐसे आदमी पर नहीं चल सकता जिस को हिदायत दी गयी, उस की किफ़ालत कर दी गयी और उसे बचा लिया गया।

बाब {घर में दाख़िल हो तो क्या पढ़े।}

5096:— अबू मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफ़रमायाः जब आदमी अपने घर में दाख़िल होने लगे तो चाहिये कि यह दुआ पढ़ेः

अल्लाहुम्म इन्नी अस्—अलु—क ख़ै—रल मौलिजि....

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है, इसलिये पूरा नहीं लिखा गया।

बाब {तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े?}

5097:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते थेः हवा, अल्लाह की रहमत में से हैं। सलमा ने कहाः अल्लाह की यह रौह कभी रहमत लाती है और कभी अज़ाब भी ले आती है, जब तुम उसे देखो तो उसे बुरा मत कहो, बल्कि अल्लाह से उस की भलाई का सवाल करो, और उस की बुराई से अल्लाह की पनाह माँगो।

5098:— आइशा रज़ि॰से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कभी नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़दर ज़ोर से हँसे हों कि मैं आप (के हलक़) का कौआ देख पाऊँ, आप केवल मुस्कुराया करते थे। जब बादल या तेज़ हवा चलती तो परेशानी की सी हालत आप के चेहरे पर ज़ाहिर हो जाती थी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! लोग जब बादल देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं इस आशा पर कि उस से वर्षा होगी, मगर मैं देखती हूँ कि उसे देख कर आप के चेहरे पर परेशानी सी आ जाती है। आप नेफ़रमायाः ऐ आइशा! मुझे यह डर बेचैन करता है कि कहीं उस में अज़ाब न हो। एक क़ौम को हवा के ज़रीआ से अज़ाब दिया गया था, और एक क़ौम ने अज़ाब देखा और उस क़ौम के लोग कहने लगेः "यह बादल है इस से हमारे लिये वर्षा होगी"

5099:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आकाश के कनारे पर कोई बादल का टुकड़ा देखते तो काम काज छोड़ देते, अर्गचे नमाज़ ही में होते और फिर यह दुआ करतेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि—क मिन् शर्रिहा

और अगर वर्षा होने लगती तो कहतेः

अल्लाहुम्म सय्यि—बन् हनी—अन्

बाब {वर्षा का बयान।}

5100:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे कि वर्षा होने लगी तो आप निकले और अपने शरीर से कपड़ा हटा लिया यहाँ तक कि वह आप के शरीर पर पड़ने लगी। हम ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने ऐसा क्यों किया? आप ने फ़रमायाः क्योंकि यह अभी-अभी अपने रब के पास से आयी है।

बाब {मुर्गा और दूसरे जानवरों का बयान।}

5101:— ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुर्ग़ को ग़ाली मत दो, इसलिये कि यह नमाज़ के लिये जगाता है।

5102:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम मुर्ग़ की आवाज़ सुनो तो अल्लाह पाक से उस के फ़ज़्ल का सवाल करो। बेशक उस ने फ़रिश्ते को देखा है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो, बेशक उस ने शैतान को देखा होता है।

बाब {गधों का रींकना और कुत्तों का भौंकना।}

5103:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम रात को कुत्तों का भौंकना और गधों की आवाज़ें सुनोतो अल्लाह की पनाह तलब करो। यह वह कुछ देखते हैं जो तुम नहीं देखते हो।

5104:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और अ़ली बिन उमर बिन हुसैन बिन अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब क़दमों की आवाज़ें आनाबन्द हो जाये तो बहुत कम निकला करो, अल्लाह पाक की मख़्लूक़ में कुछ जानवर हैं जिन्हें अल्लाह पाक फैला देता है।

बाब {पैदा होने वाले बच्चे के कान में अज़ान कहने का बयान।}

5105:— उबैदुल्लाह बिन राफ़े ने अपने पिता से रिवायत किया, वह कहते हैं कि जब फ़ातिमा रज़ि॰ ने हसन रज़ि॰ को जन्म दिया तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के कान में नमाज़ वाली अज़ान कही।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। कान में अज़ान कहने की हद तक तो उलमा ने कुछ न कुछ गुन्जाइश निकाली है लेकिन दूसरे कान में तक्बीर की तो कोईअस्ल नहीं है। अ़ल्लामा अल्बानी ने लिखा है कि इस अ़मल के मस्नून होने की दलील हमारे पास नहीं है। उम्मत का पाबन्दी से इस पर अ़मल करना हमारे लिये जाइज़ होने की सनद नहीं है।

5106:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास छोटे बच्चों को लाया जाता तो आप उन के लिये बर्कत की दुआ़ फ़रमाते थे। यूसुफ़ बिन

मूसा ने इतना और कहा कि .... आप उन्हें घुट्टी भी दिया करते थे.... और बर्कत का ज़िक्र नहीं किया।

5107:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः क्या तुम में से कोई "मुग़र्रिब" भी पाये गये हैं? मैं ने पूछाः यह क्या चीज़ है? आप ने फ़रमायाः वह बच्चे जिन में जिन्न भी शरीक हों।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। जिन्न के संभोग से इन्सान के बच्चा हो।

बाब {अगर कोई किसी आदमी से अमान और पनाह तलब करे।}

5108:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो तुम से अल्लाह के नाम पर पनाह तलब करे उसे पनाह दो। और जो तुम से अल्लाह के चेहरे के वास्ते से सवाल करे उस को दो।

5109:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो तुम से अल्लाह के वास्ते से सवाल करे उस को दो। सहल और उस्मान ने कहाः और जो तुम्हारी दावत करे उस को कुबूल करो। इस के बाद सब रावी का इत्तिफ़ाक़ है कि जो तुम्हारे साथ नेकी करे उस का बदला दो। मुसद्दद और उस्मान ने कहाः अगर बदला न पाओ तो उस के लिये अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक कि तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुम ने उस का बदला दे दिया है।

बाब {वसवसा और उन का इलाज (उपचार)}

5110:— अबू ज़ुमैल कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से सवाल कियाः जो हालत मैं अपने सीने में पाता हूँ उस का क्या हो? उन्होंने पूछाः वह क्या है? मैंने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं उसे ज़बान पर नहीं ला सकता। उन्होंने कहाः क्या वह शुब्हे वाली बात है? और हंसने लगे फिर बोलेः शुब्हे से तो किसी को नजात नहीं, चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह आयत उतारी हैः "अगर तुम्हें उस चीज़ में शक हो जो हम ने उतारी है तो उन लोगों से पूछ लीजिये जो वह किताब में पढ़ते हैं (यूनुस-94) फिर उन्होंने मुझ से कहाः जब तुम अपने जी में कुछ शुब्हा-शक महसूस करो तो यह पढ़ लिया करोः

> **हु-वल अव्वलु वल् आख़िरु वज़्ज़ाहिरु वल् बातिनु वहु-व बिकुल्लि शैइन् अलीम् (सूरः हदीद-3)**

5111:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि कुछ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपने दिलों में कुछ ऐसे ख़यालात महसूस करते हैं कि उन को ज़बान पर लाना भी हमारे लिये भारी है। हमें यह भी पसन्द नहीं कि हमें दुनिया का माल मिले और उसे हम अपनी ज़बानों पर लायें। आप ने फ़रमायाः क्या भला तुम यह हालत पाते हो? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः यह तो खुल्लम खुल्ला ईमान की दलील है।

5112:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की ख़िदमतमें आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमोर दिल में कुछ ख़यालात आते हैं, और वह इशारे से कुछ इस प्रकार कह रहा था कि उन बातों को ज़बान पर लाने के स्थान पर कोयला हो जाना उसे ज़्यादा पसन्द है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, उस अल्लाह पाक की तारीफ़ है जिसने उस इबलीस के मकर को वसवसे की तरफ़ लौटा दिया।

फ़ाइदा:— दिल में चाहे इस प्रकार के ख़याल आयें जब तक उन पर इन्सान अ़मल न करे उन पर कोई पकड़ नहीं होगी।

बाब **{गुलाम किसी और को अपना मालिक बताये, और बेटा किसी और को अपना बाप बताए..... ...}**

5113:— सअ़द बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे कानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना और मेरे दिल ने याद रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने अपेन आप को किसी और का बेटा बताया जबकि वह जानता हो कि वह दूसरा उस का बाप नहीं है तो जन्नत उस पर हराम है।

अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि मैं अबू बक्रा से मिला और उन से यह हदीस बयान की तो उन्होंने भी (तस्दीक़ करते हुये) कहा: मैं ने भी इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना और मेरे दिल ने याद रखा।

फ़ाइदा:— जिस प्रकार अपना नसब बदलना हराम है, ऐसे ही किसी गुलाम का अपनी निस्बत बदल देना हराम है। अस्ल बाप को छोड़ कर किसी ग़ैर को बाप बनाना बहुत बड़ा पाप है।

5114:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस गुलाम ने अपने मालिकों की इजाज़त के बिना किसी दूसरी क़ौम से अपना संबन्ध जोड़ा उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। उस से क़ियामत के दिन कोई नफ़ल या फ़र्ज़ नमाज़ कुबूल नही होगी।

5115:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: जिस ने अपने बाप के अ़लावा किसी और के साथ अपना नसब जोड़ा, या जिस गुलाम ने अपने मालिकों को छोड़ कर किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत जोड़ी तो उस पर क़ियामत तक के लिये बराबर अल्लाह की लानत है।

बाब {हसब–नसब पर फ़ख (गर्व) करने का बयान।}

5116:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने तुम से जाहिलिय्यत का गुरुर और तकब्बुर और बाप–दादा पर फ़ख करने को दूर कर दिया है (तुम्हें ईमान और इस्लाम से इज़्ज़त वाला बनाया है; (आदमी दो प्रकार के हैं) ईमान वाला, मुत्तक़ी, प्रहेज़गार और बदबख़्त)। तुम सब आदमी की औलाद हो और आदम

मिट्टी से थे। लोगों को क़ौमी गुरुर छोड़ना होगा वह तो (कुफ़्र और शिर्क के सबब) जहन्नम के कोयले बन चुके, वर्ना यह (क़ौम पर तकब्बुर करने वाले) अल्लाह पाक के यहाँ गन्दगी के काले कीड़े से भी ज़लील होंगे, जो अपनी नाक से गन्दगी को ढकेलता फिरता है।

बाब {तअ़स्सुब का बयान।}

5117:— अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़रमायाः जिस किसी ने हक़ के बग़ैर अपनी क़ौम की मदद की तो वह ऐसे ऊँट की तरह है जो कुऐं में गिर गया हो और फिर उसे दुम से पकड़ कर बाहर निकाला जाता है।

5118:— अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ जबकि आप चमड़े के एक ख़ेमे में ठहरे हुये थे.....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

5119:— वासला बिन असक़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! तअ़स्सुब किसे कहते हैं? आप ने फ़रमायाः यह कि तुम अपनी क़ौम के लोगों की मदद करो हालाँकि वह हक़ पर न हों।

5120:— सुराक़ा बिन मालिक बिन जोशम रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें खुत्बा दिया और फ़रमायाः तुम में बेहतर वह शख़्स है जो अपने क़बीले का बचाव करे मगर इस शर्त पर कि गुनाह की बात न हो (और क़बीला वाले ज़ालिम न हों)

5121:— जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने तअ़स्सुब की तरफ़ दावत दी वह हम में से नहीं है, जिस ने तअ़स्सुब की बुनियाद पर लड़ाई की वह हम में से नहीं, और जो तअ़स्सुब पर मरा वह हम में से नहीं।

फ़ाइदा:— ज़ात-पात, बिरादरी, क़ौम की नाहक़ तरफ़दारी करना इसी का नाम है तअ़स्सुब।

5122:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ौम की बहन का बेटा (भान्जा) क़ौम का एक फ़र्द होता है।

फ़ाइदा:— बहन-बेटी अगर दूर ब्याह दी जाये तो यह न समझा जाये कि अब उस से कोई नाता नहीं रहा, बल्कि इस से रिश्तेदारी और कुशादा हुयी और बिरादरी फेली है।

5123:— अबू उक़्बा रज़ि॰ से रिवायत है ......और यह फ़ारस वालों के गुलाम थे.....इन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ उहुद की जन्ग में शरीक था। मैंने मुश्रिकों के एक आदमी को मारा और कहाः यह लो और मैं हूँ एक फ़ार्सी जवान। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः तुम ने इस प्रकार क्यों न कहाः यह लो और मैं हूँ एक अन्सारी गुलाम।

बाब {किसी शख़्स की नेकी और भलाई देख कर उस से प्रेम करना।}

5124:— हबीब बिन उबैद, मिक्दाम बिन मादी कर्ब से रिवायत करते हैं ....और हबीब ने मिक्दाम से मुलाक़ात की थी। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जब आदमी को अपने किसी भाई से मुहब्बत हो तो चाहिये कि उसे बता दे कि वह उस से प्रेम करता है।

5125:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पासएक आदमी बैठा हुआ था कि एक शख़्स उस के पास से गुज़रा तो उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस से मुहब्बत है। आप ने फ़रमायाः क्या तुम ने उस को बताया है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः उस को बता दो। चुनान्चे वह उस से जा कर मिला और कहा कि मुझे तुम से अल्लाह के लिये मुहब्बत है। उस ने जवाब दियाः अल्लाह भी तुम से मुहब्बत करे जिस के लिये तुम मुझ से मुहब्त करते हो।

5126:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इन्सान कुछ लोगों से प्रेम करता है मगर उन जैसे अ़मल नहीं कर पाता। आप ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! तुम उन लोगों के साथ होगे जिन से मुहब्बत करते होगे। अूब ज़र रज़ि॰ ने कहाः मैं अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत करता हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम उन के साथ होगे जिन से तुम मुहब्बत करते हो। अबू ज़र रज़ि॰ ने अपनी यह बात फिर दोहराई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी पहले की तरह फ़रमाया।

5127:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने देखा कि सहाबा (ने जब ऊपर का फ़र्मान सुना तो वह) इतना खुश हुये कि उन्हें किसी और चीज़ से उस से बढ़ कर खुशी नहीं हुयी थी। एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इन्सान एक शख़्स के साथ उस के अच्छे कामों की वजह से मुहब्बत करता है, मगर खुद उस जैसे नेक काम नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन्सान उस के साथ होगा जिस के साथ उसे मुहब्बत होगी

बाब {मश्वरे का बयान।}

5128:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मश्वरा देने वाला अमीन होता है।

बाब {नेकी और भलाई की बातें बताने वाले की फ़ज़ीलत का बयान।}

5129:— अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास सवारी नहीं है, आप मुझे सवारी दीजिये। आप ने फ़रमायाः मेरे पास तो कोई ऐसी सवारी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूँ। लेकिन फ़लाँ के पास चले जाओ, शायद वह तुम्हें कोई सवारी दे दे। चुनान्चे वह उस के पास चला गया और उस ने सवारी दे दी। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया

और आ कर आप को बताया (कि उस ने सवारी दे दी) तो आप ने फ़रमायाः जो शख़्स किसी भलाई की तरफ़ रहनुमाई करे, उसे भी भलाई करने वाले की तरह सवाब मिलता है।

बाब {नफ़्स की ख़ाहिश का बयान।}

5130:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी चीज़ की मुहब्बत तुम्हें अन्धा और बहरा बना देती है।

बाब {सिफ़ारिश का बयान।}

5131:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे पास (अपने साथियों की) सिफ़ारिश किया करो ताकि सवाब पाओ, और फ़ैसला तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और अपने नबी की ज़बान से करएगा।

5132:— मुआविया रज़ि॰ से रिवायत है (उन्होंने बपने दोस्तों से कहा) कि सिफ़ारिश कर दिया करो तो सवाब पाओ। (उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः सिफ़ारिश किया करो तुम्हें सवाब मिलेगा) इस में कोई शुब्हा नहीं कि (कभी-कभार) मैं एक काम कर देना चाहता हूँ मगर उसे (किसी क़दर) टालता रहता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश कर के सवाब पाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः सिफ़ारिश किया करो तो सवाब पाओगे (तुम्हारी सिफ़ारिश कुबूल हो या नहो)

5133:— अबू बुर्दा, अबू मूसा अशअरी रज़ि॰ से, और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं।

बाब {पत्र लिखने में पहले अपने नाम लिखे।}

5134:— अला हज़रमी रज़ि॰ के बारे में आता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ से बहरैन में गवर्नर थे, चुनान्चे वह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्र लिखते तो अपने नाम से शुरु करते थे।

5135:— इब्ने सीरीन ने अला के बेटे से रिवायत किया, उन्होंने (अपने पिता) अला बिन हज़रमी के बारे में बताया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्र लिखा, तो अपने नाम से शुरु किया।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें ज़ओफ़ हैं, मगर सहीह रिवायतों से इस हदीस की ताईद होती है।

बाब {काफ़िर को पत्र लिखने का तरीक़ा।}

5136:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेरक़्ल को पत्र लिखा तो इस प्रकार लिखाः मुहम्मद अल्लाह के सन्देष्टा की तरफ़ से रुम वालों के मालिक हेरक़्ल की तरफ़.......सलामती हो उस पर जो हिदायत की राह पर चले। इब्ने यहया ने बयान

किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि अबू सुफ़यान ने मुझे ख़बर दी कि हम हेरक़्ल के पास गये तो उस ने हमें अपने सामने बैठाया फिर उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का पत्र मगांवाया तो उस में थाः

"बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

अल्लाह के सन्देष्टा मुहम्मद की तरफ़ से रुम वालों के सर्दार हेरक़्ल की तरफ़।

सलामती हो उस पर जो हिदायत की राह पर चले......अम्मा बाद!

बाब {माता–पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का बयान।}

5137:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई बेटा अपने बाप के एहसान का बदला नहीं दे सकता सिवाए इस के कि बाप को गुलाम पाये तो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे।

5138:— हमज़ा अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मेरे निकाह में एक महिला थी जिससे मैं बहुत प्रेम करता था, मगर उमर रज़ि॰ उसे पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने मुझ से कहा कि उसे तलाक़ दे दो तो मैंने इन्कार किया। उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये और अपनी बात उन से कही तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः उस महिला को तलाक़ दे दो।

फ़ाइदा:— बेटा, बाप के हुक्म पर अ़मल करेगा मगर शर्त यह है कि उस बाप के अन्दर उमर रज़ि॰ जैसी खूबी मौजूद हो।

5139:— बहज़ बिन हकीम अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस के साथ हुसने सुलूक (अच्छा बर्ताव) करुँ? आप ने फ़रमायाः अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, फिर माँ के साथ, फिर अपेन बाप के साथ फिर क़रीब के रिश्तेदारों के साथ, फिर क़रीब के रिश्तेदारों के साथ। और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई अपने मौला (आज़ाद किये हुये गुलाम) से उस से और अधिक माल माँगे और वह गुलाम माल होते हुये भी न दे तो क़ियामत के दिन वह (ज़्यादा माल) एक गन्जे साँप की शक्ल में उस के सामने आयेगा। इमाम अबू दावूद ने कहा कि "अक़रा" से मुराद ऐसा साँप है कि ज़हर की वजह से उस के सर के बाल उड़ गये हों (और वह गन्जा हो गया हो)

5140:— क़ुलैब बिन मनफ़आ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस के साथ अच्छा सुलूक करुँ? आप ने फ़रमायाः अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और आज़ाद करने वाले के साथ उन का हक़ वाजिब है और उन के साथ रिश्ता जोड़ना लाज़िम है।

5141:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह काम बहुत महापाप है कि कोई अपने माता–पिता को लानत करे। कहा

गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह भला कैसे हो सकता है कि कोई अपने माता-पिता को लानत करे? आप ने फ़रमायाः जब कोई दूसरे के बाप को लानत करेगा तो वह उस के भी बाप को लानत करेगा। अगर कोई दूसरे की माँ को लानत करेगा तो वह उस की माँ को भी लानत करेगा।

5142:— अबू उसैद मालिक बिन रबीआ़ साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुये थे कि क़बीला बनी सलमा का एक आदमी आप के पास आया और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे माँ-बाप के देहान्त कर जाने के बाद भी मुझ पर उन का कोई हक़ बाक़ी है कि उन के साथ अच्छा सुलूक करता रहूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। उन के लिये दुआ़ करना, उन के लिये माफ़ी की दुआ़ माँगना, उन के बाद उन के वादे को पूरा करना, ऐसे रिश्तेदारों से मेल-मिलाप रखना कि उन (माँ-बाप) के बग़ैर उन से मिलाप न हो सकता था, और उन के दोस्तों की इज़्ज़त करना।

5143:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से बड़ा नेक सुलूक यह है कि बाप के मर जाने के बाद इन्सान उस से मुहब्बत करने वालों से मिलाप रखे।

5144:— अबू तुफ़ैल (आ़मिर बिन वासला लैसी) रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जिईराना के स्थान पर गोश्त तक़्सीम करते देखा, मैं उन दिनों नौउम्र का था, ऊँट की हड्डी उठा सकता था कि अचानक एक महिला आयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़रीब आ गयी तो आप ने उस के लिये अपनी चादर बिछा दी तो वह उस पर बैठ गयी। मैंने पूछाः यह कौन थी? सहाबा ने बताया कि आप की माँ (हलीमा) जिन्होंने आप को दूध पिलाया था।

5145:— उमर बिन साइब से रिवायत है वह कहते हैं कि मुझे यह ख़बर पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुये थे कि आप के रज़ाअ़ी बाप आ गये तो आप ने उन के लिये अपनी चादर का एक हिस्सा बिछा दिया और वह उस पर बैठ गये। फिर आप की रज़ाअ़ी माँ आ गयीं तो आप ने उस चादर का दूसरा कोना बिछा दिया और वह उस पर बैठ गयीं। फिर आप के रज़ाअ़ी भाई आ गये तो आप उन के लिये उठ कर खड़े हो गये और उन्हें अपने सामने बैठा लिया।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों ही रिवायतें ज़ईफ़ है।

बाब {यतीमों की परवरिश की फ़ज़ीलत का बयान।}

5146:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के पास कोई लड़ीक हो और वह उसे दरगोर न कर दे (जैसे काफ़िर करते थे) और न उस को ज़लील करे, और न लड़के को उस पर फ़ज़ीलत दे, तो अल्लाह पाक उस आदमी को जन्नत में दाख़िल करेगा।

5147:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने तीन बेटियों की पर्वरिश की, उन्हें अदब सिखाया, उन की शादी की और उन के साथ एहसान का मामला करता रहा तो उस के लिये जन्नत है।

5148:— सुहैल ने इसी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः "जिस ने तीन बहनों या तीन बेटियों, या दो बेटियों, या दो बहनों की पर्वरिश की।"

5149:— औफ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं और काले गाल वाली महिला क़ियामत के दिन इस प्रकार (निकट) होंगे। यज़ीद ने अपनी दर्मियान वाली और शहादत वाली उंगली मिलाते हुये इशारा कर के दिखाया (यानी वह नेक और सुन्दर महिला जो विधुवा हो गयी और इज़्ज़त और सुन्दरता के बावजूद) उस ने निकाह न किया, बल्कि) अपने यतीम बच्चों की ख़ातिर (निकाह करने से) रुकी रही यहाँ तक कि वह बड़े हो गये, या देहान्त कर गये।

बाब {यतीम को अपने बाल—बच्चों के साथ मिला कर पर्वरिश करने की फ़ज़ीलत।}

5150:— सहल बिन सअद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं और यतीम की पर्वरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे .... और आप ने अपनी दर्मियान वाली और शहादत वाली उंगली मिला कर इशारा फ़रमाया।

बाब {पड़ोसी के अधिकार।}

5151:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसी के बारे में वसिय्यत करते रहे यहाँ तक कि मुझे ख़याल हुआ कि वह उसे वारिस ही बना देंगे।

5152:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ के बारे में रिवायत है कि उन्होंने बकरी ज़ब्ह की और पूछाः क्या तुम ने मेरे यहूदी पड़ोसी की तरफ़ भी कुछ भेजा है? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे कि जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसी के बारे में वसिय्यत करते यहाँ तक कि मुझे ख़याल हुआ कि वह उसे वारिस ही बना देंगे।

5153:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स आया और अपने पड़ोसी की शिकायत की तो आप ने फ़रमायाः जाओ और सब्र करो। वह फिर आप के पास दो या तीन बार आया तो आप ने फ़रमायाः जा अपना सामान रास्ते पर ला कर डाल दे। चुनान्चे उस ने अपना सारा माल रास्ते पर डाल दिया। लोग उस से पूछने लगे (कि क्या हुआ?) तो उस ने उन्हें पड़ोसी का व्यवहार बताया तो लोग उसे लानत-मलामत करने लगे कि अल्लाह पाक उस के साथ ऐसे करे-ऐसे करे। तो वह पड़ोसी उस के पास आ कर कहने लगाः अपने घर में वापस चले जाओ (आइन्दा) मेरी तरफ़ से कोई नापसन्दीदा व्यवहार नहीं देखोगे।

5154:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जो शख़्स अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिये कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। जो शख़्स अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिये कि अपने पड़ोसी को दुख न दे। और जो शख़्स अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिये कि भलाई के शब्द बोले, या फिर ख़ामोश रहे।

5155:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे दो पड़ोसी हैं। मैं (एहसान करने में) किससे शुरु करूँ? आप ने फ़रमाया: जिस का दर्वाज़ा ज़्याद निकट हो।

बाब {गुलामों का विशेष ध्यान देने का बयान।}

5156:— अली रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्तिम बात यही थी कि "नमाज़, नमाज़ और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह पाक से डरते रहना।

5157:— मारुर बिन सुवैद रह॰ ने बयान किया कि मैंने अबू ज़र रज़ि॰ को रबज़ा के स्थान पर देखा कि वह एक मोटी चादर ऊपर ओढ़े हुये थे और उन के गुलाम पर भी उसी प्रकार की चादर थी। हमारे साथियों ने कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप गुलाम वाली चादर खुद ले लेते तो इस प्रकार आप का यह पूरा जोड़ा बन जाता। गुलाम को आप कोई और कपड़ा ले देते। इस पर अबू ज़र ने उत्तर दिया: मैंने एक आदमी को गाली दी थी जिस की माँ अजमी थी। मैंने उस को उस की माँ का ताना दिया तो उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत कर दी तो आप ने फ़रमाया: ऐ अबू ज़र! तू ऐसा आदमी है जिस के अन्दर जाहिलिय्यत का असर अभी बाक़ी है। आप ने यह भी फ़रमाया: यह गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह पाक ने तुम को उन पर फ़ज़ीलत बख़्शी है इसलिये जिस के साथ तुम्हारी तबीअत न मिलती हो उसे बेच दो, लेकिन अल्लाह पाक की मख़्लूक़ को दुख न दो।

5158:— मारुर बिन सुवैद रह॰ ने बयान किया कि हम रबज़ा के स्थान पर अबू ज़र रज़ि॰ से मिले तो देखा कि उन के ऊपर एक ऊनी चादर थी और उन के गुलम पर भी उसी प्रकार की चादर थी। हम ने कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप अपने गुलाम वाली चादर अपनी चादर के साथ मिला लेते तो एक जोड़ा बन जाता और गुलाम को कोई दूसरा कपड़ा दे देते। उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे "यह तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे अधीन (मातहत) कर दिया है, चुनान्चे जिस का भाई उस के मातहत हो तो उस को चाहिये कि उसे वही खिलाये जो वह खुद खाता है और उसे वही पहनाए जो वह खुद पहनता है, और उसे उस की ताक़त से ज़्यादा काम न दे। अगर उसे तकलीफ़ दे तो उस की सहायता भी करे।

5159:— अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि (एक बार) मैं अपने गुलाम को मार रहा था तो पीछे से आवाज़ सुनी: "अबू मस्ऊद! ख़याल करो......... इब्ने मुसन्ना के अल्फ़ाज़ हैं: मैंने यह आवाज़ दो बार सुनी......अल्लाह को तुम पर उस से ज़्यादा क़ुदरत हासिल है जितनी की तुम्हें उस गुलाम पर हासिल है" मैंने जब मुड़ कर देखा तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

थे। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह अल्लाह के लिये आज़ाद है। आप ने फ़रमायः अगर तुम यह न करते तो आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेती।

5160:— आमश ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। इस में है मैं अपने एक (काले) गुलाम को कोड़े मार रहा था, मगर इस रिवायत में उस को आज़ाद करने का बयान नहीं है।

5161:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो तुम्हारे अनुकूल न हो उसे बेच दो और अल्लाह की मख़्लूक़ को अ़ज़ाब न दो।

5162:— राफ़े बिन मक़ीस रज़ि॰ से रिवायत है और यह सहाबी हुदैबिय्या के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ शरीक थे, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (अपने मातहत के साथ) अच्छा व्यवहार करना बर्कत है और बदअख़्लाक़ी नहूसत है।

5163:— हारिस बिन राफ़े बिन मक़ीस से रिवायत है, और राफ़े रज़ि॰ क़बीला जुहैना से थे और हुदैबिय्या में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप ने फ़रमायाः (मातहत लोगों के साथ) अच्छा व्यवहार करना बर्कत का सबब है बदअख़्लाक़ी नहूसत है।

5164:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम नौकर को कितना माफ़ करें? आप ख़ामोश रहे। उस ने फिर पूछा तो आप फिर ख़ामोश रहे, फिर जब तीसरी मर्तबा पूछा तो आप ने फ़रमायाः उसे हर रोज़ सत्तर बार माफ़ करो।

5165:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि मुझ से अबुल क़ासिल (नबी करीम) सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बयान फ़रमायाः "जिस ने अपने गुलाम पर आरोप लगाया हालाँकि वह उस आरोप से बरी था तो उस आरोपी मालिक को क़ियामत के दिन कोड़े लगाए जायेंगे।

5166:— हिलाल बिन यसाफ़ से रिवायत है कि हम सवैद बिन मुक़रिन रज़ि॰ के घर में ठहरे हुये थे और हमारे साथ एक बड़ी उम्र का शैख़ भी था जिस की तबीअ़त में तेज़ी थी और उस के साथ उस की लौंडी थी। तो उस शैख़ ने अपनी उस लौंडी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, तो उस दिन सुवैद रज़ि॰ इतना गुस्सा हुये कि उतने गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने कहाः क्या तू अतना ही आ़जिज़ हो गया था कि उस को मारने के लिये तुझे सिर्फ़ उस का इज़्ज़त वाला चेहरा ही मिला था। मुझे वह नक़्शा याद है कि मैं मुक़रिन की औलाद में सातवाँ फ़र्द था और हमारी एक ही नौकरानी थी। हमारे एक छोटे ने उस के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि उस को आज़ाद कर दो।

फ़ाइदा:— चेहरे पर मारना सख़्त मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया: जब तुम में से किसी की अपने मुसलमान भाई के साथ लड़ाई हो जाये तो उस के चेहरे पर मारने से बचे, यहाँ तक कि हैवान के चेहरे पर भी नहीं मारना चाहिये।

5167:— मुआविया बिन सुवैद बिन मुक़रिन कहते हैं कि मैंने अपने एक गुलाम को थप्पड़ मार दिया तो मेरे पिता जी ने उस को और मुझ को बुलाया और फिर गुलाम से कहा: इस से अपना बदला ले लो। और बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम बनी मुक़रिन के सात फ़र्द थे और हमारी एक नौकरानी थीं हमारे एक आदमी ने उस के थप्पड़ मार दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उसे आज़ाद कर दो। सहाबा ने कहा: उस के पास उस के अ़लावा और कोई नौकरानी नहीं है। आप ने फ़रमाया: चलो जब तक कोई और नहीं मिलती वह ख़िदमत करती रहे, जब उस से बेनियाज़ हो जायें तो उसे आज़ाद कर दें।

5168:— ज़ादान ने बयान किया कि मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के पास आया जबकि उन्होंने अपना एक गुलाम आज़ाद किया था। उन्होंने ज़मीन से एक तिन्का या उसी प्रकार की कोई चीज़ उठाई और कहा: मुझे उस के आज़ाद करेन में उस जितना भी सवाब नहीं है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जिस नेअपने गुलामको थप्पड़ लगाया हो या मारा हो तो उस का कफ़्फ़ारा यही है कि उसे आज़ाद कर दे।

बाब {गुलाम अपने आक़ा और मालिक को नसीहत करे।}

5169:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो गुलाम अपेन आक़ा को भलाई की बात कहे और अल्लाह पाक की इबादत भी अच्छे तरीक़े से करे, तो उस को दोगुना सवाब है।

बाब {किसी के गुलाम को उस के मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना।}

5170:— अूब हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो कोई किसी की बीवी को उस के पति के खिलाफ़, या गुलाम को उस के मालिक के ख़िलाफ़ भड़काए, वह हम में से नहीं है।

बाब {किसी के घर या ख़ास मज्लिस में इजाज़त लेकर जाने का बयान।}

5171:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के किसी घर में झाँका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक लंबे फल का नेज़ा लेकर उस की तरफ़ बढ़े। अनस रज़ि॰ ने बयान किया: गोया कि मैं देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह नेज़ा उसे मारने के लिये लहरा रहे थे।

फ़ाइदा:— देखें बुख़ारी शरीफ़–6242, मुस्लिम शरीफ़–2157

5172:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थेः जिस किसी के घर में उस की इजाज़त के बिना झाँका और उन्होंने उस की आँख फोड़ दी तो यह बर्बाद है (इस पर कोई क़िसास नहीं)

5173:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब नज़र अन्दर चली गयी तो फिर इजाज़त कैसी?

5174:– हुज़ैल से रिवायत है कि एक शख़्स....और उस्मान बिन अबू शैबा के मुताबिक़ सअद रज़ि॰ आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्वाज़े पर खड़े होकर इजाज़त तलब करने लगे.......उस्मान बिन अबू शैबा ने बयान किया कि वह दर्वाज़े के बिल्कुल सामने खड़े हो गये .....तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस तरफ़ हट कर खड़े हो या उस तरफ़ इजाज़त लेने का हुक्म नज़र ही की वजह से है (कि इन्सान अन्दर न झाँके)

5175:– तल्हा बिन मसर्रिफ़ ने एक आदमी के वास्ते से सअद रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

बाब {......इजाज़त कैसे ली जाये?}

5176:– कल्दा बिन हंबल रज़ि॰ से रिवायत है कि सफ़वान बिन उमय्या रज़ि॰ ने उन को दूध, हिरन का बच्चा और ककड़ी देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जबकि आप मक्का के ऊपरी क्षेत्र की तरफ़ ठहरे हुये थे। कल्दा ने बयान किया कि मैं आप की मज्लिस में जा कर दाख़िल हो गया और सलाम न किया तो आप ने फ़रमायाः पीछे हटो और कहा "अस्सलामु अलैकुम" यह घटना सफ़वान बिन उमय्या के मुसलमान हो जाने के बाद की है।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि मज्लिस में बैठने या इजाज़त लेने के लिये सलाम कहना ज़रुरी है।

5177:– बिरओ़ी से रिवायत है कि बनी आ़मिर के एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसे इजाज़त चाही उस समय आप घर के अन्दर थे, और उस ने कहाः क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर से फ़रमायाः उस के पास जाओ और उसे इजाज़त लेने का ढंग सिखाओ। उस से कहो कि इस प्रकार कहे "अस्सलामु अलैकुम" क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? उस आदमी ने यह बात सुन ली तो बोलाः अस्सलामु अलैकुम क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी और वह अन्दर आ गया।

5178:– रिबओ़ी बिन हिराश से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझ से बताया गया कि बनी आमिर के एक अदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़ चाही.....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

5179:– उबैदुल्लाह बिन मआ़ज़ ने अपने पिता से बयान किया, उन्होंने शोबा से उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने रिबओ़ी से, और वह क़बीला बनी आ़मिर के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की और फिर ऊपर की हदीस की तरह

रिवायत किया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात सुन ली तो कहाः अस्सलामु अ़लैकुम, क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ?

बाब {इजाज़त माँगते हुये आदमी कितनी बार "अस्सलामु अ़लैकुम" कहे?}

5180:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं अन्सार की एक मज्लिस में बैठा हुआ था कि अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ घबराए-घबराए से आये। हम ने उन से पूछाः आप घबराए हुये क्यों हैं? उन्होंन बताया कि मुझे उमर रज़ि॰ ने बुलवाया था कि उन के पास जाऊँ। मैं उन के पास गया और तीन बार इजाज़त तलब की मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गयी तो मैं वापस होने लगा तो उन्होंने कहाः क्या वजह थी कि तुम मेरे पास नही आये? मैंने कहाः मैं आया था और तीन बार इजाज़त भी माँगी मगर नहीं दी गयी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि तुम में से जब कोई तीन बार इजाज़त माँगे और उसे इजाज़त न दी जाये तो उसे लौट जाना चाहिये। तो उमर रज़ि॰ ने कहाः तुम्हें अपने इस बयान पर गवाह पेश करना पड़ेगा। तो अबू सअ़ीद रज़ि॰ ने कहाः तुम्हारे साथ क़ौम का कोई छोटा बच्चा भी जा सकता है (और वह इस हदीस के सहीह होने की गवाही दे सकता है) चुनान्चे अबू सअ़ीद रज़ि॰ उन के साथ गये और अबू मूसा के हक़ में गवाही दी।

5181:— अबू बुर्दा से रिवायत है कि अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰उमर रज़ि॰ के पास गये और तीन बार इजाज़त माँगी और कहाः अबू मूसा इजाज़त चाहता है, अशअ़री इजाज़त चाहता है, अब्दुल्लाह बिन क़ैस इजाज़त चाहता है। मगर इजाज़त न मिली तो वापस हो गये। उमर रज़ि॰ ने उन्हें पीछे से बुलवाया कि वापस क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः इजाज़त तीन बार माँगो, अगर मिल जाये तो बेहतर, वर्ना वापस हो जाओ। उमर ने कहाः अपने इस बयान पर गवाह पेश करो तो वह गये और वापस आये और कहाः यह उबय्यिआ गये हैं। उबय्यि ने कहाः ऐ उमर! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा के लिये अ़ज़ाब न बनें। उमर ने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा के लिये अ़ज़ाब नहीं हूँ

5182:— उबैद बिन उमैर से रिवायत है कि अबू मूसा ने उमर रज़ि॰ से इजाज़त तलब की और ऊपर की हदीस बयान की। इस हदीस में है कि वह अबू सअ़ीद को साथ लेकर गये और उन्होंने उन के हक़ में गवाही दी। उमर ने कहाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़रमान मुझ से पोशिदा रहा है? मुझे बाज़ार में तिजारत ने मसरुफ़ रखा और तुम जब चाहो सलाम कह कर के आ जाया करो और इजाज़त न माँगा करो।

फ़ाइदा:— उमर रज़ि॰ ने अबू मूसा के साथ होने वाले मामले की भरपाई कर दी और उन्हें इजाज़त न माँगने की हिदायत कर दी।

5183:— अबू बुर्दा ने अपने पिता अबू मूसा रज़ि॰ से ऊपर का क़िस्सा बयान किया, उस में है कि फिर उमर रज़ि॰ ने अबू मूसा से कहाः मैं तुम पर किसी तरह की तोहमत नहीं लगा रहा (कि तुम

झुठ कह रहे हो) लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हदीस नक़ल करने का मामला बड़ा सख़्त (और अहम) है।

5184:— रबीआ़ बिन अबू अ़ब्दुर्रहमान और कई एक महद्दिसों से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ ने अबू मूसा से कहाः मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ वैसे ही हदीसों की निस्बत न करने लगें।

5185:— कैस बिन सअ़द (बिन उबादा) रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें मिलने के लिये हमारे घर तशरीफ़ लाये और (इजाज़त माँगते हुये) फ़रमायाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाह (मेरे पिता जी) सअ़द ने आप को जवाब दिया मगर हल्की आवाज़ से। कैस कहते हैं कि मैंने कहाः क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं देंगे? उन्होंने कहाः छोड़ो। उन्हें हम पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फिर फ़रमायाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाह। तो सअ़द ने फिर हल्की आवाज़ से जवाब दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फिर फ़रमायाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाह, और वापस जाने लगे तो सअ़द पीछे से लपके और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आप का सलाम सुन रहा था और जवाब भी दे रहा था, मगर हल्की और आहिस्ता आवाज़ से ताकि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहें। (और हमें आप की दुआ़यें प्राप्त हों) फिर आप सअ़द के साथ तशरीफ़ ले गये। सअ़द ने आप से स्नान के लिये कहा तो आप ने स्नान किया, फिर आप को ज़ाफ़रान या वर्स से रंगी हुयी चादर दी जो आप ने लपेट ली, फिर आप ने यह कहते हुये अपने दोनों हाथ बुलन्द फ़रमायेः ऐ अल्लाह! सअ़द बिन उबादा के घर वालों पर अपनी ख़ास बर्कतें और रहमतें नाज़िल फ़रमा। फिर आप ने कुछ खाना खाया। जब वापसी का इरादा फ़रमाया तो सअ़द ने गधा क़रीब कर दिया और उस की पीठ पर कपड़ा डाल दिया और आप उस पर सवार हो गये तो सअ़द ने कहाः ऐ कैस! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जाओ। कैस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः सवार हो जाओ, मगर मैं ने इन्कार किया तो आप ने फ़रमायाः सवार हो जाओ या फिर वापस चले जाओ, चुनान्चे मैं वापस आ गया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

5186:— अ़ब्दुल्लाह बिन बिसर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी के दर्वाज़े पर जाते तो उस के बिल्कुल सामने न खड़े होते, बल्कि दायें या बायें तरफ़ हट कर खड़े होते थे और फ़रमातेः अस्सलामु अ़लैकुम, अस्सलामु अ़लैकुम। उन दिनों दर्वाज़ों पर पर्दे नहीं हुआ करते थे।

बाब {........दस्तक देकर इजाज़त लेना।}

5187:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं अपने पिता जी के क़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो आप के

दर्वाज़े पर दस्तक दी। आप ने पूछाः कौन? मैंने उत्तर में कहाः मैं हूँ। आप ने फ़रमायाः मैं हूँ, मैं हूँ, गोया आप ने इस अन्दाज़ को नापसन्द फ़रमाया।

फ़ाइदा:— दर्वाज़ा खटखटाना भी इजाज़त लेने के माना में है, फिर जब कोई आये तब सलाम करे। पूछने पर पूरा नाम बताना चाहिये।

बाब {इजाज़त के लिये दवार्ज़ा खटखटाने का बयान।}

5188:— नाफ़े बिन अ़ब्दुल हारिस रज़ि॰ कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकला और एक बाग़ में दाख़िल हो गया तो आप ने मुझ से फ़रमायाः दर्वाज़े को (अन्दर से) रोके रखो (उसे खोलना नहीं) फिर दर्वाज़ा खटखटाया गया (बाहर से किसी ने दस्तक दी) तो मैंने पूछाः कौन है? और हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— दर्वाज़ा उस्मान रज़ि॰ ने खटखटाया था। (मुस्लिम–2403)

बाब {जब आदमी को बुलवाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो क्या यह इजाज़त के माना में है?}

5189:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी को बुलाने के लिये आदमी का भेजा जाना आने वाले के लिये इजाज़त (के माना में) है।

5190:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब किसी को खाने पर बुलाया जाये और वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो यही उस के लिये इजाज़त के हुक्म में है।

फ़ाइदा:— आदमी अन्दाज़ा लगा सकता है कि दोबारा लेने की ज़रुरत है या नहीं। जब पर्दे का मामला न हो, या ख़ास मज्लिस न हो तो इजाज़त की ज़रुरत नहीं।

बाब {पर्दे के तीन टाइम में इजाज़त लेने का बयान।}

5191:— उबैदुल्लाह बिन अबू यज़ीद से रिवायत है, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ को सुना वह कहते थे कि अक्सर लोग (सूरः नूर में बयान आयत न॰ 58) इजाज़त तलब करने वाली आयत पर (मुकम्मल तौर पर) ईमान नहीं लाये, हालाँकि मैं अपनी उस लौंडी को कहता हूँ कि मेरे पास आते हुये भी इजाज़त लिया करे।

5192:— इक्रमा से रिवायत है कि इराक़ के कुछ लोगों ने कहाः ऐ इब्ने अ़ब्बास! आप इस आयत के बारे में क्या कहते हैं कि उस आयत में हमें जो हुक्म दिया गया है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है? (आयत यह है) "ऐ ईमान वालों! चाहिये कि तुम्हारे लौंडी और गुलाम और नाबालिग़ बच्चे तीन समय में तुम से इजाज़त लें......(सूरः नूर–58) इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से फ़रमायाः अल्लाह पाक हलीम है (बर्दाशत करता है) और मोमिनों पर रहम करने वाला है और पर्दे को पसन्द करता है (जब यह आयत उतरी) तब लोगों के घरों में पर्दे होते थे और न आड़ होती थी। तो कभी आदमी अपनी पत्नी से हमबिस्तरी कर रहा होता तो कोई नौकर

आ जाता या बच्चा, या यतीम बच्ची (जो घर में होती, तो यह हालत मुनासिब नहीं होती) तो अल्लाह पाक ने उन्हें उन पर्दे के समय में इजाज़त लेने का हुक्म दिया। तो अब अल्लाह ने उन को पर्दे दे दिये हैं और ख़ैर (कुशादगी, दौलत) दे दी है (तो इस वजह से) मैं किसी को उस पर अ़मल करते हुये नहीं देखता हूँ।

फ़ाइदा:— इस से मालूम हुआ कि हालात बदल जाने और पर्दे का इन्तिज़ाम होने की वजह से इजाज़त लेने की ज़रुरत बाक़ी नहीं रही थी, लेकिन इस का यह भी अर्थ नहीं कि अब हुक्म मन्सूख़ हो गया है। यह हुक्म बाक़ी है और इस पर अ़मल भी ज़रुरी है।

(00) अस्सलामु अ़लैकुम कहने के आदाब

सलाम को फैलाने का हुक्म।

5193:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, तुम लोग उस समय तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान न ले आओ। और तुम उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मुहब्बत न करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दूँकि उस पर अ़मल करने से आपस में मुहब्बत करने लगो? आपस में सलाम बहुत किया करो।

5194:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न कियाः कौन् सा इस्लाम बेहतर है? आप ने फ़रमायाः तुम्हारा खाना खिलाना और सलाम कहना जिसे तुम पहचानते हो या नहीं पहचानते हो (सब को करना)

बाब {सलाम किस तरह कहे?}

5195:— इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः अस्सलामु अ़लैकुम। आप ने उस के सलाम का उत्तर दिया और वह बैठ गया तो आप ने फ़रमायाः दस। फिर दूसरा आदमी आया और उस ने कहाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि। आप ने उस को उत्तर दिया और वह बैठ गया तो आप ने फ़रमायाः बीस। फिर एक और आया और उस ने भी कहाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि व-ब-रकातुहू, आप ने उस का उत्तर दिया और वह बैठ गया तो आप ने फ़रमायाः तीस।

फ़ाइदा:— सलाम के हर कलिमे पर दस नेकियाँ मिलती हैं। यानी सलाम कहे उसे दस, और जो रहमतुल्लाह बढ़ा दे उसे बीस और जो ब-बरकातुहू कहे उसे तीस।

5196:— सहल अपने पिता (मआ़ज़ बिन अनस) से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। लेकिन इस हदीस में इतना और इज़ाफ़ा है कि फिर चौथा आदमी आया तो उस ने कहाः अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमग़फ़िरतहू, तो आप ने फ़रमायाः चालीस। और नेकियाँ ऐसे ही बढ़ती हैं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। सलाम करने वाला "मग़फि–रतहू" नहीं कहेगा, अल्बत्ता उत्तर देने वाला कहेगा जैसे कि ज़ैद बिन अर्क़म की हदीस में है।

बाब {सलाम कहने में पहल करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

5197:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों में अल्लाह के यहाँ सब से ज़्यादा निकट वह शख़्स है जो उन्हें सलाम कहने में पहले करे।

बाब {पहले सलाम कौन कहे?}

5198:— अबू हुरैरा रिज़॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः छोटा बड़े को, गुज़रने वाला बैठे हुये को, और कम लोग ज़्यादा तादाद वालों को सलाम कहें।

5199:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः सवार आदमी पैदल को सलाम कहे......फिर ऊपर की हदीस बयान की।

बाब {जब दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो भी सलाम करें (चाहे जुदाई थोड़ी ही देर की हो)}

5200:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि जब तुम में से कोई अपने भाई से मिले तो उसे सलाम कहे। पस अगर उन के दर्मियान कोई पेड़ दीवार या पत्थर आड़ बन जाये और फिर दोबारा मिले तो भी सलाम कहे।

मुआविया बिन सालेह ने कहाः मुझे अ़ब्दुल वह्हाब बिन बुख़्त ने अबू ज़नाद से, उन्होंने आरज से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

5201:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये जबकि आप अपने हुजरे में थे, उन्होंने कहाः अस्सलामु अ़लैक या रसूलूल्लाहि, अस्सलामु अ़लैकुम........क्या उमर अन्दर आ सकता है?

फ़ाइदा:— यह एक लंबी हदीस का हिस्सा है। उमर रज़ि॰ ने पहली और दूसरी बार इजाज़त माँगी तो न मिली, फिर माँगी तो मिल गयी.....इस दौरान वह बार–बार अस्सलामु अ़लैकुम कहते रहे हैं।

बाब {बच्चों को सलाम कहना।}

5202:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुज़रे जबकि वह खेल रहे थे तो आप ने उन को सलाम किया।

5203:— अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि मैं लड़कों में से एक लड़का था, पस आप ने हमें अस्सलामु अ़लैकुम कहा, फिर आप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक सन्देश पहुँचाने के लिये भेज दिया और खुद एक दीवार के साये में ......या दीवार के साथ होकर बैठे रहे यहाँ तक कि मैं आप के पास वापस आ गया।

बाब {महिलाओं को सलाम कहना।}

5204:— अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम महिलाओं की जमाअ़त पर गुज़रे तो आप ने हमें सलाम किया।

बाब **{ज़िम्मी काफ़िरों को सलाम।}**

5205:— सुहैल बिन अबू सालेह ने कहा कि मैं अपने पिता के साथ मुल्क शाम की तरफ़ गया तो लोग ईसाइयों के पूजा स्थल पर से गुज़रे तो उन्हें सलाम कहते थे। मेरे पिता जी ने कहाः उन्हें सलाम कहने में पहल न करो इसीलिये कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह संदेश बयान किया है किः "उन लोगों (काफ़िरों) को सलाम कहने में पहल न करो। और जब तुम उन्हें राह में मिलो तो उन्हें तन्ग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।

5206:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहूदी जब तुम्हें सलाम कहते हैं कि तो "अस्सामु अ़लैकुम" बोलते हैं (यानी तुम पर मौत आये) तो तुम उन्हें उत्तर में (केवल) "वअ़लैकुम" कहा करो (यानी जो तुम ने मेरे लिये कहा है वही तुम पर भी)

5207:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि अहले किताब (यहूद और ईसाई) हमें सलाम करते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार उत्तर दें? आप ने फ़रमायाः तुम उन्हें "वअ़लैकुम" कहा करो।

बाब **{मज्लिस से उठते हुये सलाम कहना।}**

5208:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई किसी मज्लिस में पहुँचे तो चाहिये कि सलाम कहे और जब वहाँ से उठना चाहे तो भी सलाम कहे। पहली दफ़ा सलाम कहना दूसरे दफ़ा के मुक़ाबले में कोई ज़्यादा अहम नहीं है।

फ़ाइदा:— मज्लिस में पहुँचने पर और वहाँ से वापसी पर दोनों बार सलाम करे।

बाब **{अ़लैकस्सलामु" कहना मक्रूह है।}**

5209:— अबू जुरा हुजैमा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमतमें हाज़िर हुआ तो मैंने कहाः अ़लैकस्सुलाम या रसूलल्लाहि-- आप ने फ़रमायाः यह शब्द "अ़लैकस्सलामु" मत बोलो, यह मुर्दों का सलाम है।

फ़ाइदा:— "अ़लैकस्सलामु" कहने का कोई तुक ही नहीं है और न ही किसी प्रकार सहीह है।

बाब **{जमाअ़त में से एक आदमी का जवाब देना भी काफ़ी है।}**

5210:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है.......इमाम अबू दावूद ने कहा कि उन के शैख़ हसन बिन अ़ली ने इस रिवायत को मर्फ़ूअ़ ज़िक्र किया.....फ़रमाया कि एक जमाअ़त गुज़र रही हो तो उन में से किसी एक का सलाम कह देना काफ़ी है। और बैठे हुये लोगों में से कोई एक जवाब दे दे तो काफ़ी है।

बाब **{मुसाफ़हा करने का बयान।}**

5211:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब

दो मुसलमानों की मुलाक़ात होती है और वह मुसाफ़हा करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और उस से माफ़ी माँगते हैं तो अल्लाह पाक उन दोनों को माफ़ फ़रमा देता है।

5212:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब दो मुसलमान मुलाक़ात करते और मुसाफ़हा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही उन दोनों की माफ़ी हो जाती है।

5213:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि जब यमन के लोग आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: यमन के लोग तुम्हारे पास आ गये है और यह पहले लोग हैं जिन्होंने मुसांफ़हा का अ़मल शुरु किया है।

5214:— अय्यूब बिन बुशैर बनी अ़नज़ा के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि उस ने अबू ज़र गिफ़ारी रज़ि॰ से कहा जबकि उन्हें शाम से रवाना कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि मैं आप से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस मालूम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा: अगर राज़ की बात न होगी तो मैं बता दूँगा। मैंने कहा: कोई राज़ की बात नहीं है। आप लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुलाक़ात करते थे तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आप लोगों से मुसाफ़ह करते थे? उन्होंने कहा: मैं जबभी आप से मिला आप ने मुझ से मुसाहफ़ा फ़रमाया। एक दिन आप ने मुझे बुलवाया, लेकिन मैं घर पर नहीं था, जब मैं वापस आया तो मुझे आप के बुलावे के बारे में बताया गया। में आप की ख़िदमत में पहुँचा तो आप अपनी चारपाई पर बैठे हुये थे। आप ने मुझ से मुआ़निक़ा फ़रमाया और यह (मेरे लिये) अच्छी, बहुत अच्छी बात थी।

फ़ाइदा:— ऊपर की तमाम हदीसें ज़ओ़फ़ है।

बाब {ताज़ीम (आदर—सम्मान) के लिये खड़ा होना।}

5215:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि बनी कुरैज़ा ने जब सअ़द बिन मआ़ज़ रज़ि॰ का फ़ैसला मानने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया तो आप ने सअ़द को बुलवाया, वह एक सफ़ेद गधे पर सवार होकर आये, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने सर्दार की तरफ़, या अपने अफ़ज़ल की तरफ़ बढ़ो। तो सअ़द आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठ गये।

5216:— इमाम शोबा ने यह रिवायत बयान की और कहा कि जब वह मस्जिद के क़रीब आयेतो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्सार के लोगों से फ़रमाया: अपने सर्दार की तरफ़ बढ़ो।

5217:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने किसी को नहीं पाया कि वह अपनी आ़दत, चाल-चलन और बात-चीत में फ़ातिमा रज़ि॰ से बढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कोई मशाबह हो.....हसन बिन अ़ली की रिवायत में "बात-चीत, बोली-बानी" के शब्द हैं....जब वह आप के यहाँ आतीं तो आप उठ कर उन की तरफ़ बढ़ते ,उन का हाथ पकड़ते, बोसा देते और अपनी जगह पर बैठा लेते और (इसी प्रकार) जब आप उन के घर जाते तो वह उठ कर आप की तरफ़ बढ़तीं, आप का हाथ पकड़तीं बोसा देतीं और अपनी जगह बैठा लेतीं।

बाब {बाप को अपने बेटे को बोसा देना।}

5218:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अक़रा बिन हाबिस रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप हुसैन रज़ि॰ को बोसा दे रहे थे तो उस ने कहाः मेरे तो दस बच्चे हैं और मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं किया (यानी किसी को नहीं चूमा-चाटा) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।

5219:– उर्वा से रिवायत है कि आइशा रज़ि॰ ने (अपने ऊपर आरोप नगाये जाने के वाक़िआ को बयान करते हुये) कहाः फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ आइशा! खुशख़बरी हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें बरी कर दिया और फिर उन्हें कुरआन पाक की आयत पढ़ कर सुनायी तो मेरे माता-पिता ने मुझ से कहाः उठो और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सर को बोसा दो, तो मैंने कहाः मैं अल्लाह पाक की हम्द (प्रशंसा) करती हूँ, तुम दोनों की नहीं।

बाब {पेशानी को बोसा देना।}

5220:– इमाम शोबी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जाफ़र बिन अबू तालिब से मिले (जबकि वह सफ़र से वापस आये थे) तो आप उन से गले मिले और उन की आँखों के दर्मियान बोसा भी दिया।

फ़ाइदा:– यह रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इस से बोसा लेने का सबूत नहीं है।

बाब {गालों पर बोसा देना।}

5222:–बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं अबू बक्र के साथ आया जबकि यह लोग नये-नये मदीना आये थे, और उन की बेटी आइशा बुख़ार की वजह से लेटी हुयी थीं, तो अबू बक्र रज़ि॰ उन के क़रीब हुये और पूछाः बेटी, क्या हाल है? और उन के गाल पर बोसा दिया।

बाब {हाथ पर बोसा देना।}

5223:– अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने क़िस्सा बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़रीब हुये और हम ने आप के हाथ को बोसा दिया।

बाब {शरीर पर बोसा देना।}

5224:– अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला उसैद बिन हुज़ैर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं और यह अन्सार में से थे। यह एक मर्तबा अपनी क़ौम से बातें कर रहे थे, हंसमुख आदमी थे, और उन्हें हँसा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की कोख में एक लकड़ी चुभो दी तो उन्होंने (उसैद ने) कहाः मुझे बदला दीजिये। आप ने फ़रमायाः ले लो। उन्होंने कहाः आप पर तो क़मीस है और मुझ पर क़मीस नहीं थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी क़मीस ऊपर कर दी तो उसैद ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपने बाजू में ले लिया और आप के पहलू पर बोसा देने लगे और कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी यही नियत थी।

बाब {पाँव को बोसा देना।}

5225:— उम्मे इबान अपने दादा जारेअ् से रिवातय करती हैं.....और वह वफ़्द अ़ब्दुल क़ैस में शरीक थे......उन्होंने कहा कि जब हम मदीना पहुँचे तो हम जल्दी-जल्दीउतर कर अपनी सवारियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचे और आप के हाथ और पाँव को बोसा देने लगे। लेकिन एक व्यक्ति मुन्ज़िर अशज्ज ने इन्तिज़ार किया, वह अपने सामान के पास गये, अपने दो कपड़े पहने, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचे तो आप ने फ़रमायाः तुम्हारे अन्दर दो आ़दतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसन्द करता है (1) हिल्म (यानी बुलन्द हौसला और जल्द बाज़ी न करना) (2) बावक़ार होना। उस ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं इन बातों का तकल्लुफ़ से इज़हार करता हूँ या अल्लाह पाक ने मुझे इन पर पैदा किया है? आप ने फ़रमायाः अल्लापह पाक ने तुम्हें इन बातों पर पैदा फ़रमाया है। यह सुन कर अशज्ज ने अल्लाह पाक की हम्द-सना की और कहा कि उस अल्लाह पाक की तारीफ़ है जिस ने मुझे ऐसी आ़दतों पर पैदा फ़रमाया है जिन्हें अल्लाह और उस के रसूल पसन्द फ़रमाते हैं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, पाँव के बोसा का ज़िक्र सहीह नहीं। हाँ, हाथ का बोसा बिला शुब्हा जाइज़ है।

बाब {एक शख़्स दूसरे से कहे कि "मैं तुम पर निछावर और कुर्बान जाऊँ।"}

5226:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! मैंने कहाः मैं हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आप पर कुर्बान हूँ।

फ़ाइदा:— यह कलिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद वहीं प्रयोग होना चाहिये जहाँ दुनिया और आख़िरत की सआ़दत हो, जैसे माता-पिता आदि।

बाब {कोई शख़्स दूसरे से कहः "अल्लाह आप की आँखें ठन्डी रखे।"}

5227:— इमाम क़तादा रह॰ या किसी दूसरे से रिवायत है कि इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ने कहाः हम जाहिलिय्यत में (एक-दूसरे को) यूँ कहा करते थे। अल्लाह तुम्हारी आँखें ठन्डी रखे, या तुम्हारी वजह से तुम्हारे महबूब की आँखें ठन्डी रहें। और सुब्ह खैरियत से हो। फिर जब इस्लाम आ गया तो हमें इस से रोक दिया गया। अ़ब्दुरज़्ज़ाक़ ने बयान किया कि मामर ने कहाः "अल्लाह तुम्हारी आँखों को ठन्डी रखे" कहना मक्रुह है। लेकिन अगर "अल्लाह तुम्हारी आँखें ठन्डी रखे" कहे तो कोई हरज नहीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जाहिलिय्यत के अन्दाज़ में सलाम करना, एक दूसरे को दुआ़यें देना अच्छा नहीं है। इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है उस तरह सलाम करे।

बाब {कोई दूसरे को यूँ दुआ़ दे "अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करे।"

5228:— अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने एक सफ़र में थे कि सहाबा को प्यास ने सताया तो जल्द बाज़ लोग आगे बढ़ गये और.मैं उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ-साथ रहा तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त करे जैसे तू ने उस के नबी की सुरक्षा की।

बाब {एक शख़्स का दूसरे शख़्स की ताज़ीम (आदर–सम्मान) के लिये खड़ा होना।}

5229:— अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ि॰ अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर और अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर रज़ि॰ के यहाँ आये तो इब्ने आ़मिर रज़ि॰ (उन के आदर और सम्मान में) खड़े हो गये, लेकिन इब्ने जुबैर रज़ि॰ बैठे रहे। तो मुआविया रज़ि॰ ने इब्ने आ़मिर से कहाः बैठ जायें, इसलिये कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः जो शख़्स यह पसन्द करता हो कि लोग उस के लिये खड़े रहें तो उसे चाहिये कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

5230:— अबू उमामा बाहली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाये, आप अपनी छड़ी के सहारे से चल रहेथे। हम आप की तरफ़ खड़े हुये तो आप ने फ़रमायाः अजमी लोगों (ग़ैर मुस्लिमों) की तरह मत उठा करो, जिस में कि वह एक–दूसरे को ताज़ीम देते हैं।

बाब {जब कोई किसी दूसरे का सलाम पहुँचाये तो........}

5231:— ग़ालिब ने बयान किया कि हम हसन बसरी के दर्वाज़े पर बैठे हुये थे एक कि आदमी आया और उस ने कहा कि मुझे मेरे पिता जी ने मेरे दादा से रिवायत किया, उन्होंने कहाः मेरे वालिद ने मुझ को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेजा और कहा किआप के पास जाओ और आप को मेरा सलाम कहना। चुनान्चे मैं आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मेरे पिता जी ने आप को सलाम कहा है, तो आप ने फ़रमायाः अ़लै–क वअ़ाला अबी कस्सलामु (तुम पर और तुम्हारे पिता पर सलामती हो)

5232:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः तहक़ीक़ जिब्रील तुम्हें सलाम कह रहे हैं। उन्होंने कहाः व–अ़लैहिस्सलामु व–रह–मतुल्लाहि।

फ़ाइदाः— किसी ग़ैर मौजूद को सलाम भेजना मुस्तहब है, उस का जवाब भी देना चाहिये।पहले सलाम वाले पर और फिर भेजने वाले को दुआ़ दे। यानी यूँ कहेः अ़लै–क व–अ़लैहिस्सलामु व–रह्–मतुल्लाहि व–ब–रकातुहू। या सिर्फ़ व–अ़लैहिस्सलामु व–रह–मतुल्लाहि ही कहे तो भी काफ़ी है। (बुख़ारी–6253)

बाब {किसी को पुकार पर "लब्बैक" कह कर उत्तर देना।}

5233:— अबू अ़ब्दुर्रहमान फ़हरी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं हुनैन की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था, हम सख़्त गर्मी के दिन में चलते रहे, फिर एक पेड़ के छाँव तले उतरे। जब सूरज ढल गया तो मैंने अपनी ज़िरह पहनी, घोड़े पर सवार हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ गया, आप अपने ख़ेमे में थे। मैंने कहाः अस्सलामु अ़लै–क या रसू–लल्लाहि व–रह्–मतुल्लहि व–ब–रकातुहू, कूच का समय हो गया है। आप ने फ़रमायाः हाँ। फिर फ़रमायाः बिलाल उठो, तो वह एक बबूल के पेड़ के नीचे से उछल कर उठे और उन का साया ऐसे पड़ रहा था जैसे कि पंछी का हो (यानी वह बहुत कमज़ोर शरीर के थे) उन्होंने कहाः मैं हाज़िर हूँ और आप पर कुर्बान हूँ। आप ने फ़रमायाः मेरा घोड़ा तय्यार करो (उस पर ज़ीन रखो) चुनान्चे उस ने ऐसी ज़ीन निकाली जिस की गद्दी खजूर की छाल से भरी गयी थी। उन में किसी प्रकार का तकब्बुर और बड़ाई न थी (बहुत सादा थी) चुनान्चे आप सवार हो गये और हम भी.......और पूरी हदीस बयान की।

बाब {किसी को अल्फ़ाज़ में दुआ देना "अल्लाह तुम्हें हँसता मुस्कुराता रखे।"}

5234:— अ़ब्दुल्लाह बिन कनाना बिन अ़ब्बास बिन मिरदास अपेन पिता से और वह दादा से रिवायत करते हैं कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हँस दिये तो अबू बक्र या उमर रज़ि॰ ने कहा: अल्लाह पाक आप को (हमेशा) हँसता-मुस्कुराता रखे......और हदीस बयान की।

बाब {मकान बनाने का बयान।}

5235:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं और मेरी माता जी अपने अहाता की दीवार लीप रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो आप ने फ़रमाया: ऐ अ़ब्दुल्लाह! क्या हो रहा है? मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस की कुछ मरम्मत कर रहा हूँ। आप ने फ़रमाया: मामला तो इस से बहुत जल्द है।

5236:— आमश ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और हम अपनी झुग्गी (या कोठरी) जो पुरानी हो गयी थी उस की मरम्मत कर रहे थे। आप ने पूछा: क्या हो रहा है? हम ने कहा: हमारी यह झुग्गी पुरानी हो गयी है तो उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं तो मामले को उस से भी जल्द समझता हूँ।

5237:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बाहर निकले तो एक ऊँचा कुब्बा (जैसा मकान) देखा तो पूछा: यह क्या है? सहाबा ने कहा: यह फ़लाँ अन्सारी का है। यह सुन कर आप ख़ामोश रहे और बात अपने दिल में रखी। जब उस का मालिक दूसरे लोगों के साथ आप के पास सलाम करने आया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस पर तवज्जोह न दी और बार-बार ऐसे हुआ। इस पर वह समझ गया कि आप नाराज़ हैं और तव्वजोह नहीं फ़रमाते हैं, तो उस ने इस की शिकायत अपने साथियों से की अल्लाह की क़सम! मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बदला-बदला सा पाता हूँ। इस पर उस के साथी सहाबा ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बाहर गये थे तो तुम्हारा कुब्बा देखा था। चुनान्चे उस ने जाकर अपना कुब्बा जैसा घर ढा दिया और उसे गिरा कर ज़मीन के बराबर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दिन बाहर गये और उस का कुब्बा नज़र न आया तो पूछा: कुब्बा क्या हुआ? सहाबा ने बताया कि उस के मालिक ने हम लोगों से आप के तवज्जोह न फ़रमाने की शिकायत की तो हम ने वजह बता दी, चुनान्चे उस ने उसे गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हर तामीर (निर्माण) अपने मालिक के लिये बवाल का सबब है मगर वह जो......मगर वह जिस के बिना चारा न हो।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा अपने ज़ाती मकान में रहते थे। वह ऐसे होते थे कि उस में उन की ज़रुरत पूरी हो जाती थी, लंबे-चौड़े और ऊँचे-ऊँचे महल खड़े करना जिन से कोई फ़ाइदा न हो, ऐसा करना ठीक नहीं।

बाब {बाला ख़ाना बनाना।}

5238:— दुकैन बिन सअ़ीद मुज़नी रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुये आप से ग़ल्ला माँगा तो आप नेफ़रमायाः उमर! जाओ और उन को दे दो। चुनान्चे वह हमें लेकर एक बाला ख़ाना पर चढ़े और अपने कमरे से चाबी लेकर उस को खोला।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर वास्तव में ज़रुरत हो तो बनाना भी जाइज़ है।

बाब {बैरी का पेड़ काट देना (कैसा है?)}

5239:— अ़ब्दुल्लाह बिन हुबशी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बैरी का पेड़ काटा, अल्लाह पाक भी उस के सर को जहन्नम में उलटा लटकाएगा।

इमाम अबू दावूद से इस हदीस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमायाः यह हदीस संक्षिप्त में है। इस से यह मुराद है कि जन्गल में लगा बैरी का पेड़ जो आने-जाने वालो मुसाफ़िरों और जानवरों के लिये छाँव का काम करता हो, और बिना ज़रुरत कोई उस पेड़ को काट डालेतो अल्लाह पाक उस को लटकाएगा।

फ़ाइदा:— इस प्रकार वह तमाम पेड़ जो साया और आराम का काम दें उन को काटना मना है जैसे कि नीचे हदीस आ रही है।

5240:— उस्मान बिन इब्राहीम कहते हैं कि मैंने हिशाम बिन उर्वा से यह मस्अला पूछा कि बैरी का पेड़ काटना कैसा है? जबकि वह अपने पिता जी उर्वा के महल के साथ टेक लगाए बैठे थे, तो उन्होंने कहाः क्या तुम दरवाज़े और चौखटे देख रहे हो, यह उर्वा के बैरी के पेड़ों से बनाए गये हैं और उर्वा उन पेड़ों को काट लिया करते थे और कहा कि इस में कोई हरज नहीं है। हुमैद ने कहा कि हिशाम ने कहाः ऐ इराक़ी! (हस्सान बिन इब्राहीम) तू तो मेरे पास एक बिदअ़त वाली बात लाया है। उस ने कहाः मैंने जवाब दिया कि बिदअ़त तो तुम्हारी तरफ़ से है। मैंने मक्का में उलमा से सुना है जो यह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे आदमी पर लानत की है जो बैरी को काटे .... फिर ऊपर की तरह हदीस बयान किया।

बाब {राह से तक्लीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ को हटा देने का बयान।}

5242:— बुरैदा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "इन्सान के अन्दर 360 जोड़ हैं तो उस पर वाजिब है कि हर जोड़ के बदले सदक़ा करे। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! कौन इस की हिम्मत रखता है? आप ने फ़रमायाः मस्जिद में पड़ी रींट (नेटा) को दफ़न कर देना, राह में पड़ी तक्लीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ को हटा देना, और अगर यह न हो सके चाश्त की दो रक्अ़तें ही तुम्हें उन (तमाम सदक़ों) से काफ़ी हो जायेंगी।

फ़ाइदा:— यानी 360 नेकियाँ इस दो रक्अ़त पढ़ने से हासिल हो जायेंगी।

5243:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सुब्ह होते ही हर आदम की औलाद के जोड़-जोड़ पर सदक़ा वाजिब हो जाता है। उस का अपने मिलने वाले को सलाम कहना सदका है, किसी को नेकी की बात बताना सदक़ा है, बुराई से मना करना सदक़ा है, राह से तक्लीफ़ वाली चीज़ को हटा देना सदक़ा है, बीवी से हमबिस्तरी करना सदक़ा है। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो अपनी शहवत पूरी करता है तो उस के लिये सदक़ा-ख़ैरात कैसे बनेगा? आप ने फ़रमायाः बताओ तो

सही अगर वह हराम में यह काम करे तो क्या गुनाहगार नहीं होगा (तो फिर हलाल तरीक़ा से संभोग करना सवाब का काम होगा) आप ने फ़रमायाः इन सब कामों से उस के लिये चाश्त की दो रक्अ़तें काफ़ी हो जाती है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन ज़ैद ने नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का ज़िक्र नहीं किया।

5244:— अबू अस्वद ने अबू ज़र रज़ि॰ से यह रिवायत नक़ल की और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह हदीस अपनी बात-चीत के दौरान बयान फ़रमाई।

5245:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक आदमी जिस ने कभी कोई नकी का काम नहीं किया करता था। उस ने राह से काँटों की एक डाली हटा दी। यह डाली या तो पेड़ पर थी कि उस ने काट फेंकी, या राह में पड़ी थी और उस ने एक तरफ़ हटा दी तो अल्लाह पाक ने उस का यह अ़मल स्वीकार कर लिया और इस की वजह से उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया।

फ़ाइदा:— छोटी से छोटी हो नेकी, तू उसे हल्की न जान
रब की बख़शिश के लिये कोई बहाना चाहिये।

बाब {रात को आग बुझा कर सोना चाहिये।}

5246:— इमाम सालिम रह॰ अपने पिता (इब्ने उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं, और एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मर्फ़ूअ़ भी ज़िक्र किया कि "सोते समय अपने घरों में आग न रहने दिया करो।"

5247:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक बार चूहिया एक चराग़ की बत्ती घसीट कर ले आयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने उस चटाई पर डाल दी जिस पर आप बैठे हुये थे आप की एक दिंहम के बराबर जगह जल गयी तो आप ने फ़रमायाः जब तुम सोने लगो तो अपने चराग़ बुझा दिया करो, बिला शुब्हा शैतान उस जैसी मख़्लूक़ को इसी प्रकार का काम सुझा देता है और तुम्हारे घरों में आग लगा देता है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत सनद के एतबार से ज़ओ़फ़ है लेकिन अर्थ दुरुस्त है। देखें-बुख़ारी 6294, 9295, मुस्लिमः 2016। इसीलिये अ़ल्लामा अल्बीन ने सहीह कहा है।

बाब {साँपों को मारने का बयान।}

5248:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब से हमारी इन साँपों से लड़ाई शुरु हुयी है, हम ने उन से समझौता नहीं किया, और जिस ने डर के मारे उन में से किसी को छोड़ दिया वह हम में से नहीं।

5249:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर प्रकार के साँपों को मार डाला करो, जो उन के बदले से डरे वह मुझ से नहीं।

5250:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने

साँपों को उन के बदले के डर से छोड़ दिया वह हम में से नहीं। जब से हमारी लड़ाई उन से आरंभ हुयी है हम ने उन से सुलह नहीं की।

फ़ाइदा:— दोनों रिवायतें ज़ओफ़ हैं लेकिन अर्थ सहीह है कि मोमिन को बहादुर होना चाहिये, अल्लाह पाक पर भरोसा होना चाहिये, उन के बदले से नहीं डरना चाहिये।

5251:— अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि हम ज़मज़म के कुँए को साफ़ करना चाहते हैं लेकिन उस ने छोटे-छोटे साँप हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उन को मार डालने का आदेश दिया।

5252:— इमाम सालिम अपने पिता (इब्ने उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हर प्रकार के साँपों को मार डाला करो। उस को भी जिस की पीठ पर काले (या सफ़ेद) रंग की दो धारी होती है और जिस की दुम नहीं होती। यह साँप नज़र की रोशनी को समाप्त कर देते हैं (जिस की नज़र से उन की नज़र मिल जाये) और यह महिलाओं का गर्भपात भी करा देते हैं। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ जिस साँप को भी पाते, उसे जान से मार देते। एक बार **अबू लुबाबा या ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने उन को देखा कि वह साँप को ढूँड़ रहे थे तो उन्होंने बयान किया कि यह जो घरों में रहने वाले साँप हैं, उन को मार डालने से मना किया गया है।**

5253:— अबू लुबाबा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन साँपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फ़रमाया है, उन साँपों को छोड़ कर जिन की पीठ पर (काली या सफ़ेद) दो धारियाँ होती हैं, और जिस की दुम नहीं होती, क्योंकि यह आँख की रोशनी को समाप्त कर देते और महिलाओं के हमल को गिरा देते हैं।

5254:— इमाम नाफ़े से रिवायत है कि अबू लुबाबा रज़ि॰ की ऊपर की हदीस मालूम होने के बाद इब्ने उमर रज़ि॰ को देखा गया कि उन्होंने अपने घर में साँप को देखा (तो उसे मारा नहीं, बल्कि) उस के बारे में हुक्म दिया और बक़ीअ़ (क़ब्रिस्तान) की तरफ़ भगा दिया गया।

5255:— उसामा ने भी इमाम नाफ़े से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है.......इमाम नाफ़े ने कहा कि यह रिवायत सुनने के बाद मैंने घर में साँप देखा........(तो उसे भगा दिया)

5256:— मुहम्मद बिन अबू मूसा यहया रिवायत करते हैं कि उन के पिता जी ने बयान किया कि वह और उन का एक साथी अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ की अ़यादत के लिये गये। फिर हम उन के घर से निकले तो हमें हमारा एक साथी मिला जो अबू सअ़ीद रज़ि॰ के पास जा रहा था। हम लोग आ कर मस्जिद में बैठ गये तो हमारा वह साथी भी आ गया। उस ने बताया कि मैंने अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कई प्रकार के साँप जिन्न होते हैं, चुनान्चे जो कोई अपने घर में कुछ देखे तो चाहिये कि उसे तीन बार चेतावनी दे दे, अगर वह फिर नज़र आये तो मार डाले, क्योंकि वह शैतान है।

5257:— अबू साइब बयान करते हैं कि मैं अबू सअ़ीद रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन के पास

बैठ गया तो उन की चारपाई के नीचे सरसराहट महसूस की। मैंने देखा तो वह साँप था। चुनान्चे मैं उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछाः क्या बात है? मैंने कहाः यहाँ साँप हैं। उन्होंने कहाः तो क्या चाहते हो? मैंने कहाः मारने का इरादा है। उन्होंने अपने घर के सामने एक मकान की तरफ़ इशारा किया और कहाः मेरे चचा का लड़का इसी मकान में रहता था। ख़न्दक़ के दिन उस ने अपने घर आने की इजाज़त माँगी, जबकि उस की नई-नई शादी हुयी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को इजाज़त दे दी और फ़रमाया कि हथियार लेकर जाना। वह अपने घर आया तो क्या देखा कि उस की पत्नी घर के दर्वाज़े पर खड़ी है। यह देख कर उस ने नेज़े से उस की तरफ़ (मारने का) इशारा किया तो उस ने कहाः जल्दी मत करो, पहले देख लो कि मुझे किस चीज़ ने बाहर निकाला है? चुनान्चे वह घर के अन्दर गया तो क्या देखा कि वहाँ एक भयानक साँप है, चुनान्चे उस ने अपना नेज़ा उस के अन्दर गाड़ दिया और इसी प्रकार उठा कर उसे बाहर ले आया। साँप नेज़े के साथ तड़प रहा था। उन्होंने कहाः मुझे नहीं मालूम पहले कौन मरा, वह आदमी या साँप? चुनान्चे उस की क़ौम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी और कहा कि आप दुआ़ फ़रमा दें कि अल्लाह पाक हमारे इस आदमी को ज़िन्दा कर दे। आप ने फ़रमायाः अपने साथी के लिये माफ़ी की दुआ़ करो। फिर फ़रमायाः मदीना में कुछ जिन्न मुसलमान हुये हैं, तो जब तुम उन में से किसी को देखो तो उसे तीन बार चेतावनी दे दो, इस के बाद अगर क़त्ल करने का ख़याल हो तो तीसरी बार के बाद क़त्ल कर दो।

5258:— इब्ने अ़जलान ने यह हदीस संक्षिप्त में रिवायत की और कहाः उसे तीन मर्तबा चेतावनी दो। इस केबाद अगर नज़र आये तो क़त्ल कर दो, क्योंकि वह शैतान है।

5259:— हिशाम बिन ज़हरा के मौला अबू साइब से रिवायत है कि वह अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ के यहाँ गये. ......और पूरी हदीस बयान की, बल्कि ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहा कि "उसे तीन बार चेतावनी दो, अगर इस के बाद भी तुम्हारे पास आये तो उसे जान से मार दो, क्योंकि वह शैतान है।

5260:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से घरों में पाये जाने वाले साँपों के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः जब तुम उन में से किसी को अपने घरों में देखो तो उन से कहोः मैं तुम्हें वह क़सम देता हूँ जो नूह अ़लै॰ ने तुम्हें दी थी। मैं तुम्हें वह क़सम देता हूँ जो सुलैमान अ़लै॰ ने तुम्हें दी थी कि हमें किसी प्रकार की तक्लीफ़ न देना। अगर इस के बाद फिर भी निकलें तो जान से मार दो।

5261:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने फ़रमायाः हर प्रकार के साँपों को क़त्ल कर दिया करो, मगर जो सफ़ेद चाँदी की छड़ी की तरह हों (उन्हें न क़त्ल करो)

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि मुझे एक शख़्स ने बताया कि जिन्न साँप टेढ़ा होकर नहीं चलता, अगर वह बिल्कुल सीधा चले तो इनशाअल्लाह यह उस के जिन्न होने की पहचान है।

बाब {छिपकली को मारने का बयान।}

5262:— आ़मिर बिन सअ़द अपने पिता सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने छिपकली को क़त्ल कर देने का हुक्म दिया है और उसे छोटा फ़ासिक़ (हानि पहुँचाने वाला) बताया।

5263:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने छिपकली को पहली चोट से मारा उस के लिये इतना-इतना सवाब है, और जिस ने दूसरी चोट में मारा उसे इतना-इतना सवाब है, यानी पहले से कम। और जिस ने तीसरी चोट से मारा उस के लिये इतना-इतना सवाब है, यानी दूसरी बार से भी कम।

5264:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने छिपकली को पहली ही चोट में मार दिया उस के लिये सत्तर नेकियाँ हैं।

फ़ाइदा:— छिपकली जो घरों में रहती हैं उसे मारने का हुक्म है, न कि गिरगिट को।गिरगिट उसे कहते हैं जो कई प्रकार के रन्ग बदलता है। गिरगिट को मारने का हुक्म नहीं है। यह हदीस बुख़ारी (3359) मुस्लिम (2237) और अहमद में भी है। कुछ रिवायतों में है कि एक वार में मार डालने पर सौ नेकियाँ मिलती हैं। बुख़ारी की रिवायत में है कि जब इब्राहीम अ़लै॰ को आग में जलाने के लिये लकड़ी जलाई जा रही थी तो यह फूँक मार कर उसे तेज़ कर रहा था (बुख़ारी-3359)

बाब {चींटी को मारने का मस्अला।}

5265:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई नबी एक पेड़ के नीचे उतरे तो एक चींटी ने उन्हें काट लिया तो उन्होंने उस के पूरे बिल को उस के नीचे से निकाल कर जला देने का हुक्म दिया, तो अल्लाह पाक ने उस की तरफ़ वह्यि की कि केवल उस एक ही चींटी को क्यों न मारा (जिस ने काटा था)

5266:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक चींटी ने किसी नबी को काट लिया तो उन्होंने उस के पूरे बिल को जला डालने का हुक्म दिया तो अल्लाह पाक ने उन की तरफ़ वह्यि भेजा कि क्या बात है कि तुम्हें तो एक ही चींटी ने काटा था और तुम ने तो पूरी एक जमाअ़त (समूह) को हलाक कर डाला तो जो कि (अल्लाह पाक की) तस्बीह करती थी।

फ़ाइदा:— जिस नबी का ज़िक्र है वह मस्अला नहीं जानते थे इसलिये एक ने काटने पर सभी को सज़ा में जला डाला। मालूम हुआ कि अगर एक काटे तो उसे मार सकते हैं।

5267:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार प्रकार के जानवरों को क़त्ल करने सेम ना फ़रमाया है। (1) चींटी (2) शहद की मक्खी (3) हुदहुद (4) लटूरा।

5268:— अ़ब्दुरहमान, अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हम एक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, आप अपनी ज़रुरत पूरी करने के लिये गये तो हम ने एक चिड़िया देखी जिस के साथ दो बच्चे भी थे। हम ने उस के बच्चों को पकड़ लिया तो उन की माँअपने बच्चों पर गिरने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वापस आये तो पूछाः इन को किस ने तन्ग किया है? उस के बच्चों को वापस कर दो....." और आप ने देखा कि चींटी के एक बिल को हम ने जला डाला तो आप ने फ़रमायाः आग के रब (अल्लाह पाक) के सिवा किसी के लिये जाइज़ नहीं कि किसी को आग से दन्ड दे।

बाब {मेंढ़क को मार डालने का बयान।}

5269:— अ़ब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ि॰ से रिवायत है कि एक हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मेंढ़क के बोर में पूछा कि वह उसे किसी दवा में डालता है तो आप ने उसे उस के मारने से मना फ़रमा दिया।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि मेंढ़क का खाना हलाल नहीं है।

बाब {कन्कर और पत्थर मारते फिरना।}

5270:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कन्करियाँ मारने से मना फ़रमाया है। आप ने फ़रमायाः इन (छोटे-छोटे पत्थरों-कन्करों) से किसी का शिकार नहीं होता, न कोई दुश्मन घायल होता है, अल्बत्ता किसी की आँख फूट सकती है, या दाँत टूट सकता है।

बाब {ख़तने का बयान।}

5271:— उम्मे अ़तिय्या अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि मदीना में एक महिला थी जो ख़तना किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः ख़तना गहरा मत किया करो, क्योंकि उस में महिला के लिये ज़्यादा मज़ा (स्वाद) और पति के लिये भी यह हालत ज़्यादा पसन्दीदा होती है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस क़वी नहीं है। मुहम्मद बिन हस्सान एक रावी मजहूल है और यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा अल्बानी ने इस हदीस को सहीह कहा है। ऊपर की हदीस का संबन्ध भी महिला के ख़तने से है कि उस की शर्मगाह पर बढ़ा हुआ माँस काट कर दूर कर दिया जाये, मगर उसे गहरा न काटा जाये। चूँकि पूरब की महिलाओं के अन्दर ख़तना की ज़रुरत नहीं पड़ती क्योंकि इन की शर्मगाह में माँस बढ़ा हुआ नहीं होता, इसीलिये पूरब के मुल्कों-हिन्दुस्तान, पाकिस्तान आदि में महिलायें ख़तना नहीं जानती हैं। मालूम हुआ कि जहाँ ख़त्ना की ज़रुरत हो वहाँ कर सकते हैं।

बाब {रास्ता में महिलाओं का मर्दों के साथ मिल कर चलना।}

5272:— हमज़ा अपने पिता अबू उसैद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, आप ने फ़रमाया जबकि आप मस्जिद से निकल रहे थे और मर्द-औ़रतें एक साथ रास्ते में घुल मिल कर चले रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं से फ़रमायाः पीछे-पीछे रहो, तुम्हारे लिये मुनासिब नहीं कि राह में बीच राह में चलो, बल्कि रास्ता के कनारे चला करो। चुनान्चे महिला दीवार के साथ लग कर चला करती थी। यहाँ तक कि उस का कपड़ा दीवार के साथ अटक-अटक ज़ाता था, इसीलिये कि वह दीवार के साथ लग कर चलती थी।

5273:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई आदमी दो महिलाओं के दर्मियान होकर चले।

बाब {आदमी का ज़माना को गाली देना।}

5274:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक फ़रमाता है कि आदम का बेटा मुझे दुःख देता है, वह ज़माना को गाली देता है, हालाँकि मैं ही ज़माना हूँ, मामला मेरे ही हाथ में है, रात और दिन को मैं ही फेरता हूँ।

इब्ने सराह ने सनद में सईद के स्थान पर "इब्ने मुसय्यिब" कहा (और इब्ने मुसय्यिब ही सईद हैं)

फ़ाइदा:— ज़माना को बुरा-भला कहना जाइज़ नहीं। ज़माना हमेशा से एक ही है, लेकिन लोग अपने बुरे कामों को भूल कर ज़माना की तरफ़ निस्बत करने लगते हैं। चूँकि अल्लाह पाक ज़माने का पैदा करने वाला और उस में कमी-बेशी करने वाला है, इसी कारण अल्लाह पाक ने अपने आप को "ज़माना" कहा है। फिर भी यह कलिमा अल्लाह पाक का नाम या उस की सिफ़त नहीं है। यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ (4826) और मुस्लिम शरीफ़ (2246) में भी आ चुकी है।

आज 2 अप्रैल 2010 जुमा के दिन अपने घर पर इस पुस्तक के तर्जुमा और संक्षिप्त तफ़सीर का काम संपन्न हुआ। यह काम अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला! इस में जो कुछ मुझ से भूल-चुक हुयी है उसे माफ़ फ़रमा दे- तू ही केवल माफ़ करने वाला है। और इस ख़िदमत के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फ़रमा और उन की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बना और आख़िरत में इस ख़िदमत के बदले अपने अर्श के नीचे साया में स्थान अता फ़रमा। आमिन!

मेरे मौला !इस के बाद तू तिर्मिज़ी शरीफ़ के तर्जुमा और तफ़सीर की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा-तू ही तौफ़ीक़ देने वाला है

व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़लक़िही मुहम्मदिन् व अला आलि मुहम्मदिन् व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी
ग्राम बेतनार, पो॰ रमवा पुर जगत
जनपदः सिद्धार्थ नगर (up)
2.4.2010, जुमा
Composing:-22.4.2010 (10.47)

❀❀❀ ❀❀